लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 12 अगस्त, 1997/21 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 283 से 285	1-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 286 से 300	39-214
अतारांकित प्रश्न संख्या 3110 से 3230 और 3232 से 3339	215-532
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में	532-536, 542-551
सभा पटल पर रखे गए पत्र	537-541
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया	541-542
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	542
ग्यारहवां प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	
याचिका समिति	542
चौथा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	
नियम 377 के अधीन मामले	552-557
(एक) घाटमपुर, उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कमल रानी	552
(दो) सांभर साल्ट लेक को राजस्थान राज्य सरकार के सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	552-553
(तीन) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में पेयजल मुहैया कराने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	553
(चार) असम में संकोष और गंगाधर नदी थालों को सूखने से बचाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय हाण्डिक	553-554

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) औरंगाबाद जिले के औद्योगिक विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	554–555
(छः) देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री टी. गोविन्दन	555–556
(सात) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु संबंधी मामले की और आगे जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री चित्त बसु	556–557
(आठ) उड़ीसा राज्य सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	557
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1997-98 - स्वीकृत	557–597
श्री राम विलास पासवान	557–596
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक	597–610
विचार करने के लिए प्रस्ताव	597
श्री राम विलास पासवान	597
श्री राम नाईक	598
श्री संतोष मोहन देव	607
कर्नल राव राम सिंह	607
खंड 2, 3 और 1	609
पारित करने के लिए प्रस्ताव	610
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1997-98	610–662
श्री चमन लाल गुप्त	617
प्रो. पी.जे. कुरियन	621
श्री चित्त बसु	628
श्री राम नगीना मिश्र	632
श्री पी. नामग्याल	637
श्री जार्ज फर्नान्डीज	655
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"	660

विषय	कालम
नियम 193 के अधीन चर्चा...	662–670, 672–692
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में	662
श्री पी.सी. चाक्को	662
श्री सिबैस्टिअन पाल	667
प्रो. रासा सिंह रावत	672
श्री मोहन रावले	675
श्री दिलीप सिंह भूरिया	678
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	680
विधेयक–पुर:स्थापित	
राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (दूसरा संशोधन) विधेयक	670
राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश – सभा पटल पर रखा गया...	670
श्री रमाकांत डी. खलप	670

लोक सभा

मंगलवार, 12 अगस्त, 1997/21 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दालों की मांग और उत्पादन

***281. डा. कृपासिन्धु भोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दालों की मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ख) सन् 2000 ई. तक देश में दालों की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) उस समय तक दालों का कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के उद्देश्य से कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति के अनुमान तथा कृषि सांख्यिकी में सुधार करने संबंधी कार्यकारी दल ने राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा यथासंस्तुत मानकीय आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए 15.30 मिलियन मी. टन दाल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है तथा 7% की सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर पर व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर 15.50 मिलियन मी. टन उत्पादन का अनुमान लगाया है। 1996-97 के दौरान दालों का घरेलू उत्पादन और कुल उपलब्धता इस प्रकार है:-

(मिलियन मी. टन)

उत्पादन	14.852
आयात	0.532 (मूल्य 731.76 करोड़ रुपए)
निर्यात	(-) 0.054
मांग	15.30
उपलब्धता	15.33

(ख) और (ग) कार्यकारी दल ने वर्ष 2001-02 के लिए मानकीय आवश्यकता के आधार पर 17.20 मिलियन मी. टन तथा 7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर 19.50 मिलियन मी. टन की उत्पादन आवश्यकता का अनुमान लगाया है। कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए 17.50 मिलियन मी. टन की आपूर्ति होने का अनुमान लगाया गया है। अनुबंध-I संलग्न है।

(घ) देश में दालों की उत्पादकता विश्व उत्पादकता स्तर से कम है। अनुबंध-II संलग्न है।

अत: उत्पादकता बढ़ाने के लिए

(1) उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग

(2) पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग

(3) गन्धक का अनुप्रयोग

(4) समेकित कीट प्रबन्ध

(5) सिंचाई के लिए छिड़काव माध्यम का प्रयोग प्रस्तावित है।

अभी प्रचलित/एकल फसल के अलावा अन्तर्फसलन तथा क्रमबद्ध फसलन के माध्यम से क्षेत्र में वृद्धि प्रस्तावित है।

अनुबंध-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए कृषि जिन्सों की मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी में सुधार संबंधी कार्यदल द्वारा 2001-02 के लिए आंकी गयी दालों की आवश्यकता

(मिलियन टन)

एप्रोच	खपत आवश्यकता	उत्पादन आवश्यकता
मानकीय, 14.6 कि.ग्रा./ व्यक्ति/वर्ष राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा यथा-अनुशंसित	13.90	17.20
व्यवहारवादी, 7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर 16 कि.ग्रा./ व्यक्ति/वर्ष	16.25	19.50

अनुबंध-II

दालों की खेती करने वाले प्रमुख देशों में दालों की उत्पादकता (1995)

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

देश	कुल दालें	सूखी दालें	अरहर (चिकपी)	मसूर
भारत	595	908	738	647
चीन	1211	1082	1333	1243
फ्रांस	4709	4795	–	1692
आस्ट्रेलिया	1164	1329	1246	2125
कनाडा	1674	1839	–	1315
टर्की	967	2600	948	976
यू.एस.ए.	1915	3224	–	1543
यूक्रेन	1412	1417	–	–
रसियन फेड.	831	836	–	513
मेक्सिको	664	1000	2000	–
म्यांमार	659	645	634	286
इथोपिया	892	882	700	708
पाकिस्तान	573	543	525	508
ईरान	674	–	523	629
बंगलादेश	750	625	727	810
नेपाल	609	–	705	629
सीरिया	1009	1438	694	1230
विश्व	796	1513	722	839

स्रोत: एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन, ईयर बुक-1995

...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ? महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कुछ जाने बिना हम सभा नहीं चलने देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को: हम भी उनको समर्थन देते हैं। हम महिला आरक्षण विधेयक के बारे में जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण विधेयक अभी तक क्यों नहीं लाया गया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, इस संबंध में, यह वायदा किया गया था कि 11 तथा 12 तारीख को यह विधेयक चर्चा के लिए रखा जाएगा। ...*(व्यवधान)* भा.ज.पा. इसके लिए तैयार है, कांग्रेस दल इसके लिए तैयार है और हम भी इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए क्या रुकावट है? ...*(व्यवधान)* सभा के अधिकतर लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम इस विधेयक के संबंध में कुछ जाने बिना यह सभा नहीं चलने देंगे ...*(व्यवधान)* इस विधेयक पर मतदान कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: सरकार इतना विलम्ब क्यों कर रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह आज की संशोधित कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जी हाँ, यह मद संख्या 20 पर सूचीबद्ध किया गया है जिसका अर्थ यह है कि इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाएगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे को प्रश्न-काल के बाद उठा सकते हैं। प्रश्न काल के दौरान किसी ऐसी बात की अनुमति नहीं दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, महोदय। हम इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण विधेयक मानते हैं। हम इसके लिए कब तक इन्तजार कर सकते हैं? हम और इन्तजार नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. के.पी. रामलिंगम: महोदय, आज का पहला प्रश्न कृषि-दालों के उत्पादन इत्यादि से संबंधित है। भारत में, 90 प्रतिशत व्यक्ति कृषक हैं। इसलिए प्रश्नकाल की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वे अब आपत्ति करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे कृषि के विरुद्ध हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा प्रश्न काल के बाद उठाया जा सकता है इसे अभी नहीं उठाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम इस पर प्रश्न काल के बाद चर्चा कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: हम आपके साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: यदि ऐसा है तो इस विधेयक को प्रश्न काल के तत्काल बाद चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आपका विनिर्णय क्या है? क्या इस विधेयक को प्रश्न काल के तत्काल बाद सबसे पहले चर्चा के लिए लिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप नहीं चाहते कि शून्यकाल हो?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारी मांग यह है कि आज की कार्य सूची की मद संख्या 20 को प्रश्न काल के बाद सबसे पहले चर्चा के लिए उठाया जाए। ...*(व्यवधान)*

आप इस बारे में सभा का विचार जान सकते हैं कि क्या सभा मद संख्या 20 को सबसे पहले उठाना चाहती है अथवा नहीं। हम जानना चाहते हैं कि प्रश्न काल के बाद क्या इस मद को चर्चा के लिए सबसे पहले उठाया जाएगा अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप उस समय सभा के विचार जान सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा कि प्रश्न काल के बाद किस मद पर चर्चा की जा सकती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अनुशासन बनाए रखें। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

डा. कृपासिन्धु भोई: मेरे तारांकित प्रश्न के संबंध में मंत्री जी ने अपने उत्तर में मांग और पूर्ति अनुमान संबंधी कार्यकारी दल के बारे में बताया है। लेकिन मेरे प्रश्न में अधिक जोर इस बात पर दिया गया है कि पिछले एक दशक से दालों की माँग और आपूर्ति में अंतर बढ़ रहा है। वर्ष 1950 में हमारे देश में दालों का उत्पादन आठ मिलियन टन से अधिक था। वर्ष 1996 में यह उत्पादन केवल 14 मिलियन टन था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे देश में वर्ष 1960 में प्रति व्यक्ति आवश्यकता 69 ग्राम थी लेकिन अब, यह आवश्यकता कम होकर 34 ग्राम हो गई है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में मांग और आपूर्ति अनुमान संबंधी कार्यकारी दल के बारे में किस आधार पर कहा है? दाल में कम प्रोटीन होता है, जो कि शीघ्र हजम हो जाता है और भारत एक विकसित देश नहीं है, में दालों के प्रोटीन की आवश्यकता है। संसद में उनके पिछले उत्तर के अनुसार राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरम्भ की गयी है। इस आधार पर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को कब आरम्भ किया गया था। इसका क्या लाभ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में गरीब, सीमान्त और लघु कृषक दालों की खेती पर निर्भर रहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: मुद्दा यह है कि वर्तमान में सभी को हर सम्भव सहायता दी गई है। अब तक हमने इस परियोजना के लिए लघु तथा सीमान्त कृषकों की सीमा निर्धारित नहीं की है। मैं अन्य चीजों के लिए भी ऐसा कर रहा हूं। लेकिन जहाँ तक कि इसका संबंध है, हमने ऐसा नहीं किया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैंने उन्हें पांच मुद्दों के रूप में उद्धृत किया है और माननीय सदस्य उन्हें देख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे उसे दोहराना चाहिए।

डा. कृपा सिन्धु भोई: उन्होंने कार्यकारी दल के बारे में कहा है। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य के मानदंड क्या हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दूसरा, मंत्री महोदय बहुत ओजस्वी व्यक्ति हैं। देशभर में दालों की आवश्यकता होती है इसलिए मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने हमारे देश में कृषि जलवायु की स्थितियों तथा भूभौतिकीय स्थितियों के आधार पर जोन निर्धारित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों तथा भूवैज्ञानिकों की कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि हमारे देश में दालों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाया जा सके।

यदि उत्पादन कम हुआ तो क्या दाल का आयात या दालों की अधिक पैदावार वाली किस्में, जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में पैदा की जा सकती, से पूर्ति की जाएगी? और साथ ही हरित क्रान्ति को जीत क्रान्ति में बदला जा सकता है क्योंकि एक विकासशील देश होने के कारण हमारे देश में दालों की आवश्यकताएं अधिक हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: यह सच है कि गरीबों के लिए दाल प्रोटीन वाला एकमात्र भोजन है। इसलिए हमें इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में दाल का उत्पादन हो सकता है उनका पहले ही पता लगा लिया गया है।

वैज्ञानिक समूहों और अन्य कृषि विशेषज्ञों ने इस पर अनुसंधान किया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसका पूरा ब्यौरा

बाद में दे सकता हूँ क्योंकि ब्यौरा देने में अधिक समय लगेगा। कौन सी दाल किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए उपयुक्त है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, मिली-जुली फसल कैसे लगाएं, इन सभी मुद्दों पर कार्य किया जा चुका है।

डा. कृपासिन्धु भोई: मैं जानना चाहूँगा कि क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गयी है।

श्री चतुरानन मिश्र: महोदय, कुछ कीट ऐसे हैं जिनके लिए वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई कीटनाशक दवाई नहीं तैयार की है। हमारे अनुसंधान में यह कमी है। यही तो उनमें से एक मुद्दा है। अन्य मुद्दे हैं-फसलों का क्रम, किसी विशेष क्षेत्र में मिली-जुली फसलें लगाना, ड्रिप सिंचाई जैसी सिंचाई सुविधाएं आदि। इनके ब्यौरे उपलब्ध हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं क्षेत्र-वार ब्यौरा भी दे सकता हूँ।

डा. कृपासिन्धु भोई: क्या माननीय मंत्री अनुसंधान और विकास से संतुष्ट हैं और उन्हें विश्वास है कि इससे देश में दाल की वांछित मात्रा उपलब्ध हो जायेगी? यदि वह संतुष्ट नहीं हैं तो वह कृषि के इस अति विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालयों का भी सहयोग क्यों नहीं लेते ताकि लोगों के हितार्थ उस संस्थान में नया अनुसंधान करें।

श्री चतुरानन मिश्र: महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और कार्यक्रम भी तैयार है। केवल धन की कमी है। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार के पास धन की कमी है। यदि आप भारी मात्रा में धन उपलब्ध करायेंगे तो यह कार्य हो जाएगा।

मैं स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। आज तक की स्थिति है कि धन उपलब्ध नहीं है और सब कुछ है और राज्य सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के इस प्रत्युत्तर के बाद कि कोई ऐसा पेस्टीसाइड नहीं है जो दाल के कीटाणुओं को मार सके, मैं भी यह समझता था, मेरे राजस्थान के वैज्ञानिक भी यह कहते थे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र की तहसील सांगोद में जो बड़ा रक्बा मसूर की दाल का है, उसके अन्दर जो रोग पैदा हो गया है, उसको हम नहीं मिटा सकते, तो मुझे आश्चर्य होता था। लेकिन आज माननीय मंत्री महोदय के मुख से सुनकर के मुझे संतोष हुआ कि वास्तव में आज तक कोई पेस्टीसाइड्स पैदा ही नहीं हुआ। कृपा करके क्या कोई एक विशेष टीम मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सांगोद तहसील के लिए भिजवाएंगे? वहां मसूर की दाल आज से 30 साल पहले तक बहुत अच्छी किस्म की होती थी, लेकिन पिछले तीन-चार साल से वहां पर दाल होनी बन्द हो गई है। चूंकि वहां के वैज्ञानिक कहते हैं कि बदलती हुई फसलें बदलो, यही एक उपचार है तो कृपा करके आप जवाब दें कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? क्या वहां पर पैटर्न बदल दें या दाल उगाने के लिए आप केन्द्र से कोई स्पेशल टीम भेजेंगे, जिससे मसूर की दाल का उत्पादन फिर से हो और देश की एक समस्या का निराकरण हो सके? कृपया स्पष्ट प्रत्युत्तर दें।

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, चने के संबंध में ज्यादा डिफिकल्टी है। मसूर में काफी वैज्ञानिक रिसर्च हो गई है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि उनकी कांस्टीट्वेंसी बोलें या क्षेत्र बोलें, क्षेत्र माने कांस्टीट्वेंसी आयेगा, तो टीम हम भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप समय पर खबर कीजिएगा। बरसात में कीजिएगा कि टीम भेजिये तो अभी तो मसूर की दाल की फसल नहीं है। जब मसूर की खेती होने वाली हो तो उसके पहले कहिये या डिसीज लगी हुई हो, तब आप कहिये। हम वहां पर स्पेशल टीम डिमोंसट्रेशन के लिए भेज देंगे, जो वहां पर काम करेगी।

डा. गिरिजा व्यास: मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं है और स्टीरियोटाइप लगता है। उसका कारण यह है कि जो भी उत्तर नौकरशाही बनाकर देती है, उसे यहां हम देने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारी बातें बताईं, लेकिन कृभको, इफ्को या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कैम्प्स अवेयरनैस के लिए लगाये जाते हैं, एक जगह भी बता दीजिए जहां पल्सिज की खेती को कैसे उन्नत किया जाए और क्यों जरूरी है, इस बारे में जानकारी दी गई हो। इन्होंने अलग-अलग क्षेत्र की बात कही कि हर राज्य को देख लिया है कहां किसकी खेती हो सकती है। दो बातें हैं, एक यह कि हर राज्य अलग-अलग तरह की दाल को खाता है और दूसरे उसके अनुरूप उत्पादन करता है। उन क्षेत्रों में क्या सरकार दालों को उगाने के लिए और उनके उत्पादन के लिए कोई सब्सिडी देने का विचार रखती है? क्योंकि कोई भी दाल 25-30 रुपये किलो से कम कीमत पर गरीब को नहीं मिल रही है। आप प्रोटीन की बात जाने दीजिए, चावल को मिलाकर कैसे खाएं या सूखी रोटी को किसमें डुबोकर खाएं, यह स्थिति है। आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर लोगों को एक मोटा अनाज और एक दाल भी हम मुहैया नहीं करा सके तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे यह घोषणा करें कि कम से कम एक दाल सब्सिडाइज्ड उस राज्य की मांग के अनुरूप की जायेगी, तब स्वर्ण जयंती का कोई अर्थ होगा।

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के बारे में हम अभी घोषणा नहीं कर सकते। वह अलग चीज है, जिसको अलग से अध्ययन करके किया जाता है। यहां कह देने से सब्सिडी नहीं होगी। जहां तक यह सवाल है कि रिसर्च वर्क हो रहा है या नहीं; मैंने पहले ही कहा है कि वैज्ञानिक रिसर्च इस पर हो रही है। कानपुर में भी है, कई जगहों में है। हम लाइव डिमॉस्ट्रेशन करवा देंगे और कोई भी राज्य सरकार अगर चाहेगी कि दाल का उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो हम विशेष सहायता देने के लिए तैयार हैं, ताकि जो आयात हम करते हैं, उससे हम मुक्ति पा सकें। हम इस पक्ष में हैं, इसलिए माननीय सदस्य अपनी-अपनी राज्य सरकार से कहकर हमें भिजवाएं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सब्सिडी के लिए कोई वचन देने को मैं तैयार नहीं हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, धन्यवाद। हमारे खाने का पैटर्न इस प्रकार है कि पहले हम ज्वार और बाजरा लेते हैं। जैसे आपकी आय बढ़ती है आप चावल और गेहूं लेते हैं। हमारी हरित क्रान्ति धनवान व्यक्तियों के लिए थी। चावल और गेहूं की भरपूर पैदावार हुई। यदि यह गरीबों की पहुंच में हो तो वे भी ज्वार और बाजरा के स्थान पर चावल और गेहूँ लेंगे। उसके बाद वे अपने भोजन में दाल शामिल करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि यह कहा गया है कि खपत व्यय के आधार पर अनुमानित विकास दर सात प्रतिशत है। काफी लंबे समय से यह गरीब लोगों का प्रोटीन का स्रोत रहा है। अब यह गरीब लोगों का प्रोटीन वाला खाद्य नहीं रहा क्योंकि गरीब आदमी के पास दाल खरीदने की वह क्रय शक्ति नहीं है।

राजसहायता का प्रश्न सही उठाया गया है। आप आर्थिक उपाय क्यों नहीं अपनाते हैं। बाजार में दालों के सामान्य मूल्य की तुलना में किसानों को अधिक मूल्य दें। वे अन्य फसलों की जगह दाल की खेती करेंगे। यदि स्थिति ऐसी होगी तो निर्धनों के लिए आज सहायता का प्रश्न उठेगा। उन्हें इसी प्रश्न का उत्तर देना है। हम हरित क्रान्ति के बारे में सोचते हैं। इसका स्वागत है। हमने पी.एल.-480 पर निर्भरता कम कर दी है। लेकिन अब क्या यह सही है कि प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है और अनुसंधान का परिणाम जो कुछ भी हो, अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वह इससे सहमत होंगे?

श्री चतुरानन मिश्र: महोदय, जहाँ तक दालों का सवाल है यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है। भारतीयों के पास कम धन हो सकता है। विश्व के दूसरे देशों के पास पर्याप्त धन हो सकता है। वे भी कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उनका उत्पादन भारत से दोगुना है।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। उत्पादकता एक अलग मुद्दा है। माननीय सदस्य बेचैन हैं। जहां कीटों का संबंध है, इन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? इस संबंध में कुछ बातें हैं।

अभी तक विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है। यही कारण है कि यह केवल धन का प्रश्न ही नहीं है। यदि अधिक धन उपलब्ध होगा, तो मैं उपलब्ध कराऊंगा।

आपके प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में जिसमें कहा गया है कि दाल का गरीबों का प्रोटीन का स्रोत होने के कारण इस पर राजसहायता दी जानी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि किसान मजबूरी में दाल बेच रहे हैं तो हम उनसे खरीदें और न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये। जहाँ तक खपत पर राजसहायता का संबंध है...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): यह न्यूनतम मूल्य पर हो ताकि आप इसे बेच सकें।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं न्यूनतम मूल्य का समर्थन करता हूँ। जब कभी भी मजबूरी में बिक्री होती है तो ऐसा किया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: किसान दाल की पैदावार की ओर झुकें, इसके लिए सरकार को खरीद मूल्य को उच्च स्तर तक बढ़ाना चाहिए ताकि वे दाल की पैदावार करने के लिए प्रवृत्त हों।

श्री चतुरानन मिश्र: यह तो समस्या का एक पहलू है। यदि हम इसको इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो इसका प्रभाव दूसरी फसलों पर भी पड़ेगा और यह अलाभकारी कदम होगा। हमें चावल, गेहूँ और दाल जैसी सभी फसलों का संतुलित विकास करना चाहिए। सभी कुछ सन्तुलित होना चाहिए। अब हम यदि दाल के लिए कोई ऐसा मूल्य निर्धारित कर देते हैं तो लोग गेहूँ और चावल को छोड़ देंगे और केवल दाल ही पैदा करेंगे। वह असंतुलित विकास होगा। हमें सम्पूर्ण पहलुओं पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला जो अरहर, मसूर और बाकी दालों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और वहां लगभग 200 मिलें हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मूल्यों में विषमता आती है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अरहर की दाल का हमारे यहां पर 1200 रु.

और 1500 रु. का रेट था। अभी 750 रु. हो गया है। हाई ब्रीड की भी अरहर होती है। मध्य प्रदेश में अरहर को फुल क्राप नहीं माना जाता। अगर उसमें तुषार लगेगी तो सरकार किसी प्रकार का नुकसान इसलिए नहीं देती क्योंकि वहां पर मिक्स होकर अरहर की खेती होती है, इसलिए सरकार उसको फुल क्रॉप नहीं मानती। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब तक अनावारी की रिपोर्ट नहीं बदलेगी, कितने ही उन्नत किसान हो जाएं, कितनी ही हाई ब्रीड की दालों का उपयोग करें लेकिन अगर उसको फुल क्रॉप नहीं माना जाएगा तो किसान एक बार में ही दिवालिया हो जाता है। अत: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय स्तर पर आप अनावारी की रिपोर्ट में परिवर्तन करके अरहर की उस क्रॉप को फुल क्रॉप मानेंगे?

दूसरे, मूल्यों के निर्धारण में इसका रेट 1500 रु. से 750 रु. हो गया। उस कारण से किसान आज की तारीख में कुछ भी बोने के लिए तैयार नहीं है जबकि वहां दो सौ दाल मिलें हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: जहां तक अरहर के लिए बात है, अरहर की दाल अच्छी किस्म की उपलब्ध है। एक ही चीज जो हर एरिया में अच्छी नहीं होती है लेकिन मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की बड़ी संभावना है जिसके लिए मदद की जानी चाहिए। जहां तक मूल्य का ताल्लुक है, बाजार का मूल्य हमारे सपोर्ट प्राइस से ज्यादा ही रहता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह: मेरा कहना यह है कि उड़द और अरहर मिक्स करके जब बोई जाती है तो वह अलग-अलग समय पर आती हैं। अरहर तो पांच या साढ़े पांच महीने में आ जाती है। दूसरी फसल चार या साढ़े चार महीने में आ जाती है लेकिन उसको फुल क्रॉप नहीं माना जाता। मेरा आपसे यही कहना है।

श्री चतुरानन मिश्र: इंटर क्रॉपिंग के लिए दो किस्म की दालों को एक खेत में रखने से इंटर क्रॉपिंग नहीं हो पा रही है। अरहर को ज्वार के साथ रखते हैं। मूंग को हम इसके साथ रखते हैं। ऐसा करके अरहर ग्राउंट नट भी होती है, ग्राउंड विद मस्टर्ड भी होती है और सन फ्लॉवर भी होती है यानि सर्टेन नोर्म्स हैं जिस आधार पर इंटर क्रॉपिंग हम करते हैं और यह हम वैज्ञानिकों की राय से करते हैं लेकिन किसानों के पास इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। अगर यह इंटर क्रॉपिंग की पहुंच किसानों तक हो जाए तब दाल की उत्पादकता और उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने इस देश में खाद्य आत्मनिर्भरता के स्वप्न को लगभग साकार कर दिया।

महोदय, माननीय सदस्य ने उत्पादन बढ़ाने के लिए दो उपाय सुझाये हैं। एक उपाय है मिली-जुली फसल के क्षेत्र का विस्तार करना और दूसरा मौसमी फसल है।

दूसरा मुद्दा अधिक पैदावार वाले बीज के किस्मों के बारे में है। मैं इस संबंध में विशेषरूप से दो बातें जानना चाहता हूं। देश में अधिक पैदावार वाले बीजों के किस्मों के विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धि रही है? क्या इन बीजों का खेतों में परीक्षण किया गया है? देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नये बीजों की उत्पादकता के समय में किस प्रकार तुलना करते हैं।

प्रश्न का अन्य पहलू है कि देश में खेती का क्षेत्र कम हो रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। 1951 से हमारे उत्पादन में केवल दोगुनी वृद्धि हुई है। यह सच है कि हम वर्तमान मूल्य पर 800 करोड़ मूल्य के पाँच मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न आयात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप प्रश्न करें?

श्री पी.सी. चाक्को: हमें चार मिलियन टन खाद्यान्न आयात करना है। चार मिलियन टन का वर्तमान मूल्य 6000 करोड़ से 7000 करोड़ तक है अर्थात् हमारे पेट्रोलियम आयात का 70 प्रतिशत। हमें इसके प्रति अधिक गम्भीर होना चाहिए।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपयोगिता अधिनियम क्रियान्वित की जा रही हैं। वे दाल की खेती के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहे हैं। भूमि उपयोगिता अधिनियम दाल की खेती, गेहूँ की खेती और धान की खेती में आड़े आ रही है। केरल राज्य में, सरकार के सहयोगी दल भूमि उपयोगिता अधिनियम के नाम पर फसल बर्बाद कर रहे हैं। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूमि उपयोगिता अधिनियम दाल की खेती के विस्तार में बाधा बन रहा है। दूसरी बात वैज्ञानिक उपलब्धियों से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति है।

श्री पी.सी. चाक्को: मैं केवल दो पहलुओं पर विशेष उत्तर चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बहुत सक्षम हैं। जैसाकि गुजराल जी ने कहा है कि रटे-रटाए उत्तर से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम इन दो पहलुओं पर स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। भूमि उपयोगिता कानून दालों के उत्पादन में बाधा डाल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि केरल में क्या हो रहा है? वहां फसलों को नष्ट किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: कुछ माननीय सदस्यों ने समस्या के इस पहलू की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को यह मामला भेज दिया है। मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह राज्य का विषय है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)* क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई?

श्री पी.सी. चाक्को: केन्द्र के पास अपनी कोई भूमि नहीं है। सारी भूमि राज्यों में ही जोती जाती है।

श्री चतुरानन मिश्र: क्या मैं अपनी बात दोहराऊं?

उपाध्यक्ष महोदय: जरूरी नहीं है। श्री सुन्दरलाल पटवा।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: महोदय, हमने अपना प्रश्न दे दिया है। एक प्रश्न के लिए कितना समय दिया जा सकता है। यदि सब इस तरह चलता रहा तो प्रश्न सं. 284 की बारी ही नहीं आएगी। पहले ही इस प्रश्न पर आधा घण्टा व्यतीत हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ? परन्तु उन सदस्यों का क्या होगा जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? कृपया बैठ जाईये।

डा. के.पी. रामलिंगम: केवल दो अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन ने केवल पांच अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिस समस्या का निदान करने के बारे में वह और उनके विद्वान लोग हाथ ऊंचा कर चुके हैं कि ऐसा कीड़ा अरहर में या दलहन में आया है जिसका कोई पेस्टीसाइड या इनसेक्टीसाइड नहीं है। क्या आपने आर्गेनिक पेस्टीसाइड पर रिसर्च करने के लिए या इस दिशा में कुछ खोजबीन करने के लिए प्रयास किया है? महोदय, ऑर्गेनिक मेन्योर, आर्गेनिक फर्टिलाइजर आने वाले कल के भविष्य के लिए भारत के फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड होंगे। इस तरफ दुनिया जा रही है, आपका ध्यान भी इस तरफ गया होगा। क्या आपने आर्गेनिक पेस्टीसाइड को ट्राई करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास किया है, क्या आपका ध्यान इस ओर भी गया है?

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, आपके देश में स्वयं इंस्टीट्यूट हैं, जो एनिमिकल वायरस प्रोड्यूस करते हैं। अगर कहीं पर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो उसका दुश्मन ले जाकर हम खेतों में दे देते हैं। हमारे वैज्ञानिक ऐसे एनिमिकल वायरस का प्रोडक्शन करते हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह उसको आकर देखें कि किस मात्रा में वे लोग कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि अब दुनिया उसी दिशा में जा रही है और हाई केमिकल के यूज से लोग परहेज करना चाहते हैं। इस दिशा में आपकी सरकार भी सचेष्ट है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 282; श्री आनन्द रत्न मौर्य; अनुपस्थित। श्री महेश कनोडिया वे भी उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): मौर्य जी नहीं हैं लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: जिसके नाम से प्रश्न है, अगर वह नहीं है तो और कोई वह सवाल नहीं पूछ सकता है। ...*(व्यवधान)* मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं।

[अनुवाद]

तिलहन अनुसंधान में लगे अनुसंधान संस्थान

***283. प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर':** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिलहनों विशेषकर सरसों और रेपसीड तेल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्यों में लगे अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन संस्थानों को वर्ष 1995 और 1996 के दौरान दी गई सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा अब तक विकसित किये गये बीजों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप औसत उत्पादन दर में कितनी वृद्धि हुई है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया।

विवरण

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय तोरिया सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर, अखिल भारतीय समन्वित तोरिया-सरसों अनुसंधान प्रायोजना और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तोरिया-सरसों के तेल की क्वालिटी में सुधार के लिए अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। इस विषय पर टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और नागपुर वि.वि., नागपुर में भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर; राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ तथा विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित विभिन्न तिलहनी फसलों की अनेक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना में अन्य वार्षिक तिलहनों पर क्वालिटी कार्य विशेष रूप से आरंभ किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान विशेष रूप से केवल तोरिया-सरसों के तेल की उन्नत क्वालिटी के विकास के लिए राज्य-वार प्रदान किये गये कोष का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

	1995	1996
राजस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र—तोरिया, सरसों, भरतपुर	-	8.94
पंजाब, पं.कृ.वि.वि., लुधियाना	-	19.34
हरियाणा, ह.कृ.वि.वि., हिसार	-	4.97
उत्तर प्रदेश, गो.व.पंत, कृ. एवं प्रौ. वि.वि. पंतनगर	-	4.91
महाराष्ट्र, नागपुर वि.वि., नागपुर	-	11.22
दिल्ली, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	-	5.94
टी.ई.आर.आई., नई दिल्ली	-	10.72

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए गुण सुधार कार्य के साथ ही नौ वार्षिक तिलहन फसलों पर समग्र अनुसंधान कार्य के लिए दिए गए कोष का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) विभिन्न तिलहनों की 320 से अधिक उन्नत किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए जारी एवं अधिसूचित किया गया। पिछले दो वर्ष के दौरान जारी की गयी फसलवार किस्में अनुबंध-II में दी जा रही है। सुधरी किस्में और संकरों का प्रयोग करने से तिलहन का उत्पादन 1994-95 के 21.34 मिलियन टन से बढ़कर 1995-96 में 22.43 मिलियन टन हो गया है (अनुबंध III)। नौ वार्षिक तिलहनी फसलों में से प्रत्येक के खेती वाले क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की चक्रवृद्धि दर अनुबंध-IV में प्रस्तुत की गई हैं। प्रथम श्रेणी के प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों के खेतों में प्रदर्शित विभिन्न तिलहनी फसलों की सुधरी किस्मों और प्रौद्योगिकी अपनाने से बढ़ी हुई पैदावार का ब्यौरा अनुबंध-V में दिया गया है।

अनुबंध I

तिलहन अनुसंधान संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं को दी जाने वाली धनराशि

(रु. लाखों में)

		योजना	
		1995-96	1996-97
1.	तिलहन निदेशालय सहित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना	251.30	259.79
2.	अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान प्रायोजना	34.17	35.10
3.	अखिल भारतीय समन्वित मूंगफली अनुसंधान प्रायोजना	58.96	60.98
4.	अखिल भारतीय समन्वित तोरिया-सरसों अनुसंधान प्रायोजना	76.74	78.84
	कुल (योजना)	421.17	434.71
		गैर-योजना	
5.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर	31.00	38.00
6.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	100.00	135.00
7.	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	62.00	70.00
8.	राष्ट्रीय तोरिया-सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	-	-
	कुल (गैर-योजना)	193.00	243.00

अनुबंध II

पिछले दो वर्षों के दौरान जारी की गई तिलहनों की सुधरी किस्में

किस्म का नाम	जारी किये जाने का वर्ष	बीज पैदावार (क्वि./है.)	तेलांश (%)	अपनाने का क्षेत्र
1	2	3	4	5
		तोरिया-सरसों		
के.बी.एस.-1	1995	15-18	44	हिमाचल प्रदेश
लक्ष्मी	1995	17-19	40.4	हरियाणा
आर.टी.एम. 314	1995	10.5	35	पूरे भारत में
नरेन्द्र सरसों	1995	12-17	43	उत्तर प्रदेश
जी.एम.-2	1996	24	40	गुजरात
पी.बी.आर.-97	1996	19-22	42	जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान
हयोला-401	1996	12-16	42	पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान
राजेन्द्र सरसों-1	1996	15	43	पूरे भारत में
जवाहर तोरिया	1996	24	43	मध्य प्रदेश
		सूरजमुखी		
ज्वालामुखी	1995	16	42	पूरे भारत में
		अलसी		
नगरकोट के एल-31	1995	बीज (11.66) रेशम (9.5)	43	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम (उत्तरी-पश्चिमी राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त)
सुरभि (के एल-1)	1995	10	-	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और समीपवर्ती राजस्थान

1	2	3	4	5
		सोयाबीन		
पी के-1029	1995	20	19.98	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक
वी एल एस-21	1995	15	22.5	उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां
सी ओ-2	1995	15	-	तमिलनाडु
स्नेहा (के बी 79)	1995	15	17.5	कर्नाटक
एम ए यू एस-1	1995	20	17	महाराष्ट्र
एम ए यू एस-2	1995	20	20	महाराष्ट्र तथा दक्षिणी क्षेत्र
एन आर सी-2	1996	20	14.8	मध्य प्रदेश
एन आर सी-12	1996	20	17.8	मध्य प्रदेश
एन आर सी-7	1996	20	19.1	मध्य प्रदेश
पी के 1042	1996	25	21.5	उत्तरी मैदानी क्षेत्र
		मूंगफली		
टी जी 26	1995	16 (के) 24 (आर)	49	गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश

अनुबंध III

तिलहनी फसलों का अखिल भारतीय क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता

वर्ष	क्षेत्र (मि.है.)	उत्पादन (मि.टन)	पैदावार (कि.ग्रा./हैक्टर)
1	2	3	4
1985-86	19.02	10.83	570
1986-87	18.63	11.27	605
1987-88	20.13	12.65	629

1	2	3	4
1988-89	21.90	18.03	824
1989-90	22.80	16.92	742
1990-91	24.15	18.61	771
1991-92	25.89	18.60	719
1992-93	25.24	20.11	797
1993-94	26.90	21.50	799
1994-95	25.30	21.34	843
1995-96	26.35	22.43	851

अनुबन्ध IV

तिलहनों की वार्षिक औसत चक्रवृद्धि (%) (1965-85 से 1985-94)

फसल	1965-85			1985-94		
	क्षेत्र	उपज	पैदावार	क्षेत्र	उपज	पैदावार
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	0	1.7	1.7	2.76	2.35	5.17
तोरिया सरसों	1.62	1.6	3.24	7.42	2.72	10.3
तिल.	-0.6	1.7	1.1	1.09	4.06	5.20
सूरजमुखी	61.6	-4	55.7	14.5	6.04	21.42
कुसुम	3.1	7.6	10.9	-4.4	4.63	0.01
सोयाबीन	22.1	1	23.3	16.3	5.63	22.83

1	2	3	4	5	6	7
रामतिल	1.38	1.6	3.01	−0.5	1.68	1.15
अण्डी	2.04	5.5	7.66	2.96	12.1	15.42
अलसी	−0.6	1.3	0.7	−5	2.38	−2.76
खरीफ तिलहन	0	1.1	1.07	4.67	4.45	9.32
रबी तिलहन	2.19	3.8	6.1	5.16	3.48	8.82
कुल तिलहन	0.79	1.9	2.74	4.99	4.05	9.25

अनुबंध V

प्रथम पंक्ति के प्रदर्शनों के जरिए किसानों के खेत में प्रदर्शित तिलहनों की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादन बढ़ोत्तरी संभव

फसल	औसत उपज		परम्परागत विधियों की तुलना में उन्नत कृषि क्रियाओं में पैदावार में हुई वृद्धि का प्रतिशत
	उन्नत प्रौद्योगिकी कि.ग्रा./है.	किसानों की कृषि क्रियाएं कि.ग्रा./है.	
मूंगफली	1958	1445	35.49
तोरिया-सरसों	1568	1117	40.40
सूरजमुखी	1351	967	39.67
कुसुम	1349	891	51.37
अण्डी	2137	1536	39.12
तिल	627	400	56.60
रामतिल	402	201	100.31
अलसी	851	487	74.80
सोयाबीन	1857	1345	44.78

विभिन्न राज्यों में 1989 से 1995 तक चलाये गये प्रथम पंक्ति प्रदर्शन पर आधारित।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर': उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न 283 का जो उत्तर कृषि मंत्री जी ने दिया है वह बहुत लुभावना है। कोइं सामान्य व्यक्ति जिसने गांव न देखा हो, सरसों के खेत न देखे हों, किसान का बेटा न देखा हो, तो वह समझेगा कि भारत में तिलहन के मामले में स्वर्ग उतर आया है। लेकिन इनके पढ़ने के बाद और तुलना करने के बाद, मैंने यह देखा है कि 15 महीनों में जैसे पूरे देश का तेल इन्होंने निकाल दिया है, कुछ दिनों में सरकार का तेल भी निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम तिल में तो 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, तो 1995, 1996 और 1997 में भारत ने विदेशों के लिए क्या खाद्य तेलों का निर्यात किया है और अगर किया है तो कितना किया है?

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि तेल के मामले में हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। कारण यह है कि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और खर्चा भी बढ़ रहा है। इसके चलते हम अभी भी विदेश से खाद्य तेल मंगाते हैं। जहां तक विदेश से मंगाने की बात है तो करीब तीन हजार करोड़ रुपये का गत साल हमने मंगाया है। अगर आप पूरे आंकड़े कहेंगे तो हम पूरे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर': मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने हमारे कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, कृषि विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनके लिए अगर तीन हजार करोड़ रुपये की सहायता दे दी जाए तो यहां एक ऐसे आधारभूत स्तम्भ की स्थापना हो सकती है कि उस पूंजी का देश में ही प्रयोग हो सकता है। लेकिन हम इन्हें विदेशों से मंगाते हैं।

दूसरा प्रश्न, जो गुणवत्ता खाद्य तेलों में यहां हमने पैदा की है, उस गुणवत्ता के नाते क्या विदेशी तेलों के मुकाबले हमारे देश के खाद्य तेल टिकने की क्षमता रखते हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो आपसे कहा कि हम खाद्य तेलों पर खर्च रहे हैं।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर': यह मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। मैं दुबारा बोल रहा हूं कि हमारे खाद्य तेल सुधरने के बाद, गुणवत्ता के बाद क्या विदेशी खाद्य तेलों के मुकाबले टिकने की क्षमता रखते हैं या नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र: जहां तक गुणवत्ता की बात है तो अलग-अलग तेलों का अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलन है, जिन पर लोग निर्भर करते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं पर लोग नारियल का तेल खाते हैं और कहीं पर लोग सरसों का तेल खाते हैं।

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर': उपाध्यक्ष जी, यह उत्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंडल जी, आप बैठ जाइए।

श्री चतुरानन मिश्र: आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूं? तेल की गुणवत्ता सब पर लागू नहीं हो सकती। हम विदेश से पाम ऑयल मंगाते हैं। वह सस्ता होने के कारण लोग लेते हैं। सरसों में अलग गुणवत्ता है, रैपसिड में अलग है, सनफ्लावर में अलग है। गुणवत्ता कोई एक चीज नहीं है। स्लेबस पूरा कर लिया और मैट्रिक पास कर ली, ऐसी इसमें बात नहीं है। यह गुणवत्ता नहीं है। सब की गुणवत्ता अलग-अलग है। पाम ऑयल सस्ता होने के कारण विदेश से मंगाना पड़ता है। हमने अपने देश में इसकी खेती शुरू की है। उसमें पांच-सात बरस लगेंगे। हमें इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सोयाबीन का अभी अच्छा उत्पादन हुआ है। क्षेत्र के लिहाज से जहां जिस चीज की ज्यादा उपज हो, वहां उनको सहायता देकर उस उपज को बढ़ाना चाहिए जिससे देश आत्मनिर्भर बने। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने ऑयल सीड के रिसर्च के लिए राशि आवंटित की है। नैशनल रिसर्च सैंटर ऑन सोयाबीन, इंदौर को 31 लाख रुपए की जो राशि आवंटित की गई है, वह बहुत कम है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहां उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उसके रिसर्च के लिए कितना और पैसा देंगे? चूंकि सोयाबीन के कारखाने आज बंद होने के कगार पर आ गए हैं। वहां सोयाबीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपने रिसर्च के लिए जो राशि आवंटित की है, वह बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि सोयाबीन के कारखानों की क्षमता ज्यादा है लेकिन उसके मुताबिक देश में उसका उत्पादन नहीं होता। इस कारण उसके कारखाने बंद हो रहे हैं। हम आयात करने के पक्ष में इसलिए नहीं हैं कि जो सोयाबीन के सीड्स होते हैं, उसके साथ दूसरे किस्म के वीड्स आ जाते हैं जिससे संकट पैदा हो जाता है। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप दाल बनवा लीजिए। हम इम्पोर्ट करने की इजाजत दे सकते हैं। जहां तक इसका उत्पादन बढ़ाने की बात है, हमारे कारखानों के मालिक किसानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम उनको मदद देना चाहते हैं। हम उन्हें, फ्रंट

लाइन डेमनस्ट्रेशन देना चाहते हैं। हम उनको साइंटिफिक मदद देना चाहते हैं। जहां सोयाबीन ज्यादा होता है, वे एरिया उन्हें बता देंगे। हमने कल ही उनके प्रतिनिधियों से बात की। हमने उनसे कहा कि आप स्वार्थ भाव से काम करते हैं। किसानों की मदद नहीं करते हैं। अगर वे उनकी मदद करें तो देश में सोयाबीन की उपलब्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी बहुत बड़ी सम्भावना है। हमारे वैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): मैंने पूछा था कि रिसर्च के लिए राशि बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए पैसा कम दिया है। इसे ज्यादा करिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तिलहन के क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्यरत हैं, वे 320 से अधिक उन्नत किस्मों की व्यावसायिक खेती को जारी करती हैं या उनका पता लगाती हैं। जो किसान तिलहन पैदा करने वाले हैं, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में जो किसान तिलहन की खेती में लगे हैं, चाहे वह सरसों की खेती हो, चाहे सोयाबीन की हो, उन तक जानकारी दिलाने के लिए आपके कृषि मंत्रालय या अनुसंधान संस्थानों द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? राष्ट्रीय सरसों और तोरिया संस्थान, भरतपुर को गैर-योजना के अन्तर्गत एक पैसे की राशि नहीं दी गई है जबकि इन्दौर, हैदराबाद और जूनागढ़ में लगभग एक-एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। कहीं पर यह राशि 62 लाख रुपये दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान में पिछले दिनों तिलहन को बढ़ावा दिया गया है तो वहां पर राशि न देने का क्या कारण है?

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्यवार फिगर्स दे दिये हैं। जहां तक आपने एक खास जगह के बारे में बताया कि कम मिला है, उसका उत्तर तुरंत तो नहीं दे सकते। हम यह सब देखकर ही कहेंगे कि क्यों वहां पर कम मिला है? वैसे तो मेरे पास पुर्जा आया है लेकिन मिनिस्टर के लिए सैटिसफाई होना भी जरूरी है। इसीलिए आपसे कहा कि इसका उत्तर बाद में देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, इस उन्नत किस्म की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच रही है।

श्री चतुरानन मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रचार का कार्य है, वे कृषि विज्ञान केन्द्र करते हैं और विश्वविद्यालयों के जरिये उसका डिमांस्ट्रेशन होता है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यदि कहीं किसी क्षेत्र में डिमांस्ट्रेशन नहीं होता है तो हमें लिखकर दें, हम उसकी मदद करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: अपने लम्बे और विस्तृत भाषण में माननीय मंत्री जी ने तिलहनों की लम्बी सूची का उल्लेख किया है और सरकार द्वारा इनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया है। दुर्भाग्यवश इन नौ तिलहनों की सूची में नारियल का नम्बर नहीं आया है। क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत नारियल को भी लाभ पहुंचाया गया है अथवा नहीं?

श्री चतुरानन मिश्र: मेरा कहना यह है कि मैंने नारियल के लिए सर्वाधिक धनराशि अर्थात् अस्सी करोड़ रुपये दिए हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: मेरा विशेष प्रश्न यह है कि आप प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत इसे कोई फायदा पहुंचा रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: जी हां, इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। नारियल के लिए एक पृथक बोर्ड है। दो तरह के तिलहन हैं, एक बड़े वृक्षों से प्राप्त होने वाले और दूसरे छोटे वृक्षों से मिलने वाले। नारियल वृक्ष पर लगने वाला तिलहन है। इसके लिए एक पृथक बोर्ड है। कोई भी सदस्य आ सकता है; मैं उसके सामने रिकार्ड पुस्तक खोलूंगा और दिखाऊंगा कि सर्वाधिक राशि इसी को दी जाती है।

परसों, मैं केरल गया था। मैंने केवल नारियल के लिए ही धनराशि दी है। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, नारियल को शैथिल्य रोग से ग्रस्त होने के कारण बारह करोड़ रुपये दिए गए हैं। जहां तक केन्द्र का संबंध है, मैं यह राशि दे रहा हूं। उन्हें इसकी उचित जांच कर लेनी चाहिए। जितनी राशि नारियल को दी जा रही है किसी अन्य तिलहन को नहीं दी जा रही है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की अवधि बढ़ाना

***284. श्री +प्रदीप भट्टाचार्य:**
श्री जयसिंह चौहान:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की अवधि और बढ़ाने की समीक्षा करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की अवधि को और आगे बढ़ाने के मामले की समीक्षा की है और 1.9.1997 से उसकी अवधि 5 वर्ष और आगे बढ़ाने के लिए 1.8.97 को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। बिहार और मणिपुर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और सबने यह विचार प्रकट किया है कि अधिनियम उपयोगी और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है और उसे जारी रखा जाना चाहिए, तार्कि मामलों को तेजी से निपटाया जा सके और जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध यह निवारक अधिनियम का काम करे।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: मैं माननीय मंत्री जी से तीन पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिहार तथा मणिपुर के अतिरिक्त बाकी सभी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है और सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की है कि यह अधिनियम लाभदायक सिद्ध हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष महोदय: आपको केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है फिर उसके बाद दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में देश के सभी राज्यों में मांग की गई है। लगभग देश के सभी राज्यों ने अनुकूल राय दी। कुछ राज्यों ने कहा कि और कड़ाई से इसे लागू करना चाहिए इसलिए कि जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए यही एक कानून है जो देश में 15 वर्षों से लागू है और देश के सभी राज्यों ने लगभग यह सहमति दी है लेकिन बिहार और मणिपुर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बार-बार उनको रिमाइंडर दिया गया है। चार राज्यों ने नहीं दी थी लेकिन दो राज्यों ने कल-परसों सूचना दी। हो सकता है कि उन्होंने देर की लेकिन सभी राज्यों ने सहमति दी है कि इसे लागू किया जाना चाहिए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी राय दी है कि इसको लागू करना चाहिए जिससे आम उपभोक्ताओं को सहूलियत हो और सामान की उपलब्धता रहते हुए भी कृत्रिम अभाव जो पैदा कर दिया जाता है, जमाखोरी की जाती है, उसके लिए इसमें पर्याप्त उपाय किया गया है। इसलिए सभी राज्यों ने और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको लागू करने की राय दी है।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है वे कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी के विचार जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: किसी राज्य से जवाब नहीं आया तब उस राज्य के लोग क्या चाहते हैं, राज्य सरकार क्या चाहती है मैं यहां कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन मैं इतने ही के लिए जिम्मेदार हूं कि मैं बार-बार उन्हें स्मरण-पत्र दूं और उनका ध्यान आकृष्ट करूं लेकिन देश के आम राज्य सहमत हैं इसलिए लोकमत इस एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के स्पेशल प्रोविजन को लागू करने के पक्ष में है।

श्री जय सिंह चौहान: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1982 से दिसंबर 1996 तक देश भर में कितने व्यापारियों के यहां छापे डाले गए एवं कितनों को गिरफ्तार किया गया? कितनो को दंडित किया गया और इसके अंतर्गत कितने लाख रुपये की वस्तुएं बरामद हुईं? चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत गुजरात में कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया और इसका नतीजा क्या हुआ?

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1981 की अवधि को बढ़ाने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं और सरकार द्वारा उक्त कठोर धाराओं में लचीलापन लाने हेतु क्या विचार किया गया है अथवा भविष्य के लिए क्या प्रावधान है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सन् 1987 में कुल गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 5866 थी। जिन लोगों के विरुद्ध

कार्रवाई की गई और जिन पर दोप सिद्ध हुआ तथा जिनको सजा दी गई, उनकी संख्या 798 थी और जब्त किये गये माल का मूल्य 15 करोड़ 80 लाख रुपये था। सन् 1988 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 5867, दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 479, जब्त किये गये सामान का मूल्य 15 करोड़ 64 लाख रुपये था। सन् 1989 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 4096. दोपसिद्ध लोगों की संख्या 680 और जब्त किये गये सामान का मूल्य 20 करोड़ 22 लाख रुपये था। इसी तरह से 1990 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 4866, दोषसिद्ध लोगों की संख्या 603, तथा जब्त किये गये सामान का मूल्य 20 करोड़ 87 लाख रुपये था। 1991 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 4897, दोपसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 228 तथा जब्त किये गये सामान का मूल्य 25 करोड़ 96 लाख रुपये था। 1993 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 5754, दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 3569 तथा जब्त किये गये सामान का मूल्य 20 करोड़ 31 लाख रुपये था।

1994 में 4846 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 4078 को सजा दी गई, 15 करोड़ 46 लाख का सामान जब्त किया गया। 1995 में 4170 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 3495 को सजा दी गई और 19 करोड़ 62 लाख का सामान जब्त किया गया। 1996 में 8320 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सवाल पूछा है इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: 3768 व्यक्तियों को सजा दी गई और 21 करोड़ 68 लाख का सामान जब्त किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: बाकी विवरण टेबल पर रख दीजिए।

श्री जय सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गुजरात के बारे में बात की थी, वे गुजरात के बारे में तो बोले ही नहीं हैं। मैं तो गुजरात के बारे में पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सिर्फ गुजरात का पूछना चाहते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात का अलग से भिजवा देंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों के बाद मौका दूंगा, नहीं तो एक ही पार्टी के दो हो जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र: आज लोक सभा में विशेष विधेयक के रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाने वाले आदेश दस्तावेज पर विचार किया जाना है।

आवश्यक वस्तुओं की कमी के समय यह अधिनियम बनाया गया था। अत: तदनुसार कठोर प्रावधान किए गए थे। परन्तु तत्पश्चात् परिस्थितियां बदल गईं और कतिपय राज्य सरकारों द्वारा इसका कुछ हद तक दुरुपयोग किया जाने लगा। सतर्कता तथा पुलिस विभाग व्यापारियों को तंग तथा परेशान करना शुरू हो गए। यह विशेषकर इसलिए हुआ क्योंकि अधिनियम गैर-जमानती है। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है कि यह अधिनियम बहुत कठोर है क्योंकि एक हत्यारे या बलात्कारी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है परन्तु एक व्यापारी जिसके पास मात्र दस किलो अधिक स्टाक मिले, उसे हथकड़ियां लगा दी जाती हैं, सड़कों पर घुमाया जाता है और दण्ड दिया जाता है।

यदि आप दोषसिद्धी के आंकड़े देखें तो गिरफ्तार किये गये सौ व्यक्तियों में से मात्र पांच प्रतिशत ही दोषी पाये गये। अत: अधिनियम पर पुन: विचार किये जाने की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी पूरे अधिनियम की संवीक्षा करेंगे और इसे पांच वर्षों तक और बढ़ाने की बजाय वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप चार अथवा छह महीने या एक वर्ष तक बढ़ाकर एक नया विधेयक लायेंगे?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 वर्षों से लागू बिल के संबंध में लोगों को जानकारी है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ यह सख्त कानून पार्लियामेंट के सदस्यों ने महसूस किया और जब यह कानून लागू हुआ, जो कि 15 वर्षों से लागू है। माननीय श्री पी. उपेन्द्र जी ने बेलेबल और नॉन-बेलेबल के संबंध में कहा है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि नॉन-बेलेबल का मतलब यह नहीं है कि उन्हें बेल नहीं मिलेगी। बल्कि फर्क यह है कि बेलेबल होने से थाने के स्तर पर जमानत हो जायेगी, लेकिन नॉन-बेलेबल स्तर पर कोर्ट में उसकी मैरिट को देखकर, उसमें सब कायदे-कानूनों को समझाकर जिसमें उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसके बाद न्यायालय से उनकी जमानत हो सकती है। नॉन-बेलेबल का मतलब यह नहीं है कि उनकी जमानत नहीं होगी। मैरिट और गुण-दोप के आधार पर न्यायालय में विचार करके उनकी जमानत दी जायेगी। लेकिन बेलेबल में थाने के स्तर पर जमानत होगी। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, बेलेबल में थाने के स्तर पर माननीय सदस्यों को आशंका है कि वहां उसका दुरुपयोग होगा और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। बेलेबल करने में थाने के स्तर पर उनको जमानत की गुंजाइश है। इसलिए उसमें गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। इसमें चूंकि स्टैंडिंग कमेटी ने सहमति दी है और देश के लगभग सभी राज्यों ने सहमति दे दी है और फिर भी उसको ज्यादा जूडिशियस, ज्यादा न्यायसंगत बनाने की कोशिश की गई है। जो सामान जब्त हो जाता था और कलक्टर के द्वारा कनफिसकेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट में अपील की गुंजाइश थी। उसको ज्यादा जूडिशियस बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वे न्यायपालिका और न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और जूडिशियस करने से जिसमें कि बेकसूर को तकलीफ न हो और

कसूरवार किसी भी हालत में न छूट जाए इस तरह का कोई भी सुझाव होगा तो उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले समस्त भारत के व्यापारियों ने संसद का घेराव किया था और उन सब व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधान मंत्री जी को मिलकर गया था। उन व्यापारियों ने एक ज्ञापन भी प्रधान मंत्री जी को दिया था और उस ज्ञापन पर यहां के कुछ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। जो आपने कहा है कि होर्डिंग और ब्लैकमार्केटिंग बंद हो, तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो होर्डिंग या ब्लैकमार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। परंतु व्यवहार में देखने में यह आ रहा है कि ब्लैकमार्केटिंग और होर्डिंग बंद करने की आड़ में अब एक नये किस्म का भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जो नीचे के स्तर पर है। अब वे छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। अगर दुकानदार उनको ओबलाइज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज करते हैं। चूंकि आपने कहा है कि नॉन-बेलेबल है, इसलिए उनको हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाना, शहर में उनका अपमान करना आदि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कत्ल करने के केस में भी आई.पी.सी. में कुछ ऐसी प्रॉविजन्स हैं जो नॉन-बेलेबल है, अधिकांश तौर पर बेलेबल प्रॉविजन्स हैं। प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट में भी बहुत सारी धाराएं बेलेबल हैं। अगर किसी दुकानदार के पास मान लीजिए एक हजार की बजाय एक हजार दो बोरी निकल आई हैं या किसी सीमेंट वाले के पास दो, तीन, चार या पांच बोरी फालतू निकल आई हैं तो यह कोई अपराध नहीं है, उसे आप नॉन-बेलेबल रखें और हथकड़ी लगाकर सबके सामने अपमानित करें। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर सांसदों और व्यापारियों ने मिलकर जो आपको और प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि आप इन धाराओं को संशोधित करें और इनको नॉन-बेलेबल करने की बजाय बेलेबल करते हुए इनको चलायें, तो क्या आप इस पर विचार करेंगे और आप इस पर कब तक निर्णय ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब तक आप यह संशोधन नहीं कर सकते तो आप पांच साल की बजाय इस एक्ट को सिर्फ चंद महीनों के लिए जैसे उपेन्द्र जी ने सुझाव दिया है कि दो-चार-छः महीने के लिए इसको आप स्थगित रखें और रिपोर्ट आने के बाद क्या आप इसको लागू करने का विचार करेंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सदन सर्वोपरि है, माननीय सदस्य की इच्छा सर्वोपरि है, मैं उसमें कोई एतराज नहीं कर सकता। माननीय सदस्य और उसके प्रतिनिधि जो फूडग्रेन्स एसोसिएशन के हैं, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन वे सब भी सहमत हैं और यह जिम्मा लेने को तैयार नहीं हैं कि कहीं आर्टीफीशियल स्केयरसिटी पैदा न हो, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी न हो, क्या कोई इसका जिम्मा ले सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बात गलत कह रहे हैं। मैंने जिम्मेदारी ली है। माननीय मंत्री जी यह बात कहकर सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात सुन ली है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: लेकिन सरकार हमेशा तैयार है कि इस कानून का दुरुपयोग न हो। निर्दोष लोग अपमानित न हों अथवा तबाह न हों इसलिए जूडिशियस बनाने के लिए सदन में बिल लम्बित है। माननीय सदस्य उस पर बहस करके जो राय या फैसला करेंगे उसको लागू किया जायेगा। लेकिन इससे आम कंज्यूमर बड़ा तबाह होता है, उसमें सब फूडग्रेन्स एसोसिएशन के लोग हैं। वे भी समाज के अंग हैं और वे भी एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, उसे हम भी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कसूर करते हैं, उनके खिलाफ जब तक दंड का विधान नहीं किया जायेगा, तब तक इस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। इसलिए "ज्युरीसप्रूडेन्स इज द आई ऑफ लॉ"। कोई कसूरवार छूट जाए यह खराब है, लेकिन बेकसूर को सजा मिल जाए इससे बढ़कर कोई खराबी नहीं है। इसलिए इसको न्यायसंगत करने के लिए ज्यादा जूडिशियस बनाने के लिए, बेकसूर को सजा न हो, लेकिन कसूरवार न छूट जाए, उसके लिए हम हमेशा विचार कर रहे हैं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन-जिन राज्यों ने सहमति अभी तक नहीं दी है उसमें बिहार राज्य भी है। क्या बिहार राज्य की सरकार पर माननीय मंत्री जी नैतिक दवाब देंगे कि जल्दी से जल्दी वह सहमति दे दे, जिससे कि देश में उसकी छवि खराब न हो।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार बार रिमाइंडर दिया गया है लेकिन दवाब डालने के लिए तो कहते हैं कि हम, और माननीय सदस्य एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और अन्यथा जाकर कहेंगे कि उस पर आपकी क्या राय है, हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज एक मिनट वेट करिये। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात खुद कहने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 285 नं. का प्रश्न है। अभी एक मिनट बाकी है। मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट बाकी है। श्री हरिन पाठक।

...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: उपाध्यक्ष जी, अभी मेरा प्रश्न हो सकता है। शून्यकाल प्रारम्भ होने में अभी एक मिनट बाकी है ...*(व्यवधान)* प्रश्न संख्या 285 ...*(व्यवधान)* मुझे प्रश्न पूछने की परमीशन मिलनी चाहिए।

श्री हरिन पाठक: मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं। असैन्शयल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जिन व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था. ...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: यह ठीक नहीं है। आप मुझे प्रश्न पूछने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं सदन छोड़ दूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप बोलिए। आपके सवाल पूछने तक टाइम खत्म हो जाएगा। आधे मिनट की बात रह गई।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पादों के लिए कार्य योजना

***285. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान बागवानी क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बागवानी उत्पादों की नाशवान् प्रकृति को देखते हुए उत्पादों की कटाई पश्चात् रख-रखाव के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास को इस योजना अवधि में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन—राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड—ने ग्रेडिंग तथा पैकिंग केन्द्रों, प्रशीतन पूर्व एककों, विशिष्ट परिवहन सुविधाओं शीतागारों जैसी कटाई पश्चात् की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए तथा बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन करने हेतु इस अवधि के दौरान सहायता दी है। इन योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक अन्य संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी भण्डारण, परिवहन, विपणन, प्रसंस्करण, आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से फल तथा सब्जी उत्पादकों आदि की सहकारी समितियों को कटाई पश्चात् के क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना अवधि के दौरान 1994-95 से प्रशीतन पूर्व तथा कटाई पश्चात् की रख-रखाव सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता देने के लिए एक योजना चला रहा है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में प्रमुख बागवानी उत्पादों का समग्र अनुमानित उत्पादन लगभग 131 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से 1175 लाख मी. टन से अधिक था, जबकि 1991-92 के दौरान 125 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से 958 लाख मी. टन का अनुमानित उत्पादन हुआ।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने आलू तथा फल-फ्रूट्स आदि की मार्केटिंग, विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि की सुविधाएं देने के लिए योजनाएं चलाने की बात कही है। पिछले वर्ष आलू और फलों का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद उनके भंडारण की सुविधा नहीं मिल पाई। मेरा प्रश्न है कि हमारे देश में जो हजारों एकड़ भूमि बैरन पड़ी है, क्या सरकार उस भूमि पर बागवानी कराने का कोई विचार रखती है तकि उसका उपयोग हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी: महोदय, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वन संरक्षण कार्यक्रम

***282. श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वन-संरक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां। देश में प्रदूषण मुख्य रूप से बढ़ते औद्योगिक तथा परिवहन कार्यकलापों, ठोस अपशिष्टों तथा मलजल भार के पैदा होने के कारण बढ़ा है।

(ख) से (घ) वनीकरण और वन संरक्षण में तेजी लाने की अनेक योजनाएं हैं जो कि प्रदूषण निवारण में अपना योगदान देती हैं। इन योजनाओं में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के कार्यक्रमों सहित मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा अपने कार्यक्रमों तथा अन्य विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत किये जाने वाले वनीकरण उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना स्थल में पेड़-पौधों की एक हरित पट्टी तैयार की जाए। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के मामलों में परिपूरक वनीकरण का उपबंध करता है।

[अनुवाद]

मछलियों की बीमारियां

***286. डा. असीम बाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मछलियों में कौन-कौन सी बीमारियां व्याप्त हैं;

(ख) इन बीमारियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार देश में मछलियों की बीमारियों के संबंध में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) देश में फिन तथा शेल मछली में वर्तमान में प्रचलित रोग अधिकांशतया जीवाणु तथा कवक संबंधी रोगों, परजीवियों से संक्रमण, एपिजूटिक अल्सरेटिव सिन्ड्रोम तथा अन्य प्रकार के संक्रमण, जैसे-व्हाईट स्पॉट तथा साफ्ट शेल सिम्पटम से सम्बद्ध हैं। देश में व्याप्त कुछ मत्स्य रोगों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुछ मात्स्यिकी कालेजों में मत्स्य रोगों पर अनुसंधान सुनियोजित रूप से चलता रहा है। ये संस्थान हैं: (1) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई (2) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर (3) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ कैप्चर फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैरकपुर, (4) सेन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोच्चि और (5) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज एजुकेशन, मुम्बई।

नैदानिक और क्षेत्रीय परीक्षणों के आधार पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें रोकथाम के तथा नैदानिक उपाय सुझाये गये हैं। इसके अलावा फिन तथा शेल फ़िश रोगों पर निगरानी तथा मानीटरिंग करने के लिए ये अनुसंधान संस्थान क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण करते रहते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अनुसंधान संस्थान मत्स्य रोगों पर पहले से ही अनुसंधान कर रहे हैं। इन अनुसंधान परक कार्यों को भविष्य में भी जारी रखा जायेगा और इन्हें गहन बनाया जायेगा।

विवरण

देश में व्याप्त कुछ मत्स्य रोग

क. फफूंद जनक संक्रमण

1. सैप्रोलेगीयेसिस

ख. रोगाणु जनक रोग

2. फिन एण्ड टेल राट

3. अल्सर रोग

4. ड्राप्सी

5. आंखों के रोग

ग. प्रोटोजोअन रोग

6. इक्थियोप्थीरिपेसिस

7. कोस्टियेसिस

घ. कीट रोग

8. जाइरोडीक्टीलोसिस

9. डिप्लो स्टोमिएसिस

ङ. क्रस्टीसियन रोग

10. आर्गुलोसिस

11. लार्निएसिस

च. 12. इजीजूटिक अल्सरेटिव सिन्ड्रोम

13. व्हाइट स्पाट रोग

14. स्वाफ्ट सेल सिन्ड्राम

फसल बीमा योजना

***287. कुमारी सुशीला तिरिया:**
श्रीमती कमल रानी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने कृषि फसलों का निःशुल्क बीमा करने हेतु योजना बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) राज्य सरकारों से वर्तमान वृहद् फसल बीमा योजना में संशोधन करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिक संख्या में फसलों को शामिल करने, ऋण न लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने और कार्यान्वयन के प्रति इकाई क्षेत्र में कमी करने को कहा गया है। बहरहाल, मुफ्त बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

राजौरी और पुंछ जिलों से घुसपैठ

***288. श्री रामबहादुर सिंह:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादियों ने जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की अपनी रणनीति बदल ली है तथा अब वे राजौरी तथा पुंछ जिलों के रास्ते घुसपैठ कर रहे हैं, जो इससे पहले अपेक्षाकृत अधिक शांति क्षेत्र थे; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख) सरकार को, पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादियों द्वारा राजौरी और पुंछ जिलों का प्रयोग जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ के लिए करने तथा इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रयासों तथा खबरों की जानकारी है। ऐसी गतिविधियों और मंसूबों पर प्रभावपूर्ण ढंग से काबू पाने के लिए लगातार उपाय किये जा रहे हैं। किये गये उपायों में, सीमा/नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ाना, ग्राम रक्षा समिति इत्यादि के माध्यम से स्थानीय पुलिस तथा इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई एवं गहन भागीदारी सहित भीतरी क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करना शामिल है।

नेफेड द्वारा प्याज का निर्यात

***289. श्री राम नाईक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि परिसंघ (नेफेड) ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कब और कितनी अवधि के लिए प्याज का निर्यात बंद किये रखा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात बंद रखने के क्या कारण रहे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून-जुलाई, 1997 के दौरान उचित दामों पर प्याज खरीद कर नेफेड ने महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों की सहायता नहीं की इस कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक प्याज के मूल्य में गिरावट के कारण क्षुब्ध हो गये हैं तथा आन्दोलन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों की सहायता करने के लिए नेफेड को उपयुक्त अनुदेश जारी करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नेफेड ने प्याज का निर्यात केवल 22.10.94 से 3.11.94 तक के लिए स्थगित किया था, जिसका कारण घरेलू उपभोग के लिए देश में प्याज की कमी तथा इसके परिणामस्वरूप कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना था। इससे प्याज की कीमतों को यथोचित स्तर पर रोकने में सहायता मिली।

(ग) से (ङ) नेफेड द्वारा महाराष्ट्र से प्याज की खरीद घरेलू एवं निर्यात, दोनों ही, आवश्यकताओं के लिए की जा रही है। जून तथा जुलाई, 1997 के दौरान महाराष्ट्र से ख़रीद की गई प्याज की मात्रा नीचे दी गई है:

मास	मात्रा	औसत क्रय-दर (प्रति क्विंटल)	मूल्य
जून, 97	499 मी. टन	205.00 रु.	10.27 लाख रु.
जुलाई, 97	1676 मी. टन	179.00 रु.	32.45 लाख रु.
	2175 मी. टन		42.72 लाख रु.

इसके अलावा, संबद्ध जहाज चालकों, जो प्याज के निर्यात के लिए नेफेड में पंजीकृत हैं, ने निर्यात के लिए प्याज की अधिकांश मात्रा महाराष्ट्र से खरीदी। इन खरीदों से प्याज के मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिली है।

कृषि में रसायनों और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग

***290. श्री नन्द कुमार साय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि में बड़े पैमाने पर प्रयोग लाए जा रहे रासायनिक उर्वरक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अभी अध्ययन किया जा रहा है और अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। बहरहाल, विकसित राष्ट्रों द्वारा उच्च रसायनों जैसे यूरिया आदि के उपयोग में सावधानी बरती जा रही है।

(घ) सामान्यत: यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में उर्वरकों का उपयोग आवश्यकता से अधिक होता है। भारत में उर्वरक पोषकों की खपत लगभग 75 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है, जबकि मिश्र में यह 243 कि.ग्रा., बंगलादेश में 102 कि.ग्रा., जापान में 351 कि.ग्रा. तथा नीदरलैण्ड्स में 259 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है। तथापि, उच्च रसायनों के अनुपातहीन प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[हिन्दी]

राज्यों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***291. श्री श्याम लाल बंशीवाल:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है;

(ख) क्या यह प्रणाली सभी राज्यों में शुरू की गई है;

(ग) किन-किन राज्यों ने नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना कार्यान्वित कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(घ) सरकार को इस योजना को कार्यान्वित करने में किन-किन कठिनाइयों, यदि कोई हों, का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) क्या सरकार का इन कठिनाइयों को देखते हुए नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का राज्यों की मांग पूरी करने के लिए राज्यों को प्रति परिवार अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ज) सभी राज्यों को 1 जून, 1997 से यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई;

(झ) क्या एक परिवार के लिए 10 किलोग्राम गेहूं पर्याप्त है; और

(ञ) यदि नहीं, तो यह मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। सरकार ने 1.6.1997 से नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली, गोवा और पंजाब राज्यों तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू कर दी गई है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपर्युक्त तीन राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान और गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड आदि जारी करने जैसे आवश्यक प्रारंभिक प्रबंध कर रहे हैं।

(घ) से (च) किसी भी राज्य ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की है। तथापि, खाद्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(छ) जी, हां। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए इकानामिक लागत पर अतिरिक्त आवंटन पहले ही किये जा चुके हैं।

(ज) जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों के लिए सभी राज्यों को खाद्यान्नों के लिए कुल आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से IV में दर्शाया गया है।

(झ) और (ञ) जी, नहीं। तथापि, रोजगार आश्वासन योजना/जवाहर रोजगार योजना के लाभभोगियों को गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति श्रम दिवस एक किलोग्राम खाद्यान्न भी मुहैया किए जाएंगे। इस प्रकार एक गरीब परिवार 10 किलोग्राम की सामान्य पात्रता के अलावा रोजगार आश्वासन योजना/जवाहर रोजगार योजना के अधीन अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार का प्रतिस्थान नहीं है। अपितु यह इसका अनुपूरक है।

विवरण I

जून, 1997 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं का आवंटन बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					गेहूं					जोड़
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश%	29.65	102.05	131.70		131.700	3.00	15.00	18.00		18.000	149.700
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.58	5.91	6.59	1.802	8.392	0.06	0.51	0.57		0.570	8.952
3.	असम	12.03	22.89	34.92	8.488	43.408	7.02	13.36	20.38		20.380	63.788
4.	बिहार#	34.36	7.92	42.28	20.000	62.280	51.54	11.88	63.42	20.000	83.420	145.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	दिल्ली	0.72	12.17	12.89		12.890	2.24	38.18	40.40		40.400	53.290
6.	गोवा	0.26	3.57	3.83		3.830	0.12	1.69	1.81		1.810	5.640
7.	गुजरात*	0.00	18.00	18.00		18.000	20.00	29.50	49.50		49.500	67.500
8.	हरियाणा*	0.00	0.00	0.00		0.000	7.33	0.72	8.05		8.050	8.050
9.	हिमाचल प्रदेश*	0.00	5.23	5.23		5.230	2.96	4.50	7.46		7.460	12.690
10.	जम्मू और कश्मीर	2.54	14.50	17.04	12.500	29.540	1.26	7.74	9.00	3.420	12.420	41.960
11.	कर्नाटक*	23.00	37.00	60.00		60.000	5.75	9.25	15.00		15.000	75.000
12.	केरल*	15.35	107.69	123.04		123.040	0.00	25.00	25.00		25.000	148.040
13.	मध्य प्रदेश*	24.00	10.35	34.35		34.350	29.34	12.65	41.99		41.990	76.340
14.	महाराष्ट्र*	21.16	22.38	43.54		43.540	39.30	41.38	80.68		80.680	124.220
15.	मणिपुर	0.76	3.40	4.16	0.740	4.900	0.31	1.40	1.71		1.710	6.610
16.	मेघालय	1.09	8.73	9.82	5.338	15.158	0.24	1.90	2.14		2.140	17.298
17.	मिजोरम	0.29	7.01	7.30	0.063	7.383	0.04	1.01	1.05		1.050	8.433
18	नागालैण्ड*	0.71	8.68	9.39		9.390	0.18	1.56	1.74		1.740	11.130
19.	उड़ीसा*	31.82	3.72	38.54	20.000	55.540	0.00	0.00	0.00		0.000	55.540
20.	पंजाब	0.68	0.28	0.96		0.960	3.62	1.51	51.13		5.130	6.090
21.	राजस्थान*	0.25	0.78	1.03		1.030	21.45	32.68	54.13		54.130	55.160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	सिक्किम	0.30	2.69	2.99		2.990	0.04	0.38	0.42		0.420	3.410
23.	तमिलनाडु*	45.79	36.44	84.23	81.000	165.230	0.00	0.00	0.00		0.000	185.230
24.	त्रिपुरा*	2.25	9.23	11.48	1.020	12.500	0.00	1.28	1.28		1.280	13.780
25.	उत्तर प्रदेश*	31.50	11.20	42.70		42.700	64.00	22.17	86.17		86.170	128.870
26.	प. बंगाल*	32.70	9.55	42.25		42.250	13.90	65.00	78.90		78.900	121.150
27.	अ.नि. द्वीप समूह[@]	1.80	12.00	13.80		13.800	0.84	6.36	7.20		7.200	21.000
28.	चण्डीगढ़*	0.02	0.17	0.19		0.190	0.16	0.97	1.18		1.130	1.320
29.	दादर और नगर हवेली	0.12	0.18	0.30		0.300	0.03	0.05	0.08		0.080	0.380
30.	दमन और दीव	0.02	0.11	0.13		0.130	0.01	0.04	0.05		0.050	0.180
31.	लक्षद्वीप[@]	0.24	4.20	4.44		4.440	0.00	0.36	0.36		0.360	4.800
32.	पांडिचेरी	0.61	0.29	0.90		0.900	0.04	0.02	0.06		0.060	0.960
	जोड़	314.70	490.32	805.02	150.971	955.991	274.78	348.03	622.81	23.420	646.230	1602.221
	के.रि.पु./सी.सु.बल	-	1.50	1.50		1.500	-	2.50	2.50		2.500	4.000
	रक्षा सेवाएं	-	-	0.00		0.000	-	-	0.00		0.000	0.000
	भूटान	-	1.85	1.85		1.850	-	1.70	1.70		1.700	3.550
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	314.70	493.67	808.37	150.971	959.341	274.78	352.23	627.01	23.420	650.430	1609.771

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गेहूं और चावल और गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर के बंटवारे के बारे में सूचना दी है।

[@]इन दोनों राज्यों को आवंटन वार्षिक रूप से किया जाता है।

[A]राज्य सरकार के अनुरोध पर गरीबी की रेखा के ऊपर की आबादी के लिए चावल का कोटा 50,000 टन कम किया गया जिसे सितम्बर-अक्तूबर, 97 में समायोजित किया जाना है।

[#]बिहार को इकानामिक लागत पर बाढ़ राहत के लिए चावल और गेहूं का क्रमश: 20,000 टन और 20,000 टन आवंटन (अतिरिक्त)।

अतिरिक्त आवंटन इकानामिक लागत पर किया जा रहा है और इसके अधीन मात्राओं को केवल सा.वि.प्र. के उपभोक्ताओं के बीच वितरित करने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

विवरण II

जुलाई, 1997 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं का आवंटन बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					गेहूं					जोड़
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.65	157.05	189.70		180.700	0.00	10.00	10.00		10.000	199.700
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.65	5.91	6.59	1.802	8.392	0.06	0.51	0.57		0.570	8.962
3.	असम*	19.06	15.94	35.00	24.488	63.488	0.00	20.30	20.30		20.300	83.188
4.	बिहार	34.36	7.92	42.28		42.280	51.54	11.88	63.42		63.420	105.700
5.	दिल्ली	0.72	12.17	12.89	0.080	12.970	2.24	38.16	40.40	0.150	40.550	52.520
6.	गोवा	0.26	3.57	3.83		3.830	0.12	1.69	1.81		1.810	5.640
7.	गुजरात	0.00	18.00	18.00		18.000	20.00	29.50	49.50		49.500	67.500
8.	हरियाणा*	0.00	0.00	0.00		0.000	7.33	0.72	8.05		8.050	8.050
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5.23	5.23	7.680	12.910	2.96	4.50	7.46	10.040	17.500	30.410
10.	जम्मू और कश्मीर*	2.54	14.50	17.04	19.800	36.840	1.26	7.74	9.00	10.359	19.359	56.119
11.	कर्नाटक*	23.00	37.00	60.00		60.000	5.75	8.25	15.00		15.000	75.000
12.	केरल*	15.35	107.69	133.04		130.040	0.00	15.00	15.00		15.000	148.040
13.	मध्य प्रदेश*	24.00	10.35	34.35		34.350	29.34	12.65	41.99	6.000	46.990	81.340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	महाराष्ट्र*	21.16	22.38	43.54		43.540	39.30	41.38	80.66		80.680	124.220
15.	मणिपुर	1.08	3.08	4.16	0.740	4.900	0.01	1.71	1.71		1.710	6.610
16.	मेघालय	1.09	8.73	9.82	5.338	15.158	0.24	1.90	2.14		2.140	17.298
17.	मिजोरम@	0.33	5.01	5.34	0.083	5.423	0.00	1.01	1.01		1.050	6.433
18.	नागालैण्ड*	0.71	8.68	9.39		9.390	0.18	1.56	1.74		1.740	11.130
19.	उड़ीसा	31.82	3.72	35.54	20.000	55.540	0.00	0.00	0.00		0.000	55.540
20.	पंजाब	0.68	0.26	0.90		0.960	3.62	1.51	5.13		5.130	6.090
21.	राजस्थान*	0.25	0.78	1.03		1.030	21.45	32.68	54.13		54.130	55.160
22.	सिक्किम	0.34	2.97	3.31	2.000	5.310	0.00	0.10	0.10		0.100	5.410
23.	तमिलनाडु*	45.79	38.44	84.23	81.000	165.230	0.00	0.00	0.00		0.000	165.230
24.	त्रिपुरा*	2.25	9.23	11.48	1.020	12.500	0.00	1.28	1.28		1.280	13.780
25.	उत्तर प्रदेश*	31.50	11.20	42.70		42.700	64.00	22.17	86.17		86.170	128.870
26.	प. बंगाल*	32.70	9.55	42.25		42.250	13.90	65.00	78.90		78.900	121.150
27.	अ. और नि. द्वीप समूह@											
28.	चण्डीगढ़*	0.02	0.17	0.19		0.190	0.16	0.97	1.13		1.130	1.320
29.	दादर और नगर हवेली	0.12	0.18	0.30		0.300	0.03	0.05	0.08		0.080	0.380
30.	दमन और दीव	0.02	0.11	0.13		0.130	0.01	0.04	0.05		0.050	0.180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	लक्षद्वीप**											
32.	पांडिचेरी	0.61	0.29	0.90		0.900	0.04	0.02	0.06		0.060	0.960
	जोड़	323.09	530.13	853.22	168.031	1021.251	263.53	333.28	596.81	25.549	622.359	1643.610
	के.रि.पु./सी.सु.बल	-	1.50	1.50		1.500	-	2.50	2.50		2.500	4.000
	रक्षा सेवाएं	-	-	0.00		0.0000	-	-	0.00		0.000	0.000
	भूटान	-	1.85	1.85		1.850	-	1.70	1.70		1.700	3.550
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	323.09	533.48	856.57	168.031	1024.601	263.53	337.48	601.01	25.549	626.559	1651.160

*असम : बाढ़ राहत के लिए राज्य सरकार को 20,000 टन चावल जारी किए गए।

**मिजोरम : राज्य को चावल का 8000 टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया जिसे जुलाई-अक्तूबर, 1997 से 2000 टन प्रति माह की दर पर समायोजित करना है।

*इन राज्यों ने चावल और गेहूं और बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के विभाजन की सूचना दी है।

**इन दोनों राज्यों को वार्षिक आवंटन किया जाता है। इन राज्यों से संबंधित आवंटन आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं।

अतिरिक्त आवंटन इकनामिक लागत पर किए जा रहे हैं और इसके अधीन मामलों का आवंटन केवल सा.वि.प्र. के उपभोक्ताओं के लिए किया जाएगा।

*खाद्यान्नों का 13,220 टन का अग्रिम आवंटन (गेहूं-7540 टन और चावल 5680 टन) हिमाचल प्रदेश को केवल जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 97 के लिए किया गया है जिसे अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 97 में समायोजित किया जाना है।

विवरण III

अगस्त, 1997 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं के किए गए आवंटन बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					गेहूं					जोड़
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप-जोड़	अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप-जोड़	अतिरिक्त	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	32.65	157.05	189.70		189.700	0.00	10.00	10.00		10.000	199.700
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.68	5.91	6.59	1.802	8.392	0.06	0.51	0.57		0.570	8.962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	19.06	15.94	35.00	8.488	43.488	0.00	20.30	20.30		20.300	63.788
4.	बिहार	34.36	7.92	42.28		42.280	51.54	11.88	63.42		63.420	105.700
5.	दिल्ली	0.72	12.17	12.89	0.080	12.970	2.24	38.16	40.40	10.150	50.550	63.520
6.	गोवा	0.26	3.57	3.83	2.500	6.330	0.12	1.69	1.81		1.810	8.140
7	गुजरात	0.00	18.00	18.00		18.000	20.00	29.50	49.50	10.000	59.500	77.500
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00		0.000	7.33	0.72	8.05	5.000	13.050	13.050
9.	हिमाचल प्रदेश*	0.00	5.23	5.23	7.000	12.230	2.96	4.50	7.46	2.500	9.960	22.190
10.	जम्मू व कश्मीर	2.54	14.50	17.04	19.800	36.840	1.26	7.74	9.00	10.359	19.359	56.199
11.	कर्नाटक	23.00	37.00	60.00	30.000	90.000	5.75	9.25	15.00		15.000	105.000
12.	केरल	15.35	117.69	133.04	30.000	163.040	0.00	15.00	15.00		15.000	178.040
13.	मध्य प्रदेश	24.00	10.35	34.35		34.350	29.34	12.65	41.99	5.000	46.990	81.340
14.	महाराष्ट्र	21.16	22.38	43.54		43.540	39.30	41.38	80.68		80.680	124.220
15.	मणिपुर	1.08	3.08	4.16	3.740	7.900	0.00	1.71	1.71		1.710	9.610
16.	मेघालय	1.09	8.73	9.82	6.338	16.158	0.24	1.90	2.14		2.140	18.298
17.	मिजोरम %	0.33	5.01	5.34	3.083	8.423	0.00	1.01	1.01		1.010	9.433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	नागालैण्ड	0.71	8.68	9.39		9.390	0.18	1.56	1.74		1.740	11.130
19.	उड़ीसा	31.82	3.72	35.54	20.000	55.540	0.00	0.00	0.00	20.000	20.000	75.540
20.	पंजाब	0.68	0.28	0.96		0.960	3.62	1.51	5.13		5.130	6.080
21.	राजस्थान	0.25	0.78	1.03	21.000	22.030	21.45	32.68	54.13	20.000	74.130	96.160
22.	सिक्किम	0.34	2.97	3.31	4.000	7.310	0.00	0.10	0.10		0.100	7.410
23.	तमिलनाडु	45.79	38.44	84.23	81.000	165.230	0.00	0.00	0.00		0.000	165.230
24.	त्रिपुरा	2.25	9.23	11.48	1.020	12.500	0.00	1.28	1.28		1.280	13.780
25.	उत्तर प्रदेश	31.50	11.20	42.70		42.700	64.00	22.17	86.17		86.170	128.870
26.	पश्चिम बंगाल	32.70	9.55	42.25		42.250	13.90	65.00	78.90		78.900	121.150
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह @											
28.	चंडीगढ़	0.02	0.17	0.19		0.190	0.16	0.97	1.13		1.130	1.320
29.	दादर और नगर हवेली	0.12	0.18	0.30		0.300	0.03	0.05	1.08		0.080	0.380
30.	दमन व दीव	0.02	0.11	0.13		0.130	0.01	0.04	0.05		0.050	0.180
31.	लक्षद्वीप *											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	पांडिचेरी	0.61	0.29	0.90		0.900	0.04	0.02	0.06		0.060	0.960
	जोड़	323.09	530.13	853.22	239.851	1093.071	263.53	333.28	596.81	83.009	679.819	1772.890
	कें.रि.पु.ब./सी.सु.ब.	—	1.50	1.50		1.500	—	2.50	2.50		2.500	4.000
	रक्षा सेवा	—	—	0.00		0.00	—	—	0.00		0.000	0.000
	भूटान	—	1.85	1.85		1.850	—	1.70	1.70		1.700	3.550
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	323.09	533.48	856.57	239.851	1096.421	263.53	337.48	601.01	83.009	684.019	1780.440

% मिजोरम : राज्य को किया गया 8000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन जुलाई-अक्तूबर, 1997 तक 2000 टन प्रतिमाह की दर पर समायोजित है।

@ इन दो राज्यों के लिए आवंटन वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। इन राज्यों के संबंध में आवंटन आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

अतिरिक्त आवंटन इकनामिक लागत पर किए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत मात्रा का उपयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए किया जाएगा।

जुलाई, अगस्त और सितम्बर 1997 के लिए हिमाचल प्रदेश को 13220 टन खाद्यान्न (गेहूं 7540 टन और चावल 5680 टन) का अग्रिम आवंटन किया गया है जिसका समायोजन अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1997 में किया जाना है।

विवरण IV

सितम्बर, 1997 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए चावल और गेहूं का आवंटन बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					गेहूं					जोड़
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप-जोड़	अतिरिक्त	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	उप-जोड़	अतिरिक्त	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश †	32.65	182.05	214.70		214.700	0.00	10.00	10.00		10.000	224.700
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.68	5.91	6.59	1.802	8.392	0.06	0.51	0.57		0.570	8.962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	19.06	15.94	35.00	8.488	43.488	0.00	20.30	20.30		20.300	63.788
4.	बिहार	34.36	7.92	42.28		42.280	51.54	11.88	63.42		63.420	105.700
5.	दिल्ली	0.72	12.17	12.89	0.080	12.970	2.24	38.16	40.40	10.150	50.550	63.520
6.	गोवा*	0.26	3.57	3.83	8.000	9.830	0.12	1.69	1.81		1.810	11.640
7	गुजरात	0.00	18.00	18.00		18.000	20.00	29.50	49.50	10.000	59.500	77.500
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00		0.000	7.33	0.72	8.05	5.000	13.050	13.050
9.	हिमाचल प्रदेश #	0.00	5.23	5.23	7.000	12.230	2.96	4.50	7.46	2.500	9.960	22.190
10.	जम्मू और कश्मीर	2.54	14.50	17.04	19.800	36.840	1.26	7.74	9.00	10.359	19.359	56.195
11.	कर्नाटक	23.00	37.00	60.00	30.000	90.000	5.75	9.25	15.00		15.000	105.000
12.	केरल	15.35	109.97	125.32	30.000	155.320	0.00	22.72	22.72		22.720	178.040
13.	मध्य प्रदेश	24.00	10.35	34.35		34.350	29.34	12.65	41.99	5.000	46.990	81.340
14.	महाराष्ट्र	21.16	22.38	43.54		43.540	39.30	41.38	80.68		80.680	124.220
15.	मणिपुर	1.08	3.08	4.16	3.740	7.900	0.00	1.71	1.71		1.710	9.610
16.	मेघालय	1.09	8.73	9.82	6.338	16.158	0.24	1.90	2.14		2.140	18.298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	मिज़ोरम %	0.33	5.01	5.34	3.083	8.423	0.00	1.01	1.01		1.010	9.433
18.	नागालैण्ड	0.71	8.68	9.39		9.390	0.18	1.56	1.74		1.740	11.130
19.	उड़ीसा	31.82	3.72	35.54	20.000	55.540	0.00	0.00	0.00	20.000	20.000	75.540
20.	पंजाब	0.68	0.28	0.96		0.960	3.62	1.51	5.13		5.130	6.090
21.	राजस्थान	0.25	0.78	1.03	21.000	22.030	21.45	32.68	54.13	20.000	74.130	96.160
22.	सिक्किम	0.34	2.97	3.31	2.000	5.310	0.00	0.10	0.10		0.100	5.410
23.	तमिलनाडु	45.79	38.44	84.23		84.230	0.00	0.00	0.00		0.000	84.230
24.	त्रिपुरा	2.25	9.23	11.48	1.020	12.500	0.00	1.28	1.28		1.280	13.780
25.	उत्तर प्रदेश	31.50	11.20	42.70		42.700	64.00	22.17	86.17		86.170	128.870
26.	पश्चिम बंगाल	32.70	9.55	42.25		42.250	13.90	65.00	78.90		78.900	121.150
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*											
28.	चंडीगढ़	0.02	0.17	0.19		0.190	0.16	0.97	1.13		1.130	1.320
29.	दादरा और नगर हवेली	0.12	0.18	0.30		0.300	0.03	0.05	0.08		0.080	0.380
30.	दमन और दीव	0.02	0.11	0.13		0.130	0.01	0.04	0.05		0.050	0.180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	लक्षद्वीप @											
32.	पांडिचेरी	0.61	0.29	0.90		0.900	0.04	0.02	0.06		0.060	0.930
	जोड़	323.09	547.11	870.50	160.351	1030.851	263.53	341.00	604.53	83.009	687.539	1718.390
	के.रि.पु./सी.सु. बल	—	1.50	1.50		1.500	—	2.50	2.50		2.500	4,000
	रक्षा सेवाएं	—	—	0.00		0.000	—	—	0.00		0.000	0,000
	भूटान	—	1.85	1.85		1.850	—	1.70	1.70		1.700	3,550
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	323.09	550.76	873.85	160.351	1034.201	263.53	345.20	608.73	83.009	691.739	1725.940

% मिजोरम : राज्य को किए गए 8000 टन चावल के अतिरिक्त आवंटन का समायोजन जुलाई-अक्तूबर, 1997 तक 2000 टन प्रतिमाह की दर पर किया जाएगा।

@ इन दो राज्यों के लिए आवंटन वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। इन राज्यों के संबंध में आवंटन आदेश पहले से जारी कर दिए गए हैं। जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 97 के लिए हिमाचल प्रदेश को 13230 टन खाद्यान्न (गेहूं 7540 टन और चावल 5680 टन) का अग्रिम आवंटन किया गया है जिसका समायोजन अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, 97 में किया जाना है।

† जून, 97 के लिए आंध्र प्रदेश के चावल (ग.रे.ऊ.) के कोटे के आवंटन को 50,000 टन से घटाया गया है जैसाकि राज्य सरकार ने अनुरोध किया था। इस मात्रा का समायोजन सितम्बर और अक्तूबर, 97 प्रत्येक माह में 25000 टन चावल कोटा (ग.रे.ऊ.) की दर पर बढ़ाकर किया जाएगा।

* गणेश चतुर्थी के लिए गोवा को किया गया 3500 टन चावल का अतिरिक्त और आवंटन केवल सितम्बर, 97 के लिए है। अतिरिक्त आवंटन इकनामिक लागत पर किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मात्रा का उपयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

***292. श्री विजय गोयल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना को कुल कितना घाटा हुआ है तथा वर्ष 1996-97 के दौरान इसे कितना घाटा हुआ और निरन्तर हो रहे घाटे के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त घाटे को कम करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत तथा रिक्त पदों की श्रेणी-वार क्या स्थिति है;

(घ) क्या भरे न गए फालतू पदों को समाप्त नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना का संचित घाटा 28,420.46 लाख रुपये तथा वर्ष 1996-97 के लिए घाटा 5134.70 लाख रुपये है। यह घाटा इन तथ्यों पर है कि दूध के

बिक्री मूल्य को सामान्यतया अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा वितरण की कुल लागत से कम स्तर पर रखा गया है। संचालनात्मक दक्षता को सुधारने के प्रयास किए गए हैं जिससे कि घाटे को कम किया जा सके।

(ग) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार स्वीकृत तथा रिक्त पद निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
क	29	13
ख	49	12
ग	1016	164
घ*	1321	48
कुल	2415	237

(*मेट के 51 अधिसंख्य पदों को शामिल करते हुए)

(घ) और (ङ) विभिन्न श्रेणी के पदों में रिक्तियां बराबर होती रहती हैं तथा उन्हें भरा जा रहा है। सभी रिक्त पद आवश्यक कर्मचारी संख्या का हिस्सा हैं और इसलिए इन पदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश स्थित पाम ऑयल मिलों को वित्तीय सहायता

***293. श्री एल. रमना:**
श्री अय्यन्ना पटरूधु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी विकास मिशन का विचार पाम ऑयल के संयंत्रों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एक पाम ऑयल मिल स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) "तिलहनों तथा दलहनों की कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास" नामक योजना के अंतर्गत फील्ड प्रदर्शनों तथा नवीन अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि मंत्रालय द्वारा पॉम ऑयल तथा अन्य खाद्य तेलों के प्रसंस्करण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदर्शन कार्यक्रमों के अंतर्गत तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा चलाई गई/चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) केरल: केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से सी.पी.सी.आर.आई. (आई.सी.ए.आर.), पलोड में एक टन ताजे फलों के गुच्छे/घण्टा की क्षमता वाली पाम ऑयल की प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गयी और इस इकाई की दक्षता में सुधार के लिए मिशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

(2) आन्ध्र प्रदेश: पाडावेगी में 1992 में 1.0 टन ताजे फलों के गुच्छे/घंटा क्षमता वाली पाम ऑयल मिल की स्थापना की गयी। इसकी क्षमता 1996 में 4.5 टन ताजे फलों के गुच्छे/घंटे बढ़ा दी गयी।

(3) पाम ऑयल प्रदर्शन इकाईयां: मिशन द्वारा गुजरात गोवा और त्रिपुरा जैसे सम्भावनाशील राज्यों में पाम ऑयल मिलों की 3 प्रदर्शन इकाईयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है। इसमें भारत सरकार का अंशदान 75% है, जबकि परियोजना लागत का 25% संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार से अपने राज्य में पाम ऑयल मिल लगाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश ऑयल फेडरेशन के अनुरोध पर अश्वरावपेट, जिला खम्मम, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश ऑयलफेड द्वारा 1160 लाख रुपये की मंजूर ब्लॉक लागत से 10 टन ताजे फलों के गुच्छे/घंटा की क्षमता वाली पाम ऑयल मिल की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 928.00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गयी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा, इस दिशा में यह पहला प्रयास होने के कारण उक्त परियोजना के लिए 3.4 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

नई उर्वरक नीति

***294. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक परियोजनाओं की कुल वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या देश में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की संभावना है;

(ग) क्या मंत्रालय ने कोई नई उर्वरक नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उर्वरक नीति के बारे में हनुमन्तराव समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है;

(च) यदि हां, तो नई उर्वरक नीति की घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(छ) क्या देश में रुग्ण उर्वरक एककों के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) 1.4.97 की स्थिति के अनुसार उर्वरकों की स्थापित क्षमता 97.77 लाख मी. टन नाइट्रोजन और 29.05 लाख टन फास्फेट है।

(ख) 1997-98 में उर्वरक उत्पादन 11.8% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

(ग) से (च) यूरिया की विद्यमान राजसहायता प्रणाली की समीक्षा करने तथा एक वैकल्पिक वृहद आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रणाली का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार उर्वरक मूल्य नीति समीक्षा समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और उर्वरक नीति के विभिन्न तत्वों पर सरकार का निर्णय इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(छ) और (ज) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रुग्ण उर्वरक कंपनियों अर्थात् हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के क्रियाशील एककों के लिए पुनरुद्धार पैकेजों को वित्तीय संस्थानों की दृष्टि से पुनः तैयार किया गया है। व्यवहार्यता पर विचार करने तथा निधि व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने के पश्चात् पुनरुद्धार योजनाओं के कार्यक्षेत्र को निर्धारित किया जाना है।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की आर्थिक और बंधी लागत

***295. श्री नवल किशोर राय:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गेहूं और विभिन्न किस्म के चावल की आर्थिक और बंधी लागत में लगातार वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनकी आर्थिक और बंधी लागत में लगातार वृद्धि के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खाद्यान्नों के रख-रखाव पर उनके वास्तविक मूल्य की तुलना में अधिक व्यय किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन लागतों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 1994-95 से 1996-97

तक के वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की इक्नामिक और ऊपरी लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(दर रुपये/क्विंटल)

		1994-95	1995-96	1996-97(सं.अ.)
	गेहूं			
(क)	अनाज की एकीकृत लागत	334.80	351.04	358.38
(ख)	ऊपरी लागत			
	(1) वसूली प्रासंगिक खर्च	88.31	89.70	97.00
	(2) राज्य एजेंसियों की संभाल लागत	22.51	30.61	43.94
	(3) वितरण लागत	105.51	112.60	118.82
	इक्नामिक लागत (क + ख)	551.17	583.95	618.14
	चावल			
(क)	अनाज की एकीकृत लागत	537.77	581.38	622.08
(ख)	ऊपरी लागत			
	(1) वसूली प्रासंगिक खर्च	58.13	54.10	60.79
	(2) वितरण लागत	98.81	127.34	131.83
	इक्नामिक लागत (क+ख)	694.71	762.82	814.70

(ग) और (घ) मुख्यतया अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य/प्रभार रहित लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अनाज की एकीकृत लागत में वृद्धि होने, और सांविधिक प्रभारों में मूल्यानुसार वृद्धियां होने तथा 50 किलोग्राम की बोरी में पैकिंग आरम्भ करने, और अत्यधिक वसूली होने तथा संचलन संबंधी बाधाओं की वजह से कम स्टाक लेने के फलस्वरूप संभाल प्रभारों में वृद्धि होने के कारण इन लागतों में वृद्धि हुई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इन लागतों को कम/नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं:

(1) औसतन 75% क्षमता का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित करना, हालांकि अनाज की वसूली मौसमी होती है;

(2) वसूली और संचलन के 1:1.35 के अनुपात के निर्धारित मानदण्ड का अनुपालन करना ताकि भाड़े पर होने वाले खर्च में कमी की जा सके;

(3) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में अनाज की होने वाली कमी को कम करने और विलम्बन प्रभारों के भार को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास करना; और

(4) ब्याज और भंडारण प्रभारों में बचत करने के लिए खुले बाजार में अधिशेष स्टाक रिलीज करना।

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों का आधारभूत ढांचा

***296. श्री बनवारी लाल पुरोहित:**
श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उपभोक्ता अदालतों के आधारभूत ढांचे को तैयार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निमित्त दिये गये अनुदान और वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की जाने वाली अनुदान राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अनुदान-राशि को दूसरे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के बारे में केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों को उपभोक्ता न्यायालय/मंच स्थापित करने के लिए कोई सहायता नहीं देती। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता स्कीम शुरू की है। एक विवरण दिया गया है जिसमें 1995-97 के दौरान राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 1997-98 के लिए इस स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (लाख रु. में)
आंध्र प्रदेश	270.00
अरूणाचल प्रदेश	170.00
असम	280.00
बिहार	440.00
गोवा	70.00
गुजरात	250.00
हरियाणा	210.00
हिमाचल प्रदेश	170.00
जम्मू व कश्मीर	52.50
कर्नाटक	250.00
केरल	190.00
मध्य प्रदेश	250.00
महाराष्ट्र	360.00
मणिपुर	130.00
मेघालय	120.00
मिजोरम	80.00
नागालैंड	120.00
उड़ीसा	180.00
पंजाब	180.00
राजस्थान	350.00
सिक्किम	90.00
तमिलनाडु	270.00
त्रिपुरा	80.00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (लाख रु. में)
उत्तर प्रदेश	340.00
पश्चिम बंगाल	110.00
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70.00
चंडीगढ़	60.00
दादरा व नगर हवेली	60.00
दमन व दीव	70.00
दिल्ली	70.00
लक्षद्वीप	60.00
पांडिचेरी	60.00

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए योजनाएं

***297. डा. राम विलास वेदान्ती:**
डा. जी.आर. सरोदे:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ और योजनाओं को शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं

कल्याण मंत्रालय

1. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल
2. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम
3. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए शिल्प)
4. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल
5. अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम स्कूल
6. आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर
7. पात्र पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग

1. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल
2. महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन व उत्पादन केन्द्र की स्थापना
3. वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम
4. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम
5. ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजना
6. महिलाओं/लड़कियों के लिए अल्पकालिक निवास गृह
7. कामकाजी/बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच/दिवा देखभाल केन्द्र
8. प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम को समर्थन
9. राष्ट्रीय महिला कोष
10. महिला समृद्धि योजना

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित निर्मुक्त राशि के ब्यौरे संलग्न (अनुबंध I से XVII) में दिए गए हैं।

अनुबंध I

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल की योजना

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	489.68	200.85	-
2.	असम	9.00	9.00	-
3.	बिहार	-	-	46.54
4.	गुजरात	-	14.13	3.20
5.	हरियाणा	-	-	-
6.	जम्मू व कश्मीर	2.10	-	-
7.	कर्नाटक	64.39	37.50	78.50
8.	केरल	-	23.51	-
9.	महाराष्ट्र	-	-	21.12
10.	मध्य प्रदेश	-	-	350.00
11.	मणिपुर	6.54	-	-
12.	उड़ीसा	41.40	49.59	40.00
13.	पंजाब	3.30	3.00	-
14.	राजस्थान	-	12.78	-

1	2	3	4	5
15.	सिक्किम	–	–	–
16.	तमिलनाडु	–	100.00	–
17.	त्रिपुरा	3.59	24.00	8.65
18.	उत्तर प्रदेश	–	31.82	–
19.	पश्चिम बंगाल	–	58.70	–
20.	पांडिचेरी	–	–	–
21.	चंडीगढ़	–	–	100.00
	कुल	620.00	564.88	648.01

अनुबंध II

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम

कम साक्षरता स्तरों से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 1996-97 से लागू कर दी गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान जिला परिषदों को निर्मुक्त निधियां निम्नलिखित हैं:—

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1.	बिहार	2	2.84
2.	मध्य प्रदेश	11	21.26
3.	राजस्थान	4	5.65
4.	उत्तर प्रदेश	3	4.25
	कुल	20	34.00

अनुबंध III

अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त धनराशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	59	173.44	56	181.78	47	202.67
2.	असम	1	1.53	2	6.55	2	17.48
3.	बिहार	19	48.99	17	48.60	13	50.97
4.	दिल्ली	21	246.05	18	228.88	13	121.36
5.	हरियाणा	7	15.42	5	16.54	5	11.24
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मु और कश्मीर	1	1.22	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	22	124.82	22	117.95	21	134.81
9.	केरल	—	—	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	13	33.39	13	35.90	12	27.79
11.	महाराष्ट्र	7	52.42	7	52.51	3	3.60
12.	मणिपुर	6	13.91	6	15.55	4	8.50
13.	उड़ीसा	128	95.96	28	62.99	22	76.63

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	राजस्थान	13	13.34	12	20.08	10	22.90
15.	तमिलनाडु	11	23.72	10	18.77	9	20.83
16.	त्रिपुरा	2	5.07	2	5.54	2	4.54
17.	पंजाब	2	3.08	2	1.45	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	174	198.86	71	170.75	49	186.59
19.	पश्चिम बंगाल	226	117.39	27	95.72	20	111.03
20.	चंडीगढ़	1	0.75	1	1.10	—	—
	कुल	1213	1169.76	299	1080.64	232	1000.94

अनुबंध IV

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल के लिए आठवीं योजना में निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्ति का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97			कुल		
		राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	53.11	6	436	50.00	5	500	91.00	9	900	101.10	10	1000	295.21	30	2836
2.	असम	16.38	25	162	—	—	—	—	—	—	3.03	7	35	19.00	28	150	38.41	60	347
3.	गुजरात	18.21	4	97	19.51	3	230	4.73	4	373	—	—	—	—	—	—	42.45	11	700
4.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.50	1	100	—	—	—	6.50	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	3.00	1	50	20.00	1	60	—	—	—	23.00	2	110
6.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	37.00	2	104	40.00	1	120	—	—	—	77.00	3	224
7.	केरल	21.42	3	150	20.00	3	180	20.00	3	180	—	—	—	14.70	2	120	76.12	11	630
8.	मध्य प्रदेश	83.06	8	392	27.03	7	350	115.83	10	500	—	—	—	—	—	—	225.92	25	1242
9.	मणिपुर	—	—	—	10.11	1	100	—	—	—	—	—	—	31.50	3	75	41.61	4	175
10.	मेघालय	—	—	—	9.80	4	80	11.00	4	80	13.75	5	100	13.75	5	100	48.30	18	360
11.	उड़ीसा	35.58	10	300	77.24	21	630	44.00	12	360	65.93	12	360	50.00	12	360	272.75	67	2010
12.	राजस्थान	24.50	2	200	12.25	1	100	—	—	—	66.74	4	200	33.37	2	100	136.86	9	600
13.	तमिलनाडु	6.12	1	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.04	1	50	14.16	2	100
14.	त्रिपुरा	8.00	3	150	7.31	1	100	19.44	1	100	19.44	2	100	34.04	2	100	88.23	9	550
15.	उत्तर प्रदेश	6.12	1	50	3.65	1	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.77	2	100
16.	पश्चिम बंगाल	30.60	5	290	23.74	4	222	—	—	—	19.57	1	80	—	—	—	73.91	10	592
17.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	4	—	—	—	—	24.06	2	98	—	—	—	24.06	6	98
18.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.25	3	172	13.25	3	172
	कुल	249.99	62	1841	283.75	56	2478	305.00	42	2247	370.01	45	2153	318.75	68	2227	1507.50	273	10946

अनुबंध V

अनुसूचित जनजाति हेतु आश्रम स्कूलों के लिए आठवीं योजना में निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्ति का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97			कुल		
		राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट	राशि	होस्टल	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.00	6	—	34.50	5	—	88.80	4	—	72.17	4	—	212.50	5	500	420.97	24	500
2.	गुजरात	25.00	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.60	5	600	*46.60	30	600
3.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	67.60	5	—	—	—	—	—	—	—	67.60	5	0
4.	केरल	39.73	3	—	47.10	*48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.83	3	0
5.	महाराष्ट्र	—	—	—	60.12	—	—	1.73	1	—	—	—	—	—	—	—	71.18	1	0
6.	उड़ीसा	42.00	4	—	16.20	4	—	60.00	4	—	70.00	4	—	60.00	4	240	248.20	20	240
7.	तमिलनाडु	24.69	7	—	34.65	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.34	16	0
8.	त्रिपुरा	10.00	1	—	10.00	1	—	19.44	1	—	38.38	2	—	93.46	1	300	171.28	6	300
9	उत्तर प्रदेश	23.58	2	—	40.68	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.26	5	0
10.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	21.50	2	—	—	—	—	—	—	—	24.50	2	0
11.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	10.00	1	—	—	—	—	—	—	—	10.00	1	0
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.45	153 (अ.नि.)	—	—	—	—	99.45	153	0
	कुल	200.00	48	—	252.55	22	—	250.00	18	—	280.00	163	—	387.56	15	1640	1370.11	266	1640

*द्वितीय चरण निर्माण

(अ.नि.) अतिरिक्त निर्माण

अनुबंध VI

आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर

क्र.सं.	राज्य	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
		राशि	परिसर	राशि	परिसर	राशि	परिसर	राशि	परिसर
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,28,666	1	2,01,460	1 पुराना	2,48,561	1 पुराना	6,67,911	1+1 पुराना
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	9,68,900	2
3.	बिहार	—	—	4,84,450	1	1,81,610	1 पुराना	4,84,450	1
4.	गुजरात	25,32,668	4	24,25,076	1+4 पुराना	22,50,582	5 पुराना	8,78,160	5 पुराना
5.	केरल	4,93,833	1	—	—	2,75,167	1 पुराना	—	—
6.	मध्य प्रदेश	35,20,334	6	52,29,736	8+2 पुराना	30,44,877	1+9 पुराना	27,98,387	1+8 पुराना
7.	महाराष्ट्र	6,23,167	1	—	—	—	1 पुराना	5,90,860	1 पुराना
8.	उड़ीसा	31,75,267	6	64,98,854	9+5 पुराना	68,66,845	2+15 पुराना	37,42,070	13 पुराना
9.	राजस्थान	16,16,065	4	48,19,424	7+4 पुराना	20,64,696	2+9 पुराना	18,78,117	5 पुराना
	कुल	1,25,00,000	23	1,96,00,000	26+16 पुराना	1,50,00,000	5+42 पुराना	1,20,08,855	5+33 पुराना

1. वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक स्वीकृत परिसरों की संख्या — 59
2. वापस लिए गए परिसरों की संख्या (अनुदान वापस) — 2
3. बन्द होने वाले परिसरों की संख्या — 3
4. जारी रहने के योग्य परिसर — 54

अनुबंध VII

पात्र पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना

यह योजना वर्ष 1996-97 के दौरान शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों ने क्रमशः 19.96 लाख रुपए और 15.20 लाख रुपए तक ऋण लिए हैं।

अनुबंध VIII

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97	
		अनुदान दिए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	दिए गए अनुदान की राशि (रु०)	अनुदान दिए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	दिए गए अनुदान की राशि (रु०)	अनुदान दिए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	दिए गए अनुदान की राशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	31,66,909	2	9,90,826	2	9,56,147
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	8,84,674	—	—	1	2,60,686
3.	असम	4	19,60,484	2	11,23,052	2	11,23,052
4.	बिहार	—	—	1	79,387	—	—
5.	गुजरात	3	11,98,812	4	16,90,309	5	16,93,357
6.	जम्मू व कश्मीर	1	3,60,875	1	5,41,750	1	3,61,176
7.	कर्नाटक	12	79,48,849	9	65,81,991	12	1,47,40,748
8.	केरल	14	83,37,249	14	1,12,48,558	6	74,29,947
9.	मध्य प्रदेश	2	7,97,049	2	4,84,320	3	8,57,656
10.	महाराष्ट्र	25	1,30,29,204	19	1,31,11,878	16	1,78,48,630
11.	मणिपुर	1	2,77,070	1	2,33,458	1	3,94,762
12.	मिजोरम	—	—	1	3,47,273	1	6,94,546

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	नागालैंड	2	7,79,648	3	10,06,491	1	10,47,379
14.	उड़ीसा	3	10,99,623	1	6,33,954	—	—
15.	राजस्थान	2	4,54,214	3	8,06,881	1	2,11,950
16.	तमिलनाडु	15	1,09,13,941	16	1,32,49,553	11	63,49,979
17.	उत्तर प्रदेश	4	22,28,533	1	8,10,652	4	26,98,485
18.	पश्चिम बंगाल	5	32,24,540	3	14,63,365	2	10,29,040
19.	दिल्ली	2	48,18,192	2	46,11,253	—	—

अनुबंध IX

रोजगार व आय सृजन करने वाली इकाइयों की स्थापना

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या, राज्यवार	वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान स्वीकृत कुल राशि राज्यवार	निधियों के आवंटन के लिए लम्बित योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या राज्यवार
1	2	3	4	5	6
	महिलाओं के लिए रोजगार व आय सृजन करने वाली इकाइयों की स्थापना करना				
1.		आन्ध्र प्रदेश	115	4,43,50.371	
2.		असम	1	4,80,000	

1	2	3	4	5	6
3.		बिहार	7	50,37,980	
4.		गोवा	1	4,80,000	
5.		गुजरात	1	1,79,775	
6.		हरियाणा	25	85,48,510	
7.		हिमाचल प्रदेश	2	56,68,485	
8.		जम्मू और कश्मीर	75	1,42,16,995	
9.		कर्नाटक	19	1,16,85,393	
10.		केरल	6	3,52,59,912	
11.		मध्य प्रदेश	37	91,90,060	
12.		महाराष्ट्र	11	1,10,98,619	
13.		मणिपुर	6	62,96,804	
14.		मेघालय	1	23,85,000	
15.		उड़ीसा	18	5,46,200	
16.		पंजाब	9	40,23,046	
17.		राजस्थान	21	1,85,72,800	
18.		तमिलनाडु	56	69,03,165	
19.		उत्तर प्रदेश	77	2,41,54,858	
20.		पश्चिम बंगाल	29	5,22,61,829	
21.		दिल्ली	6	1,08,90,850	

अनुबंध X

संक्षिप्त पाठ्यक्रम/व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष के दौरान अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या			वर्ष 1994-95, 1995-1996, 1996-97 के दौरान राज्यवार स्वीकृत कुल राशि (लाख में)			राज्यवार निधियों के आवंटन के लिए लंबित संगठनों/प्रस्तावों की संख्या
			1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम/ व्यावसायिक प्रशिक्षण	आन्ध्र प्रदेश	64	64	51	43.65	63.56	32.88	66
2.		अरूणाचल प्रदेश	5	5	2	3.22	4.32	1.13	9
3.		असम	45	45	13	49.26	53.43	13.41	10
4.		बिहार	134	138	1	114.36	107.86	1.12	255
5.		गोवा	3	1	2	11.54	0.46	0.81	2
6.		गुजरात	44	40	31	15.01	23.30	14.35	33
7.		हरियाणा	26	25	8	16.88	16.69	6.93	46
8.		हिमाचल प्रदेश	18	20	8	11.31	13.82	4.63	32
9.		जम्मू और कश्मीर	24	25	13	14.82	18.00	8.80	17
10.		कर्नाटक	56	58	52	42.47	44.45	38.00	141
11.		केरल	33	33	24	19.64	16.33	10.61	36
12.		मध्य प्रदेश	146	148	47	136.65	110.52	44.52	188
13.		महाराष्ट्र	73	74	54	52.33	37.68	32.19	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.		मणिपुर	30	24	—	21.20	22.12	—	62
15.		मेघालय	14	14	—	15.87	13.87	—	—
16.		मिजोरम	15	15	8	15.97	15.93	3.97	3
17.		नागालैण्ड	16	16	8	9.41	9.83	4.74	31
18.		उड़ीसा	38	39	21	41.23	39.25	18.65	68
19.		पंजाब	33	36	7	21.58	24.05	5.72	36
20.		राजस्थान	63	63	18	10.71	58.89	14.75	61
21.		सिक्किम	2	1	3	4.28	0.94	4.15	12
22.		तमिलनाडु	64	68	65	50.83	50.59	44.89	92
23.		त्रिपुरा	13	13	10	13.52	9.68	7.84	9
24.		उत्तर प्रदेश	171	174	96	134.12	142.78	85.20	224
25.		पश्चिम बंगाल	50	49	28	58.65	56.35	22.07	44
26.		अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4	4	—	2.38	2.67	—	7
27.		चंडीगढ़	8	8	7	4.74	5.26	6.43	1
28.		दिल्ली	14	19	11	10.23	16.42	7.28	18
29.		लक्षद्वीप	2	2	1	1.16	1.03	0.58	10
30.		पांडिचेरी	7	7	8	5.12	4.54	5.58	3

अनुबंध XI

सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		
		स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों/ इकाईयों की संख्या	स्वीकृत राशि	निधियों के लिए लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55	42.56	निधियों के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1.87	
3.	असम	42	28.63	
4.	बिहार	26	28.31	
5.	दिल्ली	1	2.47	
6	गोवा	3	6.33	
7.	गुजरात	25	25.10	
8.	हरियाणा	6	6.40	
9.	हिमाचल प्रदेश	12	14.31	
10.	जम्मू-कश्मीर	3	6.52	
11.	कर्नाटक	20	20.21	
12.	केरल	20	19.00	
13.	मध्य प्रदेश	18	26.17	
14.	महाराष्ट्र	43	47.45	

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	32	25.69	
16.	मेघालय	43	20.68	
17.	मिजोरम	25	10.84	
18.	नागालैंड	37	16.56	
19.	उड़ीसा	6	10.07	
20.	पंजाब	21	21.16	
21.	राजस्थान	5	6.38	
22.	सिक्किम	4	5.00	
23.	तमिलनाडु	32	31.18	
24.	त्रिपुरा	28	5.19	
25.	उत्तर प्रदेश	16	22.65	
26.	पश्चिम बंगाल	5	7.62	
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4	3.42	
28.	चंडीगढ़	1	0.50	
29.	लक्षद्वीप	—	0.50	
30.	पांडिचेरी	3	4.90	
31.	प्रदर्शनी	—	—	
32.	प्रशासनिक अनुभव	—	—	
	कुल	537	467.67	

सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		
		स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों/ इकाइयों की संख्या	स्वीकृत राशि	निधियों के लिए लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	60	46.89	निधियों के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	1.96	
3.	असम	12	6.94	
4.	बिहार	55	45.68	
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	
6.	गोवा	6	8.01	
7.	गुजरात	53	56.11	
8.	हरियाणा	5	4.92	
9.	हिमाचल प्रदेश	19	18.70	
10.	जम्मू-कश्मीर	14	15.14	
11.	कर्नाटक	15	20.34	
12.	केरल	29	25.03	
13.	मध्य प्रदेश	30	36.46	
14.	महाराष्ट्र	27	37.48	
15.	मणिपुर	38	28.84	
16.	मेघालय	6	7.73	

1	2	3	4	5
17.	मिजोरम	36	16.10	
18.	नागालैंड	38	16.19	
19.	उड़ीसा	—	—	
20.	पंजाब	34	35.09	
21.	राजस्थान	22	21.65	
22.	सिक्किम	2	2.44	
23.	तमिलनाडु	57	47.89	
24.	त्रिपुरा	34	5.76	
25.	उत्तर प्रदेश	36	41.40	
26.	पश्चिम बंगाल	3	5.24	
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	
28.	चंडीगढ़	1	2.04	
29.	लक्षद्वीप	1	1.17	
30.	पांडिचेरी	14	10.10	
31.	प्रशा. अनुभव	—	—	
32.	प्रदर्शनी	—	—	
	कुल	650	565.30	

सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97		
		स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों/इकाइयों की संख्या	स्वीकृत राशि	निधियों के लिए लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1.	गुजरात	10	9.84	निधियों के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।
2.	महाराष्ट्र	1	2.90	
3.	राजस्थान	3	2.95	
4.	उत्तर प्रदेश	1	1.50	
	कुल	15	17.19	

अनुबंध XII

जागरूकता सृजन कार्यक्रम

वर्ष 1994-95

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)	निधियों के आबंटन के लिए लम्बित योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जागरूकता सृजन कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश	187	18.70	वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त सभी मामलों की जांच की गई और उपयुक्त मामले स्वीकृत किए गए अथवा रद्द कर दिए गए तथा वापस कर दिए गए।
2.		असम	142	14.20	
3.		बिहार	—	—	
4.		गोवा	54	5.40	

1	2	3	4	5	6
5.		गुजरात	73	7.30	
6.		हरियाणा	47	4.70	
7.		हिमाचल प्रदेश	13	1.30	
8.		जम्मू-कश्मीर	108	10.80	
9.		कर्नाटक	41	4.10	
10.		केरल	148	14.80	
11.		मध्य प्रदेश	96	9.60	
12.		महाराष्ट्र	40	4.00	
13.		मणिपुर	16	1.60	
14.		मेघालय	8	0.80	
15.		मिजोरम	2	0.20	
16.		नागालैंड	109	10.90	
17.		उड़ीसा	43	4.30	
18.		पंजाब	108	10.80	
19.		राजस्थान	—	—	
20.		सिक्किम	110	11.00	
21.		तमिलनाडु	14	1.40	

1	2	3	4	5	6
22.		त्रिपुरा	197	19.70	
23.		उत्तर प्रदेश	130	13.00	
24.		पश्चिम बंगाल	9	0.90	
25.		अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6	0.60	
26.		चंडीगढ़	43	4.30	
27.		दिल्ली	11	1.10	
28.		लक्षद्वीप	13	1.30	
29.		पांडिचेरी	1850	185.00	
30		अरूणाचल प्रदेश	12	1.20	
		प्रशिक्षण केन्द्र		18.00	
		कुल		203.00	

वर्ष 1995-96

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)	राज्यवार निधियों के आबंटन के लिए लम्बित योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जागरूकता सृजन कार्यक्रम	अरूणाचल प्रदेश	258	25.80	वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त सभी मामलों की जांच की गई और उपयुक्त
2.		असम	71	7.10	

1	2	3	4	5	6
3.		बिहार	197	19.70	मामले स्वीकृत किए गए अथवा रद्द कर दिए गए और वापस कर दिए गए।
4.		गोवा	—	—	
5.		गुजरात	57	5.70	
6.		हरियाणा	45	4.50	
7.		हिमाचल प्रदेश	75	7.50	
8.		जम्मू कश्मीर	18	1.80	
9.		कर्नाटक	147	14.70	
10.		केरल	57	5.70	
11.		मध्य प्रदेश	235	23.50	
12.		महाराष्ट्र	97	9.70	
13.		मणिपुर	40	4.00	
14.		मेघालय	20	2.00	
15.		मिजोरम	11	1.10	
16.		नागालैंड	3	0.30	
17.		उड़ीसा	113	11.30	

वर्ष 1996-97

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यवार कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृत कुल राशि (राज्यवार)	राज्यवार निधियों के आबंटन के लिए लम्बित योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जागरूकता सृजन कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश	41	4.10	वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त सभी मामलों की जांच की गई और उपयुक्त मामले स्वीकृत किए गए अथवा रद्द कर दिए गए और वापस कर दिए गए।
2.		अरूणाचल प्रदेश	—	—	
3.		असम	9	0.90	
4.		बिहार	10	0.70	
5.		गोवा	—	—	
6.		गुजरात	9	0.84	
7.		हरियाणा	27	1.72	
8.		हिमाचल प्रदेश	25	2.50	
9.		जम्मू-कश्मीर	2	0.20	
10.		कर्नाटक	23	2.30	
11.		केरल	1	0.10	
12.		मध्य प्रदेश	16	1.60	
13.		महाराष्ट्र	13	1.26	
14.		मणिपुर	11	1.10	

1	2	3	4	5	6
15.		मेघालय	2	0.20	
16.		मिजोरम	3	0.30	
17.		नागालैंड	—	—	
18.		उड़ीसा	—	—	
19.		राजस्थान	10	1.00	
20.		पंजाब	10	1.00	
21.		सिक्किम	1	0.10	
22.		तमिलनाडु	3	0.30	
23.		त्रिपुरा	1	0.10	
24.		उत्तर प्रदेश	125	10.71	
25.		पश्चिम बंगाल	6	0.60	
26.		अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	
27.		चंडीगढ़	1	0.10	
28.		दिल्ली	—	6.75	
29.		लक्षद्वीप	1	0.10	
30.		पांडिचेरी	—	—	
			350	38.68	

अनुबंध XIII

महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालिक आवास गृह

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यवार कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान राज्यवार स्वीकृत कुल राशि	राज्यवार निधियों के आबंटन के लिए लम्बित योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालिक आवास गृह	आन्ध्र प्रदेश	47	संलग्न विवरण के अनुसार	
2.		अरूणाचल प्रदेश	2		
3.		असम	6		
4.		बिहार	16		
5.		गोवा	2		
6.		गुजरात	8		
7.		हरियाणा	6		
8.		हिमाचल प्रदेश	3		
9.		जम्मू-कश्मीर	9		
10.		कर्नाटक	13		
11.		केरल	12		
12.		मध्य प्रदेश	12		
13.		महाराष्ट्र	34		

1	2	3	4	5	6
14.		मणिपुर	6		
15.		उड़ीसा	27		
16.		पंजाब	5		
17.		राजस्थान	11		
18.		सिक्किम	1		
19.		तमिलनाडु	24		
20.		त्रिपुरा	5		
21.		उत्तर प्रदेश	30		
22.		पश्चिम बंगाल	32		
23.		अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1		
24.		चंडीगढ़	2		
25.		दादर व नगर हवेली	1		
26.		दिल्ली	3		
27.		पांडिचेरी	2		

पिछले तीन वर्षों (1994-95, 1995-96, 1996-97) के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान के व्यय का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.64	68.02	57.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.81	6.61	1.87

1	2	3	4	5
3.	असम	7.97	7.65	4.20
4.	बिहार	19.74	23.63	25.81
5.	गोवा	80.94	3.80	—
6.	गुजरात	4.53	9.33	7.81
7.	हरियाणा	4.46	8.19	11.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3.68	7.89	3.36
9.	जम्मू-कश्मीर	3.10	2.67	3.56
10.	कर्नाटक	14.71	16.32	18.08
11.	केरल	16.92	15.19	13.68
12.	मध्य प्रदेश	10.55	10.98	17.64
13.	महाराष्ट्र	30.23	43.96	34.70
14.	मणिपुर	6.21	4.74	2.61
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	24.68	30.05	32.28
19.	पंजाब	4.39	2.84	4.61
20.	राजस्थान	11.55	15.19	14.66
21.	सिक्किम	00.63	—	—
22.	तमिलनाडु	13.68	19.91	20.17
23.	त्रिपुरा	6.77	6.62	7.37
24.	उत्तर प्रदेश	27.49	44.79	39.02
25.	पश्चिम बंगाल	46.99	43.50	40.86
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चंडीगढ़	1.47	3.34	2.61
28.	दादर और नगर हवेली	1.33	1.71	0.94
29.	दमन और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	5.11	1.34	4.95
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	3.75	2.81	4.67

अनुबंध XIV

कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैच

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कार्य कर रहे/अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या, राज्यवार			वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्यवार स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)			राज्यवार निधियों के आबंटन के लिए लम्बित योजना प्रस्तावों की संख्या
			1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैच	आन्ध्र प्रदेश	413	413	390	184.25	177.78	177.78	शून्य
2.		असम	79	79	79	14.60	14.60	14.60	शून्य
3.		बिहार	13	13	11	9.24	9.24	8.32	शून्य
4.		गुजरात	89	89	89	135.08	135.46	134.90	शून्य
5.		हरियाणा	20	20	11	25.32	23.95	19.22	शून्य
6.		हिमाचल प्रदेश	40	38	37	68.56	68.56	67.64	शून्य
7.		जम्मू व कश्मीर	19	18	23	9.44	8.50	9.79	शून्य
8.		कर्नाटक	204	203	186	74.65	72.81	69.86	शून्य
9.		केरल	412	368	337	100.69	100.90	98.50	शून्य
10.		मध्य प्रदेश	387	383	342	184.10	179.36	158.11	शून्य
11.		महाराष्ट्र	255	251	245	189.44	184.62	177.22	शून्य
12.		मणिपुर	208	208	208	41.42	40.10	40.10	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.		मेघालय	166	166	155	32.71	31.05	30.68	शून्य
14.		उड़ीसा	344	342	338	63.37	62.83	55.81	शून्य
15.		पंजाब	42	43	37	31.14	30.86	22.18	शून्य
16.		राजस्थान	125	146	153	68.36	70.04	64.68	शून्य
17.		सिक्किम	38	38	38	21.25	21.25	21.25	शून्य
18.		तमिलनाडु	325	307	291	154.12	152.67	152.09	शून्य
19.		त्रिपुरा	74	73	72	26.02	25.31	25.12	शून्य
20.		उत्तर प्रदेश	346	321	307	129.55	133.24	130.10	शून्य
21.		पश्चिम बंगाल	335	332	332	92.02	90.74	90.74	शून्य
22.		अरूणाचल प्रदेश	8	9	9	5.18	5.54	5.54	शून्य
23		दिल्ली	23	24	24	23.47	22.73	22.73	शून्य
24.		गोवा	14	14	14	6.18	6.28	6.28	शून्य
25.		मिजोरम	135	135	135	25.50	25.50	25.50	शून्य
26		अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	49	49	49	14.04	14.05	14.04	शून्य
27.		चंडीगढ़	14	10	9	4.80	5.80	4.07	शून्य
28.		लक्षद्वीप	3	3	—	0.55	0.56	—	शून्य
29		पांडिचेरी	68	68	66	16.08	16.08	15.89	शून्य

अनुबंध XV

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एस.टी.ई.पी.)

क्र.सं.	राज्य	लाभग्राहियों की संख्या			निर्मुक्त अनुदान (रु. लाख में)		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1200	540	26085	17.78	12.19	134.63
2.	बिहार	9410	0	990	157.83	117.18	140.7
3.	गुजरात	0	0	500	0	0	12.33
4.	हिमाचल प्रदेश	1500	1250	0	35.4	11.34	34.02
5.	केरल	0	34000	1000	0	24.8	26.28
6.	कर्नाटक	0	0	40000	0	0	61.96
7.	मणिपुर	0	0	1700	0	0	3.5
8.	मध्य प्रदेश	10360	0	1250	182.51	0	330.25
9.	उड़ीसा	10000	0	0	109.43	474.69	123.53
10.	राजस्थान	0	0	0	0	391.37	0
11.	तमिलनाडु	0	0	0	0	16.29	12.63
12.	त्रिपुरा	4500	600	0	128.85	137.79	114.44
13.	उत्तर प्रदेश	20340	0	5350	704.28	421.38	524.38
14.	पश्चिम बंगाल	8430	0	0	262.28	116.53	180.84
	कुल	65740	36390	76875	1598.36	1724.28	1699.49

अनुबंध XVI

राष्ट्रीय महिला कोष

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय महिला कोष ऋणों का राज्यवार वर्गीकरण को दर्शानेवाला विवरण

(रु. लांख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कर्जदारों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	7741	125.30	117.11
2.	बिहार	—	—	4.04
3.	कर्नाटक	1000	17.00	22.04
4.	केरल	4070	87.25	63.47
5.	महाराष्ट्र	1900	54.00	61.01
6.	मध्य प्रदेश	1200	16.50	12.59
7.	मणिपुर	2000	40.00	10.00
8.	उड़ीसा	—	—	5.40
9.	राजस्थान	1605	48.20	—
10.	तमिलनाडु	3093	68.75	95.13
11.	उत्तर प्रदेश	1200	31.50	19.06
12.	पश्चिम बंगाल	1250	23.95	19.69
	कुल	25059	512.45	429.54

अनुबंध XVII

महिला समृद्धि योजना (एम.एस.वाई.)

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है, फिर भी महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभग्राहियों की संख्या		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1332192	679922	57326
	अरुणाचल प्रदेश	648	2332	1114
3.	असम	632765	702356	164473
4.	बिहार	212994	384909	166098
5.	दिल्ली	3128	— 324	436
6.	गोवा	7141	13421	14222
7.	गुजरात	123648	552763	416159
8.	हरियाणा	122093	260915	354913
9.	हिमाचल प्रदेश	53574	56307	65484
10.	जम्मू व कश्मीर	17463	26147	26183
11.	कर्नाटक	660938	503192	351782
12.	केरल	33756	106512	63934
13.	मध्य प्रदेश	83063	1867168	1001039
14.	महाराष्ट्र	319622	273509	4551

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	6437	2928	15173
16.	मेघालय	143	175	1968
17.	मिजोरम	459	605	12767
18.	नागालैंड	762	1518	2235
19.	उड़ीसा	247695	299791	366963
20.	पंजाब	214532	208118	18809
21.	राजस्थान	112312	307666	618736
22.	सिक्किम	2228	811	1962
23.	तमिलनाडु	1638438	442965	278558
24.	त्रिपुरा	13601	15588	5551
25.	उत्तर प्रदेश	854635	11826	2052869
26.	पश्चिम बंगाल	2445	458933	267286
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2844	1342	1012
2.	चंडीगढ़	5326	316	3076
3.	दादर व नगर हवेली	1418	663	88
4.	दमन व दीव	396	156	397
5.	लक्षद्वीप	1	362	225
6.	पांडिचेरी	13804	431	1263
	कुल	7801355	8376543	7670208

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा आलू के संबंध में अनुसंधान

***298. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधानकर्ताओं ने अब तक कुछ परियोजनाओं में सफलता प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सफल परियोजनाओं के आधार पर उत्पादन की वर्तमान दर और उसकी लागत की तुलना में पहले की उत्पादन दर और उसकी लागत का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने देश में आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई अनुसंधान प्रयोजनाएं चलाई हैं। हाल ही में आलू की फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के पहलुओं पर पांच प्रायोजनाएं आरंभ की गई हैं।

(ख) निम्नलिखित पांच प्रायोजनाएं जुलाई 1997 से शुरू की गई हैं:

1. आलू भण्डारण की परम्परागत प्रणालियों का मूल्यांकन तथा उनमें सुधार।
2. आलू से प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों का अध्ययन।
3. आलू से किण्वित खाद्य उत्पादों का विकास।
4. विभिन्न भण्डारण स्थितियों के अंतर्गत आलू की फसल कटाई के बाद भण्डारण के दौरान आलूओं के सड़ने का अध्ययन, तथा
5. देश के विभिन्न क्षेत्रों में आलू की उपलब्धता तथा उपयोग की पद्धति पर अध्ययन।

(ग) और (घ) चूंकि ये प्रायोजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ठोस अनुसंधान प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 1995-96 के दौरान आलू की औसत उत्पादकता बढ़कर 16.9 टन प्रति हैक्टर हो गई, अखिल भारतीय औसत उत्पादन की लागत करीब 33,285 आयी तथा निवल लाभ 13,186 रु. प्रति हैक्टर रहा।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

***299. श्री संदीपान थोरात:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुमोदित कृषि विज्ञान केन्द्रों और इस समय कार्यरत केन्द्रों तथा प्रति केन्द्र अनुमानित लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र उनके कार्यचालन के लिए निर्धारित समय से पिछड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है जो निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा तथा आठवीं योजना के दौरान उन पर खर्च का विवरण-I संलग्न कर दिया गया है। एक कृषि विज्ञान केन्द्र पर पांच वर्षों के लिए औसत व्यय 62.18 लाख रुपये निकलता है।

(ख) और (ग) 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से हाल ही में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूरी प्राप्त 78 की स्थापना का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन 78 कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों तथा उनके कार्यनिष्पादन की प्रत्येक वर्ष राज्य में तथा क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए जिनमें महाराष्ट्र के 23 केन्द्र शामिल हैं, वार्षिक कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।

(च) और (छ) आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद की कार्य-योजना तैयार कर ली गई है, जिससे नौवीं योजना के दौरान सहायता मिलेगी।

विवरण I

261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	कृ.वि.के. के पते	आयोजक संस्थान का नाम	8वीं योजना में लागत	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4	5
अंडमान निकोबार				
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. कारी पोर्ट ब्लेयर	निदेशक केन्द्रीय कृ.अनु. संस्थान पोर्ट ब्लेयर-744101 (अं.-नि.)	89.49	1992
आन्ध्र प्रदेश				
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., विशाखापटनम-531005	भाग्यातुला धर्मार्थ ट्रस्ट येलामंचिली, विशाखापटनम-531005	29.26	1995
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., रा.कृ. मंदिर के सामने यू.एन.डी.आई., रायलम भोमावरम, प. गोदावरी-534208	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि वि.वि. राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 आंध्र प्रदेश	21.35	1995
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. मल्याफार्म, गांव मलयल, जिला-वारंगल-506101	-वही-	50.82	1984
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के.. कृ.अनु. केन्द्र, अमादावालसा, जिला-श्रीकाकुलम-532523	-वही-	71.20	1984
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., डी.सी.एम.एस. बिल्डिंग, कमलानगर, जिला-अनन्तपुर	-वही-	67.83	1983
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., रस्ताकुंताबाई, जिला-विजयनगरम-518503	-वही-	62.67	1984

1	2	3	4	5
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., नंदयाल, एम.सी.फार्म, पो.ओ. जिला-कुरनूर-518503	कुलपति, आंध्र प्रदेश कृ.वि.वि. राजेन्द्र नगर, हैदराबाद (आं.प्र.)-500030	76.98	1992
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. बारागनापल्ली यगानतीपल्ली-513524 जिला-कुरनूर	सचिव, श्री हनुमनतैया शिक्षा एवं धर्मार्थ सो. रेडाकांति प. रकूल, ओलिरी, कोथापेंटा (आं.प्र.)	85.56	1989
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. बाक्स सं. 214, जहीराबाद, जिला मेडक-502220	अध्यक्ष, दक्कन विकास सोसायटी ए-5, मीरा अपार्टमेंट बशीरबाग, हैदराबाद (आं.प्र.)	85.32	1992
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., आर.ए.एस.एस. वनस्थली, गांव करकनबाड़ी; जिला-चित्तूर-517501	अध्यक्ष, रायलसीमा सेवा समिति, 9, पुराना हुजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरुपति (आं.प्र.)	158.44	1992
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, गदीपल्ली-508201 जिला-नालगोंडा	सचिव, श्री अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गदीपल्ली-508201 (आं.प्र.)	160.17	1983
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. जम्मीकुंता, जिला-करीमनगर-505122	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, म.नं. 1-9-639/1, विद्यानगर, हैदराबाद (आं.प्र.)	101.07	1992
14.	प्रशिक्षण संयोजक एन.जी. रंगा कृ.वि.के., विनयाश्रम, गुंतूर	अध्यक्ष विनयाश्रम, कावूर, जिला-गुंतूर (आं.प्र.)	114.15	1992
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. भिंड, एम.आर.ओ. आफिश, कोटा, मदनापुर जिला-महबूबनगर	कार्यकारी निदेशक युवाओं के लिए कार्रवाई 1-8-702/1, पदमा कालोनी हैदराबाद (आं.प्र.)-500044	74.22	1992

1	2	3	4	5
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.कें. सी.आर.आई.डी.ए. हयातनगर, जिला-रंगारेड्डी	निदेशक सी.आर.आई.डी.ए. काम्पलैक्स, सैदाबाद, संतोपनगर, हैदराबाद-(आं.प्र.)	94.14	1976
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.कें. कलवाचेरला, राजमुन्द्री-533105 जिला-पूर्वी गोदावरी	निदेशक सी.टी.आर.आई., राजमुन्द्री-500659 (आं.प्र.)	127.84	1983
अरूणाचल प्रदेश				
18.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., उ.पू.प.क्षे. के लिए भा.कृ.अ.प. काम्पलैक्स-791101, बसार, जिला-प. सिंह	निदेशक उ.पू.प.क्षे. के लिए भा.कृ.अ.प. उमराऊ रोड, बारापानी-793103 (मेघालय)	73.07	1979
असम				
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., असम कृ.वि.वि. खुओंतेल, गोलाघाट-785601	कुलपति असम कृ.वि.वि. जोरहट-785013 (असम)	49.38	1993
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.कें. असम कृ.वि.वि. अरूणाचल सिलचर-788025 काचर, असम	कुलपति असम कृ.वि.वि. जोरहट-785013 (असम)	39.47	1994
21.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.कें. तिनसुखिया	कुलपति अ.कृ.वि.वि. जोरहट-785013 (असम)	-	1996
22.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के.अ.कृ.वि.वि. नापाम, सोनीपत, तेजपुर 25, के द्वारा पी.बी. 51, मेन पो.आ. तेजपुर (असम)	-वही-	92.13	1979
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., अ.कृ.वि.वि. तरलीपारा, गोसाईं गांव-783360 जिला-कांकराझार (असम)	-वही-	56.60	1985

1	2	3	4	5
बिहार				
24.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. एस.सी.ए.डी.ए., पो.ओ.आरा, भोजपुर-802301	अध्यक्ष, एस.सी.ए.डी.ए., पटना, (बिहार)	40.13	1993
25.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सिनरी, धनबाद-828122	अध्यक्ष हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नई दिल्ली	37.98	1994
26.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. शर्मा भारती खादीग्राम पी.ओ. जामुई-847102	अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, जमुई-811313 (बिहार)	72.91	1994
27.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. गांव व डाक घर बसैठ, चंद्रपुर, मधुबनी-847102	अध्यक्ष ए.के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, नई दिल्ली	131.95	1994
28.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. दरभंगा	कुलपति रा.कृ.वि.वि. समस्तीपुर-848125 (बिहार)	9.30	1996
29.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. हाजीपुर फार्म, वैशाला	-वही-	1.00	1997
30.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. अगवनपुर, जिला-सिरसाह-85901	-वही-	48.72	1979
31.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. साइया फार्म, मुजफ्फरपुर	-वही-	1.00	1997
32.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.वे. गैर, संकेशपुर, जिला-मुंगेर-811201	कुलपति, रा.कृ.वि.वि. समस्तीपुर, 848125 (बिहार)	62.13	1979
33.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. विजयनगर, बंका-813101	कुलपति, रा.कृ.वि.वि. समस्तीपुर-848125 (बिहार)	49.03	1983

1	2	3	4	5
34.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. मेघोल खुदावानपुर, जिला-बेगूसराय	कुलपति, रा.कृ.वि.वि., समस्तीपुर-848125 (बिहार)	65.58	1992
35.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. बाढ़, जिला-पटना	-वही-	51.43	1992
36.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. हरनौत, जिला-नालंदा-848125	-वही-	51.90	1992
37.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पो.ओ. जगन्नाथपुर जिला-प. सिंहभूम-833203	कुलपति, बिरसा कृ.वि.वि. कनक, (बिहार)-834006	47.47	1983
38.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के.रा.कृ.मि. आश्रम, पो.ओ. मुराबादी, रांची-834008	सचिव रा.कृ.मि. आश्रम, मुरादाबादी, रांची-834008 (बिहार)	122.84	1977
39.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. सुजानी, पी.ओ. घोरलाश, जिला-देवघर-814152	महासचिव संथाल पहाड़िया सेवा मंडल देवघर-714152, (बिहार)	57.65	1985
40.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., होली क्रॉस वी.टी.आई. हजारीबाग-825301	निदेशक होली क्रास वी.टी.आई. हजारीबाग-825301 (बिहार)	73.16	1984
41.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पी.ओ. शोखोदवरा जिला-नवादा-805106	महासचिव ग्राम निर्माण मंडल आश्रम शोखादवरा-805106 जिला-नवादा (बिहार)	87.93	1979
42.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. बनवासी सेवा केन्द्र पी.ओ. अधौरा, कामूल पलाटूआ, भभुआ-821116	अध्यक्ष बनवासी सेवा केन्द्र, अधौरा कामूल पलाटूआ, जिला-भभुआ 821116 (बिहार)	51.08	1992

1	2	3	4	5
43.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि वि. केन्द्र, शेखपुरा	कुलपति रा.कृ.वि.वि., समस्तीपुर-848125 (बिहार)	9.00	1996
दिल्ली				
44.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. उजवा, नई दिल्ली-110073	अध्यक्ष, नफेड/एन.एच.आर.डी.एफ. नई दिल्ली	45.72	1995
गोवा				
45.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., भा.कृ.अ.प. काम्पलैक्स, इला, पुराना गोवा-403202	विशेष कार्याधिकारी भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स इला, पुराना गोवा-403202	80.37	1995
गुजरात				
46.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. बड़ौच	अध्यक्ष भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पूना (महाराष्ट्र)	34.59	1984
47.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. मंगल भारती गोलागमंडी, बहादुरपुर, बड़ोदरा-391125	अध्यक्ष, मंगलभारती, गोलागमंडी, बड़ोदरा	40.55	1994
48.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. दीसा, जिला-बनासकंठा-385535	कुलपति गुजरात कृ.वि.वि., सरकारी बंगला नं. 6, शाही बाग, अहमदाबाद, (गुजरात)	66.59	1976
49.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. क्षेत्रीय पर्व. कोदो अनु. के. वधाइं, जिला-डैंग	-वही-	86.83	1985
50.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. देवगढ़बारिया, जिला-पंचमहल-389380	-वही-	61.09	1976

1	2	3	4	5
51.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के. देवताज (सोजितरा) जिला-खेड़ा-387240	कुलपति, गुजरात कृ.वि.वि. सरकारी बंगला नं. 6, शाहीबाग, अहमदाबाद (गुजरात)	63.19	1985
52.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., गांव रंधेजा, जिला-गांधीनगर-383630	-वही-	74.15	1977
53.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पी.ओ. अम्बेटी आश्रम, वाया वापी, जिला-वलसाद-396191	-वही-	40.87	1992
54.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के. समोदा-गंवादा, तालुका, सिधपुर, जिला-महसाना-384130	निदेशक सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, जिला-महसाना, (गुजरात)	83.16	1992
55.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., मुंद्रा, जिला-कच्छ-370421	अध्यक्ष, ग्रामीण कृषि अनु. एवं विकास सोसायटी, गांधी ग्राम रोड, जुहू, मुम्बई	84.10	1992
हरियाणा				
56.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., सीमा थियेटर कमर्शियल काम्प्लैक्स, कोर्ट रोड, पानीपत-103	कुलपति, चौ. चरणसिंह हरियाणा कृ.वि.वि., हिसार (हरि.)	21.45	1993
57.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., नं. 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला	अध्यक्ष, सोसायटी फार क्रिएशन आफ हैवन आन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	61.83	1993
58.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., सादलपुर, प्लाट नं. 82, आटो मार्केट, हिसार-125052	कुलपति, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृ.वि.वि.; हिसार-125004	76.24	1989

1	2	3	4	5
59.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पो.आ. पिओडा, कैथल-132027	कुलपति, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृ.वि.वि., हिसार-125004	50.06	1992
60.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., म.नं. 2131, अरबन एस्टेट, जीन्द-126102	-वही-	39.13	1992
61.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., 430/13, अरबन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-132113	-वही-	29.70	1992
62.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के, सैक्टर-14, म.नं. 449, सोनीपत-131001	-वही-	68.39	1992
63.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., म.नं. 604, सैक्टर-16-ए, फरीदाबाद-121001	-वही-	59.69	1992
64.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., म.नं. 269-4, माडल टाउन, यमुनानगर-135001	-वही-	53.49	1992
65.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., श्री बी.बी. आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी-123401	सचिव, भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, जिला-रिवाड़ी (हरियाणा)	86.03	1983
66.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., शिकोहपुर, गुड़गांव-122001	निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-12	53.66	1983
67.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., रा.डेरी अनु. संस्थान, करनाल-132001	निदेशक, रा.डेरी.अनु. संस्थान, करनाल-132001 (हरियाणा)	68.90	1976
हिमाचल प्रदेश				
68.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., एच.पी.के.वी., उन्ना-174303	कुलपति, हि.प्र.कृ.वि.वि., पालमपुर (हि.प्र.)	26.30	1993

1	2	3	4	5
69.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी	कुलपति, हि.प्र.कृ.वि.वि. पालमपुर (हि.प्र.)	26.74	1993
70.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., ग्रा. कुडीवाडा, पो.आ. चानेर इंडारा, जिला-कांगड़ा-176401	चेयरमैन, फाउंडेशन फॉर आर्गेनाईजेशनल रिसर्च एंड एजूकेशन, नई दिल्ली	36.37	1993
71.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., शारबी एट रेकोंग पेयो, किन्नौर-171107	कुलपति, वाई.एस.पी.यू.एच. एंड एच., सोलन	27.33	1995
72.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के, वाई.एस.पी.यू.एच.एफ., पेट्रोल पंप के नजदीक, रोहरू, शिमला-7	-वही-	33.66	1995
73.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., एच.पी.के.वी., धौला कुआं, जिला-सिरमौर-173001	कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृ.वि.वि., पालमपुर-176062 (हि.प्र.)	73.24	1982
74.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., एच.पी.के.वी, कृषि अनुसंधान स्टेशन, बजौरा, कुल्लू-175125	-वही-	82.13	1985
75.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., बारा, जिला-हमीरपुर-177044	-वही-	95.32	1989
76.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पो.आ. सुल्तानपुर, बालू, जिला-चम्बा-176314	-वही-	72.87	1991
	जम्मू एवं कश्मीर			
77.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लेह	कुलपति, शेर-ए-कश्मीर कृ.वि. एवं प्रौ. वि.वि. श्रीनगर	29.43	1993
78.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि वि.के, कालीबाड़ी, कथुआ-184104	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल, कथुआ (ज. एवं क.)	82.58	1993

1	2	3	4	5
79.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., मालनपुरा, जिला-अनंतनाग	कुलपति, शेर-ए-कश्मीर कृ.वि.एवं प्रौ. वि.वि., डलगेट, श्रीनगर	53.98	1983
80.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के, कृ.अनु. केन्द्र, आर.एस. पुरा, जिला-जम्मू-181102	-वहीं-	78.97	1992
कर्नाटक				
81.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., सुत्तूर, मैसूर	अध्यक्ष, जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाऊन्डेशन, मैसूर	32.62	1994
82.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., चिकाबलापुर, कोलार	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण समिति, चिकाबलापुर (कोलार)	52.83	1994
83.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के, हेगरी, बेल्लारी	कुलपति, कृ. विज्ञान वि.वि., धारवाड़	41.48	1994
84.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., तुकानापट्टी गोहक, बेलगांव-591319	अध्यक्ष, बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगांव	55.86	1994
85.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., क्षे.अनु. केन्द्र, रांयचूर	कुलपति, कृ. विज्ञान वि.वि., धारवाड़	41.53	1994
86.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., हनुमानमती-581135 जिला-धारवाड़	-वही-	67.27	1977
87.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., कृ.अनु.के., आनावाड़ा, बीदर	-वही-	53.70	1985
88.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, मुदिगेर, चिकमगलूर	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)	30.84	1985

1	2	3	4	5
89.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के. (यू.ए.एस.) कांदली, जिला-हसन	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर (कर्नाटक)	35.99	1992
90.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के, गोनीकोप्पल-571213 जिला-कोदगू	निदेशक, आई.आई.एच.आर., 255, अपरपैलेस, आर्चड, बंगलौर-560079 (कर्नाटक)	96.46	1976
91.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., के.एच. पाटिल कृ. विज्ञान फाउंडेशन, हुलकोटि-582205 गडग तालुक, जिला-धारवाड़	चेयरमैन, कृ.वि. फाउंडेशन, जिला-धारवाड़ हल्कोटि (कर्नाटक)-582205	99.95	1985
केरल				
92.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पाथेनामथिता	चेयरमैन, ईसाई ग्रामीण विकास समिति, थिरुवल्ला, पार्थनामथिता (केरल)	48.46	1994
93.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., सदानंदपुरम, क्विलोन	कुलपति, के.कृ.वि.वि., मनुथी, त्रिशूर	45.04	1994
94.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., चाकूपल्लम, इदुकी	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, चाकूपल्लम, इदूकी (केरल)	46.41	1994
95.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाटुम्बी-679306, जिला-पालघाट	कुलपति, केरल कृ.वि.वि., मनुथी- 681651, त्रिशूर (केरल)	68.36	1979
96.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., कृ.अनु.के., अंबलव्याल-673593 जिला-विनाड	-वही-	54.33	1984
97.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., के. समुद्री मछली पालन अनु. संस्थान, नरक्कल-682505, एर्नाकुलम	निदेशक, केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनु.सं., नरक्कल, जिला-कोचीन	50.06	1976

1	2	3	4	5
98.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., मित्रनिकेतन, वेलानाड-696543 जिला-तिरुवन्नथपुरम	अध्यक्ष, मित्रनिकेतन, वेलानाड, जिला-त्रिवेन्द्रम-696543 (केरल)	71.40	1979
99.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., बा.फ.अनु. संस्थान, कासरगोड-671124	निदेशक, के.बाग. फसल अनु. संस्थान, कासरगोड-671124	82.60	1991
100.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पेरुवन्नामुजी, जिला-कालीकट-673012, कोझीकोडे	निदेशक, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट (केरल)-673012	11.92	1992
लक्षद्वीप द्वीपसमूह				
101.	कृषि विज्ञान केन्द्र, मीनीकाय द्वीपसमूह	क्षेत्रीय केन्द्र, के. समुद्री मछली अनु. संस्थान, लक्षद्वीप	–	1996
मध्य प्रदेश				
102.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., ब्लाक आफिस कंपाउंड, सिओनी	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृ.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)	28.32	1994
103.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., ललीतपुर नाका नजदीक, टिकमगढ़-472001	-वही-	30.82	1994
104.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., कृषि विश्वविद्यालय, वारवाडी फार्म, पूर्वी निमाड (खंडवा)	कुलपति, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	37.92	1994
105.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., काठी बाग, राजगढ़	-वही-	44.32	1994
106.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पोस्ट-आरोन, गुना	-वही-	41.82	1994

1	2	3	4	5
107.	प्रशिक्षण संयोजक, कृपि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा	कुलपति, इंदिरा गांधी कृपि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)	40.07	1994
108.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., जीआरा, कालूखेड़ा, जिला-रतलाम-457340	अध्यक्ष, कालूखेड़ा शिक्षित समिति, रतलाम	18.50	1994
109.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., आई.जी.के.वी.वी., अनु. केन्द्र, सरकंडा फार्म, बिलासपुर-1	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)	75.01	1984
110.	प्रशिक्षण संयोजक, राना हनुमान सिंह कृ.वि.के., बीडगांव ब्लॉक-किरनपुर, पो.आ.-पाला बालघाट-481115	-वही-	70.85	1992
111.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, गोकुलन, जी.ई. रोड अंजारो, दुर्ग-491001	-वही-	81.70	1992
112.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा-480001	कुलपति, जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	80.39	1983
113.	प्रशिक्षण संयोजक, कृपि विज्ञान केन्द्र, जे.एन.के.वी.वी. फार्म, झाबा-457661	कुलपति, जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर (मध्य प्रदेश)	82.08	1984
114.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., गोवयाना पो.बा.नं. 7, सीधी, जिला-सीधी-486661	कुलपति, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)	35.27	1994
115.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के. बिरूलिया फार्म, शहडोल	-वही-	37.55	1992

1	2	3	4	5
116.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (भा.कृ.अ.प.), नबीबाग, बरेसिया रोड, भोपाल-462018	निदेशक सी.आई.ए.ई., नबीबाग बेरेसिया रोड, भोपाल-462018 (म.प्र.)	81.83	1979
117.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., माता रुक्मणी सेवा संगठन वाया डोमरापाल, पी.ओ. जगदलपुर जिला बस्तर-494001	सचिव माता रुक्मणी सेवा संस्थान, वाया डीमरापाल, पी.ओ. जगदलपुर, जिला बस्तर-494001 (म.प्र.)	14.09	1992
118.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. मालवा महिला विकास समिति पी.ओ. सीरोज जिला विदिशा-464228	अध्यक्ष श्री मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर, शाहजहांबाद, भोपाल (म.प्र.)	73.18	1992
119.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कस्तूरबाग्राम इंदौर-420020	सचिव कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम इंदौर (म.प्र.)-450020	14.88	1976
120.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दीन दयाल अनुसंधान संस्थान मझगवान, सतना-485331	चेयरमैन दीन दयाल अनुसंधान संस्थान 7-ई., स्वामी राम तीर्थ नगर, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	63.29	1992
महाराष्ट्र				
121.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र वाई.सी. महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, नासिक-422005	कुलपति य.रा.च. महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय नासिक (महाराष्ट्र)	39.95	1994
122.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य नगर, परभणी-431401	अध्यक्ष जीवन ज्योति धर्मार्थ ट्रस्ट परभणी (महाराष्ट्र)	78.26	1994

1	2	3	4	5
123.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. तलसाड़ी, कोल्हापुर-416012	डी.वाई. पाटिल शिक्षा समिति तलाशदे, महा कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	39.95	1994
124.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., जलगांव जमोद, बुलढ़ाणा-443402	चैयरमैन, सतपुडा शिक्षा समिति, जलगांव जमोद बुलढ़ाणा (महाराष्ट्र)	28.54	1994
125.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सी.आई.सी.आर. पो.बा. 225, नागपुर-440001	निदेशक, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर (महाराष्ट्र)	34.36	1994
126.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., 57 कांग्रेस नगर अमरावती-444602	अध्यक्ष श्रमसाधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर अमरावती-444602 (महा.)	45.70	1995
127.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., मधुबनी कालोनी कैम्प, अमरावती-444602	अध्यक्ष श्रमसाधना फाउंडेशन, मधुबनी कालोनी कैम्प, अमरावती-444602 (महा.)	42.45	1995
128.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., एच.आई.जी. कालोनी आई.आई.टी. के पास, नांदेड़	चैयरमैन ज.ल. नेहरू शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौ. अनुसंधान संस्थान, नांदेड़ (महा.)	45.45	1994
129.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. 51, रेलवे लाइंस, शोलापुर-413001	अध्यक्ष शबरी कृषि प्रतिष्ठान शोलापुर (महाराष्ट्र)	108.64	1994
130.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., रिसोड अकोला-444106	अध्यक्ष सुविडे फाउंडेशन, रिसोड अकोला (महाराष्ट्र)	74.85	1994
131.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पाईप आदर्श कृषि, सिंधु दुर्ग-416622	अध्यक्ष पाईप फलोत्पादन सहकार समिति सिंधु दुर्ग (महाराष्ट्र)	17.90	1995
132.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. सेलसूरा, जिला-वर्धा	कुलपति पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषि नगर, अकोला	73.28	1976

1	2	3	4	5
133.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. पैठान रोड, औरंगाबाद-431005	कुलपति, मराठवाड़ा कृ.वि.वि. परभणि	80.43	1983
134.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., शिरगांव जिला-रत्नागिरि	कुलपति कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली रत्तनगर महाराष्ट्र-415712	67.59	1983
135.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कृ.अ.के. जिला-धुले-424004	कुलपति महात्मा फुले कृ. विद्यापीठ, राहुरी-413712	86.06	1983
136.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. गोखले शिक्षा सोसायटी, कोशबादहिल, जिला-ठाणे-401703	सचिव, गोखले शिक्षा सोसायटी बी.वाई.के. कौलेज आफ कामर्स नासिक	108.73	1976
137.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. सतपुड़ा विकास मंडल, पाल-तालुका-रावेर, जिला-जलगांव-425508	सचिव, सतपुड़ा विकास मंडल जिला-जलगांव (महा.)	115.39	1984
138.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. आदर्श कालोनी, अंबाजोयई-ग्राम, जिला-बीड 431517	अध्यक्ष, दीनदयाल अनु. सं., एंड ई. स्वामी रामतीरथ नगर, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	83.32	1992
139.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कलाबाड़ी, करड जिला-सतारा-415110	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट ए-2 प्रियदर्शन अपार्टमेंट, कोरेगांव रोड, पुणे	90.61	1992
140.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. शारदा नगर जिला-पुणे, बारामती-413115	अध्यक्ष, कृ.वि. ट्रस्ट शारदानगर बारामती, जिला-पुणे	109.59	1992
141.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. श्रीरामपुर ताल, भलेश्वर, जि. अहमदनगर-413736	अध्यक्ष, प्रवर प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान अनु. शैक्षिक संस्थान, प्रवरनगर, जि. अहमदनगर	112.92	1992

1	2	3	4	5
142.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के.सी.-413, वसंत दादा शकर सहकारी कारखाना, जिला-सांगली-416416	अध्यक्ष, वसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान सहकारी शकर कारखाने के सामने, सांगली-416416	61.89	1992
143.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के.पो.बा. 45, एस.पी. रोड, जिला-जालना-431203	सचिव मराठावाड़ा शैट्टी सहाय मंडल, पो.बा. सं. 45, सरदार पटेल रोड, जालना	155.66	1992
मणिपुर				
144.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान काम्पलैक्स लम्फैलपेट, इम्फाल-795004	निदेशक, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान काम्पलैक्स अमरोई रोड, बारापानी-793103	75.59	1979
मेघालय				
145.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. संसागिरी तुरा, पश्चिमी गारो पहाड़ियां मेघालय-794005	निदेशक, उ.पू. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अनु.परि. का अनुसंधान काम्पलैक्स उमरोई रोड, बारापानी-793103	107.02	1979
मिजोरम				
146.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., लंगलोई (राज्य कृषि विभाग) मिजोरम	कृषि निदेशक मिजोरम सरकार आइजवाल (मिजोरम)	–	1995
147.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. कोलसिब (राज्य कृषि विभाग) मिजोरम-796081	-वही-	57.60	1979
नागालैण्ड				
148.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनु. काम्पलैक्स मेदजी, ढारनापानी, नागालैण्ड-797106	निदेशक उ.पू. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनु. काम्पलैक्स उमरोई, मेघालय बारापानी-793103	74.78	1977

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
149.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र धनकानल (उड़ीसा)	निदेशक केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा)	23.70	1994
150.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. आंगुल उड़ीसा	निदेशक केन्द्रीय धान अनु. संस्थान कटक (उड़ीसा)	25.00	1994
151.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. केन्द्रपाडा (उड़ीसा)	कुलपति उड़ीसा कृषि एवं पौ. वि.वि. भुवनेश्वर	40.96	1994
152.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सिमिलिगुडा पी.ओ. बाक्स 10 सुनाबेड़ा-763002 (जिला-कोरापुट)	-वही-	92.88	1982
153.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र जुड़िया फार्म, पी. बाक्स जिला-केओन्झार, केओन्झार-758002	-वही-	89.59	1982
154.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पो.बाक्स देवोंग वाया सिंगिला बलियापुर, जिला बालासौर-756026	-वही-	76.22	1983
155.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. भंजनगर, बेनकुन्डा, पी. बाक्स दियापन्डाल, वाया भंजनगर, जिला गंजम-761126	-वही-	83.24	1985
156.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. गंभारीपल्ली, पी.ओ. लरंभा जिला संभलपुर-768102	-वही-	69.54	1992
157.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पो. उदयगिरी जिला-फूलबनी-762100	-वही-	67.54	1982

1	2	3	4	5
158.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. क्षेत्रीय अनु. केन्द्र नार्प कैम्पस, भवानी पटना जिला-कालाहांडी	कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रो. वि.वि. भुवनेश्वर	91.39	1992
159.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सी.आई.एफ.ए. कोशल्यागंज धौली, भुवनेश्वर-751002	निदेशक, सी.आई.एफ.ए. कौशल्यागंज धौली भुवनेश्वर-751002 (उड़ीसा)	83.98	1976
160.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. संतपुर, सी.आर.आर.आई. कटक-753006	निदेशक, सी.आर.आर.आई. कटक (उड़ीसा)	46.86	1992
पांडिचेरी				
161.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. मादुर कराईकाल-609607	मुख्य सचिव पांडिचेरी सरकार मुख्य सचिवालय विलिंगडन, पांडिचेरी-605990	9.73	1994
162.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, कुसुंबपेट पांडिचेरी-605099	-वही-	63.15	1974
पंजाब				
163.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., खेडी जिला-संगरूर	कुलपति पंजाब कृषि वि. विद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	31.84	1993
164.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र फरीदकोट-151203	-वही-	29.50	1994
165.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र लांगरोवा, जिला-जालंधर	-वही-	24.60	1994

1	2	3	4	5
166.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदेव चानी रोड, पुराना गुरुनानक कालेज भवन, गुरुदासपुर पिन कोड-143521	कुलपति, पंजाब कृषि विं. विद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	85.07	1982
167.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., मलवाल फार्म, जी.टी. रोड, फिरोजपुर, जिला-फिरोजपुर-152001	-वही-	100.50	1988
168.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., खेती भवन के पास, छबावली रोड, जिला-भटिण्डा-151001	-वही-	93.66	1989
169.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., बहोवाल, जिला-होशियारपुर-146105	-वही-	121.78	1989
170.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. पो.बा.-22, ग्राम रोनी, जिला-पटियाला-147001	-वही-	92.90	1989
171.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सुलतानपुर रोड न्यू ग्राम मार्किट के पास, कपूरथला, जिला-कपूरथला-144601	-वही-	95.20	1989
172.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., अबोहर जिला-फिरोजपुर	निदेशक केन्द्रीय अभियांत्रिकी व कटाई के बाद की प्रौ. संस्थान लुधियाना (पंजाब)	102.60	1992
राजस्थान				
173.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., दोइन्दा, राजसमन्द-313342	कुलपति रा.कृ.वि.वि., बीकानेर-334001 (राजस्थान)	23.79	1994

1	2	3	4	5
174.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., स्टेशन रोड, अंता, बारान-325202	कुलपति, रा.कृ.वि.वि. बीकानेर-334001	15.00	1994
175.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., अध्यापक कालोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा-303303	-वही-	12.30	1994
176.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, बी-33, मान नगर, जिला-झुंझनु (राजस्थान)	-वही-	68.41	1989
177.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कृ.अनु. केन्द्र, बोरवात, जिला-बांसवाडा-327001	-वही-	50.70	1983
178.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, फतेहपुर शेखावटी, जिला-सीकर-322301	-वही-	35.81	1976
179.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, चारा फार्म, गांव-बीछवाल, जिला-बीकानेर-334002	-वही-	82.75	1983
180.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., केशवाना जिला-जालौर-342001	कुलपति राजस्थान कृ.वि.वि., बीकानेर-334001 (राजस्थान)	53.25	1985
181.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., किसान विद्यापीठ सरग गेस्ट हाउस के पास, कुम्हेर, जिला-भरतपुर-321001	-वही-	80.65	1980
182.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कोलार फार्म, (अम्बेश्वर महादेव के पास) पो.आ. पालरी, जिला-सिरोही-307001	-वही-	54.25	1989

1	2	3	4	5
183.	प्रशिक्षम संयोजक कृ.वि.के., जोनेरा, दीपक भवन, डाबला रोड, कोटपुतली, जिला-जयपुर-303108	कुलपति राजस्थान कृ.वि.वि. बीकानेर-334001 (राजस्थान)	58.15	1989
184.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., वी.पी. टंकारडा, चोमू-जयपुर	सचिव प्रगति ट्रस्ट चोमू जयपुर (राजस्थान)	95.98	1992
185.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., चित्तौड़गढ़-312001	कुलपति राजस्थान कृ.वि.वि., बीकानेर	22.57	1992
186.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., 30, एम.पी. कालोनी, जिला-सवाईमाधोपुर-322001	-वही-	57.79	1992
187.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., बोरखेरा फार्म कोटा-324001	-वही-	73.34	1992
188.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., बी.पी. नं. 46, जैसलमेर-345001	-वही-	63.56	1992
189.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., ग्राम-नौगांव, जिला-अलवर	-वही-	44.65	1992
190.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. कृ.अनु.के. अमाजिया फार्म, गांधी नगर, जिला-भीलवाड़ा	-वही-	76.75	1992
191.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, छित्रापुरा रोड जिला-बूंदी	-वही-	59.06	1992
192.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., क्षे.अनु. केन्द्र, ताबीजी फार्म, एन.एच. 08, जिला अजमेर-305001	-वही-	28.95	1992

1	2	3	4	5
193.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., पुराना शहर, जिला-धौलपुर	कुलपति राजस्थान कृ.वि.वि. बीकानेर-334001 (राजस्थान)	76.26	1992
194.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., बादत मठ के समीप शास्त्री कालोनी, डूंगरपुर-314001	-वही-	80.56	1992
195.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., 9-ए गोदम की तलाई, पो.बा. 16, जिला-झालवाड़ा 326001	-वही-	17.25	1992
196.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., संजय कालोनी, जिला-नागौर	-वही-	26.15	1992
197.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., वनास्थली विद्यापीठ जिला-टांक-304022	सचिव वनास्थली विद्यापीठ वनास्थली, जिला-टांक (रा.)	32.99	1992
198.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सी.ए.जैड.आर.आई., जौधपुर-342003	निदेशक सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर-342003 (रा.)	91.48	1983
199.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. आर.आर.एस., काजरी, पाली-मारवाड़-306401	निदेशक काजरी, जोधपुर-342003 (रा.)	56.55	1992
200.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., विद्या भवन, बड़गांव, जिला-उदयपुर-313001	अध्यक्ष विद्या भवन, सोसायटी उदयपुर--313001 (रा.)	75.93	1983
201.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, जिला-चुरु-311401	रजिस्ट्रार गांधी विद्या मंदिर, सरदार शाहर, जिला-चुरू	65.22	1992
202.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., गायत्री संत पीठ, जिला-बाड़मेर-344001	सचिव ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु सोसायटी, बाड़मेर	36.32	1992

1	2	3	4	5
203.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., संगारिया, जिला-श्री गंगानगर	अध्यक्ष केशवानंद मेमोरियल ट्रस्ट, सांगरिया, श्री गंगानगर (रा.)	37.16	1989
सिक्किम				
204.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., उ.पू.प. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का कम्प्लैक्स, सारामसा रानीपुल, पूर्वी सिक्किम, सिक्किम-737135	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र भा.कृ.अ.प. परिसर उपराव रोड, बारापानी, मेघालय-793103	74.19	1982
तमिलनाडु				
205.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., धर्मपुरी	अध्यक्ष तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड टी. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-500012	31.26	1994
206.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., सलेम	कुलपति तमिलनाडु कृ.वि.वि. कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641003	28.75	1994
207.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., तेंकोसी, नेलई कट्टाबोमन-627852	चेयरमैन रतनावेल सुब्रमनयम कट्टाबोमन शिक्षा ट्रस्ट, डिडीगुल, तमिलनाडु	56.08	1994
208.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कांचीपुरम, वाया थेनी, मदुराई-626520	चेयरमैन संटर फार डे. एण्ड क्यू. ट्रस्ट, थेनी मदुराई, तमिलनाडु-626520	72.13	1994
209.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., अलीकुलम मुन्द्रादाईप, पो.आ. करियापट्टी, कामराजर-626102	चेयरमैन मेयर ट्रस्ट, मदुराई, तमिलनाडु	65.00	1995
210.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., थंजाबुर, आर.वी.एस., कम्पस, सुल्दुर-641402	अध्यक्ष भक्तवा स्मारक ट्रस्ट, 596. ए-1 और ए-2 टी.एन.एच.बी. कालोनी परियार नगर, कोराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600080	16.80	1995

1	2	3	4	5
211.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., जिला-चिदंबरनार	चेयरमैन स्काड, चेरनादेवी, जिला-तिनेलवेली-627415	23.00	1995
212.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. जिला-पी एम टी	कुलपति तमिलनाडु प.वि. एवं वि.वि.वि., मादवरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600051	8.85	1996
213.	प्रशिक्षण संयोजक के.वि.के., सिरुगमणी, त्रिची-639115	कुलपति तमिलनाडु कृ.वि.वि., कोयम्बटूर-641003	65.74	1977
214.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., क्षेत्र अनु. के. वृद्धाचलम-606001 जिला-उत्तर अरकाट	-वही-	70.80	1985
215.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के, कट्टपवकम-603203, चंगाई, जिला-एम जी आर	-वही-	75.23	1985
216.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., श्री अविनाशिलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्दपुरम	सचिव श्री अविनाशिलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्दपुरम, चेन्नई-641113	50.22	1979
217.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., यू.पी.ए.एस.आई., (उपासी) गलेन्वयू कुनूर, जिला-नीलगिरी-643101	सचिव यू.पी.ए.एस.आई. गलेन्वयू कुनूर-643101 नीलगिरी, जिला-तमिलनाडु	64.07	1983
218.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., गांधी ग्राम ग्राम्मीण संस्थान, गांधी ग्राम, जिला-आन्ना, डिंडिगल-624302	सचिव गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान जिला-आन्ना	120.14	1989
219.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., (मिराड़ा), सत्यमंगलम तालुक, पेरियार-638461	कार्यकारी निदेशक मिराडा न. 2, डोम्लूर लेआऊट बंगलौर-560071	49.18	1991

1	2	3	4	5
220.	प्रशिक्षण संयोजक वेदपुरी, कृषि विज्ञान केन्द्र किल्लेनल्ली गांव वेम्बक्कम ब्लाक चेय्यार तालुक, थिरुवन्नामलाई सामाबुवरयार जिला	अध्यक्ष तमिलनाडु ग्राम विकास मंडल नं. 13 क्रिसेंट पार्क, स्ट्रीट टी. नगर, मद्रास-500017	138.62	1991
त्रिपुरा				
221.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र के.उ.पू.म. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान काम्पलैक्स, बीरचन्द्र मनु मनपाधर-799144 (दक्षिणी त्रिपुरा)	निदेशक भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान काम्पलैक्स उमरोई रोड, बारापानी-793103 मेघालय	24.57	1994
222.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., दिव्योदया, उ.पू.प. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान कांपलैक्स, दिब्यानंदपल्ली, छेबड़ी-799207, खोवाई, उप मंडल, पं. त्रिपुरा	महासचिव श्री राम कृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर.एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001 (पश्चिम बंगाल)	97.09	1979
उत्तर प्रदेश				
223.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कानपुर रोड, दरोगा खेड़ा पी.ओ. अनरावन, लखनऊ	चेयरमैन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कानपुर रोड, दरोगा खेड़ा, पी.ओ. अनरावन, लखनऊ (उ.प्र.)	48.60	1994
224.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बचत भवन, कलक्टरेट कम्पाउण्ड शाहजहांपुर	कुलपति गो.ब.प. कृषि एवं प्रौ. वि.वि., पंतनगर (उ.प्र.)	58.09	1994
225.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.ओ. गुलचोर (लोहाघाट) पिथौरागढ़-262524	गो.ब.पं. कृषि एवं प्रौ. वि.वि. पंतनगर (उ.प्र.)	58.19	1994

1	2	3	4	5
226.	प्रशिक्षण संस्थान कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालपुर, मुजफ्फरनगर	अध्यक्ष स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)	51.40	1994
227.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र बाराबंकी	सचिव भारत ग्रामीण विकास संस्था बाराबंकी (उ.प्र.)	-	1996
228.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र फसल अनुसंधान केन्द्र, बहराइच	कुलपति नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ. वि.वि. कुमारगंज, फैजाबाद (उ.प्र.)	71.14	1983
229.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बलिया पो.ओ. सेहोन, बलिया-227504	-वही-	55.00	1984
230.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.ए.यू. डाकघर हल्दापुर, जिला-मऊ-221705	-वही-	72.49	1989
231.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र एस.-4/50ए, महावीर रोड अर्दली बाजार, वाराणसी-221001	-वही-	29.41	1989
232.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्ती बंजारा फार्म, पो.ओ. कात्या जिला बस्ती-272302	-वही-	91.92	1989
233.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र भरारी, पो.ओ. भोजला झांसी-284001	कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. वि.वि. कानपुर-208002 (उ.प्र.)	57.35	1983

1	2	3	4	5
234.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र डेरी फार्म, पशुचिकित्सा केन्द्र मथुरा-281001	कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. वि.वि. कानपुर-208002 (उ.प्र.)	83.67	1984
235.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दरियापुर फार्म पी.ओ. मुंशीगंज, जिला-रायबरेली-229405	-वही-	58.70	1984
236.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र थैरों फार्म, फतेहपुर इलाहाबाद, जी.टी. रोड़ जिला-फतेहपुर	-वही-	65.63	1989
237.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सेंट्रल डेरी फार्म जिला-अलीगढ़	-वही-	48.31	1992
238.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र रानीचौरी, जिला-टिहरी गढ़वाल	कुलपति जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौ. वि.वि. पंतनगर-263145 (उ.प्र.)	69.95	1983
239.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धान अनुसंधान केन्द्र नगीना जिला-बिजनौर-247762	-वही-	70.99	1992
240.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र चन्द्रनगर सहारनपुर-247001	-वही-	19.62	1992
241.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र बदायूं, जिला-बदायूं-243601	-वही-	78.17	

1	2	3	4	5
242.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र 243, विकास भवन न्यू कलेक्टरेट, राजनगर, गाजियाबाद-201001	कुलपति गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौ. वि.वि. कानपुर	41.50	1992
243.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय पशु चिकित्सा अनु. संस्थान इज्जतनगर-243122	निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	71.41	1985
244.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कमला नेहरू स्मारक राष्ट्र सुलतानपुर-228118	सचिव कमला नेहरू स्मारक राष्ट्र सुलतानपुर-228001	86.75	1976
245.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., एटा-टंडूला रोड	प्राचार्य राजाबलवंत सिंह कालेज, बिचपुरी	130.98	1982
246.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. बरकाछा मिर्जापुर	प्राचार्य बनारस हिन्दू वि.वि. वाराणसी	27.76	1984
247.	कार्याधिकारी कृ.वि.के., गोपालग्राम-दीनदयाल अनु. सं., पी.ओ. खुर्ग चांदपुरगांधी पार्क, जिला-गोडा-271001	अध्यक्ष दीनदयाल अनु. सं., 7-ई स्वामी रामतीर्थ नगर, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-5	92.60	1989
248.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. गानीवन, जिला-बांदा	-वही-	93.42	1992
249.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., इलाहाबाद, कृषि संस्थान जिला इलाहाबाद-211007	निदेशक इलाहाबाद कृ. संस्थान इलाहाबाद	71.56	1992
250.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., गां. सोहना जिला-सिद्धार्थ नगर	अध्यक्ष लिओण्ड तेल क्षेत्र विकास सो. ग्राम-पोस्ट-सोहना, सिद्धार्थ नगर	76.22	1992

1	2	3	4	5
251.	प्रशिक्षण संयोजक स्वामी कल्याण देव कृ.वि.के. हस्तिनापुर, जिला-मेरठ-250404	अध्यक्ष गांधी पोलिटेकनिक हस्तिनापुर, मेरठ	101.53	1992
252.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. रामपुर-244901	कुलपति गो.ब.पंत कृ. एवं प्रौ. वि.वि. पंतनगर, जिला-नैनीताल-263145	91.52	1992
253.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., दुर्गापुर बर्दवान-713212	चेयरमैन हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	32.60	1994
254.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. श्री निकेतन, वीरभूम 731236	कुलपति विश्वभारती शांति निकेतन बोलपुर (प. बंगाल)	35.49	1994
255.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. खारा जल मछली प्रयोगिक फार्म, पी.ओ. काकदीप-743347 जिला-साउथ 24 परगना	निदेशक केन्द्रीय प्रायद्वीप मत्स्य प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान बैरकपुर-743101	79.86	1979
256.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. श्री रामकृष्ण आश्रम पोस्ट-नीमपीठ आश्रम उत्तरी 24 परगना-743338	अध्यक्ष श्री रामकृष्ण आश्रम जिला-24 परगना (सुन्दरबन)-743338	114.09	1979
257.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कापगरी जिला-मिदनापुर-721506	अध्यक्ष सेवा भारतीय कापगरी जिला मिदनापुर-721505	86.04	1976
258.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., रमेसाई जिला-जलपाईगुड़ी	महासचिव श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र 23, आर.एन. मुखर्जी रोड कलकत्ता-700001	–	1983
259.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के. सोनामुखी जिला-बांकुरा-722207	कार्यकारी कुलपति पश्चिमी बंगाल समेकित क्षेत्रीय विकाय निगम, 6-ए, राजा सुबोध मलिक चौक, कलकत्ता	63.35	1983

1	2	3	4	5
260.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., विवेकानन्दनगर जिला-पुरुलिया-723147	अध्यक्ष कल्याण, पी.ओ. विवेकानन्दनगर जिला-पुरुलिया	107.57	1992
261.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., कालिमपोंग, जिला-दार्जीलिंग	कुलपति विधानचन्द्र कृ. विश्वविद्यालय हरनघट्टा, जिला-मोहनपुर	75.54	1992
			16230.11	
			82.18	

विवरण II

आठवीं योजना के दौरान अनुमोदित नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य		जिला	संस्थान का नाम	स्वीकृति का वर्ष
1	2		3	4	5
क्षेत्र-I					
1.	हिमाचल प्रदेश	1.	उन्ना	हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पालम-पुर	1993
		2.	मंडी	हि.प्र.कृ.वि.वि., पालमपुर	1993
		3.	कांगड़ा	फाऊंडेशन फोर ओरगेनाइजेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन, नई दिल्ली	1993
		4.	किन्नौर	वाईएसपीयूएच एंड एफ, सोलन	1995
		5.	शिमला	-वही-	1995
2.	जम्मू एवं कश्मीर	1.	लेह	कृषि और प्रौद्योगिकी का एस.के. विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1993
		2.	कठुआ	शिव ग्रामोद्योग मंडल	1993
3.	पंजाब	1.	संगरूर	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	1993
		2.	फरीदकोट	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	1994
		3.	जालंधर	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	1994
4.	हरियाणा	1.	पानीपत	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	1993
		2.	अम्बाला	सोसायटी फोर क्रिएशन ऑफ हैवन आन अर्थ, गुड़गांव	1993

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	1. दिल्ली	एन.ए.एफ.ई.डी./एन.एच.आर.डी. एफ, नई दिल्ली	1995
क्षेत्र-II				
1.	पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कोर. लि.	1994
		2. बीरभूम	विश्व भारती शांती निकेतन, बोलेपुर	1994
2.	बिहार	1. आरा, भोजपुर	एस सी ए डी ए	1994
		2. धनबाद	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन, सिन्दरी	1994
		3. जामुई	खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, जामुई	1994
		4. मधुबनी	एस.के. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, मधुबनी	1994
		5. दरभंगा	राजेन्द्र कृषि वि.वि., पूसा समस्तीपुर	1996
		6. शेखपुरा	–वही–	1996
		7. मुजफ्फरपुर	–वही–	1997
		8. वैशाली	–वही–	1997
क्षेत्र-III				
1.	असम	1. गोलाघाट	असम कृषि विश्वविद्यालय	1994
		2. कचार	असम कृषि वि.वि., जोरहट	1994
		3. तिनसुकिया	–वही–	1996
2.	मिजोरम	1. लंगलेट	मिजोरम सरकार	1994
क्षेत्र–IV				
1.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	राष्ट्रीय कृषि संस्थान, लखनऊ	1994
		2. शाहजहांपुर	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर	1994

1	2		3	4	5
		3.	पिथौरागढ़	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	1994
		4.	मुजफ्फरपुर	पंतनगर स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट	1994
		5.	बाराबंकी	भारत ग्रामीण विकास संस्थान	1996
क्षेत्र–V					
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	विशाखापटनम	भाग्य तुला चेरिटेबल ट्रस्ट, येल्लामानचिली, विशाखापटनम	1995
		2.	पश्चिम गोदावरी	ए.पी.ए.यू., हैदराबाद	1995
2.	महाराष्ट्र	1.	नासिक	यशवंतराव चवन महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	1994
		2.	परभनी	जीवन ज्योती चेरिटेबल ट्रस्ट, परभनी	1994
		3.	कोल्हापुर	डी.वाई. पाटिल एजुकेशन सोसायटी, तलाशंडे, कोल्हापुर	1994
		4.	बुल्दाना	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी	1994
		5.	नागपुर	केन्द्रीय कपास अनु. संस्थान, नागपुर	1994
		6.	अमरावती	शोरन साधना ट्रस्ट, अमारवती	1995
		7.	अमरावती	श्रम सफल्या फाऊंडेशन, अमरावती	1995
		8.	नान्देड़	जवाहर लाल नेहरू शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, नान्देड़	1994
		9.	सोलापुर	शाबरी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर	1994
		10.	अकोला	एस.यू.वी.आई.डी.ई. फाऊंडेशन आर.आई.एस.ओ.डी., अकोला	1994
		11.	सिंधुदुर्ग	पोयप फालोतपादन सहकार समिति	1995
क्षेत्र–VI					
1.	गुजरात	1.	भैराउच	भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	1994
		2.	वडोदरा	मंगलभारती, वडोदरा	1994
2.	राजस्थान	1.	राजसामंद	राजस्थान कृषि वि.वि., बीकानेर	1994
		2.	बरन	–वही–	1994
		3.	दौसा	–वही–	1994

1	2		3	4	5
क्षेत्र–VII					
1.	मध्य प्रदेश	1.	सियोनी	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	1994
		2.	टिकमगढ़	जवाहर लाल नेहरू कृषि वि.वि.	1994
		3.	खंडवा	–वही–	1994
		4.	राजगढ़	जे.एन. के.वी.वी., जबलपुर	1994
		5.	सोरगुजा	इंदिरा गांधी कृषि वि.वि.	1994
		6.	गुना	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	1994
		7.	रतलाम	कालूखेड़ा शिक्षक समिति	1994
2.	उड़ीसा	1.	धेनकनाल	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	1994
		2.	केन्द्रपाड़ा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1994
		3.	अंगुल	केन्द्रीय चावल अनु. संस्थान, कटक	1994
क्षेत्र–VIII					
1.	कर्नाटक	1.	मैसूर	जे.एस.एस. रूरल डैवलपमेंट फाऊंडेशन, मैसूर	1994
		2.	कोलार	कर्नाटक वेलफेयर सोसायटी, चिकबलपुर	1994
		3.	बेल्लारी	कृषि विज्ञान वि.वि., धारवाड़	1994
		4.	बेलगांव	बेलगांव इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमैंट सोसायटी, बेलगांव	1994
		5.	रायचूर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994
2.	केरल	1.	पेथेमनामथिटा	क्रिश्चियन एजेन्सी फोर रूरल डेवलपमैंट, थिरूवल्ला	1994
		2.	क्वीलोन	केरल कृषि विश्वविद्यालय	1994
		3.	इदुक्की	बापूजी सेवक समाज चाकूपल्लम, इदुक्की	1994

1	2		3	4	5
3.	लक्षद्वीप	1.	मिनीकोय	सी.एम.एफ.आर.आई. क्षेत्रीय केन्द्र, लक्षद्वीप	1996
4.	तमिलनाडु	1.	धरमपुरी	तमिलनाडु बोर्ज ऑफ रूरल डेवलपमैंट	1994
		2.	सालेम	तमिलनाडु कृषि वि.वि., कोयम्बटूर	1994
		3.	नेल्लाई कट्टाबोमान	रत्नावल सुब्रामणियम एजुकेशनल ट्रस्ट, दिन्दीगुल	1994
		4.	मदुरै	सैंटर फोर डवलपमैंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेनी	1994
		5.	कमराजार	मेयर्स ट्रस्ट, मदुरै	
		6.	तनजावुर	भक्तवा ट्रस्ट, मद्रास	1995
		7.	चिदम्बरनार	एस सी ए डी, चेरानेदेवी, तिरुनेसवेल्ली	1995
		8.	पी.एम.टी.	तमिलनाडु पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	1996
4.	पांडिचेरी	1.	करायकल	पांडिचेरी सरकार	1994

देश में विदेशी राष्ट्रिक

***300. श्री आर. साम्बासिवा रावः**
श्री कृष्ण लाल शर्मा

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लगभग दो मिलियन विदेशी राष्ट्रिक अवैध रूप से रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश बंगलादेश से हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को उनके राज्य में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास उन सभी विदेशी राष्ट्रिकों की सूची है जो अपनी विस्तरण अवधि के बाद भी भारत में रहे हैं;

(घ) क्या उनको प्रत्यर्पित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या इस मुद्दे को सुलझाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा करने हेतु केन्द्र और संबंधित राज्यों के बीच बैठकें आयोजित की जा रही हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ङ) चूंकि देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को पहचानने, उनका पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए शक्तियां विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सौंपी गई हैं, अतः इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार को बंगलादेशियों समेत उन विदेशी नागरिकों से उत्पन्न समस्या की जानकारी है, जो भारत में पड़ौसी देशों से चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को, समय-समय पर अनुदेश जारी किये गए हैं कि वे अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें स्वदेश भेजने के अपने प्रयासों को तेज करें। इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ समन्वय बैठकें भी नियमित रूप से की जा रही हैं।

वातित जल

3110. श्री प्रताप सिंह सैनी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका, मैक्सिको, आईसलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, फिलीपीन्स, पाकिस्तान, चीन तथा भारत में वातित जल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा वातित जल उद्योग का विकास करने तथा भारत में वातित जल की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठायें जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) विभिन्न देशों में वातित जल की प्रति व्यक्ति खपत पर कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वातित जल उद्योग का विकास करने और वातित जल की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने हेतु कोई विशेष राजकोपीय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नागालैंड, असम और त्रिपुरा में कुकी जनजातियां

3111. श्री सुशील चंद्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुकी आदिवासी परिवार न केवल मणिपुर में रहते हैं बल्कि वे आसपास के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं;

(ख) क्या म्यांमार में कुकी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है; और

(ग) नागालैंड, असम और त्रिपुरा में कुकी जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अन्य देशों में विभिन्न समुदायों की जनसंख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) नागालैंड में जबकि कुकी जनजाति समुदाय ही अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है, असम में 37 जनजातियां तथा त्रिपुरा में 17 जनजातियां व्यापक नाम "कुकी" में आती हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी सुविधाएं

3112. श्री येल्लैया नंदी:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत की **'फूड चेन'** की अकुशलता के संबंध में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) मकिन्से एंड कंपनी के परामर्श से हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय उद्योग परिसंघ ने उल्लेख किया है कि भारतीय खाद्य शृंखला में कृषि से लेकर वितरण तक अकुशलता व्याप्त है। अभिज्ञात मुख्य मुद्दे बहुत से माध्यमों के कारण उच्च लागत, नुकसान की समस्या और मूल्य हानि तथा कम उत्पादन है। सरकार खाद्य उत्पादन के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। नुकसान और मूल्य हानि को कम करने के लिए भंडारण, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही बेहतर प्रौद्योगिकियों तथा विस्तार के जरिये उत्पादन में सुधार करने के लिए कृषि अनुसंधान का विकास किया जा रहा है। लाइसेंस समाप्त करके तथा वित्तीय रियायत देकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जा रहा है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए विपणन अवसंरचना के सुधार में मूल्य समर्थन तंत्र तथा निवेश के जरिये उचित ढंग से विपणन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट

3113. श्री आर.बी. राई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का मुखिया दार्जिलिंग की दावा छोड़ दी गई भूमि और कलिम्पोंग द्वार्स की पट्टा भूमि पर भारत की सम्प्रभुता को नकारता रहा है और केन्द्र सरकार से इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के समुचित संवैधानिक कदम उठाने की वकालत करता रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यह मुद्दा लोगों के दिलों-दिमाग पर छाया रहता है और स्वतंत्र गोरखा राज्य का हौवा खड़ा करता है; और

(ग) यदि हां, तो भ्रम की इस स्थिति को दूर करने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) श्री सुभाष घीसिंग, गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट के अध्यक्ष के रूप में समय-समय पर पृथक गोरखालैंड राज्य का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने संसदीय विधान के माध्यम से कलिंमपोंग, असम द्वार्स तथा बंगाल द्वार्स सहित दार्जिलिंग के क्षेत्रों को औपचारिक रूप से भारत संघ में सम्मिलित करने के संबंध में भारत सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए, उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

भारतीय पशु चिकित्सा तथा मत्स्य अनुसंधान परिषद

3114. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पशु चिकित्सा तथा मत्स्य अनुसंधान परिषद के गठन का प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डा. असीम बाला, लोक सभा सदस्य तथा 100 अन्य संसद सदस्यों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तर्ज पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद का सृजन किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य मंत्री से भी इसी तरह का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

हल्दिया पेट्रोरसायन लिमिटेड

3115. श्री पी.आर. दासमुंशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के लिए हल्दिया पेट्रोरसायन डाउनस्ट्रीम उद्योग परियोजना की रूपरेखा कब तैयार की गई थी;

(ख) उक्त परियोजना की प्रारम्भिक परियोजना लागत कितनी है;

(ग) राज्य सरकार के साथ कौन-कौन सी गैर-सरकारी/बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस परियोजना में किन-किन वर्षों में शामिल हुई और उनकी इक्विटी भागीदारी कितनी-कितनी है; और

(घ) इस परियोजना की अद्यतन स्थिति हल्दिया पेट्रोरसायन कम्पलैक्स की लागत और पी.एफ.आई. राज्य सरकार और प्रवर्तक के अंशदान का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भूकम्प का खतरा

3116. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भूकम्प का खतरा बढ़ रहा है;

(ख) भूकम्प के खतरे की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भूकम्प की घटनाओं की प्रवृत्ति यादृच्छिक है तथा देश के विभिन्न भागों में भूकम्प की घटनाओं में किसी कमी या वृद्धि के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) स्थान, समय तथा तीव्रता के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर तथा तर्कसंगत यथार्थता के साथ भूकम्प के विषय में पूर्व-कथन करना अब तक संभव नहीं हो सका है। भूकम्प की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई प्रमाणित प्रक्रिया भी नहीं है। सरकार सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से तथा भूकम्प-रोधी निर्माण पद्धतियों को लोकप्रिय बनाकर क्षति तथा विध्वंस की सीमा को कम करने का प्रयास कर रही है।

पशु चिकित्सालय

3117. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशु चिकित्सालय और ब्रीडिंग सेंटर्स खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और एक गांव के लिए कितने पशु निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में पशु चिकित्सालयों और ब्रीडिंग सेंटर्स का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पशु चिकित्सालय और ब्रीडिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में पशु चिकित्सालयों और ब्रीडिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) राज्य तथा संघ शासित सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निगमित क्षेत्र को अनुमति

3118. श्री सनत कुमार मंडलः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1997 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में 'कारपोरेट एग्रीकल्चर कम्स टू टाऊन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) कौन-कौन सी इच्छुक कम्पनियां इन योजनाओं पर कार्य कर रही हैं;

(घ) विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं का अनुमानतः कितना वित्तपोषण किया जाएगा; और

(ङ) कृषि उत्पादन के संबंध में इन परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस विषय पर कृषि मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

दृष्टिहीनों का कल्याण

***3119. श्री टी. गोविन्दनः** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की* कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन सभी संस्थानों को पर्याप्त अनुदान प्रदान किया है जिन्होंने वर्ष 1996-97 के दौरान दृष्टिहीनों के कल्याण हेतु अनुदान के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और इससे राज्यवार कितने संस्थान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) केन्द्र सरकार ने वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उन गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया है जिनके प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल दृष्टि से अनुशासित किए गए तथा जो उन संगठनों में ठीक पाए गए जो इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	कुल अनुदान (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	17.64
2.	केरल	1	16.41
3.	दिल्ली	9	65.65
4.	बिहार	3	14.70
5.	हरियाणा	1	4.68
6.	पंजाब	1	3.28

1	2	3	4
7.	कर्नाटक	8	42.15
8.	महाराष्ट्र	4	16.10
9.	मेघालय	1	3.69
10.	तमिलनाडु	6	32.43
11.	उत्तर प्रदेश	7	32.55
12.	पश्चिम बंगाल	4	20.46
13.	गुजरात	3	14.10

हाथियों का दर्जा घटाना

3120. श्री उद्धव बर्मन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफ्रीकन हाथियों को हाल ही में अनुसूची "क" से अनुसूची "ख" में रखे जाने के क्या परिणाम सामने आये हैं; और

(ख) भारतीय हाथियों का दर्जा कम होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) अफ्रीकी हाथी भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तथापि, यह वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) जिसका कि भारत एक पक्षकार देश है, के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है। अफ्रीकी हाथी रेंज वाले तीन देशों नामत: बोसवाना, नामीबिया तथा जिम्बाब्वे के अनुरोध पर, जिन्हें हरारे में जून, 1997 को हुए साइट्स के पक्षकार देशों के दसवें सम्मेलन में दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन प्राप्त हुआ, इन देशों में अफ्रीकी हाथी की आबादी को 18 महीने के विलम्बन काल के साथ साइट्स की परिशिष्ट-I से नीचे लाकर परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध करने की मंजूरी मिली है। साइट्स की स्थायी समिति के इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध करने की शर्तें पूरी कर ली गई हैं, यह तीनों देश केवल जापान के साथ अफ्रीकी हाथियों और हाथी उत्पादों का व्यापार कर सकते हैं।

(ख) हाथी दांत के चोरी-छिपे शिकार करने वाले तथा तस्करों के संभावित बढ़ती गतिविधियों से भारतीय हाथी को बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने हाथी रेंज वाले राज्यों की राज्य सरकारों को सचेत किया है।

संकर चावल विकास अनुसंधान

3121. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काफी लम्बे समय से संकर चावल के विकास पर अनुसंधान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका उत्पादन किन-किन क्षेत्रों में किया जाता है और इन क्षेत्रों में चावल के उत्पादन बढ़ाने पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चावल की संकर किस्में विकसित करने पर कार्य कर रहा है।

(ख) संस्थान ने बासमती चावल की चार और गैर-बासमती चावल की सात संकर किस्में विकसित की हैं जिनका राष्ट्रीय परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षण किया जा रहा है। 2-3 साल और परीक्षण के बाद इनमें से कुछ संकर किस्में आम कृषि के लिए जारी की जा सकती हैं।

(ग) महोदय प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस द्वारा झूठे मामले बनाया जाना

3122. श्री सौम्य रंजन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में "कॉप्स सन्टेन्स्ड फार फ्रेमिंग बिजनेस मैन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में प्रकाशित मामले संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज करने संबंधी कितने मामलों में सतर्कता जांच कार्य लंबित हैं; और

(घ) कनाट प्लेस गोली कांड के नाम से बदनाम मामले में दर्ज किए गए झूठे मामले की अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि एक दुकानदार के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने में संलिप्त पाए गए 4 कार्मिकों को, उनके खिलाफ बैठाई गई विभागीय जांच के अंत में, उनकी अनुमोदित सेवा में से दो वर्ष की सेवा जब्त कर लिये जाने का दण्ड दिया गया था। संबंधित दुकानदार ने महानगरीय दण्डाधिकारी की अदालत में एक मामला अलग से दायर किया था परन्तु दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्हें, अदालत द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 5.8.97 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा झूठे मामले दर्ज किये जाने के आरोपों में सतर्कता जांच के 17 मामले लंबित हैं।

(घ) मामले में संलिप्त 10 पुलिस कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन के आधार पर दी गई है।

सीमा सुरक्षा बल के शहीद कार्मिकों के परिवारजनों का कल्याण

3123. श्री एन.जे. राठवा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के लिए शहीद हुए अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता तथा आवासीय सुविधाएं दिये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्द्धसैनिक बलों के मारे गए कार्मिकों के परिवारों के कल्याणार्थ क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के मृतक कार्मिकों के परिवारों को भारत सरकार द्वारा 2 लाख रु. का अनुग्रहपूर्वक अनुदान, उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जीवन बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकार्य अन्य लाभ दिये जाते हैं। जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, पंजाब इत्यादि जैसे राज्य भी अनुग्रहपूर्वक अनुदान देते हैं। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भी इसके द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न कल्याण योजनाओं से मुआवजा देते हैं। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी/मूल आवास रखने की अनुमति दी जाती है। सीमा सुरक्षा बल ने कल्याण कार्यों की निधि में से सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की विधवाओं के लिए विधवा आवास के रूप में 111 क्वार्टर निर्मित किए हैं।

असम में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3124. श्री द्वारका नाथ दास: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में भारतीय खाद्य निगम एककों के साथ-साथ छोटे गोदाम स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय प्राधिकरण असम के साथ जैसी सहमति हुई थी, भारतीय खाद्य निगम के दो गोदाम—एक करीमगंज जिले में और एक हैलाकनोली जिले में स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) निधि की कमी और आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को प्रत्येक राजस्व जिले के मुख्यालय में स्थापित करना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) जिला करीमगंज (असम) में बदरपुरघाट स्थित भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम की क्षमता 5000 टन है। जो कि करीमगंज जिले की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हेलाकनोली (हेलाकंडी) जिले में भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1,000 टन की किराए की क्षमता है।

रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र

3125. श्री जी.ए. चरण रेड्डी:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामागुंडम स्थित सबसे बड़ा कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो ने अत्यधिक घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के अन्य

उपक्रमों के साथ-साथ रामागुंडम उर्वरक संयंत्र को भी बन्द करने की केन्द्र सरकार से सिफारिश की थी;

(ग) क्या रामागुंडम उर्वरक संयंत्र को कोयला और विद्युत की कमी के कारण गत एक दशक में 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने संयंत्र की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रामागुंडम उर्वरक संयंत्र को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) रामागुण्डम स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक एकक फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. एफ सी आई के स्वामित्व में है जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड बी आई एफ आर ने नवम्बर, 1992 में रुग्ण कम्पनी घोपित कर दिया था। बी आई एफ आर ने एफ सी आई, रामागुण्डम को बन्द करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) उपस्कर समस्याओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बाधाओं के कारण निम्न क्षमता उपयोग होने से 1.4.87 से 31.3.97 की अवधि के दौरान एफ सी आई रामागुण्डम को 699.37 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।

(घ) से (च) एफ सी आई के रामागुण्डम एकक के पुनरुद्धार के विकल्पों की वित्तीय संस्थानों की दृष्टि से एफ सी आई के पुनरुद्धार पैकेज को फिर से तैयार करने के लिए नियुक्त विशेपज्ञ दल द्वारा की गई हाल ही की तकनीकी अध्ययन के दौरान जांच पड़ताल की गई। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि रामागुण्डम एकक के पुनरुद्धार जिसमें फीडस्टाक के रूप में कोयला की जगह नेफथा का प्रयोग किया जाएगा, में विभिन्न वित्तीय राहतों और रियायतों के अलावा, 953 करोड़ रुपये के नये निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। एफ सी आई की क्रियाशील इकाइयों के पुनरुद्धार क्षेत्र को व्यवहार्यता पर विचार करने तथा वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् निर्धारित किया जाना है।

रेलवे स्टेशनों का पुनर्नामकरण

3126. श्री अमर राय प्रधान: क्या गृह मंत्री दिनांक 30.7.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों के पुनर्नामकरण के लिए पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्ताव इस विषय के संबंध में वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1953 में निर्धारित दिशानिर्देशों में अनेक व्याप्त सिद्धांत निहित हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गांवों, कस्बों, शहरों इत्यादि के नाम परिवर्तन के प्रश्न की जांच करते समय ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उल्लेख करते हैं कि जब तक कि इसके लिए कोई अति विशेष कारण न हो, तब तक उस नाम जिसकी लोगों को आदत हो चुकी है, को बदलना वांछनीय नहीं है, और यह कि परिवर्तन, स्थानीय देशभक्ति के आधार पर या भाषायी कारणों या केवल स्थानीय भावनाओं की संतुष्टि हेतु, नहीं किया जाना चाहिए। ये दिशानिर्देश रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तन के लिए भी लागू हैं।

पुलिसकर्मियों द्वारा तस्करी

3127. श्री राम सागर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, 19 जुलाई, 1997 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "कस्टम्स क्वश्चन्स टू पोलिसमेन फार स्मर्गालिंग फोरेक्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पुलिस के दो कर्मियों से 28 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की तस्करी में शामिल होने की आशंका के कारण पूछताछ की है तथा संबद्ध अधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि आगे से कोई भी पुलिसकर्मी टर्मिनल बिल्डिंग में ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य समय में प्रवेश न कर सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस के तीन कार्मिकों से पूछताछ की थी और उनमें से एक को बाद में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के अधीन गिरफ्तार किया गया था। संबंधित पुलिसकर्मी तभी से निलंबित हैं और अन्य दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रारंभिक पूछताछ के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

(घ) पहुंच नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को केवल उन्हें प्रविष्ट करने देने के लिए कहा गया है जो ड्यूटी पर हों। अन्य मामलों में प्रवेश केवल वरिष्ठ अधिकारियों से आज्ञा मिलने के बाद और इस उद्देश्य के लिए विशेषतौर से रखे गए रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि करने के बाद ही करने दिया जाता है।

स्वतंत्रता संग्राम

3128. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने राज्य में अन्य संग्रामों की स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषणा करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केरल सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन, 1980 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित छः आन्दोलनों को मान्यता देने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा है:

(1) पुन्नपरा-वयलूर आन्दोलन

(2) कय्यूर आन्दोलन

(3) करिवेल्लोर आन्दोलन

(4) कवूम्बाई आन्दोलन

(5) मोरझा आन्दोलन

(6) मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल (एम.एस.पी. हड़ताल)

(ग) यह मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

नशे के आदी ड्राइवर

3129. श्री छीतूभाई गामीत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहर में बहुत बड़ी संख्या में ट्रक और बस ड्राइवरों तथा तिपहिया चालकों को नशे का आदी पाया गया है;

(ख) क्या राजधानी में उच्च दुर्घटना दर का यह भी एक मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को निर्देश जारी करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) यह सच है कि बड़े शहरों में ट्रक, बस और तिपहिया वाहनों के चालक नशे का व्यसन करने वाले पाए गए हैं तथा चालकों द्वारा नशे का व्यसनी होना, दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, नशीले पदार्थों की आपूर्ति और इनकी मांग को कम करने के भरसक प्रयास कर रही है। नशीली दवाओं के बेचने, उनको बढ़ावा देने तथा उनका धंधा करने संबंधी मामलों से निपटने के लिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 लागू किया गया है। इसकी मांग कम करने की दिशा में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत चालकों सहित नशे के आदी व्यक्तियों से नशे की लत छुड़वाने, उनका इलाज करने और उन्हें पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में नशा-मुक्ति केन्द्र, परामर्श और अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। नशे की लत की बुराइयों के प्रति जनता में जागृति फैलाने वाले कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न मीडिया माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले

3130. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1997 में और आज तक भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क307/34 के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त मामलों में से कितने मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से हटाकर धारा 302 के अंतर्गत लाया गया;

(ग) क्या इन मामलों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(घ) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गवाहों तथा मृत व्यक्तियों के माता-पिताओं व अन्य संबंधियों को अपने मामले/बयान वापस लेने के लिए अपराधियों द्वारा इन्हें डराने/धमकाने, हमला करने, झूठी शिकायतें दर्ज कराने और प्रताड़ित किये जाने की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (च) चालू वर्ष (31.3.1997) के दौरान दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क/307/34 के अंतर्गत 27 मामले दर्ज किए और इनमें से 6 मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की जख्मी होने के कारण मृत्यु हो जाने के उपरांत धारा 307 को बदलकर 302 में परिवर्तित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि ऐसे सभी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की गई है और उन्हें इस संबंध में न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न ही अभियुक्तों द्वारा डराने-धमकाने इत्यादि का ही दृष्टांत उनके ध्यान में लाया गया है।

[अनुवाद]

गेहूं की पिसाई

3131. श्री आई.डी. स्वामी: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जून, 1996 से अप्रैल, 1997 तक सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और ऐसे ही दूसरे संस्थाओं को गेहूँ की कुल कितनी मात्रा आटा पीसने और 10 किलोग्राम के बैग की 64 रु. की दर से बेचने के लिए दी गई;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान माहवार 64 रु. की दर से 10 किलोग्राम के कितने बैगों की बिक्री की गई;

(ग) गेहूं की पूरी मात्रा को आटे में परिवर्तित न करने का क्या कारण है;

(घ) क्या उक्त संस्थाओं को दिल्ली से बाहर से गेहूँ की पिसाई करानी पड़ी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली से बाहर पिसाई के लिए भेजा गया गेहूँ अब तक पिस कर नहीं आया है;

(छ) यदि हां, तो उस गेहूं के पिसकर न आने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या केन्द्रीय सहकारी पंजीयक ने गेहूँ घोटाले का पता लगाया है;

(झ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जून, 1996 से अप्रैल, 1997 के दौरान सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को गेहूँ की पिसाई करके आटे के रूप में बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए गेहूँ का आवंटन, उनके द्वारा किए गए गेहूँ के उठान और साथ ही उनके द्वारा बेचे गये आटे की मात्रा का माहवार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केवल सुपर बाजार, दिल्ली ने ही आटे की पिसाई के लिए दिल्ली से बाहर स्थित दो मिलों को 1199 मी. टन गेहूँ भेजा था। ये दो मिलें थी मेसर्स इटावा फ्लोर मिल्स, इटावा (उत्तर प्रदेश) और मेसर्स विरेन्द्र फ्लोर मिल्स, गोहाना (हरियाणा)। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली फ्लोर मिल्स गेहूं की पिसाई के लिए अधिक दरों की मांग कर रहा था। इन दोनों मिलों को आवंटित गेहूँ की मात्रा निम्नवत् थी:

इटावा फ्लोर मिल्स	–	1149 मी. टन
विरेन्द्र फ्लोर मिल्स	–	50 मी. टन
		1199 मी. टन

(च) और (छ) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा इटावा फ्लोर मिल्स को गेहूँ की जो आपूर्ति की गई थी वह किए गए अनुबंध के अनुसार वापस प्राप्त नहीं हुई। मिल ने केवल 70 मी. टन आटे की आपूर्ति की थी जिसे गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न होने के कारण सुपर बाजार प्रयोगशाला द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(ज) से (ञ) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से इस मामले में जांच करने के लिए कहा गया था। केन्द्रीय पंजीयक की जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है। चूंकि रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए अन्य विभागों से परामर्श किया जाना है, अतः सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

गेहूं की पिसाई करके आटे के रूप में बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये गेहूं के माह-वार आवंटन तथा सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सह. संघ द्वारा की गई बिक्री के ब्यौरे को दर्शानेवाला विवरण

(मात्रा मी. टन में)

माह	भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का आवंटन			किया गया उठान			बेचे गए आटे की मात्रा		
	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	रा.उ. सहकारी संघ	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	रा.उ. सहकारी संघ	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	रा.उ. सहकारी संघ
जून 96	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-	-	329.99	-
जुला. 96	200	शून्य	-	200	शून्य	-	180	311.45	-
अग. 96	1000	1000	-	1000	1000	-	900	421.30	-
सित. 96	500	400	-	500	400	-	450	625.54	-
अक्तू. 96	1000	1200	-	1000	1200	-	900	440.90	-
नव. 96	1000	2000	-	1000	1000	-	900	797.52	-
दिस. 96	5000	5000	3000	2950	5000	3000	2655	1991.76	102.94
जन. 97	5000	5000	3000	3320	5000	3000	2988	3697.60	1022.03
फर. 97	5000	5000	3000	2740	4571	3000	2972	6598.44	2810.83
मार्च 97	6000	9000	5950	4710	7100.89	4604	2092	9511.24	7008.06
अप्रैल 97	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-	606	797.62	653.21

टिप्पणी: 1. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के संबंध में गेहूं का आवंटन दिसम्बर, 96 से किया गया।

2. जून 96 और जुलाई 96 के दौरान केन्द्रीय भण्डार खुले बाजार से गेहूं खरीद करके आटे की बिक्री कर रहा था।

3. केन्द्रीय भण्डार की अप्रैल, 97 की सूचना 10.4.1997 तक की अवधि से संबंधित है।

[हिन्दी]

सीमा पार संरक्षण बोर्ड

3132. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर वन्य उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए वन्य जीवों के संरक्षणार्थ सीमा पार संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित बोर्ड को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जनवरी, 1997 में भारत और नेपाल के बीच जैव-विविधता के संरक्षण पर एक सीमापारीय परामर्शदात्री बैठक काठमाण्डु में आयोजित की गई। उक्त बैठक में, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा महामहिम नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सीमापारीय सुरक्षित क्षेत्रों के विषयों पर समन्वयात्मक कार्रवाई करने और इमारती लकड़ी, प्राणिजात और वनस्पतिजात तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया। की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने और प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी कार्रवाई में सुधार लाने के लिए परामर्शदात्री समिति का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा।

[अनुवाद]

बागवानी परियोजना

3133. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अविभाजित कोरापुट जिले की बागवानी परियोजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और गरीब वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा को कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार इस योजना को बन्द करने जा रही है और क्या इस व्यवहार्य योजना के लिए मुहैया कराई गई धनराशि का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान, उड़ीसा सरकार को 1,12,45,500 रुपये का अनुदान रिलीज किया गया था। चूंकि राज्य सरकार द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किया गया, अत: राशि को 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान पुन: वैधीकृत किया गया और आगे कोई राशि रिलीज नहीं की जा सकी।

(घ) और (ङ) उड़ीसा राज्य सरकार से रिलीज की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

अंडमान व निकोबार प्रशासन के अधिकारी

3134. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान व निकोबार प्रशासन के कितने कर्मचारियों को अपेक्षित कार्रवाई करने के आधार पर और बिना कोई आरोप-पत्र जारी किये बिना निलंबित किया गया है;

(ख) निलंबन के कुल कितने मामले बिना किसी अनुवर्ती कार्रवाई के रद्द कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंडमान व निकोबार प्रशासन को उस अधिकारी के वेतन में से जिसने उन सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया था, भरण-पोषण भत्ता आदि वसूल करके उन कर्मचारियों को अदा करने हेतु कोई आदेश जारी किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के 34 अधिकारी निलम्बित हैं तथा इनमें से किसी भी मामले में निलम्बन रद्द नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आर्यसमाजियों के लिए पेंशन

3135. डा. अरविन्द शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 1997 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "हकों से वंचित हैं चार स्वतंत्रता सेनानी परिवार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह रिपोर्ट किया गया था कि स्वतंत्रता सैनिक पेंशन की स्वीकृति हेतु हरियाणा के रोहतक जिले के चार स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने आर्य समाज आन्दोलन में हिस्सा लिया था, के दावों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मिजोरम के पायटी तथा पांग जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

3136. डा. सी. सिल्वेरा: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजोरम में पायटी तथा पांग जनजाति सहित अनुसूचित जनजाति आदेश, 1951 की अनुसूची-दो में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ौसी राज्य मणिपुर तथा त्रिपुरा में उक्त जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है; और

(घ) इन्हें मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पायटी समुदाय को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों (कुकी की उपजाति के रूप में) के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है लेकिन पांग समुदाय को इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान नहीं की गई है।

(घ) मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में पायटी तथा पांग समुदायों को शामिल करने हेतु दावों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के व्यापक संशोधन के संदर्भ में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार का दिल्ली सरकार को सौंपा जाना

3137. श्री लाल बिहारी तिवारी: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार दिल्ली सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1987 में गठित दिल्ली के पुनर्गठन संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि "सुपर बाजार के मुख्य शेयर धारक के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय किये जा रहे कार्यों को उचित उपायों द्वारा दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा दिया जाए"। सुपर बाजार को दिल्ली सरकार को सौंपने से संबंधित निर्णय लेने में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ परामर्श किया जाना शामिल है। इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

ताड़ी निकालने के व्यवसाय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों संबंधी कल्याण कार्य

3138. श्री धर्मभिक्षम: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताड़ी निकालने के व्यवसाय में रत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनके लिए कोई कल्याण योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ख) से (घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों के इस समूह के लिए अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाएं, इन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी। ताड़ी निकालने वालों के कल्याण के लिए आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश पारिश्रमिक सहकारार्थिक संक्षेम संस्था लि. (ए.पी.जी.पी.) के नाम से एक निगम की स्थापना की गई है। कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने (ए.पी.जी.पी.) के पक्ष में 20 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 1821 लाभार्थी शामिल हैं इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का शेयर 370.87 लाख रुपए का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने अब तक 247.72 लाख रुपए ए.पी.जी.पी. को वितरित किए हैं जिसमें 1276 लाभार्थी शामिल हैं। केरल राज्य में ताड़ी निकालने वालों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य कल्याण निधि बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की गई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी संस्थान

3139. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर में इस प्रकार के किसी संस्थान की स्थापना किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रदान किये गये अथवा किए जाने वाले अनुदान का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इण्टरमीडिएट कालेज स्तर को उन्नत बनाने के विचार से गुन्टूर जिले के बापटला स्थित राजकीय बधिर आवासीय विद्यालय को सहायता अनुदान दिया जाए जिससे रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए विकलांगों को तैयार किया जा सके। यह भी बताया गया है कि इस विद्यालय को जारी रखने तथा इसका उन्नयन करने तथा इसे केन्द्र सरकार को सौंपने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही सहायता अनुदान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, किसी सरकारी संस्था को सहायता अनुदान देने अथवा नियंत्रण में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करना सम्भव नहीं था।

पर्यावरण क्लब

3140. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण के लिए कुछ राज्यों में खोले गए पारिस्थितिकी/पर्यावरण क्लबों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) देश में ''पर्यावरण वाहिनी' के लिए चुने गए जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट संवर्गों का निर्धारण करने के लिए यदि कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये गये पारिस्थितिकी क्लबों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पारिस्थितिकी क्लबों की उपलब्धियों के लिए कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में स्कूली बच्चों को शिक्षित करने में ये पारिस्थितिकी क्लब काफी सफल रहे हैं।

(ग) देश में पर्यावरण वाहिनियों का गठन करने के लिए अब तक 195 जिलों का चयन किया गया है। उनका राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पर्यावरण विज्ञान के प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

विवरण I

पर्यावरण शिक्षा पर प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित पारि-क्लबों की सूची

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	222	86	185
2.	असम	26	31	26
3.	अरूणाचल प्रदेश	50	-	-
4.	बिहार	40	-	179
5.	गोवा	18	82	100
6.	हरियाणा	186	33	-
7.	जम्मू और कश्मीर	28	-	-
8.	कर्नाटक	31	50	73
9.	महाराष्ट्र	133	-	210
10.	मध्य प्रदेश	139	186	94
11.	मणिपुर	-	-	100
12.	उड़ीसा	148	-	175
13.	पंजाब	51	-	-
14.	राजस्थान	-	27	25
15.	तमिलनाडु	-	54	79
16.	उत्तर प्रदेश	204	80	257
17.	पश्चिम बंगाल	89	483	50
18.	दिल्ली	-	79	-
	कुल	1365	1191	1553

विवरण II

पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए चुने जिलों की राज्यवार सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. विशाखापट्टनम
2. कुर्नूल
3. खम्माम
4. कृष्णा—मुख्यालय : मछलीपट्टनम
5. करीमनगर
6. पूर्व गोदावरी—मुख्यालय : काकीनाडा
7. पश्चिम गोदावरी—मुख्यालय : एलुरु
8. महबूबनगर
9. मेढ़क
10. रंगारेड्डी
11. नलगोंडा

अरूणाचल प्रदेश

1. पूर्व सियांग
2. तिरप
3. दिबांग घाटी—मुख्यालय : एनीनी
4. पूर्व कामेंग—मुख्यालय : सेप्पा
5. लोहित—मुख्यालय : तेजू
6. लोअर सुबनसिरी—मुख्यालय : जाइरो
7. तवांग
8. तिरप—मुख्यालय : खोंसा
9. अपर सुबनसिरी—मुख्यालय : दपोरिजी
10. पश्चिमी कामेंग—मुख्यालय : बोमडिला
11. पश्चिम सियाम—मुख्यालय : एलोंग
12. पापुमपरे—मुख्यालय : ईटानगर

असम

1. डिब्रूगढ़
2. सिबसागर
3. कार्बी-एंगलोंग
4. सिल्चर

बिहार

1. धनबाद
2. रांची
3. सिंहभूम
4. हजारीबाग
5. रोहतास
6. गोड्डा
7. पश्चिम चंपारन

गोवा

1. दक्षिण गोवा—मुख्यालय : मारगांव
2. उत्तर गोवा—मुख्यालय : पणजी

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. वलसाड
3. वडोदरा
4. डांग्स
5. भड़ौच
6. सुराग
7. जूनागढ़

(ग) देश में पर्यावरण वाहिनियों का गठन करने के लिए अब तक 195 जिलों का चयन किया गया है। उनका राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पर्यावरण विज्ञान के प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

विवरण I

पर्यावरण शिक्षा पर प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित पारि-क्लबों की सूची

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	222	86	185
2.	असम	26	31	26
3.	अरूणाचल प्रदेश	50	-	-
4.	बिहार	40	-	179
5.	गोवा	18	82	100
6.	हरियाणा	186	33	-
7.	जम्मू और कश्मीर	28	-	-
8.	कर्नाटक	31	50	73
9.	महाराष्ट्र	133	-	210
10.	मध्य प्रदेश	139	186	94
11.	मणिपुर	-	-	100
12.	उड़ीसा	148	-	175
13.	पंजाब	51	-	-
14.	राजस्थान	-	27	25
15.	तमिलनाडु	-	54	79
16.	उत्तर प्रदेश	204	80	257
17.	पश्चिम बंगाल	89	483	50
18.	दिल्ली	-	79	-
	कुल	1365	1191	1553

विवरण II

पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए चुने जिलों की राज्यवार सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. विशाखापट्टनम
2. कुर्नूल
3. खम्माम
4. कृष्णा—मुख्यालय : मछलीपट्टनम
5. करीमनगर
6. पूर्व गोदावरी—मुख्यालय : काकीनाडा
7. पश्चिम गोदावरी—मुख्यालय : एलुरु
8. महबूबनगर
9. मेढ़क
10. रंगारेड्डी
11. नलगोंडा

अरूणाचल प्रदेश

1. पूर्व सियांग
2. तिरप
3. दिबांग घाटी—मुख्यालय : एनीनी
4. पूर्व कामेंग—मुख्यालय : सेप्पा
5. लोहित—मुख्यालय : तेजू
6. लोअर सुबनसिरी—मुख्यालय : जाइरो
7. तवांग
8. तिरप—मुख्यालय : खोंसा
9. अपर सुबनसिरी—मुख्यालय : दपोरिजी
10. पश्चिमी कामेंग—मुख्यालय : बोमडिला
11. पश्चिम सियाम—मुख्यालय : एलोंग
12. पापुमपरे—मुख्यालय : ईटानगर

असम

1. डिब्रूगढ़
2. सिबसागर
3. कार्बी-एंगलोंग
4. सिल्चर

बिहार

1. धनबाद
2. रांची
3. सिंहभूम
4. हजारीबाग
5. रोहतास
6. गोड्डा
7. पश्चिम चंपारन

गोवा

1. दक्षिण गोवा—मुख्यालय : मारगांव
2. उत्तर गोवा—मुख्यालय : पणजी

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. वलसाड
3. वडोदरा
4. डांग्स
5. भड़ौच
6. सुराग
7. जूनागढ़

हरियाणा

1. रोहतक
2. हिसार

हिमाचल प्रदेश

1. कुल्लू
2. कांगड़ा
3. सिरमौर
4. ऊना
5. हमीरपुर
6. चम्बा
7. मंडी
8. बिलासपुर

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू
2. बारामूला
3. लेह
4. अनन्तनाग
5. पुलवामा
6. श्रीनगर
7. बडगाम
8. कुपवाड़ा
9. कारगिल
10. उधमपुर
11. डोडा
12. कठुआ
13. राजौरी
14. पुंछ

कर्नाटक

1. दक्षिण कन्नड
2. मैसूर
3. ग्रामीण बैंगलौर
4. शिमोगा
5. गुलबर्गा
6. बीदर
7. बेलगॉम

केरल

1. इद्दुकी
2. पालघाट
3. एर्नाकुलम
4. कोजीकोड
5. वायनाड
6. मालापुरम

मध्य प्रदेश

1. बस्तर—मुख्यालय : जगदलपुर
2. बालाघाट
3. भिंड
4. बिलासपुर
5. छिंदवाड़ा
6. दमोह
7. दुर्ग
8. मंदसौर
9. जबलपुर

10. रायसेन

11. होशंगाबाद

12. सतना

13. सेहोर

14. शहडोल

15. बैतूल

16. भोपाल

17. छतरपुर

18. दतिया

19. देवास

20. धार

21. पूर्व नीमर (मुख्यालय : खांडवा)

22. गुना

23. ग्वालियर

24. इंदौर

25. झाबुआ

26. मांडला

27. मुरैना

28. नरसिंहपुर

29. पन्ना

30. रायगढ़

31. रायपुर

32. राजनन्दगांव

33. रतलाम

34. रीवा

35. सागर

36. सिऔनी

37. शाहजापुर

38. शिवपुरी

39. सिद्धी

40. सरगुजा (मुख्यालय : अम्बिकापुर)

41. टीकमगढ़

42. उज्जैन

43. विदिशा

44. पश्चिम नीमर (मुख्यालय : खरगौन)

महाराष्ट्र

1. भंडारा

2. नागपुर

3. पुणे

4. थाणे

5. चन्द्रपुर

6. रायगढ़

7. सिन्धुदुर्ग

8. रत्नागिरी

9. बम्बई सिटी

10. जलगांव

11. नासिक

12. औरंगाबाद

13. अहमदनगर

14. कोल्हापुर

15. सतारा

16. शोलापुर

17. सांगली

मणिपुर

1. उखरूल

मेघालय

1. पूर्व खासी पहाड़ियां—मुख्यालय : शिलांग

मिजोरम

1. आइज़ोल

नागालैण्ड

1. कोहिमा

2. मोकोकचुंग

उड़ीसा

1. कालाहांडी—मुख्यालय : भवानीपटना

2. बोलांगीर

3. धेंकनाल

पंजाब

1. संगरूर

2. लुधियाना

3. रोपड़

4. फिरोजपुर

राजस्थान

1. डूंगरपुर

2. पाली

3. उदयपुर

4. अलवर

5. कोटा

6. चित्तौड़गढ़

सिक्किम

1. उत्तर सिक्किम

2. दक्षिण सिक्किम

3. पश्चिम सिक्किम

तमिलनाडु

1. मद्रास

2. मदुरै

3. नीलगिरी

4. उत्तर नारकोट

5. तिरुनलवेली कोट्टाबोमन

6. डिंडीगुंल

7. तंजौर

8. त्रिची

9. वल्लालर

10. सालेम

11. विल्लापुरम रामासामी पडयातचियार

त्रिपुरा

1. दक्षिण त्रिपुरा—मुख्यालय : उदयपुर

उत्तर प्रदेश

1. आगरा

2. इलाहाबाद

3. कानपुर

4. सुल्तानपुर

5. सोनभद्र—मुख्यालय : राबर्ट्सगंज

6. देहरादून

7. चमोली

8. नैनीताल

9. गाजियाबाद

10. देवरिया

11. मुरादाबाद

12. सहारनपुर

13. मेरठ

14. मुजफ्फरनगर

केन्द्र शासित प्रदेश

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. अंडमान

चण्डीगढ़

1. चण्डीगढ़

दादर व नागर हवेली

1. दादर व नागर हवेली

दिल्ली

1. दिल्ली

लक्षद्वीप

1. लक्षद्वीप

पाण्डिचेरी

1. पाण्डिचेरी

राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना

3141. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना ने कोई प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय उपयोग और उपलब्धि के संदर्भ में 1995-96 से अब तक वर्षवार क्या प्रगति रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) जी, नहीं। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 1990-91 से अब तक 1010.06 करोड़ रु. व्यय करके लगभग 42.47 लाख हैक्टे. क्षेत्र में उपचारात्मक कार्य किया गया है जबकि लक्ष्य 28.00 लाख हैक्टे. का था। 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान क्रमश: 226.55 करोड़ रु. एवं 203.40 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग किया गया।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

3142. श्री राम टहल चौधरी: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस योजना को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान बजट में 250 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

घरेलू खपत के गेहूं के निर्यात के कारण भारतीय खाद्य निगम को घाटा

3143. श्री भक्त चरण दास:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री बनवारी लाल पुरोहित:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 1997 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''व्हीट डायवर्सन रिजल्ट्स बिग लास टू द स्टेट एक्सचेकर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा घरेलू खपत के गेहूं का निर्यात कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करायी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 30 मार्च, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित मुद्दों का सारांश और उस पर इस मंत्रालय की टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया है।

(घ) से (छ) चूंकि भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया है इसलिए इस संबंध में जांच करवाने और भारतीय खाद्य निगम के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.7.97 के अपने आदेश द्वारा पंजाब और हरियाणा में खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) में हुई तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं।

विवरण

दिनांक 30 मार्च, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित मुद्दों का सार	टिप्पणियां
1	2
(1) घरेलू उपभोग के प्रयोजनार्थ गेहूं का निर्यात के रूप में विपथन	जाली पार्टियों को बिक्री, घरेलू उपयोग से निर्यात के विपथन को कम करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.8.96 को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में विभिन्न सावधानियों को समाविष्ट किया गया था। खुली बिक्री के आवंटियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार को शामिल करने की भी परिकल्पना की गई थी। जैसाकि दिनांक 26.8.96 को ज़ारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिकल्पना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने खरीददारों को यह शपथ-पत्र भी देने के लिए कहा है कि खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन उठान किए गए गेहूं का घरेलू बिक्री के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि, जैसाकि अभिकथित है, खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं खरीददारों द्वारा निर्यात किया गया हो, तो ऐसे में इस प्रकार के नियमों को लागू करना राज्य सरकार का विषय होगा क्योंकि खाद्य एक राज्य-विषय है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ऐसे मामलों की जांच पहले ही

1	2
	कर चुका है जिनमें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी/कर्मचारी किसी प्रकार से दुर्भावपूर्ण पाये गये हैं और प्रचलित प्रक्रिया/नियम के अनुसार उनके विरुद्ध पहले से उपयुक्त कार्रवाई की गई है/शुरू की जा चुकी है। जब कभी सरकार के ध्यान में विपथन/प्राधिकार के दुरुपयोग के वैयक्तिक मामले लाए गए हैं तब उनमें उपयुक्त कार्रवाई की गई थी। हरियाणा से संबंधित एक मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए सहमति दे दी गई है।
	इसके अलावा, रोलर फ्लोर मिलें/व्यापारी हमेशा से अपनी जरूरत का स्टाक अन्य किसी भी स्रोत से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधिशेष निर्यात खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन बेचे गए गेहूं के विपथन के कारण हुआ था।
(2) भारतीय व्यापारियों को जिन मूल्यों पर गेहूं आवंटित किया गया था उससे कहीं ऊंचे मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसका आयात किया गया था।	1995-96 के दौरान निर्यात बिक्री मूल्य 4100 रु. और 5136.50 रु. प्रति टन की रेंज में थे। यह सत्य है कि खुले बाजार में बिक्री योजना (निर्यात) के अधीन व्यापारियों को जिन मूल्यों पर गेहूं बेचा गया था उस मूल्य से अधिक मूल्य पर गेहूं का आयात किया गया था। गेहूं की घरेलू स्थिति को अच्छी बनाने और घरेलू बाजार में गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए गेहूं के निर्यात का सहारा लिया गया था। यह स्थिति गेहूं उत्पादन में कमी और इसके परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में 4.1 मिलियन टन की कमी के कारण उत्पन्न हुई थी।
(3) 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने केवल 81,000 टन गेहूं निर्यात के लिए रिलीज किया था जबकि वास्तविक निर्यात 6,17,211 टन था। इसी प्रकार 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 4,27,000 टन गेहूं निर्यात के लिए बेचा था जबकि वास्तविक निर्यात 10,64,493 टन था।	समाचार-पत्र की रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश से समग्र रूप से गेहूं का निर्यात भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के प्रयोजन हेतु बेची गई मात्रा से काफी अधिक था। 1995-96 और 1996-97 (8.1.1997 तक) के दौरान गेहूं का निर्यात मात्रात्मक सीमा की शर्त के अधीन अनुमत था। 1995-96 और 1996-97 के लिए निर्धारित की गई सीमाएं निम्नानुसार थी:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	डुरम गेहूं	गैर-डुरम गेहूं
1995-96	5.00	25.00
1996-97	5.00	10.00

1	2
	समाचार-पत्र की रिपोर्ट में लगाया गया यह अनुमान सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किये गये स्टाक से ही गेहूं का निर्यात किया गया था। समाचार-पत्र की रिपोर्ट में 1995-96 और 1996-97 के लिए निर्यात 6,17,211 टन के कुल आंकड़े इन वर्षों में देश से समग्र रूप से निर्यात के लिए निर्धारित निर्यात सीमा के अंदर हैं। 1995-96 और 1996-97 के लिए निर्यात के आंकड़ों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बिक्री योजना (निर्यात) के अधीन बेची गई मात्रा भी शामिल है।
(4) गेहूं निर्यात से उत्पन्न अंतर को पाटने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 20 लाख टन गेहूं का आयात किया था।	सितम्बर, 1996 तक केन्द्रीय पूल में गेहूं की स्टाक स्थिति बफर स्टाक के मानदण्डों के अनुसार सुगम थी। अप्रैल, 1996 में कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि गेहूं का संभावित उत्पादन 66.21 मिलियन टन होगा। बाद में जून, 1996 में उत्पादन का अनुमान 64.00 मिलियन टन के स्तर पर लगाया गया था जो अक्तूबर, 1996 में अंतिम रूप से 62.62 मिलियन टन हुआ था। यह 1995-96 के दौरान गेहूं के अनुमानित उत्पादन में 1994-95 की तुलना में लगभग 3.15 मिलियन टन की गिरावट प्रदर्शित करता है, जब 65.77 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में लगभग 4.1 मिलियन टन की गिरावट हुई। इसलिए 1996-97 के दौरान सरकार ने 2 मिलियन टन तक गेहूं के आयात का निर्णय लिया था ताकि देश में इसकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और घरेलू बाजार में गेहूं के मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। अत: गेहूं के आयात का भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई निर्यात संबंधी बिक्री से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय राजभाषा समिति

3144. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों से भी अधिक समय से केन्द्रीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन अथवा कोई बैठक कराये न जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) प्रधान मंत्री कार्यालय में हिन्दी सलाहकार समिति गठित न करने और राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भी गठन न किये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) केन्द्रीय राजभाषा समिति के नाम से कोई समिति गठित नहीं है तथापि एक केन्द्रीय हिंदी समिति है जिसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) प्रधान मंत्री कार्यालय सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग से भिन्न है। यह एक छोटा कार्यालय है जो प्रधान मंत्री को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस कार्यालय में हिंदी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जारी निदेशों के कार्यान्वयन का काम प्रधान मंत्री कार्यालय के एक अपर सचिव को सौंपा गया है।

[अनुवाद]

अरब सागर में मत्स्यन नौका पर प्रतिबंध

3145. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के मत्स्यन नौकाओं पर अरब सागर में मत्स्यन हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि अन्य राज्यों की नौकाएं वहां मत्स्यन कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) केरल सरकार द्वारा अपने राज्य की संपूर्ण तट रेखा में आने वाले जलक्षेत्र में दिनांक 15 जून, 1997 से 29 जून, 1997 तक 45 दिन की अवधि के लिए समुद्र में बॉटम ट्रॉल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भारत सरकार ने भी उपर्युक्त अवधि में केरल तट में विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यान, जलयानों के प्रचालन पर, जिसमें पट्टे पर चलाये जाने वाले विदेशी जलयान भी शामिल हैं, प्रतिबंध लगा दिया है।

(ख) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल तट के जल क्षेत्र के भीतर विदेशी जलयानों तथा अन्य राज्यों के जलयानों द्वारा ट्राऊलिंग रोकने के लिए केरल सरकार ने पर्याप्त उपाय किये हैं। इसके अलावा उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित प्रतिबंध की अवधि में कोच्ची पत्तन से चलने वाले सभी मत्स्यन जलयानों को अपना बेस पोर्ट अन्यत्र ले जाने के लिए कहा गया।

[हिन्दी]

एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई. का पुनरुद्धार

3146. श्री हरिवंश सहाय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति ने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) सरकार द्वारा अप्रैल, 1995 में लिए गए निर्णय तथा विभिन्न संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुसार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के लिए पुनरुद्धार योजनाओं के संबंध में कार्रवाई तेज करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की ओर से दिनांक 22.5.97 का पत्र प्राप्त हुआ है।

वित्तीय संस्थाओं के दृष्टिकोण से एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. के क्रियाशील एककों के लिए पुनरुद्धार पैकेजों को फिर से तैयार किया गया है। पुनरुद्धार का कार्यक्षेत्र व्यवहार्यता पर विचार करते हुए तथा निधिगत व्यवस्थाओं के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

[अनुवाद]

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में अनियमितताएं

3147. प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में की गयी अनियमितताओं से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक का अभ्यावेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में प्राप्त हुआ था जो उनके कदाचार पर उनको दिये गये आरोप-पत्र और उनकी पदोन्नति को रोकने से संबंधित था। इस अभ्यावेदन की जांच संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही है। उस वरिष्ठ तकनीकी सहायक को उनकी पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रियायतें

3148. **श्री विश्वेश्वर भगत:**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:
डा. अरविन्द शर्मा:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार अनुमानतः कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों को अर्हता के संबंध में कुछ रियायतें दी जाती हैं और केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में इनके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्णतः विकलांग व्यक्तियों को पेंशन/सहायता देने पर विचार किया है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये हाल के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 16.15 मिलियन व्यक्ति दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा चलन संबंधी विकलांगता से पीड़ित हैं। 1-14 आयु वर्ग के बीच विलम्बित मानसिक विकास वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये अन्य नमूना सर्वेक्षण का यह अनुमान है कि कुल जनसंख्या के लगभग 3% का विलम्बित मानसिक विकास है।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार के अंतर्गत सेवाओं में नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता में कोई छूट नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार का वर्तमान में विकलांगों के लिए पेंशन योजना शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विकलांगों के लिए अपनी पेंशन योजनाएं हैं।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। आवर्ती मदों जैसे कर्मचारियों का वेतन, अनुरक्षण व्यय, आकस्मिक व्यय और गैर-आवर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपकरण, फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापन सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास

इस योजना में चार प्रमुख विकलांगता के क्षेत्रों—अस्थि, वाणी तथा श्रवण, दृष्टि और मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना और स्तर में सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती और अनावर्ती दोनों कार्यों के लिए सहायता दी जाती है।

3. प्रमस्तिष्क अंगघात और मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए जनशक्ति विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 100% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्यांकी बहुआयामी समस्याओं को कारगर ढंग से निपटने के उद्देश्य से निम्नलिखित चार संस्थानों की स्थापना की गई है। ये संस्थान प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान, पुनर्वास, उपयुक्त सेवा मानदंडों के विकास के क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय संगठन हैं। ये संस्थान अपनी विकलांगता के क्षेत्र में प्रमुख प्रलेखन और सूचना केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं:

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(3) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

इनके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो संस्थाओं की स्थापना मुख्यतः सेवा संस्थाओं के रूप में की गई है:—

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, उड़ीसा।

6. रोजगार

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति 3% से कम नहीं करेगी जिसमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किये गये पदों में (क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, (ख) श्रवण विकलांगता और (ग) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षित होगा। कानून के लागू होने के पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" और समूह "घ" में पहले से ही 3% का आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार के अधीन समूह "क" और "ख" के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1% का विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36038/16/91-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.97 द्वारा किया गया है।

(2) लाभकर रोजगार की प्राप्ति में विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए अलग से विकलांग व्यक्तियों के लिए 47 विशेष रोजगार केन्द्रों और 41 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करता है।

(3) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता के मूल्यांकन के लिए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और रोजगार में लगाने के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार का उत्थान कराया जाता है:

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मेंडिग स्टालों, कियोस्कों और दुकानों के आवंटन,

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण,

(ग) पब्लिक टेलीफोन बूथों के आवंटन में अधिमान,

(घ) पेट्रोल पम्प, केरोसिन डिपो आदि के वितरण में आरक्षण।

(7) सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद करने के लिए जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों, पंजीकृत सोसायटियों, न्यासों अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। योजना के कार्यान्वयन में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों एजेंसियों को लगाया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 1200 रुपए तक मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को 3600 रुपए के मूल्य के सहायक यंत्र तथा उपकरण नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं और 1201 रुपये से 2500 रुपये के बीच मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को लागत के 50% पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(8) भारत सरकार ने हाल ही में "नि:शक्त व्यक्ति, समान अधिकार, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में मानसिक विकलांग सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता का पता लगाने और इसकी रोकथाम, शिक्षा, रोजगार आदि की व्यवस्था है।

(9) स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए विकलांग व्यक्तियों को आसान शर्तों पर ऋण सहायता और दक्षता विकास के लिए अवसर प्रदान के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 24.1.1997 को एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम पंजीकृत की गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार

3149. **श्री आर.बी. राई:**
श्री राम नाईक:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए मंत्रालय और राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या से संबंधित अनुमानों में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या 60.45 लाख बताना बहुत ही कम है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसी संबंध में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों की समीक्षा करने का भी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार अनुमान से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की आवश्यकताओं को राज्य से किस प्रकार पूरा करने की अपेक्षा करती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) "गरीबों का अनुपात और संख्या" का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की पद्धति से प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुमानों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। योजना आयोग के अनुसार विशेषज्ञ दल की पद्धति द्वारा गरीबी के बारे में लगाए गए अनुमान लगभग सही होते हैं। महाराष्ट्र सहित कुछेक राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के बारे में लगाए गए अनुमानों और विशेषज्ञ दल द्वारा लगाए गए अनुमानों में काफी अन्तर है।

(ख) विशेषज्ञ दल के गरीबों की प्रतिशतता के राज्य-वार अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के उपभोक्ता खर्च संबंधी पंचवर्षीय आंकड़ों की एक-समान पद्धति पर आधारित हैं। सांख्यिकीय विभाग, योजना मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पूरे भारत में उपभोक्ता खर्च संबंधी सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरी ओर, घर-घर सर्वेक्षण में राज्य एक-समान प्रणाली का अनुसरण नहीं करते हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के बारे में ऐसा अनुमान है कि यह सर्वेक्षण गरीब परिवारों के अनुमान में वृद्धि की ओर प्रवृत्त है क्योंकि यह सर्वेक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लाभभोगियों के चयन के लिए परिवारों की पहचान करने के विशिष्ट प्रयोजन से किया जाता है।

(ग) विशेषज्ञ दल की पद्धति पर आधारित अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा से नीचे 60.45 लाख परिवार हैं। ये अनुमान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

(घ) और (ङ) राज्य अधिक मात्रा में खाद्यान्न जारी करने अथवा कम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा और निधि उनके अपने स्रोतों से उपलब्ध की जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे राज्य ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

भूकम्प की घोषणा

3150. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय प्रधानमंत्री ने 17 जून, 1997 को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुंचाने के तरीकों पर विचार करने के लिए अगले दिन दिल्ली में बैठक होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक हुई थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो जबलपुर के भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रस्तावित बैठक कब तक होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) माननीय प्रधानमंत्री ने 17 जून, 1997 को मध्य प्रदेश के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान घोषणा की थी कि राष्ट्रीय आपदा राहत समिति की बैठक अविलम्ब होगी जिसमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने मध्य प्रदेश के भूकम्प संबंधी केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर 20 जून, 1997 को विचार किया। उस समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य सरकार को 45.26 करोड़ रुपये की रकम निर्मुक्त की गई तथा आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की चौथी किश्त के रूप में 26.6.1997 को अग्रिम के तौर पर 10.10 करोड़ रुपये की धनराशि दे दी गई।

लेक्टोज का उपयोग

3151. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेक्टोज का उपयोग होम्योपैथी दवाओं के निर्माण में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लैक्टोज का आयात किन-किन देशों से किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक देश से आयात किये जाने वाले लेक्टोज की प्रस्तावित मात्रा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	मद		जिस देश से आयात किया गया
1.	लैक्टोज	यू.एस.पी.	न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, हालैण्ड, जर्मनी, कनाडा
2.	लैक्टोज सीधे टिकियां (फर्माटोज)	यू.एस.पी.	हालैंड, जर्मनी
3.	लैक्टोज (माल्टोज)	यू.एस.पी.	जापान

(ग) आयात-निर्यात नीति, 1997-2002 के अनुसार लैक्टोज ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन है और फर्मे अपनी जरूरत को किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

दवाइयों की कीमतें

3152. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1990-91 के बजट में उत्पाद शुल्क से छूट दिये जाने के बावजूद रिफाम्पसीन की कीमतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तपेदिक और कुष्ठ रोग की दवाइयों के लिए राजसहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) जी, हां। प्रपुंज औषध रिफैम्पिसीन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों में 1990-91 और 1995-96 की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उस तथ्य पर निर्भर है कि प्रपुंज औषध रिफैम्पिसीन कीमत 1991 में 3850 रुपए प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर 1995 में 5220 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया था। सरकार लागत सह-तकनीकी अध्ययन के आधार पर कीमत में वृद्धि को अधिसूचित करती है जिसमें विनिमय दर में अन्तर के कारण आयातित निवेशों की कीमतों में वृद्धि, आयातित मध्यवर्तियों आदि पर सीमा शुल्क लगाये जाने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त रिफैम्पिसीन पर उत्पाद शुल्क पुनः लगाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग रोधी औषधियां क्षयरोगियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) भी कुष्ठरोग के उपचार के लिए रिफैम्पिसीन निःशुल्क सप्लाई करता है।

मीट का निर्यात

3153. श्री सत्यपाल जैन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मीट के निर्यात कार्य में लगे बूचड़खाने/कारखानों/उद्योगों की अधिकतम क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न देशों को मीट का निर्यात करने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी द्वारा अनुमोदित मीट प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न देशों को मीट निर्यात की भारत सरकार की नीति मौजूदा निर्यात-आयात नीति के अनुसार है जिसके तहत बीफ (गाय तथा उसकी संतति का मीट) का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, भैंस (नर-मादा दोनों), बकरी तथा भेड़ के मीट का निर्यात अनुमत्य है, बशर्ते कि आयात-निर्यात नीति में उल्लिखित शर्तें पूरी हों।

विवरण

क्षमता प्रतिदिन (मीटरी टन)

	प्रशीतन मीट	हिमित मीट
1. फ्रिजोरिफिको अल्लाना लि. औरंगाबाद	240	108
2. अल्लाना कोल्ड स्टोरेज लि., बम्बई	390	157
3. फ्रिजोरिफिकोकान्जर्वा अल्लाना लि., जाहिराबाद	420	171
4. अंजन्या कोल्ड स्टोरेज लि., उसगांव	90	35
5. फ्रिजोरिफिको अल्लाना लि., गाजियाबाद	420	166
6. अल-कबीर एक्सपोर्ट्स लि., रुद्रम	360	135
7. अरेबियन एक्सपोर्ट लि., कोरेगांव	75	40
8. अरेबियन एक्सपोर्ट्स लि., तलोजा	110	50
9. अरेबियन एक्सपोर्ट लि., नई दिल्ली	110	50
10. हिन्द इंडस्ट्रीज लि., गाजियाबाद	150	75
11. हिन्द इंडस्ट्रीज लि., थाणे	30	30
12. हिन्द इंडस्ट्रीज लि., अलीगढ़	5	-
13. एम.के.आर. फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., नांदेड	60	30
14. एम.के.आर. फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., गाजियाबाद	50	44
15. एम.के. ओवरसीज प्रा.लि., गाजियाबाद	95	37
16. एम.के. एक्सपोर्ट्स लि., ग्रेटर नोएडा	10	-
17. आई. अहमद एंड. कं, न्यू बम्बई	105	85
18. अल्लाइड एक्सपोर्ट्स, न्यू बम्बई	25	76
19. अल-नफीज फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स, गाजियाबाद	30	31
20. फेयर एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., गाजियाबाद	25	22
21. अल-नूर एक्सपोर्ट्स/मिकी एक्सपोर्ट्स, मेरठ	40	19
22. अल-सादेब एक्सपोर्ट्स/विब्रो फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स, मेरठ	50	68
23. प्रेमराज कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि., नई दिल्ली	28	10
24. एग्रो फूड्स, नई दिल्ली	15	4
25. फखारी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., गाजियाबाद	15	10
26. दर्शन फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स, दिल्ली	20	17
27. अन्ना एसोसिएट प्रा.लि., गाजियाबाद	10	-
28. एच.एम.जी. इंडस्ट्रीज लि., न्यू बम्बई	21.5	35
29. पंजाब मीट्स लि., डेराबासी	100	100
30. हिन्द एग्रो इंडस्ट्रीज लि., अलीगढ़	204	180
31. अल्लाना इन्वेस्ट, न्यू बम्बई	200	115

[हिन्दी]

भूकंप के कारण हुई हानि

3154. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर भूकंप आये हैं तथा इससे स्थान-वार जान तथा माल को कितनी क्षति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने देश में भूकंप की घटना को रोकने तथा भूकंपों के परिणामस्वरूप हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जून, 1997 तक आए भूकंप से हुई क्षति हेतु मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश में तथा इसके समीप 1994 में रिचटर पैमाने पर 4.0 से अधिक तीव्रता के 232 झटके, 1995 में 156 तथा 1996 में 347 झटके महसूस किये गये। राज्य सरकारों ने इन वर्षों के दौरान भूकम्प के कारण जीवन की हानि या किसी महत्वपूर्ण हानि की रिपोर्ट नहीं दी है। फिर भी 22 मई, 1997 को रिचटर पैमाने पर 6.0 तीव्रता के भूकम्प से जबलपुर तथा इसके समीप का क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे 39 व्यक्ति मारे गये तथा लगभग 1.66 लाख घरों को नुकसान पहुंचा।

(ख) और (ग) भूकम्प की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई प्रमाणित विधि उपलब्ध नहीं है। एक राष्ट्रीय आकस्मिकता कार्य योजना निरूपित की गई है तथा राज्य सरकारों में इसका परिचालन कराया गया है ताकि भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में उनको तेजी से कार्यवाही करने में मदद की जा सके। सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से तथा भूकम्प रोधी निर्माण पद्धतियों को लोकप्रिय बनाकर हानि को कम करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) भारत सरकार ने 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश को राज्य आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में क्रमशः 38.31 करोड़ रु. तथा 40.42 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी है। 22 मई, 1997 के भूकम्प के घटित होने की स्थिति में राहत तथा पुनर्वास उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 45.26 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता भी निर्मुक्त कर दी गई है।

[अनुवाद]

वर्धा जिले में भूमि का संरक्षण

3155. **श्री विजय अन्नाजी मुडे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्धा जिला इकाई में संरक्षण विभाग के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संरक्षण विभाग से इस भूमि को खरीदने के प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धान की फसल के लिए नई तकनीक

3156. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:**
श्री अमर पाल सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1997 के "दैनिक जागरण" में "काई की मदद से हर जगह उगाया जा सकता है चावल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धान की खेती में काई के इस्तेमाल से चावल के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में औसतन प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) धान की खेती में काई के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों जैसे— भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, राष्ट्रीय नीली हरी शवाल सुविधा, पूसा, नई दिल्ली तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे-तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर; मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, पूणे; उ.प्र. वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी परिषद, लखनऊ के पास चावल के खेतों में मृदा उर्वरता को सुधारने के लिए शैवाल की नाइट्रोजन निर्धारण क्षमता को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम है। उपरोक्त केन्द्रों ने नीली हरी शैवाल की उपयुक्त प्रजाति का पता लगाया है तथा प्रयोगशाला एवं क्षेत्र स्थितियों के तहत इसके संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जलवायु तथा मृदा स्थितियों के अनुसार नीली हरी शैवाल के उपयोग की अनुक्रिया भिन्न-भिन्न होती है। तथापि मिट्टी में मिलाकर तैयार किये गये 10-15 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर की दर से शैवाल के टीके का उपयोग करके चावल के उत्पादन में प्रति हैक्टर 3-4 क्विंटल की बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

(च) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में कई जैविक केन्द्र स्थापित किये हैं जो मूलत: किसानों के लिए कल्चरों के संवर्धन तथा इसके वितरण में लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार अभिकरणों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा, कुछ राज्यों के पास नीली हरी शैवाल के संवर्धन तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम हैं जैसाकि तमिलनाडु राज्य के मामले में है। इसके अलावा, सन् 1983 से एक राष्ट्रीय जैव उर्वरक प्रायोजना, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह केन्द्र अपने छ: क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ किसानों के खेत में नीली हरी शैवाल के उत्पादन, वितरण तथा जांच के काम में लगा हुआ है।

[अनुवाद]

पेट्रोरसायन परिसर

3157. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए राज्यों को नेप्था आवंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से सोडा ऐस, यूरिया, डायमंड फास्फेट के उत्पादन के लिए नेप्था आवंटित करने तथा राजस्थान में एक पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेबिक सब्सिडीज

3158. श्री बी.एल. शंकर: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "पेट्रोकेम मेक्स इर्वड एट एफ.आई.पी.बी. क्लियरेंस टू सेबिक सब्सिडीयरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सेबिक सब्सिडीयरी को स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इसका भारतीय पेट्रोकेम उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एफ.आई.पी.बी. द्वारा यह प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि इस प्रस्ताव में विदेशी इक्विटी केवल 51% थी और ओ.जी.एल. की मदों के अतिरिक्त पेट्रोकेमिकल्स/प्लास्टिक में विदेशी संयुक्त उद्यमों द्वारा व्यापार के लिए कोई नीति/प्रतिबन्ध नहीं थे।

(घ) और (ङ) भारतीय कम्पनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा जिसके बदले में उन्हें मूल्य-रीति और गुणवत्ता-

रीति दोनों की दृष्टि से ज्यादा प्रतियोगी बनने की आवश्यकता होगी। सिर्फ कुछ खतरनाक प्रक्रिया पर आधारित पेट्रो-केमिकल्स उत्पादों को छोड़कर, सभी पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। यह भारतीय पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों को अपने को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।

मछुआरों के लिए प्रशिक्षण सुविधा

3159. श्री के. परसुरामन:
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दक्षिणी राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु कुछ केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए स्थापित किये जाने वाले केन्द्रों की राज्य-वार संख्या तथा स्थान क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) मछुआरों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत दक्षिणी राज्यों में 12 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उच्चीकरण की स्वीकृति दी है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जब भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

विवरण

दक्षिणी राज्यों में मछुआरों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना का नाम			कुल
		ताजा पानी जलकृषि	खारा पानी जलकृषि	मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	2	4
2.	कर्नाटक	1	–	2	3
3.	केरल	1	1	–	2
4.	तमिलनाडु	1	1	1	3
	योग	4	3	5*	12

*वर्तमान केन्द्रों के उच्चीकरण के लिए स्वीकृत।

[हिन्दी]

डोलोमाइट खानों के लिए वनभूमि का दिया जाना

3160. श्री ब्रज मोहन राम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के गढ़वा जले में हसालदाग में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा डोलोमाइट खानों के प्रचालन के लिए वनभूमि (फारेस्ट रेंज) में से 100 एकड़ वनभूमि देने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अनुमोदन को स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक दुग्ध संघ

3161. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक दुग्ध संघ का पहला आइसक्रीम संयंत्र हाल ही में बंगलौर में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ के आत्मनिर्भर होने तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका तकनीकी पर्यवेक्षण प्रभारी होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस आइसक्रीम संयंत्र को सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई है तथा इसकी शर्तें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक दुग्ध संघ तकनीकी पर्यवेक्षण का काम करेगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 205 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। इसमें से, 60 लाख रुपये 70 प्रतिशत ऋण 30 प्रतिशत अनुदान आधार पर आपरेशन फ्लड-3 के तहत प्रदान किये गये थे, इसमें ऋण पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगना था तथा शेष 145 लाख रुपये की सहायता ऑपरेशन फ्लड-3 की समाप्ति के बाद स्पिल ओवर परियोजना के रूप में 100 प्रतिशत ऋण आधार पर दी गई जिस पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता था।

उर्वरकों पर राजसहायता

3162. श्री हरिन पाठक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान अब तक सरकार द्वारा उर्वरकों पर राज्य-वार कितनी राजसहायता राशि दी गई;

(ख) क्या नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर भी कोई राजसहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) फिलहाल यूरिया ही ऐसा एकमात्र नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और इसके लिए राजसहायता सरकार वहन करती है। राजसहायता यूरिया निर्माणी एकक/निकाय प्रबंध (पूल हैंडलिंग) अभिकरणों को दी जाती है न कि राज्य सरकारों को। अतः राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सरकार नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों खासकर डाई-अमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश और मिश्रणों पर रियायत देती है। यह निर्माण-कर्त्ताओं/आयातकों को दी जाती है और राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन उर्वरकों पर राजसहायता दी जाती है तथा वर्ष 1994-95, और 1995-96 के दौरान फार्स्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर दी गई रियायत इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	नियंत्रित उर्वरकों पर दी गई सहायता	नियंत्रण-रहित उर्वरकों पर दी गई रियायत
1994-95	5241.00	527.95
1995-96	6235.00	500.00

फसल पद्धति में परिवर्तन

3163. श्री एन. डेनिस:
श्री उद्धव बर्मन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में फसल पद्धति में भारी परिवर्तन आया है और खाद्यान्न फसलों के स्थान पर गैर-खाद्यान्न फसलों की खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फसल पद्धति में तेजी से आए इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अंततः खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आयेगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार और कई राज्यों की सरकारों द्वारा बेहतर फसल पद्धति अपनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और इस संबंध में कोई सर्वेक्षण/विश्लेषण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो खाद्यान्न के उत्पादन में कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) हाल ही में देश में खाद्यान्न फसलों की तुलना में गैर-खाद्यान्न फसलों के पहलू से फसल स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे, खाद्यान्न फसलों का कुल क्षेत्र जो 1990-91 में 68.9 प्रतिशत था 1994-95 तक घटकर 66.9 प्रतिशत रह गया जबकि गैर-खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र जो 1990-91 में 31.1 था 1994-95 तक बढ़कर 33.1 प्रतिशत हो गया।

(ग) फसल स्वरूप में मामूली परिवर्तन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की कमी होने की संभावना नहीं है क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि के कारण कुछ वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता रहा है।

(घ) और (ङ) राज्यों से कोई ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं है जो किसी विशिष्ट फसल स्वरूप का संकेत देती है। वैसे, भूमि उपयोग आंकड़ों से उपलब्ध ब्यौरे के विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित राज्यों में किसानों ने कृषि जलवायुवीय और मृदा स्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण फसल स्वरूप अपना लिया है।

(च) खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न फसल विशिष्ट विकास कार्यक्रम/योजनाएं चला रही है अर्थात्:-

(1) चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।

(2) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आदि।

अंगूर का उत्पादन

3164. श्री अनन्त कुमार हेगड़े: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1995 और 1996 के दौरान राज्य-वार अंगूरों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में कितने क्षेत्र पर अंगूरों की खेती की जा रही है;

(ग) क्या अंगूरों की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) वर्ष 1995 तथा 1996 के लिए अंगूर के उत्पादन संबंधी आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में 1994-95 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

	राज्य	उत्पादन मीटरी टन में (1994-95)
1.	आन्ध्र प्रदेश	45700
2.	हरियाणा	19600
3.	कर्नाटक	157140
4.	महाराष्ट्र	350437
5.	पंजाब	61803
6.	तमिलनाडु	31030
7.	अन्य	7183
		672893

(ख) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार देश में अंगूर की खेती के तहत आने वाला क्षेत्र 1994-95 में लगभग 42.1 हजार हैक्टेयर है।

(ग) और (घ) अंगूर की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा फलों के समेकित विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना जिसमें अंगूर भी शामिल है, चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकारों की प्लान स्कीमों के अलावा क्षेत्र विस्तार, आदानों की आपूर्ति के माध्यम से उत्पादकता में सुधार, क्वालिटी रोपण सामग्री मुहैया कराने के लिए नर्सरियों की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की

जाती है। इस संबंध में कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग की योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए भी सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त "ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक उद्यानों की स्थापना" संबंधी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कृषक परिवारों को अंगूर सहित फलदार पौधों की खेती के लिए सहायता दी जाती है। बोर्ड द्वारा अंगूर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंगूर सहित बागवानी उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा कटाई पश्चात् रखरखाव के लिए उदार ऋण सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

3165. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में कृषि उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बावजूद किसानों में असंतोष है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) 1996-97 के दौरान लक्ष्य तथा उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन)

	लक्ष्य	उत्पादन
अनाज	193.50	198.17
तिलहन	23.00	24.46
गन्ना	270.00	270.97
कपास*	13.00	14.53
जूट और मेस्ता**	9.00	10.99

* 170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें

** 180 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें

(ख) जी नहीं। गत वर्ष के 8.2 मिलियन टन की खरीद की तुलना में फसल वर्ष 1996-97 के दौरान 9.3 मिलियन टन की अधिक खरीद को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 60 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित 475 रुपये के खरीद मूल्य से किसान लगभग संतुष्ट हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राजभाषा से संबंधित रिक्त पद

3166. डा. ए.के. पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित पद मुख्यत: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों से भरे जाते हैं। इस समय इस सेवा के कुछ पद रिक्त हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में कनिष्ठ अनुवादक के सभी पदों को भरने के लिए व्यक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। इस श्रेणी की वर्ष 1996-97 की रिक्तियों को भरने के लिए आयोग द्वारा परीक्षा में सफल हुए व्यक्तियों के डोज़ियर भेजे जा रहे हैं जिनका नामांकन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कनिष्ठ अनुवादक के रिक्त पदों पर राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। सहायक निदेशक (रा.भा.) की 50% रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाती है, तथा शेष 50% रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। इस श्रेणी में इस समय सभी रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हैं जिनके लिए राजभाषा विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को दो प्रस्ताव क्रमश: मई, 1995 तथा जून, 1996 में भेजे गए थे। आयोग सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद के लिए व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया में कार्यरत है। इस संबंध में आयोग की सिफारिश शीघ्र ही सरकार को मिलने की संभावना है। उप निदेशक की एक रिक्ति तथा वरिष्ठ अनुवादक की 2 रिक्तियों को पदोन्नति से भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	निदेशक (रा.भा.)	उप-निदेशक (रा.भा.)	सहायक निदेशक (रा.भा.)	वरिष्ठ अनुवादक	कनिष्ठ अनुवादक
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाणिज्यिक मंत्रालय	–	–	1	–	2
2.	दूर संचार	–	–	1	–	1
3.	आर्थिक कार्य विभाग	–	–	1	–	2
4.	राजस्व विभाग	–	–	1	–	–
5.	आसूचना ब्यूरो	–	–	1	–	9
6.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	–	–	1	–	1
7.	राष्ट्रीय अभिलेखागार	–	–	1	–	1
8.	शिक्षा विभाग	–	–	2	–	3
9.	औद्योगिक विकास विभाग	–	–	1	–	2
10.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	–	–	1	–	1
11.	नौवहन महानिदेशालय	–	–	1	1	–
12.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	–	–	3	–	9
13.	कल्याण मंत्रालय	–	–	1	–	–
14.	निर्वाचन आयोग	–	1	1	–	3
15.	ग्रामीण रोजगार कार्य एवं विकास विभाग	–	–	–	–	1
16.	उर्वरक विभाग	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7
17.	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति	–	–	–	–	1
18.	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय	–	–	–	–	1
19.	शर्करा निदेशालय	–	–	–	–	1
20.	विदेश व्यापार महानिदेशालय	–	–	–	–	1
21.	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय	–	–	–	–	2
22.	डाक विभाग	–	–	–	–	2
23.	रक्षा मंत्रालय (मुख्य)	–	–	–	–	2
24.	रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)	–	–	–	–	1
25.	कोयला विभाग	–	–	–	–	1
26.	विद्युत मंत्रालय	–	–	–	–	1
27.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	–	–	–	–	1
28.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	–	–	–	–	2
29.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	–	–	–	–	1
30.	व्यय विभाग	–	–	–	–	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	–	–	–	–	3
32.	गृह मंत्रालय (मुख्य)	–	–	–	–	2
33.	सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	–	–	–	–	2
34.	संस्कृति विभाग	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7
35.	महिला एवं बाल विकास विभाग	–	–	–	–	1
36.	कम्पनी कार्य विभाग	–	–	–	–	1
37.	विकासायुक्त (लघु उद्योग)	–	–	–	–	2
38.	भारी उद्योग विभाग	–	–	–	–	1
39.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	–	–	–	–	1
40.	आकाशवाणी महानिदेशालय	–	–	–	–	1
41.	दूरदर्शन महानिदेशालय	–	–	–	–	2
42.	पत्र सूचना ब्यूरो	–	–	–	–	2
43.	समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	–	–	–	–	2
44.	श्रम मंत्रालय	–	–	–	–	1
45.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	–	–	–	–	2
46.	मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय	–	–	–	–	1
47.	पर्यटन विभाग	–	–	–	–	2
48.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	–	–	–	–	2
49.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	–	–	–	–	7
50.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान	–	–	–	–	1
51.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	–	–	–	–	1
52.	सांख्यिकी विभाग	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7
53.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	–	–	–	–	1
54.	आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	–	–	–	–	2
55.	बायोटेक्नोलोजी विभाग	–	–	–	–	1
56.	नागर विमानन महानिदेशालय	–	–	–	–	1
57.	नागर विमानन विभाग	–	–	–	–	1
58.	शहरी रोजगार कार्य एवं विकास विभाग	–	–	–	–	3
59.	संपदा निदेशालय	–	–	–	–	1
60.	वस्त्र मंत्रालय	–	–	–	–	1
61.	जल संसाधन मंत्रालय	–	–	–	–	1
62.	केन्द्रीय जल आयोग	–	–	–	–	1
63.	योजना आयोग	–	–	–	–	4
64.	संघ लोक सेवा आयोग	–	–	–	–	1
65.	विधायी विभाग	–	–	–	–	1
66.	विधि कार्य विभाग	–	–	–	–	1
67.	राजभाषा विभाग	–	–	–	–	1
68.	पशु पालन एवं डेरी विभाग	–	–	–	–	1
69.	भारतीय औषधि पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग	–	–	–	–	1

[अनुवाद]

गैंडों के सींग

3167. श्री के.एस. रायुडु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के वन भंडार में हजारों करोड़ों रुपये कीमत के गैंडों के सींग मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विक्रय-मूल्य संबंधी अनुमान क्या है;

(ग) उन्हें नहीं बेचे जाने और वसूली गई धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गैंडे के सींग के 1044 टुकड़े जिनका वजन 672.581 कि.ग्रा. है, राज्य के विभिन्न राजकोषों में जमा किए हैं।

(ख) गैंडों के सीगों का व्यापार प्रतिबंधित है। तथापि, ऐसा माना जाता है कि गैंडे के सींग की कीमत, देश के भीतर अवैध कारोबार में 1 लाख रुपए प्रति कि.ग्रा. से लेकर 5 लाख रुपये प्रति कि.ग्रा. के बीच और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में 15 लाख रुपये प्रति कि.ग्रा. के बीच है।

(ग) और (घ) गैंडे के सींगों का व्यापार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत देश में प्रतिबंधित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से, वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स) के अन्तर्गत प्रतिबंधित है।

[हिन्दी]

दामोदर नदी

3168. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार दामोदार नदी में सफाई करने और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत बिहार और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के प्रदूषण निवारण कार्य को शामिल किया गया है। इस घटक के अंतर्गत बिहार के 8 शहरों और पश्चिम बंगाल के 4 शहरों के प्रदूषण निवारण कार्य 23.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किए गए हैं। स्कीम का शहर-वार और कार्यवार लागत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना का प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है।

विवरण

बिहार और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के प्रदूषण निवारण के लिए स्कीमों की अनुमोदित लागत

(लाख रुपये)

राज्य/शहर	अव. एवं दि. परि.	सी.उ. सं.	शव. दा.गृ.	न.त. वि.	अ.ला. स्व.	विविध	उप-योग	भू.ला.	सेंटेज	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार										
रामगढ़	45.15	156.35	3.94	4.73	12.60	32.50	255.26	19.69	35.74	310.68
दुग्धा	23.10	39.19	3.94	0.00	8.40	36.96	111.58	3.28	15.62	130.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
झरिया	45.15	48.59	3.94	0.00	16.80	41.16	155.64	25.26	21.78	202.69
चिरकुण्डा	45.15	44.38	3.94	4.73	12.60	38.54	149.33	10.83	20.91	181.06
सिंदरी	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0 11	0.90
तेलमोच	0.00	0.00	0.79	1.58	4.20	13.13	19.69	0.00	2.76	22.44
सुदामडिह	23.10	21.23	3.94	4.73	8.40	30.40	91.79	0.69	12.85	105.33
बोकारो-कागली	23.10	44.81	1.58	1.58	8.40	24.10	103.56	3.61	14.50	121.67
योग	204.75	354.55	22.84	17.33	71.40	216.77	887.64	63.36	124.27	1075.26
पश्चिम बंगाल										
रानीगंज	54.55	23.63	4.20	0.00	16.80	0.00	99.17	47.80	13.88	160.85
आसनसोल	242.75	153.56	4.20	0.00	16.80	0.00	417.32	310.71	58.43	786.45
अन्द्राल	69.20	15.36	4.20	0.00	12.60	0.00	101.36	31.87	14.19	147.41
दुर्गापुर	49.35	27.56	4.20	0.00	16.80	0.00	97.91	55.77	13.71	167.39
योग	415.85	220.11	16.80	0.00	63.00	0.00	715.76	446.13	100.21	1262.11
कुल योग	620.60	574.66	39.64	17.33	134.40	216.77	1603.40	509.49	224.48	2337.37

अव. एवं दि. परि.	:	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन
सी.उ.सं.	:	सीवेज उपचार संयंत्र
शव.दा.गृ.	:	शव दाहगृह
न.त.वि.	:	नदी तटाग्र विकास
अ.ला.स्व.	:	अल्प लागत स्वच्छता
विविध	:	वनीकरण, ठोस अपशेष प्रबंध, जनभागीदारी आदि
भू.ला.	:	भूमि लागत
सेंटेज	:	सेंटेज

[अनुवाद]

दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ किये जा रहे अपराध

3169. श्री प्रमोद महाजन:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1997 के "द हिन्दू" में "दिल्ली रिकार्डज हाइस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट वोमेन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या देश में, विशेषरूप से शहरों में महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे बड़े अपराधों को जारी रखा गया है;

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान वर्ष-वार महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हुए;

(घ) यदि हां, तो क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के वास्ते क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आरक्षण संबंधी नीति

3170. श्री भेरूलाल मीणा:
डा. सत्य नारायण जटिया:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की आरक्षण संबंधी नीति से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज तक प्राप्त की गई विशिष्ट उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्हें ऊपर उठाने के लिए बजट में किये गये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां।

दिनांक 1.1.1995 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

समूह	नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
क	10.15	2.89
ख	12.67	2.68
ग	16.15	5.69
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	21.26	6.48
	44.34	6.01

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% का लक्ष्य निर्धारित है।

(घ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए किये गये प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विव.ण I

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए बजट में किए गए प्रावधानों के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1994-95 आवंटन	1995-96 आवंटन	1996-97 आवंटन
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	273.85	275.00	275.00
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	22.00	31.00	31.99
3.	एन.एस.एफ.डी.सी.	63.77	65.00	65.00
4.	सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास	73.00	90.00	90.00
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	96.35	145.00	149.00
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	10.00	7.50	7.50
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	3.50	3.50	3.50
8.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	6.20	7.00	7.00
9.	अनुसूचित जाति लड़कों के लिए होस्टल	6.20	10.00	10.00
10.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	2.00	3.00	3.00
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा उन्नयन	1.00	1.00	1.00
12.	बहुत कम साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	6.00	0.60	0.60
13.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	9.74	15.37	12.50
14.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	11.69	20.33	17.33
15.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.38	0.40	0.40
16.	डा. अम्बेडकर शताब्दी	6.00	17.50	10.00
17.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.48	2.54	4.90

विवरण II

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए योजना-वार बजट प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	250.00	330.00	330.00
2.	अनुच्छेद 275(1)	75.00	75.00	75.00
3.	गैर-सरकारी संगठन	4.75	5.50	5.00
4.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	3.50	4.00	4.00
5.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	3.05	3.50	3.50
6.	अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल	3.05	3.50	3.50
7.	अनुसूवित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल	2.50	3.00	3.00
8.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	2.40	3.00	3.00
9.	बहुत कम साक्षरता पाकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर	1.85	2.00	2.00
10.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण			
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान	1.30	1.50	1.50
	(ख) अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक योजनाएं	0.20	0.25	0.25
11.	ट्राइफेड में निवेश	9.00	10.75	10.75
12.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	0.50	0.50	0.50
13.	ट्राइफेड को सहायतानुदान	-	-	-
14.	तिलहन	-	-	-
15.	ग्राम अन्न बैंक	-	-	1.50
	कुल	82.10	442.50	443.50

आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना

3171. श्री शिवराज सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14, 15 और 16 जुलाई, 1997 के दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" में "बंजर भूमि में उगी घोटाले की फसल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) समेकित परती भूमि विकास परियोजना योजना के अंतर्गत परती भूमि विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक परियोजना आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में दी जाती है। परियोजना के कार्य-निष्पादन का जायजा लेने के लिए उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। समेकित परती भूमि विकास परियोजना योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है। लेकिन, ऐसे मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में डी.आर.डी.ए./पी.आई.ए.एस. को सुधारक उपाय करने के लिए कहा गया है।

अस्पृश्यता विरोधी कानून का दुरुपयोग

3172. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री वी.वी. राघवन:
श्री एस.पी. जायसवाल:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पृश्यता संबंधी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस कानून के अंतर्गत अनेक उच्च और पिछड़ी जातियों के निर्दोष लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कानून को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए भारत सरकार ने इन विधानों को अधिनियमित किया है।

विदेशी पूंजी निवेश

3173. श्री मधुकर सरपोतदार:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के किन प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश के साथ कितनी परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं; और

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं निर्यातोन्मुखी हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1996-97 के दौरान 174.21 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश वाली 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विदेशी पूंजी निवेश से कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएँ निर्यातोन्मुखी हैं।

विवरण I

विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजना की संख्या	विदेशी पूंजी निवेश
दूध और दूध उत्पाद	2	157.50
किण्वन	1	9.18
फल तथा सब्जी उत्पाद	5	5.51
मांस तथा मांस उत्पाद	2	2.02
	10	174.21

विवरण II

विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में).

राज्य	परियोजना की संख्या	विदेशी निवेश
गुजरात	1	1.87
हरियाणा	1	1.04
कर्नाटक	1	0.45
केरल	1	0.55
महाराष्ट्र	3	127.05
उत्तर प्रदेश	3	43.25
	10	174.21

[हिन्दी]

दिल्ली में चिड़ियाघर की स्थिति

3174. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री मोहन रावले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दिल्ली जू सफर्स फ्रॉम फिल्थ, निगलेक्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिड़ियाघर की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली का चिड़ियाघर गन्दगी और उपेक्षा का शिकार है, जैसाकि 19 जुलाई, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है। चिड़ियाघर को साफ सुथरा रखने तथा चिड़ियाघर के जीवों और वहां आने वाले व्यक्तियों को आदर्श वातावरण प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तथापि, खराब ड्रेनेज प्रणाली और "लो-टोपोग्राफी" के कारण भी कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज प्रणाली में सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार के सहयोग से एक विस्तृत योजना पहले ही तैयार कर ली गई है।

(ग) सारे देश में विभिन्न चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1992 में संशोधित) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा, चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने तथा चिड़ियाघर के वातावरण को सुखद बनाने के लिए नियम और विनियम बनाए गए हैं। चिड़ियाघर के वातावरण को सुखद और अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. चिड़ियाघर के काफी बड़े क्षेत्र में वृक्ष और झाड़ियां लगा दी गई हैं। यहां तक कि जो क्षेत्र गन्दगी व कूड़ा-करकट फेंकने के लिए प्रयोग किया जा रहा था,

वहां भी पेड़-पौधे लगा दिये गये हैं। इस प्रकार उत्पन्न हरियाली से न केवल सुन्दरता बढ़ेगी बल्कि पक्षियों सहित अन्य वन्यजीवों की संख्या में भी काफी वृद्धि होगी।

2. पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उपाय शुरू किए गए हैं: जैसे बायोगैस संयंत्र लगाना, इन-सिनरेटर, आगन्तुकों के लिए बैटरी-चालित ट्रालियां चालू करना आदि।

3. कूड़ा-करकट सही तरह से इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं।

4. अनेक बाड़ों में हाथियों के लिए नए आश्रय स्थल, स्टैंड आफ बैरियर्स, भोजन कक्षों का निर्माण किया गया है।

5. दीवार को क्षति से बचाने के लिए आवासीय कालोनी के साथ लगाई गई पैरामीटर दीवार के ऊपर बैल्ड शुदा जाली लगाई गई है।

रसायन उद्योग में विदेशी निवेश

3175. श्री काशीराम राणा:
श्री इलियास आज़मी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि और रसायनों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा औषधि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश हेतु क्या नीतियां निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) विचाराधीन नीति परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (ग) जी, हां। 1994 में घोषित संशोधित औषध नीति के अनुसार 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी प्रस्तावों पर स्वयमेव आधार पर स्वीकृति दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित 51 प्रतिशत से ज्यादा के प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रपुंज औषध, उनके मध्यवर्ती तथा सूत्रयोगों के लिए विद्यमान नीति में 51 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश का प्रावधान है। 51 प्रतिशत से ज्यादा के निवेश के मामलों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है, जहां प्रपुंज औषधों का उत्पादन मूल स्तर पर है तथा जहां पहले से निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है।

विवरण

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	विदेशी इक्विटी (% में)	कारण
1	2	3	4	5
1.	-	मैसर्स वारनार लेमर्वाट कंपनी, यू.एस.ए.	100%	कैंसर तथा डायबिटीज के उपचार के लिए भारत में 100 प्रतिशत सहायता के साथ औषध तैयार करने हेतु कंपनी को 12.12.94 का अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
2.	-	मै. अमेरिकन सिनामिड कंपनी, यू.एस.ए.	100%	कंपनी को भेषज उत्पादों के साथ-साथ रसायन उत्पादों के उत्पादन के लिए 18.8.94 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
3.	-	मै. आस्ट्रा-ए.बी., स्वीडन	100%	कंपनी को उत्पादन तथा अनुसंधान के लिए तथा भेषज सैक्टर के लिए 13.2.95 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
4.	–	मै. सीबा गाईगी लि., स्विटजरलैंड	100%	कंपनी को 20.12.95 को होल्डिंग कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमोदन-पत्र दिया गया जिसे भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाएंट वेंचर में जाने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा, यह अनुमोदन इस शर्त पर होगा कि आगे कोई ज्वाएंट वेंचर स्थापित करने से पूर्व इन्हें भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
5.	–	मै. हैस्ट ए.जी., जर्मनी	100%	(1) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए (2) फाइबर, हाई परफारमेंस प्लास्टिक तथा एचडीपी के उत्पादन के लिए ज्वाएंट वेंचर कंपनी स्थापित करने के लिए भारत में पूर्णत: निजी कंपनी स्थापित करने के लिए 16.11.95 को अनुमोदन-पत्र दिया गया। इस अनुमोदन के लिए यह शर्त है कि डाउनस्ट्रीम कार्यकलापों के लिए ज्वाएंट वेंचर स्थापित करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
6.	–	मै. मेडस लि., जर्मनी	100%	100 प्रतिशत निर्यात के लिए साईलियन वीज तथा सनाय पत्तियों से लेक्सेटिम सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए 15.4.96 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
7.	–	मै. नाल एं.जी., जर्मनी	100%	वेरापामिल एचसीएल तथा आइबूफेन के उत्पादन के लिए 7.10.96 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
8.	–	मै. सेंडोज, स्वीटजरलैंड	100%	निम्नलिखित पांच उत्पादनों के उत्पादन के लिए कंपनी को 18.10.96 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया: (1) लेक्टोबायोनिक एसिड, (2) केल्सीब्रोनेट, (3) सल्फाट्रेक्साजोल (4) बेपीरेमीन मेलीएट, (5) कीटनाशक उत्पाद।
9.	–	(1) मै. मर्क केजीए ए, जर्मनी	50%	(1) बुठाफेनाल (2) कैल्सियम डानसाइलेट इत्यादि जैसे औषधियों के उत्पादन के लिए कंपनी के प्रस्ताव को एफआईपीवी द्वारा 11.1.97 को स्वीकृति दी गई थी।
		(2) मै. मर्क जेनेरिक्स यू.के.	50% (100%)	

1	2	3	4	5
10.	–	मै. हैक्स्ट रसेल वेट लि., जर्मनी	100%	भारत में नई औषधियों का उत्पादन करने के लिए कंपनी के प्रस्ताव का एफआईपीबी द्वारा 22.2.97 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.	मै. सीबा-सीकेडी बायोकेम लि.	1. सीबा गाइगी लि., स्विटजरलैंड	9.80%	रिफैम्पीसिन प्रपुंज औषध तथा इसके मध्यवर्तियों के उत्पादन के लिए 31.10.94 में कंपनी को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
		2. कांग कुंग डांड कार्पोरेशन, द. कोरिया	49.00%	
12.	मै. राजेन्द्र ए. साह एंड डीडी चोपड़ा	मै. टाइगर मेडिकल लि., सिंगापुर	60.00%	टाइगर बाम जैसे भेषज उत्पादन के लिए कंपनी को 19.1.96 में अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
13.	मै. बन्यान केमिकल्स प्रा.लि.	मे. इन्वावेड आईएनसी यू.एस.ए.	95.00%	100% निर्यात के लिए सियुड एफेड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड/सल्फेट तथा टेरफेनेडाइन के लिए 5/12.1.95 को अनुमोदन-पत्र जारी किया गया।
14.	मै. बेहरिंगर मेनेम (इंडिया) लि.	मै. बेहरिंगर मेनेम (फार ईस्ट) पीटीई लि., सिंगापुर	37.47% से 63.36%	प्रपुंज भेषज, रसायन तथा सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए कंपनी को 9.2.95 में अनुमोदन-पत्र जारी किया गया। एसआईए अनुमोदन संख्या एफसी-2 : 502(96)/205(96) दिनांक 20.7.96 के जरिये विदेशी इक्विटी को 74% तक संशोधित किया गया।
15.	मैं. हैंक्सट मेरीन रसेल लि.	मै. हैक्स्ट ए.जी., जर्मनी	50.1% से 56.1%	नए उत्पादों के अनुसंधान तथा विकास के लिए कंपनी को दिनांक 30.9.96 का अनुमोदन पत्र संख्या एफ.सी.-2: 795(96)/620(96) जारी किया गया।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

3176. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई नीति का मत्स्यन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चावल उत्पादक राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज

3177. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को महत्वपूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों के चावल उत्पादन क्षेत्रों (राईस बेल्ट) में ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जहां मिट्टी के उपजाऊ होने के बावजूद उत्पादकता क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पैकेज पर 300 करोड़ रुपये की लागत आने की आशा है; और

(च) यदि हां, तो अंतिम रूप दिये गए प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) चावल सहित अनाज का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से भारत सरकार चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को महत्वपूर्ण आदानों जैसे उच्च पैदावार देने वाली किस्मों/संकरों के बीजों के उपयोग, पावर टिलरों तथा स्प्रिंकलरों सहित उन्नत फार्म उपस्करों, मृदा पोषक तत्वों, हरी खाद, बीजों आदि के लिए सहायता दी जाती है ताकि उन्हें उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा नई विकसित प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए फील्ड प्रदर्शनों के आयोजन तथा कृषक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इन प्रोत्साहनों का मूल उद्देश्य कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र में भूमिगत जल के दोहन संबंधी एक कार्यक्रम भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का क्षेत्रफल

3178. कुमारी उमा भारती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुल भूमि में से कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है;

(ख) देश में कुल कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या कृषि भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने और अधिक भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) भूमि उपयोग आंकड़े 1994-95 (नवीनतम) के अनुसार कुल सूचित भूमि में कृषि की जा रही भूमि (कुल बोई गई भूमि एवं चालू परती) का प्रतिशत 51.2 है। कुल बोई गई भूमि कुल सूचित भूमि का 46.8% है। यह प्रतिशत बहुत से देशों की तुलना में अधिक है।

(घ) और (ङ) सरकार खेती के अंतर्गत और अधिक कृष्य भूमि लाने के लिए निम्नलिखित योजनायें चला रही है:-

(1) ऊसर मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार परियोजना

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऊसर मृदा के सुधार एवं विकास के लिए परियोजना।

[अनुवाद]

चीतों का संरक्षण

3179. श्री परसराम भारद्वाज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीतों की आबादी के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम सर्वेक्षण किस तारीख को किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने चीतों का संरक्षण करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) चीतों का अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण 4-5 वर्षों में एक बार किया जाता है। पिछला सम्पूर्ण सर्वेक्षण 1993 में किया गया था जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा चीतों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

देश में चीतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	चीते		
		1984	1989	1993
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	0189	0119	0138
2.	महाराष्ट्र	0380	0580	0417
3..	केरल	-	0027	0016
4.	पश्चिम बंगाल	0112	0108	0108
5.	उड़ीसा	0266	0279	0378
6.	कर्नाटक	0238	0283	0455
7.	बिहार	0113	0134	0203
8.	असम	0123	0123	0246
9.	राजस्थान	0270	0461	0475
10.	मध्य प्रदेश	1322	2036	1700
11.	उत्तर प्रदेश	0880	1095	0711
12.	आन्ध्र प्रदेश	-	0301	0152
13.	हिमाचल प्रदेश	0199	0199	0821

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	0007	-	-
15.	त्रिपुरा	0027	0037	0018
16.	दादर व नागर हवेली	-	0010	0015
17.	मिजोरम	0006	0038	0049
18.	नागालैण्ड	0072	0072	-
19.	अरूणाचल प्रदेश	0021	0121	0098
20.	सिक्किम	-	0001	-
21.	गुजरात	0498	0702	0772
22.	हरियाणा	0010	0019	0025
23.	गोवा दमन एवं दीव	0010	0018	0031
24.	जम्मू और कश्मीर	0004	0004	-
	कुल	4744	6763	6828

विवरण II

1. तेंदुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची-1 का प्राणी है। अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्यजीवों के शिकार करने पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. वन्य प्राणी जात और वनस्पति प्राणि जाति के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 445 वन्यजीव आश्रय स्थलों और 84 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय-स्थलों एवं बाघ परियोजना के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

3. क्षेत्रों में जीवीय दबाव को कम करके उसके पारि-विकास के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जा रही हैं।

4. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता को कड़ा करें और गश्त कार्य में तेजी लाएं।

5. तेंदुओं सहित वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए "स्पेशल स्ट्राइक फोर्स" गठित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

6. वन्य जीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकतर मुख्य निर्यात केन्द्रों पर क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय वन संरक्षण कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

7. *जब कभी भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बारे में वन्यजीव प्राधिकारियों को सूचना मिलती है तो उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।*

8. अन्य प्रवर्तन संगठनों, जैसे पुलिस, बी.एस.एफ., कस्टम, आई.टी.बी.पी., कोस्ट गार्ड्स आदि को शामिल करके अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। उक्त सभी संगठनों के लिए 1995-96 में नई दिल्ली और देहरादून में 'वाइल्ड लाईफ एन्फोर्समेंट एंड इम्पलीमेंटेशन' के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये थे।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की संख्या

3180. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात तथा राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कमी कब तक दूर हो जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

रसायनों और उर्वरकों की आवश्यकता और पूर्ति

3181. **श्री नामदेव दिवाथे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायनों और उर्वरकों की वार्षिक विशेषकर वर्षा ऋतु के लिए कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की राज्यवार कितनी मात्रा की पूर्ति की गई/आबंटित की गई;

(ख) राज्यों को रसायनों और उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किये गये प्रबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से उर्वरकों की भारी कमी होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) कृपक समुदाय की आवश्यकता पूरी करने के लिए चालू वर्ष के दौरान आयात किए गए रसायनों और उर्वरकों की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है और पिछले मौसम में की गई खरीद की तुलना में राज्यों को रसायनों और उर्वरकों की पूर्ति में कितनी कमी हुई, यदि कोई हो;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना में रसायनों और उर्वरकों की राज्यवार कितनी मांग/खपत का अनुमान है; और

(छ) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) नीचे दी गई सारणी में पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों की मांग तथा उर्वरक पोषक तत्वों की खपत का विवरण दिया गया है:

(लाख मी. टन)

वर्ष	उर्वरक खपत (एन.+पी.+के.)	कीटनाशकों की मांग (तकनीकी ग्रेड)
1994-95	135.64	0.81
1995-96	138.77	0.74
1996-97	149.31 (अनुमानित)	0.67

यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जिसके लिए प्रत्येक फसल मौसम के लिए मांग का आकलन किया जाता है। 30.6.97 तक आपूर्ति किये गये तथा खरीफ 1997 के मौसम के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित यूरिया की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक फसल मौसम के पहले यूरिया के विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली राज्यवार आपूर्ति को उल्लिखित करते हुए एक आपूर्ति योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों को यूरिया की आपूर्ति का निश्चित समयान्तराल पर प्रबोधन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। विनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता मांग तथा आपूर्ति की बाजार प्रवृत्तियों पर निर्भर है। राज्य सरकारों को विनियंत्रित उर्वरकों तथा कीटनाशकों की उपलब्धता का प्रबोधन करने की सलाह दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1997-98 के दौरान अब तक उर्वरकों तथा कीटनाशकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। नीचे दी गई सारणी में 1997-98 के दौरान 31.7.97 तक यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) तथा म्यूरियेट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) के आयात का विवरण दिया गया है:

(लाख मी. टन)

यूरिया	13.62
डी.ए.पी.	7.97
एम.ओ.पी.	6.80

(च) प्रत्येक वर्ष के पहले कीटनाशकों की मांग का आकलन किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) के लिए उर्वरक पोषक तत्वों तथा 1997-98 के लिए कीटनाशकों की मांग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(छ) रसायनों तथा उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति घरेलू उत्पादन तथा आयात के जरिये की जाती है।

विवरण I

यूरिया का राज्यवार आबंटन तथा आपूर्ति

(000 मी. टन)

		खरीफ, 1997	
क्र.सं.	राज्य	आबंटन	30.6.1997 तक आपूर्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,079.67	578.42
2.	कर्नाटक	592.60	296.60
3.	केरल	73.92	45.01
4.	तमिलनाडु	362.34	240.07
5.	गुजरात	599.50	257.88
6.	मध्य प्रदेश	674.50	331.56
7.	महाराष्ट्र	1,170.02	565.33
8.	राजस्थान	506.00	278.76
9.	गोवा	4.84	0.88
10.	हरियाणा	564.30	320.54
11.	पंजाब	999.66	664.91
12.	उत्तर प्रदेश	2,300.43	1,299.66
13.	हिमाचल प्रदेश	20.47	13.54
14.	जम्मू व कश्मीर	68.48	37.58
15.	बिहार	796.91	446.01
16.	उड़ीसा	346.13	162.22
17.	पश्चिम बंगाल	460.10	272.99
18.	असम	43.53	25.94
19.	त्रिपुरा	11.09	6.04
20.	मणिपुर	25.12	6.94
21.	मेघालय	2.90	0.44

1	2	3	4
22.	नागालैंड	0.55	0.78
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.30	0.31
24.	मिजोरम	0.60	0.32
25.	सिक्किम	0.97	0.30
26.	अन्य	48.52	28.44
	अखिल भारत	10,753.45	5,881.47

विवरण II

राज्यवार मांग का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2001-02 के लिए उर्वरक पोषक-तत्व (एन.+पी.+के. लाख मी.टन)	1997-98 के लिये कीटनाशक (तकनीकी ग्रेड का मी. टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23.47	9,000
2.	कर्नाटक	12.20	3,000
3.	केरल	2.97	940
4.	तमिलनाडु	12.05	2,929
5.	गुजरात	11.57	5,291
6.	मध्य प्रदेश	12.98	1,517
7.	महाराष्ट्र	19.87	5,625
8.	राजस्थान	11.77	3,325
9.	गोवा	0.10	5
10.	हरियाणा	10.24	5,045
11.	पंजाब	17.66	7,300
12.	उत्तर प्रदेश	35.00	7,800
13.	हिमाचल प्रदेश	0.41	200
14.	जम्मू व कश्मीर	0.78	140
15.	बिहार	9.89	1,325
16.	उड़ीसा	3.97	994
17.	पश्चिम बंगाल	12.30	5,025
18.	असम	0.61	290
19.	त्रिपुरा	0.11	35
20.	मणिपुर	0.18	40
21.	मेघालय	0.05	20
22.	नागालैंड	0.01	12
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.01	19
24.	मिजोरम	0.78	245
	अखिल भारत	199.00	60,143

एन.डी.डी.बी. में अनियमितताएं

3182. श्री मनोज कुमार सिन्हा:
श्री लालमुनी चौबे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1997 के "जनसत्ता" में "अग्नि परीक्षा से बचता फिर रहा है एन.डी.डी.बी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अनुरोध पर, भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(2) के तहत वित्तीय वर्ष 1988-89 से 1995-96 तक के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का लेखा परीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना दी थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बाद में बताया कि इसका मामला उक्त अधिनियम की धारा 15(2) के तहत आता है और इस प्रकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इसका लेखा परीक्षा नहीं किया जा सकता। चूंकि इस विषय पर विधि मंत्रालय की सलाह ली जानी थी, अत: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया गया कि वे तब तक आगे कार्रवाई न करें।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वर्ष 1995-96 की 30वीं वर्षगांठ रिपोर्ट समीक्षा रिपोर्ट के साथ दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी गई थी। बाद में सरकार ने महसूस किया कि इस रिपोर्ट में सभी मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, पिछली रिपोर्ट, जिसे सदन पटल पर नहीं रखा गया था, वापस ले ली गई तथा नई समीक्षा रिपोर्ट 15.5.97 को राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को भेजी गई।

ऑपरेशन फ्लड पर सरकार के विचार समीक्षा रिपोर्ट में शामिल हैं।

गेहूं, चावल और गन्ने की खेती का क्षेत्रफल

3183. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में राज्यवार गेहूं, चावल और गन्ने की खेती के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप से भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में कितने और अधिक भू-क्षेत्रफल को इन फसलों की खेती के अंतर्गत लाया जायेगा; और

(ग) सरकार द्वारा इन फसलों की खेती के अंतर्गत भू-क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1995-96 तथा 1994-95 की तुलना में वर्ष 1996-97 में गेहूं, चावल और गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी फसल विशेष की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई खास उपाय नहीं किये हैं। हालांकि, इन फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चावल और गेहूं पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित दलहन विकास कार्यक्रम, तथा गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास जैसे फसल विशेष के लिए विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

विवरण

1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में गेहूं, चावल और गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र (अग्रिम अनुमान)

(हजार हैक्टे. में क्षेत्र)

	गेहूं			चावल			गन्ना		
राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	11	9	9	3638	3679	3970	209	214	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	80	86	100	2451	2503	2557	36	36	36
बिहार	2071	2072	2230	4855	5031	5072	123	124	124
गुजरात	721	506	518	611	570	642	155	162	150
हरियाणा	1986	1991	2016	795	837	831	120	144	163
हिमाचल प्रदेश	379	379	370	83	83	83	3	3	3
जम्मू व कश्मीर	239	239	248	271	273	273	नगण्य	नगण्य	1
कर्नाटक	243	219	233	1296	1269	1315	345	313	255
केरल				503	472	452	6	6	8
मध्य प्रदेश	4193	4008	4206	5349	5168	5292	37	51	58
महाराष्ट्र	767	702	799	1538	1517	1476	518	500	513
उड़ीसा	5	4	4	4456	4529	4410	20	30	22
पंजाब	3311	3282	3226	2277	2161	2160	83	132	173
राजस्थान	2322	2196	2464	159	140	147	22	28	27
तमिलनाडु				2229	2229	2269	328	318	265
उत्तर प्रदेश	8995	9052	5151	5577	5576	5549	1839	1974	2014
प. बंगाल	326	326	350	5773	5953	5390	11	17	25
अन्य	51	51	50	953	920	921	12	11	13
अखिल भारत	25700	25122	25974	42814	42910	42811	3867	4139	4049

[हिन्दी]

वन्य भूमि के अवैध कब्जे को नियमित करना

3184. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:
श्री बुद्धसेन पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि के अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश सरकार से वन भूमि के अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्रमांक	राज्य का नाम	जिला	क्षेत्र (है. में)	वर्तमान स्थिति
1.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,03,000.000	राज्य सरकार ने 2.73 लाख है. भूमि का वन भूमि के उपयोग के लिए प्रस्ताव भेजा है। जुलाई 1990 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी मापदंडों के अनुसार, पात्र पाए गए अतिक्रमणकारियों के पक्ष में 1.03 लाख है. भूमि को वन भूमि के उपयोग में लाने के लिए अनुमोदित किया गया था।
2.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,77,938.431	प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही
3.	मध्य प्रदेश	खारगौन	3,773.349	है।

(घ) मंत्रालय में पूरे ब्यौरे और स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रालय द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

केरल में नारियल का उत्पादन

3185. प्रो. पी.जे. कुरियन:
श्री जी.एम. बनातवाला:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में, प्रति हैक्टेयर उत्पादित कुल नारियल का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में अन्य राज्यों की तुलना में नारियल का राज्यवार उत्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या केरल में अन्य नारियल का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष घट रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को केरल सरकार से नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या नारियल विकास बोर्ड ने देश में विशेषकर केरल में नारियल की पैदावार को बढ़ावा देने तथा उसके उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारत में नारियल का औसत उत्पादन क्रमशः 7324, 7760 और 7779 गिरी प्रति हैक्टेयर हुआ है। नारियल के उत्पादन में केरल एक अग्रणी राज्य है और इसमें उत्पादन में कमी भी नहीं आ रही है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां। नारियल के लिए 5000 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की मांग की गयी थी। 1997 मौसम में कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलिंग कोपरा के लिए 2700 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाल कोपरा के लिए 2925.00 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी, हां।

(झ) नारियल विकास बोर्ड केरल में कई कार्यक्रम चला रहा है जिनमें गुणवत्ता वाले पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार करना, उत्पादकता में सुधार लाना, उत्पादों के विविधीकरण और उप-उत्पादों के उपयोग संबंधी तकनीक का विकास करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता भी दी जा रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान नारियल का अखिल भारतीय क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

राज्य/संघ शा. क्षेत्र	नारियल का उत्पादन (मिलियन नट्स)			उत्पादकता (नट्स/हेक्टेयर)		
	1993-94 (सं.)	1994-95 (सं.)	1995-96 (अ.)	1993-94 (सं.)	1994-95 (सं.)	1995-96 (अ.)
आन्ध्र प्रदेश	1103.5	1181.5	1231.4	13011	13642	13682
असम	116.5	117.6	126.2	6734	6607	7090
गोवा	116.0	110.0	110.0	4833	4707	4818
कर्नाटक	1308.0	1364.1	1406.5	5172	5171	5221
केरल	5197.0	5335.1	5905.7	6890	5856	6013
महाराष्ट्र	149.5	178.6	169.1	18707	21780	20622
उड़ीसा	210.5	234.5	234.5	5716	5466	5466
तमिलनाडु	3311.4	4345.7	6345.7	12139	14554	14554
त्रिपुरा	4.7	4.7	4.7	500	500	500
पश्चिम बंगाल	310.3	274.4	279.4	14706	12704	12095
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	85.3	85.4	85.4	3496	3500	3500
लक्षद्वीप	26.3	26.0	26.5	9393	9206	9464
पाण्डिचेरी	27.7	34.1	33.8	14579	16238	16095
अखिल भारत	11974.7	13299.6	13967.9	7324	7760	7770

सं. = संशोधित
अ. = अनुमानित

उचित मूल्य की दुकानों में आयोडीन नमक की बिक्री

3186. श्री संतोष मोहन देव: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर राज्यवार रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सत्ताइस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनमें अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और दो राज्यों ने आंशिक रूप से अर्थात् राज्य के कुछ क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

प्रतिबंध-मुक्त शेष तीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से गोवा सरकार 15 अगस्त, 1997 से तथा पांडिचेरी सरकार पहली सितम्बर, 1997 से प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। केरल सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) भारत सरकार केरल सरकार पर आयोडीन रहित नमक की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी करने के लिए दबाव डाल रही है।

विवरण

I. *वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां पूर्णतया रोक है*

1. असम
2. अरूणाचल प्रदेश
3. बिहार
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. मध्य प्रदेश
11. मणिपुर
12. मेघालय
13. मिजोरम
14. नागालैंड
15. उड़ीसा
16. पंजाब
17. राजस्थान
18. सिक्किम
19. तमिलनाडु
20. त्रिपुरा
21. उत्तर प्रदेश
22. पश्चिम बंगाल

संघ राज्य क्षेत्र

23. चंडीगढ़
24. दादर और नगर हवेली
25. लक्षद्वीप
26. दमन और दीव
27. अण्डमान और निकोबार

II. *राज्य, जहां आंशिक रोक है*

1. महाराष्ट्र (17 जिले)

2. आंध्र प्रदेश (7 जिले)

III. *राज्य, जहां रोक नहीं है*

1. गोवा—15 अगस्त, 1997 से रोक लगाने का प्रस्ताव है।

2. पांडिचेरी—पहली सितम्बर, 1997 से रोक लगाने का प्रस्ताव है।

3. केरल

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन

3187. श्री टी. गोपाल कृष्ण: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 3.04 लाख हैक्टेयर वन भूमि के कब्जे का हस्तांतरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे हस्तांतरणों को रोकने के लिए क्या कदम उठायें जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के बारे में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न मंचों से समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ये उल्लंघन, अधिकतर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन-भूमि के उपयोग करने तथा मंत्रालय के अनुमोदन-आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालय

3188. श्री रामकृपाल यादव: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी राज्यों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) जी, हां। राज्यों और संघ क्षेत्रों में इस समय 32 राज्य आयोग और 518 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिला मंचों की स्थापना करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोगों की संख्या	जिला मंचों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	23
अरूणाचल प्रदेश	1	13
असम	1	23
बिहार	1	55
गोवा	1	2
गुजरात	1	20
हरियाणा	1	16
हिमाचल प्रदेश	1	12
जम्मू व कश्मीर	1	2
कर्नाटक	1	20
केरल	1	14

1	2	3
मध्य प्रदेश	1	45
महाराष्ट्र	1	34
मणिपुर	1	8
मेघालय	1	7
मिजोरम	1	3
नागालैण्ड	1	7
उड़ीसा	1	31
पंजाब	1	17
राजस्थान	1	32
सिक्किम	1	4
तमिलनाडु	1	24
त्रिपुरा	1	3
उत्तर प्रदेश	1	72
पश्चिम बंगाल	1	19
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	2
चंडीगढ़	1	1
दादरा व नगर हवेली	1	1
दमण व दीव	1	2
दिल्ली	1	4
लक्षद्वीप	1	1
पाण्डिचेरी	1	1
कुल	32	518

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की पद्धतियों में परिवर्तन

3189. श्री सिद्दैया कोटा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों में वित्त पोषण और कर्मचारी संबंधित पद्धतियों में हाल ही में किये गये परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस प्रकार के परिवर्तन करने से पहले स्वयंसेवी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों के राष्ट्रीय मंच और अन्य संगठनों से परामर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नए परिवर्तनों से क्या लाभ होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक विकास की प्रतिपूर्ति करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो विकसित किए गए अवसंरचना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और नई नीति के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी बचत होने की संभावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) हाल ही में कृषि [illegible] केन्दों को धनराशि उपलब्ध कराने, और कर्मचारियों से संबंधित पद्धति में जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें भा.कृ.अ.प. ने योजना आयोग की सहमति से किया है।

धनराशि उपलब्ध कराने की मौजूदा पद्धति के मुताबिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को 75:25 अनुपात की भागीदारी पर धन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद का अंशदान कुल आकलित व्यय का 75% होगा और इसके बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना में भागीदारी का अनुपात 50:50 होगा।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों के लिए आवश्यक जरूरतों को देखते हुए सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या बदलकर 16 कर दी गई है।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यान्वयन के विभिन्न मुद्दों पर विचारोत्तेजक सत्र में हुई चर्चा के आधार पर परिवर्तन लागू किए गए हैं। इन परिवर्तनों में संभावित विकल्पों के लिए और चर्चा करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को भी शामिल किया गया।

धनराशि के अभाव और वित्तीय साधनों की कमी को देखते हुए भागीदारी की विधि के आधार पर कोष पद्धति से ये संस्थान लम्बे समय तक स्वावलम्बी बने रह सकेंगे।

(ङ) और (च) कृषि विज्ञान केन्द्रों के संरचनात्मक विकास के लिए अब तक भा.कृ.अ.प. द्वारा शत-प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।

(छ) धन उपलब्ध कराने की भागीदारी की विधि से मौजूदा ढांचे में कोई बढ़ोत्तरी करने के लिए कुल अनुमानित लागत के 25% तक की बचत होगी।

दिल्ली में आग की दुर्घटनाएं

3190. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री कचरू भाऊ राउत:
कुमारी सुशीला तिरिया:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22-28 जून, 1997 के "द संडे अब्जर्वर" में "कोल्ड स्टोरेज्ड रिपोर्ट वार्न्ड आफ टावरिंग इन्फर्नोस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आग की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एस.सी. वाजपेयी समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। समाचार में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए 1995 में गठित की गई एस.सी. वाजपेयी समिति की सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उक्त समिति द्वारा की गई सिफरिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई किये जाने हेतु संबंधित स्थानीय निकायों/एजेंसियों को अग्रेषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए एक अग्नि शमन सलाहकार समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा प्रबंध को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का भी विचार है।

[हिन्दी]

रात्रि सेवा बसों में अपराध

3191. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रात्रि सेवा बसों में विशेषकर दिल्ली, चण्डीगढ़, अमृतसर, रामनगर, हरिद्वार और कोटद्वार से जाने वाली बसों में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन बसों में लूट और हत्या की घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) 1994-95, 1996-97 में पृथक-पृथक इन बसों में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, सूची-2 के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य

के विषय है। इसलिए रात्रि सेवा क्लबों से संबंधित अपराधों सहित अपराध को दर्ज करना, अन्वेषण करना, पता लगाना और उन्हें घटित होने से रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। खासतौर से रात्रि सेवा क्लबों में हो होने वाले अपराधों के संबंध में सांख्यिकी, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। तथापि, केन्द्र सरकार समय समय पर राज्यों को उनके पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा सलाह भी देती रही है।

[अनुवाद]

ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता

3192. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत "ड्रिप सिंचाई सेटों" को स्थापित करने के लिए ड्रिप सिंचाई सेटों के लक्षित सेटों पर राजसहायता देने के लिए 27 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये के पूर्व दावों की अदायगी करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इसके लिए अपेक्षित धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने योजना के ड्रिप स्थापना घटक के अंतर्गत 1997-98 के दौरान भारत सरकार से अधिक राजसहायता के आवंटन का अनुरोध किया है।

(ग) 1997-98 के दौरान सरकार ने ड्रिप स्थापना के लिए महाराष्ट्र को 18.74 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। सरकार ने राज्य को 1996-97 में जारी धनराशि के बचे हुए शेष को भी पुनः वैध कर दिया है। 1997-98 के दौरान 3.26 करोड़ रु. की राशि जारी करने के लिए स्वीकृत की गई है। आगे सहायता वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मिलने के बाद दी जायेगी।

बोडो आंदोलन

3193. श्री उत्तम सिंह पवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "ए.बी.एस.यू. टू मीट पी.एम. फॉर स्टेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं;

(ग) असम सरकार और बोडो नेताओं के बीच असहमति के विशेष मुद्दे क्या हैं; और

(घ) उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) असम में मैदानी जनजातियों, विशेष रूप से बोडो की मांग थी कि उनके लिए असम राज्य में से संघ शासित क्षेत्र/पृथक राज्य का सृजन किया जाए। 20 फरवरी, 1993 को बोडो नेताओं और असम सरकार के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत एक स्वायत्तशासी बोडोलैंड परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अनुसरण में असम विधान सभा द्वारा 1993 में बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद अधिनियम पारित किया गया था और उसे 13 मई, 1993 को भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद के लिए चुनाव होने तक अंतरिम बोडोलैंड कार्यकारी परिषद गठित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा परिषद का क्षेत्र भी अधिसूचित किया गया था।

बोडो समझौता का मुख्य उद्देश्य बोडो को उनके सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक, जातीय और सांस्कृतिक उत्थान के लिए स्वायत्तता प्रदान करना था। तथापि, बोडो स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव नहीं कराये जा सके क्योंकि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के मामले पर और बोडो स्वायत्तशासी परिषद क्षेत्र में और गांवों को शामिल करने की मांग पर राज्य सरकार और बोडो नेताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये थे।

कुछेक बोडो संगठन पूर्ण बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। लम्बित मुद्दों का हल निकालने के लिए असम सरकार विभिन्न बोडो नेताओं के साथ बातचीत कर रही है।

अन्तर्देशीय नमक उद्योग का संरक्षण

3194. श्री सनत मेहता: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विपरीत लिटल रन आफ कच्छ में नमक मजदू

के दस हजार से अधिक परिवारों को रोजगार देने वाले वाइल्ड ऐस सेंक्चुअरी के निकट अन्तर्देशीय नमक उद्योग को संरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाइल्ड ऐस सेंक्चुअरी का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है और अन्तर्देशीय नमक विनिर्माण उद्योग से कितने प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) "वाइल्ड ऐस सेंक्चुअरी" का कुल क्षेत्र 4953.69 वर्ग कि.मी. है और राजस्व विभाग द्वारा नमक उत्पादन के लिए पट्टे पर दी गई कुल भूमि 36.89 वर्ग कि.मी. है। नमक के उत्पादन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि कुल सेंक्चुअरी क्षेत्र का 7.44 प्रतिशत है।

औषधियों को सूची में शामिल करना

3195. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन औषधियों और घटकों के नाम क्या हैं जिन्हें नकारात्मक सूची में रखा गया है;

(ख) क्या इन औषधियों और घटकों को नकारात्मक सूची में शामिल किये जाने से कालाबाजारी और तस्करी को बढ़ावा मिला है; और

(ग) इस सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जिन औषधों व मध्यवर्तियों को नकारात्मक सूची में रखा गया है, वे ये हैं:

1. सभी प्रकार की पेनिसिलिन
2. 6-ए पी ए
3. टेट्रासाइक्लिन/आक्सीटेट्रो साइक्लिन तथा उनके लवण
4. स्ट्रेप्टोमाइसिन
5. रिफेम्पिसिन
6. रिफेम्पिसिन के मध्यवर्ती, अर्थात्:
   - 3-फार्माइल रिफा एस वी
   - रिफा-एस/रिफा एस सोडियम, तथा
   - 1-एमिनों-4 मेथाइल पिपराजिन
7. विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, और उनके लवण

(ख) प्राप्त हुई रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आयातित टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन की कुछ मात्राएं खुले बाजार में भी जा पहुंचती हैं।

(ग) केवल महत्वपूर्ण औषधें तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित कुछ औषधें नकारात्मक सूची में रखी गई हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए इस सूची की नियमित आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

पी.डब्ल्यू.जी. और एन.एस.सी.एन. के बीच गठबंधन

3196. श्री चित्त बसु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध घोषित किये गये पीपुल्स वार ग्रुप तथा एन.एस.सी.एन. के बीच गठबंधन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) पी.डब्ल्यू.जी. और एन.एस.सी.एन. के बीच गठबंधन होने के संबंध में सरकार के पास कोई पक्की सूचना नहीं है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से इस संबंध में कड़ी नजर रखी जा रही है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों को सहायता

3197. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इसका किस सीमा तक उपयोग किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों के लिये सहायता प्राप्त कर रहे राज्य हैं—असम, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम के अधीन दी गई तथा इस्तेमाल की गई खाद्य सहायता की मात्रा इस प्रकार है:

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

राज्य	दी गई खाद्य सहायता	इस्तेमाल की गई सहायता
1. असम	1.30	0.85
2. बिहार	2.90	3.82*
3. गुजरात	4.00	7.68*
4. कर्नाटक	5.22	12.58*
5. केरल	15.99	13.25
6. मध्य प्रदेश	10.71	21.22*
7. उड़ीसा	7.38	3.50
8. राजस्थान	31.25	32.03*
9. उत्तर प्रदेश	7.38	8.61*
	86.13	103.54*

*पिछले वर्ष दी गई जिंस शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के मामले

3198. डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांचे गए सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक सम्पत्ति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उपर्युक्त मामले में संलिप्त अधिकारियों की ग्रेडवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध स्वयं ही कोई कार्यवाही की है जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सतर्कता अनुभाग की शक्तियों के कार्यकरण की कोई पुनरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) मंत्रालय के सतर्कता शिकायत रजिस्टर के अनुसार, 1.4.1995 तक सोलह मामले, जिनमें बीस सरकारी कर्मचारी लिप्त थे, की जांच की जा रही थी। 1995-96 में चौबीस अतिरिक्त शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर जांच आरम्भ की गई। इस अवधि के दौरान कुल नौ मामलों का निपटारा किया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता यूनिट के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। प्रशासनिक सतर्कता यूनिट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सामान्य अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है।

उड़ीसा में दुग्ध उत्पादन

3199. श्री मुरलीधर जेना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन डेयरियों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार को संबलपुर, कटक, ढेंकानल, क्योंझर तथा पुरी के मिल्कशेडों के लिए अपने दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत पिछले 10 वर्षों के दौरान 6.67 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। राज्य को कालाहांडी, कोरापुट, फूलबनी, बोलंगीर, सुंदरगढ़, बालासुर तथा मयूरभंज के पिछड़े जिलों में दुग्ध उत्पादन तथा उसके विपणन क्रियाकलापों में वृद्धि करने के लिए गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में ''एकीकृत डेयरी विकास परियोजना'' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत विगत तीन वर्षों में 10.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी देकर भी सहायता की गई है। राज्य सरकार ने अपने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार से किसी अन्य सहायता की मांग नहीं की है।

गैर-कानूनी संगठन

3200. **श्री चमन लाल गुप्तः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के साथ-साथ केन्द्र द्वारा गैर-कानूनी घोषित संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या जमाते-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर पीपुल कांफ्रेंस तथा कुछ अन्य संगठन जो स्पष्ट रूप से पृथक अलगाववादी हैं और भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं वे अभी भी भारत के निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त दलों की सूची में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) विधिविरुद्ध घोषित संगठनों की सूची

केन्द्र द्वारा:

1. जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (जे.के.एल.एफ.)
2. यूनाईटड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा)
3. बोडो सेक्यूरिटी फोर्स (बोडो-एस.एफ.—अब इसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड/एन.डी.एफ.बी. रखा गया है।)
4. नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) और इसके गुट।
5. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
6. पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलईपाक (प्रीपाक)
7. कांगलईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसका सशस्त्र विंग ''रेड आर्मी''।
8. यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
9. कांगलई योल कनबा लुप (के.आई.के.एल.)
10. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)
11. लिबरेशन टाईगर आफ तमिल ईलम (लिट्टे)

राज्यों द्वारा :

जम्मू और कश्मीर

1. हिज्बुल मुज्जाहिद्दीन
2. हरकत उल-अन्सार

आन्ध्र प्रदेश

1. पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी.)
2. रेडीकल यूथ लीग (आर.वाई.एल.)
3. रॉस कूली संघ (आर.सी.एस.)
4. सिंगरेनी कार्मिक सामाख्या (एस.आई.के.ए.एस.ए.)
5. विप्लव कार्मिक सामाख्या (वी.आई.के.एस.ए.)
6. रेडीकल स्टूडेंट्स यूनियन (आर.एस.यू.)
7. ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एस.एफ.)

बिहार

1. मजदूर किसान संग्राम समिति (एम.के.एस.एस.—प्रो-सी.पी.एम.एल.-समर्थक/पी.यू.)
2. माओवादी कम्यूनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी.)
3. लाल खांडी
4. सनलाईट सेना
5. लाल सेना

6. लोरिक सेना

7. भूमि सेना

8. हारा सेना

9. क्यूर सेना

10. ब्रह्मऋषि सेना

11. सवर्ण लिबरेशन फ्रंट

12. रणबीर किसान महासंघ

13. जन सुरक्षा संघर्ष मंच (एम.सी.सी. का फ्रंट)

(ख) और (ग) जमात-ए इस्लामी, एक राजनैतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत नहीं है, तथापि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत, जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस आयोग के पास पंजीकृत है। चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के उपबंधों के अंतर्गत इस पार्टी को जम्मू और कश्मीर में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथापि, आयोग ने इस पार्टी की मान्यता समाप्त करने का पहले ही निर्णय ले लिया है क्योंकि इस पार्टी ने 1996 में लोक सभा और जम्मू और कश्मीर विधान सभा के लिए पिछला आम चुनाव नहीं लड़ा और यह चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर मान्यता बनाए रखने के मानदण्डों को पूरा करने में असफल रही है।

हरिजन अधिनियम का दुरुपयोग

3201. श्री देवी बक्स सिंह:
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अधिकतर राज्यों में पुलिस अधिकारियों द्वारा हरिजन अधिनियम के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरिजन अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) भारत सरकार दो अधिनियम अर्थात् (1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तथा (2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 कार्यान्वित कर रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि ''कोई भी, सरकारी कर्मचारी होने के कारण किन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होने के कारण, अपनी उस ड्यूटी की जानबूझकर अवहेलना करता है जिसे उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के अंतर्गत उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।'' जहां तक उपयुक्त दो अधिनियमों का संबंध है, पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दहेज विरोधी अधिनियम का दुरुपयोग

3202. डा. रमेश चन्द तोमर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में पुलिस द्वारा दहेज विरोधी अधिनियम का दुरुपयोग किये जाने के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झूठी शिकायतों के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) पुलिस द्वारा दहेज निषेध अधिनियम और अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। चूंकि ''पुलिस'' राज्य का विषय है इसलिए ये शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। ऐसे उपाय करना राज्य सरकारों का काम है जो कि देश विधि को बिना भय या पक्षपात के लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों पर न केवल यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देती रही है कि कानूनों का कार्यान्वयन उनकी मूल भावना के अनुसार किया जाए बल्कि इस जरूरत पर भी कि दहेज निषेध तथा अन्य अधिनियमों के बारे में कानूनों/निर्देशों के बारे में आम जनता में जागरूकता लाई जाए।

सफाई कर्मचारी

3203. श्री मंगल राम प्रेमी: क्या कल्याण मंत्री सफाई कर्मचारियों के बारे में 11 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, नहीं। इस मामले के बारे में बार-बार अनुरोध किया जा रहा है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद एक समेकित विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

समेकित डेरी विकास

3204. श्री जी.एल. कनौजिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नॉन ऑपरेशन" बाढ़ क्षेत्रों में समेकित डेरी विकास के लिए अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) गैर-ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

3205. श्री अमर पाल सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में आतंकवाद का मुकाबला करते समय मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों की अंतिम रूप से जांच कर ली गई है;

(ग) कितने मामलों में न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मामलों के कारण कांस्टेबुलरी का मनोबल गिर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने और पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आश्रम विद्यालय

3206. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय उपयोजना के माध्यम से आश्रम विद्यालय संबंधी योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी सहायता स्वीकृत/प्रदान की गई है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत बिहार को सहायता राशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार राज्य से मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

आठवीं योजना के माध्यम से आश्रम विद्यालय संबंधी योजना के अंतर्गत प्रदत्त की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97			कुल		
		राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान	राशि	छात्रावास	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.00	6		34.50	5		66.80	4		72.17	4		212.50	5	500	420.97	24	500
2.	गुजरात	25.00	25		-	-		-	-		-			21.60	5	600	46.60	30	600
3.	कर्नाटक	-	-		-	-		67.50	5		-				-	-	67.50	5	0
4.	केरल	39.73	3		47.10	4*		-	-		-				-	-	88.83	3	0
5.	महाराष्ट्र	-	-		69.42	38*		1.76	1		-				-	-	71.18	1	0
6.	उड़ीसा	42.00	4		16.20	4		60.00	4		70.00	4		60.00	4	240	248.20	20	240
7.	तमिलनाडु	24.69	7		34.65	9		-	-		-				-	-	59.34	16	0
8.	त्रिपुरा	10.00	1		10.00	1		19.44	1		38.38	2		93.46	1	300	171.28	6	300
9.	उत्तर प्रदेश	23.58	2		40.68	3		-	-		-				-	-	64.26	5	0
10.	राजस्थान	-	-		-	-		24.50	2		-				-	-	24.50	2	0
11.	दमन और दीव	-	-		-	-		10.00	1		-				-	-	10.00	1	0
12.	मध्य प्रदेश	-	-		-	-		-	-		99.45	153 (अ.नि.)			-	-	99.45	153	0
																	0.00	0	0
	कुल	200.00	48		252.55	22		250.00	18		280.00	163		387.56	15	1640	1370.11	266	1640

*द्वितीय चरण निर्माण

अ.नि. : अतिरिक्त निर्माण।

[अनुवाद]

स्वच्छ जल मत्स्य पालन

3207. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्य किसान विकास एजेन्सियों के माध्यम से स्वच्छ जल मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की गई; और

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई है और 1997-98 के लिए अनुमान क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) 25 राज्यों ने मत्स्य कृषक विकास एजेन्सियों के माध्यम से ताजा पानी जलकृषि के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया है। वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यों को जारी की गई धनराशि एवं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1997-98 के लिए राज्यों/के.शा. प्रदेशों के लिए योजना के अंतर्गत बजट प्राक्कलन 1505 लाख रु. है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	122.00	44.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00	26.00
3.	असम	23.00	46.00
4.	बिहार	49.00	शून्य
5.	गोआ	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	17.00
7.	हरियाणा	24.00	28.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2.00	2.00
10.	कर्नाटक	25.00	12.00
11.	केरल	-	19.00
12.	मध्य प्रदेश	142.50	100.00
13.	महाराष्ट्र	26.00	26.00
14.	मणिपुर	8.00	16.00
15.	मेघालय	52.00	2.00
16.	मिजोरम	5.00	10.00
17.	नागालैंड	33.00	105.00
18.	उड़ीसा	40.50	160.00
19.	पंजाब	51.00	42.00
20.	राजस्थान	15.00	2.00
21.	सिक्किम	5.00	2.00
22.	तमिलनाडु	17.00	13.00
23.	त्रिपुरा	शून्य	16.00
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	195.00
25.	पश्चिम बंगाल	188.00	210.00
	योग	1019.00	1095.00

कर्नाटक में पुष्प कृषि के अंतर्गत भूमि

3208. श्री पी. कोदण्ड रमैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में पुष्प कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न के उत्पादन और विदेशी मुद्रा के अर्जन पर पुष्प कृषि के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कर्नाटक में इस उद्योग में कोई मन्दी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मन्दी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) पुष्पकृषि के विकास का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह 1991-92 के 14.45 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 60.14 करोड़ रु. हो गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कैदियों के संबंध में आयोग

3209. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैदियों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए कोई आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कैदियों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुधार कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, सूची-2 की प्रविष्टि-4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। कैदियों की शिकायतों की जांच करने और राज्यों की अपनी जेल नियमावलियों के अनुबंधों के अनुसार इनके समाधान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से अतीत में विभिन्न समितियां गठित की हैं और जेलों तथा कैदियों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा है। केन्द्र सरकार, देश में जेलों के मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को सलाह और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती रही है।

इमारती लकड़ी की तस्करी

3210. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इमारती लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी करने वालों का जंगल माफिया देश में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ग) न्यायालय द्वारा कितने लोग गिरफ्तार और दंडित किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में कड़े नियम बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के लिए अनुदान

3211. श्री केशव महन्त: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के विकास संबंधी योजना के अंतर्गत असम के विभिन्न संगठनों और निजी उद्यमियों को बर्फ बनाने वाले संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन वाहनों, प्रोसेसिंग मशीनरी, आदि की पूंजीगत लागत के एक हिस्से के रूप में कोई सहायता अनुदान दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) जी नहीं।

[अनुवाद]

स्वच्छ जल मत्स्य पालन

3207. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्य किसान विकास एजेन्सियों के माध्यम से स्वच्छ जल मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की गई; और

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई है और 1997-98 के लिए अनुमान क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) 25 राज्यों ने मत्स्य कृषक विकास एजेन्सियों के माध्यम से ताजा पानी जलकृषि के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया है। वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यों को जारी की गई धनराशि एवं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1997-98 के लिए राज्यों/के.शा. प्रदेशों के लिए योजना के अंतर्गत बजट प्राक्कलन 1505 लाख रु. है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	122.00	44.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00	26.00
3.	असम	23.00	46.00
4.	बिहार	49.00	शून्य
5.	गोआ	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	17.00
7.	हरियाणा	24.00	28.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2.00	2.00
10.	कर्नाटक	25.00	12.00
11.	केरल	-	19.00
12.	मध्य प्रदेश	142.50	100.00
13.	महाराष्ट्र	26.00	26.00
14.	मणिपुर	8.00	16.00
15.	मेघालय	52.00	2.00
16.	मिजोरम	5.00	10.00
17.	नागालैंड	33.00	105.00
18.	उड़ीसा	40.50	160.00
19.	पंजाब	51.00	42.00
20.	राजस्थान	15.00	2.00
21.	सिक्किम	5.00	2.00
22.	तमिलनाडु	17.00	13.00
23.	त्रिपुरा	शून्य	16.00
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	195.00
25.	पश्चिम बंगाल	188.00	210.00
	योग	1019.00	1095.00

कर्नाटक में पुष्प कृषि के अंतर्गत भूमि

3208. **श्री पी. कोदण्ड रमैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में पुष्प कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न के उत्पादन और विदेशी मुद्रा के अर्जन पर पुष्प कृषि के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कर्नाटक में इस उद्योग में कोई मन्दी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मन्दी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) पुष्पकृषि के विकास का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह 1991-92 के 14.45 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 60.14 करोड़ रु. हो गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कैदियों के संबंध में आयोग

3209. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैदियों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए कोई आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कैदियों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुधार कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, सूची-2 की प्रविष्टि-4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। कैदियों की शिकायतों की जांच करने और राज्यों की अपनी जेल नियमावलियों के अनुबंधों के अनुसार इनके समाधान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से अतीत में विभिन्न समितियां गठित की हैं और जेलों तथा कैदियों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा है। केन्द्र सरकार, देश में जेलों के मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को सलाह और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती रही है।

इमारती लकड़ी की तस्करी

3210. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इमारती लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी करने वालों का जंगल माफिया देश में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ग) न्यायालय द्वारा कितने लोग गिरफ्तार और दंडित किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में कड़े नियम बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के लिए अनुदान

3211. **श्री केशव महन्त:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के विकास संबंधी योजना के अंतर्गत असम के विभिन्न संगठनों और निजी उद्यमियों को बर्फ बनाने वाले संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन वाहनों, प्रोसेसिंग मशीनरी, आदि की पूंजीगत लागत के एक हिस्से के रूप में कोई सहायता अनुदान दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन

3212. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन पंजीकृत हैं; और

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) मंत्रालय ऐसी सूचना का संकलन नहीं करता।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि विशेषरूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के गठन को प्रोत्साहित किया जाए।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

3213. **श्री इलियास आज़मी:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार असम के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सहायता/धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) असम राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में से इस शीर्ष के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों को स्वरोजगार अवसरों की स्थापना के लिए ब्याज की रियायती दरों पर सहायता प्रदान करता है। निगम अपनी योजना राज्य माध्यम एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित करता है। असम में निगम की राज्य माध्यम एजेंसियों असम सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान नामित की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान असम में अल्पसंख्यकों के लिए 75.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1994-95	शून्य
1995-96	66.10
1996-97	9.18

आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना के अंतर्गत सरकार असम राज्य सहित देश के समस्त स्वैच्छिक संगठनों को लक्षित समूह के लिए अनुदान प्रदान करती है, इसमें ऐसे अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल है जिनकी वार्षिक आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई राशियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1994-95	3.35
1995-96	शून्य
1996-97	शून्य

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं के अंतर्गत असम की राज्य माध्यम एजेंसियां राशियों का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि यह संवितरण पूर्व कोडल औपचारिकताओं जैसेकि सरकारी गारन्टी प्रस्तुत करना, लाभार्थियों की पहचान आदि को पूरा नहीं करती।

परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना के अंतर्गत सरकार स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करती है न कि राज्य सरकार को। असम में स्वैच्छिक संगठन को संवितरित राशि का उपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट

3214. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:**
श्री नामदेव दिवाथे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट की घटनाओं में हाल ही में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान जान-माल की कितनी हानि हुई है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

मत्स्य पालन केन्द्र

3215. श्री अशोक प्रधान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में कितने मत्स्य पालन केन्द्रों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ख) उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में नये मत्स्य पालन केन्द्रों को खोलने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीनों वर्षों में देश में किसी मत्स्यपालन केन्द्र को मंजूरी नहीं दी है। बहरहाल, ताजे तथा खारे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों में 13 मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों तथा 2 खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों को मंजूरी दी गयी है। मत्स्यपालक विकास एजेंसियों/खारा जल मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों से संबंधित राज्यवार जानकारी तथा उनके लिए जारी की गयी कुल राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में जब भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उनकी जाँच की जाएगी।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान स्वीकृत मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों/खारा जल मत्स्यपालक विकास एजेंसियां एवं उनके लिए जारी की गयी कुल धनराशि

(लाख रुपये)

वर्ष	राज्य	मत्स्यपालक विकास एजेन्सी		खाराजल मत्स्यपालक विकास एजेन्सी	
		स्वीकृत संख्या	निर्मुक्त धनराशि	स्वीकृत संख्या	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1994-95	नागालैण्ड	5	10.00		
	कर्नाटक	शून्य	शून्य	1	13.10
1995-96	नागालैण्ड	शून्य	16.50		
	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	15.00
1996-97	मेघालय	1	शून्य		
	नागालैंड	शून्य	52.50		

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा	3	शून्य		
	पंजाब	3	शून्य		
	त्रिपुरा	1	शून्य		
	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	2.00
	केरल	शून्य	शून्य	1	45.00
	कुल	13	79.00	2	75.10

[अनुवाद]

बाबरी मस्जिद विवाद

3216. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **गृह मंत्री** दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2717 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "न्यूनतम साझा कार्यक्रम" के बाबरी मस्जिद विवाद को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंपने संबंधी प्रस्ताव के सभी कानूनी पहलुओं की जांच का कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3217. श्री रनजीव बिसवाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप फास्फेट उर्वरक संयंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (ग) इस समय, पारादीप फास्फेट्स लि. (पी पी एल) के उर्वरक संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पी पी एल की नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है:-

क्र.सं.	योजना	अनुमानित लागत
1.	डी ए पी संयंत्र में पाइप रियेक्टर प्रणाली लगाया जाना	32 करोड़ रुपए
2.	एक अतिरिक्त फास्फोरिक एसिड कन्संट्रेशन एकक की स्थापना	7.20 करोड़ रुपए
3.	उप-उत्पादों की रिकवरी से प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण	25 करोड़ रुपए

बंगलौर में नेशनल काउंसिल फोर वेटरिनरि रिसर्च

3218. श्री के. सी. कोंडय्या: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में नेशनल काउंसिल फोर वेटरिनरि रिसर्च की स्थापना किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार इस उद्देश्य हेतु भूमि तथा अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ङ) इसे कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3219. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग करते हुए सितम्बर, 1996 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा को मजबूत करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था परन्तु, चूंकि बी.ए.डी.पी. भारत-नेपाल सीमा पर लागू नहीं है, अतः योजना आयोग द्वारा कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है। तथापि गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस व्यवस्था मजबूत करने हेतु 2 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

सुरक्षित वनों का सर्वेक्षण

3220. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.वी. राजेश्वर समिति (उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित) ने अपनी रिपोर्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षित वनों का भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्ण सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षित वनों का सर्वेक्षण कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं।

छोटे हथियारों का आयात

3221. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों हेतु छोटे हथियारों (रिवाल्वर्स/पिस्तौल) का आयात किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सबसे कम मूल्य पर निविदा करने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार क्या है;

(ङ) क्या सबसे कम मूल्य पर निविदा करने वाले के लिए नियम तथा शर्तों में छूट दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह प्रस्ताव अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता है।

खाद्यान्नों का निर्यात

3222. श्री एस. अजय कुमार: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे किन-किन देशों को निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) विवरण I और II में वर्ष 1995-96 के दौरान हुए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के निर्यात और जिन देशों को निर्यात हुआ है उन देशों के नाम तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण I

1995-96 के दौरान गेहूं का देशवार निर्यात

अनंतिम आंकड़े (मूल्य लाख रुपए में)
(अप्रैल, 95-मार्च, 96)

जिंस/देश	मात्रा (टन में)	मूल्य
1	2	3
गेहूं	632468	36678.23
अफगानिस्तान	40	5.39
बहरीन आइ.एस.		
बंगलादेश	136670	7638.75
भूटान	904	38.22
ब्राजील		
इथोपिया	12856	748.73
फ्रांस		
हांग-कांग	42	2.44
ईरान	250	18.72
इराक		
इजरायल		
जापान		
जोर्डन	20249	1286.11
केन्या	66812	3790.82
कोरिया डीपी रिप.		
कोरिया रिप.		
कुवैत	302	22.63
मलेशिया	3203	480.48
मालद्वीप		
मारीशस	5	0.47
मोरक्को	40000	2392.09
नामीबिया	112	6.72
नेपाल	69	3.04
नीदरलैण्ड	42216	2570.33
न्यूजीलैण्ड	10	0.70
ओमान		
पाकिस्तान		
फिलिपिंस		
पोलैंड		
कतर	42	3.22
रूस,,	3000	177.23
शेशेल्स		
सिंगापुर	5560	321.39
द. अफ्रीका	23749	1423.95
सूडान	10100	1090.30
स्विटजरलैण्ड		
तंजानिया रिप.	6816	400.05
टर्की	50067	3084.51

1	2	3
युगांडा		
संयुक्त अरब अमीरात	85067	4910.68
यू.के.	8338	492.78
यू.एस.	273	21.67
वियतनाम सोश. रिप.	5695	358.04
येमन रिपब्लिक	96031	5366.57
जिम्बाब्वे		

विवरण II

1995-96 के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल का देशवार निर्यात

अनंतिम आंकड़े (मूल्य लाख रुपए में)
(अप्रैल, 95-मार्च, 96)

जिंस/देश	मात्रा (टन में)	मूल्य
चावल-बासमती	373314	85066.66
अर्जेंटीना	148	28.95
आस्ट्रेलिया	970	264.68
आस्ट्रिया	210	47.91
बहरीन आइ.एस.	8243	1792.55
बंगलादेश	520	152.71
बेल्जियम		
बरकिना फासो	3571	770.77
बुरुंडी		
कनाडा	90	14.95
कनेरी आई.एस.	5264	1300.65

1	2	3
कोमोरोस		
साइप्रस		
चैक गणराज्य		
डेनमार्क	1344	334.76
मिश्र ए. रिप.	126	29.52
इस्तोनिया	160	39.00
फ्रांस	6600	1440.10
जर्मन एफ. रिप.	3616	906.23
जिब्राल्टर		
यूनान	168	42.45
हांगकांग	105	34.31
हंगरी	20	4.13
ईरान	584	152.76
इजरायल	232	60.23
इटली	1091	275.66
आईवरी कोस्ट	1	0.47
जापान	51	11.55
जोर्डन	106	27.59
केन्या	523	165.77
कुवैत	31992	7840.56
लेबनान	96	27.86
लाइबेरिया	1	0.19

1	2	3
लिथुआनिया	10	3.13
मलावी		
मलेशिया	28	11.08
मालद्वीव	83	23.64
माले		
मारीशस	22	6.39
मोरक्को		
मौजाम्बिक	109	12.20
नेपाल	40	7.79
नीदरलैण्ड	276	61.62
न्यूट्रल जोन		
न्यूजीलैण्ड	92	25.43
नाइजीरिया		
नार्वे	348	96.66
ओमान	4514	1085.30
पनामा गणराज्य	1	0.39
पेरू		
फीलिपिन्स	21	5.19
पोलैण्ड		
पुर्तगाल	35	8.96
पुरतो रिको.		

1	2	3
कतर	1414	367.60
रीयूनियन	63	19.70
रोमानिया	21	6.42
रूस	3638	944.78
सऊदी अरब	179609	37666.78
सेशैल्स	2426	556.97
सियेरा लिओन		0.48
सिंगापुर	614	166.97
स्लोवेनिया	1	0.32
द. अफ्रीका	3424	705.73
स्पेन	100	31.70
श्रीलंका	489	103.08
स्वीडन	130	36.94
स्विटजरलैण्ड	591	133.03
सीरिया		
तंजानिया गणराज्य	68	18.55
थाईलैण्ड	2	0.76
ट्यूनिशिया	70	13.88
टर्की	82	19.73

1	2	3
युगांडा	28	6.50
संयुक्त अरब अमीरात	28348	7304.92
यू.के.	46626	11657.27
उक्रेन	40	8.06
स.रा. अमेरिका	30956	8122.64
यमन रिप.		
जेरी रिप	150	33.25
जांबिया	12	3.04
जिम्बाब्वे	1	0.60
चावल (बासमती के अलावा)	4540699	371740.81
अल्बानिया		
अमेरी समोआ	5500	578.85
अंगोला	26911	2109.81
आस्ट्रेलिया	163	23.86
बहरीन आईएस	6049	567.36
बंगलादेश	1255830	95025.19
बेल्जियम	450	49.98
बेनिम	11200	937.97
बरमुडा		
भूटान	715	56.97
ब्राजील		

1	2	3
ब्रूनेई		
बेलारूस		
केमरून	3300	261.91
कनाडा	254	32.27
सी. अफ्रीकी गणराज्य		
चीन पी. रिप.	18783	1938.34
कोलम्बिया		
कोमोरस		
क्रोएशिया	729	74.76
साईप्रस	219	22.45
चैक गणराज्य	210	24.63
डिजीबूटी	1300	123.35
डोमिनिक गणराज्य	36	3.47
मिश्र ए. रिप.	43	4.13
इस्तोनिया	100	7.01
इथोपिया	21	3.00
फ्रांस	14684	1109.20
जांबिया	2000	136.40
जर्मन एफ. गणराज्य	6761	720.28
घाना	4500	369.54

1	2	3
यूनान		
गुयाना	11000	1207.34
हांग-कांग		
हंगरी	1820	188.65
इंडोनेशिया	1033722	83131.61
ईरान	98279	9965.13
इराक	967	76.77
इजरायल	2376	249.80
इटली	2975	387.73
आईवोरी कोस्ट	123057	9846.84
जापान	6085	295.09
जोर्डन	7974	688.04
केन्या	391258	30576.92
कोरिया डीपी रिप.		
कोरिया रिप.	53520	5423.80
कुवैत	9428	1115.10
लात्विया	105	8.45
लेबनान	196	21.28
लाइबेरिया	3463	433.57
लीबिया	12723	1388.30
लिथुआनिया	100	8.62

1	2	3
मलेशिया	1100	84.34
मालदीव	4583	390.42
माले	15200	1186.24
मारीशस	12033	892.67
मंगोलिया	3029	234.36
मोरक्को	3490	287.28
मोजांबिक	29274	2113.82
नेपाल	30215	2250.59
नीदरलैण्ड	10798	1056.83
न्यूट्रल जोन	84	7.44
न्यूजीलैण्ड	2	0.21
नाईजीरिया	22	10.90
नार्वे	132	14.78
ओमान	7890	677.66
पेरू	40468	4236.74
फीलिपिन्स	32226	4805.47
पोलैण्ड	18274	1870.19
पुर्तगाल	21	1.83
पुर्तो रिको		
कतर	3119	305.72

1	2	3
रीयूनियन	2600	276.41
रोमानिया		
रूस	100581	10557.73
सऊदी अरब	122999	11532.62
सेनेगल	137437	9330.15
यूगोस्लाविया पी. रिप.		
सेशेल्स	2364	259.18
सिएरा लिओन	85942	6778.68
सिंगापुर	6811	635.41
स्लोवेनिया	7907	814.90
सोमालिया	7900	701.38
द. अफ्रीका	370292	30402.12
स्पेन	252	30.62
श्रीलंका	98	6.44
सूडान	2012	180.62
स्वाजीलैण्ड	18658	1607.87
स्वीडन	305	30.20
स्विटजरलैण्ड	9528	903.97
सीरिया.	12600	1372.76
तंजानिया रिप.	27037	2203.70
थाईलैण्ड	19	1.95
टोगो	62337	4324.17
ट्यूनिशिया	4200	423.61
तुर्की	19383	1741.35
तुर्कमेनिस्तान		
युगांडा	28	2.33
संयुक्त अरब अमीरात	119240	10964.16
यू.के.	3271	321.87
उक्रेन	11865	1141.81
संयुक्त राज्य अमेरिका	21267	2129.95
उजबेकिस्तान		
वियतनाम सोस. रिप.		
यमन रिपब्लिक	28515	2739.12
जेरी रिप.	5603	416.97
जाम्बिया	880	76.55

आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार

3223. श्री मोहन रावले:
श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता:
डा. असीम बाला:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री कृष्णलाल शर्मा:
डा. कृपासिंधु भोई:
श्री तरित बरन तोपदार:
श्री आर. साम्बासिवा राव:
श्री सुरेश कलमाड़ी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) के पुनरुद्धार के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार को आईडीपीएल की विभिन्न इकाइयों से प्रतिवर्ष कितना नुकसान हो रहा है;

(ग) क्या सरकार को आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार संबंधी पहलू की जांच के लिए नियुक्ति की गयी कन्सलटैंट, मैसर्स ए. एफ. फर्गुसन एंड कम्पनी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसमें अंतर्विष्ट सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या बी.आई.एफ.आर. ने फरवरी, 1997 में आई.डी.पी.एल. के भविष्य के संबंध में सरकार से अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया था; और

(च) यदि हां, तो आई.डी.पी.एल. के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) आई.डी.पी.एल. प्रबंधक वर्ग द्वारा तैयार किया गया तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), मुम्बई द्वारा पुनरीक्षित की गई पुनरुद्धार योजना औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा फरवरी, 1994 में मंजूर की गई थी। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर उत्पादन, बिक्री, फालतू जनशक्ति में कमी, सरकार से नयी वित्तीय सहायता तथा पूंजी की पुनर्संरचना और बैंकरो, कर्मचारियों आदि से त्याग की परिकल्पना की गई है। सरकार ने अपेक्षित सहायता प्रदान की। आई डी पी एल यद्यपि 1994-95 में प्रचालन के लक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर सकी। प्रबंधक वर्ग ने संशोधनों का प्रस्ताव किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से 98.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई। सरकार ने निर्णय लिया कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा नियुक्त की गई प्रचालन एजेंसी (ओ. ए.) के माध्यम से बी आई एफ आर से सम्पर्क किया जाना चाहिए। बी.आई.एफ.आर. ने सरकार के इस रवैये तथा कंपनी के सितम्बर, 1995 तक के कार्य-निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए घोषणा की कि पिछली योजना असफल रही। बी आई एफ आर ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आई.डी.बी.आई., मुम्बई को प्रचालन एजेंसी (ओ. ए.) नियुक्त किया। बी.आई.एफ.आर. ने बाद में ओ.ए. को यह निदेश भी दिया कि आई.डी.पी.एल. के नैदानिक अध्ययन के लिए किसी जाने-माने सलाहकार से सहायता ली जानी चाहिए। मै. ए. एफ. फर्गुशन एण्ड कम्पनी, जिसकी पहचान ओ.ए. (आई.डी.बी.आई.) द्वारा की गई है, को उक्त अध्ययन के लिए लगाया। सलाहकार तथा आई.डी.बी.आई. (संचालन एजेन्सी) की रिपोर्टें जनवरी, 1997 में प्राप्त हुई। मै. ए. एफ. फर्गुशन के अनुसार आई.डी.पी.एल. में स्टाफ का आधिक्य है। संयंत्र तथा मशीनरी का प्रमुख नवीकरण तथा प्रतिस्थापन अपेक्षित है तथा उत्पाद-मिश्र में काफी परिवर्तन अपेक्षित है, उच्च सोशल लागत तथा ओवर हेड को घटाने की आवश्यकता है, विपणन का पूरी तरह से रिवैम्प किया जाना चाहिए। उन्होंने जनशक्ति में कमी, पूंजी खर्च आदि संबंधी निवेश समेत कुछेक उपायों का सुझाव दिया। आई.डी.बी.आई. अर्थात् संचालन एजेन्सी ने आकलन किया कि मै. ए. एफ. फर्गुशन एण्ड कं. के सुझावों के कार्यान्वयन की लागत लगभग 710 करोड़ रु. थी और उपाय के कार्यान्वयन के बाद भी अनुमानित लाभ अकेले पुरानी देयताओं हेतु भी पर्याप्त नहीं हो सकते। आई.डी.बी.आई. के अनुसार आई.डी.पी.एल. के लिए कोई व्यवहार्य तथा मान्य पुनरुद्धार योजना सुझाना संभव नहीं है।

आई.डी.पी.एल. की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों समेत विभिन्न एककों द्वारा कुल हानि 1996-97 (लेखा परीक्षा के आधार पर अस्थायी) में 156.40 करोड़ रु. थी।

(ङ) जी, हां।

(च) आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों, उनके नेतागण तथा आई.डी.पी.एल. प्रबंधक वर्ग द्वारा तैयार की गई पुनरुद्धार योजना 21.5.97 को पेश की गई थी। आई.डी.पी.एल. के भविष्य के मामलों में सरकार ने अंतिम निर्णय लेना है।

केरल में अमोनिया संयंत्र

3224. श्री रमेश चेन्नितला: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.ए.सी.आई. अलवेयी, केरल में किसी अमोनिया संयंत्र की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) उद्योगमण्डल, केरल में एक 900 टन प्रतिदिन का अमोनिया संयंत्र स्थापित कर रही है। परियोजना की 618.43 करोड़ रुपये की

मंजूर पूंजी लागत की तुलना में 642.36 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत पर नवम्बर, 1997 में आरम्भ किये जाने की आशा है।

भुखमरी से होने वाली मृत्यु

3225. श्री चिन्तामन वानगा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टारवेशन डैथ्स टुक प्लेस इन उड़ीसा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उड़ीसा में भूख से मौतें होने की खबरों की जांच-पड़ताल के लिए एक दल वहां भेजा था तथा उन्होंने अपनी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

3226. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने हाल ही में 31 दिसम्बर, 1997 तक सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कोई अंतिम तारीख निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (च) सरकार ने दिनांक 25 जून, 1997 को दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक में पारित संकल्प को देखा है।

2. सरकारिया आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में 247 सिफारिशें हैं।

3. जैसा कि दिनांक 10.10.1990 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक में निर्णय लिया गया था, केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने तथा इस पर अपने विचार और सिफारिशें परिषद को प्रस्तुत करने के लिए अन्तर-राज्यीय परिषद की एक उप समिति का गठन किया गया था। उपयुक्त समिति के कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ाया गया, अंतिम कार्यकाल 30.6.1996 तक था। उप-समिति द्वारा किए गए कार्य का सारांश निम्न प्रकार है:

सिफारिशों की संख्या :

संशोधनों सहित/बगैर संशोधन के स्वीकार की गई सिफारिशें	–	155
अस्वीकार	–	24
सिफारिशें जिन पर एकमत न हो सका	–	11
जिन पर आंशिक रूप से विचार किया गया	–	[illegible]
जिन पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है	–	5[illegible]

4. जिन सिफारिशों को उप-समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, उन पर अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया जो कि करीब छह वर्ष के लिए निष्क्रिय रहीं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने परिषद को पुनः सक्रिय किया है। इस परिषद की दूसरी बैठक 15.10.1996 को हुई, जिसमें जिन 179 सिफारिशों को उप-समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, को मोटेतौर पर मान लिया गया। यह सिफारिश भी की गई थी कि परिषद के विचारार्थ मामलों पर लगातार विचार-विमर्श करने और उन्हें प्रोसेस करने के लिए परिषद की एक स्थायी समिति होनी चाहिए। स्थायी समिति का गठन 5.12.96 को किया गया था। इसकी अब तक चार बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई:

(i) केन्द्रीय करों में राज्यों को हिस्से के हस्तांतरण हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक योजना।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन।

(iii) केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध (सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का अध्याय-X)

5. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का (अध्याय IV) राज्यपाल की भूमिका पर एक सर्वसम्मत पेपर, स्थायी समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया है तथा स्थायी समिति की पांचवीं बैठक में इस पर चर्चा किये जाने का प्रस्ताव है।

6. अन्तर-राज्यीय परिषद की तीसरी बैठक 17.7.1997 को हुई थी। इस बैठक की मुख्य उपलब्धि राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना का अनुमोदन था। दिनांक 1.4.1996 से राज्यों का हिस्सा 29% होगा। इसमें सुधार करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1997 में इसकी पुनरीक्षा की जायेगी। इस बैठक में अनुच्छेद 356 में संशोधन करने पर किसी प्रकार की सर्वसम्मति नहीं हो सकी।

7. अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित 54 सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के अनुदेश जारी किये जा चुके हैं। सरकारिया आयोग की लंबित सिफारिशों पर सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूरा करने को उत्सुक है।

[हिन्दी]

गंगा कार्ययोजना

3227. श्री एस.पी. जायसवाल:
श्री हरिवंश सहाय:
श्री चित्त बसु:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई जा रही योजना का परिणाम असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं चलायी गयी हैं;

(घ) उन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाई गई योजना में दृष्टिगत खामियों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कुछ राज्यों में गंगा कार्ययोजना-I के लिए दी गई धनराशि का कुछ हद तक गबन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई 261 स्कीमों में से 251 स्कीमों के पूरी हो जाने के फलस्वरूप जैव-रसायन आक्सीजन मांग के संदर्भ में जल गुणवत्ता में कानपुर के अलावा नदी के किनारे सभी स्थानों पर सुधार हुआ है। कानपुर में भी जैव-रसायन आक्सीजन मांग वर्ष 1992 में 25.0 मि.ग्रा./प्रति ली. की अपेक्षा से वर्ष 1997 में 5.8 मि.ग्रा./प्रति ली. तक सुधार आया है जबकि "नहाने के लिए अपेक्षित श्रेणी" 3 मिग्रा./प्रति ली. है। नदी के किनारे स्थित 16 निगरानी केन्द्रों पर वर्ष 1992 से अब तक की गई निगरानी में जैव-रसायन आक्सीजन मांग का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कानपुर में नदी जल गुणवत्ता में अपेक्षित स्तर तक सुधार नहीं हुआ है क्योंकि गंगा कार्य योजना चरण-I में लगभग 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज के कार्य को शामिल नहीं किया जा सका था जिसे अब गंगा कार्य योजना चरण-II में लिया गया है।

(ग) और (घ) गंगा नदी के किनारे स्थित 59 शहरों में जुलाई, 1995 से अक्तूबर, 1996 के दौरान प्रदूषण निवारण के अतिरिक्त कार्यों का 713.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय सरकार के 50% हिस्से में से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 9.24 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ङ) और (च) गंगा कार्य योजना चरण-I से सीखी बातों एवं प्राप्त अनुभवों का गंगा कार्य योजना चरण-II को तैयार करने में उपयोग किया गया है ताकि पहले के चरण-I की कमियों को दूर किया जा सके। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत निर्मित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य सरकारों से समय से पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने में कठिनाइयों का सामना करने की सूचना मिली है। सभी तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से भी गंगा कार्य योजना चरण-II में अपने हिस्से के 50% भाग को उपलब्ध करवाने में कठिनाइयों का सामना करने की भी सूचना मिली है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए गंगा कार्य योजना चरण-II को अब लागत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 हिस्सेदारी की जगह इसे शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम बना दिया गया है। राज्य सरकारों से परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए

समय से धन उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

(छ) और (ज) उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में गंगा कार्य योजना के लिए जारी की गई धनराशि का इतर कार्यों पर खर्च किए जाने के बारे में समय-समय पर सूचना मिलती रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में 2.47 करोड़ रुपये की धनराशि का समायोजन किया जाना लम्बित है तथा बिहार सरकार से 0.91 करोड़ रुपये की भरपाई की जानी है।

विवरण

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर जल गुणवत्ता का ग्रीष्म काल औसत मान

स्थान का नाम	दूरी कि.मी. में	जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.)(मि.ग्रा./प्रति लीटर) (स्वीकार्य सीमा 3 मिग्रा./प्रति लीटर) से कम					
		1992	1993	1994	1995	1996	1997*
ऋषिकेश	0	1.2	1.3	2.0	1.5	1.0	1.1
हरिद्वार अधोप्रवाह	30	2.0	1.4	2.1	1.7	1.1	1.3
गढ़मुक्तेश्वर	175	लागू नहीं	1.6	2.5	2.4	1.5	1.7
कन्नौज ऊर्ध्वप्रवाह	430	2.1	2.3	2.7	2.4	2.9	3.4
कन्नौज अधोप्रवाह	433	2.7	2.5	3.0	3.2	3.2	3.5
कानपुर ऊर्ध्वप्रवाह	530	1.7	1.9	5.0	2.0	2.8	4.2
कानपुर अधोप्रवाह	548	25.0	24.5	8.5	5.5	4.1	5.8
इलाहाबाद ऊर्ध्वप्रवाह	733	2.0	1.8	2.3	4.5	2.5	2.0
इलाहाबाद अधोप्रवाह	743	1.9	1.9	3.6	3.2	3.3	2.3
वाराणसी उर्ध्वप्रवाह	908	0.9	0.8	1.8	2.6	2.2	2.1
वाराणसी अधोप्रवाह	916	1.3	1.0	2.9	1.4	2.3	3.3
पटना ऊर्ध्वप्रवाह	1188	1.2	1.2	1.6	1.5	2.0	2.1
पटना अधोप्रवाह	1198	1.6	1.5	1.6	1.4	1.6	1.3
राजमहल	1508	0.6	0.7	1.9	1.7	1.3	1.9
पल्टा	2050	1.0	0.9	2.5	2.1	1.6	2.8
ऊलूबेरिया	2500	1.0	0.9	3.2	2.8	2.0	1.9

*ग्रीष्मकाल के केवल दो महीनों का औसत

चिड़ियाघरों में जंगली जानवर

3228. श्री कचरू भाऊ राउत: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राष्ट्रीय पार्कों और विभिन्न चिड़ियाघरों में विभिन्न किस्म के जंगली जानवरों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सभी चिड़ियाघरों में हर किस्म के जंगली जानवरों को रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी प्रकार के वन्य जीव प्रत्येक चिड़ियाघर में न तो रखे जा सकते हैं और न ही उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। चिड़ियाघर में दर्शाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के बारे में निर्णय करने के लिए उस स्थान, जहां चिड़ियाघर स्थित है, की जलवायु और प्राणियों के अनुरक्षण तथा उनके स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र

3229. श्री दत्ता मेघे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जिन स्थानों पर राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र अवस्थित हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के मंजरी फार्म में एक राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

(ख) और (ग) इस समय देश में कोई और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गेहूं, चावल और चीनी का खरीद मूल्य

3230. श्री गोरधनभाई जावीया: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान गेहूं, चावल और चीनी का खरीद मूल्य क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इनके खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान गेहूं, चावल और चीनी का खरीद मूल्य संतोषजनक था; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष-वार इसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) रबी विपणन मौसम 1995-96 और 1996-97 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 360 रुपये प्रति क्विंटल और 380 रुपये प्रति क्विंटल थे। लेवी चावल का वसूली मूल्य राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होता है।

1995-96 के लिए लेवी चीनी का अखिल भारतीय औसत मूल्य 876.25 रुपये प्रति क्विंटल है और 1996-97 के लिए यह मूल्य 1000.77 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का यह प्रयास होता है कि देश में कृषि जिन्सों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों की तुलना में वसूली मूल्यों में वृद्धि की जाए।

(घ) और (ङ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किये गये गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

	1995-96	1996-97
गेहूं (रबी विपणन मौसम)	132.27	81.83
चावल (खरीफ विपणन मौसम)	99.50	121.11 (4.8.1997 तक)

रबी विपणन मौसम 1996-97 में गेहूं की वसूली और खरीफ विपणन मौसम 1995-96 में चावल की वसूली अनुमानित स्तर तक नहीं हुई थी।

1995-96 के दौरान चीनी का उत्पादन 164.29 लाख टन होने का अनुमान है और चीनी मौसम 1996-97 के लिए अनुमानित उत्पादन 130 लाख टन है (चीनी मौसम प्रत्येक वर्ष पहली अक्तूबर से शुरू होता है और आगामी वर्ष की 30 सितम्बर को समाप्त होता है।) जब तक चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन योजनाओं के अधीन छूट प्राप्त न हो तब तक सरकार सभी चीनी फैक्ट्रियों से उत्पादन का कुछ प्रतिशत लेवी के रूप में वसूल करती है। वर्तमान में यह लेवी 40% है।

जयपुर में सम्मेलन

3232. श्री दिलीप संघानी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों का जून, 1997 में जयपुर में सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356, आन्तरिक सुरक्षा, राज्य स्तर पर आर्थिक सुधार, गरीबी उन्मूलन, मूलभूत ढांचे में विकास, लोक व्यवस्था में सुधार और विद्युत, जल और खनिज आधारित परियोजनाओं की क्लीयरेंस के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन, पर्यावरणात्मक क्लीयरेंस, इत्यादि समेत केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की दिनांक 25.6.1997 को एक बैठक जयपुर में हुई।

जहां तक केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों का प्रश्न है, सरकार ने न केवल सरकारिया आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न कुछ मुद्दों पर कार्रवाई की है बल्कि वह अन्य सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई को अंतिम रूप देने की भी इच्छुक है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चक्रवात के कारण हुआ नुकसान

3233. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 से जुलाई, 1997 तक मध्य प्रदेश में आये तूफान से हुई मौतों की संख्या क्या है और उसके परिणामस्वरूप फलों तथा पशुधन की अनुमानित कितनी हानि हुई;

(ख) इस चक्रवात से मछुआरों को अनुमानित कितना नुकसान हुआ;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की राहत और पुनर्वास संबंधी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1996 और 1997 के दौरान राज्य में चक्रवात से किसी प्रकार की जन या धन की हानि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलों को लाइसेंस देने के मानदंड

3234. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों को लाइसेंस देने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार लाइसेंस देने में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने की नीति अपना रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सहकारी चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए अनुमोदन हेतु लम्बित बड़े प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ङ) इन चीनी मिलों को लाइसेंस देने के लिए कब तक अनुमोदित कर दिया जायेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा, दिनांक 10 जनवरी 1997 को जारी प्रेस नोट सं. 1 (1997 श्रेणी), जिसमें नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करने हेतु दिशा-निर्देश निहित हैं, विवरण के रूप में संलग्न हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातें समान रहने पर, उत्पादक सहकारी समितियों के प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(घ) और (ङ) 30.6.97 तक, सहकारी क्षेत्र में, नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए विचारार्थ लम्बित प्रस्तावों का राज्यवार संख्या निम्नवत् है:

क्र.सं.	राज्य	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	11
2.	मध्य प्रदेश	4
3.	तमिलनाडु	1
		16

इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 1

(1997 श्रेणी)

चीनी फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश

भारत सरकार ने इस मंत्रालय के प्रेस नोट सं. 16 (1991) दिनांक 8.11.91 द्वारा जारी नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग हेतु निर्देशों की समीक्षा की है। आर्थिक उदारीकरण के उपरांत व्यापार परिदृश्य में हुए परिवर्तनों, सरल एवं स्पष्ट प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता तथा तकनीकी परिवर्तन जो चीनी उद्योग में पिछले कई वर्षों में हुए हैं, का ध्यान रखने के लिए विद्यमान दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए सरकार ने निम्नलिखित संशोधित दिशा-निर्देश बनाए हैं:-

(1) 2500 टन गन्ना प्रतिदिन पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमतावाली नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देना जारी रहेगा। इस तरह की पेराई क्षमता की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(2) उन प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी, जो अधिक क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा वैल्यू एडेड उत्पाद पैदा कर रहे एकीकृत काम्पलैक्स के विकास तथा विद्युत के सह उत्पादन से संबंधित हो।

(3) आवेदन पर विचार करने के लिए एक राजस्व जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी कार्यरत इकाई के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अन्य चीजें समान रहने पर, पहले प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये जायेंगे बशर्ते प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा विद्यमान/पहले ही लाइसेंस प्रदान की गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 15 कि.मी. से कम नहीं हो।

(5) नई चीनी इकाईयों को लाइसेंस प्रदान किये जाने की मूल शर्त, गन्ने की उपलब्धता अथवा गन्ने के विकास की क्षमता अथवा दोनों ही होगी।

(6) अन्य बातें समान रहने पर, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर लाइसेंस प्रदान करने में तरजीह दी जायेगी। तथापि, इस तरह की सहकारी समिति को प्रदान किए गए लाइसेंस को किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

(7) विद्यमान फैक्ट्रियों में विस्तार के सभी आवेदनों का निपटान स्वतः हो जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान इकाईयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसैंस प्रदान करने के लिए आवेदन 2500 रु. के निर्धारित शुल्क सहित औद्योगिक सहायता (एस.टी.ए.) के लिए सचिवालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में औद्योगिक लाइसेंस के फार्म में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन एस.आई.ए. द्वारा खाद्य विभाग तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया जाएगा। या तो खाद्य विभाग से अथवा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई टिप्पणी के समय से एक महीने के भीतर यदि उनकी टिप्पणी प्राप्त नहीं होती, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तत्पश्चात् लाइसेंसिंग समिति औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पर विचार करेगी तथा यथोचित सिफारिश करेगी।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश उद्यमियों की सूचना एवं जानकारी के लिए जारी किये गए हैं।

हस्ता./-
(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

मि. सं. 10(20)/96-एल.पी. नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1997

उपर्युक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो को अग्रेषित:

प्रेस सूचना आधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली।

पुलिस प्रशासन में सुधार

3235. श्री बृजभूषण तिवारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुलिस प्रशासन में सुधार किये जाने के लिए गठित "धर्मवीर आयोग" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इसकी समीक्षा किए जाने हेतु किसी समिति के गठन संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो समीक्षा समिति कब तक गठित की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) धर्मवीर (राष्ट्रीय) पुलिस आयोग ने 8 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। पहले प्रतिवेदन पर जून, 1979 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार किया गया था और 1.2.1980 को इसे सदन के पटल पर रखा गया था। आयोग के अन्य 7 प्रतिवेदन भी विचारण तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु समस्त राज्य सरकारों को अग्रसारित किए गए थे और 30.3.1983 को इन्हें सदन के पटल पर रखा गया था।

"पुलिस" चूंकि राज्य का विषय है इसलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानतया राज्य सरकारों की है तथापि, केन्द्र सरकार उनसे सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करती रही है। गृह मंत्री ने राज्य सरकारों को अंतिम बार 3.4.1997 को पत्र भेजे थे।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल, 1997 को एक समिति का गठन भी किया गया है।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए आरक्षण नीति

3236. श्री भगवान शंकर रावत: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की सेवाओं में विकलांगों के लिए कितना आरक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को श्रेणी "घ" से श्रेणी "ग" और श्रेणी "ग" से श्रेणी "ख" में पदोन्नति करने में आरक्षण के अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विकलांग व्यक्तियों को श्रेणी "ग" से श्रेणी "ख" में पदोन्नत करने के संबंध में कोई नीति तैयार करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के लागू होने के साथ शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3% आरक्षण का विस्तार पहचाने गए समूह "क" तथा "ख" के उन पदों के लिए हो गया है जो सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं।

(ख) से (घ) ग्रुप "घ" से ग्रुप "ग" तथा ग्रुप "ग" के अंतर्गत पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण है। ग्रुप "ग" से ग्रुप "ख" सेवाओं में पदोन्नति के लिए शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली पुलिस में भर्ती

3237. श्री तिलक राज सिंह:
श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे:
श्री आर. देवदास:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस में 7000 पुलिस कर्मियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी भर्ती कब तक कर ली जाएगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है इस समय कांस्टेबल के 1103 पद तथा उप-निरीक्षकों के 465 पद रिक्त हैं जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

औषध विनिर्माता कम्पनियां

3238. श्री आर. देवदास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध विनिर्माता कंपनियां देश के निर्धन व्यक्तियों को सस्ती दरों पर जीवन-रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु सरकार की नीति का अनुपालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या औषध और भेषज नियंत्रक इन कंपनियों की उत्पादन सीमा और इनके उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में कड़ी नजर रखे हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो दोषी कंपनियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज हुए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल मिलाकर औषध विनिर्माण करने वाली कंपनियां देश के गरीबों को जीवन रक्षक औषधियां उचित कीमतों पर प्रदान करने के लिए सरकार की नीति का अनुसरण कर रही हैं।

(ख) उत्पादन की गुणवत्ता पर नियंत्रण औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा संचालित लाइसेंस प्रणाली के जरिये किया जाता है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत 624 मुकदमा मामले शुरू किए गए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

3239. श्री बुद्धसेन पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महोदय, इसके प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा वित्तपोषित लाटरी

3240. श्री सोमजीभाई डामोर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी वित्त पोषित लाटरियों के संबंध में सरकार की नीति क्या है जो क्षेत्रों से लाइसेंस लेकर गलत ढंग से देश में आई हैं और भारतीय कम्पनियों द्वारा भारतीय बाजार में चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार को ऐसी लाटरियों के लिए लाइसेंस मंजूर करने का अधिकार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस कदम पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने विदेशों द्वारा वित्तपोषित लाटरियों

के संबंध में कोई नीति प्रतिपादित नहीं की है क्योंकि देश में लाटरी का धंधा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत विदेशों द्वारा वित्त पोषित लाटरियां इसके लिए पात्र नहीं बनती हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र

3241. श्री सुख लाल कुशवाहा: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की आदिवासी क्षेत्रों के रूप में घोषणा करने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल करना

3242. श्री भीम प्रसाद दाहाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम को कोई आर्थिक पैकेज प्रदान किया जायेगा जैसाकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं।

(ख) सरकार, सिक्किम के तेजी से आर्थिक विकास हेतु सभी. उपाय कर रही है। वर्ष 1996-97 के 192 करोड़ रुपये की तुलना में राज्य के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 220 करोड़ रुपये की राशि राज्य प्लान के तहत आबंटित की गई है।

दुग्ध सहकारी समितियां

3243. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय दुग्ध सहकारिता समितियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख डेरी सहकारिताओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने यह बताया है कि पांच वर्षों में इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) 31.12.96 तक राज्य तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश में लगभग 90,000 डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि नौवीं योजना के दौरान एक लाख अतिरिक्त डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाए।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस आधार पर अपनी शंका व्यक्त की है कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत से आणंद की तरह की मात्र 71,000 डेयरी सहकारी समितियां ही बन सकी हैं।

(ङ) सरकार यथासंभव अधिकाधिक अतिरिक्त डेयरी सहकारी समितियों को गठित करने का प्रयास करेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

3244. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी जिले अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक शामिल न किये गये क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में पहाड़ी और दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों को खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का क्या तरीका है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। देश के सभी जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ''बल्क'' में आवश्यक जिन्सें उपलब्ध कराती है। राज्य के अंदर आवश्यक जिन्सों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। प्रत्येक राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के अनुसार पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों को खाद्यान्न और आवश्यक जिन्सों की सप्लाई करने के प्रबंध स्वयं करती हैं।

एजो-डाइज के प्रयोग पर प्रतिबंध

3245. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''एजो-डाइज'' के जनता के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को देखते हुए उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधित ''एजो-डाइज'' का ब्यौरा क्या है और गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ऐसी ''एजो-डाइज'' का इस्तेमाल कौन-कौन से उद्योग कर रहे हैं तथा किन परिस्थितियों के कारण इन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिबंधित एजो-डाइज की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। देश में प्रतिबंधित एजो-डाइज का प्रयोग करने वाले उद्योगों की सूची भेजने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर, सरकार ने मानव शरीर के सम्पर्क में आने के कारण एजो-डाइज से निकलने वाले कतिपय एरिलामाइन्स के कारसीनोजेनिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध एजो-डाइज को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

विवरण

क्र.सं.	कलर इन्डेक्स जेनेरिक संख्या	कलर इन्डेक्स संख्या
1	2	3
1.	एसिड रेड 4	14710
2.	एसिड रेड 5	14905
3.	एसिड रेड 24	16140
4.	एसिड रेड 26	16150
5.	एसिड रेड 73	27290
6.	एसिड रेड 114	23635
7.	एसिड रेड 115	27200
8.	एसिड रेड 116	26660
9.	एसिड रेड 128	24125
10.	एसिड रेड 148	26665
11.	एसिड रेड 150	27190
12.	एसिड रेड 158	20530
13.	एसिड रेड 167	–
14.	एसिड रेड 264	18133

1	2	3
15.	एसिड रेड 265	18129
16.	एसिड रेड 420	–
17.	एसिड वैलवेट 12	18075
18.	एसिड ब्राउन 415	–
19.	एसिड ब्लैक 131	–
20.	एसिड ब्लैक 132	–
21.	एसिड ब्लैक 209	–
22.	एसिड रैड 111	–
23.	एसिड रेड 42	–
24.	बेसिक ब्राउन 4	21010
25.	डवलोपर 14-आक्सीडेशन बेस 20	76035
26.	डाइरेक्ट येलो 48	23660
27.	डाइरेक्ट आरेंज 6	23375
28.	डाइरेक्ट आरेंज 7	23380
29.	डाइरेक्ट आरेंज 10	23370
30.	डाइरेक्ट आरेंज 108	29173
31.	डाइरेक्ट रेड 2	23500
32.	डाइरेक्ट रेड 7	24100
33.	डाइरेक्ट रेड 21	23560
34.	डाइरेक्ट रेड 22	23565

1	2	3
35.	डाइरेक्ट रेड 24	29185
36.	डाइरेक्ट रेड 26	29190
37.	डाइरेक्ट रेड 39	23630
38.	डाइरेक्ट रेड 46	23050
39.	डाइरेक्ट रेड 62	29175
40.	डाइरेक्ट रेड 67	23505
41.	डाइरेक्ट रेड 72	29200
42.	डाइरेक्ट वाइलेट 21	23520
43.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 1	24410
44.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 3	23705
45.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 8	24140
46.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 9	24155
47.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 10	24340
48.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 14	23850
49.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 15	24400
50.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 22	24280
51.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 25	23790
52.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 35	24145
53.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 53	23860
54.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 76	24411
55.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 151	24175

1	2	3
56.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 160	-
57.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 173	-
58.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 192	-
59.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 201	-
60.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 215	24115
61.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 295	23820
62.	डाइरेक्ट ग्रीन 85	30387
63.	डाइरेक्ट ब्ल्यू 222	30368
64.	डाइरेक्ट ब्लैक 91	30400
65.	डाइरेक्ट ब्लैक 154	-
66.	डाइरेक्ट यैलो 7	26090
67.	डाइरेक्ट येलो 23	26070
68.	डाइरेक्ट येलो 56	-
69.	डाइरेक्ट आरेंज 149	-
70.	डाइरेक्ट रेड 151	26130

[हिन्दी]

संसद सदस्यों की सुरक्षा

3246. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों की ओर से इस आशय के पत्र प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अपनी जान-माल की रक्षा के लिए पुलिस कांस्टेबल प्रदान किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सरकार को संसद सदस्यों से समय-समय पर पत्र प्राप्त होते हैं और वह खतरे के स्तर का निर्धारण करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श के आधार पर कार्रवाई करती है तथा उपयुक्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। भारत के संविधान के अधीन ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार की है; ऐसे पत्र, जहां भी जरूरी होता है, समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार को भी अग्रेषित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

गेहूं की खरीद

3247. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री संतोष मोहन देव:
श्री आर. साम्बासिवा राव:
कुमारी सुशीला तिरिया:
श्री मंगत राम शर्मा:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं की घरेलू खरीद आशा से अधिक रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 1997 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितनी मात्रा में गेहूं खरीदी गई;

(घ) क्या किसानों को प्रोत्साहन देने के बावजूद सरकार किसानों से पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं खरीद सकी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अपरम्परागत राज्यों में गेहूं की खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या गेहूं के भण्डार और आयात के बारे में अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो गेहूं की खरीद की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ज) कितनी मात्रा में गेहूं खरीदना पर्याप्त होगा और क्या इस बात को देखते हुए सरकार ने गेहूं के आयात संबंधी निर्णय को रद्द कर दिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1997-98 के दौरान 30.6.1997 तक केन्द्रीय पूल के लिए 92.02 लाख टन गेहूं की वसूली की जा चुकी है जबकि पिछले रबी विपणन मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान 81.39 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी। गेहूं की वसूल की गई मात्रा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(च) मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के गेहूं के स्टाक संबंधी आंकड़ों में विसंगति है जिसका समाधान किया जा रहा है। 1996-97 के दौरान आयात किया गया गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित पैरामीटर और सरकार द्वारा सफाई तथा संगरोध संबंधी मानदण्डों के अनुरूप है। 1997-98 के दौरान अन्य 10 लाख टन मात्रा का आयात करने के लिए ठेका किया गया है।

(छ) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1997-98 के दौरान 4.8.1997 तक वास्तव में 92.69 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है।

(ज) सरकार केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति की लगातार समीक्षा करती रहती है और अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का निर्णय उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भूमि विकास के लिए सहायता

3248. श्री डी.पी. यादवः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का बहुत बड़ा भू-भाग अभी भी विकसित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि भूमि के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी भूमि के लिए सहायता मंजूर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के विकास के लिए 1996-97 के दौरान कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 71.96 करोड़ रु. जारी किए।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 0.9 लाख है. क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

वन भूमि को पट्टे पर देना

3249. श्री हंसराज अहीरः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** वन भूमि को पट्टे पर देने के बारे में 17 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3719 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट की जांच की गयी है कि वन भूमि को राज्य वन विकास संघ को पट्टे पर दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसी भी निजी उद्यमी को कोई वन भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है और राज्य सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से छोटे और सीमांत किसानों को उनको सीमान्त अवक्रमित भूमि पर उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की प्रजातियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि उद्योगों/निजी उद्यमियों को अवक्रमित वन भूमि पट्टे पर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का उल्लंघन होगा।

[अनुवाद]

यू.एन.ई.पी. से सहायता

3250. श्री जी. वेंकट स्वामीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान यू.एन.ई.पी. जैसे संगठनों से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या उन परियोजनाओं को अब पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को क़ब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में अम्बेडकर गांव

3251. श्री मंगत राम शर्मा: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में अम्बेडकर गांव के रूप में कितने ग्रामों (जिलेवार) का चयन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन गांवों के विकास और कल्याण हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जम्मू व कश्मीर राज्य में कोई अम्बेडकर ग्राम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हांग्लू के चमड़े

3252. श्री ए. सम्पथ:
डा. असीम बाला:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर जिले के निशात स्थित एक प्रसंस्करण एकक से हाल ही में भारी मात्रा में हांग्लू के चमड़े बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) वन्यजीव सुरक्षा विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि श्रीनगर जिले के निशांत स्थित प्रसंस्करण इकाई से उन्हें इस तरह की कोई खालें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीजों का परिवहन करने पर राजसहायता

3253. श्री बाजू बन रियान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजों के परिवहन हेतु राजसहायता संबंधी योजना पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्यवार बीजों की मांग कितनी थी और उन्हें बीजों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई और कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को समय पर अपेक्षित मात्रा में बीज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) बीजों पर परिवहन राजसहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1986-87 से मात्र उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम में क्रियान्वयनाधीन है।

(ख) संबद्ध राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में बीजों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से है:

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य	आवश्यकता	
	1995-96	1996-97
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	8950	10095
असम	141220	148690

1	2	3
मणिपुर	27296	29038
मेघालय	4641	7625
मिजोरम	1005	1936
नागालैंड	1400	1700
त्रिपुरा	5275	9745

यह मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के पास उपलब्ध एवं निजी स्रोतों से प्राप्त बीजों के पूरक के रूप में उन्हें बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था करे। इस योजना के अंतर्गत 1995-96 एवं 1996-97 में राज्य के बाहर से की गई बीजों की आपूर्ति इस प्रकार है:

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य	विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किए गए बीज की मात्रा	
	1995-96	1996-97
अरूणाचल प्रदेश	481	289
असम	44054	19824
मणिपुर	766	1632
मेघालय	4587	4198
मिजोरम	320	502
नागालैंड	938	559
त्रिपुरा	1557	152

1995-96 एवं 1996-97 में क्रियान्वयन एजेंसियों को दी गई परिवहन राजसहायता क्रमशः 26.19 एवं 24.01 लाख थी। चूंकि राजसहायता राज्यों को न देकर क्रियान्वयन एजेंसियों को दी जाती है। इसलिए इसका राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जूस और मुरब्बों में कृत्रिम मिठास/सिन्थेटिक्स का प्रयोग

3254. श्रीमती शारदा टाडीपारथी:
श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूस और मुरब्बा विनिर्माताओं द्वारा कृत्रिम मिठास का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूस और मुरब्बे में प्रयुक्त किया जा रहा सिन्थेटिक्स शरीर के लिए हानिकारक है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गैर-हानिकारक अवयवों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) फल उत्पाद (संशोधन) आदेश-1997 के तहत जैम और जूस के निर्माण में एसपरटेम और ऐसीफलूम नामक दो कृत्रिक मिठासों के उपयोग की अनुमति है फिर भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत जैम और जूस में इनके उपयोग की अभी भी अनुमति नहीं है।

(ग) भारतीय खाद्य कानूनों के तहत सिर्फ अहानिकारक सिन्थेटिक्स के उपयोग की अनुमति है।

(घ) फल रस, जैम भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत नहीं आते इसलिए उक्त ब्यूरो द्वारा कोई उपाय नहीं किये जाते। इन उत्पादों के लिए खाद्य उत्पाद आदेश-1955 के तहत लाइसेंस दिये जाते हैं, इसलिए खाद्य उत्पाद आदेश संशोधनों द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण

3255. श्री नारायण अठावले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बढ़ते हुए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से दो वर्षों के अंतर्गत दो स्ट्रोक वाले

इंजिनों के विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने और किट बदलने तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस को अपनाने के लिए लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) दो स्ट्रोक वाले इंजनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। सरकार ने 1997-98 के दौरान संपीड़ित प्राकृतिक गैस किट पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया है।

गुजरात में खाद्यान्नों की कालाबाजारी करने वाले लोगों का पकड़ा जाना

3256. श्री विजय पटेल: क्या **खाद्य उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुओं का अनुरक्षण अधिनियम 1995 के अंतर्गत गुजरात में कालाबाजारी करने वाले कितने लोग हिरासत में लिये गये हैं;

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने व्यक्ति रिहा किये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा मामलों का निपटान न किये जाने के कारण हिरासत में लिए गए कितने व्यक्ति रिहा किए गए; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुओं का अनुरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गुजरात में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या*
1994	39
1995	141
1996	55

*(यह आंकड़े खाद्यान्नों सहित विभिन्न आवश्यक जिन्सों के लिए कदाचार करने के लिए हिरासत में लिये गये व्यक्तियों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं)

(ख) से (घ) हिरासत में लिए गए व्यक्ति राज्य सरकारों, सलाहकार बोर्डों और केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दे सकते हैं। यदि इन अभ्यावेदनों का निपटान करने में कोई कमी रहती है तो, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश देता है और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कटु आलोचना (स्ट्रिक्चर) करता है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार रिहा किए गए व्यक्तियों, रिहा करने के कारणों, उनके अभ्यावेदनों का निपटान करने में कमी के कारण रिहा किए गए व्यक्तियों और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई आदि की सूचना नहीं रखती है।

रसायन तथा उर्वरक आधारित उद्योग

3257. डा. अमृत लाल भारती: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसायन तथा उर्वरक आधारित उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य के कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) 1. **उर्वरक उद्योग:** 24 जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा जारी की गई औद्योगिक नीति विवरण के आधार पर, उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर उद्यमी भारत के किसी भी स्थान पर उर्वरक परियोजना स्थापित कर सकते हैं। हालांकि, पब्लिक सैक्टर/को-आपरेटिव एककों को उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नई उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक पूंजीगत खर्च प्राप्त करने हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, यदि वह वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन से अधिक है। कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाएं और उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/कोआपरेटिव सोसाएटियों की प्रस्तावित परियोजनाएं, जिन्हें निर्धारित पीआईबी निकासी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रम में लाया जा रहा है इन सबका विस्तृत संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

2. **रसायन उद्योग :** औद्योगिक नीति उदारीकरण के परिणामस्वरूप, कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर ज्यादातर रसायन उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इन वस्तुओं के उत्पादन

आरंभ करने से पूर्व औद्योगिक विकास विभाग के पास उद्यमियों को मात्र एक औद्योगिक उद्यमी अधिसूचना (आईईएम) दायर करना होगा। हालांकि रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पब्लिक सैक्टर उद्यमियों ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित होने की परिकल्पना की है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

I. इंडियन पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि.

इंडियन पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि. (आईपीसीएल) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त उद्यम यंत्र प्रबंध से और नई परियोजना/विस्तार से करीब 6000 करोड़ रु. निवेश योजना का प्रस्ताव है। आईपीसीएल की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है—नैफ्था क्रकर (300000 टीपीए), बड़ौदा काम्पलैक्स गुजरात में एलडीपीई (200000 टीपीए), इथाइलीन एक्सपेंशन (100000 टीपीए), अल्फा ओलेफिन्स (60000 टीपीए) और नेगोठाणे काम्पलेक्स (महाराष्ट्र) पर डेरिवेटिव और गांधार काम्पलैक्स (गुजरात) में एसीएन प्लांट (100000 टीपीए) आईपीसीएल की अपनी परियोजनाएं गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्थित होंगे जबकि संयुक्त उद्यमों की अवस्थिति अभी तक तय नहीं हुई है।

II. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि. (एचओसीएल)

एच ओ सी एल का नौवीं योजना में महाराष्ट्र राज्य के रसायनी में संयुक्त उद्यम के जरिए एम डी आई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना का कुल लागत 3.87 करोड़ रु. है।

एच ओ सी एल कोचीन संयंत्र में 50 करोड़ के निवेश से विद्यमान फीनोल क्षमता का विस्तार करने और 600 करोड़ रु. के निवेश से महाराष्ट्र राज्य के विद्यमान नाईट्रो एरोमेटिक का तीन गुणा विस्तार करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

देश में नौवीं योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना, स्थिति स्थिति एवं कंपनी/ कोआपरेटिव का नाम	अनुमानित पूंजीगत लागत (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित उत्पाद क्षमता का उत्पादन (लाख (एमटीपीए में)	शून्य तिथि	आरंभ होने का अनुमोदित दिन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1997-98 के दौरान आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए क्षमता योग/संशोधन						
(क) क्षमता योग						
1.	मनाली, मद्रास की एमएफएल का रिवैम्प	487.47	यूरिया-0.76 एनपीके-1.84	1.1.93	30.6.96	अगस्त, 1997 तक शुरू होने की आशा है। अब अनुमानित परियोजना लागत 545.00 करोड़ है।
2.	इफको कलोल, गुजरात परियोजना का विस्तार	119.08	यूरिया-1.50	1.3.95	1.9.97	परियोजना की पूंजीगत लागत 149.70 करोड़ रु. से ज्यादा होने का अनुमान है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	आरसीएफ थाल (फेस-2) महाराष्ट्र का अमोनिया रेट्रोरिएट प्लांट	93.00	यू.-1.10	1.11.95	1.11.97	
4.	इफको, फूलपुर, उ.प्र. का परियोजना विस्तार	993.00	यू.-7.26	20.4.95	20.1.98	परियोजना की पूंजीगत लागत 1190 करोड़ रु. से ज्यादा होने का अनुमान है।
5.	एनएफसीएल काकीनाडा, आं.प्र. का परियोजना विस्तार	969.98	यू.-4.95	1.8.95	1.2.98	
(ख) क्षमता में संशोधन						
6.	एफएसीटी उद्योग मंडल, केरल (आयात संशोधन) का अमोनिया संशोधन प्लांट	618.43	अमो.-2.97	10.5.93	31.3.97	642.36 करोड़ रु. की लागत से 30.11.97 से आरंभ होने का अनुमान है।
7.	जीएसएफसी, बड़ौदा गुजरात (पुरानी क्षमता का संशोधन) की अमोनिया परियोजना	1030.00	अमो.-4.45	26.8.94	31.12.97	दिखाई गई पूंजीगत लागत, शून्य दिनांक तथा आरंभ होने की तिथि संशोधित लागत/दिन है।
II.	*1997-98 के बाद आरंभ की जाने वाली परियोजना क्षमता जोड़*					
8.	इफको खंडला, गुजरात (फेस-2) का परियोजना विस्तार	212.20	एनपीके-3.70 डीएपी-2.27	22.1.97	22.10.99	

1	2	3	4	5	6	7.
9.	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लि. गादेपन (फेस-2) राजस्थान का परियोजना विस्तार	1256.00	यू.-7.75	25.12.96	31.12.99	
कुल	कुल अनुमानित लागत	:	5778.73 करोड़ रु.			
	कुल यूरिया	:	23.32 लाख एमटीपीए			
	एन.पी.के.	:	5.54 लाख एमटीपीए			
	डी.ए.पी.	:	2.27 लाख एमटीपीए			

विवरण II

पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा स्वीकृति के लिए पब्लिक सैक्टर/कोआपरेटिव एककों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित परियोजना

क्रमांक	पीएसयू/कोआपरेटिव का नाम	स्थिति	अनुमानित पूंजीगत लागत रु. करोड़ में	प्रस्तावित उत्पादन	
				उत्पाद	क्षमता (लाख एमटीपीए)
1	2	3	4	5	6
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) तीसरे चरण में अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना	हजीरा	1044.00	यूरिया	7.26
2.	कृभको-(एफसीआई की विद्यमान साइट में नई अमोनिया-यूरिया प्लांट)	गोरखपुर, उ.प्र.	1270.00	यूरिया	7.26
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि. (इफ्को) (ग्रासरूट्स)	नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	1568.70	यूरिया	7.26

1	2	3	4	5	6
4.	राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर (आरसीएफ) (अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1157.33	यूरिया	7.26

यूरिया का आयात

3258. श्री सुनील खान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 9000 रुपया प्रति टन की दर से यूरिया का आयात कर रही है जबकि दुर्गापुर उर्वरक निगम में उत्पादित यूरिया का मूल्य 7000 रुपए प्रति टन बैठता है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर उर्वरक निगम को यूरिया की समान दर नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप इसका पुनर्गठन किया जा सकता था और महत्पूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती थी?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) आयातित यूरिया के भारित औसत लागत भाड़ा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों और भाड़ा दरों के आधार वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होते हैं। अप्रैल-जुलाई, 1997 के दौरान यूरिया का भारित औसत लागत भाड़ा मूल्य लगभग 6202 रुपये प्रति मी. टन रहा है। इसकी तुलना में, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन एच्र एफ सी/दुर्गापुर द्वारा उत्पादित यूरिया को दिया गया प्रतिधारण मूल्य 8246/- रुपये प्रति मी. टन है। यह उसकी लागत को पूरा नहीं करता जो कि अपेक्षाकृत अधिक है। इसीलिए, नकद हानियों को पूरा करने के लिए हर वर्ष बजटीय सहायता दी जा रही है।

एच्र एफ सी के पुनरुद्धार पैकेजों को वित्तीय संस्थाओं की दृष्टिकोण से पुन: तैयार किया गया है। व्यवहार्यता तथा वित्तीय व्यवस्था के आधार पर पुनरुद्धार कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है।

बेरोजगार कृषि डिप्लोमा/डिग्री धारक

3259. श्री थामस हंसदा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि कालेजों/संस्थानों की कुल संख्या कितनी है और इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार कृषि और संबंधित विषयों में उनमें क्या-क्या पाठ्यक्रम हैं तथा पिछले तीन वर्षों की तुलना में उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कम संख्या में नौकरियां उपलब्ध होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में डिप्लोमा धारक/स्नातक तथा स्नातकोत्तर सतत् रूप से बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान नई कृषि नीति के अंतर्गत प्रशिक्षित श्रम शक्ति का प्रभावी उपयोग करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर यथासमय रख दी जायेगी।

अन्तर-राज्य परिषद संबंधी स्थायी समिति

3260. श्री राम नाईक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर-राज्य परिषद संबंधी स्थायी समिति ने राज्यों के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त प्रारूप में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) यह माना जाता है कि माननीय सदस्य, अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की चार बैठकों में निम्नलिखित मुद्दों पर हुई सर्व सम्मति के बारे में सूचना मांग रहे हैं:

(1) राज्यों को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के संबंध में वैकल्पिक योजना।

(2) संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन।

(3) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध (सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का अध्याय-X)

2. स्थायी समिति मद सं. (1) के संबंध में निम्न सर्व-सम्मति पर पहुंची: (क) (1) सभी केन्द्रीय करों की सकल प्राप्ति का 26 प्रतिशत (स्टाम्प ड्युटी मेडिसनल और टायलट प्रिपरेशन्स पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, कान्साईनमेंट टैक्स और सरचार्ज को छोड़कर), आय कर और बेसिक/स्पेशल उत्पाद करों से प्राप्त होने वाली आय के बदले में और रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले में अनुदान राज्यों को दिया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त सभी केन्द्रीय करों से सकल प्राप्ति का 3 प्रतिशत (स्टाम्प ड्यूटी, मैडीसनल और टायलट प्रिपरेशन्स पर उत्पाद कर, केन्द्रीय बिक्री कर, कनसाईनमेंट कर और सरचार्ज को छोड़कर) तम्बाकू, कपास और चीनी पर बिक्री करों के वर्तमान हिस्से के बदले में राज्यों को दिया जाएगा। इन तीनों मदो पर बिक्री कर से छूट मिलती रहेगी और इन मदों पर बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादक शुल्क का बेसिक उत्पादक शुल्क के साथ विलय किया जाये।

(ख) केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना 1.4.1995 से लागू की जाएगी।

(ग) राज्यों के हिस्से में सुधार करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम की पुनरीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त स्कीम, अन्तर्राज्यीय परिषद की 17.7.1997 को हुई बैठक में भी अनुमोदित की गई है। वित्त मंत्रालय से आगे कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

3. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने का प्रश्न है, स्थायी समिति में इस पर सर्वसम्मति नहीं हो सकी। मतभेद के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे:

(1) क्या केन्द्र सरकार, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना विशेष परिस्थितियों में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।

(2) नोटिस दिए बिना ही अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए उपबन्ध की व्यवस्था यदि राज्य सरकार ऐसा कार्य करती है जिससे निम्नलिखित को खतरा पैदा होता है:

(क) समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता

(3) क्या संसद का अनुमोदन उद्घोषणा से पहले लिया जाए या बाद में।

(4) क्या अनुमोदन साधारण बहुमत से हो, या दो-तिहाई बहुमत से।

यह मामला अन्तर-राज्यीय परिषद की 17.7.1997 को हुई बैठक में आगे विचारार्थ रखा गया था। इस बैठक में भी अनुच्छेद 356 के संशोधन के संबंध में एकमत नहीं हो सका।

4. केन्द्र-राज्य वित्त संबंधों पर स्थायी समिति कुछ सिफारिशों पर एकमत थी, लेकिन मामले को 17.7.1997 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श के लिए नहीं लिया जा सका।

5. महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री सहित स्थायी समिति के सदस्यों के विचारों को, सर्वसम्मत दस्तावेजों को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया था।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कल्याण कोष

3261. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1997 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''उपभोक्ता कल्याण कोष, कल्याण से कैसा दूर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उपभोक्ता कल्याण निधि आम लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सक्षम नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता कल्याण कोष का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाना है। जो एजेंसियां/संगठन कम से कम तीन वर्षों की अवधि से उपभोक्ता कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों से जुड़े रहे हों और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत हों, वित्तीय सहायता हेतु उनके प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाता है और सभी पात्र संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि में 'ग्रीन हाऊस' का उपयोग

3262. श्री एल. रमणा:
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि में 'ग्रीन हाऊस' जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ''कृषि में प्लास्टिक का उपयोग'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है जिसमें ग्रीन हाउस का घटक शामिल है। कम लागत वाले, मध्यम लागत वाले तथा अधिक लागत वाले ग्रीन हाउसों के निर्माण के लिए राजसहायता प्रदान की जा रही है जो कम लागत वाले ग्रीन हाउस के लिए अधिकतम 31,250 रु. तथा मध्यम और अधिक लागत वाले ग्रीन हाउसों के लिए अधिकतम एक-एक लाख रुपये हैं। ग्रीन हाउसों से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

1. बागवानी फसलों की अच्छी किस्म की क़लमों को लगाया जा सकता है,
2. घरेलू तथा निर्यात मंडियों के लिए अच्छे किस्म के फूल तथा सजावटी पौधों को उगाया जा सकता है,
3. गैर-मौसमी सब्जियों को उगाया जा सकता है,
4. शीत मरू स्थितियों में सब्जियां उगाना संभव है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस

3263. श्री विजय गोयल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिक मारे गए अथवा घायल हुए;

(ख) मृतकों के परिवारों और घायल हुए कार्मिकों को राहत और सहायता देने के लिए क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दिनों पुलिस कार्मिकों जिनमें यातायात कार्मिक भी शामिल हैं, के कार्यस्वरूप में अधिक जोखिम को मद्देनजर रखते हुए मृतकों के परिवारों अथवा घायल कार्मिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की सीमा को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

वर्ष	पुलिस कार्मियों की संख्या	
	(ड्यूटी पर) मारे गए	(ड्यूटी पर) घायल
1994	16	212
1995	7	264
1996	10	174

(ख) ऐसे मामलों में निम्नलिखित पेंशन संबंधी एवं अन्य आर्थिक लाभ दिये जाते हैं:

(1) अंतिम आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत पेंशन
अथवा
मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर से किन्तु कम से कम 750 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 2500 रु. प्रतिमाह की असाधारण पेंशन।

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकार्य लाभों का भुगतान;

(3) मृतक के आश्रित/परिवार के सदस्य की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, और

(4) इस विषय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान करना।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद

3264. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से जून, 1997 में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्य से 10 लाख टन अतिरिक्त चावल खरीद लेने का अनुरोध किया था;

(ख) चालू मौसम के दौरान चावल की खरीद केन्द्र सरकार की किस सीमा तक मदद करेगी;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने राज्य से अब तक कितनी मात्रा में चावल की खरीद की है तथा गत वर्ष की तुलना में यह कितना अधिक है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में की गयी यह सर्वाधिक खरीद है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1993-94 से आंध्र प्रदेश में चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की निम्नानुसार वसूली हुई:

(लाख टन में)

विपणन मौसम	वसूली की गई चावल की मात्रा
1993-94	39.87
1994-95	40.24
1995-96	36.82
1996-97	44.64 (4.8.97 की स्थिति के अनुसार)

(घ) राज्य में चालू खरीफ विपणन मौसम, 1996-97 (4.8.97 तक) में 44.64 लाख टन चावल की वसूली हुई है जो राज्य में हुई अधिकतम वसूली है।

आन्ध्र प्रदेश में धान/चावल का उत्पादन

3265. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण आन्ध्र प्रदेश राज्य में धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक उत्पादन के बावजूद इसकी कीमतें विशेषत: कृष्णा जिले में कम नहीं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा कृष्णा जिले से प्रतिवर्ष 4.37 लाख टन चावल खरीदा जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने खरीफ फसल के दौरान लक्ष्य के 75 प्रतिशत की खरीद की है जबकि रबी फसल के दौरान केवल 25 प्रतिशत की खरीद की गई है;

(ङ) यदि हां, तो चालू खरीफ फसल के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने चावल का उत्पादन हुआ; और

(च) आन्ध्र प्रदेश राज्य में अतिरिक्त चावल खरीदे जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) वर्ष 1996-97 में आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन 99.01 लाख मीटरी टन रहा जो 1995-96 के 91.95 लाख मीटरी टन के उत्पादन स्तर की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1996 तथा जनवरी, 1997 के दौरान आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के विजयवाड़ा केन्द्र में चावल (मोटे) के मास के अंत में थोक मूल्य 1995-96 की अवधि के मूल्यों की तुलना में अधिक बताए गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर) तथा 1996-97 (पहली अक्तूबर से 7 अगस्त) के दौरान क्रमश: 4.36, 3.58 तथा 4.35 लाख मीटरी टन चावल खरीदा गया।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा फसल वर्ष 1996-97 (7 अगस्त, 1997 तक) के दौरान खरीदे गये कुल चावल में आंध्र

प्रदेश के कृष्णा जिले में खरीफ तथा रबी मौसमों में खरीदा गया चावल क्रमशः 61.57 तथा 38.43 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) आंध्र प्रदेश में 1997-98 के वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान चावल की उत्पादन सम्भावनाओं का मूल्यांकन का समय अभी नहीं हुआ है।

(च) भारतीय खाद्य निगम ने फसल वर्ष 1996-97 (7 अगस्त, 1997 तक) के दौरान खरीद भण्डारण तथा ढुलाई को उचित रूप से नियोजित करके आंध्र प्रदेश में 44.60 लाख मीटरी टन चावल की खरीद की है जो 42 लाख मीटरी टन के लक्ष्य से अधिक है। 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से फालतू चावल की खरीद जारी रखने की रणनीति भी जारी रहेगी।

केरल में उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

3266. श्री टी. गोविन्दन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केरल द्वारा मांग की गई तथा उसे रियायती दर पर आपूर्ति की गई उर्वरकों की मात्रा क्या है;

(ख) कम आपूर्ति के कारण क्या हैं; और

(ग) राज्य को अपेक्षित आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) केवल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। नीचे दी गई सारणी, केरल में वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान यूरिया की अनुमानित मांग, उपलब्धता तथा खपत को दर्शाती है:

(लाख टन)

	अनुमानित मांग	उपलब्धता*	खपत
1994-95	1.21	1.21	1.07
1995-96	1.26	1.47	1.21
1996-97	1.33	1.47	1.21 (अनुमानित)

*राज्य सांस्थानिक अभिकरणों के स्टाक को छोड़कर।

पिछले तीन वर्षों में केरल में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था तथा आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं थी।

[हिन्दी]

गेहूं का खरीद मूल्य

3267. श्री संतोष कुमार गंगवार:
श्री जगत वीर सिंह द्रोण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं का खरीद मूल्य 475 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं के खरीद मूल्य से अधिक दर पर गेहूं आयात करने के सरकारी निर्णय से किसानों में असंतोष है और परिणामस्वरूप पंजाब के किसानों में भारतीय खाद्य निगम को गेहूं बेचने से मना कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे संकट से बचने और किसानों को शोषण से बचाने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो व्यापारियों द्वारा गेहूं की जमाखोरी से उत्पन्न समस्या से निपटने और खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) सरकार द्वारा, 1997-98 मौसम के दौरान बेचे जाने वाले 1996-97 फसल से संबंधित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 415 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया जो पिछले मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 35 रुपये ज्यादा है। पंजाब तथा हरियाणा सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य में और अधिक वृद्धि करने के अनुरोध को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय पूल को 1.4.97 से 30.6.97 तक बेचे जाने वाले गेहूं के लिए 60 रु. प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस देने का निर्णय लिया। इस प्रकार बोनस के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गयी बढ़ोत्तरी 95 रु. प्रति क्विंटल बनती है। इससे चालू मौसम के दौरान गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 4 अगस्त, 1997 तक गेहूं की कुल खरीद 9.3 मिलियन टन रही जबकि पिछले मौसम में इसी अवधि में यह 8.2 मिलियन टन थी।

(घ) सरकार ने वर्ष 1997-93 के दौरान गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात पर लगे सम्पूर्ण प्रतिबन्ध को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि गेहूं पर लाइसेंसिंग तथा स्टॉक होल्डिंग सीमा 1997-98 मौसम के दौरान भी जारी रखी जायेगी।

उर्वरक संयंत्र में प्रयुक्त यूरिया

3268. श्री एन.जे. राठवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. जैसे राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उपयोग गुजरात के कम्पोजिट उर्वरक संयंत्रों में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की कंपोजिट उर्वरक इकाइयों को कंपोजिट उर्वरक तैयार करने के लिए यूरिया, डी.ए.पी. तथा एम.ओ.पी. जैसे आर्थिक सहायता प्राप्त उर्वरकों का प्रयोग करते हुए पाया गया था। राज्य सरकार ने राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का प्रयोग न करने के लिए सभी कंपोजिट उर्वरक इकाइयों को चेतावनी दी है। जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण स्टाक को भी इस संबंध में नजर रखने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

कूकी तथा नागाओं के बीच झड़पें

3269. श्री सुशील चन्द्र: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल जनसंख्या कितनी थी तथा राज्य में ''कूकी'' तथा ''तंगखुल-नागा'' जनजातियों की अलग-अलग संख्या कितनी थी;

(ख) क्या कूकी तथा तंगखुल नागाओं में प्रायः झड़पें होती रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुकी तथा तंगखुल जनजातियों के बीच कितनी झड़पें हुई तथा इन झड़पों में दोनों ओर से कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ङ) नागा तथा कुकी जनजाति के व्यक्तियों के बीच झड़पों को रोकने के लिए लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल जनसंख्या 18,37,149 तथा तंगखुल-नागाओं की जनसंख्या 1,09,800 थी। चूंकि ''कुकी'' नाम मणिपुर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है इसलिए उनकी जनसंख्या के बारे में जगनणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुमान है कि मणिपुर में उनकी जनसंख्या 1,40,000 के लगभग है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। कुकी-नागा संघर्षों के मूल कारण हैं-दोनों ही ग्रुपों द्वारा वृहत्तर क्षेत्रों पर और मणिपुर के चंदेल जिले में स्थित मोरेह से होकर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही तरीकों से होने वाले भारत-म्यांमार सीमा व्यापार पर भी प्रभुत्व के लिए प्रयास करना।

(घ) ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

	1995	1996	1997 (जुलाई तक)
हिंसात्मक घटनाओं की संख्या	101	58	23
मारे गए व्यक्तियों की संख्या			
(क) नागा (तंगखुल नागाओं सहित)	39	25	9
(ख) कुकी	60	33	19

(ङ) कुकी नागा संघर्ष को रोकने के लिए जहां केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों की अतिरिक्त यूनिटें राज्य सरकार को दी हैं और लड़ रहे दोनों आदिवासी समुदायों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल किए जाने की सलाह दी है वहीं राज्य सरकार ने सुभेद्य क्षेत्रों में राज्य पुलिस और केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बल दोनों को ही तैनात किया है और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के नेताओं को एक साथ लाने के लिए बार-बार प्रयास किये हैं।

[अनुवाद]

मृदा सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा भूमि अपक्षरण संबंधी सर्वेक्षण

3270. श्री जी.ए. चरण रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना ब्यूरो के साथ कृषि विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से आंध्र प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर भूमि अपक्षरण का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि बाढ़ और मानव जन्य प्रकार्य जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण मृदा की उर्वरता में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य में मृदा अपक्षरण को रोकने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(च) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर में आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विभाग के सहयोग से राज्य के मृदा संसाधन मानचित्रण का कार्य सुदूर संवेदी तकनीक, सतही मृदा सर्वेक्षण विधि, मृदा नमूनों के विश्लेषण, मृदा वर्गीकरण, मानचित्र कला तथा मानचित्र मुद्रण विधि का इस्तेमाल करते हुए और मृदा अपघटन की स्थिति के मूल्यांकन द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मृदा मानचित्र में प्रदर्शित 238 मृदा मानचित्र यूनिटों में से प्रत्येक का मृदा के अपघटन के स्वरूप, मात्रा तथा उसकी तुलनात्मक सीमा के लिए मूल्यांकन किया गया है। तदनुसार, यह पाया गया कि राज्य की 1,49,92,404 हैक्टर भूमि जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 54.7 प्रतिशत है, में बाढ़ और मानवीय कार्यकलापों के कारण अपघटन की मात्रा भिन्न-भिन्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

(छ) लागू नहीं होता।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3271. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य तथा स्वरूप क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विशिष्ट स्थानों सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8वीं योजनावधि में कार्यान्वित की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य दूरदराज सीमा के नजदीक स्थित अगम्य क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करना और उनकी समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए लोगों को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए बनायी गयी क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं शुरू की जाती हैं जिसमें आवर्ती राजस्व व्यय के बजाय टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन पर जोर दिया जाता है।

(ख) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं का निर्णय लाभान्वित होने वाले राज्यों की राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा, वार्षिक आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित निधियों की सीमा के भीतर समय-समय पर लिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

	राज्य	आवंटन (रु. लाखों में)
1.	असम	412.00
2.	मेघालय	305.00
3.	मिजोरम	673.00
4.	त्रिपुरा	1096.00
5.	अरुणाचल प्रदेश	400.00
6.	नागालैण्ड	400.00
7.	मणिपुर	400.00

[हिन्दी]

गेहूं की फसल हेतु जिंक सल्फेट की मांग

3272. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को गेहूं की फसल हेतु जिंक सल्फेट उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां। गेहूं की फसल के लिए जिंक सल्फेट पर राजसहायता के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से 1996-97 के दौरान एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) चूंकि समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं के अंतर्गत जिंक सल्फेट पर राजसहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

संकोश नदी नहर

3273. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलने वाली संकोश नदी से नहर के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) संकोश परियोजना के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल में संकोश नदी से गंगा नदी तक नहर निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि सर्वेक्षण एवं जांच पर्यावरण के लिए बाधक हो सकते हैं, अतः पर्यावरण और वन मंत्रालय एक बहु-विषयी दल के साथ मूल्यांकन करेगा। बहु-विषयी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, सर्वेक्षण और जांच संबंधी निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार, पर्यावरण मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग

3274. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करने के बारे में केन्द्र सरकार ने अभी सहमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर शीघ्र निर्णय के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की ग्यारह सदस्यीय न्यायपीठ में "अल्पसंख्यक" की परिभाषा के संबंध में निर्णय के अनुसार आन्ध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1996 को प्रस्तुत करने के लिए पहले ही सहमति दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय झंडे का अपमान

3275. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेप्सी कोला ने "पेप्सी इंडीपेडेंस क्रिकेट" श्रृंखला के दौरान एक विज्ञापन में राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतीक और स्मारक अवमानना निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत उक्त कम्पनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतीक और स्मारक अवमानना निवारण अधिनियम नामक अधिनियम नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों को धनराशि का आबंटन

3276. श्री उद्धव बर्मन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न फसलों के संकर बीज तथा किफायती और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को तैयार करने के लेए अनुसंधान कार्यों में कृषि विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देती है:

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं:

1. पिछले तीन सालों के दौरान विभिन्न फसलों की विकसित की गई और अनुशंसित संकर किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

2. चावल में चीन के बाद भारत ही केवल ऐसा देश है जिसने संकर चावल को जो इस समय लगभग 60,000 हैक्टर क्षेत्र में उगाया जाता है, वाणिज्यिक रूप दिया है।

3. 9 फसलों (चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, तोरिया, सरसों, अरण्डी, अरहर और कपास) की संकर बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है और प्रभावी बीज उत्पादन के लिए सिफारिश की गई है।

(ग) चुनी हुई फसलों में संकर किस्मों पर अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्रोत्साहन देने संबंधी परियोजना और यू.एन.डी.पी. द्वारा निधिकृत संकर चावल परियोजना के तहत इस प्रयोजना के लिए विशेष रूप से तथा केवल इसी कार्य हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन सालों के दौरान विकसित संकर किस्में

क्र.सं.	फसल का नाम	संकर का नाम
1.	चावल	ए पी एच आर-1, ए पी एच आर-2, के आर एच-1, डी आर आर एच-1, सी एन आर एच-3, एम जी आर-1
2.	मक्का	दक्कन 109, एस एस एम 510, के एच 528, पारस, धारवाड़ मक्का-1, राजेन्द्र मक्का-1, राजेन्द्र मक्का-2, हिम-129, प्रकाश, के एच 9451, एम एम एच 69, जे के 2492
3.	ज्वार	सी एस एच 14, सी एस एच 13, सी एस एच 15 आर, सी एस एच 16
4.	बाजरा	पूसा 322, पूसा 444, शारदा, जी एन बी 15, आर एच बी 235, देवगिरी, आर एच बी 58, एकनाथ 301, एम एल बी एच 104, एच एच बी 68, एम एच 322, आई सी एम एच 356
5.	सूरजमुखी	टी एन ए यू एस यू एफ 7, जी ए यू एस यू एफ 15, पी के वी एस एच 27, ज्वालामुखी
6.	आरण्डी	डी सी एच 30, डी सी एच 32
7.	तोरिया-सरसों	पी जी एस एच 51, हायोला 401
8.	अरहर	पी पी एच 4, सी ओ एच 1, सी ओ एच 2, ए के पी पी एच 4104
9.	कपास	जे के एच वाई 2, सी आई सी आर एच एच 2, फतह एच एच एच 81, जी कौट. एच वाई 10, जी कौट. एच वाई 16, जी कौट एच वाई 17, पी के वी, एच वाई 3, डी एच वी 105, मरूविकास, ओम संकर, सुरभी।

विवरण II

पिछले तीन सालों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को आवंटित निधि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कृषि विश्वविद्यालयों के नाम	आवंटन		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आं.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	15.55	18.98	19.64
2.	राज. कृषि विश्वविद्यालय, धौली	4.92	5.13	5.34
3.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	13.14	13.72	14.27
4.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	19.79	20.78	21.63
5.	रा.कृ. विश्वविद्यालय, बीकानेर	9.25	14.74	10.00
6.	तमिलनाडु कृषि वि. विद्यालय, कोयम्बटूर	18.38	19.34	19.04
7.	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	8.96	9.42	9.83
8.	नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	8.81	10.68	11.14
9.	मैसूर विश्वविद्यालय	2.30	2.39	2.48
10.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	15.40	16.05	16.67
11.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	12.90	13.43	13.93
12.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व-विद्यालय, जबलपुर	2.30	2.39	2.48
13.	पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला	9.28	9.83	10.26

1	2	3	4	5
14.	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	10.79	5.24	5.44
15.	मराठवाड़ा कृषि वि. विद्यालय, परभणी	9.74	12.44	12.90
16.	कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, डपोली	6.28	2.34	2.48
17.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	25.68	26.74	27.78
18.	पश्चिम बंगाल (चिनसुर)	4.05	2.34	4.78

सी.एफ.सी. की खपत

3277. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:**
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक भारतीय विनिर्माताओं ने सी.एफ.सी.-2 का कितना उत्पादन किया और अन्य देशों को कितना निर्यात किया गया;

(ख) सरकार द्वारा ओजोन बस्टिंग रसायनों के स्विच ओवर के लिए अनुमोदित परियोजनाओं द्वारा सी.एफ.सी की कुल कितनी खपत की गई;

(ग) क्या ये अनुमोदित परियोजनाएं उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही सी.एफ.सी. की मात्रा के बराबर ओजोन के अनुरूप अन्य वैकल्पिक सम्मग्री नि:शुल्क आयात करने के पात्र हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश परियोजनाओं ने सी.एफ.सी. उपभोग को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए आंकड़े दिखाए हैं और उन्हें ओजोन के अनुरूप वैकल्पिक सामग्री के शुल्क-मुक्त आयात का लाभ प्राप्त हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे सी.एफ.सी. सामग्री की वास्तविक खपत सत्यापन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं जिसकी तुलना में वे आयात शुल्क मुक्त वैकल्पिक ओजोन के अनुरूप सामग्री का आयात करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक भारतीय विनिर्माताओं द्वारा किए गए सी.एफ.सी.-2 का उत्पादन और निर्यात निम्नलिखित है:

	विनिर्माता का नाम	1995 में		1996 में	
		उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
		(मी. टन में)		(मी. टन में)	
1.	मैसर्स चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड, चेन्नई	251	97	•448	374
2.	मैसर्स नवीन फ्लोरीन इंडस्ट्रीज, मुम्बई	1339	557	1608	796
3.	मैसर्स गुजरात फ्लोरो-कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात	2845	2291	3128	2287
4.	मैसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड, नई दिल्ली	2173	1129	2098	1089
		6608	4074	7282	4546

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं द्वारा समाप्त की जाने वाली विभिन्न सी.एफ.सी. की कुल खपत 4098 मी. टन है।

(ग) अनुमोदित परियोजनाएं, उस अवधि के दौरान उपयोग की जा रही सी.एफ.सी. की मात्रा के बराबर ओजोन के अनुरूप अन्य वैकल्पिक सामग्री निशुल्क आयात करने के पात्र हैं, जिसके लिए परियोजना में परिचालित लागत अनुमोदित की जाती है।

(घ) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) इस प्रयोजनार्थ अपनाई गई एक सरल कार्यप्रणाली के तहत और इस उद्देश्य से कि उद्यमियों को ओ.डी.एस. समाप्त परियोजनाओं के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुमोदित परियोजना के लिए धनराशि रिलीज करने से पहले निम्नलिखित दो स्रोतों से विनिर्दिष्ट वर्ष में सी.एफ.सी. खपत का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है।

(1) उद्यम का विधिवत् प्राधिकृत कर्मचारी, और

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट

दिल्ली से उद्योगों का स्थानान्तरण

3278. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम दिवस पर एक मजदूर द्वारा आत्मदाह करने की घटना के बाद बेरोजगार श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, केन्द्रीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री और दिल्ली के उप राज्यपाल सहित मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ मई, 1997 में बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किये गये कुछ उद्योगों के बेरोजगार श्रमिकों को सहायता के रूप में छह माह का वेतन तत्काल देने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस मुद्दे को संबंधित उद्योगों के साथ उठायें ताकि कामगारों को मजदूरी के भुगतान आदि से संबंधित समस्या सुलझाई जा सके। इस निर्णय के अनुसरण में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों व संबंधित बड़े उद्योगों के प्रबंधकों के साथ भी पृथक बैठकें की थी। अंत में यह निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों को 21 मई से 27 मई, 1997 तक प्रभावित कपड़ा यूनिटों नामत: बिरला टेक्सटाइल मिल्स, स्वतंत्र भारत मिल्स और डी.सी.एम. सिल्क मिल्स में तैनात किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों को देय बकाया, उन्हें मिल जाए। तथापि, इस निर्णय के व्यापक प्रचार के बावजूद यह सूचित किया गया कि व्यापार की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं थी।

महाराष्ट्र विधान सभा में बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

3279. श्री संदीपान थोरात: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बौद्धों को राज्य विधान सभा के साथ-साथ लोक सभा में उनको राजनीतिक आरक्षण से वंचित किया गया है यद्यपि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अन्य अनुसूचित जातियों की भांति उन्हें यह लाभ देना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) जी, नहीं। वर्ष 1990 में नव-बौद्धों को अनुसूचित जातियों के रूप में माना गया था। महाराष्ट्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 18 सीटें तथा महाराष्ट्र के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं।

बौद्धों के लिए अलग से आरक्षण सम्भव नहीं है।

वीसा नीति का उदारीकरण

3280. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री सत्य देव सिंह:
श्री पंकज चौधरी:
कुमारी उमा भारती:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए वीसा मानदण्डों को सरल/उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) पर्यटक वीजा प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार उदार नीति अपनाती है। पर्यटक वीजा उदारतापूर्वक प्रदान करने हेतु विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इसके अलावा चार या इससे अधिक के ग्रुप में वायुयान अथवा पानी के जहाज से बगैर वीजा के पहुंचने वाले व्यक्तियों को उनके आगमन के स्थान पर ही सामूहिक लैंडिंग परमिट प्रदान कर दिया जाता है बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:-

(1) यात्रा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंसी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ प्रायोजित की गई हो;

(2) आव्रजन अधिकारी को ग्रुप के सदस्यों के पूर्ण व्यक्तिगत और पासपोर्ट के ब्यौरों सहित लिखित रूप से अनुरोध किया गया हो;

(3) ट्रैवल एजेंसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यात्रा का संचालन करने की जिम्मेदारी ले और यह आश्वासन दे कि ग्रुप में से किसी भी सदस्य को ग्रुप छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

3281. श्री जी.आर. सरोदे:
डा. राम विलास वेदान्ती:
श्री सोहनबीर सिंह:
डा. अरविन्द शर्मा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) उनमें से कितनी मिलें विचाराधीन हैं और उनमें से निजी और सरकारी क्षेत्रों की राज्यवार कितनी ऐसी मिलें हैं जिन्हें लाइसेंस दिये जाने पर भी उन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है;

(ग) निर्माण कार्य आरंभ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और कितने लाइसेंस नवीकृत किये गये हैं और ये मिलें राज्यवार कब तक स्थापित की जाएंगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार मिलों के निर्माण कार्य की निगरानी करती है कि जिन चीनी मिलों को लाइसेंस जारी हो चुके हैं, वे निर्धारित अवधि के अंदर स्थापित की जायें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन चीनी वर्षों, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, निजी क्षेत्र की 85 तथा सार्वजनिक क्षेत्र की 4 चीनी मिलों को (बाद में जिनमें से 2 तथा 1 आशय-पत्रों को क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था) देश में नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किये गये।

इनमें से 12 चीनी मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है तथा 12 चीनी मिलें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। शेष 65 चीनी मिलों को अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अभी वास्तविक प्रगति करनी है।

(ग) आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित करना उद्यमियों की जिम्मेदारी है। साधारणतः एक नई चीनी मिल स्थापित करने में 3-4 वर्ष लग जाते हैं। 15 आशय-पत्रों का नवीनीकरण किया गया है।

(घ) और (ङ) उद्यमियों को नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रदान किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है। उद्यमियों को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। कैलेण्डर वर्ष 1997 के दौरान, 31.7.97 तक, ऐसे 10 उद्यमियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है तथा उनसे इसके कारणों को सूचित करने को कहा गया है कि क्यों न उनके आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को कालातीत/रद्द कर दिया जाए।

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन उत्पाद

3282. श्री भक्त चरण दास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में पेट्रो-रसायन उत्पादों की मांग वर्ष 1995 में 5.1 मिलियन टन की तुलना में 2001 तक बढ़कर 9 मिलियन टन हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या फिक्की ने पेट्रो-रसायन के विकास के लिए अनुकूल कारकों का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सुझाव को स्वीकार करने तथा इसे लागू करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (घ) फिक्की एक प्राईवेट निकाय/संगठन है और इसे न तो औपचारिक रूप से पेट्रो-रसायन उत्पादों की मांग पर अध्ययन का कार्य सरकार द्वारा सौंपा गया है न ही भारत सरकार को रिपोर्ट करने का इसका उत्तरदायित्व है। फिक्की द्वारा किए गए ऐसे अध्ययन की औपचारिक सूचना सरकार के पास नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

3283. श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुल कृषि योग्य भूमि की केवल 30 प्रतिशत भूमि का ही प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि भूमि के विस्तार के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त कार्यक्रम लागू करने के परिणामस्वरूप कृषि के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि लाई जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी नहीं। भूमि उपयोग आंकड़े, 1994-95 (नवीनतम) के अनुसार देश में कुल कृषि की गई भूमि कुल कृषि योग्य भूमि का 85% थी।

(ग) और (घ) सरकार और अधिक कृषि भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

(1) ऊसर मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(2) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार परियोजना

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऊसर मृदा के सुधार एवं विकास के लिए परियोजना

(ङ) 7वीं योजना से अब तक कुल 4.79 लाख है. क्षेत्र में ऊसर भूमि का सुधार किया जा चुका है। 2001 तक उल्लिखित विश्व बैंक एवं यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के अंतर्गत 45000 है. सोडिक भूमि एवं 15000 है. ऊसर भूमि के सुधार का लक्ष्य है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करना

3284. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर": क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लघु और बड़े उद्योगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में विश्व बैंक से कितना ऋण लिया गया है;

(ख) विश्व बैंक से उक्त ऋण किन-किन शर्तों पर लिया गया है; और

(ग) ऐसी औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) विश्व बैंक ने सामान्य आई.डी.ए. शर्त पर ऋण के रूप में कुल 108 करोड़ रुपए दिए हैं। सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र के लिए वित्त पोषण पद्धति में 20 प्रतिशत संवर्द्धकों (प्रमोटर्स) का अंशदान है और 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अनुदान है बशर्ते कि राज्य सरकार से बराबर का अंशदान प्राप्त हो। शेष राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध होती है, जो परियोजना के इस घटक के लिए विश्व बैंक सहायता के जरिये प्राप्त होती है।

(ग) अभी तक 17 प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। तकनीकी सहायता घटक के तहत, अभी तक 11 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। देश के विभिन्न भागों में 71 सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए भी सहायता दी गई है, जो निर्माण/चालू होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[अनुवाद]

तेलशोधक कारखानों के चारों ओर सुरक्षा

3285. श्री प्रदीप भट्टाचार्य:
श्री बनवारी लाल पुरोहित:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उल्फा उग्रवादियों द्वारा असम में तेलशोधक कारखानों को नष्ट करने, की धमकी को ध्यान में रखते हुए वहां स्थित तेलशोधक कारखानों के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए असम सरकार को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तेलशोधक कारखानों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता किस प्रकार की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्। इस आशय की एक रिपोर्ट है।

(ख) और (ग) सरकार को राज्य में स्थिति की जानकारी है तथा उस पर निरन्तर नजर रखी जा रही है तथा उसकी गहराई से समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार और पैट्रोलियम मंत्रालय को विधिवत् रूप से सुग्राही बनाया गया है। इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यक उपाय किये गये हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कामगारों के लिए सीधी भुगतान प्रणाली

3286. डा. असीम बाला: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के कामगारों के लिए सीधी भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने कतिपय शर्तों और निबंधनों के आधार पर निगम के विभिन्न डिपुओं में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए ऑल इंडिया एफ.सी.आई. मजदूर फेडरेशन के साथ एक समझौता किया है बशर्ते कि सरकार द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाए। चूंकि यह एक प्रमुख नीतिगत निर्णय है जिसमें अन्तर-मंत्रालयीय/विभागीय परामर्श करना अपेक्षित है और इस प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है, इसलिए सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी दौरे

3287. कुमारी सुशीला तिरिया: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गये विदेशी दौरों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या विदेशों में अधिकारियों को भेजना अपरिहार्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो अधिक संख्या में अधिकारियों को विदेश भेजने का क्या कारण था?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान अधिकारियों के विदेशी दौरों पर हुए कुल खर्च की धनराशि इस प्रकार से है:

(1)	तत्कालीन खाद्य मंत्रालय:	5,78,567 रुपये
(2)	तत्कालीन नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:	5,50,629 रुपये

उपर्युक्त धनराशि में होटल-प्रभार शामिल नहीं हैं क्योंकि विदेश मंत्रालय/विदेश स्थित हमारे दूतावासों से अभी तक संगत दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोयाबीन का उत्पादन

3288. श्री नंद कुमार साय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार किन-किन स्थानों पर सोयाबीन उगाया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में कुल कितनी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार सोयाबीन की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख राज्य हैं। इन राज्यों के जिन जिलों में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है उनकी सूची विवरण-I में दी गयी है।

उक्त के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में भी छोटे पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में सोयाबीन के कुल उत्पादन की जानकारी विवरण-II में दी गयी है।

(ग) और (घ) जी हां। सोयाबीन सहित तिलहनों की उत्पादन नीति में सिलसिले-वार फसल प्रणाली के माध्यम से क्षेत्र वृद्धि कार्यक्रम, अन्तर्फसलन, कम किफायती फसलों का प्रतिस्थापना तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों/स्थितियों में इसकी वैकल्पिक खेती शामिल है। सोयाबीन-सहित तिलहनों में अधिक क्षेत्र कवरेज को बढ़ावा देने के लिए तिलहनों की खेती वाले 22 प्रमुख राज्यों में जिनमें सोयाबीन की खेती वाले राज्यों के 337 जिले भी शामिल हैं, केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विवरण I

सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख राज्यों में जिलों की सूची

मध्य प्रदेश	:	रायपुर, दुर्ग, राजनन्द गांव, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जबलपुर, बालघाट, चिन्दवाड़ा, सियुनी, मांडले, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टिकमगढ़, छत्तरपुर, रीवा, सिद्दी, सतना, सहदोल, इन्दौर, धार, झाबुआ, पश्चिम निमाड़ (गैरगांव), पूर्वी निमाड (खन्डवा), उज्जैन, मन्दसौर, देवास, शाजापुर, मौरेना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुणा, दातिया, भोपाल, सहोरे, रायसेन, विदीशा, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम।
महाराष्ट्र	:	नासिक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सतारा, संगली, कोलाहपुर, औरंगाबाद, जलना, बीड, लटूर, ओसमानाबाद, नादेड़, बुलधाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वरधा, नागपुर, भण्डारा, चन्दरपुर, गढ़चिरोली।
राजस्थान	:	अजमेर, अलवर, बन्सवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बरमेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, बुन्दी, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, झालवाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बरेन, दौसा।
उत्तर प्रदेश	:	हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, बदायुं शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर (अरबन), कानपुर (ग्रामीण), फतेहपुर, इलाहाबाद, ललीतपुर, झांसी, जालौन, हमिरपुर, बांदा, सौनभद्र, गाजीपुर, महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बस्ती, खेड़ी, गौंडा, बाराबंकी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, गढ़वाल, चमोली।
कर्नाटक	:	बेलगांव, बीजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, गुलबरगा, हासन, मड्या, मैसूर, शमोन्गा।

विवरण II

1994-95 से 1996-97 तक सोयाबीन का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन (000' मी. टन)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
आन्ध्र प्रदेश	4.8	6.0	6.0
अरुणाचल प्रदेश	2.5	3.5	-
गुजरात	13.6	7.5	5.0
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	-
कर्नाटक	21.6	28.3	47.0
मध्य प्रदेश	2870.4	3781.6	3758.0
महाराष्ट्र	525.8	718.8	878.0
मेघालय	0.9	0.9	-
मिजोरम	1.6	1.5	-
नागालैंड	5.4	4.0	-
उड़ीसा	नगण्य	नगण्य	2.0
राजस्थान	442.9	400.8	454.0
सिक्किम	3.2	3.2	-
उत्तर प्रदेश	38.5	35.0	35.0
पश्चिम बंगाल	0.4	1.3	2.0
अन्य	-	-	22.0
अखिल भारत	3931.9	4992.7	5209.0

- अनुपलब्ध

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का दुरूपयोग और कालाबाजारी

3289. श्री श्याम लाल बंशीवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के दुरूपयोग और कालाबाजारी के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने मामले ध्यान में आए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) कुछ राज्यों से सहायता प्राप्त उर्वरकों की कालाबाजारी के कुछ मामलों की रिपोर्टें मिली हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवेदित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 उर्वरकों के विनिर्माण/आयात/वितरण/ बिक्री के मामले में की गई अनियमितताओं के लिये अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के उचित प्रावधानों के अनुसार उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की है।

विवरण

राज्य	वर्ष			कुल
	1994-95	1995-96	1996-97	
1. आन्ध्र प्रदेश	1	-	-	1
2. बिहार	-	-	3	3
3. गुजरात	1	2	1	4
4. महाराष्ट्र	-	18	5	23
5. राजस्थान	-	-	2	2
6. तमिलनाडु	-	-	1	1
	2	20	12	34

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

3290. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण संवितरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितनी-कितनी धनराशि का ऋण किस-किस योजना के अंतर्गत संवितरित किया;

(ग) क्या ऋण संवितरण के लिए निर्धारित शर्तों के कारण निगम को ऋण वसूलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत ऋण की वसूली की गई और अनुपादेय आस्ति हो गए ऋण की कुल धनराशि क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अपनी दो योजनाओं अर्थात् सावधि ऋण योजना तथा सीमान्त धन योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण वितरित किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अपनी सावधि ऋण योजना तथा सीमान्त धन योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान संवितरित किए गए ऋण इस प्रकार हैं:-

(रुपए करोड़ में)

योजना	1994-95	1995-96	1996-97
अवधि ऋण	27.51	4.34	43.87
सीमान्त धन ऋण	2.53	2.15	0.37

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्य माध्यम एजेंसियों से कुल ऋण राशि तथा उस देय ब्याज तथा वास्तव में वसूल की गई राशि इस प्रकार है:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	देय राशि	वसूल की गई राशि	वसूली को प्रतिशतता
1994-95	1.66	0.24	14.46
1995-96	403.13	361.83	89.75
1996-97	899.16	561.50	62.45

इस अवधि के दौरान राज्य माध्यम एजेंसियों को संवितरित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण का कोई भी हिस्सा गैर-निष्पादन परिसम्पत्ति नहीं है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मामलों के निपटान में विलम्ब

3291. डा. रामविलास वेदान्ती :
श्री ए. सम्पथ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अपनी स्थापना से अब तक प्राप्त की गई शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए मामलों का निपटान करने में विलंब होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामले लंबित थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) इस आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर 31.3.1997 तक 37,192 शिकायतें दर्ज की हैं। 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ-शासित क्षेत्र-वार प्राप्त तथा लंबित पड़ी शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य का नाम	(31 मार्च, 1997 तक) दर्ज की गई शिकायतें	31.3.1997 की स्थिति के अनुसार लंबित पड़ी शिकायत
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2467	73
अरूणाचल प्रदेश	37	3
असम	311	13
बिहार	4106	441
गोवा	49	6
गुजरात	382	14
हरियाणा	966	131
हिमाचल प्रदेश	145	14
जम्मू और कश्मीर	606	91
कर्नाटक	428	41
केरल	715	89
मध्य प्रदेश	2157	139
महाराष्ट्र	1424	155
मणिपुर	152	23
मेघालय	37	1
मिजोरम	10	3

1	2	3
नागालैण्ड	102	3
उड़ीसा	1503	207
पंजाब	1270	57
राजस्थान	1748	283
सिक्किम	9	3
तमिलनाडु	2889	359
त्रिपुरा	49	6
उत्तर प्रदेश	12431	1421
पश्चिम बंगाल	1313	107
अ. और नि. द्वीपसमूह	12	2
चंडीगढ़	32	6
दादरा और नगर हवेली	2	शून्य
दमन और दीव	4	2
दिल्ली	2781	307
लक्षद्वीप	7	1
पांडिचेरी	47	9
कुल योग	37,192	4,010

कुल संचित आंकड़े इसकी स्थापना से लेकर 31.3.1997 तक के हैं।

2. मामलों के निपटान में कोई विशेष विलंब नहीं हुआ है, तथापि, आयोग हाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त करता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टाफ में वृद्धि करने तथा रिक्तियों को भरने संबंधी आयोग का यह प्रस्ताव सरकार/आयोग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन और खपत

3292. श्री हरिन पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1995-96 और 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और क्या यह उक्त अवधि के दौरान हमारी वास्तविक आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत खाद्यान्नों का निर्यात कर रहा है;

(ग) क्या मानसून के सामान्य से कम रहने के कारण खाद्यान्न उत्पादन संबंधी 1995-96 के अनुमानों को संशोधित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कि.ग्रा. वार्षिक खाद्यान्नों की घरेलू खपत आवश्यकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है;

(ङ) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही हमारी एक तिहाई जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत को संशोधित करके बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अनाज का उत्पादन क्रमश: 185.04 मिलियन टन तथा 198.17 मिलियन टन रहा। 1995-96 के दौरान उत्पादन नियामक आवश्यकता से कुछ कम रहा जबकि 1996-97 के दौरान यह पर्याप्त रहा।

(ख) सरकार द्वारा खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल स्टॉक से अभी अनाज (गेहूं और चावल) का निर्यात नहीं किया जाता। बहरहाल, चावल का निर्यात स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है,

जबकि गेहूं, मोटे अनाज और दालों के निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात सीमाओं के अधीन दी जाती है। 1997-98 के लिए गेहूं तथा गेहूं उत्पादों हेतु कोई निर्यात सीमा निर्धारित नहीं की गयी है और इस प्रकार गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 1997-98 के दौरान मोटे अनाज और दालों की निर्यात सीमा क्रमश: 50,000 टन तथा 10,000 टन निर्धारित की गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय पोषण संस्थान की सिफारिशों के अनुसार घरेलू खपत के लिए अनाज की आवश्यकता का आकलन नियामक आधार पर किया जाता है। आवश्यकता के आकलन के समय व्यवहारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, खपत के वर्तमान स्तर तथा आय तथा खपत के व्यय के परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया जाता है।

(ङ) से (छ) यह सही है कि गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाली अधिकांश जनसंख्या को पूरा आहार नहीं मिल पाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए चावल, गेहूं, मोटे अनाज तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा अनेक फसल विशिष्ट/फसलोन्मुखी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अनाज की आपूर्ति अधिक सब्सीडीयुक्त दरों पर की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग

3293. श्रीमती कमल रानी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) इस दिशा में किस हद तक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 से अब तक पॉयलट आधार पर कृषि विस्तार में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा किसानों, कृषक महिलाओं, खेतों पर प्रशिक्षण, फ्रंट लाइन प्रदर्शन तथा विस्तार कार्मिकों के सेवान्तर्गत प्रशिक्षण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केन्द्र चला रही है। गैर सरकारी संगठन ऐसे सत्तासी केन्द्र चला रहे हैं। संबंधित सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कृषि विस्तार की योजना के अधीन 14 गैर-सरकारी संगठनों को 64.55 लाख रुपये की रकम आबंटित की गई, जबकि कृषि विज्ञान कार्यक्रम के अधीन 1256.05 लाख रुपये की रकम आबंटित की गई।

(घ) कृषि विस्तार पायलट परियोजना में लगे हुए गैर-सरकारी संगठन परियोजना कार्यकलाप चला रहे हैं जो इस प्रकार हैं:- (1) सूक्ष्म स्तरीय कृषि सर्वेक्षण; (2) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन; (3) कृषकों/कृषि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण; (4) कृषकों के लिए अध्ययन दौरे; (5) कृषकों के लिए कृषि सूचना सामग्री। औसतन प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन प्रति वर्ष कृषकों/कृषक महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 200 प्रदर्शन तथा 50-100 कृषकों का अध्ययन दौरा आयोजित करता है। जहां तक कृषि विज्ञान कार्यक्रम का संबंध है, औसतन प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 50-60 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिनसे प्रति वर्ष 2500-3000 कृषक, कृषक महिला तथा ग्रामीण युवक लाभान्वित होते हैं।

विवरण I

पायलट आधार पर कृषि विस्तार में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों की सूची

1. श्री अर्बिन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ
रूरल डेवलपमेंट,
गड्डीपल्ली-508 201
जिला - नलगोण्डा, आं.प्र.

2. यूथ फॉर एक्शन,
1-8-702/26/1,
पद्मा कॉलोनी,
हैदराबाद-500 044
आन्ध्र प्रदेश

3. रामाकृष्णा आश्रम,
मोराबाड़ी, रांची- 834 008
बिहार

4. ग्राम निर्माण मंडल,
सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा,
नवादा - 805 106
बिहार

5. श्री क्षेत्र धर्मस्थल,
(रूरल डेवलपमेंट ब्रांच), धर्मस्थल,
दक्षिणी कैनरा - 574 216
कर्नाटक

6. एम.वाई.आर.ए.डी.ए.,
डोमलुर ले-आऊट, कोलार जिला
बंगलौर-560 071
कर्नाटक

7. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
नारायणपुर,
पोस्ट - बस्तर - 494 661
मध्य प्रदेश

8. कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट,
कस्तूरबाग्राम, इन्दौर - 452 020
मध्य प्रदेश

9. मणिपुर रामकृष्ण सोसायटी,
प्रजातंत्र बिल्डिंग्स, इम्फाल-795 001
मणिपुर

10. रामकृष्ण सेवा केन्द्र, सेहब्री,
खोवई - 700 001
पश्चिमी त्रिपुरा

11. वनवासी सेवा आश्रम,
वाया - तुर्रा गोविन्दपुर,
सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश - 231 221

12. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
नरेन्द्रपुर - 743 508
24 परगना, (एस.),
पश्चिम बंगाल

13. कल्याण,
द्वारा - रामकृष्ण मिशन आश्रम,
ग्राम - बोंगाबाड़ी
पोस्ट - विवेकानन्द नगर,
जिला - पुरूलिया,
पश्चिम बंगाल

14. हिमालयन एक्सन रिसर्च सेन्टर,
744, इन्दिरा नगर, फेज-2,
पोस्ट - न्यू फौरेस्ट,
देहरादून - 248 006, उ.प्र.

विवरण II

गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत कार्यरत
कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम और पता	मेजबान संगठन
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विशाखापत्तनम-531 005	भाग्य तुला चैरिटेबल ट्रस्ट, येल्लामंचिली, विशाखापत्तनम-531 005
2.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट - बरागनपल्ली, यागन्तीपल्ली-513 524 जिला - कुर्नूल	सचिव, श्री हनुमंथार्या, एडुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी
3.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट बाक्स नं. 214 जाहिराबाद मेडक-502 220	अध्यक्ष, डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी, बशीरबाग, हैदराबाद
4.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आर.ए.एस.एस. वनस्थली, ग्राम - कराकनबाड़ी, जिला - चितूर	अध्यक्ष, रायलसीमा सेवा समिति, तिरूपति

1	2	3
5.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केंद्र, गड्डीपल्ली-508 201 जिला-नलगोण्डा	सचिव, श्री अरविन्दो रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गड्डीपल्ली (आं.प्र.)
6.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मीकुन्ता, जिला-करीमनगर-505 122	निदेशक, ग्राम नव निर्माण समिति, विद्यानगर, हैदराबाद
7.	प्रशिक्षण आयोजक एन.जी. रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनयाश्रम, कावूर, जिला गुन्टूर	अध्यक्ष, विनयाश्रम, कावूर, गन्टूर (आं.प्र.)
8.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.आर.ओ. कार्यालय के पीछे, कोठा, मदनपुर, जिला महबूबनगर	कार्यकारी निदेशक, यूथ फॉर एक्शन, हैदराबाद
बिहार		
9.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती खादीग्राम, पोस्ट जमुई-811 313	अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, जमुई, बिहार
10.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी.ओ. चमैठ, चांदपुरा, मधुबनी - 847 102	अध्यक्ष, एस.के. चौधरी एडुकेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली
11.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम, पोस्ट - मोराबाड़ी, रांची - 834 008	सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबाड़ी, रांची-834 008
12.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी पोस्ट धोरलाश, जिला देवघर-814 152	महासचिव, संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघर (बिहार)
13.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होलीक्रास वी.टी.आई. हजारीबाग-925301	निदेशक, होलीक्रास वी.टी.आई. हजारीबाग, (बिहार)
14.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर-सोखोदेवरा जिला-नवादा-805105	महासचिव, ग्राम-निर्माण मंडल-आश्रम सोखोदेवरा (नवादा)
15.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बनवासी सेवा केन्द्र, डाकघर-अधौरा, कैमुर पठार भभुआ-821116	अध्यक्ष, बनवासी सेवा केन्द्र अधौरा, भभुआ
गुजरात		
16.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ौच	अध्यक्ष, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज, फाउण्डेशन, पुणे
17.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारती गोलागमंडी, बहादुरपुर, बड़ौदा-391125	अध्यक्ष, मंगल भारती गोलागमंडी, बड़ोदरा
18.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रन्धेजा, गांधीनगर	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
19.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वलसाड़	-तदैव-

1	2	3
20.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, समोड़ा, महेषड़ा	निदेशक, सारस्वती ग्राम विद्यापीठ समोड़ा, महेबड़ा
21.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुन्द्रा कच्छ	अध्यक्ष, रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेव. सोसायटी जुहू, बम्बई
हरियाणा		
22.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नं. 2 राजेन्द्र पार्क, अम्बाला कैंट, अम्बाला	अध्यक्ष, सोसायटी फार क्रियेशन हेवेन आन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
23.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री बी.बी. आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी-123401	सचिव, भगवत भक्ति आश्रम रामपुरा, रेवाड़ी
हिमाचल प्रदेश		
24.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम-कुडोवाड़ा, पो.आ. चन्नर इन्द्रा, जि. कांगरा-176401	अध्यक्ष, एफ.ओ.आर.ई. नई दिल्ली
जम्मू व कश्मीर		
25.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कथुआ-184104	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल कथुआ
कर्नाटक		
26.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुतुर, मैसूर	अध्यक्ष, जे.एस.एस. डेवलपमेंट फाउंडेशन, मैसूर
27.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चिकबाल्लपुर, कोलार	अध्यक्ष, कर्नाटका वेलफेयर सोसायटी चिकबालपुर
28.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, तुकनपट्टी गोहक बेलगुम-591319	अध्यक्ष, बेलगुम इण्ट्रीगेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी बेलगुम
29.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, के.एच. पाटील एग्रील साइंस फाउण्डेशन, हुलकोरी-592205 गेडग तालुक, जिला धारवाड़	अध्यक्ष, एग्रील. साइंस फाउण्डेशन हुलकोरी, धारवाड़
केरल		
30.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पथनमथिटा	अध्यक्ष, क्रिश्चियन एजेंसी फार रूरल डेवलपमेंट, थिरूअल्ला पथनमथिटा
31.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र चाकुपल्लम, इदुकी	अध्यक्ष बापूजी सेवक समाज चाकुपल्लम, इदुकी
32.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्रानिकेतन, वेलानाड़ा-696543, जिला, थिरूवंतपुरम	अध्यक्ष, मित्रानिकेतन, वेलानाड़ त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश		
33.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ज्वारा कालूकेडा जिला-रतलाम-557340	अध्यक्ष, तालूकेडा शिक्षा समिति रतलाम

1	2	3
34.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वाया दिमरापाल, पो.-जगदलपुर मातारूकमणी सेवा संस्थान जिला-बस्तर-794001	सचिव, माता रुक्कमणी सेवा संस्थान जगदलपुर, बस्तर
35.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मालवा महिला विकास समिति पो.-सिरोंज; विदिशा-464228	अध्यक्ष, श्रीमालवा महिला विकास समिति भोपाल
36	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, इन्दौर	सचिव, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर
37.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दीनदयाल शोध संस्थान मझंगाव, सतना-485331	अध्यक्ष, दीनदयाल शोध संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
महाराष्ट्र		
38.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र वाई.सी. महाराष्ट्र खुला वि.वि. नासिक-422005	कुलपति, वाई.सी. महाराष्ट्र खुला विश्व वि. नासिक
39.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्यनगर, प्रभानी-431401	अध्यक्ष, जीवन ज्योती चेरिटेबुल ट्रस्ट प्रभानी
40.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पोस्ट-तालसादी कोल्हापुर-416012	डी.वाई. पाटिल, शिक्षा समिति, तालसांदेय कोल्हापुर
41.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जलगांव, जामूद बुलदाना-443402	अध्यक्ष, सतपूड़ा शिक्षा समिति, जलगांव जामोद, बुलदाना
42.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र 57, कांग्रेस नगर अमरावती-444602	अध्यक्ष, श्रम साधना ट्रस्ट 57 कांग्रेस नगर, अमरावती
43.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मधुबनी कालौनी कैम्प अमरावती-444602	अध्यक्ष, श्रम सफालिया फाउंडेशन मधुबन कालौनी, अमरावती
44.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एच.आई.जी. कालौनी आई.टी.आई. के पास नादेंड	अध्यक्ष, जे.एन. शिक्षा विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान, नादेंड
45.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र 51 रेलवे लाइंस, शोलापुर-413001	अध्यक्ष, श्बरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर
46.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र करदा, रिसोद अकोला-444106	अध्यक्ष, सु.वि.दे. फाउंडेशन, रिसौद अकोला
47.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पोइप आदर्श कृषि सिन्धु दुर्ग 416622	अध्यक्ष, पोइप फलोत्पादन, साकार समिति सिन्धु दुर्ग
48.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गोखले शिक्षा समिति कोबाद झील-401703 जिला-थाने	सचिव, गोखले शिक्षा समिति बी.वाई.के. कालेज आफ कामर्स नासिक

1	2	3
49.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सतपुड़ा विकास मंडल पाल ताल्लुका-नावेद जिला-जलगांव-425508	अध्यक्ष, सतपुड़ा विकास मंडल रावेद, जलगांव
50.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आदर्श कालौनी, गांव-अम्बाजोगाई जिला-बीड-431517	अध्यक्ष, दीन दयाल शोध संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
51.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कालावादे, कराद, जिला-सतारा-415110	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट कोरेगांव रोड, पुणे
52.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र शारदा नगर, बारामती-413115 जिला-पुणे	अध्यक्ष, कृषि विकास ट्रस्ट बारामती पुणे
53.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभलेश्वर, श्रीरामपुर ताल जिला-अहमदनगर-413736	अध्यक्ष, प्रवर प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान प्रवर नगर, अहमदनगर
54.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सी-413, बसंत दादा सकर सहकारी कारखाना, जिला-सांगली-416416	अध्यक्ष, वंसत सकार विकास प्रतिष्ठान सांगली
55.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो. बाक्स सं. 45, एस.पी. रोड, जिला-जालना-421203	सचिव, मराठवाड़ा शेती सहायी मंडल जालना
राजस्थान		
56.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र चोमू, जयपुर	सचिव, प्रगति ट्रस्ट चोमू, जयपुर
57.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनस्थली विद्यापीठ जिला-टोंक-304022	सचिव, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली टोंक
58.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव, उदयपुर-313001	अध्यक्ष, विद्या भवन, सोसाइटी उदयपुर
59.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, जिला-चुरू-311401	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, जिला-चुरू-311401
60.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गायत्री शांतपीठ जिला बाढ़मेर-344001	सचिव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नयन समिति, बाढ़मेर
61.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र संगरिया श्रीगंगानगर	अध्यक्ष, केशवचन्द मेमोरियल ट्रस्ट संगरिया, श्रीगंगानगर
तमिलनाडु		
62.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र धर्मपुरी	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड टी.नगर, मद्रास
63.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र तेनकोशी, नेल्लाईकट्टाबोम्मन 627852	अध्यक्ष, आर.बी.एस. शिक्षा ट्रस्ट डिन्डीगुलअन्ना
64.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र काछीपुरम वाया वैनी मधुराई-626520	अध्यक्ष, सेंटर फार डेवलपमेंट एण्ड कमुनिकेशन मधुराई
65.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र अलीकुलम, मुन्ड्राडाइपु पो. केस्पिटो कामराजार-626102	अध्यक्ष, मैयरस ट्रस्ट मधुराई

1	2	3
66.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र तंजावुर, आर.वी.एस. कैम्पस सुलटूर-641402	अध्यक्ष, भक्त मैमोरियल ट्रस्ट टी.एन.एच.बी. कालोनी कोराथुर मद्रास
67.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जिला चितम्बरनार	अध्यक्ष, एस.सी.ए.डी. चरणदेवी तेरून्लवेल्ली
68.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र श्री अवीवसीलिंगम ग्रामीण सेंटर बिवेकानन्दपुरम कर्माडाई ब्लाक कोयम्बटूर-641113	सचिव, श्री अवीवासीलिंगम ग्रामीण सेंटर, कोयम्बटूर
69.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र उपासी गलेनव्यू कूनूर-643101 नीलगिर चिरा	सचिव, उपासी गिलीनव्यू कूनूर-643101 जिला निलगिरी
70.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान गांधीग्राम डिन्डीगुल अन्ना जिला	सचिव, गांधी ग्रामीण संस्थान गांधी ग्राम डिंडीगुलू अन्ना जिला
71.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र तालामलाई सेंटर मिराडा तालावडी ब्लाक सतमंगलम तालुक, पेरियर-638461 जिला	कार्यकारी निदेशक, मिराडा डोमलूर लैऔट बंगलौर
72.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र किलनेल्ली गांव वेम्बाककम ब्लाक त्रिवेन्नामलाई समाबुवरियार-जिला	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड टी नगर, मद्रास
त्रिपुरा		
73.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दिव्योदय आई.सी.ए.आर. कम्पलैक्स एन.ई.एच. रिजन डिबनानन्दपली चैबरी-799207, खोवाई सब डिविजन, पश्चिमी त्रिपुरा	महासचिव, श्रीरामकृष्ण सेवा केन्द्र आर.एन. मुखर्जी रोड कलकत्ता
उत्तर प्रदेश		
74.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कानपुर रोड़ दुर्गा खेडा पो.ओ. अनरांव, लखनऊ	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि संस्थान कानपुर रोड, लखनऊ
75.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जलालपुर मुजफर नगर	अध्यक्ष, स्वामी कलयान देव ट्रस्ट मुजफर नगर
76.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र बाराबंकी	सचिव, भारत ग्रामीण [illegible] संस्था [illegible]बंकी
77.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कमला नेहरू मैमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर-228118	सचिव, कमला नेहरू मैमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर
78.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र एटा टूंडला रोड़ अवागढ़-207301 जिला एटा (यू.पी.)	प्रधानाचार्य, राजा बलवंत सिंह कालेज बिचपुरी-आगरा
79.	कार्यालय प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र जयप्रभा ग्राम/गोपालग्राम दीनदयाल अनुसंधान संस्थान खारगु चान्दपुर गांधी पार्क, गौंडा-271001	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड नई दिल्ली

1	2	3
80.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गणिवान, जिला बांदा-210206	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड नई दिल्ली
81.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र इलाहाबाद कृषि संस्थान जिला इलाहाबाद-211007	निदेशक, इलाहाबाद कृषि संस्थान नैनी इलाहाबाद
82.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सोहना, जिला सिद्धार्थनगर-272193	सचिव, लियोंड तेल एरिया विकास समिति सोहना, सिद्धार्थनगर
83.	प्रशिक्षण आयोजक स्वामी कल्याण देव कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर जिला मेरठ-250404	अध्यक्ष, गांधी पोलीटेक्नीकल हस्तिनापुर, मेरठ
पश्चिम बंगाल		
84.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र श्री राम कृष्णा आश्रम पो.ओ. नीमपिथ आश्रम साऊथ-24-परगना-743338	अध्यक्ष, श्रीराम कृष्णा आश्रम सुन्दरबान-24-परगना
85.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कपगढ़ी, जिला मिदनापुर-721505	अध्यक्ष, सेवा भारती कपगड़ी, मिदनापुर
86.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र रामसहाय, जिला, जलपायगुरी-735219	महासचिव, श्री राम कृष्णा सेवा केन्द्र आर.एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता
87.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र विवेकानन्द नगर लिजिला पुरुलिया-723147	अध्यक्ष, कल्याण पो.ओ. विवेकानन्द नगर पुरुलिया

[अनुवाद]

बम विस्फोट

3294. श्री जयसिंह चौहान :
श्री के.एस. रायुडू
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री बनवारीलाल पुरोहित :
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
कुमारी उमा भारती :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री एस.पी. जायसवाल :
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्री सनत कुमार मण्डल :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के भटिंडा में लहराखन्ना रेलवे स्टेशन पर एक स्थानीय रेलगाड़ी में 8 जुलाई, 1997 को एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आई.एस.आई. की गतिविधियां रेल गाड़ियों में बम आदि रखकर राष्ट्र को अस्थिर कर रही हैं;

(घ) क्या पंजाब में उक्त बम विस्फोट तथा दिल्ली में हाल के बम विस्फोट में आई.एस.आई. का हाथ होने का पता लगा है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार के विध्वंस को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भटिंडा में लहराखाना रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में 38 व्यक्ति मारे गए तथा 67 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने अपनी नई चाल के तहत भारत में उग्रवाद के क्षेत्र में विस्तार के लिए पंजाब के उग्रवादियों तथा जम्मू और

कश्मीर के विद्रोही ग्रुपों, कट्टरपंथियों तथा भाड़े के सैनिकों के बीच संपर्क कायम करने हेतु फिर से प्रयास किए हैं। पंजाब में हाल ही में हुई रेल बम विस्फोटों/आतंकवाद की घटनाएं ऐसे ही प्रयास का परिणाम हो सकती हैं। तथापि ऐसे मंसूबों को विफल करने के लिए पर्याप्त निरोधक उपाय एवं समन्वित प्रयास शुरू किए गए हैं।

(घ) भटिंडा रेल गाड़ी विस्फोट और (9.7.97 को हुए) बाघापुराना गोलीकांड के अन्वेषण के लिए गठित पंजाब पुलिस के अन्वेषण दल ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े एक सक्रिय षड़यंत्रकारी बूटा सिंह की गिरफ्तारी के रूप में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस मामले में प्रमुख अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ भिंडा निवासी-पारी मुस्तफा, थाना-बाघापुराना, जिला-मोगा फरार है। उसे पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं।

(ङ) तोड़-फोड़ की कार्रवाईयों को रोकने तथा पाकिस्तानी आई.एस.आई. की विभिन्न गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल आदि पर अतिरिक्त चौकसी बरतें और आम जनता को सतर्क कर दिया गया है कि वे उन स्थानों पर लावारिस पड़ी वस्तुओं के संबंध में सावधान रहें।

(2) एक ओर तो राज्यों के बीच आसूचना का नियमित रूप से आदान-प्रदान होता है और दूसरी ओर इन राज्यों और केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के बीच यह आदान-प्रदान होता है।

(3) पंजाब में भारत-पाक सीमा (कुछ नदी तटीय अंतरालों को छोड़कर) और राजस्थान में सीमा के अधिकांश हिस्सों पर कांटेदार बाड़ और फ्लड लाईट लगा दी गई हैं। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि सीमा पार से घुसपैठ का एक बड़ा स्रोत है पर घुसपैठ के मार्गों और भीतरी क्षेत्रों में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में सेना और सीमा सुरक्षा बल की यूनिटों की संख्या बढ़ाई गई है।

(4) समूची भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की गश्त के साथ-साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त मदद से प्रभावकारी सतर्कता रखी जाती है।

(5) जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी तत्व बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं और अनेक उग्रवादी गुटों के बड़े नेता मारे गए हैं। पंजाब में हाल ही में हुए अनेक मामलों में सुराग हाथ लगे हैं और पंजाब में शेष बचे उग्रवादी ग्रुपों में संदिग्ध उग्रवादी जिनके सीमा पार से संबंध हैं, पकड़े गए हैं।

(6) भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता मजबूत की जा रही है।

[हिन्दी]

पशु प्रजातियां

3295. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लुप्तप्राय: पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों के नाम क्या हैं;

(ख) लुप्त हो चुके पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों के नाम क्या हैं; और

(ग) पशु पक्षियों की लुप्तप्राय: प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) यद्यपि कई पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों को जंगल में खतरा है लेकिन इन्हें विलुप्त होने के कगार पर नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों में से कई इस प्रकार हैं:- दि मणिपुर ब्रो-एंटलिरेड डियर, हिसपिड हेयर, पिगमी हॉग, मिसिज ह्यूमस बार्ड बेक फेजेंट, बरमीज पीफाउल, साइबेरियन सारस, हुडिड क्रेन, फारेस्ट स्पोटिड ओवलेट, मास्क्ड फिनफुट एवं जरडन कोरसर।

(ख) पशु और पक्षी प्रजातियां, जिनके बारे में यह जाना जाता है कि यह विलुप्त हो गई हैं, ये हैं:- हंटिंग लेपर्ड या चीता, लेस्सर - एक सींग वाला गैंडा, आरगियात्री दो सींग वाला गैंडा, पहाड़ी बटेर और गुलाबी सिर वाला बत्तख।

(ग) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शिकार और वाणिज्यिक उपयोग से कानूनी सुरक्षा मुहैया करना; राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्यों को सहायता मुहैया करना; बाघ, हाथियों, गैंडे आदि जैसी संकटापन्न प्रजातियों के लिए विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित करना;

अन्तर-विभागीय समन्वय के माध्यम से वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में चोरी-छिपे शिकार विरोधी आधारभूत ढांचा मुहैया करना। इसके अतिरिक्त इन अधिनियमों के दाण्डिक उपबंधों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियन, 1927 के संशोधन का काम आरम्भ किया गया है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा नौकाएं जब्त करना

3296. डा. ए.के. पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गुजरात में जनवरी, 1997 में कच्छ भुज में नदी किनारे एक नौका पकड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस नौका से क्या-क्या सामग्री जब्त की गई थी; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 17 जनवरी, 1997 को सीमा सुरक्षा बल द्वारा कोटेश्वर के निकट संकरी खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने की एक नाव पकड़ी गई थी, जिसमें निम्नलिखित शस्त्र और गोला बारूद था:-

(1) पिस्तौल	:	19 नग
(2) रिवाल्वर	:	01 नग
(3) ए.के.-56 राइफलें	:	03 नग
(4) स्निपर राईफलें	:	06 नग
(5) एसार्टड गोला बारूद	:	1320 राउण्ड

भारत-पाक सीमा से होकर शस्त्रों और गोला बारूद की तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत और तैनात की गई हैं।

(2) गश्त और नाके बढ़ा दिए गए हैं और गहन कर दिए गए हैं।

(3) घोड़ों, ऊटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर सीमा पर गश्त लगाई जा रही है।

(4) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(5) सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, चश्में, ट्विन टैलिस्कोप, पी.एन.बी. दूरबीनें और हैण्ड-हैल्ड सर्च लाईटें उपलब्ध कराई गई हैं।

(6) पंजाब और राजस्थान में सीमा पर बाड़/फ्लड लाईट लगाई गई हैं। गुजरात के रण क्षेत्र में संशोधित किस्म की बाड़ लगाने हेतु संभाव्यता अध्ययन भी शुरू किया गया है।

(7) नदी तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाने हेतु नाव और मोटर बोट उपलब्ध कराई गई है।

(8) पंजाब और राजस्थान सेक्टरों में वाहनों द्वारा गश्त लगाने के लिए सीमा सड़कों/ट्रैकों का निर्माण और विकास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उल्फा गतिविधियां

3297. श्री के.एस. रायुडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्फा उग्रवादियों ने असम में हिंसक गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूटान के जंगलों में कैम्प स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को भूटान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ग) इस पर भूटान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) इस मुद्दे को भूटान सरकार के साथ उठाया गया है और वह सहयोग कर रही है।

[हिन्दी]

आदिवासी विकास के लिए आबंटित धनराशि

3298. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में आदिवासी विकास हेतु वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) ''अनुसूचित जनजातियों'' के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि अप्रयुक्त है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान सरकार को आदिवासी विकास के लिए 2983.18 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान तथा आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार द्वारा समस्त राशि का उपयोग कर लिया गया है।

वर्ष 1996-97 के दौरान 3067.32 लाख रुपए की धनराशि का आबंटन किया गया है जिसमें से अभी तक राज्य सरकार ने 226.31 लाख रुपए का उपयोग किए जाने के बारे में सूचित किया है।

[अनुवाद]

पशुपालन विकास के लिए प्रशिक्षण

3299. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री वी.वी. राघवन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के 50 अत्यधिक पिछड़े जिलों के लोगों को पशुपालन की उन्नत कार्यों में प्रशिक्षित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) देश के 50 पिछड़े जिलों में व्यापक पशुधन विकास की एक योजना सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। लोगों को उन्नत पशुपालन प्रणालियों में प्रशिक्षण देना इस प्रस्तावित योजना का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन जिलों की पहचान करें जहां यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यमुना में प्रदूषण

3300. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर किस सीमा तक कम हुआ है; और

(घ) यमुना नदी को कब तक पूर्णरूप से प्रदूषण मुक्त कर दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) यमुना नदी का प्रदूषण कम करने के लिए यमुना कार्य योजना को लागू किया गया है। दिल्ली कार्यों की अनुमानित लागत 20.61 करोड़ रुपये है। इस योजना के अन्तर्गत 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दो सीवेज उपचार संयंत्रों, विद्युत शवदाहगृह, अल्प लागत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, नहाने के घाटों का सुधार, वनीकरण और जनभागीदारी के कार्य करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने हिस्से के 50% में से दी गई राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
राशि (लाख रुपये में)	0.0	182.82	462.50	645.32

इन कार्यों के अलावा दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से 13 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण कर रही है। औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 14.7.1997 को सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किये हैं कि वे नदियों और झीलों में सीधे ही बहिस्राव निस्तारित करने वाले घोर प्रदूषणकारी उद्योगों को तीन माह के भीतर बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने का नोटिस जारी करें। तीन माह की अवधि के भीतर संयंत्र स्थापित न करने वाले उद्योगों को बंद किए जाने का नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली में विश्व बैंक स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए 15 सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए भारत सरकार ने 22.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(ग) और (घ) दिल्ली में यमुना नदी के पिछले तीन वर्षों के नदी जल गुणवत्ता आंकड़ों के विश्लेषण से नदी जल गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ लक्षित नहीं होता। शुरू किए गए प्रदूषण निवारण कार्यों का प्रभाव केवल इन कार्यों के दिसम्बर, 1999 में पूरा होने के बाद ही दिखाई देगा।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु लाइसेंस

3301. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्री येल्लैया नंदी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मत्स्य कामगार मंच और राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य समिति के नेतृत्व में मछुवारों ने गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु लाइसेंस रद्द करने के लिए दबाव डालने हेतु विशाखापट्टनम, कांडला और मुम्बई पत्तन पर अनिश्चितकालीन अवरोध उत्पन्न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह लिखित आश्वासन दिया है कि ये लाइसेंस मुरारी समिति की सिफारिशों के अनुसार रद्द किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो मुरारी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) इस प्रकार के किसी निर्णय की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गहन समुद्री मत्स्यन पर पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में अनाजों/धान की फसलों में खरपतवार प्रदूषण

3302. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर अनाज की फसलों, विशेषकर धान की फसल में खर-पतवार एक बहुत बड़ी समस्या है तथा अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खरपतवार को प्रारंभिक चरण पर ही समाप्त कर देना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत मौसम में खरपतवार के कारण उत्तर प्रदेश में अनाज की फसलें प्रभावित हुई थी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आई.सी.डी.पी. योजना के अंतर्गत सहायता अथवा राजसहायता देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार विगत मौसम के दौरान धान में छिटपुट रूप से खरपतवार का प्रकोप देखा गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं का खरीद मूल्य और आयात

3303. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापारियों को गेहूं खरीद की ऋण राशि कम कर दी है जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में वृद्धि करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अप्रैल, 1997 से तीन माह की अवधि के लिए गेहूं को चयनात्मक साख नियंत्रण के उपबंधों के अधीन रखा है। तथापि, मूल्य समर्थन प्रचालनों के द्वारा किसानों के हितों की रक्षा की जाती है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली करती है।

[अनुवाद]

टाइगर फार्मिंग

3304. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाइगर फार्मिंग के लिए तीन दक्षिण एशियाई देशों से तीन प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "ग्लोबल टाइगर फोरम" के 1994 में हुए सम्मेलन में चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड ने टाइगर रेंज देशों की अवधारणा के बारे में विचार करने का आग्रह किया था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं। टाइगर फार्मिंग के लिए दक्षिण एशियाई देशों का कोई प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने विश्व बाघ मंच की 1994 की बैठक में टाइगर की फार्मिंग के किसी प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी। इसके अलावा, चीन के किसी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चारे का उत्पादन

3305. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चारे के उत्पादन और आवश्यकता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चारे के उत्पादन और गुणवत्ता (पोषक तत्व की दृष्टि से) में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप (राज्यवार) विशेषरूप से पश्चिमी राज्यों में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) दुग्ध उत्पादक राज्यों में पशुओं के लिए चारे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने हेतु तैयार किए गए अनुसंधान और विकास विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चारे के विकास के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और 1997-98 के दौरान केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के नीति सलाहकार दल द्वारा 1993 में लगाए गए अनुमानों के अनुसार, सूखे तथा हरे चारे की उपलब्धता क्रमशः 398.68 तथा 573.50 मिलियन टन थी जबकि आवश्यकता क्रमशः 583.62 तथा 744.73 मिलियन टन थी।

(ख) केन्द्र सरकार ने "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों में 12.06 करोड़ रुपये दिए थे। इस योजना में चारे की पोषिकता में सुधार लाने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को उक्त अवधि के दौरान क्रमशः 21.52 लाख रुपये तथा 62.98 लाख रुपये दिए गए थे।

(ग) चारा फसल संबंधी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना ने चारे की अनेक नई अधिक पैदावार वाली किस्में विकसित की हैं जिन्हें अब किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। कुछ नई किस्में इस प्रकार हैं:- आनंद 2, आनंद 3 तथा एल.एम.-5 (लुसर्न), बी.एल. 1, बी.एल. 10 (बर्सीम), ए.एस. 16 (सोर्गम), जे-1006 (मक्का), टी.एल. (टीसिंट) तथा पी.जी.जी.-19 (गीनिया ग्रास)।

(घ) राज्यों को सहायता संबंधी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत 1997-98 के लिए 5 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी

3306. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धा से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उत्तर प्रदेश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा इसमें से कितने प्रतिशत चीनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजी गयी;

(घ) क्या चीनी पर उप-कर लगाये जाने के कारण चीनी मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो कच्चे माल का अनुमानित प्रतिशत क्या है तथा चीनी के उत्पादन लागत पर कितना कर/उपकर लगाया गया है; और

(च) देश में चीनी की कीमतें कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) चीनी का निर्यात, विभिन्न निजी निर्यातकों द्वारा उनके अपने सर्वश्रेष्ठ वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किया जा रहा है। चीनी निर्यात की मात्रा में कमी या वृद्धि करना संभव नहीं है, क्योंकि निर्यात के निर्णय का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य तथा मांग भी शामिल हैं।

(ग) 1996-97 मौसम के दौरान, 7.7.1997 तक उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 40.50 लाख टन (अनंतिम) था।

31.7.1997 तक, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के 1996-97 मौसम के उत्पादन में से 1.35 लाख टन (अनंतिम) की कुल मात्रा निर्यात के लिए रिलीज की गई हैं।

(घ) चीनी पर चीनी उपकर लगाए जाने के कारण घरेलू चीनी के मूल्य में वर्तमान में 14 रु. प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि होती है।

(ङ) 1996-97 मौसम के लिए गन्ना लागत समस्त भारत औसत फैक्ट्री-बाह्य लेवी चीनी मूल्य का 60% है। कर निम्नांकित हैं (1) लेवी चीनी पर 38 रु. प्रति क्विंटल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेवी मुक्त चीनी पर 71 रु. प्रति क्विंटल, तथा (2) 14 रु. प्रति क्विंटल चीनी उपकर।

(च) रिलीज तंत्र को एक विवेकपूर्ण तरीके से विनियंत्रित किया जाता है ताकि खुले बाजार में चीनी का मूल्य उपभोक्ताओं के लिए एक उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके तथा उत्पादकों को एक उचित लाभ सुनिश्चित किया जा सके ताकि वे गन्ना उत्पादकों को लाभकारी गन्ना मूल्य दे सकें।

कृषि क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश

3307. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी स्थिति कृषि क्षेत्र में कम निवेश के कारण बहुत खराब रही;

(घ) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार, 1980-81 के

मूल्य के आधार पर तथा 1994-95 और 1995-96 के दौरान कुल निवेश और सकल पूंजी सृजन निम्न प्रकार से हैं:-

कृषि में सकल पूंजी सृजन (1980-81 के मूल्य के आधार पर)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक	निजी	योग
1994-95	1329	4349	5678
1995-96	1310	4991	6301
1994-95 पर 1995-96 में प्रतिशत वृद्धि	(-) 1.4	(+) 14.8	(+) 11.0

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि कृषि में कुल निवेश के साथ-साथ निजी निवेश में भी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन, सार्वजनिक निवेश में कुछ कमी आयी है, क्योंकि संसाधनों को निवेश में न लगाकर मौजूदा व्यय में लगा दिया गया था।

(ग) राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। लेकिन, 90 के दशक में देश के कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी सृजन में बढ़ोत्तरी का रुख रहा है।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना अवधि (1992-97) में कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्रियाकलापों जैसेकि बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंचित कृषि, लघु सिंचाई तथा फसलोपरांत प्रबन्धन हेतु बुनियादी ढांचा जिसके लिए विशेष योजनाएं भी चलायी जा रही हैं, पर महत्वपूर्ण स्तर तक पूंजी निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में निवेश करने को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत एक नये ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गयी है जिसका उद्देश्य मध्यम तथा लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण परियोजनाओं को ऋण देना है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि नाबार्ड की अंश पूंजी को 1996-97 के 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों के दौरान 2000 करोड़ रु. तक कर दिया जायेगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नाम की एक अन्य नई योजना, जिसे 1996-97 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत 1997-98 के दौरान 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान (बजट प्राक्कलन) रखा गया है ताकि राज्यों को चुनिंदा बड़ी तथा बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को सही समय पर पूरी करने के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जा सके।

[अनुवाद]

कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण कृषि भूमि के स्तर में गिरावट

3308. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण कृषि भूमि खराब हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कीटनाशकों की उपस्थिति के कारण 1000 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया माल पश्चिमी देशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न के उत्तर से असम्बद्ध होते हुये भी यह बताना प्रासंगिक होगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सुरक्षा उपाय कर रही है कि फार्म उत्पादों में स्वीकार्य स्तर से अधिक कीटनाशकों के अवशेष न रहें:-

(1) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के कार्य क्षेत्र के तहत कीटनाशकों का पंजीकरण अधिदेशात्मक अपेक्षा है। इस अधिनियम के तहत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात तथा उपयोग के लिये पंजीकरण स्वीकृत करती है। समिति ने विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देशों को विनिर्दिष्ट किया है जिसमें कृषि जिंसों/फार्म उत्पादों में अन्तिम रूप से प्राप्त कीटनाशक अवशेषों के साथ-साथ आंकड़ा संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है। कटाई के समय निर्धारित सीमा से कम अवशेष वाले कीटनाशकों का ही उपयोग के लिए पंजीकरण किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के तहत अधिदेशात्मक आवश्यकता के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित तथा समिति द्वारा अनुमोदित एक पर्ची/पत्र कीटनाशक के प्रत्येक डिब्बे पर लगाया जाता है। पत्र में उपभोक्ता को किसी सम्भावित नुकसान से बचाने के लिये अन्तिम छिड़काव तथा कृषि उत्पाद की कटाई के बीच समयान्तराल, सुरक्षा संबंधी बातों के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

(3) सरकार समेकित कीट प्रबन्ध को बढ़ावा दे रही है जिसमें कीट नियंत्रण की गैर-रासायनिक विधियों तथा वानस्पतिक, जैवनाशकों आदि जैसी जैविक विधियों के उपयोग पर अधिक बल दिया गया है। अन्तिम उपाय के रूप में कृषि जिंसों तथा पर्यावरण में ऐसे रसायनों के अंतिम अवशेष से बचने के लिये सुरक्षित रासायनिक कीटनाशकों की तर्कसंगत उपयोग हेतु सिफारिश की जाती है। इसके फलस्वरूप, देश में रासायनिक कीटनाशकों की खपत में पिछले तीन वर्षों के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति पाई गई है।

मिनरल वाटर प्रोजेक्ट

3309. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिनरल वाटर बाजार 40 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और अनुमानित वर्तमान निवेश 300 करोड़ रुपये का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मिनरल वाटर का नया ब्रांड बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कितनी वित्तीय मदद मिलेगी; और

(ङ) बाजार में इसे स्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) मिनरल वाटर उद्योग की कुल अनुमानित बिक्री 300 करोड़ रुपये है तथा यह बाजार लगभग 40 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राजस्थान में अलवर दुग्ध संघ की सुविधाओं को इस्तेमाल करके ''जल धारा'' नाम से एक मिनरल वाटर परियोजना शुरू की है। जल धारा की कीमत इसके प्रतियोगिओं द्वारा निर्धारित कीमत से कम है। इस परियोजना से अलवर संघ को अतिरिक्त आय होने तथा उसके पुनर्वास प्रयासों में मदद मिलने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

सफाई-कर्मचारी

3310. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विमुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत पहचाने गए सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कौन-कौन से राज्यों को सहायता दी गई है और कौन-कौन से राज्यों को सहायता नहीं दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजना को बिहार राज्य में भी लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बताया गया है, विवरण-I में दी गई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अब तक इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में बिहार राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि निर्मुक्त की गई है:-

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में)
1991-92	350.00
1992-93	313.00
1993-94	शून्य
1994-95	शून्य
1995-96	शून्य
1996-97	शून्य

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	पहचान किए गए सफाई कर्मचारिओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7453
2.	असम	16873
3.	बिहार	40249
4.	गुजरात	62842
5.	हरियाणा	25279
6.	हिमाचल प्रदेश	4760
7.	जम्मू व कश्मीर	4150
8.	कर्नाटक	14555
9.	केरल	1339
10.	मध्य प्रदेश	80072
11.	महाराष्ट्र	126691
12.	उड़ीसा	19103
13.	पंजाब	31290
14.	राजस्थान	57736
15.	तमिलनाडु	35561
16.	उत्तर प्रदेश	246916
17.	पश्चिम बंगाल	30000
18.	दिल्ली	17420
19.	नागालैंड	1800
20.	मेघालय	607
21.	पांडिचेरी	476
22.	सिक्किम	400
	कुल	825572

विवरण-II

सहायता प्रदान किए गए तथा सहायता प्रदान न किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ब्यौरे

सहायता प्रदान किए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	सहायता प्रदान न किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश
असम	गोवा
बिहार	मणिपुर
गुजरात	मिजोरम
हरियाणा	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा
जम्मू व कश्मीर	अंडमान निकोबार प्रशासन
कर्नाटक	चंडीगढ़
केरल	दादर व नगर हवेली
मध्य प्रदेश	दमन व दीव
महाराष्ट्र	लक्षद्वीप
उड़ीसा	
पंजाब	
राजस्थान	
तमिलनाडु	
उत्तर प्रदेश	
पश्चिम बंगाल	
दिल्ली	
पांडिचेरी	
नागालैंड	
मेघालय	

[अनुवाद]

सुपर बाजार में धनराशि का दुर्विनियोग

3311. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "सी.बी.आई. फ्रेम्स 5 आफिशियल्स आफ सुपर बाजार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार के ध्यान में कितनी धनराशि की जालसाजी और कितने धनराशि के दुरूपयोग के मामले आए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है;

(ङ) क्या सी.बी.आई. द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद भी इन अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा न्यू फ्रेंडस कॉलोनी, दिल्ली में स्थित उनकी शाखा की अचानक जांच तथा निरीक्षण से पता चला है कि सुपर बाजार के शाखा अधिकारियों ने मिलीभगत तथा षड्यंत्र के साथ-साथ हेरा-फेरी के जरिए अनेक चूकें की, जिसके परिणामस्वरूप 6,17,094.67 रु. मूल्य के दुर्विनियोजन तथा स्टाक की कमी हुई। उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर सुपर बाजार, दिल्ली के 5 अधिकारी जो प्रश्नाधीन अवधि के दौरान उक्त शाखा में कार्य कर रहे थे, को 4.11.96 से निलम्बित कर दिया गया।

(घ) से (च) मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपर बाजार के प्रबंधकों ने उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया जिसने 3 अधिकारियों, जो पहले ही निलम्बित थे तथा त्रिलोकपुरी स्थित सुपर बाजार क्षेत्रीय वितरण केन्द्र से संबंधित दो और लेखा अधिकारियों को शामिल करते हुए 22.4.1997 को एक प्राथमिकी दर्ज की।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी प्रमाण-पत्रों के बारे में मार्ग-निर्देश

3312. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बारे में क्या मार्ग-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे अनुरोध की संवीक्षा के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को जारी करना, संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्र में आता है। अतः उनसे आवश्यक जांच के बाद कम से कम संभव समय में इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की आशा की जाती है।

विवरण

संख्या-36012/22/93-स्था. (अनु.जा.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15.11.1993

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण—भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के आशय से संपन्न वर्ग का अपवर्जन—उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं तथा पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था के विषय में 8.9.1993 को अनुदेश जारी किए हैं (इस का.ज्ञा. की एक प्रति संलग्न है)। उक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियां तथा समुदाय सम्मिलित होंगे, जिनके नाम मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूची दोनों में दिए गए हैं। ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) में अधिसूचित की गई थी। जातियों तथा समुदायों के सत्यापन के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था.(अनु.जा.) (प्रति संलग्न) के द्वारा अनु.जा./अनु. जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्राधिकारियों से जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र निर्धारित किया है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक (स्टाइपैन्डरी) मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त (एक्सट्रा) सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो)।

(ख) मुख्य प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त-प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी।

(घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

2. इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस विभाग ने उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया है जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (अनु.जा.) की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। इस बात पर सोच-विचार किया गया है कि उन प्राधिकारियों को जिन्हें "अन्य पिछड़े वर्ग का है" यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बन्ध "सम्पन्न वर्ग" से नहीं है। अतः अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश दें कि वे उम्मीदवारों को "अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होने" तथा साथ ही साथ "सम्पन्न

वर्ग में न आने'' के बारे में अपेक्षित प्रमाण का सत्यापन करें तथा प्रमाणपत्र जारी करें। जिला प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पायें इस हेतु एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया है जो अनुबन्ध ''ख'' पर उपलब्ध है। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं। सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र अनुबंध ''क'' पर उपलब्ध प्रपत्र के रूप में हो सकता है।

3. यह भी अनुरोध है कि दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित पिछड़ी जातियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.9.93 के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.8.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (अनु.जा.) का व्यापक प्रचार किया जाए जिसमें वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह भी उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त गजट अधिसूचना की तथा इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा. की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके।

4. इस सम्बन्ध में आपकी सरकार द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

भवदीया,

ह०/-
(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबन्ध 'क'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र ....गांव...................... जिला/मंडल............ ....राज्य के .... समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग एक खंड-एक में प्रकाशित हुआ था। श्री .... और/अथवा उनका परिवार .... जिला/मंडल....................... राज्य में सामान्यता रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (अनु. जाति/जनजाति) में उल्लिखित (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

दिनांक: जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

मुहर

विशेष: (क) यहां 'सामान्यतया' शब्द का अर्थ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

अनुबंध 'ख'

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र

(इस फार्म का उपयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाए। यदि अतिरिक्त मदें आवश्यक हों तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थिति के अनुसार जोड़ दिया जाए)

सेवा में,

____

____

____

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए।

मेरे आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक का पूरा नाम
(मोटे अक्षरों में)

2. जन्म तिथि

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी प्रमाण-पत्रों के बारे में मार्ग-निर्देश

3312. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बारे में क्या मार्ग-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे अनुरोध की संवीक्षा के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को जारी करना, संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्र में आता है। अत: उनसे आवश्यक जांच के बाद कम से कम संभव समय में इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की आशा की जाती है।

विवरण

संख्या-36012/22/93-स्था. (अनु.जा.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15.11.1993

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण—भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के आशय से संपन्न वर्ग का अपवर्जन—उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं तथा पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था के विषय में 8.9.1993 को अनुदेश जारी किए हैं (इस का.ज्ञा. की एक प्रति संलग्न है)। उक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियां तथा समुदाय सम्मिलित होंगे, जिनके नाम मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूची दोनों में दिए गए हैं। ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) में अधिसूचित की गई थी। जातियों तथा समुदायों के सत्यापन के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था.(अनु.जा.) (प्रति संलग्न) के द्वारा अनु.जा./अनु. जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्राधिकारियों से जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र निर्धारित किया है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक (स्टाइपैन्डरी) मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त (एक्सट्रा) सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो)।

(ख) मुख्य प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त-प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी।

(घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है।

2. इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस विभाग ने उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया है जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (अनु.जा.) की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा। इस बात पर सोच-विचार किया गया है कि उन प्राधिकारियों को जिन्हें "अन्य पिछड़े वर्ग का है" यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बन्ध "सम्पन्न वर्ग" से नहीं है। अत: अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश दें कि वे उम्मीदवारों को "अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होने" तथा साथ ही साथ "सम्पन्न

वर्ग में न आने" के बारे में अपेक्षित प्रमाण का सत्यापन करें तथा प्रमाणपत्र जारी करें। जिला प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पायें इस हेतु एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया है जो अनुबन्ध "ख" पर उपलब्ध है। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं। सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र अनुबंध "क" पर उपलब्ध प्रपत्र के रूप में हो सकता है।

3. यह भी अनुरोध है कि दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित पिछड़ी जातियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.9.93 के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.8.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (अनु.जा.) का व्यापक प्रचार किया जाए जिसमें वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह भी उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त गजट अधिसूचना की तथा इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा. की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके।

4. इस सम्बन्ध में आपकी सरकार द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

भवदीया,

ह०/-
(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबन्ध 'क'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र ....गांव...................... जिला/मंडल............ ....राज्य के .... समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग एक खंड-एक में प्रकाशित हुआ था। श्री .... और/अथवा उनका परिवार .... जिला/मंडल....................... राज्य में सामान्यता रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (अनु. जाति/जनजाति) में उल्लिखित (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

दिनांक: जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

मुहर

विशेष: (क) यहां 'सामान्यतया' शब्द का अर्थ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

अनुबंध 'ख'

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र

(इस फार्म का उपयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाए। यदि अतिरिक्त मदें आवश्यक हों तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थिति के अनुसार जोड़ दिया जाए)

सेवा में,

____

____

____

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए।

मेरे आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक का पूरा नाम
   (मोटे अक्षरों में)

2. जन्म तिथि

3. घर का पूरा पता

(क) वर्तमान

(ख) स्थायी

4. धर्म

5. जाति

6. उप-जाति

7. व्यावसायिक समूह

8. अन्य पिछड़ी श्रेणियों की केन्द्रीय सूची में जाति की क्रम संख्या

9. पिता का नाम

10. माता का नाम

11. पति का नाम

12. माता-पिता/पति की हैसियत

	पिता	माता	पति
(क) संवैधानिक पद			
(i) पदनाभ			

	पिता	माता	पति
(ख) सरकारी सेवाएं			
(i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)			
(ii) पदनाम			
(iii) वेतनमान वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो तो			
(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख			
(v) श्रेणी 1 पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू हो)			

II. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नौकरी जैसे: यू.एन., यूनिसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ.

(i) संगठन का नाम

(ii) पदनाम

(iii) सेवावधि

(..................से......................तक की तारीख दर्शाएं)

III. मृत्यु/स्थायी अशक्तता (यदि लागू न हो तो हटा दें)

(i) मृत्यु/स्थायी अशक्तता के कारण अधिकारी को सेवा से बाहर करने की तारीख

(ii) स्थायी अशक्तता के ब्यौरे

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में रोजगार

(i) संगठन का नाम

(ii) पदनाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) अर्द्ध-सैनिक बल सहित सशस्त्र सेना

(सिविल पद धारित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)

(i) पदनाम

(ii) वेतनमान

(ङ) व्यावसायिक श्रेणी/वर्ग [मद संख्या (ख) तथा (ग) में शामिल से भिन्न] तथा जो व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं।

(i) व्यवसाय/पेशा

(च) सम्पत्तिं धारक

(च) 1. कृषि जोत क्षेत्र जिसके स्वामी माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे हैं।

(i) स्थान

(ii) जोत क्षेत्र का आकार

(iii) (क) सिंचित
(सिंचित भूमि की किस्म)

(1)

(2)

(3)

(ख) असिंचित

कम से कम तहसीलदार के जिला राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(4) राज्य भूमि सीमा नियमों के अधीन कानूनी ऊपरी सीमा के सन्दर्भ में सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता

(5) यदि जोत क्षेत्र सिंचित/असिंचित दोनों हैं तो राज्य भूमि सीमा नियमों में परिवर्तन सूत्र के आधार पर कुल सिंचित जोत क्षेत्र।

(6) उपरोक्त 4 के अनुसार कानूनी ऊपरी सीमा की तुलना में कुल सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता।

छ. II. बागान

(i) फसलें/फल

(ii) स्थान

(iii) बागान का क्षेत्रफल

(छ) III. खाली भूमि और/या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारतें

(i) सम्पत्ति का स्थान

(ii) सम्पत्ति का विवरण

(iii) यह किस प्रयोग में लाई जा रही है।

(ज) आय/सम्पत्ति

(i) सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय (वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर)

(ii) क्या कर दाता है (हां/नहीं)
(यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की विवरणी की एक-एक प्रति लगाएं)

(iii) क्या सम्पत्ति कर अधिनियम में शामिल है (हां/नहीं)
(यदि हां, तो विवरण दें)

(झ) अन्य कोई अभियुक्ति।

(ञ) मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे ज्ञात है, सही है तथा मैं अन्य पिछड़ी जातियों में "सम्पन्न वर्ग" से नहीं हूं और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों पर विचारण हेतु पात्र हूं। मैं समझता हूं कि किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर अथवा चयन के पहले या बाद अपात्र पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध कानून और/अथवा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:..

दिनांक.......................................

तत्काल

सं. 36012/22/93-स्थापना (अनु. जाति/जनजाति)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली

दिनांक 15 नवम्बर, 1993

विषय: भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में

अधोहस्ताक्षरित को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का.ज्ञा. समसंख्या के पैराग्राफ 5 के अन्तर्गत भारत सरकार के अध्यधीन सिवल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जातियों/समुदायों का सत्यापन कर प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को दर्शाया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि वे अधिकारी जो अन्य पिछड़े वर्गों का दर्जा अधिसूचित करने के लिए सक्षम थे, अब उन्हें यह भी सत्यापित करना होगा कि सत्यापन के लिए आया अभ्यर्थी इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का.ज्ञा. समसंख्या की अनुसूची के खंड 3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (सम्पन्न वर्ग) के अंतर्गत नहीं आता है। दिनांक 22.10.93 के का.ज्ञा. के पैराग्राफ 5 के अनुसार अभ्यर्थी

को प्राधिकारी से प्राप्त किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का माडल फार्म अनुबंध-क में संलग्न है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए यह प्रमाण-पत्र मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा मान्य होगा।

(हस्ताक्षर/-)

(एम. वैंकटरामन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों
2. लोक उपक्रम विभाग, नई दिल्ली
3. आर्थिक कार्य (बैंकिंग प्रभाग) विभाग, नई दिल्ली
4. आर्थिक कार्य (बीमा प्रभाग) विभाग, नई दिल्ली
5. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 3.11.93 के उनके पत्र संख्या फ. 22/31/92-ङ (1)ख के संदर्भ में
6. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 1.11.93 के उनके पत्र संख्या 1/77/90-पी. और पी. के संदर्भ में
7. कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली (श्रीमती मंजुला कृष्णन, निदेशक) नई दिल्ली।

परिशिष्ट-क

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि.. पुत्र.......................... गांव........................जिला/मंडल .... राज्य के............................ समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी.(सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-एक खंड-एक में प्रकाशित हुआ था। श्री............................ और/अथवा उनका परिवार.. जिला/मंडल ....राज्य में सामान्यता रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (अनु. जाति/जनजाति) में उल्लिखित (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

दिनांक: जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

मुहर

विशेष: (क) यहां 'सामान्यतया' शब्द का अर्थ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

[अनुवाद]

जालसाजी के मामले

3313. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1997 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "बेलिंग आउट अक्यूज्ड ए थ्राइविंग ट्रेड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जालसाजी के मामले में दिल्ली में कितने धोखेबाजों को पकड़ा गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार ने प्रश्नगत समाचार को देखा है जो 24 जून, 1997 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है। यह समाचार अभियुक्त व्यक्तियों जिन्हें जमानत पर छोड़ा गया है को जमानत प्रदान करने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा दस्तावेजों में जालसाजी/धोखाधड़ी करने से संबंधित है।

(ग) 1994 से 1996 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस दुराचरण में कथित रूप से संलिप्त 99 व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

(घ) इस प्रकार की घटनाएं जानकारी में आने पर दिल्ली पुलिस दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करती है।

दालों के उत्पादन और खपत के बीच अन्तर

3314. श्री सनत मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दालों के उत्पादन और खपत में इस समय कितना अंतर है;

(ख) क्या हाल ही में अन्तर बढ़ा और क्या हाल ही में एन.पी.डी.पी. का विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने के बावजूद यह अन्तर दो मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.पी.डी.पी. अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान उत्पादन और खपत के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के उद्देश्य से कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण और कृषि सांख्यिकी में सुधार संबंधी कार्यदल ने दलहन की आवश्यकता 1996-97 के उत्पादन स्तर पर 15.30 मिलियन मीटरी टन आंकी है जोकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की नियामक आवश्यकता संबंधी सिफारिश पर आधारित है, तथा 7% की सकल घरेलू उत्पाद दर पर व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर यह आवश्यकता 15.50 मिलियन मीटरी टन आंकी गई है। दलहन का उत्पादन 1995-96 के दौरान 13.19 मिलियन मीटरी टन और 1996-97 के दौरान 14.95 मिलियन मीटरी टन रहा।

(ख) वर्ष 2001-02 तक दलहनों के 17.50 मिलियन मी. टन के उत्पादन की बहुत अधिक संभावना की तुलना में कार्य दल में नियामक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन स्तर पर 17.20 मिलियन मी. टन तथा 7% की सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर के व्यवहारवादी अप्रोच के आधार पर 19.50 मिलियन मी. टन दलहनों की आवश्यकता का आंकलन किया है।

(ग) चूंकि दालें वर्षा सिंचित स्थितियों में उगाई जाती हैं, इसलिए अतीत में इसके उत्पादन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव पाया गया है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के उत्पादन को स्थिर बनाने तथा उत्पादकता स्तर में सुधार लाने में मदद मिली है। दालों का उत्पादन 1989-90 में 12.86 मिलियन मी. टन से बढ़कर 1996-97 में 14.85 मिलियन मी. टन हो गया है।

(घ) दलहनों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये दालों के आयात को वर्तमान में 5% के आयात शुल्क के साथ ओ.जी.एल. के तहत लाया गया है। चालू केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज, सूक्ष्म-पोषक तत्वों, राइजोबियम कल्चर, कृषि उपकरणों, छिड़काव सेटों आदि जैसे आदानों के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भावी कार्यनीति उन्नत बीजों, सूक्ष्म-पोषक तत्वों का उपयोग करके, सल्फर के प्रयोग, सिंचाई की छिड़काव विधि तथा समेकित कीट प्रबंध पद्धति आदि अपनाकर उत्पादकता के स्तर में वृद्धि करने की होगी।

मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत बल्क औषधियां

3315. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत शामिल बल्क औषधियों की सूची की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समीक्षा किस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा यह पिछली बार कब की गई थी; और

(घ) क्या सूची की समीक्षा नहीं किए जाने के कारण भारतीय कंपनियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा हो रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) से (ग) औषध निधि में यह परिकल्पना की गई है कि कीमत नियंत्रण के अधीन औषधों की सूची को अद्यतन बनाने/समीक्षा करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय भेषज कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा किए जाएंगे। चूंकि प्रशासनिक समस्याओं के कारण एन.पी.पी.ए. के गठन में विलंब हो गया, सरकार ने हाल ही में कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। डी.पी.सी.ओ., 1995 के अंतर्गत अभी तक ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।

(घ) कीमत नियंत्रण के अंतर्गत औषधों को शामिल करने के निर्धारित मानदंड में भारतीय मूल की कंपनियों और अन्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

3316. श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अन्य पिछड़ी जातियों/वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय सहायता के हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक स्वीकृत/जारी की गई केन्द्रीय सहायताओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई हैं। मंत्रालय इस योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

सहकारिता नियमों में संशोधन

3317. श्री चित्त बसु :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहकारिताओं के सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये सहकारिता नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को और अधिक स्वायत्त तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिये बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 में सुधार लाने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य सहकारी अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा संशोधित किया जा सकता है क्योंकि "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं की सुरक्षा

3318. श्री छत्तर सिंह दरबार :
श्री बी.एल. शंकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मुम्बई की भांति डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र करने की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में मुम्बई जैसी घटना के होने से बचने के लिए राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं की स्थापना और उनकी सुरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) मुंबई शहर, जहां अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा डा. अम्बेडकर की प्रतिमा को कथित रूप से अपवित्र करने के फलस्वरूप गड़बड़ी शुरू हुई, की हाल के हिंसक घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय करने हेतु सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को सचेत कर दिया है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामले

3319. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांचे गए सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक सम्पत्ति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में संलिप्त अधिकारियों की ग्रेडवार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध स्वयं ही कोई कार्यवाही की है जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह है; और

(ङ) क्या उन्होंने अपने अधीन कार्यरत सतर्कता विभाग की शक्तियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) कुछ शिकायतों के आधार पर भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक मात्रा में सम्पत्ति के अधिग्रहण के संबंध में मंत्रालय के श्रेणी-I के तीन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी। तथापि, जांच के बाद इन मामलों को बंद कर दिया था क्योंकि शिकायतों में कोई दम नहीं था।

(ग) 1995-96 के दौरान इस मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) संदिग्ध बेईमान और भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध स्वतः की जाने वाली कार्रवाई शुरू करने के बारे में कोई रोक नहीं है।

(ङ) ऐसी कोई समीक्षा शुरू नहीं की गई है।

मछली उतारने की जगह

3320. श्री मुरलीधर जेना :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री गोरधन भाई जाविया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के तट पर मछली उतारने के संभावित स्थलों के बारे में तकनीकी व्यवहार्यता को अद्यतन करने के बारे में कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा प्रत्येक स्थल आर्थिक रूप से कितना उपयोगी होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

मास्टर प्लान को अद्यतन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 में केन्द्रीय मीन समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर ने उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से संभावी मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तटावतरण केन्द्रों में निवेश पूर्व अध्ययन कराया है और जहां भी आवश्यक हुआ है विस्तृत तकनीकी अध्ययन कराने के लिए, जिसमें गाडल अध्ययन भी शामिल है, निम्नलिखित स्थलों का चयन किया है। वर्तमान निवेश-पूर्व अध्ययन के अनुसार प्रस्तावित स्थलों की क्षमताओं को संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रस्तावित मत्स्य बन्दरगाह का नाम	जिला	मछलियों की पकड़ाई (मी. टन में)	प्रचालित मत्स्य नौकाओं की सं.	मछुआरों की संख्या	सक्रिय मछुआरों की संख्या	गांवों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1.	धामरा चरण-II	भद्रक	2048	250	18,744	5,527	1
2.	चूड़ामणि	भद्रक	3803	543	11,669	6,006	1
3.	बहबलपुर	बालासोर	9509	650	8,000	3,000	1

खाद्यान्नों पर परिवहन प्रभार

3321. श्री चमन लाल गुप्त : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के कितने आटा मिलों को 1996-97 के दौरान गेहूं की आपूर्ति की गई तथा किस दर पर की गई थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न तथा चीनी की ढुलाई पर कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी;

(ग) जम्मू से श्रीनगर तक खाद्यान्नों की ढुलाई पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किस दर से ढुलाई का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) कश्मीर घाटी की अपेक्षा जम्मू में ऊंची दरों पर गेहूं तथा चावल आपूर्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में खाद्यान्न आपूर्ति करने में भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) 1996-97 के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य की 29 फ्लोर मिलों को गेहूं जारी किया गया था। जारी हुए 86,490 टन में से राज्य फ्लोर मिलों द्वारा पंजाब से निम्नलिखित मूल्यों पर 10,400 टन गेहूं का उठान किया गया था:-

क्रम सं.	अवधि	गेहूं का मूल्य (रुपये प्रति टन में)	
		श्रीनगर	जम्मू
1.	अप्रैल से जुलाई, 1996	4500	4500
2.	अगस्त, 96 से 17 सितम्बर, 96	4655	4655
3.	18 सितम्बर, 96 से 3 फरवरी, 97	5005	5005
4.	4 फरवरी, 97 से 10 मार्च, 97	5300	5200
5.	11 मार्च, 97 से 31 मार्च, 97	5150	5100

(ख) कश्मीर को खाद्यान्नों का संचलन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित राशि अदा की:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1994-95	9.93
1995-96	27.04
1996-97	31.93

(ग) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर जम्मू से श्रीनगर तक खाद्यान्नों की ढुलाई कर रहा है।

(घ) पूरे देश में खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य एक समान हैं।

(ङ) अन्य राज्यों की भांति जम्मू और कश्मीर को खाद्यान्नों की सब्सिडी प्राप्त दरों पर आपूर्ति की जाती है। यह सब्सिडी केन्द्रीय सरकार अदा करती है। अत: भारतीय खाद्य निगम को होने वाली हानि या लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रौद्योगिकी की कमी

3322. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिष्कृत पैकेज प्रौद्योगिकी के अभाव और पैकेज की उच्च लागत ने इस उद्योग में देश के निर्यात पर बाधा खड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा उल्लेख किये गये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कमियां क्या हैं तथा इस कारण गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वाले उद्योगों की तुलना में पैकेज की लागत अधिक होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि आधारित उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में पैकेज की लागत उत्पाद का 50% तक होती है, अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों और लागत से किस प्रकार इसकी तुलना की जाती है; और

(ङ) सरकार का कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है और उसके उन्नयन की हमेशा गुंजाइश रहती है। निर्यात में बढ़ोत्तरी पैकेजिंग समेत अनेक बातों पर निर्भर करती है। प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात पिछले वर्षों में लगातार बढ़ा है।

(ग) किसी भी उद्योग इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य कृषि आधारित उद्योग शामिल हैं, का विकास बहुत सी बातों जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतियोगी लागत, बिक्री मूल्य आदि पर निर्भर करता है। कीमत को प्रभावित करने वाला एक कारण पैकेजिंग भी है।

(घ) पैक किए जाने वाले उत्पाद के अनुरूप अलग-अलग किस्म की पैकेजिंग इस्तेमाल की जानी है और इसलिए पैकेजिंग की लागत भिन्न होती है और अनुमान है कि इसकी लागत 15 से 30 प्रतिशत तक होती है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में अन्यों के साथ-साथ ग्लास, पेपर और पेपरबोर्ड, अल्युमीनियम फायल्स और प्लास्टिक जैसे कतिपय पैकेजिंग माल पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी करना शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकेजिंग संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

उर्वरक, बीज और खाद की मांग और पूर्ति

3323. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उर्वरक, खाद तथा बीज की मांग का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक और बीज की राज्यवार अलग-अलग कितनी आवश्यकता है; और

(ग) वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 और जून, 1997 तक के दौरान प्रदान की गई उर्वरक और बीज की कितनी मात्रा राज्य-वार पृथक रूप से उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) केवल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और जिसके लिए इस समय मांग और सप्लाई के आबंटन का मूल्यांकन किया जाता है। खाद्य की राज्यवार आवश्यकता का हिसाब नहीं रखा जाता है। जहां तक बीजों का संबंध है इनकी सप्लाई की व्यवस्था करना मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा वे यह व्यवस्था किसानों के पास उपलब्ध बीजों को हिसाब में रखकर तथा प्राइवेट साधनों से करते हैं। लेकिन, केन्द्रीय सरकार बीजों की सप्लाई सुलभ कराने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती है। 1996-97 तथा खरीफ 1997 में यूरिया तथा बीजों को आकलित मांग/आवश्यकता और 1996-97 में कम्पोस्ट/खाद की सम्भावित उपलब्धता का एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

1996-97 तथा खरीफ, 1997 में यूरिया तथा बीजों की राज्यवार आकलित मांग और उपलब्धता और 1996-97 में खाद की सम्भावित उपलब्धता

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य	1996-97					1997-98 (खरीफ 97—अप्रैल से सितम्बर, 1997)**			
		यूरिया		बीज		खाद	यूरिया		बीज	
		आकलित मांग	उप.*	आवश्यकता	उप.	संभावित उपलब्धता	आकलित मांग	30.6.97 तक उपलब्धता*	आवश्यकता	उप.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.74	21.78	9.88	22.17	517.43	9.85	5.78	7.71	16.79
2.	कर्नाटक	8.90	9.40	5.03	5.70	362.02	5.50	2.96	3.52	3.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	केरल	1.33	1.47	0.46	0.47	88.44	0.70	0.45	0.17	0.17
4.	तमिलनाडु	8.95	8.97	3.30	3.37	381.04	3.40	2.40	1.89	2.70
5.	गुजरात	11.20	10.70	3.16	4.52	253.30	5.80	2.58	1.69	2.85
6.	मध्य प्रदेश	13.06	12.93	6.71	6.35	817.28	6.95	3.32	3.74	3.78
7.	महाराष्ट्र	17.10	17.32	7.90	8.22	512.51	11.00	5.65	6.00	6.12
8.	राजस्थान	11.00	11.98	3.09	4.59	454.41	4.60	2.79	1.24	1.27
9.	गोवा	0.07	0.04	0.03	0.04	4.61	0.04	0.01	0.03	0.03
10.	हरियाणा	13.00	12.89	3.23	4.72	152.83	5.80	3.21	0.61	0.63
11.	पंजाब	21.25	20.25	2.89	2.78	254.65	9.80	6.65	0.90	0.81
12.	उत्तर प्रदेश	46.20	49.06	13.65	11.80	1,257.13	21.20	13.00	2.96	3.10
13.	हिमाचल प्रदेश	0.52	0.47	0.54	0.54	68.93	0.30	0.14	0.09	0.09
14.	जम्मू व कश्मीर	1.12	0.83	0.78	0.72	69.38	0.62	0.38	0.16	0.16
15.	बिहार	13.10	15.30	4.19	4.13	518.89	7.25	4.46	1.62	1.64
16.	उड़ीसा	4.79	4.48	2.12	1.88	356.53	3.25	1.62	3.05	3.50
17.	पश्चिम बंगाल	10.50	11.25	6.09	6.37	344.06	4.30	2.73	1.80	2.30
18.	असम	0.68	0.77	1.39	1.35	189.04	0.40	0.26	0.49	0.49
19.	त्रिपुरा	0.16	0.14	0.11	0.11	15.81	0.13	0.06	0.06	0.06
20.	मणिपुर	0.30	0.25	0.29	0.29	9.43	0.23	0.07	0.12	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	मेघालय	0.05	0.06	0.14	0.14	13.43	0.03	0.004	0.005	0.05
22.	नागालैण्ड	0.01	0.01	0.15	0.15	2.69	0.01	0.01	0.07	0.03
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.01	0.004	0.10	0.10	4.62	0.003	0.003	0.08	0.08
24.	मिजोरम	0.01	0.01	0.02	0.02	1.38	0.005	0.003	0.15	0.05
25.	सिक्किम	0.02	0.01	0.08	0.08	4.13	0.01	0.003	0.03	0.03
26.	अन्य	1.31	1.23	0.11	0.11	15.45	0.45	0.28	0.08	0.08
	अखिल भारत	204.38	211.60	75.44	90.72	6,669.42	101.63	58.81	38.31	50.24

*राज्यीय संस्थागत एजेंसियों के पास सुलभ स्टाक निकालकर

**मांग का मूल्यांकन राज्यवार किया जाता है। रबी 1997-98 के लिए मांग का आकलन उचित समय पर किया जाएगा।

चीनी मिलों के लिए आशय-पत्र

3324. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री निहाल चन्द चौहान :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जून, 1997 तक राज्यवार चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) वर्ष 1993 से 1996 के दौरान अब तक राज्यवार नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए कितने आशय-पत्र जारी किए गए;

(ग) क्या संवीक्षा समिति द्वारा इन सभी आशय-पत्रों का सत्यापन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे;

(च) उन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने चालू पेराई मौसम के दौरान काम करना शुरू कर दिया है; और

(छ) चालू पेराई मौसम के लिए चीनी का उत्पादन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) चीनी मिलें स्थापित करने के लिए चीनी वर्ष 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.1997 तक, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (ङ) देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए चीनी वर्षों 1993-94 से 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.97 तक 181 आशय-पत्र जारी किए गए। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

उद्योग मंत्रालय की लाइसेंसिंग समिति द्वारा आशय-पत्र जारी करने से पूर्व इन सभी प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया था।

(च) चालू पेराई मौसम 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.97 तक कार्य आरम्भ करने वाली चीनी मिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(छ) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए चीनी उद्योग हेतु विकास कार्यक्रम बनाने के लिए गठित समिति ने 1996-97 मौसम के अंतिम वर्ष के दौरान 147.88 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

विवरण-I

चीनी मिलें स्थापित करने हेतु चीनी वर्ष 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.1997 तक औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	पंजाब	2
2.	हरियाणा	2
3.	उत्तर प्रदेश	11
4.	मध्य प्रदेश	2
5.	बिहार	2
6.	महाराष्ट्र	9
7.	कर्नाटक	1
8.	आन्ध्र प्रदेश	3
9.	तमिलनाडु	9
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	1
	कुल	43

विवरण-II

देश में चीनी मिलें स्थापित करने हेतु 1993-94 से 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.97 तक जारी आशय-पत्रों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी आशय-पत्रों की संख्या
1.	हरियाणा	4
2.	उत्तर प्रदेश	48
3.	मध्य प्रदेश	6
4.	गुजरात	2
5.	महाराष्ट्र	37
6.	बिहार	10
7.	आन्ध्र प्रदेश	19
8.	कर्नाटक	34
9.	तमिलनाडु	8
10.	उड़ीसा	11
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	हिमाचल प्रदेश	1
	कुल	181

विवरण-III

चालू पेराई मौसम 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.97 तक कार्य आरम्भ कर देने वाली चीनी मिलों का राज्यवार नाम दर्शाने वाला विवरण

उत्तर प्रदेश	1.	मैसर्स सिम्भावली शुगर मिल्स लि. यूनिट चिलवारियां, जिला-बहराइच
हरियाणा	2.	मैसर्स नारायनगढ़ शुगर मिल्स लि., नारायन गढ़, जिला-अम्बाला
महाराष्ट्र	3.	मैसर्स श्री भाउराव चव्हान एस.एस. के. लि., स्थान मुंडखेड, तह. एवं जिला-नानदेढ़
	4.	मैसर्स श्री बागेशवरी सहकारी साखर कारखाना लि., स्थान-वरफाल, तालुक-परतूर, जिला-जालना
	5.	मैसर्स घोडगंगा एस.एस.के. लि., स्थान-नाहनेर, तह. शिरूर, जिला-पूना
	6.	मैसर्स नारसिन्हां एस.एस.के. लि., स्थान-लोहगांव, जिला-पारभानी
	7.	मैसर्स पुष्पावती एस.एस.के. लि., स्थान-छिकाली, तह. पुसाड, जिला यावतमल
गुजरात	8.	मैसर्स श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., धारीखेडा, डाक-तिम्बली, तालुका-नानदेड़, जिला-भारूच
आन्ध्र प्रदेश	9.	मैसर्स दी आन्ध्रा शूगर्ज लि., यूनिट टुडूवाई, जिला-पश्चिम गोदावरी
	10.	मैसर्स गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि. स्थान कुलुबगड गांव, संगारेड्डी मंडल, जिला-मेडक
कर्नाटक	11.	मैसर्स श्री भाग्या लक्ष्मी एस.एस.के. लि., मनेसापुर, तह. खांडापुर, जिला बेलगाम

अध्यापन स्कूलों के लिए धनराशि

3325. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या कल्याण मंत्री दिनांक 13.5.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5953 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बिहार के किन जिलों में राज्य सरकार ने 11 अध्यापन केन्द्रों और 5 गैर-सरकारी संस्थान शुरू किए हैं;

(ख) इन केन्द्रों और संस्थानों से कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ और जिलों में ऐसे अध्यापन केन्द्र और गैर-सरकारी संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) नए केन्द्र तभी खोले जाएंगे जब राज्य सरकार की सिफारिश के साथ प्रस्ताव हों।

विवरण

(क) बिहार राज्य सरकार द्वारा परिचालित 11 कोचिंग केन्द्रों के स्थान की सूची:

1. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पटना विश्वविद्यालय पटना जिला।
2. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर जिला।
3. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जिला।
4. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर जिला।
5. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा जिला।
6. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारी बाग जिला।

7. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा जिला।

8. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा जिला।

9. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सिद्धु कानू विश्वविद्यालय डुमका जिला।

10. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र मगध विश्वविद्यालय गया जिला।

11. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रांची विश्वविद्यालय रांची जिला।

(ख) बिहार में स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रचालित पांच परीक्षा केन्द्रों के स्थान की सूची:-

1. अप्टीच्यूट कोचिंग सेन्टर पटना जिला।

2. बुनियाद पटना जिला।

3. ईस्ट एंड वेस्ट अकादमी पटना जिला।

4. पटना मुस्लिम हाई स्कूल (आई.ए.एस. के लिए) जिला।

5. पटना मुस्लिम हाई स्कूल (व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए) जिला।

नाबार्ड द्वारा विकसित बीज

3326. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान तिलहनों और दलहनों के उत्पादन के लिए "नाबार्ड" द्वारा विकसित किए गए बीजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपयोग में लाए गए बीजों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार इनका किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) देश में राज्यवार अपारम्परिक तिलहनों के लिए कितनी नर्सरियां खोली गई हैं; और

(घ) देश में दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों और दलहनों के लिये नये बीजों के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी.आई.ए. की गतिविधियां

3327. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 1997 के "द सण्डे पायनियर" में "सी.आई.ए. मैन रिवील्स हिज डर्टी ट्रिक्स इन इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) भारत में तैनात सी.आई.ए. के ऐसे कार्मिकों के कार्यकलापों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। श्री दूने क्लेरीज एक भूतपूर्व सी.आई.ए. अधिकारी, जो 1960 के दशक में भारत में तैनात थे, ने अपनी जीवनी लिखी है जो हाल में प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने सी.आई.ए. के कुछ ऑपरेशनों का उल्लेख किया है, जो उस अवधि के दौरान भारत में चलाए गए थे।

(ग) राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल, विदेशी आसूचना एजेंसियों की गतिविधियों का प्रबोधन करने और उन पर नजर रखने के लिए सुरक्षा उपाय और तंत्र विद्यमान है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

3328. श्री इलियास आजमी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने से पूर्व प्रतिकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दशक की तुलना में इस क्षेत्र में कुल निवेश में कितनी कमी दर्ज की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश से संबंधित जानकारी नीचे दी गयी है:-

1980-81 के मूल्यों पर कृषि में सकल पूंजी सृजन:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1993-94	1153	3885	5038
1994-95	1329	4349	5678
1995-96	1310	4991	6301

(ख) और (ग) लाइसेन्सों तथा उच्च दरों के रूप में उद्योगों को दिया गया अत्यधिक संरक्षण कृषि जिन्सों के आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार पर नियंत्रण तथा विनियमन विनिमय दर का अधिक मूल्यांकन आदि जो आर्थिक सुधारों तथा संरचनात्मक समायोजनों के दौर से पहले प्रचलित था, कृषि में कम लाभ के लिए उत्तरदायी था। आर्थिक सुधार लागू किए जाने के पश्चात् अधिकांश नियंत्रण तथा विनियमन वापस ले लिए गये हैं।

(घ) 90 के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी सृजन 80 के दशक के दौरान इसी अवधि के मुकाबले सामान्यत: अधिक हैं। 1980-81 से कृषि में सकल पूंजी सृजन संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ङ) कृषि सहित अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें से कृषि के संदर्भ में प्रमुख उपाय हैं: देश में अनाज की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, कृषि उत्पादों जैसे चावल और गेहूं का निर्यात तथा न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाना आदि। इसके अलावा, कृषि में निवेश पर जोर पहले से किए गये निवेश को अनुकूलतम बनाने पर दिया गया है। कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ाने की रणनीति में योजना परिव्यय में वृद्धि एवं आधारभूत ढांचे के विकास के अनुपात में वृद्धि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिक दक्षतापूर्वक प्रयोग और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना शामिल है ताकि वे अपनी बचत का उपयोग और अधिक निवेश करने में कर सकें। मध्यम तथा छोटी सिंचाई और मृदा संरक्षण परियोजना को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में एक नयी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गयी है। चुनिन्दा बड़ी तथा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ऋण के माध्यम से राज्यों को सहायता देने हेतु एक त्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी सृजन—अखिल भारत

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर
1	2	3
1980-81	4636	4636
1981-82	5107	4503
1982-83	5734	4590
1983-84	5620	4101
1984-85	6475	4549
1985-86	7016	4325
1986-87	7045	4011
1987-88	8389	4414
1988-89	9063	4346
1989-90	10025	4353
1990-91	11592	4594
1991-92	13390	4729

1	2	3
1992-93	16614	5372
1993-94	17009	5038
1994-95	20737	5678
1995-96	24937	6301

*त्वरित अनुमान

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

3329. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की आधुनिकीकरण, विस्तार और इसके अधिकांश एककों में क्षमता उपयोग को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड को विदेशों में यूरिया संयंत्रों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) विजयपुर, जिला गूना, मध्य प्रदेश स्थित नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) की विजयपुर विस्तार परियोजना में 31.3.97 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हुआ। 7.26 लाख टन प्रतिवर्ष यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए 1067 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की स्थापना की गई थी जिससे एन.एफ.एल. के विजयपुर कम्पलैक्स की स्थापित क्षमता दुगुनी होकर 14.52 लाख टन प्रतिवर्ष यूरिया हो गई।

एन.एफ.एल. के नांगल एकक में मेथेनोल संयंत्र की क्षमता को 6.06 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 16,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 22,110 टन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। 9.8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पानीपत में 120 घन मी/घंटा की एक आर्गन रिकवरी इकाई लगाई जा रही है।

एन.एफ.एल., नांगल स्थित अपनी यूरिया संयंत्र की स्थापित क्षमता को 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3.30 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.78 लाख टन प्रतिवर्ष करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर चुकी है।

एन.एफ.एल., पानीपत की यूरिया क्षमता को 5.115 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12.375 लाख टन प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया है और 1998 में पुनर्विचार के लिए लाए जाने का प्रस्ताव है।

विदेश में यूरिया संयंत्र लगाने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय एन.एफ.एल. के विचाराधीन नहीं है।

ब्लैक वीड

3330. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री "ब्लैड वीड" के बारे में 18 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3771 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में "ब्लैक बीड" के उपद्रव की गम्भीर समस्या नहीं है। ब्लैक वीड का उपयोग वनीकरण में खाद के रूप में इस्तेमाल हेतु कम्पोस्ट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। सिक्किम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ब्लैक बीड का फैलाव इतना नहीं हुआ है कि इससे सिक्किम वनों को नुकसान पहुंचे। इसे ग्रामीणों द्वारा अदरक, आलू एवं अन्य सब्जियों की खेती के लिए हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग वन्य नर्सरी में हरी खाद के रूप में भी किया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

3331. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कैद में रखे गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें समीक्षा दल की सिफारिशों पर बाद में छोड़ दिया गया था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना

3332. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** दिनांक 10.12.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा तटवर्ती विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना और तटवर्ती विनियमन क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के उपबंधों में राज्यों द्वारा की गई रियायतों संबंधी मांगों पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो संबंधित निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी हां। निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न प्रतिबंधों के साथ पीने के उद्देश्यों के लिए भू-जल निकासी की अनुमति और बालू खुदाई की अनुमति के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को संशोधित किया गया है।

(2) पत्तन क्षेत्रों में जहाजों से खतरनाक पदार्थों को पत्तन में स्थानांतरित करने की अनुमति।

(3) हाई टाइड लाइन से 200 मीटर के भीतर विभिन्न प्रतिबंधों के साथ पीने और घरेलू कार्य उद्देश्यों के लिए भू-जल निकासी की अनुमति।

(4) तटीय विनियमन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में विभिन्न बचाव उपायों के साथ वर्तमान मत्स्य संसाधन यूनिटों के आधुनिकीकरण की अनुमति।

(5) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए औषधालयों, विद्यालयों, सड़कों और घाटों के निर्माण की अनुमति।

[हिन्दी]

भूकम्प पीड़ितों को राहत

3333. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राशन कार्डों, नगर निगम की रसीदों को जबलपुर भूकम्प पीड़ितों के सांकेतिक पहचान-पत्र के रूप में मान्यता दी गई है और उन हजारों लोगों को, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा पहचान-पत्र जारी किये गये हैं, 3000 रुपये तक की राहत राशि देने से इनकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को राहत राशि जारी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को शीघ्र ही आदेश जारी करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिकों तथा किरायेदारों से सहायता के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिये दस्तावेज संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

चिल्का झील में मत्स्य पालन का विकास

3334. **श्री रनजीब बिसवाल :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिल्का झील में मत्स्य पालन की अपार संभावना से अवगत है;

(ख) क्या सरकार का विचार मत्स्य पालन का विकास करने तथा इस झील से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे मछुवारों के हितों की रक्षा करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार चिल्का झील के विकास के लिए कुल 27 करोड़ रुपये की लागत वाली एक व्यापक योजना को भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा चिल्का झील के संरक्षण संबंधी चालू परियोजना में, जिसे वन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से चलाया जा रहा है, 150 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मात्स्यिकी विकास, प्रशिक्षण तथा चिल्का के मुहाने पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध शामिल है।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, दिल्ली को अनुदान

3335. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, दिल्ली को कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ट्रस्ट के खातों की लेखा परीक्षा कभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक अल्पसंख्यक संस्थानों को जारी की गई अनुदान राशि क्या है; और

(च) क्या ऐसे संस्थानों की लेखा-परीक्षा की गई, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अब तक कुल 30.01 करोड़ रुपए सहायता अनुदान प्रदान किए हैं- वर्ष 1992-93 में 5 करोड़ रुपए और 1994-95 के दौरान "मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान" योजना स्कीम के अंतर्गत 25.01 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) इस प्रतिष्ठान के नियमों एवं विनियमनों के अनुसार इस प्रतिष्ठान के लेखा-खातों का रखरखाव प्रतिष्ठान के शासी निकाय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप करना होता है और इनकी लेखापरीक्षा प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकारों के एक फर्म द्वारा नियमित/वार्षिक रूप से की जाती है।

(ङ) कल्याण मंत्रालय द्वारा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया 30.01 करोड़ रुपए का अनुदान इस प्रतिष्ठान की कारपस निधि के रूप में होगा जिसका अर्थ यह है कि जबकि मूलधन ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर होने वाले ब्याज का उपयोग इस प्रतिष्ठान द्वारा समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों-विशेषकर अल्पसंख्यकों तथा सामान्यत: अन्य कमजोर वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रतिष्ठान ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न शिक्षण तथा सामाजिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की है:-

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	प्रदान की गई कुल राशि
1994-95	01 (एक)	10.00 लाख
1995-96	09	102.70 लाख
1996-97	35	303.47 लाख
कुल	45	416.17 लाख

(च) इस प्रतिष्ठान द्वारा संस्थाओं को अनुदान मंजूर करने संबंधी एक विस्तृत कार्य विधि है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या संस्था विशेष के लेखों की लेखा परीक्षा की गई है और क्या पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध है।

कुछ फसलों को वायु प्रदूषण का खतरा

3336. लेफ्ट. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर कुछ फसलों के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है और इससे उनका उत्पादन 40 प्रतिशत तक घट सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किये गये अनुसंधान संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वायु प्रदूषण के प्रभाव पर किये गये अध्ययन से यह मालूम हुआ है कि गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चावल आदि जैसे कुछ फसलों की उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर भी, इन फसलों को प्रदूषण से किस हद तक नुकसान पहुंचता है इसका निश्चित आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. चिमनी से निकलने वाले धुओं और चिमनी की ऊंचाई के लिए ईंट के भट्टों के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है।

2. आसपास की वायु की क्वालिटी के मानकों को अधिसूचित किया गया है। आसपास के वायु क्वालिटी प्रबोधन केन्द्रों के एक नेटवर्क की भी स्थापना की गई है।

3. प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों के लिए निस्सारी और उत्सर्जन केन्द्रों को अधिसूचित किया गया है।

4. उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे दी गई निश्चित अवधि में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना करें। जो उद्योग इन निदेशों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

5. कारखानों को चलाने और उनके समय के संबंध में पर्यावरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए गए हैं।

6. प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक प्रदूषित 17 श्रेणियों के उद्योगों का पता लगाया गया है।

7. छोटे स्तर के उद्योग के लिए सामान्य निस्सारी उपचार संयंत्रों की एक योजना आरंभ की गई है।

8. उद्योगों के कार्य-समय के लिए क्षेत्रीय एटलस तैयार किया जा रहा है।

9. मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वाहनों से निकलने वाले धुओं के लिए अधिक सख्त मानदंड निर्धारित किए गए हैं और वे अप्रैल, 1996 से लागू कर दिए गए हैं।

10. 1.4.1995 से शीशा रहित पेट्रोल (अनलेडेड) को दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में उपयोग में लाया जा रहा है। इसे राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सभी राजधानियों तथा अन्य बड़े शहरों में 3.12.98 से लागू किया जाएगा तथा पूरे देश में इसे 1.4.2000 से लागू कर दिया जाएगा।

11. पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए ईंधन क्वालिटी के मानकों को अधिसूचित किया गया है।

12. पहचाने गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरण रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन आरंभ किए गए हैं।

गुजरात में तीसरा सीमा विंग

3337. डा. वल्लभ भाई कथीरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा राज्य में होम गार्ड्स का तीसरा सीमा विंग बनाने संबंधी भेजा गया प्रस्ताव वर्ष 1993 से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार वर्ष 1993 के पहले से भी केन्द्र सरकार के साथ बार्डर विंग होम गार्ड्स की एक अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत करने के लिए बातचीत करती आ रही है। राज्य सरकार को यह बता दिया गया था कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। दिसम्बर 1996 में प्रस्ताव पर विचार करने हेतु राज्य सरकार से एक अनुरोध पुनः प्राप्त हुआ था ताकि तस्करी विरोधी अभियानों और अन्य विध्वंसकारी गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुलिस की कमी को पूरा किया जा सके। चूंकि इस मामले में विभिन्न प्रशासनिक जटिलताएं हैं अतः इसे अन्तिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

अंडमान और निकोबार में भर्ती

3338. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवाओं में नियुक्ति 50 प्रतिशत फोडर संवर्ग से पदोन्नति हेतु योग्य वर्गों से की जाती है;

(ख) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित रूप से बैठक होती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तदर्थ अधिकारियों को नियमित किए जाने के संबंध में वर्ष 1990 में भेजा गया प्रस्ताव अभी तक मंत्रालय के पास लंबित है; और

(ङ) सरकार का पदोन्नति पूरक पदों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति कोटे से पदों को कब तक भरने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) वर्ष 1990 से 1993 तक के लिए दानी सिविल सेवा में इन्डक्शन के लिए 50% रिक्तियां इस समय उपलब्ध हैं। पात्र अधिकारियों की अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/सतर्कता क्लीयरेन्स के अभाव में इन रिक्तियों को भरना संभव नहीं हुआ। संबंधित संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

नदी घाटी परियोजनाएं

3339. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केचमेंट क्षेत्रों में अर्थात् अपर कोलाब तथा अपर इन्द्रिावती को नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों की सामाजिक संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत शोधन के लिए शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा इसकी क्या उपलब्धियां रही;

(ग) क्या इस योजना के लिए जो धन था उसके अन्यत्र उपयोग के मामले प्रकाश में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी हां। नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना में अपर कोलाब तथा अपर इन्द्रावती के स्रवण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इन स्रवण क्षेत्रों में पड़ने वाली पनधाराओं के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं, अतएव अब तक कोई केन्द्रीय धनराशि निर्मुक्त नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अपराह्न 12.03 बजे

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात ही कहने जा रहा हूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मद संख्या 20 पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित बिल को टेक-अप करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक को सूची में शामिल किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम मद संख्या 20 पर चर्चा करते हैं। किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, आप इसे बिना किसी मतदान के सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्रीमती लक्ष्मी पनबाका और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जरा इन्तजार कीजिए। कृपया इन्तजार कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कुछ कहने की इजाजत देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस मद पर चर्चा पहले की जानी चाहिए। इस विधेयक पर चर्चा कब होगी? ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमें मतदान का समय पता होना चाहिए। इस पर मतदान कब होगा? यह एक संविधान संशोधन विधेयक है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसे सूची में शामिल कर लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन-ऑवर शुरू होने से पहले मैंने कहा था।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस की यह परम्परा है कि चेयर-परसन अगर कुर्सी छोड़ दे तो सभी को बैठ जाना चाहिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री जी, क्या आप आज के एजेंडा आईटम नं. 20 के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों आश्वासनों के बावजूद वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण के लिए कहूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि महिला एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए। हमें अन्य दलों की बात सुनने दीजिए। ...*(व्यवधान)* चर्चा शुरू होने दीजिए। हमें दलों के विचार सुनने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मद संख्या 20 पर चर्चा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको सुनने को तैयार हूं। कृपया एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऐसे तो कोई भी किसी की बात नहीं सुनेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी की बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया चर्चा शुरू करें। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, चर्चा शुरू होने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को आश्वासन दें। ...*(व्यवधान)* हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया चर्चा आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाना चाहते हैं लेकिन यूनाइटिड फ्रंट में जो भी पार्टियां हैं ...*(व्यवधान)* वे चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो। ...*(व्यवधान)* ये सब पार्टियां महिला आरक्षण विधेयक को पास कराना नहीं चाहती। ...*(व्यवधान)* वे सिर्फ दिखावा कर रही हैं। ...*(व्यवधान)* यूनाइटिड फ्रंट के एक होते हुए भी सब लोग अलग-अलग आवाज में महिला आरक्षण विधेयक को ठुकरा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं आप सभी की बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप चर्चा आरम्भ कीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, इस बीच क्या हुआ है? ...*(व्यवधान)* दिनांक क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : न केवल दिनांक बल्कि समय भी। ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम दिनांक जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 1.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड, वड़ोदरा के वर्ष 1995-96 के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा इत्यादि।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड, वड़ोदरा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड, वड़ोदरा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2332/97]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन सोज़, श्री रमाकान्त डी. खलप।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक : महोदय, क्या अनुपस्थित सदस्यों ने आपको सूचित किया है? अगर मंत्री उपस्थित नहीं हैं-मंत्रिमंडल संयुक्त जिम्मेवारी के रूप में काम करता है-तो अन्य मंत्री उठकर यह कह सकता है कि वह पत्रों को सभापटल पर रख रहे हैं। यह मंत्रिमंडल क्या है? यह सरकार क्या कर रही है? दो मंत्री अनुपस्थित हैं और कोई भी इस सभा और पीठासीन अधिकारी के प्रति शिष्टाचार नहीं दिखाता कि ये सूचना दे दे कि वे उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस तरीके से पत्र सभा पटल पर कैसे रखे जाएंगे? मंत्रियों को समझाना होगा कि वे सभा की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : यह सरकार गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें कुछ कहने दें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : ये ओ.बी.सी. की रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसके बारे में लीडर्स ऑफ दी हाउस कुछ कहना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, सोज आ गए हैं। वे पत्रों को सभा पटल पर रखें।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2333/97]

(3) (एक) सलीम अली पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र, कोयम्बटूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र, कोयम्बटूर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2334/97]

(5) (एक) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2335/97]

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, सर्वप्रथम उन्हें सभा से क्षमायाचना मांगनी चाहिए। सभा को ऐसे सहज ढंग से नहीं लिया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* नहीं, हमको बता दें कि वे क्या कह रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मुझे खेद है कि जब मेरा नाम पुकारा गया था तब मैं उपस्थित नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमाकांत खलप।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : वे ऐसे नहीं बोल सकते। सदन में ऐसा नहीं कि कोई भी खड़े होकर बोल दें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अभी राम नाईक जी कह रहे थे कि कोई कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी से बोल दे। हमने इसलिए नहीं बोला चूंकि आपको इन्फोर्म नहीं किया हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप अपनी बात मत करिये। कैबिनेट के बाकी के मिनिस्टरों से बात करिये न, सोज साहब ने कहा कि खेद प्रकट करते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, क्या रमाकांत खलप ने आपको सूचित किया है?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री राम नाईक : तब, श्री जेना, श्री रमाकांत खलप की ओर से पत्र सभा पटल पर कैसे रख सकते हैं? जब तक वह लिखित में इसकी सूचना न दें। वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन्हें अनुमति लेनी होगी, केवल इन्फोर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आज 12 बजे से जो हाउस में चला है, हमारे माननीय मंत्री नहीं हैं। मैं उनके बदले में खेद प्रकट करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पार्लियामेंटरी मिनिस्टर यहां हैं। जो मंत्री यहां नहीं हैं, उनके बदले में उन्हें पेपर्स ले करने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सदन में इस तरह से नहीं किया जा सकता। किसी के बिहाफ पर आप कैसे पेपर्स ले कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, श्री रमाकान्त डी. खलप की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) के बारे में विधि आयोग के एक सौ पचपनवें प्रतिवेदन, जुलाई, 1997 की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 2336/97]

सिक्किम लाइवस्टॉक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गंगटोक के वर्ष 1988-89 से 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्किम लाइवस्टॉक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गंगटोक के वर्ष 1988-89 से 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्किम लाइवस्टॉक प्रोसेसिंग एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गंगटोक का वर्ष 1988-89 से 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2337/97]

अपराह्न 1.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—*सभा पटल पर रखा गया।*

महासचिव : महोदय, राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की मुझे सूचना देनी है:-

> ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 1997 को हुई अपनी बैठक में पारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं 11 अगस्त, 1997 को राज्य सभा द्वारा यथापारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.07½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का ''सरकारी उपक्रमों में रुग्णता'' पर ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 1.07¾ बजे

याचिका समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : महोदय, मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.08 बजे

संविधान (इक्यासीवां संशोधन), विधेयक के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मुद्दे उठाये जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, महिला आरक्षण विधेयक पर कब चर्चा की जाएगी? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को चर्चा के लिए लिया जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिये, मैं सब को चांस दूंगा। एक-एक करके बोलिये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : यह सरकार सदन के साथ मखौल कर रही है। 11 और 12 तारीख को जो समिति कि रिपोर्ट है, उसमें 11 तारीख को यह बिल आयेगा। ...*(व्यवधान)* और इसके बाद इसको पारित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, मैंने कहा है कि मैं सब को चांस दूंगा। आप एक-एक करके बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। अगर बिल कन्सीडरेशन के लिए नहीं आ सका तो इस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। पिछले सैशन में भी यह बिल आया है। ...*(व्यवधान)*

अपसह्न 1.09 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, यह इस बिल की दुर्गति हो रही है। इस बिल की दुर्गति होते हुए हम कैसे देख सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनें। मैं आपको भी मौका दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। अभी श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बोल रहा हूं जिसके बारे में सदस्यों के अलग-अलग विचार हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम चर्चा शुरू की जाए। मेरा कहना यह नहीं है कि इसे समाप्त कर दिया जाए अथवा इसके लिए कोई समय आबंटित न किया जाए। प्रत्येक माननीय सदस्य को आपकी अनुमति से चर्चा में भाग लेने दिया जाए। अन्य पिछड़ी जातियों या अल्पसंख्यकों को शामिल करने के संबंध में जो कोई भी अपने विचार प्रकट करना चाहता है उसे इसके लिए अवसर देना चाहिए। मुझे यह बताया गया था कि माननीय रेल मंत्री के उत्तर के बाद वित्त मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर एक से डेढ़ तक चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे को आज ही लिया जाए ताकि इस पर चर्चा आज ही शुरू की जा सके। *(व्यवधान)* महोदय, अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल करने के संबंध में वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद का कार्य ही इन मुद्दों पर चर्चा करना है। हम चर्चा और विचार-विमर्श द्वारा इस पर निर्णय लेना चाहते हैं।

महोदय, सरकार वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध हैं और आप भी वचनबद्ध हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने भी विचार व्यक्त करते हुए इस मामले को चर्चा के लिए उठाए जाने को कहा है जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : इस सवाल पर सारे सदन को विभाजित कर दिया है। इस सवाल पर सारा सदन जब तक एकमत नहीं होता, तब तक सदन की भावना को समझा नहीं जा सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम श्री संतोष मोहन देव की बात सुनें। कृपया शांत रहें। मैं इस पर शीघ्र निर्णय लेने नहीं जा रहा हूं। हम इस पर सभा की राय जानें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ का समारोह मना रहे हैं तब भी हम संसदीय लोकतंत्र का मज़ाक उड़ा रहे हैं। यह विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है। सरकार ने इसे आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया है। कल नेताओं की बैठक में, मैंने अपने दल की ओर से इस पर पूरा सहयोग का वायदा किया था। साथ ही, हम चाहते थे कि संयुक्त मोर्चा सरकार इस सभा में इस विधेयक पर एकजुट रहे। लेकिन इस सत्ता दल की स्थिति आप देख सकते हैं। उनके आपस में ही मतभेद हैं। मेरे दल की ओर से महिला सदस्य चर्चा में कैसे भाग लेंगी? आप विधेयक कैसे पारित करेंगे? *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय कम्युनिट पार्टी (मार्क्सवादी) इस मुद्दे पर काफी खुलकर अपने विचार रख रही है। जिस व्यक्ति को वे भावी प्रधान मंत्री के रूप में सामने ला रहे हैं और जो मंत्रीमंडल में भी हैं, ने बैठक में इसका विरोध किया। क्या वे इस व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं? यह दोहरी सोच है। अत: इस पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें कुछ और नहीं कहना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खेद है कि श्री संतोष मोहन देव आज की स्थिति का फायदा उठाकर उन बातों का उल्लेख कर रहे

हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल जो कि संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता हैं और जिन्हें हम अपना समर्थन दे रहे हैं वह भी अन्य व्यक्तियों की भांति इसका समर्थन कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र, जिनका दल बाहर से समर्थन दे रहा है, हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसे समर्थन देना चाहिए और किसे नहीं। मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। प्रश्न यह है: विधेयक के प्रति आपकी वचनबद्धता क्या है? सभा को इसका निर्णय करने दें। इस पर स्वतंत्र रूप से मतदान होने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर मतदान होने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमारुल इस्लाम (गुलबर्गा) : पचास साल में ...*(व्यवधान)* शर्म की बात है। ...*(व्यवधान)* मुसलमानों को वोट-बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ...*(व्यवधान)* वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं यहां माननीय संतोष मोहन देव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिजनेस एजवाइजरी कमेटी, लीडर्स मीटिंग है, इसकी बाबत यहां बैठकर चर्चा करना कभी रिवाज नहीं था। एक बात यह भी है और आप जानते हैं ...*(व्यवधान)* देश में सरकार है। लोग अलग-अलग पार्टी के हैं, वे मिनिस्टर भी हैं और लीडर भी हैं लेकिन वहां की बात को यहां चर्चा में लाना मैं वाजिब नहीं मानता। ...*(व्यवधान)* यह ठीक बात नहीं है। संतोष मोहन देव जी, आपके बीच में मेम्बर क्या कह रहे हैं? बाहर बैठकर क्या कह रहे हैं? मैं उनका नाम लेकर बोलूं तो यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : पिछली बार उन्होंने क्या कहा था? उन्हें अपना मत व्यक्त करने दें। हर कोई हमें परामर्श दे जा रहा है। पिछले सत्र के दौरान आपने कहा था ...*(व्यवधान)* हमें सलाह मत दीजिए। आप अपनी राय बताएं। आपका मत क्या है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : संतोष मोहन देव जी, मगर आप जो बोल रहे हैं, यह वाजिब बात नहीं है। आपके सदस्य बाहर क्या कहते हैं और अंदर क्या कहते हैं, डबल बात मत कहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आप बोलिए, आप अपना ओपिनियन बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस तरह आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : कल नेताओं की बैठक में हमने इस विषय पर विचार किया था। महिला आरक्षण विधेयक सदन में पहले पेश किया गया था फिर हमने उस विधेयक पर विचार भी किया था। पहले भी, सदन ने इस पर विचार किया था। परन्तु यहां जो मैं देख रहा हूं कि कल हमने इस पर एक निर्णय लिया था, लेकिन आज पुनः विधेयक की विषय-वस्तु पर सदन में विचार किया जा रहा है और शेष अन्य सभी विधेयक जिन पर विचार किया जाना निश्चित किया गया था फिर भी वे महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक पर ही चर्चा करने पर जोर दे रहे हैं। जैसे इस विधेयक के पास न होने से सारे देश का कार्य ठप्प पड़ जायेगा। यह गलत है। जब हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए।

यह सही है कि कल श्री मुलायम सिंह यादव और श्री सोमनाथ चटर्जी भी उपस्थित थे। दोनों ने अपना-अपना मत व्यक्त किया। हमने अपने विचार प्रकट किए। ...*(व्यवधान)* तत्पश्चात् हमने कुछ निर्णय लिए। मैंने जो देखा है और मेरी यह शिकायत भी है कि जब भी श्री सोमनाथ चटर्जी खड़े होते हैं, हर बार उन्हें बोलने का मौका अवश्य दिया जाता है। संसद का सर्वाधिक समय उन्हें दिया जाता है। उनकी तरह हमें बोलने का समय नहीं दिया जाता। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि संसद की मर्यादा इस तरह भंग की जाए। हम कुछ कहना चाहते हैं। यदि सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने और इस पर विचार करने का निर्णय लिया है तो उन्हें संगठित हो जाना चाहिए। इस दल का नाम संयुक्त मोर्चा है। पहले उन्हें एकजुट होने दें फिर संसद में हम विचार कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विषय पर ध्यान देने के बजाय रिकार्ड ठीक करने में अधिक समय लगाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी विचार-विमर्श का हवाला नहीं दिया।

श्री जसवंत सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। मेरे वरिष्ठ मित्र बोलपुर के संसद सदस्य मुझे बीच-बीच में टोक रहे हैं। सच तो यह है कि सदन को इतने वरिष्ठ सदस्य द्वारा टोका जाना एक हर्ष का विषय है। यह हमेशा ही खुशी का मौका होता है।

महोदय मुझे लगता है कि मामला बहुत ही सीधा-सादा है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण की बात पार्टी के बैंगलोर अधिवेशन में ही स्वीकार कर ली थी, इससे पहले कि यह मामला सार्वजनिक रुचि का केन्द्र बना। तदुपरांत यह हमारे मैनिफैस्टो का हिस्सा भी बन गया। हम उन लोगों में अग्रणी थे जो महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में आगे आए। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के हिमायती हैं। हम इसका समर्थन करेंगे। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : उसमें बैकवर्ड को भी जोड़ो। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : यह आपका विचार है उसमें बैकवर्ड जुड़ें, माइनोरिटीज जुड़ें, यह हमारा विचार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : यह माननीय सदस्यों का विचार है। जिस माननीय सदस्य ने कहा, जब मैं अपनी बात कह रहा था तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया। उसी से हमारा एक सुझाव उठा था, जो कल भी मैंने आपसे उस मीटिंग में अर्ज किया था, साधारणतया मैं उस मीटिंग में उल्लेख नहीं करता। शरद जी ने ठीक कहा, हमने उल्लेख किया था कि जो अपने आपको संयुक्त मोर्चा कहें वे संयुक्त रूप से एक बिल ले आएं, क्योंकि किसी भी बिल को सदन में लाना, उसको पास कराना सरकार का फर्ज होता है। यह सरकार अपने आपको संयुक्त मोर्चा कहती है लेकिन ये संयुक्त तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि इनका मोर्चा महिलाओं के खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. के.पी. रामलिंगम (तिरूचेंगोडे) : अन्य पिछड़े वर्ग को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अभी सदन में सोमनाथ चटर्जी साहब, संतोष मोहन देव जी और जसवन्त सिंह साहब ने कुछ बातें कही हैं। हम जिस पार्टी से आते हैं, यह सदन की जो मंशा है महिलाओं की रिपोर्ट को सदन में पेश करने की जो बातें चल रही हैं उसके विरोध में एक भी व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं, हमारे जो साथी उधर बैठे हुए हैं हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम उनके पक्षधर हैं। लेकिन यह जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, ओबीसी का हो या माइनोरिटीज़ का सवाल हो, आज जो महिलाओं पर इतनी चिन्ता जाहिर की जा रही है तो 50 साल में कौन सी पार्टी ने अपने दल में आरक्षित की? हम 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 17 प्रतिशत या 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे और उसमें बैकवर्ड, ओबीसी के कितने होंगे, माइनोरिटीज़ को हम कितने देंगे। माइनोरिटीज़ की महिलाएं लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, यह कांग्रेस या उधर बैठे हुए जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, हम उसके बिलकुल पक्षधर हैं। आप एक तरफ जनरल भी महिलाओं को किए हुए हैं कि जनरल चुनाव भी महिलाएं लड़ेंगी और दूसरी तरफ आप 33 प्रतिशत को भी आरक्षित करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि संयुक्त मोर्चा का जब तक आपस में कोई समझौता नहीं होता तब तक इस पर चर्चा करना बेकार है ...*(व्यवधान)* और संतोष मोहन देव साहब ने जो कहा तो आपके आधे और तीन हिस्से बी.जे.पी. के सांसद इसके विरोध में हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अगर बी.जे.पी. या अन्य कोई पार्टी व्हिप जारी न करे तो वोटिंग करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम चाहते हैं कि पार्टियां खुद महिलाओं के लिए आरक्षण करें और यह तय करें कि हम इतनी महिलाओं को सीट देंगे। चुनाव आयोग न करे। चुनाव आयोग में चला जाएगा तो यहां बैठे लोगों की तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। ...*(व्यवधान)* सभी पार्टियों को निश्चित करना चाहिए कि 10 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए करेंगे या 15 प्रतिशत आरक्षण करेंगे लेकिन बिना ओ.बी.सीज या माइनोरिटीज के यह बिल पास नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप हमें अपनी बात भी नहीं कहने देंगे और नियम 377 के अधीन मामले ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी तो बात नहीं हो रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप हमें अपनी बात तो कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : जब तक सरकार इसके बारे में विचार नहीं करेगी, इस पर बात करके कोई फायदा नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप सरकार से पूछें।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

क्या आप कुछ कहना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसका पता कैसे चलेगा। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस वाला बोला, सी.पी.एम. वाला बोला। सरकार डिवाइडिड है, हाउस डिवाइडिड नहीं है। ...*(व्यवधान)* संतोष मोहन देव जी ने, सोमनाथ जी ने, गीता मुखर्जी ने बताया। सरकार डिवाइडिड है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब सदन इस मुद्दे पर एकमत नहीं है तो सरकार को ही इस पर अपना विचार व्यक्त करने दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, सरकार इस पर कुछ अपनी राय व्यक्त करे इससे पहले हमारी बात सुनी जाए। सरकार पहले हमारी बात सुने ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप हमें अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं और नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कांग्रेस को मुसलमानों से मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह बहुत बड़ी साजिश है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : देखिये, गीता जी बोलना चाह रही हैं। एक भी महिला इस पर बोली नहीं है। आप हमें अपनी बात कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार सदन का ही हिस्सा है। सरकार एकमत नहीं है इसलिए मेरा यह कहना है कि सदन एकमत नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमारा एतराज इस पर है कि यह लास्ट में क्यों लिस्टिड हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सदन के प्रत्येक सदस्य के विचार को समझता हूं। यह केवल यहां कहने की बातें नहीं हैं। इस समय तो मुख्य बात यह है कि हमारे पास उस कार्य की एक सूची बनी हुई है, जिसे संसद में पूरा किया जाना है। ये है नियम 377 के अन्तर्गत मामले, अनुपूरक मांगें और उसके बाद इस विधेयक की बारी आयेगी। अब प्रश्न यह है कि अन्य कार्यों को पूरा करने से पहले क्या इस विधेयक पर विचार किया जाए? यही प्रश्न उठाया गया है। अब जब सभी सर्वसम्मत नहीं हैं तो, मैं इस मामले को विचारार्थ नहीं ले सकता।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरी आपत्ति भी बिल्कुल यही है। इस मद को कार्य-सूची में सबसे अन्त में क्यों रखा गया है? यही मैं भी पूछना चाहती हूं।

[हिन्दी]

मैं इसी पर बोलना चाह रही हूं, आप मुझे दो मिनट दीजिए। यह जानबूझकर लिस्ट आफ बिजनेस की अन्तिम आइटम में रखा गया है? ...*(व्यवधान)* हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* इसे आइटम नम्बर बीस पर क्यों रखा गया है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आप सदन का मत जानिए और वह यह है कि क्या मद संख्या बीस को आज के कार्य-सूची में विचार के लिए पहले लिया जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

श्री चित्त बसु : कृपया लोक सभा की प्रक्रिया और संचालन का नियम संख्या पच्चीस पढ़िए। यह सरकारी कार्य के प्रबंधन से सम्बन्धित है। इसके एक प्रावधान के अनुसार:–

> "परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया

[श्री चित्त बसु]

जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है।"

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, आप सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आपको हमारी बात सुननी होगी ...*(व्यवधान)* आपको सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)* आप संतुष्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, अरेंजमेंट को चेंज करना आपके हाथ में है ...*(व्यवधान)* हमें अपनी बात कहने दीजिए। हमें इस बात पर एतराज है कि इसे आइटम नम्बर बीस पर क्यों रखा गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अन्य कार्य समाप्त क्यों नहीं करने दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम पहले पहले वाला काम पूरा कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, केवल सत्र का एक दिन बचा है। इस बीच बिजनेस पूरा नहीं हो पाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, यह निरर्थक है। मैंने सदन के मंतव्य को समझ लिया है। बाकी के काम जल्दी-जल्दी निपटा लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन में व्यवस्था स्थापित हो।

अपराह्न 1.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) घाटमपुर, उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र घाटमपुर, जिला कानपुर (उ.प्र.) में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक, ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन उनके रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था केन्द्र सरकार ने अभी तक नहीं की है जिस के कारण ये सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर मेरे क्षेत्र में उपेक्षित पड़े हैं। ये पुरातात्विक, ऐतिहासिक धरोहर पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को इनके रख-रखाव हेतु प्राथमिकता के आधार पर धन का आवंटन करना चाहिए ताकि यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सके।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह घाटमपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुरातात्विक, ऐतिहासिक धरोहर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाए और इन धरोहरों के रखरखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में धन का आवंटन करे।

(दो) सांभर साल्ट लेक को राजस्थान राज्य सरकार के सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, साम्भर जो कि देश में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो पूर्व जयपुर व जोधपुर राज्यों की सांझी सम्पत्ति थी, बहुत लम्बे समय से नमक के उत्पादन का मुख्य स्रोत रही है। ब्रिटिश सरकार को किराये एवं रायल्टी के भुगतान पर पट्टे पर दी गई थी। 1950 में राजस्थान की स्थापना के पश्चात् एक अनुबन्ध के आधार पर इसे केन्द्रीय सरकार को दस वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर नए पट्टे की शर्तों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार पारस्परिक स्वीकार्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके। साम्भर नमक क्षेत्र में उत्पादन कार्य हेतु केन्द्र सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड नामक कम्पनी की स्थापना की। इस कम्पनी का कार्य संतोषप्रद नहीं है। हर वर्ष निरन्तर नमक का उत्पादन गिर रहा है। परिणामत: न केवल राज्य को राजस्व की हानि हुई अपितु राज्य के लोग नमक आधारित उद्योगों के विकास एवं सक्रिय रोजगार के अवसरों से भी वंचित हुए हैं। नमक के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जबकि अन्य नमक व्यवसाय जैसे डींडवाना व पचपदा नमक व्यवसाय हर

वर्ष लाभ प्रदर्शित कर रहा है और दोनों उद्योग हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

मैसर्स साम्भर साल्ट लिमिटेड निजी फर्म के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी प्रधान मंत्री से साम्भर नमक क्षेत्र को राज्य सरकार को वापस सौंपने के लिए प्रयत्नशील हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि साम्भर साल्ट के कार्य को अविलम्ब राज्य सरकार को सौंप दिया जाए जिससे राजस्व बढ़ सके।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में पेयजल मुहैया कराने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लोर) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों के रिहायशी इलाकों में जहां खारे पानी की समस्या है, पेयजल परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार ने 599.79 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं भेजी हैं। उनमें से चार प्रकाशम जिले में, दो कृष्णा जिले में और एक-एक महबूबनगर और कुडप्पा जिले में हैं। पुन: राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास चित्तूर जिले के 342 रिहायशी इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे हैं। इसके अतिरिक्त, नेल्लोर जिले के सुल्लुर क्षेत्र में स्वर्णमुखी और कलिंगा नदियों से खारे जल से प्रभावित 178 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 22 करोड़ रुपये लागत की परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया। राज्य सरकार परियोजना के अन्तर्गत मानदण्डों के अनुसार 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करना है। ये सभी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। कुडप्पा जिले में 2586 रिहायशी इलाके, चित्तूर जिले में 342 इलाके और नेल्लोर जिले के सुल्लुरपेट क्षेत्र में खारे पानी से प्रभावित 178 इलाके लम्बे अरसे से पेयजल से वंचित हैं।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित करें और उनके कार्यान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराई जाये।

(चार) असम में संकोष और गंगाधर नदी थालों को सूखने से बचाने के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता

विजय हाण्डिक (जोरहाट) : यह चिंता का विषय है कि भूटान में प्रस्ताविक संकोष नदी बहुउद्देश्यी परियोजना के कारण असम में संकोष तथा गंगाधर नदी थालों (बेसिन) के सम्पूर्ण क्षेत्र के सूखने का खतरा उत्पन्न हो गया है। और भारत-बंगलादेश संधि के अंतर्गत आवश्यक जलापूर्ति के कारण संकोष नदी से फरक्का को प्रस्तावित 13000 क्यूसेक पानी बंगलादेश को दिये जाने के कारण स्थिति और भी जटिल होने जा रही है। इस नदी के भूटान में स्थित छोर से तीस्ता बांध तक 143 कि.मी. लम्बी नहर खोदी जायेगी। नि:संदेह बंगलादेश के साथ संधि और भूटान के साथ समर्थित निश्चित रूप से जनता के समर्थन को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह संधि बिना सोचे-समझे और अविवेकपूर्ण तरीके से की गई है। संकोष नदी से फरक्का को जलापूर्ति के इस पुराने प्रस्ताव का विशेषज्ञों द्वारा गत पन्द्रह वर्षों से विरोध किया जाता रहा है तथा भारत तथा भूटान के बीच मार्च 1996 में हुए संकोष पनबिजली परियोजना संबंधी समझौते पर भी 80 के दशक के शुरूआती वर्षों से विचार चल रहा है। सरकार ने 25 अगस्त 1983 को आश्वासन दिया कि संकोष और मानस नदी पर प्रस्तावित बांध के कारण इस क्षेत्र के पर्यावरण, और विशेषकर वन और वन्य जीव-जन्तुओं को जो खतरा उत्पन्न होगा उसकी जांच की जाएगी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

प्रस्तावित परियोजना न केवल असम में स्थित मानस नेशनल पार्क के लिए पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी होगी बल्कि पश्चिम बंगाल में जलदापारा अभ्यारण्य, गयूमारा नेशनल पार्क तथा जलपाईगुड़ी जिले में कई वन क्षेत्रों के लिए भी विनाशकारी होगी। यह परियोजना असम के हुबरी तथा कोकराझार, जिलों में कई क्षेत्र को तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी कूच बिहार और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों को बंजर भूमि में बदल कर कृषि के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।

मैं केन्द्रीय सरकार से इन दोनों प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 1.40 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(पांच) औरंगाबाद जिले के औद्योगिक विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का औरंगाबाद जिला पिछड़े राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है। जिले में व्याप्त बेरोज़गारी एवं भुखमरी की शिकार जनता, जिला से अन्यत्र पलायन कर रही है।

[श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह]

औरंगाबाद में एक भी उद्योग नहीं है। रोज़गार का अन्य कोई स्रोत नहीं है तथा विकास की गति तो बढ़ने के बजाय घट ही रही है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय घट रही है।

औरंगाबाद में औद्योगिक ग्रोथ सेंटर स्कीम के तहत भूमि का अधिग्रहण कर घेराबंदी किया गया है, लेकिन घेराबंदी के बाद उस सेन्टर में आज तक एक भी उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि औरंगाबाद विकास केन्द्र को धन एवं सहयोग उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि आबंटित करे ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग यथाशीघ्र लगाये जा सकें।

(छ:) देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड़) : उपाध्यक्ष, महोदय मैं, केन्द्र सरकार विशेषकर उद्योग मंत्री जी का ध्यान खादी और ग्रामोद्योगों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करता हूं। गत वर्ष, सरकार ने छूट 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दी और सरकारी खरीद पूर्णरूप से बन्द कर दी और पोलिस्टर पर छूट पूर्णरूप से समाप्त कर दी। इससे खादी बिक्री पर भयंकर प्रभाव पड़ा जिससे 50 करोड़ रुपये की हानि हुई परिणामत: 80,000 कारीगरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। खादी संस्थान बिना हानि लाभ के आधार पर कार्य करते हैं। चूंकि वे गांधीजी के दर्शन पर विश्वास करते हैं, इसलिए लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाती है। खादी का उत्पादन और उसकी बिक्री आवश्यक है।

देश की स्वतंत्रता की इस स्वर्ण जयंती वर्ष में खादी ग्रामोद्योग तथा लाखों कामगार मुख्यत: महिलाएं बेरोजगार हो रही हैं और उन्हें कम वेतन मिलता है। केवल सरकारी सहायता ही ग्रामोद्योगों को बर्बादी से बचा सकता है। सरकार लाखों ग्रामीणों विशेषरूप से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इन ग्रामोद्योगों की क्षमताओं पर ध्यान दे।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रामोद्योगों की निम्नलिखित मांगों पर विचार करे:

(1) 1995 के पहले जैसी छूट देना;

(2) दस प्रतिशत की सामान्य छूट के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाये;

(3) पिछली छूट का बकाया तत्काल दिया जाये;

(4) सरकारी खरीद छूट जारी रहे;

(5) विपणन संस्थानों के लेखा-परीक्षा पूर्व की छूट दावों को समाप्त करने की शर्त को समाप्त करना;

(6) खादी संस्थानों को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाना;

(7) ग्रामोद्योगों से ली जाने वाली ब्याज दर नाबार्ड द्वारा अन्य क्षेत्र से ली जाने वाली ब्याज दर समान हो।

(सात) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु संबंधी मामले की और आगे जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत कहना चाहता हूं। 18 अगस्त, 1945 से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने के बारे में देश की जनता को कोई अन्तिम उत्तर नहीं मिला है। भारत एक प्रजातान्त्रिक गणतंत्र है और लोगों को नेताजी के स्तर के राष्ट्रीय नायक के संबंध में सब कुछ जानने का नैसर्गिक अधिकार है।

सरकार का यह नवीनतम दृष्टिकोण 28 अगस्त, 1978 को पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई द्वारा लोक सभा में इस विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए उद्घृत किया गया। यह इस प्रकार है:

"नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, शहनवाज समिति और खोसला आयोग की इस रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना है। उस समय से इन दोनों रिपोर्टों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और अभिलेखों के साक्ष्यों के आधार पर विरोधाभास हैं। कुछ तत्कालीन सरकारी दस्तावेज भी उपलब्ध हुए हैं। तत्कालीन कुछ सरकारी अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। उन संदेहों और विरोधाभासों और उन अभिलेखों के मद्देनजर सरकार इसे स्वीकार करने में हिचक रही है और आगे जांच कराये जाने की गुंजाइश है।"

इस वक्तव्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि उसने शहनवाज समिति और खोसला आयोग की रिपोर्टों को निर्णायक तथा अन्तिम नहीं माना है, इसमें आगे जांच करने की गुंजाइश बनती है।

मरणोपरान्त 'भारत रत्न' दिये जाने के मामले पर हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में कहा कि "सरकार के पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि 18 अगस्त, 1945 को ताईवान में हुई विमान दुर्घटना में नेताजी जिंदा बच गये या मर गये।

इससे आगे जांच करने की गुंजाइश बनती है।

परिस्थितियों के वशीभूत मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 अगस्त, 1997 को की गई टिप्पणियों के मद्देनजर सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें इस मामले से संबंधित उसके विचारों का समावेश हो।

(आठ) उड़ीसा राज्य सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर उड़ीसा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्यों में से एक है। पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर के प्रसिद्ध सुनहरे त्रिकोण के अतिरिक्त राज्य में अन्य अनेक ऐसे स्थल हैं जिनका विकास किए जाने पर भारत के पर्यटक मानचित्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान बनने की अत्यधिक संभावना है। हीराकुंड बांध, सिमलीपाल नेशनल पार्क, देवगढ़ का पधानमठ, झाड़सुगुड़ा जिले में विक्रम होल, हूमा का लिनिंग टैम्पल, ढेकानाल जिले में कुयालो का प्राचीन शिव मंदिर, गन्धमार्दन पर्वत पर टिकरपाड़ा, नृसिंह मठ तथा हरिशंकर जैसे अनेक आकर्षक स्थलों में से कुछ स्थल ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार द्वारा विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री से इस संबंध में जांच करने तथा उड़ीसा के राज्य सरकार को शीघ्र ही पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 10, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा करेंगे।

अपराह्न 1.48 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) – *जारी*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों में भाग लिया और काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि रेलवे का जो हमारा बजट है और अनुपूरक मांग है, वह इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसमें जब-जब भी डिस्कशंस होते हैं हर माननीय सदस्य उसमें भाग लेते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र के सबंध में और रेलवे में सुधार के संबंध में वे महत्वपूर्ण सुझाव दें और अपेक्षा भी करते हैं कि रेल मंत्री उन सुझावों पर न सिर्फ गौर करें बल्कि उन बातों को अधिक से अधिक मानने का भी काम करें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि चूंकि अपनी भी एक इच्छा रहती है कि कम से कम रेल मंत्री के रूप में जितनी कुछ सेवा कर सकें तो उससे जहां आपका भी काम होता है, वहां हम लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान और नाम होता है कि अमुक रेल मंत्री के समय में यह काम हुआ और हम लोग स्वयं भी उसमें प्रयत्नशील रहते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे बलबूते के बाहर हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी एक लाचारी आ जाती है और हम भी लाचार हो जाते हैं और जैसा कि माषनीय सदस्यों ने कहा और आप देखेंगे कि इसमें पूरे 39 आइटम्स हैं और सप्लीमेंटरी बजट में जब कि एक लिमिटेशन होती है, उसमें बहुत ही लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे पास सब स्टेट्स की सूची है और जो माननीय सदस्यों ने पिछली बार रखा था, जहां-जहां हमने एश्योरैंस दिया था कि अमुक काम हम करेंगे विचार करेंगे, आज मुझे यह कहते हुए खुशी है और संतोष है, मेरे पास सभी स्टेट्स की जानकारी है, जहां-जहां हमने एश्योरैंस दी थी, हमने उन एश्योरैंसेज को देखा है और उनमें से अधिकांश को पूरा करने का काम किया है।

आन्ध्र प्रदेश के संबंध में पिछले बजट भाषण में मैंने कहा था कि विजयवाड़ा स्टेशन यार्ड की री-मौडलिंग करेंगे, उसे हमने बजट में जोड़ दिया है। धर्मावरम-पकाला लाइन के सर्वे कराने और आगे की कार्यवाही करने की बात कही थी, हमने उसे भी इसमें जोड़ दिया। रायचूर-मचेरला-नालगोंडा के संबंध में कहा था, उसे भी हमने जोड़ दिया। उपाध्यक्ष जी, मैं आज सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन जिन-जिन राज्यों के संबंध में मैंने एश्योरैंस दिया था, उनमें से अधिकांश को हमने पूरा करने का काम किया है।

जब मैं पहली बार रेल मंत्री बना और यहां पहला रेल बजट पेश कर रहा था, मैंने देखा कि उस समय माननीय सदस्यों में काफी असंतोष था लेकिन वह असंतोष अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस समय हमारे ऊपर इतना लोड था ...*(व्यवधान)* असंतोष तो हमेशा रहेगा क्योंकि जब रेलवे लाइन नहीं आई थी, लोग चाहते थे कि रेलवे लाइन आ जाए। उन दिनों छोटी रेलवे लाइन बनती थीं और जहां बन जाती थी, लोग उसे बहुत बड़ी बात मानते थे। जब नैरोगेज के बाद मीटरगेज आई तो लोगों की भूख जागी और सबको लगा कि नैरोगेज खत्म करके मीटरगेज लाइन हो जाए। जब मीटरगेज बन गई तो लोगों को लगने लगा कि मीटरगेज भी कोई रेलवे लाइन

[श्री राम विलास पासवान]

है, उसका गेज-कन्वर्जन होना चाहिए। अब जबकि गेज-कन्वर्जन हो रहा है तो हमारे केरल के साथी डबलिंग की मांग कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और डिमांड भी बढ़ती जाती है लेकिन मैं कह रहा था कि जहां आवश्यकताएं हैं, राज्यों की जो प्रमुख मांग थीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमने उन सभी मांगों को पूरा कर दिया है लेकिन उनमें से अधिकांश मांगें पूरी हो गई हैं।

यदि आप चाहेंगे तो मैं सभी स्टेट्स की जानकारी दे सकता हूं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। मेरे पास सभी स्टेट्स की जानकारी है।

जहां तक असम और नोर्थ-ईस्ट का सवाल है, उसके संबंध में हमने जितनी घोषणाएं की थीं, 1997-98 के बजट में कटघल से बैरवी तक आमान-परिवर्तन और बैरवी से शैरोन तक नई रेलवे लाइन बिछाने की बात कही थी, उसे भी हमने इन मांगों में जोड़ने का काम किया है। मैं समझता हूं कि नोर्थ-ईस्ट के राज्यों में अधिकांश रेलवे लाइनें मंजूर हो गई हैं और उन पर काम चल रहा है।

अभी हमारे साथी बिहार के संबंध में बात कर रहे थे। बिहार के संबंध में हमने आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)* यदि आप कुछ काम की बातें करना चाहते हैं तो काम की बातें करने दीजिए अन्यथा हम जनरल भाषण देकर, दो मिनट में तालियां बजवाकर बैठ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि सभी चीजें ढंग से की जाएं तो आप पेशैंस रखिए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : क्वीलोन-विरुद्धनगर रेल लाईन के आमान-परिवर्तन के संबंध में क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप एक बात समझ लीजिए कि यह किसी एक स्टेट का मामला नहीं है। यदि आपकी पार्टी की बात भी मान लें तो क्या आपकी पार्टी बिहार में नहीं है। कौन-सी पार्टी किस जगह नहीं है। क्या आप यह दिखलाना चाहते हैं कि बिहार के विकास से आपका कोई मतलब नहीं है-क्या बात आप करना चाहते हैं।

बिहार के हमारे साथी ब्रह्मानंद मंडल जी ने मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनाने की बात कही। यहां हमारे लैफ्ट फ्रंट के साथी भी बैठे हैं, सभी लोग मांग कर रहे थे कि हमने पिछली बार जो घोषणा की थी, इस बार के अनुपूरक बजट में हमने गंगा नदी पर ब्रिज बनाने संबंधी स्कीम को शामिल कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, नि..ी से भक्तियाई की लाईन के संबंध में हमारे माननीय सदस्य बहुत मामला उठा रहे थे और यहां माननीय श्री देवेन्द्र जी नहीं हैं, वे इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। यह जो निर्मली भक्तियाई का मामला है, यह लाइन हमारे वीरेन्द्र जी के क्षेत्र में पड़ती है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी घूमकर, नेपाल होकर जाना पड़ता था। यहां जायसवाल जी बैठे हुए हैं, इन्हें भी मालूम है कि यदि यह लाइन बन जाएगी, तो 100 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा। पहले 100 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था। इसी प्रकार से राम बहादुर सिंह जी का महाराजगंज से धर्मादा का मामला था। उसको हमने जोड़ दिया है। अब सीतामढ़ी से सिवान या सीतामढ़ी से दरभंगा के सर्वे का सवाल है।

यहां पर हमारे साथी नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। नीतीश जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मैंने उसको मान भी लिया है। इसमें दो चीजें हैं। रामाश्रय बाबू ने फतेहपुर से इस्लामपुर और इस्लामपुर से राजगीर और राजगीर से हिस्वा या बोध गया तक जोड़ने का मामला उठाया। इससे बौद्ध सर्किट पूरा हो जाता है। हम आपकी बातों को मानते हैं और आश्वासन देते हैं इस्लामपुर से राजगीर तक की रेलवे लाइन को हम अगले साल के बजट में लेने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन अभी जो आपने बताया था कि 22-23 किलोमीटर का टुकड़ा हिस्वा से राजगीर तक का है अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो उससे काफी लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर हमने विचार किया और निर्णय लिया है कि यदि इस बजट में जोड़ सकते हैं तो अवश्य जोड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास जो मौडीफिकेशंस होते हैं, हम इसको उसमें जोड़ देंगे। मैं इस बात की यहां घोषणा करता हूं। हिस्वा से राजगीर तक जुड़ने से बोध गया सीधा रेलवे से जुड़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गया में टर्मिनल का सवाल है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर टर्मिनल है, लेकिन उसको डवलप करना है। हमारे शिबू सोरेन जी बैठे हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : फतुहा-इस्लामपुर वाला भी कर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : हमने कह दिया है कि हम करेंगे। पहले सर्वे रिपोर्ट तो आने दीजिए। पहले जो फार्मेलिटीज हैं, वे पूरी हो जाएं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूं कि यदि मैं कल को रेल मंत्री न रहूं, तो मेरे द्वारा शुरू किया गया काम मेरे जाने के बाद बंद हो जाए और फिर लोग कहें कि रेल मंत्री जी घोषणा कर के चले गए। जो भी काम हो, वह खूब

ठोक-बजा के, पहले ही सभी चीजें, औपचारिकताएं पूर्ण कर के शुरू किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से शिबू सोरेन जी हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि साउथ बिहार की जितनी मांगें थीं – रांची-लौहरदगा-तोरी, उसको बजट में शामिल कर दिया गया है और 23 तारीख को हम उसके शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। हमने घोषणा की थी कि हम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में चार स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रैस चारों जगहों से 15 से 20 अगस्त के बीच में चलाने जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मंत्री महोदय किस-किस रूट से?

श्री राम विलास पासवान : मैं अभी रूट वगैरह की बात में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने पहले ही कह दिया है कि शार्टेस्ट रूट होगा। क्योंकि कोई भी आदमी लंबे रूट पर नहीं चलना चाहता है। दिल्ली से पटना की राजधानी हम लोगों ने लखनऊ होते हुए चलाई ताकि लखनऊ भी जुड़ जाए, लेकिन उस रेल में बहुत कम लोग चढ़ते हैं। उस गाड़ी से कोई आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : दिल्ली से पटना जाने के लिए लखनऊ होते हुए जाने का कोई तुक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : नीतीश जी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : माननीय सभापति जी, पूरा हाउस सपोर्ट कर रहा है। केरल के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। पटना से दिल्ली सीधी ट्रेन लखनऊ को बाइपास करते हुए चलाई जाए। *(व्यवधान)* सुरेन्द्र यादव जी तो इस ट्रेन में एक दिन भी नहीं बैठे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ी डिमांड पटना-गया की थी। पटना-गया के दोहरीकरण का मामला था। वह चल रहा है। टेंडर निकाल दिया गया है। रामाश्रय बाबू कल आए थे। बोल रहे थे। हमने उन्हें दिखा दिया है कि इस साल में हमने उसके लिए सात करोड़ और 10 करोड़ रुपया रखा है। कागज भी दिखा दिए थे।

अपराह्न 2.00 बजे

उसको पटना से पुनपुन तक फेज वाइस करेंगे क्योंकि डबलिंग होती है और यह बड़ी लाइन है इसलिए फेजवाइस होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब गाड़ियां ब्लाक हो जायेंगी। वह काम चल रहा था। उसी तरीके से आपका आरा और सासाराम रेलवे लाइन का है। आरा और सासाराम रेल लाइन आलरेडी बजट में शामिल हो गयी है और उसको सी.सी.ए. के द्वारा कर दिया गया है। हमारे साथी रति लाल वर्मा जी यहां नहीं हैं। उनका कोडरमा से लेकर गिरडीह कोडरमा, हजारीबाग होते हुए वहां बरकाकाना होते हुए हटिया तक का था। वह हो गया। सारी की सारी इम्पोर्टेंट लाइन, जो दक्षिण बिहार के मामले थे, इसमें मुंगेर का और जमालपुर का पुल भी है। इसके बावजूद वह यह नहीं है कि जो भी नई चीज होगी, उसका हम पहले सर्वे करायेंगे। सर्वे करवाने के बाद उसको हम देखेंगे। आप बताइये कि आपका क्या है? आपके दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर प्रमंडल से झारखंड मेल 21 तारीख से चलेगी। हम जा रहे हैं और अगर आप लोगों को भी जाना है तो चलिये। इसमें पार्टी का मामला नहीं है। वहां ट्रेन का शिलान्यास होगा। ...*(व्यवधान)*

मैं एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात समझिये तब कहिये। सर्वे का जो मामला है, सर्वे की मेरे पास पूरी लिस्ट है और मैं उसे यहां पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* जो सर्वे होता है, वह सर्वे कोई पार्लियामेंट के बजट का मामला नहीं है। यदि आपको लगता है कि सर्वे का आर्डर ...*(व्यवधान)* जो सर्वे का है, उसको आप हमें कहिये। जिन लोगों ने मेरे पास चाहे यहां की बैठक में बोला हो, चाहे कंसल्टेटिव कमेटी में बोला हो या कंसल्टेटिव कमेटी की इनफार्मल मीटिंग में बोला हो चूंकि सर्वे हमारे अधिकार की चीज है। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो सर्वे का मामला है, हर साथी ने जितना सर्वे के बारे में कहा है, उसमें से 90 प्रतिशत सर्वे को हमने करवाया है। ठीक है, इसमें एक लाख, दो लाख रुपये रेलवे के लगते हैं लेकिन कभी-कभी माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेवार होना पड़ता है। लोग उनसे पूछते हैं। हम लोग देखते थे कि कैसे लोग पूछते हैं इसलिए हम पैसे की परवाह नहीं करते हैं। जब रेलवे की सर्वे की रिपोर्ट आयेगी तो उसमें कितना वायेबल है और कितना नहीं है, उस पर हम विचार करते हैं। लेकिन जहां तक सर्वे का सवाल है और जो माननीय सदस्य कहते है कि यह सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है तो हम अपने पास मेप रखकर उसमें देखने का काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि वह सर्वे महत्वपूर्ण है तो

[श्री राम विलास पासवान]

हम उस सर्वे को करवाने का काम करते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे पास सर्वे की पूरी लिस्ट है और वह लिस्ट हम माननीय सदस्यों को दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

[**श्रीमती गीता मुखर्जी** *पीठासीन हुई*]

उसी तरीके से आपके नार्थ बिहार का है। नार्थ बिहार में इस बार हमने मानसी से सहरसा, सहरसा से फारबिसगंज ले लिया है तो फारबिसगंज से स्वाभाविक था कि जब तक वह लाइन फारबिसगंज तक आकर नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए कटिहार से फारबिसगंज होते हुए जोगबनी का ले लिया है। उसके बाद आपकी लाइन सहरसा से पूर्णिया जो वाया मधेपुरा वगैरह बनमनखी होते हुए जाती है, वह लाइन महत्वपूर्ण है। इस बार हमने इस लाइन को लिया है तो अगली बार उस लाइन को लेने का काम करेंगे। इसके लिए हमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि कौन सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है और किसको हमें करना है। ...*(व्यवधान)* वह कह तो दिया है कि ले लिया है। क्या ले लें? ...*(व्यवधान)* पुल कौन सा है। ...*(व्यवधान)* जम्मू कश्मीर में हमने घोषणा की थी। इधर नार्थ ईस्ट का मामला है। जम्मू-कश्मीर की हमने घोषणा की थी कि हम जम्मू-कश्मीर जायेंगे और तीन जगह से हम उसको शिलान्यास करेंगे। वहां काम शुरू करवायेंगे। वहां हम गये और प्रधान मंत्री जी भी गये। ...*(व्यवधान)* आप क्यों मजाक करते रहते हैं। डी.एम.यू. बढ़ा दीजिए या उसको बढ़ा दीजिए। ...*(व्यवधान)* जब हम लोग गये तो तीन जगह से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी के कार्य में विघ्न मत डालिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमने तीन जगह एक ऊधमपुर से, दूसरा काजीपुर से और तीसरा बारामूला से हमने उसका शिलान्यास कराने का काम किया। मैं माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ यह भी सूचित करना चाहूंगा कि जब हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दूसरे क्षेत्रों के संसद सदस्य आए थे और उन्होंने इसे हमारे सामने रखा था तो हमने सबको ऐश्योरैंस दिया था। कहीं 18 करोड़ रुपये था, तमिलनाडु में 50 करोड़ रुपये किया था, कहीं कुछ बढ़ाकर ज्यादा किया था। मैंने जिस उम्मीद में कहा था, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो बजटरी सपोर्ट था, उसमें 170 करोड़ रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। 2000 करोड़ रुपये का टारगैट था। हमने कहा था कि आना चाहिए। पहले 1370 करोड़ रुपये था और बाद में 170 करोड़ रुपये आ गया। पहले 170 करोड़ रुपये में से माइनस कर दें तो 1838 करोड़ रुपये था। जहां-जहां हमने घोषणा की है कि उनकी वृद्धि कर दी जाएगी, उस सब जगहों पर उसी अनुपात में हमने आदेश जारी कर दिया है। उसी तरह से जम्मू-कश्मीर का मामला था। बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में यह लग रहा था, हो सकता है कि रेलवे लाइन उधमपुर से कटरा तक जाकर खत्म हो जाएगी और बाद में आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उसी दृष्टिकोण से हम बारामूला और काजीपुर में गए। वहां प्रधानमंत्री श्री गुजराल साहब भी थे। फिर उधमपुर में देवेगौड़ा जी के साथ थे। तीनों जगह से हमने काम शुरू कराने का आदेश दिया है।

सभापति महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने वहां राज्य सरकार के साथ कोआर्डिनेशन कमेटी भी बना दी है। उनका चीफ सैक्रेटरी है और दो अफसर हैं, हमारा रेलवे का अफसर है, जिससे जमीन एक्वायर करने में कहीं कोई दिक्कत न हो, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो कोई कहेगा कि ऐक्ट्रीमिस्ट है, कोई कहेगा रेलवे तैयार नहीं है, रेलवे कहेगी कि राज्य सरकार तैयार नहीं है। 100 करोड़ रुपये जो जम्मू कश्मीर में हमने इस बार रखे हैं, 75 करोड़ रुपये सिर्फ इस लैंड के ऊपर रखे है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए काम को तेजी से करने की हमने योजना बना ली है। उसी तरह से जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ के बारे में है। उसके सर्वे के लिए भी हमने आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आया है जिसकी हमने वहां घोषणा की थी।

[अनुवाद]

रेलवे लिंक का डोडा, भारदवा, रजोरी और पुंछ तथा इसके आगे जम्मू डिवीजन में बारामूला से कश्मीर डिवीजन में कुपवाड़ा तक विस्तार करने का सर्वेक्षण।

[हिन्दी]

यह भी हमने सर्वे का आदेश, जो हमने वहां घोषणा की थी, दे दिया है। उसी तरह से जो कर्नाटक का मामला है, कर्नाटक के हमारे साथी हैं, हमको इस बात की खुशी है, मुझे भी इस बात में लग रहा था कि गुलबर्गा से बीदर की जो लाइन है, वह काफी

महत्वपूर्ण है। गुलबर्गा से बीदर बहुत ही बैकवर्ड एरिया पड़ता है। उसे इस बार के बजट में शामिल कर दिया गया है। उसी तरह से चिकबल्लापुर से कोलार तक, जलप्पा साहब मंत्री हैं, इसलिए वे यहां भाषण तो नहीं दे सकते लेकिन उन्होंने हमको पत्र लिखकर कहा था कि इसका सर्वे करवाकर इस पर विचार कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदया, सर्वेक्षण पूरा हो गया है और आपको केवल निधियां प्रदान करनी है। पचास प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आपको अनुपूरक बजट में आमान परिवर्तन के लिए निधियां प्रदान करनी होंगी। मेरा यह अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदया, इस संबंध में मैंने आपको चार पत्र लिखे हैं।

श्री राम विलास पासवान : हो सकता है, आपने चार अथवा इससे भी अधिक पत्र लिखे हों, लेकिन जो संभव होगा मैं वह अवश्य करूंगा।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदया, आप इस परियोजना के बारे में आश्वस्त हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया इसके लिए निधियां आवंटित करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : गेज कन्वर्शन का सर्वे चल रहा है। ...*(व्यवधान)* हमने कह दिया है। आप चार लैटर दें या 400 लेटर दें, जो पोसीबल है, वह कर देंगे, कर रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उसी तरह से मीटिंग में रेड्डी जी ने कहा था। उनका गडग के हरपन्नाहल्ली तक का मामला था। मैंने पिछली बार एश्योरैंस दिया था। लेकिन मैंने कहा कि इस बार हमने एक बड़ा प्रोजैक्ट लेना था और उस बड़े प्रोजैक्ट से गुलबर्गा से बीदर बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन थी, मैंने उसको लिया। लेकिन हम इसको अगली बार लेंगे, यह इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर जरूर विचार करेंगे।

उसी तरीके से गडग से गब्बाडी जो है, वह भी इम्पोर्टेंट लाइन है, उस पर भी हम विचार करने का काम करेंगे।

मध्य प्रदेश में हमने अपने भाषण में एश्योरेंस दिया था। और क्या-क्या हमने फुलफिल किया, उस पर मैं बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में हमने ...*(व्यवधान)* रतलामपुर से अम्बिकापुर नई रेलवे लाइन के लिए एश्योरेंस दिया था और उस एश्योरेंस को हमने पूरा करने का काम किया। इस बार के बजट में उसको शामिल किया गया है। छिन्दवाड़ा में सुन्दर लाल पटवा जी नहीं हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि छिन्दवाड़ा से लेकर नागपुर तक का सर्वे हो, उसका आदेश दे दिया गया है।

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य : आपने केरल को छोड़ दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैं क्रमानुसार कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अगर आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया करते रहे तो यही स्थिति होगी। आप पहले अपना भाषण पूरा कीजिए। इसके बाद अगर आवश्यक हुआ तो माननीय सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। हमारे साथी जेना जी यहां नहीं हैं। उड़ीसा के सम्बन्ध में एक नई रेलवे लाइन पुरी से कोणार्क तक का इन्होंने कहा था। अभी सम्भलपुर से लेकर के.पी. सिंहदेव जी का था, उसको तालचेर से सम्भलपुर का कर दिया गया। विलमागढ़ से तालचेर के सम्बन्ध में बहुत जोरों से मांग कर रहे हैं। उसके सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

जो पंजाब का मामला था, उस मामले में अबोहर फाजिल्का के बीच में हमने एश्योरेंस दिया था, उसको जोड़ लिया गया। हमने व्यास और डेरा बाबा जयमल सिंह का हमारे साथी का था, वह व्यास और डेरा बाबा जयमल सिंह के बीच में रेल बस साइडिंग का उसको जोड़ दिया गया है। जालन्धर से पठानकोट के सम्बन्ध में कहा था, उसको जोड़ दिया गया है। आनन्दपुर साहिब रेलवे स्टेशन का रीमाडलिंग के सम्बन्ध में उसको पैसा देकर किया गया है और हमारे साथी कह रहे थे कि 300 साल के जो ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सम्भलपुर विमलागढ़ का सर्वे हो गया था, आप लास्ट टाइम बोले थे और आज बोलते हैं पुनः विचार कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़ने के लिए विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : रायपुर से गोरगड़ नई लाइन का था।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : सर्वेक्षण पूरा हो गया है और यह योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। हम इसे अगले बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय : पाणिग्रही जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम नहीं रहेंगे तो दूसरा मंत्री आयेगा, वह करेगा न, आप चिन्ता क्यों करते हैं।

सभापति महोदय : यह किसी की पैटरनल प्रापर्टी नहीं है। बैठे रहो भाई।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप यह मत समझिये कि आप जो सुझाव देते हैं, उन सुझावों को हम गम्भीरता से नहीं लेते हैं। आपने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों को हम गम्भीरता से लेते हैं और जितना सम्भव हो, क्योंकि यह तो नहीं है कि हम आज ही बैठकर करें, इसके अलावा भी बैठते हैं, मिलते हैं और जितना सम्भव होता है, ...*(व्यवधान)* जो-जो आपने इसमें इन्क्लूड किया है, हम इसकी बात कह रहे हैं और जो आपने दिया था, उसकी बात मैं बतला रहा हूं। वैसे तो कोई ऐसी स्टेट नहीं है, जहां चार, पांच, दस इम्पोर्टेंट प्रोजैक्ट नहीं हैं। मैं उसकी बात नहीं कहता हूं कि वह इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने जो इस बार के बजट में शामिल किया है और अभी जो आप लोग बोल रहे थे और बोलने के दरम्यान हमने जो एश्योरेंस आपको दिया था, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं।

हमारे तमिलनाडु के साथी हैं, उन्होंने कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री तिलक राज सिंह (सिधी) : माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश की जो ललितपुर सिंगरौली लाइन है, आप कब तक इसका सर्वे करवा रहे हैं, उसका सर्वे कब तक पूरा होगा?

श्री राम विलास पासवान : ललितपुर सिंगरौली लाईन का मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है, दो, चार, दस दिन में कैबिनेट में हो जायेगा। ज्यों ही मामला हो जायेगा ...*(व्यवधान)* देखिये, एक बात सुनिये। आप एक बात हमेशा कहते हैं कि साहब इस रेलवे लाइन को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद कहते हैं कि काम शुरू क्यों नहीं हो रहा। जब कैबिनेट से पास हो जायेगा तो काम शुरू हो जायेगा।

हमारे जो यू.पी. के साथी हैं, यू.पी. में हमने काफी रेलवे लाइन को जोड़ने का काम किया है।

माननीय नेता विरोधी दल ने कानपुर से लखनऊ वाली बात कही थी, उस पर काम हो रहा है। बृजभूषण तिवारी जी और अन्य साथी मांग कर रहे थे कि गोरखपुर से लेकर गोंडा, गोंडा से बहराइच, बहराइच से सीतापुर तक जो नेपाल के बोर्डर तक लाइन थी, मेरे ख्याल से यह महत्वपूर्ण रेल लाइन है, उसको इस बार के बजट में जोड़ने का काम किया है। इटावा से मैनपुरी तक।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मैनपुरी से एटा तक भी था।

श्री राम विलास पासवान : मैनपुरी से एटा की भी घोषणा कर दी है, उसको भी हम करेंगे। ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु में ले ही लिया। वैस्ट बंगाल के बाबूराम, दामोदार का था, उसका निर्णय लेकर घोषणा की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी आप रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष हैं। आप भी उनके कार्य में दखल डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : खलीलाबाद का क्या हुआ?

श्री राम विलास पासवान : खलीलाबाद का सर्वे आने दीजिए, फिर करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मंत्री जी वर्णाक्रमानुसार चल रहे हैं तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चले गए, राजस्थान बेचारा बीच में ही रह गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी को शामिल किया जाएगा। अगर आप बीच में दखल नहीं देंगे तो यह जल्दी हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पिछली बार हम लोगों ने घोषणा की थी। उसमें पश्चिम बंगाल के लिए जो करना था, वह कर दिया। लेकिन एक चीज हमारी समझ में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी सभापति महोदय आपने, अजय चक्रवर्ती जी, चित्त बसु जी और अन्य लोगों ने भी मांग की थी वह है बारासात से हसनाबाद लाइन का विद्युतीकरण, उसमें लागत भी ज्यादा नहीं है, केवल 35 करोड़ रुपये है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है यदि हमें पावर होगी तो अगले बजट में लेने से पहले काम करने का अधिकार होगा तो हम करेंगे। उसी तरीके से और भी मांगें वहां की हैं। कृष्णा नगर से लालगोला वाया बडामपुर का सर्वे का आदेश दे दिया है। नसीरपुर और असीमगंज पर गंगा पर पुल बनाने की मसूदल हुसैन जी की मांग थी, वह हम देख रहे हैं। कालीनारायणपुर से कृष्णा नगर तक डब्लिंग का मामला है, उसको देख रहे हैं। पुरुलिया से झारग्राम तक के सर्वे का आदेश दे दिया है। इस तरीके से सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : पश्चिम बंगाल के 'उत्तरी हिस्से का बता दिया, बाकी का कुछ नहीं किया। उसके बारे में कुछ नहीं बोला।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : केरल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री राम विलास पासवान : जब मैंने उन्हें कोट्टयम से इरूमलाई लाईन के बारे में आश्वासन दिया था तो वे यहां बैठे थे ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : मेरे आमान परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा गला खराब है। मैंने पिछली बार कहा था कि कोट्टायम से ऐरुमल्लई तक करेंगे, उसको जोड़ने का काम किया है। उसके बाद अभी हमारे फारूख जी आए थे, नागोर से कारिकल तक नई लाइन के बारे में कहा था, यह सिर्फ 5-6 किलोमीटर की है, स्वीकृत योजना है, जमीन का अधिग्रहण करवाना है।

मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य का सुझाव लिख लिया है।

[अनुवाद]

मैंने माननीय सदस्य का प्रत्येक सुझाव नोट कर लिया है। इस संबंध में जो भी प्रगति होगी उसके संबंध में संसद के प्रत्येक सदस्य को लिखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अभी उदयपुर जोड़ना है। ...*(व्यवधान)* अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है मंत्री जी ने आपकी बातें नोट कर ली हैं। उन्हें उत्तर देने दो। मंत्री जी के उत्तर के बाद, आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आपने राजस्थान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : रिपोर्टें पड़ी हुई हैं लेकिन सरकार धूल चाट रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दो। उसके बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, जोशी जी राजस्थान के ठेकेदार नहीं हैं। राजस्थान के जो लोग बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि राजस्थान में क्या-क्या हुआ है। ...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : ठेकेदार नहीं हैं तो बता दीजिए। राजस्थान का एक नाम भी बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह सप्लीमेंटरी बजट है।

[अनुवाद]

मंत्री प्रत्येक बात का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। आप यह याद रखें। मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं। मैं प्रत्येक के प्रति आभार प्रकट नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जोशी जी हाउस में हल्ला करते रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं कोई कम्प्यूटर नहीं हूं। मेरा दिमाग कोई कम्प्यूटर नहीं है। जो बात मैंने लास्ट पार्लियामेंट के बजट में कही थी कि मैं इस पर सोचूंगा, उस संबंध में मैंने जहां तक हुआ है, कार्यवाही करने का काम किया है। हर स्टेट का मामला है। हरियाणा के जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कर दिया है। गुजरात के हमारे साथी हैं। यदि हम सभी डैवलपमेंट के मामले पर शुरू कर दें तो पिछली बार साढ़े चार घंटा लगा था और फिर हम साढ़े चार घंटा कहते रहेंगे। अत: मैंने यह कहा कि जिस भी माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव दिया है, हम उसको देखेंगे। रेलवे में जो कुछ हमने किया है, अभी हमने पिछले भाषण में कहा था कि हम टेलीफोन की सुविधा देंगे। हमको यह बताते हुए खुशी है कि उस टेलीफोन की सुविधा के संबंध में पहले चरण में मुम्बई में राजधानी अगस्त क्रांति में यह सुविधा प्रदान की गई थी और अब उसको कलकत्ता की राजधानी में लगा दिया गया है तथा मार्च तक सभी राजधानियों में इस सेवा को कर दिया जाएगा। हमने पार्लियामेंट में पिछले बजट भाषण में कहा था कि हम रेलवे में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और उसके लिए हमको यह कहते हुए खुशी है कि रेलवे में 7000 करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। हमने आज से जो कुछ तीन महीने पहले कहा था, हमने सारा का सारा प्रगति मैदान में प्रदर्शनी में लगा दिया है। कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी साधारण व्यक्ति जा सकता है, देख सकता है कि कौन सा माल कितने में खरीदा गया? सिंगल टैंडर से खरीदा गया था कलेक्टिव टेंडर से खरीदा गया या ओपन टेंडर से खरीदा गया है। मैंने रेलवे में साफतौर से कह दिया है कि हम ओपन टेंडर के माध्यम से ही सामान लेंगे। एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथियों को चिंता रहती है कि वैगन इंडस्ट्री का क्या होगा या अन्य इंडस्ट्रीज का क्या होगा? जो लोएस्ट स्टैंडर्ड आएगा उस लोएस्ट स्टैंडर्ड पर जितनी केपेसिटी हमारे वैगन इंडस्ट्री और दूसरे इंडस्ट्रीज की है हम सबसे पहले उनको देने का काम करेंगे, उसके बाद हम दूसरे को देंगे। बसुदेव आचार्य जी, हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि स्टील के प्लेट और शीट की खरीद में हमें 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हमें कंक्रीट स्लीपर की खरीद में सौ करोड़ रुपए की बचत हुई है। अगर हम इसमें दस प्रतिशत भी सेव कर लें तो सात हजार करोड़ रुपए हो जाएगा और यदि सात सौ करोड़ रुपए की रेलवे को बचत होती है तो हम सात सौ किलोमीटर में नयी रेल लाईन लगा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम यह चीज कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सेफ्टी के मामले में, सिगनलिंग के मामले में, सुरक्षा के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सेफ्टी के मामले में हम पांच गुना भी दाम देकर सेफ्टी को सिक्योर कर सकते हैं तो हम उसमें ज्यादा खर्च करेंगे। हम अननेसेसरली रेलवे का जो पैसा है उसको हम देखते हैं कि एक ही पार्टी जब एक जगह सिंगल टेंडर होता है जब वह वहां भरता है तो एक-दो रुपए भरता है और जब हम ओपन टेंडर में बोलते हैं तो वही पार्टी उसी चीज के लिए एक रुपए भरती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, हम सिर्फ उस गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सेफ्टी के मामले में कोई समझौता करना चाहेंगे। उसी तरीके से जो हमारा लदान के मामले में लक्ष्य था, पिछले चार महीने में 235 मिलियन टन हमारा लक्ष्य था और 135 मिलियन टन के खिलाफ हमने 138 मिलियन टन किया है। इसी प्रकार जुलाई के अनुमानित आय-व्यय के अनुसार भी चार प्रतिशत हमको बेहतर लक्ष्य प्राप्ति की उम्मीद है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे पास अतिरिक्त वैगंस हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने पिछले साल कहा था कि मैं वैगन का उत्पादन ज्यादा करूंगा और हमने 20 हजार वैगन का उत्पादन किया। उसका नतीजा यह है कि आज हमारे पास अतिरिक्त वैगन हैं। लोहे, सीमेंट, पैट्रोलियम, इन चीजों के लिए मैं यहां विशेषतौर से आग्रह करना चाहता हूं कि इन सब के लिए मेरे पास वैगंस की कमी नहीं है वे जो भी चाहेंगे उनको हम देने के लिए तैयार हैं। हमने सफाई अभियान को 1.8.97 से शुरू करवा दिया है। हमने छह तारीख को अपने रेलवे स्टेशन पर जाकर झाड़ू

लगाने का काम किया। इतना ही नहीं हमारे जितने भी जनरल मैनेजर हैं, डीआरएम हैं, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हैं उन सबको हमने कह दिया है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, ये दो चीजें हैं, इससे सफाई रहेगी। हमारा यह कहना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब डिग्निटी ऑफ लेबर भी देखता है कि मिनिस्टर के हाथ में, चेयरमैन के हाथ में झाड़ू है तो फिर दूसरा जो धंधा करने वाला होता है उसको भी थोड़ी बहुत शर्म आती है। इसलिए जहां हमने सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है वहां हम पहली बार आजादी के 50वें साल के अवसर पर यह भी लिख रहे हैं कि अनावश्यक रूप से यदि कोई रेलवे स्टेशन को गंदा करने का काम करेगा तो उसके लिए हम सजा का भी प्रावधान रखेंगे, चूंकि जब कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वह वहां पहुंचे तो उसे मालूम पड़े कि हम कम से कम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। बगल में लोग खा कर वहीं फेंक देते हैं। इससे अच्छा नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमने सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने कहा था कि जो क्लोज़ सर्किट टीवी हैं, हमने कहा था कि हम स्टेशनों पर लगाएंगे। हमें खुशी हो रही है कि अभी तक नौ स्टेशनों पर लगाए हैं। जिनमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, भोपाल है, दिल्ली है, नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, चेन्नई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम है, इन जगहों पर क्लोज़ सर्किट टीवी की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि वह हर प्लेटफार्म के ऊपर रहेगा। एक जगह से मोनिटरिंग होती रहेगी कि कौन आदमी गड़बड़ करने वाला है, ये बातें भी चलती रहेंगी कि कौन आदमी लाईन में तीन-बार आ कर टिकट की ख़रीद-बिक्री कर रहा है और कौन आदमी जाकर पॉकिट मारी कर रहा है, इन सब की एक जगह से मोनिटरिंग होगी। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा था कि 15 अगस्त के पहले कुछ स्टेशनों पर लग जाना चाहिए, वह हो गया है। इस साल के अंत तक जितने भी बड़े-बड़े महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वहां हम देखेंगे कि सब जगह इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए।

चूंकि 60 प्रतिशत लोग ईमानदार होते हैं लेकिन एक मनोवृत्ति होती है कि यदि कोई सामान गिरा हुआ है तो वे उठा लेते हैं। लेकिन अगर उसको मालूम हो जाए कि कोई उसको टी.वी. के माध्यम से देखने वाला है तो सामान गिरा रह जाएगा लेकिन कोई छू नहीं सकता है। इसी उद्देश्य से मैंने इसको शुरू किया है। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनमें वायरलैस सैट के माध्यम से यह काम किया गया है। उसमें एक लाभ भी हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट से जो बातचीत हुई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके, डी.जी. पुलिस थे, उनके हैड को बुला करके और जो हमारे आर.पी.एफ. के जवान थे, होम-मिनिस्ट्री के लोग थे, उनके साथ बैठकें लगातार कीं। नतीजा यह है कि जो लूटपाट की घटनाएं पहले हो रही थीं, जो रोज न्यूज में आ रही थीं, उनमें कमी आई है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, सफाई पर जुर्माना होगा तो औरतों को सबसे ज्यादा जुर्माना हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* वे सबसे ज्यादा वहां गंदगी करती हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह नहीं होगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। मैं कह रहा था कि जो हमारा वायरलैस सैट है या वॉकी-टॉकी है, पहले क्या होता था कि किसी डिब्बे में कोई घुस जाता था तो दूसरे कोचिज के लोगों को मालूम नहीं होता था, लेकिन अब यह सैट ड्राइवर के पास रहेगा, गार्ड के पास रहेगा और जो स्टॉफ हमारा घूमता रहता है, उसके पास भी रहेगा, जिससे कोई घटना हो तो वे तुरंत एक दूसरे को सूचित कर सकें। इससे काफी सुधार आया है और आगे ज्यादा सुधार आने की सम्भावना है।

हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो बैकलॉग का मामला था, यह बात सही है कि रेलवे में अभी तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जनरल मैनेजर या उससे ऊपर का कोई अधिकारी अभी नहीं है।

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : मंत्री जी, क्या कह रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा हूं कि जी.एम. से ऊपर के जो लोग हैं उनमें एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य आज की तारीख में नहीं है। वह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि डी.आर.एम. लेवल से ऊपर न जाए। इसलिए उनके प्रमोशन का जो मामला था उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां चार ग्रेडिंग होती हैं। एक होती है आउट-स्टैंडिंग, जिसको पांच मार्क्स मिलते हैं। दूसरी होती है वैरी गुड, जिसको चार नम्बर मिलते हैं। तीसरी होती है गुड, जिसको तीन नम्बर मिलते हैं तथा चौथी होती है एवरेज, जिसको दो नम्बर मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि जब मार्किंग होने लगती है तो वह बेचारा छूट जाता है। इसलिए उसमें हमने रिलेक्सेशन किया है। हमने कहा है कि दो कैटेगरीज रखेंगे। एक रखेंगे गुड और दूसरी एक्सीलेंट। जो उससे नीचे होगा वह अनफिट हो जाएगा। जो गुड में आयेगा उसको हम कन्सीडिरेशन जोन में रखेंगे। उसमें जो एस.सी., एस.टी. के लोग होंगे, उनको भी प्रमोशन का चांस मिलेगा।

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : गुड में आयेंगे नहीं तो प्रमोशन कहां से होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप इससे बहुत चिंतित हैं और मैं इससे चिंतित हूं ही नहीं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : वे अनुसूचित जाति के अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा था कि जहां सर्विस है वहां कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वहां सी.आर. होगा। उसको तो हम खत्म कर नहीं सकते। जब सी.आर. लिखी जाती है तो कहीं गड़बड़ी होती है और कहीं नहीं भी होती है। इसलिए मैंने कहा कि उस सी.आर. का जो नम्बर है उसमें थोड़ा बहुत रिलेक्सेशन कर सकते हैं। पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। उसमें जो ऊपर के अधिकारी हैं वे नीचे के अधिकारी को अनुशासन में कैसे रखेंगे, अगर यह नहीं होगा। उसका क्या तरीका है। इसलिए उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते है कि सी.आर. किसी की लिखी ही न जाए। ...*(व्यवधान)*

हम इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे।

[अनुवाद]

यह चर्चा की बात नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : मैं एक बात कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय : मैं किसी अन्य बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय आप काफी समय ले रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त करें अन्यथा अन्य किसी मद पर चर्चा नहीं की जा सकेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप चुपचाप बैठें।

एक माननीय सदस्य : महिला सदस्य बोल रही हैं।

सभापति महोदय : महिला हैं तो क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ऐसा मत करो। आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। महिला होने से क्या है?

[अनुवाद]

संसद में सभी बराबर हैं और सभी के लिए नियम बराबर हैं। कृपया करके बैठ जाइए। कृपया उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप सभी कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, हम एक नई योजना पर विचार कर रहे हैं। वह योजना है कि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि रेल की सेवा से जोड़ दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि इसका हर जगह स्वागत हुआ है। जहां तक रेल दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि रेल दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। माननीय संसद सदस्य यदि इस ओर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें लगातार कमी आ रही है। कल हमारे एक साथी ने कोकराझार की घटना को उठाया। इसकी इनक्वायरी चल रही है और उसके आदेश हो गए हैं। मैं उस ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं। मैं उस ड्राइवर को पुरस्कृत भी करना चाहता हूं जिसकी सूझबूझ से बलास्ट होने से बच गया। उसने चलती हुई गाड़ी में एक्स्ट्रा ब्रेक लगाकर उसे रोकने का काम किया। अगर उसने थोड़ी सी सावधानी बरती नहीं होती तो 400 लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। उसके आगे सेफ्टी गाड़ी चल रही थी। वह निकल गई और उसके बाद बलास्ट हुआ। यह गाड़ी अपने स्थान पर पहुंचने वाली थी। बहुत सी चीजें हमारे बलबूते से बाहर होती हैं जैसे कि भटिंडा का मामला था, अम्बाला का मामला था, कोकराझार का मामला था और फरीदाबाद का मामला था। फरीदाबाद की दुर्घटना के पीछे सीधे ह्यूमन चूक थी। वह ड्राइवर की गलती से हुई। हम उसे क्या सजा देंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या हो रहा है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मेरे पास एक्सीडेंट के पूरे आंकड़े हैं। जहां 1960-61 में 130, 1992-93 और 1993-94 में 50 टक्करें हुईं, आज उसकी संख्या घटकर 26 रह गई है। इसी तरीके से पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं 1455 होती थीं, वहां 1990-91 में 446, 1991-92 में 424 और 1992-93 में 414 थीं। आज वे घटकर 286 हो गई हैं। इसी तरीके से समपार की घटनाएं होती थीं। मैं देख रहा हूं कि इनमें काफी कमी आई है। इतना ही नहीं जो मारे गए हैं ...*(व्यवधान)* आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? पिछले पांच बरस के दौरान जो मारे गए हैं, उनके मेरे पास आंकड़े हैं। 1992-93 में 96, 1993-94 में 179, 1994-95 में 84, 1995-96 में 406 और 1996-97 में 82 लोग मारे गए। इसमें सारे के सारे सम्मिलित हैं। कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनका कहीं बचाव कर रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां कहीं गलती होती है, उसे दुरुस्त करने का काम किया जाता है। उसमें जो अधिकारी पाये जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे देश में रेलमार्ग 62 हजार किलोमीटर का

है। यदि हर स्टेट में देखेंगे तो सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसमें किसी न किसी की तो जिम्मेदारी रहती ही है। यदि देखा जाये तो हर स्टेट में सड़क दुर्घटना में न जाने कितने लोग मारे जाते हैं लेकिन रेलवे में एक खास बात है कि यदि कहीं छोटी सी दुर्घटना होती है, एक आदमी की भी कैजुअल्टी होती है तो नेशनल न्यूज़ बन जाती है। यह भी हमारे देश का एक हिस्सा है।

सभापति महोदया, अभी 6 तारीख को मैं ट्रेन से साहिबाबाद और चाणक्यपुरी होकर जा रहा था तो आगे देखा कि एक आदमी रेलवे लाईन पर खटिया बिछाकर सो रहा था। इंजन पीं.पीं. कर रहा था लेकिन वह किसलिये उठे? यह तो दिल्ली की हालत है। लोग कहते हैं कि ट्रेन डिले होती है जब भी कोई दुर्घटना घटेगी तो सीधे रेलवे पर अटैक होता है। किसी स्टेट में कहीं कुछ हो जाये तो रेल रोकी जाती है, कहीं बाढ़ आये तो सीधे रेल लाईन प्रभावित होती है। इस देश में बड़े-बड़े शहर कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली हैं, वहां तक तो गाड़ी सही समय पर आती है लेकिन शहर में घुसते ही दोनों तरफ झुग्गी-झोपड़ियां हैं और गाड़ी तेज़ चलायें तो न जाने कितने लोग मर जायें। इसका कोई हिसाब नहीं है।

सभापति महोदया, हम लोग विदेशों से तुलना करते हैं। हमारे यहां कोई फैंसिंग फैसिलिटीज़ तो नहीं हैं। हमारे पास इंजन हैं, डिब्बे हैं और 200 कि.मी. की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं लेकिन कहां चलावें? हमारे यहां कई बाधायें आती हैं जैसे कभी रास्ते में भैंस या गाय आ गई या कोई आदमी आ गया तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है।

सभापति महोदया, हमारे एक साथी कल कह रहे थे कि राजधानी में मिनरल वाटर की एक बोतल दी जाती है, दूसरी नहीं। हमने इस बात की जांच कराई है और कहा है कि पहले व्यवस्था करो, फिर उसके बाद रिपोर्ट देते रहो। हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाईयों के लिये कहा है कि पिछले एक साल से बैकलाग 4889 था तो हमने उसी दिन से स्पेशल रिक्रूटमैंट ड्राईव द्वारा पूरा करने का प्रयास किया है। उसमें से घटकर 1087 रह गया है और बाकी तीन महीनों में पूरा कर दिया जायेगा। स्टेशन पर कैटरिंग और ट्राली सिस्टम से अनुसूचित जाति के लिये 20 परसेंट और अनुसूचित जनजाति के लिये 10 परसेंट के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है जो पहले नगण्य था। हमने यह भी कह दिया है कि जब तक यह कोटा पूरा नहीं होता, उनकी संख्या 50 परसेंट कर दी जाये।

सभापति महोदया, हमने एक योजना और बनाई है कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको एअरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर रिज़र्वेशन कराने के लिए दिक्कत होती थी तो हमने एअरपोर्ट से ही सीधे रिज़र्वेशन की व्यवस्था कर दी है कि उनको प्लेन के टिकट के साथ ही रेल की टिकट भी मिल जाये जहां उनको जाना हो या आना हो। एअरपोर्ट से ही कन्फर्म टिकट मिल जाया करेगा। इससे विदेश से आने वाले लोगों को बहुत ही सुविधा होगी और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से काफी सुविधाजनक होगा।

सभापति महोदया, मेरे पास इतना मैटीरियल है कि जिस पर मैं बोल सकता हूं...

श्री शरद यादव : आप जानते हैं कि कोसी में बाढ़ आती है और हजारों सालों से तमाम चीजों की बर्बादी होती हैं। उसमें थोड़ी सी जगह बची है और वह सहरसा-पूर्णिया है...

श्री राम विलास पासवान : वह मैंने पहले ही कर दिया है और आपके यहां आने से पहले ही कह दिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, आपने कहा था कि आप बाद में समय देंगी, कृपया एक मिनट दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने पहले ही यह कहा है और मैं आपको यह स्मरण करा रहा हूं कि आपने स्वयं समय निर्धारित किया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी को अभी अपना उत्तर समाप्त करना है। मैंने आपसे कहा था कि यह आम परम्परा नहीं है। परन्तु फिर भी मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रत्येक को एक मिनट की अनुमति दूंगा और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए तभी आप प्रश्न पूछ सकेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : महोदया, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगी? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं बाद में रिप्लाई दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चिल्लाकर क्या मांगना चाहते हैं। यदि आप भी चिल्लाएंगे, इधर से भी चिल्लाएंगे, उधर से भी चिल्लाएंगे तो किसी की बात नहीं सुनी जा सकती। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो चिल्लाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सबका एक साथ बोलना अच्छा नहीं लगता। अभी आप खामोश रहिए। मंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अभी शरद जी सहरसा से पूर्णिया लाइन के बारे में कह रहे थे। मैंने आपके आने से पहले कहा है कि सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया रेलवे के दृष्टिकोण से शोर्टकट लाइन है, इसलिए उसकी घोषणा हम करते हैं। यदि इस बजट में संभव होता तो इसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी, यदि संभव नहीं होगा तो हम इसकी घोषणा यहां करते हैं। अररिया से गलगलिया लाइन की सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, उधर की सब लाइनें बन गई हैं, नेपाल बोर्डर तक वहीं एक लाइन बचेगी, जिस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। *...(व्यवधान)* आप लोग पहले यहां रहते नहीं, फिर हल्ला करते हैं। पुरी-कोणार्क लाइन के बारे में हम देख लेंगे, यदि शोर्ट दूरी की होगी और हमारे अधिकार क्षेत्र से उसका काम हो सकेगा तो उसे हम करा देंगे। यदि दूसरी कोई आवश्यकता होगी तो भी उसे करा देंगे।

अब मैं आपके सामने दो चीजें कहना चाहूंगा। इस साल हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आजादी के पचासवें वर्ष में हमने दो एक्जीबीशन ट्रेन चलाई हैं। मैं हर माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि उन्हें देखने जरूर जाएं और देखें ही नहीं बल्कि जब वह आपकी कांस्टीटूएंसी या जिले से होकर गुजरे तो उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें 16 कोचेज हैं जिसे हमने स्पेशल डिजाइन से बनाया है, उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की प्रदर्शनी है, फ्रीडम फाइटर्स एण्ड फ्रीडम मूवमेंट, टैक्नोलौजी, प्रत्येक मिनिस्ट्री और हर राज्य की झांकी है। उसमें एक तरह से आप जाएं और दूसरी तरफ से बाहर से निकल आए। हमने उसे कई जगह पूरी रात रोकने की व्यवस्था की है ताकि अधिक से अधिक लोग परिवार के साथ उसे देख सकें। *...(व्यवधान)* हम आपको ही नहीं बताना चाहते बल्कि आपके माध्यम से पूरे देश को बतलाना चाहते हैं। हम इसका एक एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं कि कौन से स्टेशन पर वह गाड़ी किस दिन रुकेगी।

एक गाड़ी महात्मा गांधी के जन्म-स्थल पोरबंदर से चलकर सीधे लेखापानी जाएगी। आप जानते हैं कि लेखापानी तक रेलवे लाइन बन गई है और उस पर गाड़ी चल रही है। हम आपको यह खुशी का संदेश देना चाहते हैं कि हमने दीमापुर के बारे में कहा था, अब दीमापुर से नहीं, बल्कि डिब्रूगढ़ होते हुए रेलवे लाइन लेखापानी तक चली गई है। हम चाहते हैं कि उस लाइन पर एक राजधानी चलाई जाए। उसके साथ-साथ एक गाड़ी कन्याकुमारी से चलेगी। 16 तारीख को हम पोरबंदर जा रहे हैं और 17 तारीख को कन्याकुमारी जाएंगे, जहां से उसे शुरू कराएंगे। कन्याकुमारी से वह ट्रेन जम्मू-तवी तक जाएगी। इसलिए जहां तक देश की एकता और अखंडता का सवाल है, नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है, देश की सांस्कृतिक एकता का सवाल है, इससे उसे काफी बल मिलेगा।

मेरे सामने बहुत से सवाल हैं। यहां बसुदेव आचार्य जी बैठे हैं। वे उठकर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, जो कर्मचारी डिसमिस हो गया, उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ रहा हूं। कैट के आदेश को भी पढ़ रहा हूं। कैट का आदेश उसकी फेवर में है जिसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को माना होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस आदेश को लागू कराऊंगा।

सभापति महोदया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इतने सारे सवाल हैं, इतना बड़ा महकमा है, इतनी ज्यादा विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। मैंने बहुत कुछ का जवाब देने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे की वर्ष 1997-98 की अनुपूरक मांगों को सदन के विचारार्थ और पास कराने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यद्यपि यह परम्परा नहीं है फिर भी मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आप में से प्रत्येक सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए पुकारूंगा। मंत्री जी तुरंत जवाब नहीं देंगे। वे बातों को नोट करेंगे और अंत में वे सभी के स्पष्टीकरणों का उत्तर देंगे। कृपया एक दूसरे के कार्य में खलल न डालें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक का नाम पुकारूंगा।

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : सभापति महोदया, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

मैं मंत्री जी का सदन में आभार व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन मुझे अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने का समय नहीं मिला। आज आपने वह समय मुझे उपलब्ध करा दिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी को मेरे पिछड़े क्षेत्र में अहमदगढ़-बीड़ परेडी रेलवे लाइन का 31 मई को उद्घाटन किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूं और उनका अपनी ओर से तथा अपने पूरे क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करती हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचना भी देना चाहती हूं कि आपने जब इसका उद्घाटन किया था, तो कहा था कि सात दिन के अंदर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन यह जो अखबार की कटिंग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अनुसार वहां के कलैक्टर ने और अन्य अधिकारियों ने साफतौर पर विचार व्यक्त किए हैं कि रेलवे के अधिकारी उनको कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम शुरू होने में काफी वक्त लग सकता है। हमारी राज्य सरकार की और पूरे क्षेत्र के लोगों की भावना यह है कि इसका काम जल्दी शुरू हो और जल्दी पूरा हो ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके, लेकिन मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद भी रेलवे के अधिकारी क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहती हूं कि यह बहुत मुश्किल काम था, जिसको आपने शुरू किया है, दूसरा कोई भी मंत्री इस काम को नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि जब आपने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका काम भी जल्दी शुरू करवाएं और इसके लिए धन की व्यवस्था करें और आगे भी करते रहें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया नई बातें पेश न करें। आप केवल स्पष्टीकरण ही मांगें। अन्यथा मैं हरेक का नाम पुकारता रहूंगा और सारी चर्चा चलती रहेगी। इसलिए, मैंने श्री अमर राय प्रधान का नाम पुकारा है।

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानती हैं कि प. बंगाल का उत्तरी भाग पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां अधिकांश अ.जा. और अ.ज.जा. के लोग रहते हैं। इस संबंध में मैं दुख के साथ यह कहूंगा कि सभी रेल मंत्रियों ने प. बंगाल के इस भाग को नजरअंदाज किया है। यहां कोई दोहरी लाईन की सुविधा नहीं है। बिजली जैसी कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि हमने जिन रेलों की बात की वे भी वहां नहीं हैं।

पिछले बजट भाषण में रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि शताब्दी जैसी एक्सप्रेस गाड़ी कलकत्ता से कूच बिहार तक चलाई जाएगी, सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार तक छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाएगा, तथा न्यू म्यानागुड़ी से जोगीगोपा, बरास्ता जांग्राबांध और न्यू कूचबिहार तूफानगंज-बाक्सीघाट लाइन का सर्वेक्षण किया जाएगा। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम सरायघाट एक्सप्रेस तथा राजधानी एक्सप्रेस का न्यू कूच बिहार में एक ठहराव प्रदान किया जाना चाहिए।

ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में तथा उत्तरी बंगाल के अन्य क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं। इसलिए, मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मैं सभी को एक साथ अनुमति नहीं दे सकता। मैंने कहा था कि आप केवल एक मिनट के लिए प्रश्न पूछें। आखिर यह रेल का आखिरी बजट नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : सभापति महोदया, मैं पिछले एक वर्ष से माननीय रेल मंत्री से आग्रह कर रही हूं कि वे स्थानीय लोगों के लाभ के लिए विटरागुण्टा में उपलब्ध सुविधा को उपयोग में लाने के लिए कुछ करें।

इसी बीच, अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के दिन हुबली डिवीजन में निलम्बित कर दिया गया।

सभापति महोदय : कृपया ऐसी बातों का ही वर्णन मत कीजिए। आप इसे लिखित रूप में उन्हें दे सकती हैं यदि आपके पास किसी विशेष रेल परियोजना के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया उसे पूछिए। आप अन्य बातें उन्हें लिखित में दे सकती हैं जिससे कि वे उन पर ध्यान दे सकें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.57 बजे

[**श्री वसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : मैं अब सभा में मतदान के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को रखूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने उन सभी बातों को नोट कर लिया है जिनको आपने वाद-विवाद के दौरान उठाया था। इस

[सभापति महोदय]

प्रकार का स्पष्टीकरण अनिश्चित अवधि के लिए जारी नहीं रह सकता है। कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : सभापति जी, चेयर से आश्वासन दिया गया था। अब आप बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लोढा, यह केवल अनुपूरक मांगें हैं कल वाद-विवाद रात्रि 11.30 बजे तक चला था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लोढा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति जी करोड़ों लोग प्रभावित हैं। ...... अगर यह नहीं हुआ तो मैं धरना दूंगा ...*(व्यवधान)* एक साल से जवाब नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति जी, चेयर से व्यवस्था दी गई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है और आप किस नियम के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रूल मैं बता देता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, आप वहां बैठे थे और श्रीमती गीता मुखर्जी चेयर पर थी, तो उन्होंने चेयर से कहा था कि हम 10-20 लोगों को थोड़ा क्लेरीफिकेशन का मौका देंगी। जब वह नीचे आ गयीं और आप ऊपर आ गये तो ऐसा न हो कि वह कमिटमैंट समाप्त हो जाये। कमिटमैंट चेयर का होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। हम आपसे विनती करते हैं कि चेयर ने जो कहा है, उसको माना जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हाउस को चलाना है। वह कितनी देर तक चलेगा, वह इनडेफीनेट है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सप्लीमैंट्री है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल अनुपूरक मांगें हैं और मंत्री महोदय ने इन सभी बातों को नोट कर लिया है। यह राज्य सभा को भेजी जाएगी और इन्हें वहां पर भी पारित किया जाना होगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका इसमें कुछ नहीं है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री लोढ़ा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा अनिश्चित अवधि के लिए नहीं चल सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, हमें एक-एक मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* हम सिर्फ दस लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : बात के बाद तो रूल बताऊंगा। ...*(व्यवधान)* वहां से जब मैडम ने कहा कि बोलने का मौका देंगे तो आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो बड़ी-बड़ी जमातें हैं, उनको मौका दे दिया, छोटी जमातों को मौका नहीं दिया। हमें भी मौका दीजिए, हम एक-एक मिनट में बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये ऐसे ही चलता रहेगा। मंत्री जी ने सब नोट कर लिया है। उन्होने आपकी पार्टी के सवालों का जवाब दे दिया है। आपके लीडर बोल चुके हैं। उनके प्वाइंट्स सब हो गए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : हमें एक-एक मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं। इन्होंने नोट कर लिया है। बाद में जवाब दे देंगे।

... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : दो लोगों के सुझाव आए हैं, क्या मैं उनके बारे में बोल दूं।

सभापति महोदय : बोल दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, जब दो लोगों को चांस दिया है तो सबको मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले आप इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

श्री मोहन रावले : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय : आपने पिछली बार भी बोला था।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सबको चांस मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं प्रत्येक पार्टी के एक सदस्य को अनुमति दूं? कोई मानदण्ड होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आपने मान लिया था।

सभापति महोदय : क्या मान लिया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 50 सदस्य बोलेंगे तो हम सबको ऐलाऊ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोढा जी, आप बैठिए। मैंने राम नाईक जी को ऐलाऊ किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री राम नाईक को अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, मैं सवाल पूछने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। बात यह है कि इससे पहले जब श्रीमती गीता मुखर्जी इस स्थान पर थीं तो उन्होंने यह बात कही थी कि मैं हरेक को एक-एक सवाल पूछने दूंगी। ...*(व्यवधान)* आप आए

[श्री राम नाईक]

हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। मेरे दो सुझाव हैं - एक तो जैसा उन्होंने कहा, हरेक को एक-एक सवाल पूछने के लिए परमीशन देनी चाहिए। नहीं तो जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर मंत्री जी को नहीं देना चाहिए। कुछ तो समानता होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप एक-एक मिनट दें, ये सवाल पूछें तो पूरा हो जाएगा। इतना हम कह सकते हैं कि हर पार्टी के लोग जल्दी-जल्दी करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह तो आप भी समझते हैं कि यह सप्लीमैंट्री डिमांड्स है। यह कल रात साढ़े ग्यारह बजे तक चला है।

श्री राम नाईक : जब उन्होंने एक बात का निर्णय लिया और उसके अनुसार यदि नहीं चले तो हम आपको कैसे कोआपरेशन दे पाएंगे, मैं सदस्यों को कैसे बता पाऊंगा कि आप बैठिये। हम कोआपरेशन नहीं दे पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम नाईक जी, यह कितनी देर चलेगा, कुछ तो लिमिट रहेगी, 10 मिनट, 15 मिनट।

[अनुवाद]

कुछ तो सीमा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

टोटल 15 मिनट, 10 मिनट देंगे और इस डिमाण्ड पर ही बोलना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : यह 15 मिनट में हो जायेगा।

जस्टिस गुमाल मल लोढा : मैं अपनी बात करता हूं। श्रीमन् मुझे आपने अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जल्दी-जल्दी करिये।

जस्टिस गुमाल मल लोढा : मैं एक मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। मैं रेल मंत्री से यह कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हाउस के अन्दर, जोधपुर में, अजमेर में और अहमदाबाद में बार-बार यह डिक्लेरेशन की कि जोधपुर में मारवाड़ जंक्शन तक का ब्रॉडगेज कन्वर्शन पिछले अप्रैल तक कर दिया जायेगा। अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई चला गया। मैं उनसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि कब वह जल्दी से जल्दी गेज कन्वर्शन पूरा करेंगे, क्योंकि सूर्य नगरी स्टाप, वहां पर ट्रेन स्टाप हो गई और जोधपुर का आना जाना बन्द हो गया, मारवाड़ जंक्शन, पाली जिला पूरा कट गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बस, राजस्थान का पूरा हो गया।

जस्टिस गुमाल मल लोढा : इसलिए वे बतायें कि पूर्ण रूप से कब पूरा होगा। बस यही मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी) : मराठवाड़ा एक पिछड़ा इलाका है, यह माननीय रेल मंत्री जी जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : खाली सवाल करिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की अभी तक एक भी डिमाण्ड ग्राण्ट कर दें। मेरी आपके माध्यम से एक ही रिक्वैस्ट है। हमारा परभनी मुखेड़ तक मीटर गेज का कन्वर्शन हुआ है, लेकिन मुखेड़ से आदिलाबाद तक हमारी एक ही मराठवाड़ा की डिमांड है। इस सप्लीमेंटरी डिमांड में आप वह जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल) : मैंने प्राथमिक अभियांत्रिक सर्वेक्षण के लिए एक आदेश की मांग की थी।

सभापति महोदय : आपकी मांग को पूरा कर दिया गया।

श्री के.पी. सिंहदेव : नहीं। यह लखमपुर-नौपाड़ा-रायपुर से होकर बाढ़गढ़ रेल लिंक के लिए है आदेश जारी नहीं किए गए। इसीलिए सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है। दूसरी लाइन हिंडोल और नयागढ़ से होकर तालचेर-गोपालपुर जाने वाली है। इस लाइन पर एक प्राथमिक अभियांत्रिक सर्वेक्षण कराया जाना है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : कल वाद-विवाद के दौरान मैंने क्विलोन-मदुरई-पलानी से और क्विलोन-चेन्नई पलानी के लिए एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी की मांग की थी। पलानी दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है। प्रतिदिन वहां लोग हजारों की संख्या में जाते हैं। माननीय मंत्री ने इस नई रेलगाड़ी के बारे में उल्लेख नहीं किया है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने आपका सुझाव को नोट कर लिया है।

श्रीमती उषा मीणा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाह रही हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आगरा का अभी तो कोई नहीं है। आगरा का तो आपका सब हो गया।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक रेलवे लाइन को जोड़ा जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिये। उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती उषा मीणा : जो मंत्री जी ने छोड़ दिया है, वह केवल राजस्थान से ही सम्बन्धित नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष से सम्बन्धित है, रेल विभाग से सम्बन्धित है, जो हमारे कुली भाइयों की प्राब्लम्स हैं, उनके बारे में मंत्री जी ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। जो कुली होते हैं, उनके रहने की, उनको सोने की कई सारी समस्याएं हैं, जो हर स्टेशन पर हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सभापति जी, मैं रेल मंत्री से बिहार में गया से क्यूल रेल के बारे में एक ट्रेन गया से लाइन होते हुए हावड़ा और दिल्ली चलाने के बारे में कहूंगा। लखीसराय को फुलफ्लेज्ड स्टेशन का दर्जा देने के बारे में और सखीसराय स्टेशन पर गाड़ी ठहराव के सम्बन्ध में मैंने कई पत्र लिखे, लेकिन रेल मंत्री ने अभी तक मेरी एक भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, स्वीकृत नहीं किया। मैं पुनः रेल मंत्री से मांग करता हूं कि सखीसराय को पूरा स्टेशन बनाया जाये, गाड़ियों का ठहराव किया जाये, गया क्यूल रेलवे स्टेशन का दोहरीकरण किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक-दो बातें कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नीतीश जी, आपका हो गया। आपका बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, उसकी घोषणा कर दी है।

श्री नवल किशोर राय : सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर तक नई लाइन के लिए मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मधुबनी से जय नगर तक नई लाइन के शिलान्यास का अनुरोध वहां की जनता से आता रहा है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसी बजट में राशि देकर सर्वे कराया जाए और अगले सत्र में नई लाइन की घोषणा की जाए। दरभंगा से उत्कल एक्सप्रैस जो चलती है उसे बढ़ाकर दिल्ली तक करने की भी व्यवस्था मंत्री जी करें।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : आसनसोल से वर्धमान और वर्धमान से आसनसोल के बीच ई.एम.यू., की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। रानीगंज स्टेशन पर पुरुवा और अन्य गाड़ियों का स्टापेज होना चाहिए। राजधानी एक्सप्रैस जो वाया पटना जाती है उसका आसनसोल में भी स्टापेज होना चाहिए। इसी तरह हमारे प्लेटफार्म को आदर्श प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और जो वह नीचा प्लेटफार्म है, उसे सही किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश ने जो कहा उसके सिवा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश (हिसार) : हरियाणा प्रदेश में जो नई रेल लाइन भिवानी से रोहतक और रोहतक से हिसार तक बनानी थी, अगर उसे बना दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारे यहां जो ओवरब्रिज का सवाल था, उस पर आपका जवाब आया है, वह ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न व्यवस्था का है। आल इंडिया एस.सी., एस.टी. रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन के कुछ कार्यकर्ता बीकानेर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनको बीकानेर सब-डिवीजन टेलीफोन और दफ्तर की सुविधा नहीं दे रहा है, वह कराने की भी व्यवस्था करा दें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सप्लीमेंटरी डिमांड्स में वैसे तो पंजाब के लिए पहले से अधिक पैसा रखा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव जी आप बैठ जाएं, आप रोज बोलते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा यही कहना है कि जयपुर से आगरा बड़ी लाइन करा दें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पंजाब से पूरे देश भर में अनाज भेजा जाता है। वहां ओवरब्रिजों की सख्त जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चन्दूमाजरा जी आपका हो गया, आप बैठ जाएं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अभी कहां हो गया। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। हम पिछले दो साल से बोल रहे हैं। पंजाब से सबसे ज्यादा अनाज देश भर में जाता है। ओवरब्रिज न होने के कारण हमारे यहां गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। इसलिए सरहंद, कराड़ी, भटिंडा, सनाम और लहराबाग में ओवरब्रिज बनने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं मंत्री जी से कहूंगा कि हमने जो पत्र लिखकर अपने प्रदेश की मांगें बताई हैं, वे जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की कोशिश करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, मेहरबानी करके बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति जी, जब हम बिहार के सांसद सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो पूरा सदन यह समझता है कि बिहार में ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं बिहार के अंदर हुई हैं और अमल कितना हो रहा है? यह इस तरह से समझा जा सकता है कि एक ट्रेन दरभंगा से चलनी थी जिसका एलान मंत्री जी ने कर रखा है लेकिन आज तक उस ट्रेन की कहीं पर कोई ...*(व्यवधान)* अरे भई, हमें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* क्या आप हमें बोलने नहीं दीजिएगा? ...*(व्यवधान)* दरभंगा और मुजफ्फरपुर नई रेलवे लाइन के सर्वे का एलान किया था, उसको भी शामिल नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : एक ट्रेन दरभंगा से दिल्ली के लिए चलनी थी, उसको भी शामिल नहीं किया। ट्रेन की बड़ी लाइन वहां पहुंच चुकी है लेकिन उस इलाके में कोई ट्रेन नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी बयान देना चाहते हैं तो देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : जयपुर, अजमेर आदि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका सवाल हम पूछ रहे हैं। बांदीकुइ से आगरा दो साल से काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में जरा बता दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री राम विलास पासवान : रेलवे पर एक सैशन चला दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : मध्य प्रदेश के बिलासपुर में मंत्री जी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी (बेलगाम) : पिछल सत्र में मंत्री महोदय ने वायदा किया था कि एक नई दैनिक ट्रेन सेवा बेलगाम से मुम्बई के लिए शुरू की जाएगी। नई ट्रेन सेवा को अभी शुरू नहीं किया गया है। इसी कारण मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस सेवा को आरम्भ करें ...*(व्यवधान)* किट्टूर और धारवाड़ के बीच एक लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को कराए जाने का उल्लेख रेल बजट में था। वह सर्वेक्षण कार्य अभी भी आरम्भ नहीं किया गया है। इसी कारण मैं आपसे इस सर्वेक्षण कार्य को तत्काल आरम्भ कराने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे उसे सम्मिलित करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए। आप जल्दी बोल दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं प्रत्येक दल के दो से तीन प्रतिनिधियों को अनुमति दे चुका हूं।

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह एक राज्य का प्रश्न है।

[हिन्दी]

हरियाणा में एक भी नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जय प्रकाश जी बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके सहयोग के लिए, वहीं मैं पहली बार अपनी गलती को महसूस कर रहा हूं कि हमको कभी भविष्य में डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ऊपरी-ऊपरी बात कह करके निकल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह सबसे बढ़िया तरीका अगली बार से होगा। मैं जानता हूं, सभी लोग एक मांग करते हैं कि हर स्टेशन पर गाड़ी रुकनी चाहिए। सब लोगों को चाहिए कि 10-10 मिनट का समय और किस कर्मचारी को कहां दंडित किया जाएगा, इस बारे में भी सारा आना चाहिए। इसलिए मैं इन बातों को कहूंगा, जो माननीय सदस्यों ने उठायी है। श्रीमती रजनी पाटिल जी ने अहमदनगर, बीड, परली और बजनाथ के संबंध में कहा। उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां जमीन प्राप्त हुई है और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 11 किलोमीटर का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में मैंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार जितनी तेजी से जमीन देती जाएगी, काम वहां पर होता जाएगा। उनसे अनुरोध किया जा चुका है। जहां कहीं पर भी भूमि मिल गई है, वहां काम शुरू कर दिया गया है।

दूसरे, अमरराय प्रधान जी ने हावड़ा-जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के संबंध में कहा। मैंने पहले ही कहा यह सप्लीमेंट्री बजट है। आपको मैंने कहा था, इसी सत्र में फाइनल एरिया हावड़ा से जलपाईगुड़ी का होते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : रेलवे का अगला बजट पहले ही आरम्भ हो चुका है।

श्री राम विलास पासवान : चालू वर्ष में ही ट्रेन चला दी जाएगी।

सभापति महोदय : श्री प्रधान अब आप और क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान . लक्ष्मी जी ने कर्मचारियों के संबंध में लिखा है। 100-200 चिट्ठियां कर्मचारियों के संबंध में लिखती रहती हैं। मैं उनको देख लूंगा और जवाब दे दिया जाएगा तथा बतला दिया जाएगा।

लोढा जी जोधपुर-मारवाड़ के संबंध में जोर-शोर से कहा कि वह कब पूरी होगी। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1997 तक वह पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा वे और क्या चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोढा जी खुश हो गए, बधाई दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उसके बाद ट्रेफिक ब्लाक भी पहली नवम्बर से शुरू हो जाएगा। हमारे मराठवाड़ा के साथी ने मुखेर और आदिलाबाद का जिक्र किया। मैंने शुरू में ही कहा, मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र रेल लाइन के संबंध में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसको हम स्वयं देख रहे हैं, इस बारे में आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो भी संभव होगा, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम अगले बजट में देख रहे हैं, कौन-कौन सी रेलवे लाइन लेनी है क्या-क्या किया जा सकता है। मैंने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि पश्चिमी महाराष्ट्र रेलवे के मामले में विकसित है, लेकिन मराठवाड़ा और कुछ दूसरे इलाके बिलकुल पिछड़े हुए हैं।

के.पी. सिंह देव जी ने सर्वे के बारे में कहा। सर्वे की पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है।

सभापति महोदय : आप भेज दीजिएगा।

श्री राम विलास पासवान : सर्वे के संबंध में जितनी लिस्ट हैं, मैं उसको माननीय सदस्यों को भिजवा देता हूं। उसमें कहीं और कमी लगे कि सर्वे नहीं हो रहा है, तो ...*(व्यवधान)* सुरेश जी ने कुलंग और मदुरै के बारे में कहा। मेरा कहना है कि हम एक-एक करके ले रहे हैं। कलुंग से वृद्धिनगर होते हुए तिनकाशी तक सारी की सारी चीज हो गई है। एक ही समय में सब चीजें नहीं होने वाली है। इसलिए उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : मैं नई ट्रेनों के बारे में पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, सप्लीमेंट्री बजट में नई गाड़ियों की घोषणा नहीं होती है। जनरल बजट में गाड़ियों के बारे में एक ही बार प्लान होता है। जनरल बजट में जो कमिटमेंट होता है, उसको हम पूरा करते हैं, जो हमारा दायित्व है। रोज-रोज नई ट्रेन प्रत्येक भाषण में मांगिएगा, तो मिलने वाली नहीं है।

कुली की समस्या के बारे में हम चिन्तित हैं। पहले कुली को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब हमने कम से कम एक पास पूरे देश में घूमने का दिया है। सबको सैकिंड क्लास का पास पूरे देश में इशु हो गया। उसमें कहीं कोई शिकायत आए तो हमें वह बताएं। वह हमने आजादी के 50 साल के बाद पहली बार किया। उसी तरीके से जो केजुअल लेबर का था वह भी मैंने कह दिया कि 57 हजार में से 40 हजार केजुअल लेबर परमानेंट किए जा चुके हैं 17 हजार बाकी हैं उनको भी दो-तीन महीने में परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक का कहा। मैंने इनसे कहा है कि आप आ जाइए, हम अपने आफिसर को बुलाते हैं और सत्र बैठ कर इसको देख लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। सप्लीमेंट्री बजट में आप एप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि कहीं खर्चा न हो तो उस खर्चे को हम दूसरी जगह करने का काम करते हैं। अगर आज आप हमें कहें कि इसमें आप इतना पैसा डाल ही दो तो हम कहां से पैसा लाएंगे, क्या हम अपनी पॉकिट से पैसा लाकर देंगे। ...*(व्यवधान)* लेकिन हम उसको देखेंगे। अब आप शत्रुघ्न प्रसाद जी का सुनिए। उनका क्यूल लाईन के दोहरीकरण का मामला है। अब कहीं दोहरीकरण का मामला है, इलैक्ट्रिफिकेशन का मामला है तो जहां-जहां नजदीक प्वाइंट है हम देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)* शिलान्यास किया है वह कटिहार से जोगबनी तक तो हो गया है, अब उसके बाद कौन सी गाड़ी कहां रुकेगी, अब लखीसराय पर कौन सी गाड़ी रुकनी चाहिए, कौन सी नहीं रुकनी चाहिए वह तो हम यहां नहीं बताएंगे। उसके बाद इनका एक मामला हथिदाह स्टेशन का मामला था। ...*(व्यवधान)* देखिए, पार्टी का मामला नहीं है। यह मामला है कि गंगा का मोकामा पुल बन गया है और मोकामा पुल के एक तरफ हथिदाह है, लिखा जाता है हथिदाह जंक्शन, लेकिन हथिदाह से उधर भी गाड़ी जाती है और पटना की तरफ भी गाड़ी आती है लेकिन वह फुलफ्लेज स्टेशन नहीं है वह फ्लैग स्टेशन है। ये कहते हैं कि उसको पूरा स्टेशन का दर्जा दिया जाए और मैं भी समझता हूं कि उसको दिया जाना चाहिए तथा दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)* हमने सब का नोट किया है। नवल किशोर राय जी ने सीतामढ़ी, जयनगर वाया सोनबरसा, मीठा मोड़ बड़ी लाईन का सर्वे जनकपुर रोड, जयनगर, मधुबनी वाया मधुबनी के लिए कहा है इसका सर्वे करा दिया जाएगा। हाराधन राय जी ने आसनसोल से बर्द्धमान के संबंध में कहा, उसको हम देख रहे हैं। जयप्रकाश जी ने रिवाड़ी, रोहतक और हिसार के संबंध में कहा, उसको भी हम लोग इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक प्लान है कि जो नेशनल केपिटल है, एनसीआर है, उसका जो हमारा प्लान है उसमें छह हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से दी गई है। हम नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ डबल हो, इसलिए मैंने कहा कि हम कोआर्डिनेटेड वे में यह काम कर रहे हैं। यदि वे नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन यदि वहीं से हो जाता है तो फिर हमको दुबारा उसमें करने की क्या जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

अब हमारे जो पंजाब के साथी हैं उन्होंने कहा कालका परवानू का सर्वे कब होगा। अब यदि हमारे मित्र नहीं पढ़ते हैं तो मैं क्या करूं। इस लाईन को हमने बजट में जोड़ दिया है और यह सर्वे की मांग कर रहे हैं। आइटम नम्बर 6 में कालका परवानू जुड़ा हुआ है। फातमी जी ने दरभंगा-मुजफ्फरपुर लाईन के सर्वे के संबंध में कहा, इसका आदेश दे दिया गया है। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं पता लगा लूंगा। उसका सर्वे होगा और सर्वे होगा ही नहीं, हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

सभापति जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य इत्मीनान के साथ बोलें। मेरे पास सब कुछ फिगर्स हैं। मैं जवाब एक-एक कांस्टीट्यूएंसी का जानता हूं। दिन-रात मैं इसमें लगा रहता हूं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई चीज बोलें तो एक-एक करके बोलें। उन सबका जवाब दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जिनकी कोई चीज छूट गयी है और जो चिट्ठियां मेरे पास आई हैं, सुझाव आए हैं, उनका लिखित जवाब एक महीने के अंदर हम भेज देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : बांकुरा स्थित नदी दामोदर रेलवे पर क्या प्रगति हुई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अब 1997-98 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने

के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

मांग संख्या 2 और 16''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1997-98 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रु.
2.	विविध व्यय (सामान्य)	5,000
16.	परिसंपत्तियां, खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	20,000
	रेलवे निधियां	25,000
	जोड़	50,000

अपराह्न 3.33 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा विनियोग (रेल) विधेयक संख्यांक 4, 1997 पर विचार करेगी। माननीय रेल मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।*

सभापति महोदय : अब आप विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, मैंने रेल मंत्री जी का भाषण पूरी गंभीरता से सुना है और मुझे इस बात की शिकायत

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खण्ड 2, दिनांक 12.8.97 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री राम नाईक]

है कि इतना लम्बा उत्तर देने के बाद मुम्बई शहर के बारे में जो भी यहां समस्याएं उठाई गयी हैं उनमें से एक का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। मुम्बई शब्द का शायद उच्चारण भी उन्होंने नहीं किया है। मुम्बई की इतनी घोर उपेक्षा की गयी है।

अब मुझे केवल 32 पृष्ठ पर जो डिमांड है वह है कुर्ला से ठाणे तक जो सैकिंड फैज में पांचवीं और छठी लाइन में ली गयी हैं। यह जो बजट में लिया गया है उस पर से पैसा चला जाता है। केवल एक हजार रुपये की टोकन डिमांड है और बाकी के 9 लाख 99 हजार रिएप्रोप्रिएशन से लेना होगा। मुझे यह पूछना है कि यह जो एम.यू.टी.पी. सैकिंड फेज़, मुम्बई रेल का जो दूसरा हिस्सा था, उसमें यह काम सम्मिलित था और मार्च महीने में मैंने यह सवाल पूछा था कि विश्व बैंक से जो लोन मिलने वाला था वह मिला है या नहीं मिला है। दुबारा आपने उसके बारे में चर्चा की है या नहीं की है। वह लोन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह एक नीतिगत सवाल मैं यहां उपस्थित करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें आज की स्थिति क्या है?

दूसरी बात, यह जो ठाणे का लाइन लेने का तय किया है, उसमें आज झुग्गी-झोंपड़ी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनका स्थानांतर करने के बारे में रेल मंत्रालय ने कौन सा निर्णय किया है?

इसका खर्चा कौन वहन करने वाला है? यह काम कब शुरू होने वाला है?

कोंकण रेलवे की डिमांड के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से केवल इसलिए कह रहा हूं कि 87 करोड़ की डिमांड है। इसमें यह कहा गया है कि हम एक हजार रुपए टोकन के रूप में लेंगे और बाकी का सारा बचा हुआ एमाउन्ट 86 करोड़ 99 लाख 99 हजार रीएप्रोप्रिएशन से लिए जाएंगे। मतलब इतना बड़ा एमाउन्ट 87 करोड़ रीएप्रोप्रिएशन से लिया जाएगा। दूसरा कोई प्रोजेक्ट जो पहले तय हुआ है, वह पूरा न कर पैसे यहां से लिए जाएंगे। यह कौन सा प्रोजेक्ट है जहां से रीएप्रोप्रिएशन करके इतना बड़ा एमाउन्ट लेना चाहते हैं। वह प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता?

मेरी अंतिम बहुत गम्भीर बात है। आपने 26 फरवरी को जब बजट भाषण दिया तो उसमें जो कहा था मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोंकण रेल परियोजना का 98 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। मैंने इन सुरंगों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है। इस लाइन को जून, 1997 तक पूरा करने की आशा है और इस काम को पूरा करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक गाड़ी सेवाएं जून, 1997 तक चालू कर दी जाएगी।"

अपराह्न 3.37 बजे

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

अब अगस्त महीना है। 98 परसैंट काम पूरा हुआ। दो परसैंट काम केवल 5-6 महीने में पूरा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कठिनाई है? आप 87 करोड़ देंगे लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है?

मंत्री जी ने दादर से कोंकण रेल चलाने के बारे में जो बात कही थी, अगर वह उसका उत्तर देना उचित समझें तो यहां दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राम विलास पासवान : दूसरा पार्ट मैं पहले लेता हूं। आपको मालूम है कि कोंकण रेलवे की पहले पूंजी 600 करोड़ थी। वह बाद में बढ़कर 800 करोड़ हो गई। रेलवे को देने थे या देने हैं 102 करोड़ रुपए। बाकी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के राज्यों को देने हैं। उसमें रेलवे का जो शेयर 51 परसैंट है वह कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए बनते हैं। हमने पिछले साल 10 करोड़ रुपए दिए और इस साल 5 करोड़ रुपए दिए। इस हिसाब से 87 करोड़ रुपए बचते हैं। ऐसा प्रावधान इन सप्लीमैंट्री डिमांड्स के बजट में रखा है। हमने एक हजार टोकन के रूप में लिए। उसका दूसरा कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वह टोकन मनी है। 87 करोड़ में से 86 करोड़ 99 लाख और 99 हजार बचते हैं। वह हमें ऐप्रोप्रिएशन से लेने हैं। आपने कहा कि हम इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? मैंने अभी बताया कि हमें 170 करोड़ मिले हैं। वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें इसके लिए बधाई भी दी थी।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आपने "पुनर्विनियोग द्वारा" का उल्लेख किया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमें जो मिला है, हम उसमें से 87 करोड़ दे देंगे। इससे सारा मामला खत्म हो जाता है।

श्री राम नाईक : प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और आप वहां से उसे ट्रांसफर कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : दूसरा इन्होंने मुम्बई अरबन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कहा। माननीय सदस्यों को मालूम

है कि पहले फेज़-1 था, उसके फेज़-2 हुआ जैसाकि आपने कहा है। पहले तो सिर्फ रोड़ के लिये विश्व बैंक के पास गये तो उसने कंडीशन लगा दी और कहा कि रोड़ और रेल के लिए एक ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए तब जाकर मदद करेंगे। उसके बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर तय किया कि आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार देगी और आधा पैसा रेलवे देगा। जो पैसा हम देंगे उसमें हमारे पास मेन हैड 'लैंड यूटिलाईजेशन' है उसमें हमने कहा कि 1/3 पैसा मुम्बई पर खर्च करेंगे, 1/3 महाराष्ट्र पर और बाकी का 1/3 सारे देश पर खर्च करेंगे। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का मामला है, उनका पैसा बैंक से आयेगा, यह स्वाभाविक है लेकिम रेलवे को यदि 5 हजार करोड़ रुपया देना है तो उसमें ढाई करोड़ हमें देना होगा और यह पैसा कहां से आयेगा। आप जानते हैं कि बजटरी सपोर्ट से लेते हैं। इसके अलावा हमने दूसरे और भी प्लान्स बनाये हैं, उस मद में से भी लेने का है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाकर विश्व बैंक को भेज दिया है। हमें खुशी है कि हमने जो भेजा उसमें आपने मैंशन किया है बोरीवली-विरार चौथी लाईन, सिग्नल ठीक करना, कुर्ला-ठाणे, पांचवीं, छठी लाईन-बांद्रा और कुर्ला के बीच नई रेल लाईन और सान्ताक्रुज़ बोरीवली छठी लाईन और डी.सी. से ए.सी. किया जाना। ये सारे प्रोजेक्ट भेज दिये हैं इसके बाद विश्व बैंक ने प्रोजेक्ट की प्रीप्रेशन के लिये एक कंसलटेंट तय किया और उसकी स्टडी के लिये गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण पाइंट निकला कि फाईनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रैस्टोरेशन। इसमें सुझाव दिया गया कि इसका एक जोन बनाया जाये। यदि जोन तक मामला रहता तो ठीक था लेकिन उन्होंने कहा कि कार्पोरेशन बनाया जाये। फिर कहा गया कि कार्पोरेशन की प्लानिंग, आप्रेटिंग और मेनटिनेंस का सारा अधिकार उन्हें दे दिया जाये। देखने पर पता लगा कि मुम्बई की सारी रेलवे प्रापर्टी उनके जिम्मे चली जायेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप्रेटिंग दे देंगे तो वे तय करेंगे कि सबरबन पैसेंजर्स के हित में राजधानी देंगे या नहीं, दूसरी गाड़ी चलेगी या नहीं? यदि उनको लगे कि नहीं, सबरबन पैसेंजर के हित में यदि दूसरी गाड़ी काटनी पड़े तो दूसरी गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं, सारे के सारे अधिकार उन्होंने मांगने शुरू कर दिये। जब ये सारी चीज़ें की गई तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आई। हम लोगों ने सारी चीजें मान लीं लेकिन आप्रेटिंग के लिये कहा कि यह रेलवे के पास रहेगा। चाहे विश्व बैंक इसमें धमकी दे, उसके आगे हम नहीं झुकेंगे। अब स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें दिक्कत आई होगी। हम नहीं कह सकते कि उनको नहीं आई होगी। आप देखेंगे कि इसमें जितने स्टेट के अफसर हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपके चीफ सैक्रेटरी ने रेलवे से बात की है और अपनी स्वीकृति जाहिर की है। मुम्बई डेवलेपमेंट कार्पोरेशन कार्य करेगा लेकिन वह रेलवे बोर्ड के अंतर्गत रहेगा और सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखेगा। हमने कहा कि आपका कार्पोरेशन हम मानते हैं लेकिन वह कंस्ट्रक्शन का काम करे, रेलवे बोर्ड के अंदर रहे, उसमें एम.डी. रहेगा, दो अफसर आपके और दो अफसर हमारे रहेंगे, उसमें एक पार्ट टाईम चेयरमैन रहेगा जिससे को-आर्डिनेशन हो तथा काम सही तरीके से चलेगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले इनको खत्म करने दीजिये।

श्री राम विलास पासवान : हम कोई टैक्नीकल आदमी नहीं हैं और न कोई इक्नामिस्ट हूं। जो मेरे पास फैक्ट्स हैं,

[अनुवाद]

मुझे तथ्य रखने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, जहां तक इक्विटी का सवाल है उसमें 10 करोड़ रुपया लगेगा। उसमें भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि जो भी नामिनल राज्य सरकार देना चाहे, वह दे दे, बाकी रेलवे करेगा। फिर महाराष्ट्र सरकार के जितने भी सैक्रेट्री, चीफ सैक्रेट्री हैं वे सारे के सारे सहमत हैं। हमने यह सारी की सारी चीज लिखकर के वर्ल्ड बैंक को भेज दी है। हमने मार्च में वर्ल्ड बैंक को इस बारे में लिखा और महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल में लिखा। हमें पूरा विश्वास है कि यदि महाराष्ट्र सरकार और हम एक मत होकर इस बात पर क्लैरीफिकेशन दें, तो उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि वे इसको विथड्रा करें। हमें जो जानकारी है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि अभी तक उन्होंने इसे विथड्रा नहीं किया है, केवल धमकी दी है।

सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन से हमें इसके लिए 100 करोड़ रुपया मिल जाता है। यात्री टिकिट पर सरचार्ज आप भी लगाते हैं। हम लोगों ने इसके लिए सुझाव दिया है। इससे भी करीब-करीब 100 करोड़ रुपये मिल जाता है। महाराष्ट्र के चीफ सैक्रेट्री से हमारे अधिकारी की बात हुई थी। हमारे आफिसर ने उनसे कहा कि आप सी.एम. से पालिटिकल क्लीयरेंस ले लीजिए उधर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लीयरेंस ले लेंगे। मैं समझता हूं कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह जो मामला है, इसके आधार पर विश्व बैंक इसे वापस करने के बारे में नहीं सोचेगा।

सभापति महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बतला दूं कि जो प्रोजेक्ट हमने वर्ल्ड बैंक को दिए थे उनमें से वर्ल्ड बैंक की प्रतीक्षा किए बगैर हमने चार प्रोजेक्ट को इसमें शामिल कर लिया है। हमने बिना उनकी मदद के शामिल कर लिया है। बोरीवली से शांताक्रुज पांचवीं लाइन 1995-96 के बजट में शामिल है। बोरीवली से विरार, चौथी लाइन 1995-96 के बजट में शामिल है। इसी प्रकार से कुर्ला से भांडुप, पांचवीं और छठीं लाइन 1995-96 के बजट में और भांडुप से थाणे जो पांचवी

[श्री राम विलास पासवान]

छठीं लाइन का सैकिंड फेज है, वह हमने सप्लीमेंट्री बजट में शामिल करने का काम किया है।

सभापति महोदय, तीसरी बात कही गई कि हमारा जो टनल का काम चल रहा है वह आपने कहा था कि हम दिसंबर के महीने में पूरा कर देंगे। मैं आपनी जानकारी के लिए बतला दूं कि हमने दिसम्बर नहीं रखा था। हमने ओरिजनल अक्तूबर, 1996 रखा था और हमने सोचा था कि हम अक्तूबर में उसके ऊपर मालगाड़ी चलाएंगे और दिसंबर से पैसेंजर गाड़ी चलाएंगे। जब हमने देखा कि दिसम्बर तक नहीं चल पा रही है, तो मैं गोवा गया और पहली और सैकिंड जनवरी को टनल में था। मैंने स्वयं टनल का पूरा निरीक्षण किया क्योंकि मुझे गुस्सा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पर था। इसलिए मैं स्वयं चैक करना चाहता था। मैं समझता हूं कि श्री श्रीधरन के संबंध में आपको भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। सब लोग समझते है कि श्री श्रीधरन जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वे सबसे एफीशियेंट चेयरमैन हैं। यह आप सब लोगों की मान्यता है। लेकिन मुझको डाउट था। इसलिए मैं वहां गया।

सभापति महोदय, जब मैंने वहां पर जाकर टनल को देखा, तो मुझे लगा कि इस आदमी की कोई गलती नहीं है। फिर इन लोगों ने ऐक्सपैक्ट किया था कि चट्टान होगी और प्रति घंटे में एक मीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। बाद में मौका ऐसा आया कि पूरे दिन में मुश्किल से एक मीटर की रफ्तार से भी आगे नहीं बढ़ पाए। तब जाकर डबल लेयर बनाना शुरू किया। मैंने स्वयं देखा कि टनल में कहीं पानी गिर रहा था और कहीं से मलबा गिर रहा था। मैं उस समय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मैम्बर इंजीनियरिंग श्री रवीन्द्रन जी को लेकर गया और मैंने उनसे फिर पूछा कि आप हमें साफ-साफ बतलाएं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप्टीमिस्टिक हैं और समझते है कि अप्रैल के महीने तक यह काम पूरा हो जाएगा और यदि किसी तरह से नहीं हुआ, तो जून से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग कोई टैक्नीकल आदमी तो हैं नहीं जो इस बारे में कोई निश्चयपूर्वक बात कह सकें। हमने उनके जून में एक महीना और जोड़ दिया तथा वहां पर उपस्थित लोगों के समक्ष घोषणा कर दी कि हम इसका 15 अगस्त को उद्घाटन कर देंगे। वहां पर जर्मनी से एक्सपर्ट को बुलाया गया। फिर बरसात शुरू हो गई। बरसात का पानी बीच में घुस गया। इसको चैक करने के लिए मैं दुबारा वहां गया। इसके बाद जो मैंने वहां देखा, तो उसको देख कर मुझे लगा कि हम इसको 15 अगस्त तक कर पाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है और इसमें तीन महीने और लगेंगे, लेकिन हमारे अधिकारी अभी भी मुझे स्लिप लिखकर भेज रहे हैं कि यह बरसात के बाद पूरा हो जाएगा, लेकिन उस टनल की जो स्थिति मैंने देखी है, उसको देखकर मुझे उम्मीद है कि यह काम नवंबर या दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन दो बार कहने के बाद मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह दूं कि नवम्बर में वह पूरा हो ही जायेगा क्योंकि उधर के 50 मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इधर के 50 मीटर में भीषण दिक्कत है। आपके गोवा में पड़नम टनल है। सारे के सारे टनल बन सकते हैं लेकिन वहीं टनल के लिए थ्रू नहीं हो रहा है। यह वहां की पोजीशन है।

दूसरी बात आपने दादर और कुरला के संबंध में कहा। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं और मैंने कल बतलाया था कि दादर और कुरला का जो मामला है, हम स्वयं वहां ट्रेन चाहते हैं और मुझे हार्दिक इच्छा है कि जितना बढ़िया कोंकण रेलवे स्टेशन है। उस कोंकण रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन स्टार्ट हो तो निश्चित रूप से उस ट्रेन को दादर में या वी.टी., शिवाजी टर्मिनल में आकर रुकना चाहिए। यह मेरी पूरी की पूरी मान्यता है। लेकिन हमारे सामने लाचारी क्या है? मैं समझता हूं कि हमारे सांसद अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो शैड्यूल है, उस शैड्यूल में कहीं भी सबअर्बन ट्रेन बहुत तेजी से चल रही हैं। दो मिनट के बाद चल रही हैं, कहीं कोई गेप नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* या तो आप उस गेप को निकाल दीजिए कि आप इस ट्रेन को दादर में या मुम्बई में ला सकते हैं। यदि यह मामला हो तो हम उसके लिए सबसे ज्यादा खुशनसीब मिनिस्टर होंगे क्योंकि बिना डिस्टर्ब किये हुए वहां ट्रेन पहुंच जाती है। यदि उसमें संभव नहीं है तो आप कौन सी ट्रेन को काट सकते हैं, वह बतायें। मैंने कल बतलाया था कि वहां से चार ट्रेन चलती हैं। एक ट्रेन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के लिए चलती है और दूसरी ट्रेन चेन्नई के लिए चलती है। तीसरी ट्रेन पंजाब में अमृतसर के लिए चलती है और चौथी ट्रेन सर्वोदय एक्सप्रेस नागपुर के लिए चलती है। नागपुर आपके महाराष्ट्र में है। नागपुर के लोगों को आप मना सकते हैं, इसके बारे में मुझको मालूम नहीं है। यदि आप नागपुर के लोगों को मना लेते हैं तो उसके बदले में हम उस ट्रेन को वहां कर सकते हैं। नहीं तो पंजाब के साथी हैं। वहां भी बी.जे.पी. और अकाली दल की सरकार है। यदि उनको कोई आपत्ति न हो तो अमृतसर वाली ट्रेन को काट दें। यदि नहीं तो यू.पी. में भी आपकी सरकार। यदि वहां तैयार हों तो फिर वहां कर दें या चेन्नई के साथी तैयार हों तो चेन्नई में कर दें। ...*(व्यवधान)* बहुत डेलीकेट मामला है। ...*(व्यवधान)* आप रेलवे के एक्सपर्ट हैं इसलिए मैंने बुलाया है। कल ही हम बुला लेते लेकिन श्री शरद पवार साहब नहीं थे। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सब पार्टियों के जितने लीडर्स हैं, वे सब बैठ जायें। हमको खुशी होगी। आप बिना किसी शैड्यूल के, बिना किसी गाड़ी को डिस्टर्ब किये हुए उस गाड़ी को दादर स्टेशन पर ले आइये। यदि नहीं तो किस गाड़ी को डिस्टर्ब करना है, यह आप हमें बतला दीजिए कि आप इस गाड़ी को हटा दीजिए।

जहां तक कुरला का सवाल है। कुरला के डेवलपमेंट के लिए हम कमिटेड हैं और हम आपसे भी बात करेंगे कि क्यों मुम्बई में इतने इलाके पिछड़े हुए हैं। जहां आपको पैसा लगाना है वहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाये और जहां रेलवे को पैसा लगाना है वहां रेलवे पैसा लगायेगी। क्यों नहीं आपने एरिया को डेवलप किया है? दिल्ली में 15-16 नम्बर के प्लेटफार्म को किसी तरह से हम बना सकते हैं लेकिन दादर में कहा से बनायेंगे? मुंबई में कहां से प्लेटफार्म बनायेंगे? यह टेक्नीकल मामला है। इसको पार्टी के आधार पर नहीं लेना चाहिए और उसको लेकर यदि रेल मंत्री अनस्टार्ड क्वश्चन में कुछ बोल दे और उसके आधार पर फतवा जारी हो जाये कि हम तो रेल मंत्री को घुसने नहीं देंगे, तो इससे ज्यादा क्या होगा?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को देख लिया जाये। दूसरी बात, मैंने किसी बैड इंटेंशन से कल नहीं कहा था। जब मैंने दादर के नामांकन के संबंध में कहा था तो उस संबंध में मेरे पास जो फाइल है, उस फाइल में कांग्रेस के लीडर का पत्र है। उस फाइल में जनता दल के लीडर का पत्र है। उस फाइल में आपके प्रमोद महाजन का तीन मई का पत्र है कि इनका नाम बदलना चाहिए। इन्होंने छह प्वाइंट दिये हैं। ...*(व्यवधान)* ठीक है, मैं वह पत्र पढ़ देता हूं। वह पत्र तीन मई का है। मैं उसे पढ़ रहा हूं:

> "दादर रेलवे स्थानक का नाम भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्थानक करने ...*(व्यवधान)* इसी आधार पर हो जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप चैत भूमि के बदले में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रख लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप तैयार हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर स्थानक करने के बारे में आग्रह। निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देकर तुरंत कार्यवाही करें। प्रार्थना-
>
> 1. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि चैत भूमि की ओर जाने के लिए पूरे देश से लाखों लोग दादर स्थानक पर आते हैं।
>
> 2. दादर स्थानक के पास ही हिन्दू कालोनी में बाबा साहेब अम्बेडकर का राजगृह निवास स्थान देखने के लिए लाखों लोग श्रद्धा से आते हैं।
>
> 3. दादर-बाटला में टी.ई. सोसाइटी की सिद्धार्थ बस्तीगृह और डा. बाबा साहेब अम्बेडकर कालेज भी स्थित है।
>
> 4. बौद्ध जनपंचायत के सभागार सभागृह दादर में है। वहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी का निवास होने से उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर का ही नाम दिया गया।
>
> 5. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जनता प्रभुधारक और बहिष्कृत भारत का भिति पत्र दादर में बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रैस से शुरू किया।
>
> 6. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी श्रीमती माई साहिबी दादर में रहती है।"

इन छः ग्राउंड्स पर उन्होंने मांगा। रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से हर पार्टी के लोग आजादी के पचासवें साल में बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराज के विभूति शिवाजी महाराज रहे हैं, साहू जी महाराज रहे हैं, महात्मा फूले रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं। ये सारे आपके विभूति हैं। पहले महाराष्ट्र के हैं तब देश और संसार के हैं। कांग्रेस की हमारे पास चिट्ठी है। वे मांग करते हैं और उस मांग के लिए यदि हम महाराष्ट्र सरकार को लिखते हैं कि वह इस संबंध में ...*(व्यवधान)* हमको तो सारे नेताओं पर श्रद्धा है। इसलिए मैंने इतना ही महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि वहां एक पॉपुलर डिमांड है। उस पॉपुलर डिमांड को आजादी के पचासवें साल में यदि आप मान सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं आज भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर इतनी बड़ी विभूति थे। उनके लिए एक स्टेशन का नाम बदलने से उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे और नाम नहीं बदलने से उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद नहीं लगेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं और न ही मैंने कभी उनको किसी कास्ट के दृष्टिकोण से देखा है। अगस्त क्रान्ति में मैंने कहा था कि जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को दलित के नेता के रूप में मानते हैं वे बाबा साहेब अम्बेडकर को कम करना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का अध्ययन पूरे मानव समाज की मुक्ति के लिए था और जो समाज के गरीब, दलित वर्ग के लोग थे, उनके उत्थान के लिए था। आज ही नहीं, जब श्री वी.पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी मैंने किया था, भविष्य में भी करेंगे। मैं राज्य सरकार को उदारता के लिए कह रहा था। यह निर्णय राज्य सरकार करे कि उसे करना है या नहीं करना है। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

दादर और कुर्ला का जो मामला है, उसमें हम हर पार्टी के लीडर्स को बुलाएंगे। आप हमें बताइए। लेकिन यदि कोई रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर धमकी देने का काम करेगा तो मैं समझता हूं कि राम नाईक जी, आपको आगे आकर बचाव का काम करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मंत्री जी, केवल एक बात रह गई है कि मुम्बई सबर्बन रेलवे कोर्पोरेशन की स्थापना कब करेंगे। यदि इतना

[श्री राम नाईक]

बता देंगे तो मुझे लगता है कि कोर्पोरेशन की बात पूरी हो जाएगी। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह तो एक पैकेज का अंग है और आपके चीफ सैक्रेटरी ही कौआर्डिनेटर हैं। मैं समझता हूं कि आपको हमारे रेल मंत्रालय से ज्यादा महाराष्ट्र सरकार ज्यादा औथेन्टिक तरीके से बता सकती है।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम रेल मंत्री के आभारी हैं कि कल उन्होंने हमारी मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सब ठीक है। परन्तु यह 'सज्जन' कहते हैं कि वह आत्म-दाह करने जा रहे हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा न करें। कल मंत्री जी ने कुछ कहा था परन्तु यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है। यदि मंत्री महोदय इसे अब कहें तो यह बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम जब बोलते हैं तो रिकार्ड के लिए नहीं, ...*(व्यवधान)* बीच-बीच में बहुत बोल देते हैं। मैंने कल भी कहा ...*(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : राम विलास जी, जो आर.पी.एफ. की वैलफेयर एसोसिएशन है, आपने कल कहा कि आप पूरे उनके हक में हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अन्य कोई मिनिस्टर होंगे, जैसा हमें बातों से जायजा लगा, जो उसका विरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं।

कर्नल राव राम सिंह : तो गवर्नमेंट की तो एक राय होनी चाहिए। आप उनको कन्विंस कीजिए। आप रेल मंत्री हैं, आप उनको कन्विंस करें। उनकी वैलफेयर एसोसिएशन होनी चाहिए, उसमें किसी को क्या हर्ज है?

श्री राम विलास पासवान : कर्नल साहब, आप तो बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं, आप सारी चीजें जानते हैं कि हर मिनिस्ट्री को स्वतंत्र राय देने का अधिकार है। हम यदि कोई चीज करते हैं,

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय को सत्य कहने का पूरा हक है। विधि मंत्रालय को सत्य कहने का पूरा हक है।

[हिन्दी]

तो हर मिनिस्ट्री का अपना अधिकार है। हमारे भूतपूर्व मंत्री जितने लोग रहे हैं, दुर्भाग्य हुआ कि सब लोग जाने के समय में ही करते चले गये और मामला आगे बढ़ा नहीं। लेकिन मैं इस बात को मानकर के चलता हूं कि वैलफेयर का उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर तो लैफ्ट माइंडेड हैं, हमेशा ट्रेड यूनियन के लोग रहे हैं, उनकी नीयत पर हम शंका नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक तरफ से मामला आ जाता है कि आर्म्ड फोर्सेज़ हैं तो दूसरी तरफ टैक्नीकल मामला उठता है कि आर्म्ड फोर्सेज़ को आर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है कि नहीं है। यहां बेसिक पाइंट आ जाता है और यदि तुमको रहना है तो फिर उस लॉ का संशोधन करना होगा। ...*(व्यवधान)* एक मिनट में खत्म करता हूं।

मैंने एक बार नहीं दो-दो बार होम मिनिस्टर से आग्रह किया। दो-दो बार होम मिनिस्टर साहब ने लोगों को बुलाया। उसमें हम भी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे, बसुदेव आचार्य जी भी थे, जनेश्वर मिश्र भी थे और अन्त में यह तय हुआ, होम मिनिस्टर ने कहा, सब लोगों की एक आम राय हुई कि लॉ मिनिस्ट्री से उनको ओपिनियन लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि लॉ मिनिस्टर की जो ओपिनियन आई, वह ओपिनियन निगेटिव में आई। सपोज कहिए कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन निगेटिव में आती है और एज़ ए रेलवे मिनिस्टर हम आउट ऑफ दि वे जाकर कर देते हैं तो कल को इसी पार्लियामेंट में आप हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे कि आप डिक्टेटर हैं क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री कुछ कहती है और आप कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कल कहा कि मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि फिर आप एक बार बैठक बुलाइये। हमको भी बुलाइये और लॉ मिनिस्टर को भी बुलाइये और जो भूतपूर्व हमारे तीनों मिनिस्टर रहे हैं, जनेश्वर मिश्र जी ...*(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह : मंत्री महोदय, माफ करना, इसमें आप एक लैकूना ला रहे हैं। आप आर्म्ड फोर्सेज़ से आर.पी.एफ. को कम्पेयर जो करते हैं,

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाएं सशस्त्र सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के परिक्षेत्र में आते हैं। यह पूर्णत: भिन्न अधिनियम है।

[हिन्दी]

उसके तहत वे नहीं बना सकते, आर्म्ड फोर्सेज़ वैलफेयर एसोसिएशन नहीं बना सकते। रेलवे सुरक्षा बल सशस्त्र सेना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। आर.पी.एफ. का एक कोई सैपरेट एक्ट हो, जिसके तहत उनका डिसिप्लिनरी काम चलता हो तो मैं समझ

सकता हूं कि लॉ का पाइंट आता है। इसमें लीगल पाईंट क्या एराइज़ होता है, हमारी तो समझ में नहीं आता।

श्री राम विलास पासवान : मैंने वही कहा, यदि आप कहें तो मैं आग्रह करूंगा कि आप भी उसमें रहें। मैं तो चाहता हूं कि हमको कोई असिस्ट करने वाला मिले। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री की हैसियत से रेल मंत्रालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी जो हमारे साथी हैं, वे साथी इसमें कोई एक्स्ट्रीम कार्रवाई या इस तरह की जो चीज़ नहीं करें।

कर्नल राम सिंह जी, यदि आप इसमें देखेंगे तो मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरे पास में पावर नहीं थी, लेकिन मैंने कल्याण निधि के लिए 60 लाख रुपया दिया है। आर.पी.एफ. की कल्याण निधि के लिए हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम आर.पी.एफ. डे में गये थे तो मैं पहला रेल मंत्री था, जिसे कुर्सी सहित सब ने उठा लिया था और तीन घंटे तक नाचते रहे थे। हमको डर लग रहा था कि गिर जाएंगे। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बैठ कर इस समस्या का निदान करें, इसलिए मैं अपने साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे कोई भी आन्दोलन, चाहे शान्तिपूर्ण सत्याग्रह हो, चाहे सैल्फ इम्मोलेशन की बात हो, चाहे और कोई भी दूसरी बात हो, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि इस आन्दोलन की राह को छोड़ दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.08 बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)*

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 2, 4 से 6, 9 से 11, 14, 15, 22, 23, 26, 28, 34, 35, 38, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 57 से 59, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 98 से 102 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदायगी करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1997-98 की अनुदानों की पूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	1,00,000	
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	37,50,00,000	...
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2,50,00,000	...
6.	उर्वरक विभाग	46,99,00,000	1,00,000
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	50,00,000	...
10.	कोयला मंत्रालय	2,50,00,000	
11.	वाणिज्य विभाग	2,00,00,000	...
14.	दूर संचार विभाग	42,97,00,000	
15.	रक्षा मंत्रालय	5,50,00,000	
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	
23.	विदेश मंत्रालय	40,00,00,000	
26.	वित्तीय संस्थाओं की अदायगियां	...	85,00,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	285,00,00,000	...
34.	राजस्व विभाग	7,20,00,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
35.	प्रत्यक्ष कर	93,30,00,000	...
38.	खाद्य मंत्रालय	125,00,00,000	
43.	गृह मंत्रालय	15,00,00,000	
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	108,00,00,000	...
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	16,37,00,000	21,56,00,000
50.	संस्कृति विभाग	4,76,00,000	
52.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	1,00,000	...
54.	भारी उद्योग विभाग	106,76,00,000	18,01,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,01,00,000	
57.	प्रसारण सेवाएं	2,00,000	2,00,000
58.	श्रम मंत्रालय	4,50,00,000	...
59.	विधि और न्याय	73,00,000	
62.	खान मंत्रालय	17,00,00,000	...
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50,00,000	
67.	योजना	1,00,000	...

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1997-98 की अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	1,00,000	...
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	37,50,00,000	
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2,50,00,000	
6.	उर्वरक विभाग	46,99,00,000	1,00,000
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	50,00,000	...
10.	कोयला मंत्रालय	2,50,00,000	
11.	वाणिज्य विभाग	2,00,00,000	
14.	दूर संचार विभाग	42,97,00,000	
15.	रक्षा मंत्रालय	5,50,00,000	...
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	
23.	विदेश मंत्रालय	40,00,00,000	
26.	वित्तीय संस्थाओं की अदायगियां		85,00,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	285,00,00,000	...
34.	राजस्व विभाग	7,20,00,000	...

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
35.	प्रत्यक्ष कर	93,30,00,000	...
38.	खाद्य मंत्रालय	125,00,00,000	...
43.	गृह मंत्रालय	15,00,00,000	
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	108,00,00,000	...
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	16,37,00,000	21,56,00,000
50.	संस्कृति विभाग	4,76,00,000	...
52.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	1,00,000	...
54.	भारी उद्योग विभाग	106,76,00,000	18,01,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,01,00,000	
57.	प्रसारण सेवाएं	2,00,000	2,00,000
58.	श्रम मंत्रालय	4,50,00,000	
59.	विधि और न्याय	73,00,000	...
62.	खान मंत्रालय	17,00,00,000	...
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50,00,000	
67.	योजना	1,00,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
70.	विद्युत मंत्रालय	200,00,00,000	697,50,00,000
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	50,00,00,000	...
77.	इस्पात मंत्रालय	34,00,00,000	...
78.	भूतल परिवहन	95,01,00,000	...
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1,00,00,000	...
81.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	10,18,00,000	249,87,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन		1,00,000
86.	जल संसाधन मंत्रालय	2,50,00,000	
88.	परमाणु ऊर्जा	1,50,00,000	
89.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	...	147,00,00,000
98.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,48,00,000	2,72,00,000
99.	चंडीगढ़	5,52,00,000	1,35,00,000
100.	दादरा और नागर हवेली	80,00,000	1,91,00,000
101.	दमन और दीव		2,36,00,000
102.	लक्षद्वीप	1,77,00,000	1,50,00,000
	कुल जोड़	1379,41,00,000	1228,82,00,000

अब हम अगली मद 1997-98 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरंभ करेंगे और मतदान करेंगे।

आबंटित समय दो घण्टे है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह विधेयक राज्य सभा को भेजा जाना है।

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): हम छः बजे तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलें। मैं यह आपत्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय की कमी है। सदस्य केवल उन्हीं अनुदानों का उल्लेख करें जो बजट में सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, हमारे सामने 3 हजार 936.55 करोड़ रुपये की 47 मांगें रखी गई हैं। ये रिएप्रोप्रिएशन के लिए लाई गई हैं। मैं नहीं समझ पाया, जब हमने इन सब ग्रांट्स को देखा कि ये सबमें कैसे रिएप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। इसको कहीं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की गई है। मैं सबसे पहले इसका उदाहरण देना चाहता हूं। पेज नं. 19 में डिमांड नं. 46 है। जिसमें 108 करोड़ रुपए इसलिए रखे गए हैं कि कश्मीर में जो कर्जे दिए गए थे, उनको माफ किया जाए।

सभापति जी, सारा देश जानता है कि इसी संसद में देवगौड़ा जी ने, जब वे प्रधान मंत्री थे, एक पैकेज पिछले वर्ष घोषित किया था। इस बजट से पहले घोषित किया था। आठ महीने पहले उन्होंने पैकेज अनाउंस करते हुए कहा था कि 50 करोड़ रुपये के ऊपर जितने भी कर्ज हैं उनको हम माफ करेंगे। मैं नहीं समझ पाया जो पैकेज था, उसके द्वारा जो कर्जे माफ करने थे, वे बजट में क्यों नहीं आए। आज ये सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं खासकर वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम पूरे कश्मीर के कर्जे माफ कर देंगे। कश्मीर का मतलब है कि उसमें लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की वादी भी आती है लेकिन आज इम्प्रैशन यह दिया जा रहा है कि कर्जे कश्मीर की वादी के माफ होंगे। न जम्मू के माफ होंगे और न लद्दाख के माफ होंगे।

यह जो इंसरजेंसी का पीरिएड आठ वर्षों का रहा है, उसने सारे राज्य के अंदर तबाही मचाई है। सारे राज्य के अंदर नुकसान हुआ है। राज्य में जितने उद्योग थे, सबके सब फेल हो गए, कुछ काम नहीं हो पाया। जब प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी तो हमें खुशी हुई लेकिन आज भेदभाव करने की बात सोची जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह घोषणा करें कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पैकेज के अंदर पांच चीजें कही थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि कश्मीर में रेल चलाई जाएगी। 2500 करोड़ रुपया उसके लिए रख गया था। उसी के साथ-साथ जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटि बनेगी, दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनेगा। यह भी उसी के अंदर था।

अपराह्न 4.12 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

अब आप विचार कर लीजिए कि उस पैकेज में से ही यह पहली चीज कर्जे की माफी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ जो ये कर्जे माफ किए जा रहे हैं, लेकिन तीनों रीजन्स का ख्याल रखा जाए। खासकर इनके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जब 10,000 रुपए के कर्जे माफ करने की बात कही थी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके 10,000 रुपए के कर्जे आज तक माफ नहीं किए गए। जिन लोगों का कृषि की वजह से नुकसान हुआ है, उसको भी इसमें गिनती में ले लें, यह मेरा निवेदन है।

दूसरे, डिमाण्ड नं. 70 पृष्ठ 32 पर है जिसके अंदर दुलहस्ती, रंजीत सागर और उरी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 897.50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही दोहराना चाहूंगा कि यह दुलहस्ती या उरी की चर्चा इसमें आई है, यह भी प्री-बजट एक्सपेंडीचर था। बाकायदा प्रधान मंत्री जी ने अपने पैकेज के अंदर घोषणा की थी और आज 897.50 करोड़ रुपया एकदम मांग रहे हैं कि इसको सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के अंदर रख दीजिए। हमें खुशी है कि दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनेगा, उरी पूरा होगा लेकिन उसी के साथ-साथ मैं यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि खासकर दुलहस्ती का जो प्रोजेक्ट था, यह कुल मिलाकर उस समय 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। आज तक इसके ऊपर आपने 1450 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। आज इसकी लागत 3500 करोड़ रुपया बताई जा रही है। उस इलाके में मिलिटेंसी है। पिछली बार भी जब यह प्रोजेक्ट बंद हुआ तो इसी वजह से बंद हो गया था क्योंकि मिलिटेंसी के समय में एक फ्रेंच फर्म ने उस दुलहस्ती प्रोजेक्ट का ठेका लिया हुआ था और उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसका एक इंजीनियर किडनैप हो गया। वे सारे के सारे अपना बोरिया-बिस्तर लेकर चले गए। यह अजीब ढंग है कि बहुत अधिक पैसा पहले ही हम दे देते हैं। वे लोग पैसा लेकर चले गए, काम बंद हो गया।

मैं चाहूंगा कि दुलहस्ती प्रोजैक्ट स्वदेशी फर्म को दिया जाए और उसी के साथ-साथ हमारी कोशिश हो कि हम काम को पूरा कर सके। जैसा मैंने कहा कि यह 450-500 करोड़ रुपए

[श्री चमनलाल गुप्त]

का प्रोजेक्ट था, जो अब 3500 करोड़ रुपए का हो गया और मुझे नहीं लगता है कि यह 5000 हजार करोड़ रुपए में भी पूरा हो सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाए, वहां पर इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। यह पैसा उग्रवादियों के पास न जाए। यह पैसा इस प्रोजैक्ट पर ठीक से खर्च हो। इसकी व्यवस्था आपको यहां से करनी होगी। अगर केन्द्र यहां से व्यवस्था नहीं करेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से पिछले छः-सात वर्षों में करोड़ों-अरबों रुपए हमारे उग्रवादियों के पास गए हैं और उन्होंने उसी पैसे से हथियार खरीदे हैं और सारी इन्सरजैंसी को चलाया है, आज फिर वही काम हो सकते हैं, इसलिए आज मोनिटरिंग की व्यवस्था अत्यन्त जरूरी है। इसका मैं वित्त मंत्री जी से एश्योरेंस भी चाहूंगा।

इसी प्रकार रंजितसागर डैम के कम्पलीशन की बात है। इसमें बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। विशेषकर बसौली और बिलवारा का इलाका है, जो पूरी तरह से पानी के अन्दर आ रहे हैं। बिजली पंजाब को मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी और हरियाणा को मिलेगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के गांव डूब रहे हैं। उन गांवों को सैटल करना भी बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। बसौली और कटुवा के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन यह डैम बन जाने से दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। बसौली का जिला हैडक्वार्टर कटुवा है और अब यहां का व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करके कैसे आएगा। इसलिए पंजाब की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में तय हुआ था कि दोनों सरकारें मिलकर एक पुल पंजाब और बसौली को मिलाते हुए बनेगा। इस पुल की लागत उस समय कुल 18 करोड़ रुपए थी। चार साल पहले बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उस पुल को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए। खर्चा बढ़ जाने से कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, न पंजाब की सरकार कर रही है और न ही जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। लोगों को कितनी परेशानी है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पुल को तुरन्त बनाने के लिए पैसा दें, चाहे आप इसकी व्यवस्था इस बजट में करें और किसी अन्य बजट में इसका प्रोवीजन करें, ताकि वह पुल तुरन्त बन सके और वहां के लोगों को यह सुविधा मिल सके।

पेज-18, डिमान्ड 43:- 15 करोड़ रुपए आप मांग रहे हैं,

[अनुवाद]

सिक्रेट सर्विसेज का खर्च पूरा करने के लिए आसूचना ब्यूरो के लिए अपेक्षित धनराशि में वृद्धि करने के लिए,

[हिन्दी]

मैं यह नहीं समझ पाया कि ये सर्विसेज कौन सी हैं और कैसी सिक्रेट सर्विसेज हैं, जिसको आप यहां एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिक्रेट सर्विसेज हमारे देश में क्या गुल खिला रही है, यदि मैं उसकी चर्चा करूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ आपने सिक्रेट सर्विसेज के लिए यह फन्ड रखा है और गुजराल साहब कहते हैं कि सारे देश के अन्दर ट्रांसपेंसी देंगे तथा दूसरी तरफ आप 15 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, खाली सिक्रेट सर्विसेज के लिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने दो-तीन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस बात को आप जानते हैं कि 108 करोड़ रुपये आपने कर्जा माफ करने के लिए रखा। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके कामकाज नहीं चल सके। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चार लाख आदमी वहां से भाग कर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कैम्पों के अंदर बैठे हुए हैं। जम्मू के अंदर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपने उन माइग्रेंट्स के लिए यहां एक पैसा भी नहीं रखा। आपने उनकी चर्चा ही नहीं की कि उनको भी किसी चीज की जरूरत होगी, जो अपना सब कुछ उजाड़ कर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप उनको वहां पर बसाना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं यह अच्छी बात हैं, लेकिन इस तरफ आप ध्यान नहीं देते, यह आपकी किस तरह की सोच है? आप जम्मू-कश्मीर के सारे इलाके में घूम आइए, यहां पर नरसिम्हा राव जी बैठे हैं हमने इनके नोटिस में बहुत बार ये चीजें लाई थी। जम्मू-कश्मीर के अंदर एक श्रीनगर शहर और जम्मू शहर, इन दो शहरों को छोड़ करके कहीं भी आपको हिन्दुस्तान का दूरदर्शन का टी.वी. दिखाई नहीं देता। जम्मू से शुरू हो जाइए, कठुआ में भी अगर आप पाकिस्तान का टी.वी. देखना चाहते हैं तो आपको सब अच्छा दिखाई देगा। सारी वैली के अंदर पाकिस्तान का टी.वी. चलेगा। पूरे राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान का टी.वी. चलेगा। पूरे डोडा के अंदर पाकिस्तान का टी.वी. दिखाई देगा लेकिन हिन्दुस्तान का टी.वी. दिखाई नहीं देता। हमने बीसों बार आपके सामने यह बात रखी, आपने कम्युनिकेशन के लिए यहां पर पैसे मांगे हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप वहां की जो बर्निंग प्रोब्लम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वहां के लोग हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आज प्रोपागेंडा की कितनी बड़ी वेल्यू है। आज वहां पर क्या हालत हो रही है यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहां एक भी आपका प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हिन्दुस्तान का दूरदर्शन टी.वी. दिखाई दे। इसलिए मैं चाहता था कि अगर आप उसके लिए भी कुछ फंड्स रखते तो बहुत ही अच्छा होता। खास तौर से यह राजौरी, पुंछ, डोडा,

कठुआ और वैली के जो बाकी जिले हैं उनके अंदर दूरदर्शन पूरी तरह से दिखाई दे, उसका बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा।

महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में मिलिटेंसी ने काफी गुल खिलाए हैं, आप वहां के लिए कुछ फंड्स हमें दे रहे हैं, कर्जे माफ कर रहे हैं। ये कर्जे पूरे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अंदर माफ हों, इसका आपको कोई न कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा और साथ ही ये जो पैसा जा रहा है, ये जिन कामों के लिए आपने निर्धारित किया है उन्हीं पर ठीक से खर्च हो और मिलिटेंट्स के पास न जाए, इसके लिए आपको पूरा प्रबंध करना पड़ेगा, कोई मॉनिटरिंग एजेंसी बनानी पड़ेगी, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, वाद-विवाद में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों में जो बताया है, उससे मैं सहमत हूं या वह जो कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। परन्तु दल के व्हिप का पालन करना और सरकार की स्थिरता के लिए समर्थन देना मेरा कर्त्तव्य है। इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

माननीय वित्त मंत्री ने सपने जैसा बढ़िया बजट और अब अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं। परन्तु अर्थव्यवस्था पर बजट का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या अर्थव्यवस्था कोई सकारात्मक परिवर्तन को दर्शा रही है?

एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों की भर्त्सना की थी। उन्होंने उद्योगपतियों से बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया करने का अनुरोध किया था और उन्होंने उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने के लिए उनकी भर्त्सना की थी। इसका सीधा सा कारण है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है।

वर्ष 1991 में जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने देश में प्रधानमंत्री का पद-भार सम्भाला था तब औद्योगिक उत्पादन बहुत ही कम था। यह -1 था और कुछ ही वर्षों में हम इसे लगभग दस प्रतिशत पर ले आये। वृद्धि दर को कायम नहीं रखा गया है। वृद्धि दर नीचे गिर रही है। इसे वित्त मंत्री द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। इसका क्या कारण है?

जहां तक मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, यह बात सही है कि यह दर घट कर पांच प्रतिशत हो गई है। परन्तु क्या इसका असर बाजारों पर पड़ा है? हमें किसी भी वस्तु, उपभोक्ता वस्तुओं सहित, का दाम बाजारों में कम होता हुआ नहीं दिखता है। मैं थोक बाजारों के बारे में नहीं जानता लेकिन खुदरा बाजार हमेशा कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। क्या वास्तव में मुद्रास्फीति में गिरावट आई है जैसाकि सरकारी आंकड़े दर्शा रहे हैं? क्या कारण है कि इसका असर बाजारों पर नहीं पड़ा है? यदि बाजारों पर उसका असर नहीं पड़ा है तो यह सरकार की अक्षमता और अयोग्यता है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें।

निर्यात के बारे में क्या स्थिति है? श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान डालर के रूप में निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और अब निर्यात वृद्धि कम हो गई है। यह बात समाचार-पत्रों में छप चुकी है मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री सभा को यह बताएं कि क्या निर्यात में वृद्धि हो रही है। मैं कह सकता हूं कि निर्यात वृद्धि की दर कम हो गई है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।

भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है? भुगतान संतुलन की स्थिति फिर से और ज्यादा प्रतिकूल और ज्यादा नकारात्मक हो गई है। इसका क्या कारण है? क्या विदेशी कर्ज कम हो गया है? यह फिर से बढ़ रहा है। तब ऐसा आर्थिक संकेतक क्या है जिससे आप यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की मजबूती बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री द्वारा यह बात स्पष्ट की जाए।

रोजगार के अवसरों के सृजन की क्या स्थिति है? यह बात सच है कि ऐसा भी समय था जब बजट को रोजगार सृजन कार्यों में निवेश किया जाता था। अब बजट उस उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। दुर्भाग्यवश, यह छंटनी के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। देश के भीतर से या बाहर कहां से निवेश आ रहा है जिससे कि रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ी हो? मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में देश के भीतर से या बाहर से कुल कितना निवेश हुआ है। मुझे विदेशों से निवेश आमंत्रित करने का स्वागत करने में कोई हर्ज नहीं है। निवेश किसी से भी आने दीजिए। परन्तु कुल निवेश कितना हुआ है जिससे रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन किया गया है? रोजगार के कुल कितने अवसर पैदा किए गए है? वास्तव में बेरोजगारी बढ़ रही है और नए रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है। कम से कम मेरे अनुभव से, केरल में, मुझे कोई आशंका नहीं है और केरल के मेरे सभी मित्र इस बात से सहमत होंगे, कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार का कार्यक्रम कहां है? मैं इस बजट में कुछ विशेष बात नहीं देखता हूं केवल यह उम्मीद है कि विदेशों से निवेश आएगा और उससे हमें मदद मिलेगी। वह कहां है, मैं नहीं

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

जानता। जहां तक बुनियादी सुविधाओं संबंधी विकास का संबंध है, सरकार बुनियादी सेवा संबंधी क्षेत्र में निवेश नहीं कर रही है। और इसके लिए धन है कहां? क्या बुनियादी सुविधाओं संबंधी क्षेत्र में कोई निवेश हुआ है? गत पांच वर्षों में उदारीकरण के बाद भी बुनियादी सुविधाओं संबंधी क्षेत्र में उतना निवेश नहीं किया गया जितने निवेश की आशा थी। इधर-उधर कुछ निवेश हो सकता है लेकिन वह इस विशाल देश की मांग के अनुरूप नहीं हो सकता जहां कि विद्युत की अत्यधिक कमी हो और बुनियादी सेवा संबंधी क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में कमी हो। इन समस्याओं से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय की कार्य-योजना कहां है? मैं यही जानना चाहता हूं। अत: जहां तक मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में सभी ओर से अशुभ संकेत ही मिल रहे हैं।

इसके साथ ही हम जो कर रहे हैं उसमें नुकसान क्या है? हमारे पास सशक्त लघु उद्योग क्षेत्र थे।

हमारे देश के लिए यह बहुत विचित्र बात थी कि सभी विकासशील देशों ने हमारे विकसित लघु उद्योग क्षेत्र की प्रशंसा की थी। हमारे यहां निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चालीस प्रतिशत वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्र की होती थी। आज लघु उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ऐसा क्यों है? वित्त मंत्रालय इसे आरक्षण मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जबकि लघु उद्योग क्षेत्र का आरक्षण होता है। मुझे संख्या ज्ञात नहीं है लेकिन कम से कम कुछ उद्योगों की संख्या ऐसी है जो लघु उद्योग क्षेत्र में होने चाहिए। लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र के कुटीर और ग्रामोद्योगों के निवेश की सीमा 75 लाख रुपये अथवा इसके आस-पास नियत कर दी गई है। सरकार का प्रयास क्या है? उनको आरक्षण मुक्त करना है। जब मैं कुछ समय के लिए उद्योग मंत्री था तब इस प्रकार के प्रयास किये गये थे, मैंने उनका प्रतिरोध किया था। जब तक मैं उद्योग मंत्री रहा तब तक मैंने उनका विरोध किया। अब मैं समझता हूं कि निवेश संबंधी सीमा बढ़ा दी गई है और इसे आरक्षण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह किसके प्रभाव से किया जा रहा है। मैंने अपने उन वामपंथी मित्रों जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का विरोध करते हैं, से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इससे सहमत हैं। इसके लिए आप संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड़) : आप सरकारी क्षेत्र के बारे में चुप क्यों हैं? कृपया इसके बारे में कुछ बोलिए।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। लघु उद्योग क्षेत्र पर भारत को गर्व है। यह हमारी शान है। इसकी रक्षा की जानी चाहिए सभी लोग इसको समाप्त करने, कमजोर करने अथवा आरक्षण मुक्त रखने का विरोध करें।

मैं अपने राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर आता हूं। संसद के अन्तिम सत्र में भी मैंने यह मामला उठाया था। रबर और नारियल केरल की प्रमुख पैदावार हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था रबर और नारियल पर निर्भर है। आप किसी भी घर में चले जाइये आपको या तो कुछ रबर के पौधे मिलेंगे या फिर नारियल के पौधे मिलेंगे। आप समुद्री तटीय क्षेत्रों में चले जाइये आपको वहां नारियल की भरमार मिलेगी। आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइये वहां आपको रबर की भरमार मिलेगी। यही हैं हमारी प्रमुख पैदावार। लेकिन जहां तक इन दोनों के मूल्यों का संबंध है हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें उससे इतना नुकसान हो रहा है कि हमने सदन में यह मामला कई बार उठाया था। लेकिन इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आता कि इस सरकार को क्या हो गया है।

गत वर्ष, इस समय भी रबर का मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम था। मुझे पता चला है कि अब इसका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा क्यों हुआ है? ...*(व्यवधान)* यह विश्वव्यापीकरण के कारण नहीं हुआ है बल्कि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि वे गलत नीतियां कौन सी हैं? अन्तिम सत्र के ही दौरान मैंने यह मामला उठाया था कि पहले रबर का प्रयोग टायरों के निर्माण के लिए होता है और बचे-खुचे रबड़ का प्रयोग लघु उद्योग के लिए रबर दूध-लेटेक्स के रूप में होता है। सभी लघु उद्योग रबर फॉम बनाने के लिए लेटेक्स का प्रयोग करते हैं। लेटेक्स का प्रयोग करने वाले सभी लघु उद्योग बन्द हो गये हैं। वे पिछड़ रहे हैं। मैंने अन्तिम सत्र में यह मामला उठाया था। मैंने इस सरकार से निवेदन किया था कि वित्त मंत्री जी उत्पाद शुल्क में पांच प्रतिशत की राहत दे दें। इसे नहीं माना गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ? उसी समय पोलिरथीन जैसा स्पर्धात्मक वस्तुओं पर 80 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क कम किया गया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया था। पिछले पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष दस प्रतिशत की कमी हो रही है। आपने इसमें कुछ तो किया ही था। लेकिन यह कार्य जिस किसी ने भी किया, हम वित्त मंत्री और सरकार को छोड़कर किसके पास जा सकते हैं? कृपया आप ही हमें बताइये। हमने बार-बार निवेदन किया और निवेदन करते रहे। लेटेक्स का उपयोग करने वाले लघु उद्योग पिछड़ते गये, और बन्द हो गये। मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूं जिन्होंने अपना रबर दूध, लेटेक्स इसलिए बेच दिया था कि उन्हें उनका मूल्य नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण हो चुकी हैं। वे आयातित वस्तुओं से स्पर्धा नहीं कर सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे आयात शुल्क कम कर सकती

हैं। यही सरकार की नीति है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने लघु उद्योगों को भी देखें। आप अपने लघु उद्योगों पर भी ध्यान दें। यह लघु उद्योग क्षेत्र हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे की तरह है। हमारे किसानों और उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उनकी आजीविका यही है। उनकी और कोई आय नहीं है। फिर भी उत्पाद शुल्क में एक पैसे की भी कमी नहीं की गई।

वित्त मंत्री ने दूसरी अन्य वस्तुओं में बड़ी राहत दी है लेकिन लेटेक्स फोम में एक प्रतिशत की भी राहत नहीं दी गई है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार का कठोर रवैया न अपनायें। मैं नहीं जानता कि यह सिद्धांतपूर्ण रवैया है या किस प्रकार का रवैया है। मैं इसे अहंकार नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं है कि यह संसदीय शब्द है अथवा नहीं। अन्यथा मैं इसका प्रयोग कर चुका होता। लेकिन मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे इस समस्या पर ध्यान दें। पिछली बार मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे आकर इन कारखानों को देखें और यदि वे इससे आश्वस्त नहीं हों तो वे इस कार्य को न करें, लेकिन यदि वे वास्तव में यह देखते हैं कि ने समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उन्हें उसमें पांच प्रतिशत तक की कमी अवश्य कर देनी चाहिए।

अब मैं नारियल के विषय पर आता हूं। समस्या क्या है? नारियल या रबर से संबंधित स्थिति क्या है? हमें नारियल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। नारियल को तिलहन घोषित किया गया है लेकिन सभी मलयाली लोग खाने पकाने में नारियल तेल का उपयोग करते हैं। यद्यपि इसे खाद्य तेल घोषित किया जा चुका है लेकिन नारियल को तिलहन का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ कितना सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अपनी बात कहने में सक्षम हैं। आप उनकी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह कितना सौतेला व्यवहार है। नारियल को तिलहन घोषित कर दिया गया है लेकिन तिलहन के लाभ इसे नहीं दिये गए हैं। इसे प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल नहीं किया गया है। क्या यह सौतेला व्यवहार नहीं है? मैं केरल से हूं और सभापति महोदय जी आप लक्षद्वीप से हैं। हम सभी इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नारियल उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराने की हमारी मुख्य मांग नहीं मानी गयी है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार क्या कर रही है? यह सरकार किसके लिए कार्य कर रही है?

नारियल के अनेकों उत्पाद हैं लेकिन इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है। आपको पेप्सी 10 रुपये में मिलती है। नारियल-पानी पेप्सी से कहीं अधिक अच्छा होता है। इसे प्रसंस्करित करने और बेचने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम उदारीकरण का स्वागत करते हैं लेकिन यह हमारी आवश्यकताओं और उन परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिये जिनका हम सामना कर रहे हैं। उदारीकरण कहीं से आयात नहीं करना है। नारियल पानी की बजाय आप पेप्सी खरीदने और पीने को विवश हैं जबकि नारियल पानी नष्ट होता है तो नारियल उत्पादक प्रभावित होते हैं। यह गलत सोच है। इसलिए, यह सरकार इस पर पुनर्विचार करे और अपनी प्राथमिकताएं पुन:निर्धारित करे। अन्यथा, हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी। मुझे कहते हुए खेद है कि उदारीकरण डा. मनमोहन सिंह उस समय लाये जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस समय उसकी आवश्यकता थी। लेकिन हमने सेवा क्षेत्र खोलने की अनुमति नहीं दी। हमने इसका प्रतिरोध किया। वर्तमान वित्त मंत्री भी उस समय की सरकार के अंग थे। हम इससे सहमत नहीं हुये।

जब हम कांग्रेसी सदस्य उपस्थित थे तो हमें अथवा वामपंथियों को विश्वास में लिये बिना उस भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में वे कहते हैं कि वे साम्प्रदायिकता के आधार पर इसका विरोध करते हैं के साथ हाथ मिलाने का प्रयास करने के लिए मैं वित्त मंत्री को दोषी मानता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप सरकार को समर्थन देने वाले दल में से हैं। आप हमें दोषी क्यों मानते हैं?

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, सरकार के एक मंत्री को राजनैतिक रूप से ऐसे मर्यादा-विरुद्ध नहीं होना चाहिए कि वे उस दल के साथ हाथ मिलायें जिसका वह पूरे जोर से विरोध करते हों। उनका कहना है कि संयुक्त मोर्चा धर्मनिरपेक्षवाद पर आधारित है। क्या धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ अवसरवादिता है? यदि आप कुछ चाहते हैं तो वह आपको मिल सकती है आप इसे अन्यथा न लें।

यह वित्त मंत्री का अवसरवादी रवैया था। मैं यह नहीं कह रहा कि यह सरकार का रवैया है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। वित्त मंत्री की उपस्थिति में उन्होंने विधेयक वापस ले लिया। उन्होंने सही किया, अत: प्रधानमंत्री ने यह सही कार्य किया है। यदि आप उनको अनुमति दे दें तो क्या होगा? उत्पादकता के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं।

क्या सरकार यह चाहती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएं और बीमा क्षेत्र वर्चस्व स्थापित करें यदि आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देंगे, तो मैं सरकार को इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो थोड़े बहुत रोजगार के अवसर

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। अत: हमें इसका विरोध करना चाहिए। मैं उन सभी साथियों का सम्मान करता हूं जिन्होंने बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक का विरोध किया।

महोदय, मैं सरकार को यह बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उन्हें नौकरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न दे। उदारीकरण उदारीकरण के लिए नहीं है। वह इस देश के लोगों के भले के लिए है। प्रत्येक निर्णय लेने से पहले, उन्हें यह देखना चाहिए कि इसमें लोगों का क्या भला होगा।

जहां तक छोटे उद्योगों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, बहुत से प्रतिनिधियों ने मुझे बताया है कि उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। अत: इस संबंध में सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। अन्यथा मुझे नहीं पता इस सरकार का क्या होगा उन्हें समर्थक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। उनका एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम से सहमत है और हम इसका समर्थन भी करते हैं। परन्तु प्रत्येक नीतिगत निर्णय विधान और प्रत्येक कदम उनसे विचार-विमर्श करके उठाया जाना चाहिए। अन्यथा, सरकार के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे।

महोदय, यदि जो कुछ मैंने कहा है, उसे मंत्री महोदय ने ध्यानपूर्वक सुना है तो वित्त मंत्री को रबड़ उत्पादकों को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। उनका मस्तिष्क तो बहुत तेज है परन्तु मुझे दिल के बारे में पता नहीं। बाजार हस्तक्षेप के लिए कुछ निधियों को स्वीकृति देकर उन्हें रबड़ उत्पादकों की सहायता करनी चाहिए। यह एक विकट समस्या है क्योंकि बाजार से रबड़ की खरीद का निर्णय एस.टी.सी. ने लिया है। उनके पास धनराशि नहीं हैं। ऐसा तो बाजार में हस्तक्षेप से ही किया जा सकता है। यदि एस.टी.सी. बाजार मूल्य पर रबड़ खरीदता है तो हमें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि मूल्य पहले ही 38 रुपए कम हो गया है। अत: उन्हें बाजार हस्तक्षेप के लिए कुछ धन की अनुमति देनी चाहिए ताकि केरल के रबड़ उत्पादकों को बचाया जा सके।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि नारियल को भी प्रौद्योगिकी मिशन सूची में शामिल करके वित्त मंत्री को तिलहनों को दिए जाने वाले सभी लाभ नारियल को भी प्रदान करने चाहिए।

मैं केवल यही दो निवेदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि उन्हें पूरे सदन का समर्थन प्राप्त है। आखिरकार वित्त मंत्री एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वह कुशल, महान और विचारशील व्यक्ति हैं। चाहे मैं उनकी कुछ नीतियों के साथ सहमति नहीं रखता परन्तु एक व्यक्ति के रूप में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने केवल उनकी नीतियों की आलोचना की। हमने एक साथ काम किया है। वे मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अत: मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मेरी इन दो मांगों पर विचार करें और केरल के किसानों की सहायता करें। मैं अपने अन्य सुझावों की ओर भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं बजट की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं आज नीतिगत विषयों का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि पहले कई अवसरों पर मैंने इन्हीं विषयों का जिक्र किया है। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वित्त मंत्री जो मेरे विचारों से वाकिफ हैं। आज मैं ऐसे कुछ विषयों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका संबंध बजट की अनुपूरक मांगों से है।

विदेश मंत्रालय के शीर्ष के अंतर्गत, ताला पनबिजली परियोजना हेतु, सरकार ने भूटान को चालीस करोड़ रुपए देना स्वीकार किया है। भूटान जैसे मित्र देश को सहायता प्रदान के विषय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी यह सार्क देशों का सदस्य है जिसके साथ हमें अपने सम्बन्धों में सुधार करना चाहिए।

कल शून्य काल के दौरान, मैंने भूटान में लोकतंत्र संबंधी अभियान का उल्लेख किया था। मैं यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी मंशा एक मित्र देश के आन्तरिक मामलों में दखल देने के लिए सरकार को भड़काने की बिलकुल नहीं है। परन्तु जहां तक लोकतंत्र का प्रश्न है मुझे लगता है कि भारत जैसे राष्ट्र को चुप नहीं बैठना चाहिए। सदन इस सच से अच्छी तरह वाकिफ है कि लाखों भूटानी लोग जीने के मूल अधिकार से भी वंचित रखे जा रहे हैं, और उन्होंने नेपाल और पश्चिम बंगाल में शरण ले रखी है। मेरे विचार से यह उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति है।

महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि श्री रोंग-टोंका कुलेव दोरजी भूटान में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे है और उन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे तिहाड़ जेल में है और उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण का मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी पत्नी, उनके मित्रों तथा बहुत से भूटान-वासियों ने हमें पत्र लिखे हैं कि यदि श्री दोरजी को भूटान वापिस भेजा जाता है तो या तो उन पर मुकदमा चलाया जायेगा या उन्हें उम्र कैद की सजा होगी। वे यह लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे। वे देशभक्त और लोकतान्त्रिक इन्सान हैं जो अपने देश की प्रगति समृद्धि और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं।

महोदय, हम अपने देश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा। अपने

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हम अन्तर्राष्ट्रीय एकता के समर्थक रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व में बहुत से देशों और देशभक्तों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारा समर्थन किया। भूटान एक पड़ौसी और मित्र देश है और यह सार्क का सदस्य भी है। हम भूटान के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते और वित्तीय अनुदान द्वारा उनकी सहायता करना चाहते हैं। अत: मैं वित्त मंत्री के माध्यम से सरकार को अपील करता हूं कि सरकार भूटान सरकार के साथ यह मामला उठाए कि श्री दोरजी जैसे देशभक्त की जान बचाई जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा गृह विभाग से सम्बन्धित है 'गुप्त सेवा व्यय' शीर्षक के अन्तर्गत सरकार ने पन्द्रह करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस 'गुप्त सेवा' का उद्देश्य क्या है, यह तो मुझे समझ नहीं आया। इसके बारे में हमें बड़ी खराब रिपोर्ट मिली हैं कि यह राशि अवांछित उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। उत्तर-पूर्व के कई हिस्सों में, मुझे पता चला है कि इस धन का इस्तेमाल बड़े आपत्तिजनक और अवांछित ढंग से हुआ है।

सरकार चलाने के लिए यह चीजें शायद आवश्यक हो सकती हों, परन्तु सब पारदर्शी होना चाहिए। श्री पी. चिदम्बरम पारदर्शिता के समर्थक हैं। यदि पारदर्शिता हो, तो मेरे विचार से गुप्त सेवा के लिए गुप्त धन आबंटन की लोकतंत्र के समर्थक प्रशंसा नहीं करेंगे।

यह सेवा प्रशासन की सहायता नहीं कर रही। आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आई.एस.आई. के सिलीगुड़ी में अड्डे हैं और इसकी गतिविधियां दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। आप जानते है कि असम में क्या हो रहा है। हम एक लोकतंत्र समर्थक, श्री संजय घोष को नहीं बचा सके। अल्फा की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हम यह भी जानते हैं कि बोडोलैंड में क्या हो रहा है।

वहां विध्वंसक गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहां तक कि दो-तीन दिन पहले वरजोर हवाई अड्डे से शिलांग जा रहे सेना के एक ब्रिगेडियर की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। केवल यही नहीं, आज ही गुवाहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ है। असम में मुख्य मंत्री पर भी कातिलाना हमला किया गया है। मैं और अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। इन सभी घटनाओं से यही बात साबित होती है कि हमारी गुप्तचर सेवा समुचित और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है जबकि उन्हें इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है और यह धनराशि गुप्त रूप से तथा लुके-छिपे ढंग से दी जा रही है। सरकार में पारदर्शिता होनी चाहिये। यह अनुपूरक बजट भी गुप्त रूप से और अनुचित तरीके से धनराशि व्यय करने को बढ़ावा देता है।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय के बारे में बहुत संक्षेप में बोलूंगा। भारी उद्योग मंत्रालय के लिये भी धनराशि कुछ आवंटित की गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जेस्सोप एण्ड कं. जैसी औद्योगिक कम्पनी जिसके बारे में बचपन से जानता हूं को करोड़ों रुपये की धनराशि दी गई है। मैंने वहां मजदूर संघों का नेतृत्व किया है। वहां मेरे बहुत से कामगार थे। जेस्सोप एंड कं. को करोड़ों रुपये दिये गये जो वैगन्स निर्माण करने वाली एक बहुत पुरानी कम्पनी है। मैं इस बारे म बहुत प्रसन्न हूं। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में करीब एक लाख से ऊपर श्रमिक हैं किंतु उन्हें उनकी सांविधिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में इन श्रमिकों की संख्या लगभग एक लाख से भी अधिक है जिनकी मजदूरी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। कई महीनों से कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार को एक अच्छा नियोक्ता कैसे कहा जा सकता है जबकि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन न दे रहे हैं। आपको प्रबंधकों को श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए कहना चाहिए। मैं सरकार से विशेषकर वित्त मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें कि श्रमिकों को सांविधिक मजदूरी नियमित रूप से मिले।

अब मैं वस्त्र उद्योग संबंधी मुद्दा उठाता हूं। इस बारे में हर कोई जानता है। सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। सदन के बाहर भी इस संबंध में कई आन्दोलन हुए हैं। लाखों श्रमिक भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए परियोजना बनाई गई थी। यह परियोजना त्रिपक्षीय वार्ता करने के बाद बनाई गई थी। इस त्रिपक्षीय वार्ता में सरकार, श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक भी सम्मिलित थे। राष्ट्रीय कपड़ा निकाय को अर्थक्षम बनाने संबंधी यह परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही क्योंकि भारत सरकार इस परियोजना के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। लाखों श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। आज भी वस्त्र उद्योग हमारे देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री तथा सरकार इस पर ध्यान देगी और राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को अर्थक्षम बनाने संबंधी परियोजना चालू की जाएगी।

इसी संबंध में मैं पटसन उद्योग जो कि वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है की समस्याओं के बारे में भी बताना चाहता हूं।

[श्री चित्त बसु]

एक ओर तो जूट मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिये कई परियोजनाएं बनाई गई है किंतु समस्या फिर देश के विभिन्न भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल में जूट मिलों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को रोजगार देने की है। इसके अलावा जूट उत्पादकों द्वारा एक और समस्या का भी सामना किया जा रहा है। 50 लाख से भी अधिक जूट उत्पादक कम बिक्री के संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने पटसन का तथाकथित न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। दो दिन पहले मैं असम में था। असम के कृषि मंत्री श्री पटवारी जी ने मुझे बताया कि विक्रय केन्द्र खोलने के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उत्पादकों से कच्चा जूट खरीदने के लिए भारतीय 'पटसन निगम की कोई इकाई नहीं खोली गई है। पश्चिम बंगाल में स्थिति और भी बदतर है। खुले बाजार या ग्रामीण उत्पादकों से कच्चा जूट खरीदने के लिए अभी तक कोई विक्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। इसका कारण यह है कि भारतीय पटसन निगम, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को नियंत्रित करना है, के पास धनराशि का अभाव होता है। चूंकि इसके पास आवश्यक धनराशि का अभाव है, इसलिये यह कच्चे पटसन की खरीद के लिये बाजार में नहीं जा सकता है। हाल ही में भारतीय पटसन निगम को 36 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है जो अपर्याप्त है। इससे अभी तक उत्पादित जूट की बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जा सकता है।

असम में कच्चे पटसन का कुल उत्पादन 25-30 लाख गांठें है। पश्चिम बंगाल में यह 66-70 लाख गांठें है। उड़ीसा और बिहार में भी जूट का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर प्रति वर्ष ?0 लाख गांठों का उत्पादन होता है। लगभग 30 लाख गांठें अतिरिक्त गांठें हैं। भारतीय पटसन निगम बाजार पर तभी प्रभाव डाल सकता है यदि पटसन का संपूर्ण भंडार वह स्वयं खरीद ले। इसके लिये न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही महत्वपूर्ण है बल्कि इससे संबंधित वाणिज्यिक कार्य भी होने चाहिएं। कच्चे पटसन की वाणिज्यिक खरीद अनिवार्य है। हमारे देश में जहां तक पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का संबंध है, जूट और जूट मिलें यहां के पारम्परिक उद्योग हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं इन्हीं कुछ मुद्दों की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान मैं यह आशा करता हूं कि सरकार इन मुद्दों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : जो 1997-98 की अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं, मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सभापति जी, सर्वप्रथम तो देश की रक्षा की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है, आजकल परिस्थितियां ऐसी हैं कि चारों तरफ हमारी सरहद पर हमारी विरोधी सेनाएं नाना प्रकार के शस्त्र लेकर हमें घेरे हुई हैं। पाकिस्तान है, चीन है, तिब्बत पर चीन तमाम सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान भी प्रक्षेपास्त्र तैनात कर रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो देश की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा बजट आप देखें। पहले देश की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमें कटौती करनी हो तो की जाए और पृथ्वी जैसी मिसाइल की प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए अगर धन व्यय किया जाए तो किया जाना चाहिए।

यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के संबंध में जो धनराशि आबंटित की गई है, वह भी पर्याप्त नहीं है। किसान अपनी कृषि कई भागों से पूरी करता है। उसे खाद चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अगर आदमी खेती करता है तो समय पर पानी न मिले, खेती बर्बाद हो जाती है। इसी तरह उसे यदि समय पर खाद न मिले तो भी खेती बर्बाद हो जाती है। पानी के साथ-साथ खाद भी जरूरी है और बिजली तथा सिंचाई की भी उसे आवश्यकता पड़ती है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर आज भी सिंचाई का सबसे बड़ा अभाव है। संयोग से एक नहर पूर्वांचल में बन गई, वरना तो आपके सारे ट्यूबैल बेकार पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्या किया है, यह साफ नहीं है, किन्तु जो है वह न के बराबर है। जबकि देश का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश है। हमारे यहां गोरखपुर में खाद का कारखाना सालों से बंद पड़ा है। आप अधिकारियों को करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं। आपने इस संबंध में जो धन का प्रावधान किया है, उसमें गोरखपुर के बंद पड़े खाद के कारखाने का नाम नहीं है। हम यूरिया आयात करते हैं और अरबों रुपये उस पर खर्च करते हैं। लेकिन गोरखपुर के बंद पड़े खाद के कारखाने को चालू करने के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं है। मेरा निवेदन है कि या तो आप स्वयं गोरखपुर का खाद का कारखाना चालू कराएं या निजी क्षेत्र को देकर चालू कराएं। उससे किसानों को समय पर यूरिया मिलेगा, खाद मिलेगी और खेती की तरक्की होगी।

उसी तरह से विद्युत की बात है। सारे भारतवर्ष में सबसे कम बिजली उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे कम

पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पचास साल आजादी के बीत जाने पर भी बिजली के दर्शन लोगों को नहीं हुए। वह इलाका बिहार और नेपाल का बोर्डर है। 100 किलोमीटर लम्बी नारायणी नदी बहती है। वहां पर बिजली नहीं है और जंगल पार्टी का राज है। इसमें विद्युत परियोजनाओं को संचालित करने के लिए जो धन आबंटित किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। एक टिहरी बांध है, लेकिन वह भी खटाई में पड़ा हुआ है। कम से कम उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं की स्थापना की जाए जिससे हमें बिजली मिले। यह ठीक नहीं कि सारे देश में उजाला हो और हमारे घर में अंधेरा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश का छठा हिस्सा होने के नाते हमें उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें एक बटा बीस हिस्सा भी नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि वहां किसानों को बिजली मिले, इसके लिए आप बिजली उद्योग लगाएं। चाहें तो आप लगाएं या निजी क्षेत्र में लगाएं। आप बड़े उदार हैं, बाहर से पूंजीपतियों को बुला रहे हैं, उन्हें कोका कोला बनाने के लिए नहीं, बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बुलाएं। उससे हमें फायदा होगा। यह बात सही है कि लाखों की संख्या में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी हैं। किंतु गांवों में आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गांव में जो लोग कृषि करते हैं, वहां पर मुश्किल से उन्हें तीन महीने ही रोजगार मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सब लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, उनको वेतन मिलना चाहिए। जब वे रियाटर होते हैं तो पेंशन मिलनी चाहिए, यह भी ठीक है। वक्त पड़ने पर दवाएं भी मिलनी चाहिए और जब वे न रहें तो उन्हीं के लड़कों को नौकरी पर रखा जाए, यह भी ठीक है। लेकिन गांव का जो गरीब है, जो खेतों में तीन महीना काम करता है, न तो अपने बच्चों को वह खाना दे सकता है, न दवाएं दे सकता है, न शिक्षा ही दे सकता है। वह जब मरता है तो उसको पूछने वाला भी कोई नहीं होता, इसलिए आपसे आग्रह है कि उसके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

गांव में रहने वाले 60 साल के जो बूढ़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका सर्वे करा लिया जाए। विदेशों में बूढ़े लोगों के लिए आश्रम बने हुए हैं। उनको भोजन मिलता है, दवाएं दी जाती हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। यहां पर आप वृद्धों के लिए कम से कम नमक और रोटी का दाम ही इस बजट में समावेश कर दें। यह मेरी मांग है। मैं इस देश के जितने भी बूढ़े लोग हैं, उन सबके लिए मांग कर रहा हूं। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा दयनीय हालत है। उसका प्रावधान आपके बजट में नहीं है।

जो विधवाएं हैं, भारतीय संस्कृति में विधवा विवाह बहुत कम होता है। वे विधवाएं जिनको कोई आश्रय देने के लिए नहीं है, जो उपेक्षित हैं, उनके लिए आप पेंशन का प्रावधान करें, ऐसा मैं चाहता हूं। साथ ही निवेदन है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश सरकारों को भारत सरकार से निर्देश जाना चाहिए कि सही-सही आंकड़ा प्रस्तुत करके उनकी सहायता करके उनको पेंशन दी जाए। पेंशन में गरीबों की हालत खराब हो जाती है। सबको पैसा चाहिए, कानूनगो को पैसा चाहिए। बड़ी दिक्कतें हैं। पैसा नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पेंशन मिले, उसके साधन सुलभ कर दिए जाएं। एक निवेदन आपसे और है कि चीनी के भंडार के रख-रखाव के लिए जो आपने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें लिखा है कि चीनी निधि से होगी। चीनी विकास निधि में तो अरबों रुपया है। जिन चीनी उद्योगों की हालत खराब हो, उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए। जहां पर चीनी उद्योग किसानों को गन्ने का पेमेंट न दे सके, वहां पर उस फंड का इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की सबसे ज्यादा खराब हालत है। ये उद्योग पुराने बाप दादा के जमाने के बने हुए हैं। 800, 1200 टन की फैक्टरियां हैं। आज उनकी हालत बहुत खराब है। हमको यह देखकर आश्चर्य हुआ, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत, गन्ना किसानों की हालत और मिलों की हालत खराब है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बार चल कर देख लीजिए और बजट में उसके लिए प्रावधान कीजिए। इसके साथ ही आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए या उसको निजी क्षेत्र में दे दीजिए। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के तहत दो मिलें एलीगन और लाल-इमली हैं, जो कि बन्द पड़ी हुई हैं। उसके साथ कानपुर शुगर वर्क्स लि. और चम्पारन सुगर वर्क्स लि. दो मिलें हैं। कानपुर शुगर वर्क्स लि. के तहत चार चीनी मिलें पडरौना, कचकुइयां, गौरी, भडौरा हैं। इन चारों मिलों में से दो खराब हैं। गौरी और भडौरा बन्द पड़ी हुई हैं और पडरौना और कचकुइयां चल रही हैं। हालत यह है कि सीजन समाप्त हो गया है, लेकिन आज तक 33 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। मंत्री जी यह पैसा देना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक तरफ आप कर्जे की माफी की बात करते हैं और बजट में आपने बट्टे-खाते में अरबों रुपयों का प्रावधान भी किया है। बैंकों में भी लूट हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसानों का 33 करोड़ रुपया जो मिलों के पास बकाया है, उसको दिलाने की ओर ध्यान दें। आपने भी इस बजट में इसका प्रावधान नहीं किया है। या तो

[श्री राम नगीना मिश्र]

यह रुपया आप दीजिए, अन्यथा आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप इसको उत्तर प्रदेश सरकार को ही दे दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे जो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वह पैसा कहीं से भी देते हैं, शुगर फैक्ट्रीज को मदद मिल रही है। लेकिन भारत सरकार इतनी असहाय है कि चार में से दो मिलें बन्द हैं और 33 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस राशि को देने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। कुछ दिन पहले मैंने सदन में बताया था कि हमारे यहां एक नारायणी नदी बिहार-नेपाल बार्डर से होकर बहती है। इस नदी में आए दिन बाढ़ आती रहती है। अभी वहां पर कटान हो रहा था। इसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री गए और हम लोग भी गए। संयोग की बात है, जो सेफ्टी बांध बना हुआ है, जिसकी लम्बाई 50-60 किलोमीटर लम्बी है, इसमें से दो किलोमीटर बिहार में पड़ती है। बिहार और उत्तर प्रदेश का साझा है। जहां बिहार का बार्डर है, वहां पर नदी का कटान हो रहा था। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत तीव्र गति से कटान हो रहा था। एक तरफ पानी दो मीटर ऊपर है और दूसरी तरफ जहां कटान हो रहा है, वहां पर जमीन दो मीटर नीचे हैं। अगर उस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो पडरौना जनपद स्वाहा हो जाएगा। भगवान की कृपा से इस वर्ष वर्षा कम हुई है और साथ ही दोनों सरकारों की मदद से कटान रुकी हुई है, लेकिन फिर भी कटान हो रहा है। आए दिन बाढ़ में करोड़ों-अरबों रुपए नष्ट होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाढ़ से बचाने के लिए प्रयत्न किए जायें। बजट में इस काम के लिए बहुत कम प्रावधान किया गया है। ठीक इसके विपरीत स्थिति भी है। बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। सूखे से निपटने के लिए हमारे यहां सिंचाई के साधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल पश्चिमी जिलों को छोड़कर पूर्वांचल में नाम-मात्र के सिंचाई के साधन हैं। उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए बजट में प्रावधान कीजिए।

जहां तक सड़कों का सवाल है, भारत सरकार के मंत्री यहां सदन में और सदन से बाहर भी कहते हैं, देश के सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। यह बात सिर्फ बात बन कर रह जाती है। हमारे यहां 15-15 हजार के गांव हैं, जो आज भी उसी तरह से हैं। वहां पर मोटरगाड़ी नहीं जा सकती है। वहां पर साईकिल से ही जाया जा सकता है। भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश को सड़कों के विकास के लिए धनराशि देती है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। बहुत कम धनराशि दी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाढ़ से निपटने के लिए और सिंचाई के लिए *भारत सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार को धनराशि आवंटित* करनी चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश की सरकार उचित कदम उठा सके।

मैं शिक्षा के बारे में एक शब्द और कहना चाहता हूं। इस बारे सदन में प्रश्न भी पूछा गया था। भारत सरकार की साक्षरता अभियान के लिए योजना है। आप पूरे देश में अरबों रुपया खर्च करते हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह स्कीम केवल कागज में है, कागज में लिख दिया जाता है लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो इनसे मिले हुए हैं वे आते हैं फर्जी कागज जमा कर देते हैं और रुपये लेकर चले जाते हैं। मैं तो आपसे मांग कर रहा हूं कि इस फंड में जो रुपया जा रहा है आप जरा इसकी जांच कराइए कि उसका कितना उपयोग हो रहा है? यह रुपया केवल शिक्षा माफिया और उससे संबंधित अधिकारियों की पॉकिट में जा रहा है इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप या तो इसे बंद कीजिए, नहीं तो इस पर ध्यान दीजिए कि इसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अरबों-खरबों रुपया शिक्षा माफिया खा रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा, नौकरी तो मिलती नहीं, आपने उसमें जो प्रावधान किया है वह बहुत कम किया है। अभी जो वेतन आयोग की रिपार्ट आई थी उसमें आपने बताया था कि कितना रुपया देना पड़ेगा और उसमें यह भी है कि कितने लोगों की छंटनी करनी पड़ेगी। आपने इसमें जो प्रावधान किया है, रक्षा मंत्रालय में, कृषि में, तो यह जो वेतन का असर पड़ेगा उसका. आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया है, उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। मैं पुन: आपसे कहूंगा कि 95 करोड़ की आबादी में केवल एक करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए 94 करोड़ लोगों का शोषण किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी अधिकारी की हिफाजत न की जाए लेकिन कम से कम गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जो बिना खेत के हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं हैं उनको भी जरूर ऐसा रोजगार मुहैया कराया जाए जिससे कि वे अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन कर सकें। इसलिए मैंने जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं उन पर गौर किया जाए। हमें दुख तो यह है कि हम जो लेक्चर देते हैं वह प्रोसिडिंग में तो आ जाता है, कई बार हम लोग झगड़ा करते हैं तो प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाता है। मान लीजिए मैंने कोई गलत बात कह दी तो प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाता है लेकिन जो सही होता है तो उस पर क्या असर होता है, कोई काम नहीं होता है हम लोग केवल लेक्चर दे देते हैं और खुश होते हैं कि अब तो यह प्रोसिडिंग में आ गया है लेकिन इससे

कोई असर नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो सदन में बोलते हैं उसकी जांच हो और उस पर कार्यवाही हो, यह भी आपसे निवेदन है।

महोदय, ऋषि लोग कहते थे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, हर जगह भगवान है। लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो। अगर यह भ्रष्टाचार अनिवार्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो बजट में प्रावधान करते हैं उसमें से वे 25-30 फीसदी तो खा ही जाते हैं। आप यह लिख दीजिए कि वे इतना रुपया खा जाएं और उसको घटा दीजिए। हमें याद है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि सौ रुपया देते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। यह देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सारे मंत्री रोते हैं और मालिक ये हैं तो साहब, रोते किस के सामने हैं। आप इसको रोकिए और नहीं तो अपने बजट में प्रावधान कीजिए कि सुविधा शुल्क इतना दे दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति महोदय, यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 1997-98 हाउस में माननीय वित्त मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस की हैं तो मैं इसमें एक ग्रांट पर बोलना चाहता हूं और साथ ही मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह जो फाइनेंशियल बिजनेस है, यह हाईली टेक्नीकल जैसा लगता है मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। चंद बातें हैं जैसे कि डिमांड नम्बर 14 है। डिमांड नम्बर 14 में आपने कुछ पाइंट्स पर आपने प्रपोजल रखा है। खासकर टेलीकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस पर आपने साढ़े चार करोड़ का टोटल आउट-गो रखा है। मैं समझता हूं जो भी आपके प्रपोजल हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं।

कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि यह जो टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसिस में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या आदिवासी हैं, जो सुविधाएं आप मैदानी इलाकों में देने जा रहे हैं, वहां पर अभी पूरी नहीं हो रही हैं। मैं यहीं पर आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि टेलीकम सर्विसिज में, खासकर जो पहाड़ी, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए एक स्पेशल ग्रांट रखनी चाहिए और एक स्पेशल स्कीम बनानी चाहिए। चंद सालों में कम से कम जो बड़े-बड़े सब-डिवीजन हैं, आप गांव की बात तो करते नहीं हैं, आप बात करते हैं कि 1997-98 में सारे गांव में टेलीफोन लगाने जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र लद्दाख में चार सब-डिवीजन हैं। उनमें से दो में यह सुविधा लगाना बहुत जरूरी है। आपको पहले उसको तरजीह देनी चाहिए। एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए कम्यूनिकेशन की बहुत प्राब्लम है। इसे आप करें, यह मेरी गुजारिश है।

दूसरा पाइंट में, मैं डिमांड नम्बर 23 पर, एक्सटर्नल अफेयर पर कहना चाहता हूं। उसमें भूटान के बारे में जिक्र है। मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक पाइंट यह कहूंगा कि आपको मालूम है कि दलाईलामा 1949 से अभी तक हमारे देश में राजनैतिक शरण लिये हुए हैं। अब चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हम उसका स्वागत करते हैं। अब प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि वे अपने गुड-ऑफिस का यूज करें, तथा तिब्बत का मसला चाइनीज लीडर्स के साथ पीसफुली सोल्व करें। जहां तक तिब्बत के स्टेट्स का सवाल है दलाईलामा तैयार हैं कि उसको छोड़कर भी हम बात करेंगे, तो इस पर चाइना के साथ प्रधान मंत्री जी बातचीत करेंगे तो नतीजा अच्छा निकल सकता है। इसलिए मैं यह पाइंट प्रधान मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं।

तीसरा, बार्डर के बारे में बातचीत चल रही है। हमारा 38 हजार स्क्वेअर किलोमीटर एरिया चाइना के गैर-कानूनी कब्जे में है। अगर सरकार ठीक समझे तो इस पर भी बातचीत हो सकती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे अक्साई चीन का एरिया, जिसे चाइना छोड़ने वाला नहीं है। उसके बदले वैस्टर्न तिब्बत में जो कैलास मानसरोवर के साथ-साथ होते हुए साउथ-वैस्ट इंडस का एरिया है, उसके एक्सचेंज की बातचीत चले तो उसके लिए सरकार को बातचीत एक्सप्लोर करनी चाहिए। फिलहाल बार्डर ओपन करने की बात चल रही है। लद्दाख होते हुए वेंग-चाक से कैलास मानसरोवर तक रास्ता खोल दिया जाए तो दिल्ली से मानसरोवर तक तीन दिन में पहुंचा जा सकता है। यहां से लेह तक आपकी एक घंटे की फ्लाइट है। लेह से दूसरे दिन बार्डर पर पहुंच जाएंगे। तीसरे दिन माउथखार और हिली-कैलास तक पहुंचेंगे। वहां पैदल नहीं चलना है जैसे पिथौरागढ़ से कर रहे हैं। यहां से बार्डर तक हमारी गाड़ी जाती है और चाइना से गाड़ियां आती हैं। इस तरह से इसमें ट्रेड और टूरिस्ट दोनों को प्रमोशन मिल सकती है। मैं समझता हूं कि इसको प्रिओरिटी पर आपको टेक-अप करना चाहिए। सर, मेरा एक और इश्यू है, मसला है।

मेरा एक और मसला है। आपको पता है कि शहतोश जो एंटीलोप एनिमल होता है, वह हमारे हिमालयन पहाड़ों में होता है। उसका वूल बहुत थोड़ा निकलता है। जब तक उस एनिमल को मारा नहीं जाता, हमें वह वूल हासिल नहीं होती। यह हाइली प्रोटैक्टिड एनिमल है और बैंड प्रोडक्ट है। मैक्सिमम नेपाल के थ्रू, पिथौरागढ़ और कुछ हिमाचल बोर्डर से शहतोश पशमीना के बीच में डालकर स्मगल होकर आता है। इस स्मगलिंग में बहुत ब्लैकमनी

[श्री पी. नामग्याल]

इनवाल्वड है। वह कश्मीर में शहतोश इंडस्ट्री को फीड करता है। यह बैंड प्रोडक्ट है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछा था। वह फाइनान्स मिनिस्ट्री से संबंधित था। मैंने सवाल पूछा कि इस तरह से क्यों आ रहा है? मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला। उम्मीद करता हूं कि कभी न कभी मिल जाएगा। उन्होंने यही कहा है कि हम अभी देख रहे हैं कि यह कहां तक सच है? मैं दावे से कह सकता हूं कि यह हकीकत है। हजारों किलोग्राम की क्वांटिटी में शहतोश आ रहा है। इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। यह एनिमल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 5.28 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मेरे दूसरे इशू के बारे में चिदम्बरम जी को बखूबी मालूम है। वह हमारे लद्दाख के इनकम टैक्स का इशू है। हमारी कई सालों से यह मांग है। मैं रिपीट करता जाऊंगा, आप नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है लेकिन तब भी मैं यह रिकवैस्ट करूंगा कि हमारी कास्ट आफ लिविंग बहुत हाई है। आपके इनकम टैक्स के कानून में कास्ट आफ लिविंग का कंसिडरेशन कहीं नहीं होता है। हर जगह एक कानून है। मुम्बई और दिल्ली में भी वही है। पहाड़ों में कास्ट आप लिविंग ज्यादा हाई है। वह सप्लाई बेस से ज्यादा है। उसे कंसिडर करना चाहिए। 1989 से पहले उन्हें बहुत कुछ चीजें माफ थीं। 1962 में चाइना का एग्रेशन हुआ था। उस समय से उसे माफ कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने उसे इम्पोज कर दिया। अभी भी यह डिस्प्यूट में है। हमें इसका जवाब मिलता है कि जम्मू-कश्मीर में शेडयूल्ड ट्राइब्स का सैंसस हुआ नहीं था। इससे पहले 1989 में सैंसस कंडक्ट हुआ था। 1991 में सैंसस हुआ नहीं। एक मिनि-सैंसस 1988 में जम्मू-कश्मीर में कंडक्ट हुआ था। उसी के तहत 1989 में उन्हें शेडयूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर किया गया था। वह आपके रिकार्ड में हैं। आप इसका रजिस्टर क्यों नहीं मंगाते? आप हमेशा यही कहते हैं कि वह हमारे पास नहीं है। यह एक गलत बात है। उन्हें सब फैसिलिटीज मिलनी चाहिएं। जो बाद में ट्राइबल बने, उन्होंने क्या गुनाह किया कि वे छूट गए और उन्हें फैसिलिटी नहीं मिली। आप उन्हें अभी फैसिलिटी दे सकते हैं। आपने जैसे नॉर्थ-ईस्ट में दी है, वैसी यहां भी दें। हमारे यहां 95 परसैंट पापुलेशन ट्राइबल है। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर दोबारा हमदर्दाना गौर कीजिए।

मैं होम मिनिस्ट्री के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। मेरे साथी चमन लाल गुप्त जी ने आई.बी. के बारे में क्रिटिसाइज किया। मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। हमारे सिक्यूरिटी का मामला है, यह आई.बी. का काम है, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिये। सी.बी.आई. हमें इन्फरमेशन देती है, टैरोरिस्ट कहां से दाखिल होता है, चोरियां कहां से होती हैं, इनको रीवैम्प करने की जरूरत है। अलबत्ता, इसमें ठीक नहीं चल रहा तो उसको देखना चाहिये।

डिमांड नं. 46 में कुछ बातें हैं।

[अनुवाद]

मांग संख्या 46 जम्मू और कश्मीर राज्य में ऋण राहत योजना से संबंधित है।

[हिन्दी]

इसमें मेरी गुजारिश है कि जो नीडी पीपल्स हैं, जिनको सही मायने में रिलीफ मिलना चाहिये, नहीं मिल रहा है। जे. एंड के. में करप्शन रैमपेंट है। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के जितने कारपोरेशन्स हैं, वहां पर इस कदर बंगलिंग हो रही है कि जो सही मायने में जिसको लोन मिलना चाहिये, नहीं मिलता है और जिनके पास आलरेडी एक-दो गाड़ियां हैं, उन्हीं को फैसलिटीज़ दी जा रही हैं। वहां पर करप्शन हद से ज्यादा है। इस तरफ देखने की जरूरत है।

जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और ईशू आपके वसालात से होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूं कि लद्दाख में ट्रबल शुरू होने वाला है आप पूछेंगे कैसे? आज हमारा मुल्क आजादी का 50वां जश्न मनाने जा रहा है और लद्दाख की आटोनमस कौंसिल ने वहां प्रोग्राम बनाया है कि वहां के चेयरमैन सलामी लेंगे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि वे लेंगे। इससे कन्फ्रंटेशन होने वाला है। आज दुनिया में खुशी मनाई जा रही है और वहां पर फसाद होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वहां पर आटोनमस कौंसिल दी हुई है तो फिर वहां के चेयरमैन को सलामी क्यों नहीं लेने दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दार्जिलिंग में आपकी ओटोनमस कौंसिल है तो चेयरमैन सलामी लेंगे लेकिन यहां पर इंटरफीरेंस हो रहा है। इसका नतीजा खराब निकल सकता है। इसलिये मैं आपके थ्रू होम मिनिस्टर से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इम्मीजिएटली इस तरफ अटेंशन देना चाहिये नहीं तो 15 अगस्त की सालाना जश्न के दिन वहां पर फसाद हो सकते हैं। यदि कोई कैजुअल्टी हुई तो हमारे लिये बहुत अफसोसनाक बात होगी। इसलिये आपके वसातात से होम मिनिस्टर के नोटिस में जरूर लायें।

डिमांड नं. 50 डिपार्टमेंट आफ कल्चर के बारे में है। आप इसमें मोरारजी भाई की समाधि, जलियांवाला बाग के लिये कुछ

रकम दे रहे हैं, जिसका मैं वेलकम करता हूं। डिपार्टमेंट आफ कल्चर की तरफ से 8-10 साल से लद्दाख में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ की बिल्डिंग बनाई हुई है, उसको आकुपाई नहीं कर रहे हैं, उसको टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। इस बिल्डिंग पर करोड़ों रुपया लगा हुआ है। इसमें 50-60 टीचिंग स्टाफ की जगह खाली हैं जिनको फिल अप नहीं किया गया है। वहां पर प्रिंसीपल का झगड़ा 20 साल से चल रहा है। कोई फैसला नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री आफ कल्चर अर्जेंसी से इस मामले को देखे।

एक और डिमांड नं. 57 है जो ब्राडकास्टिंग सर्विसेज़ के बारे में है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इसमें वी.एल.पी.टी. है। हमने कहा था कि कम्युनिकेशन का ऐरिया है। हमारी कांस्टीट्वंसी हिमाचल प्रदेश के एग्जिसटिंग ऐरिया 10 हजार किलोमीटर से बड़ी है। इससे फारनर्स की समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा है। इसलिये कहता हूं कि हमारा बार्डर ऐरिया है, पाकिस्तान के बार्डर से लगता है, उसका रिफ्लेक्ट होता है और लोग वहां से ट्यूनिंग कर सकते हैं लेकिन हमारे ऐरिया में यहां का नहीं आता। तो मेरी गुजारिश यह है कि आपको इस तरह भी तवज्जह देने की जरूरत है। प्लानिंग के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। मैं प्लान एलोकेशन में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कौंसिल से बात की गई है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे लद्दाख के लिए जो प्लान एलोकेशन है और जो कौंसिल बनी है। प्लानिंग कमीशन को इसको ईअरमार्क करना चाहिए। अभी यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पास-ओन करती हैं तो उसमें काट-छांटकर होती है और हमें पूरी रकम यहां नहीं पहुंचती है। यहां से ईअरमार्क हो ताकि रकम सीधे वहां पर हमारे लिए पहुंचे और हमने प्रधान मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट की थी कि कौंसिल बनने के बाद हमारे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। हमने वन टाइम गारंटी 20 करोड़ की मांगी थी। तो मेरी गुजारिश यह है कि वह हमें मिल जानी चाहिए। 20 करोड़ रुपये सैंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दो सौ, पांच सौ करोड़ की बात हो तो अलग बात है। इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से खसूसी तौर पर गुजारिश करूंगा कि वह अपने नजरे इनायत हम पर रखें। मैं पावर के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जो आपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जनरेटिंग कम्पनीज वगैरह के लिए कुछ रकम रखी है, दुलहस्ती और उड़ी वगैरह की भी बात की है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हमने अपनी कांस्टीटुएंसी में नेमो हाइडल प्रोजेक्ट के लिए डिमांड की हुई है। वह 35 मेगावाट की एक छोटी सी प्रोजेक्ट है। लद्दाख रीजन में अगर वह एन.एच.पी.सी. के थ्रू हो जाए तो हमें फायदा मिलेगा। स्टेट सैक्टर में वहां कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो आपसे यह भी मेरी एक गुजारिश है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरफेस ट्रांसपोर्ट के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। आपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लिए 95 करोड़ रुपए रखा है। लेकिन यह हमेशा लॉस में चलता आया है। लेकिन जो प्राइवेट हैं, पहले रेड लाइन थी, अब उनको हटाकर ब्लू लाइन कर दिया है। वे आज से पांच साल पहले चालू की गई थीं। पहले उस वक्त जिनके पास एक-एक बस थी अब उनके ओनर के पास तीन-तीन, चार-चार बसें हो गई हैं। तो जब इन्होंने इतनी तरक्की की है तो डी.टी.सी. क्यों नहीं कर सकती है। तो मेरी तजवीज यह है कि जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने दो-दो कंडक्टर रखे हुए हैं, डी.टी.सी. में इतने सरप्लस ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उसको भी एक बस में दो-दो करके रखिये। जिस तरह से प्राइवेट वाले टिकट सेल करते हैं उसी तरह से इनसे भी काम लिया जाए और इसको इंसेटिव के तौर पर कुछ परसेंट पैसा देना चाहिए। स्टाफ को अगर कुछ परसेंटेज दे देंगे तो मेरे ख्याल से डी.टी.सी. भी मुनाफे पर चल सकती है। जब प्राइवेट वाले मुनाफे पर चल सकते हैं तो डी.टी.सी. क्यों नहीं चल सकती है। इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : नामग्याल जी कंक्लूड कीजिए।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्वाइंट्स मैंने उठाये हैं उन पर हमदर्दाना गौर कीजिए और जो मसले हमने आपके सामने रखे हैं उन पर दोबारा रीकंसीडर करके कोई रास्ता निकालिए। हमने इंकम टैक्स के बारे में मामला उठाया है। उसको मैं हमेशा के लिए नहीं कहता हूं। वह हमने पांच साल के लिए मांगा है। तो इंकम टैक्स के बारे में भी कोई रास्ता निकालिए। इसमें दूसरी बात यह है कि जो बाहर के लोग हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि उन पर मत लगाइये, उन पर लगाइये। लेकिन आपने यह भी कहा है कि कुछ लोग लद्दाख के नाम पर काफी पैसे का गबन कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उनको आप एक्सपोज करेंगे तो हम वैलकम करेंगे। जो बाहर वाले लोग हैं उनको आप टैक्स लगाइये। हम तो सिर्फ ट्राइबल्स की बात करते हैं। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

شری پی۔ نامگیال (لداخ) : مانیئے سبھاپتی مہودے، یہ جو سپلی منٹری ڈیمانڈس فار گرانٹس ۹۸۔۱۹۹۷ ہاؤس میں مانیئے وت منتری جی نے جو Introduce کی ہیں تو میں اس میں ایک گرانٹ پر بولنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائننشیل بزنس ہے یہ ہائلی ٹیکنیکل جیسا لگتا ہے۔ میں اس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ چند باتیں ہیں جیسے کہ ڈیمانڈ نمبر ۱۴ ہے۔

ڈیمانڈ نمبر ۱۴ میں آپ نے کچھ پوائنٹس پر آپ نے پرپوزل رکھا ہے۔ خاص کر ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا جس پر آپ نے ساڑھے چار کروڑ کا ٹوٹل آؤٹ۔گو رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی آپ کے پرپوزل ہیں اُن کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔

کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیلی کمیونکیشن سروسز میں جتنے بھی پہاڑی ایریے ہیں یہ آدی واسی ہیں، جو سُویدھائیں آپ میدانی علاقوں میں دینے جا رہے ہیں وہاں پر ابھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ میں یہیں پر آپ کے دوارا منتری جی سے پراتھنا کروں گا کہ ٹیلی کام سروسز میں خاص کر جو پہاڑی، ٹرائیبل اور بیک ورڈ ایریاز ہیں اُن کے لئے ایک اسپیشل گرانٹ رکھنی چاہئے اور ایک اسپیشل اسکیم بنانی چاہئے۔ چند سالوں میں کم سے کم جو بڑے بڑے سب ڈویژن ہیں آپ گاؤں کی بات تو کرتے نہیں ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ ۹۸۔۱۹۹۷ میں سارے گاؤں میں ٹیلیفون لگانے جا رہے ہیں۔ میں تو کہنا چاہوں گا کہ میرے سنسدیئے چھیتر لداخ میں چار سب ڈویژن ہیں۔ اُن میں سے دو میں یہ سویدھا لگانا ضروری ہے۔ آپ کو پہلے اُس کو ترجیح دینی چاہئے۔ ایریا بہت بڑا ہے اس لئے کمیونکیشن کی بہت پروبلم ہے۔اِسے آپ کریں یہ میری گذارش ہے۔

دوسرے پوائنٹ میں، میں ڈیمانڈ نمبر ۲۳ پر External Affairs پر کہنا چاہتا ہوں۔اُس میں بھوٹان کے بارے میں ذکر ہے۔ میں اس کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک پوائنٹ یہ کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلائی لامہ ۱۹۴۹ء سے ابھی تک ہمارے دیش میں راجنیتک شرن لئے ہوئے ہیں۔ اب چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہم اسکا سواگت کرتے ہیں۔ اب پردھان منتری جی کو چاہئے کہ وہ اپنے گڈ۔ آفس کا استعمال کریں۔ تھا تبت کا مسئلہ چائنیز لیڈرس کے ساتھ پیس فُلی سولو کریں۔ جہاں تک تبت کے ا کا سوال ہے دلائی لامہ تیار ہے اکہ اس کو چھوڑ کر بھی ہم بات کریں گے تو اس پر چائنا کے ساتھ پردھان منتری جی بات چیت کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے۔ اسلئے میں یہ پوائنٹ پردھان منتری جی کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔

تیسرا بارڈر کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ ہمارا ۳۸ ہزار اسکوائر کلو میٹر ایریا چائنا کے غیر قانونی قبضے میں ہے۔ اگر سرکار ٹھیک سمجھے تو اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ کچھ ایریاز ایسی ہیں جیسے اکنائی چین کا ایریا جسے چائنا چھوڑنے والا نہیں ہے اس کے بدلے ویسٹرن تبت میں جو کیلاش مانسرودور کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے ساؤتھ ویسٹ انڈس کا ایریا ہے اُس کے ایکسچینج کی بات چیت چلے تو اس کے لئے سرکار کو بات چیت ایکسپلور کرنی چاہیئے۔ فی الحال بارڈر اوپن کرنے کی بات چل رہی ہے۔ لداخ ہوتے ہوئے دیگ چاک سے کیلاش مانسرودور تک کا راستہ کھول دیا جائے۔ تو دہلی سے مانسرودور تک تین دن میں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں سے لیہہ تک آپکی ایک ہی گھنٹے کی فلائٹ ہے لیہہ سے دوسرے دن بارڈر پر پہنچ جائیں گے۔ تیسرے دن ماؤتھر بار اور ہیلی کیلاش تک پہنچیں گے۔ وہاں پیدل نہیں چلنا ہے۔ جیسے پتھورا گڑھ سے کر رہے ہیں۔ یہاں سے بارڈر تک ہماری گاڑی جاتی ہے اور چائنا سے گاڑیاں آتی ہیں اسطرح سے اس میں ٹریڈ اور ٹورسٹ دونوں کو پرموشن مل سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکو پری آرٹی پر آپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیئے۔ سر، میرا ایک اور ایشو ہے، مسئلہ ہے۔

میرا ایک اور مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہتوش جو اینٹی لوپ اینمل ہوتا ہے وہ ہمارے ہمالین پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اسکا ڈول بہت تھوڑا نکلتا ہے۔ جب تک اس اینمل کو مارا نہیں جاتا ہمیں وہ ڈول حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہائیلی پروٹیکٹیڈ اینمل ہے اور بینڈ پروڈکٹ ہے۔ maximum نیپال کے تھرو، پتھورا گڑھ اور کچھ ہماچل بارڈر سے شہتوش پشمینا کے بیچ میں ڈال کر اسمگل ہو کر آتا ہے۔ اس اسمگلنگ میں بہت بلیک منی اینوالوڈ ہے۔ وہ کشمیر میں شہتوش انڈسٹری کو فیڈ کرتا ہے۔ یہ بینڈ پروڈکٹ ہے۔ میں نے اس سمبندھ میں پرشن بھی پوچھا تھا۔ وہ فائننس منسٹری سے سمبدھت تھا۔ میں نے سوال پوچھا کہ اس طرح سے کیوں آرہا ہے؟ مجھے اسکا جواب تو نہیں ملا۔ اُمید کرتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی مل جائے گا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک سچ ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ ہزاروں کلوگرام کی کوانٹیٹی میں شہتوش آرہا ہے۔ اس پر روک لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اینمل بالکل ختم ہو جائیگا۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

میرے دوسرے ایشو کے بارے میں چدمبرم جی کو بخوبی معلوم ہے۔ وہ ہمارے لداخ کے انکم ٹیکس کا ایشو ہے۔ ہماری کئی سالوں سے یہ مانگ ہے۔ میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا آپ نہیں مانیں گے مجھے معلوم ہے لیکن تب بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے۔ آپ کے انکم ٹیکس کے قانون میں کاسٹ آف لیونگ کا کنسیڈریشن کہیں نہیں ہوتا ہے ہر جگہ ایک قانون ہے۔ ممبئی اور

دہلی میں بھی وہی ہے۔ پہاڑوں میں کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے۔ وہ سپلائی ہیں سے زیادہ ہے۔ اُسے کنسیڈر کرنا چاہیئے۔ ۱۹۸۹ء سے پہلے انہیں بہت کچھ چیزیں معاف تھیں۔ ۱۹۶۲ء میں چائنا کا ایگریشن ہوا تھا۔ اس وقت سے اسے معاف کر دیا تھا۔ جنتا پارٹی کی سرکار آنے کے بعد انہوں نے اسے اِمپوز کر دیا۔ ابھی بھی یہ ڈسپیوٹ میں ہے۔ ہمیں اسکا جواب ملتا ہے کہ جموں کشمیر میں شیڈیولڈ ٹرائبس کا سینس ہوا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ۱۹۸۹ء میں سینس کنڈکٹ ہوا تھا۔ ۱۹۹۱ء میں سینس ہوا نہیں۔ ایک منی سینس ۱۹۸۸ء میں جموں کشمیر میں کنڈکٹ ہوا تھا۔ اُسی کے تحت ۱۹۸۹ء میں انہیں شیڈیولڈ ٹرائبس ڈیکلیئر کیا گیا تھا۔ وہ آپ کے ریکارڈ میں ہے۔ آپ اسکا رجسٹر کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ انہیں سب فیسلٹیز ملنی چاہیئے۔ جو بعد میں ٹرائبل بنے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے وہ چھوٹ گئے اور انہیں فیسلٹیز نہیں ملی۔ آپ انہیں ابھی فیسیلیٹی دے سکتے ہیں۔ آپ نے جیسے نارتھ ایسٹ میں دی ہیں، ویسی یہاں بھی دیں۔ ہمارے یہاں ۹۵ پرسینٹ پاپولیشن ٹرائبل ہیں۔ میری گذارش ہے کہ آپ اس پر دوبارہ ہمدردانہ غور کیجئے۔

میں ہوم منسٹری کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھی چمن لال گپتا جی نے آئی۔بی۔ کے بارے میں کریٹیسائز کیا۔ میں ان کے ساتھ سہمت نہیں ہوں۔ ہماری سیکورٹی کا معاملہ ہے، یہ آئی۔بی۔ کا کام ہے، اس پر روک نہیں لگانی چاہیئے۔ .C.B.I ہمیں انفارمیشن دیتی ہے، ٹیریریسٹ کہاں سے داخل ہوتا ہے، چوریاں کہاں سے ہوتی ہیں، اِنکو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ، اسمیں ٹھیک نہیں چل رہا تو اسکو دیکھنا چاہیئے۔

ڈیمانڈ نمبر ۴۶ میں کچھ باتیں ہیں

Demand No. 46 related to Debt Relief Scheme in the State of Jammu and Kashmir.

اس میں میری گذارش ہے کہ جو نیڈی پیپلس ہیں، جن کو صحیح معنی میں ریلیف ملنا چاہیئے، نہیں مل رہا ہے۔ J & K میں کرپشن ریمپینٹ ہے۔ .S.C.S.T., O.B.C کے جتنے کارپوریشنس ہیں، وہاں پر اس قدر بنگلنگ ہو رہی ہے کہ جو صحیح معنی میں جنکو لون ملنا چاہیئے، نہیں ملتا ہے اور جن کے پاس آلریڈی ایک دو گاڑیاں ہیں، انہی کو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں۔ وہاں پر کرپشن حد سے زیادہ ہے۔ اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں ایک اور ایشو آپ کے مادھیم سے ہوم منسٹر اور فائنینس منسٹر کے

نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ لداخ میں ٹرابل شروع ہونے والا ہے آپ پوچھیں گے کیسے ؟ آج ہمارا ملک آزادی کا ۵۰واں جشن منانے جارہا ہے اور لداخ کی آٹونومس کاؤنسل نے وہاں پروگرام بنایا ہے کہ وہاں کے چیئرمین سلامی لینگے لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کے کیبینیٹ منسٹر نے کہا کہ وہ لینگے۔ اس سے کنفرنٹیشن ہونے والا ہے۔ آج دُنیا میں خوشی منائی جارہی ہے اور وہاں پر فساد ہونے والا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جب وہاں پر آٹونومس کاؤنسل دی ہوئی ہے تو پھر وہاں کے چیئرمین کو سلامی کیوں نہیں لینے دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ڈارجلنگ میں آپ کی آٹونومس کاؤنسل ہے تو چیئرمین سلامی لینگے لیکن یہاں پر انٹرفیرینس ہو رہا ہے۔ اسکا نتیجہ خراب نکل سکتا ہے۔ اسلئے میں آپ کے تھرو ہوم منسٹر سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ Immediately اس طرف اٹینشن دینا چاہیئے نہیں تو ۱۵ اگست کی سالانہ جشن کے دن وہاں پر فساد ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کیزولٹی ہوئی تو ہمارے لئے بہت افسوسناک بات ہوگی۔ اسلئے آپکے مادھیم سے ہوم منسٹر کے نوٹس میں ضرور لائیں۔

ڈیمانڈ نمبر ۵۰ ڈیپارٹمینٹ آف کلچر کے بارے میں ہے۔ آپ اس میں مُرارجی بھائی کی سمادھی، جلیاں والا باغ کے لئے کچھ رقم دے رہے ہیں، جسکا میں ویلکم کرتا ہوں۔ ڈیپارٹمینٹ آف کلچر کی طرف سے ۸-۱۰ سال سے لداخ میں سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف بُدھسٹ اسٹڈیز کی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے۔ اس کو آکیپائی نہیں کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک اور نہیں کر رہے ہیں۔ اس بلڈنگ پر کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے۔ اس میں ۵۰-۶۰ ٹیچنگ اسٹاف کی جگہ خالی ہے جن کو فل اپ نہیں کیا گیا ہے وہاں پر پرنسپل کا جھگڑا ۲۰ سال سے چل رہا ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ منسٹری آف کلچر ارجینسی سے اس معاملے کو دیکھے۔

ایک اور ڈیمانڈ نمبر ۷۵ ہے جو براڈکاسٹنگ سروسز کے بارے میں ہے۔ میں اس کے ڈیٹیلس میں نہیں جانا چاہتا۔ اس میں V.L P.T. ہے۔ ہم نے کہا تھا کیونیکیشن کا ایریا ہے۔ ہماری کانسٹیٹیوینسی ہماچل پردیش کے ایگزیسٹنگ ایریا ۱۰ ہزار کلومیٹر سے بڑی ہے۔ اس نے فارنرس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ اسلئے کہتا ہوں کہ ہمارا بارڈر ایریا ہے۔ پاکستان کے بارڈر سے لگتا ہے۔ اسکا ریفلیکٹ ہوتا ہے اور لوگ وہاں سے ٹیوننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایریا میں یہاں کا نہیں آتا۔ تو میری گذارش یہ ہے کہ آپ کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پلاننگ کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں پلان ایلوکیشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس میں کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمینٹ کاؤنسل کی باتیں کی گئی ہیں۔ میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لداخ کے لئے جو پلان

ایلو کیشن ہیں اور جو کاؤنسل بنی ہے۔ پلاننگ کمیشن کو اس کو ائیرمارک کرنا چاہیئے۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ پاس آن کرتی ہے تو اس میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے اور ہمیں پوری رقم وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ یہاں سے ائیرمارک ہو تاکہ رقم سیدھے وہاں پر ہمارے لئے پہنچے اور ہم نے پردھان منتری مہودئے کو ریکویسٹ کی تھی کہ کاؤنسل بننے کے بعد ہمارے وہاں انفراسٹرکچر کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے ون ٹائم گارنٹی ۲۰ کروڑ کی مانگی تھی۔ تو میری گذارش یہ ہے کہ وہ ہم کو مل جانی چاہیئے۔ ۲۰ کروڑ روپے سینٹرل گورنمنٹ کے لئے بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ۲۰۰-۵۰۰ کروڑ کی بات ہو تو الگ بات ہے اسلئے میں فائنینس منسٹر صاحب سے خصوصی طور پر گذارش کروں گا کہ وہ اپنی نظر عنایت ہم پر رکھیں۔ میں پاور کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ، جنریٹنگ کمپنیز وغیرہ کے لئے کچھ رقم رکھی ہیں۔ ڈلستی اور اُڑی وغیرہ کی بھی بات کی ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنی کانسٹیٹیوینسی میں نیو ہائڈل پروجیکٹ کے لئے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے۔ وہ ۳۵ میگاواٹ کی ایک چھوٹی سی پروجیکٹ ہے۔ لداخ ریجن میں اگر وہ N.H.P.C. کے تھرو ہو جائے تو ہمیں فائدہ ملیگا۔ اسٹیٹ سیکٹر میں وہاں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو آپ سے میری یہ بھی گذارش ہے۔

اُپادھیکش مہودئے سرفیس ٹرانسپورٹ کے بارے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے لئے ۹۵ کروڑ روپیہ رکھا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ لوس میں چلتا آیا ہے۔ لیکن جو پرائیویٹ ہیں، پہلے ریڈ لائن تھی اب ان کو ہٹا کر بلیو لائن کر دیا گیا ہے۔ وہ آج سے ۵ سال پہلے چالو کی گئیں تھیں۔ پہلے اس وقت جن کے پاس ایک ایک بس تھی اب ان کے آنر کے پاس تین تین، چار چار بسیں ہو گئیں ہیں تو جب انہوں نے اتنی ترقی کی تو .D.T.C کیوں نہیں کر سکتی۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ جس طرح سے پرائیویٹ لوگوں نے دو دو کنڈیکٹر رکھے ہوئے ہیں .D.T.C میں اتنے سرپلس ڈرائیور اور کنڈیکٹر ہیں ان کو بھی ایک بس میں دو دو کر کے رکھیئے جس طرح سے پرائیویٹ والے ٹکٹ سیل کرتے ہیں اُسی طرح سے ان سے بھی کام لیا جائے اور ان کو انسینٹیو کے طور پر کچھ پرسینٹ پیسہ دینا چاہیئے۔ اسٹاف کو اگر کچھ پرسینٹیج دے دیں گے تو میرے خیال سے .D.T.C بھی منافع پر چل سکتی ہے۔ جب پرائیویٹ والے منافع پر چل سکتے ہیں تو .D.T.C کیوں نہیں چل سکتی ہے۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : ناسکیال جی کنکلوڈ کیجئے۔

شری پی۔ نامگیال (لداخ) : اُپادھیکش مہودیئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جو آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں آنریبل فائننس منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو پوائنٹس میں نے اُٹھائیں ہیں ان پر ہمدردانہ غور کیجئے۔ اور جو مسلئے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اُن پر دوبارہ ریکنسیڈر کر کے کوئی راستہ نکالئے۔ ہم نے انکم ٹیکس کے بارے میں معاملہ اُٹھایا ہے۔ اس کو میں ہمیشہ کے لئے نہیں کہتا ہوں۔ وہ ہم نے ۵ سال کے لئے مانگا ہے۔ تو انکم ٹیکس کے بارے میں بھی کوئی راستہ نکالئے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں نان ٹرائبلس ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان پر نہیں لگائیے۔ لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ لداخ کے نام پر کافی پیسے کا غبن کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو ایکسپوز کریں گے تو ہم ویلکم کریں گے۔ جو باہر والے لوگ ہیں ان کو آپ ٹیکس لگائیے۔ ہم تو صرف ٹرائبلس کی بات کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ ہی میں سپورٹ کرتا ہوں۔ شکریہ۔

(ختم شد)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ये जो मांगें हैं इनका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे बहस तो कई चीजों को लेकर हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात को तीन विषयों पर सीमित रखूंगा। पहली बात तो यह है कि आपकी जो आर्थिक नीति है, वह ऐसी है जो हमारे अपने कारखानों को हमारे अपने उद्योगों को बन्द कर रही है और इसका सुबूत आपकी अपनी पूरक मांगों की बुक में दिया है जिसमें केवल लोगों को काम से निकालने के लिए, जिसे वालेंटरी या रिट्रेंचमेंट स्कीम, जो कुछ भी कहते हैं, उसको लेकर 182 करोड़ 18 लाख रुपए की मांग आपने की है। 182 करोड़ 18 लाख रुपए में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके उद्योग विभाग ने जिन कारखानों के नाम दिए हैं, उनसे एक प्रकार से सरकार की नीतियों का दिवालियापन कहां तक पहुंचा है, यह इसका सुबूत है। आपकी पूरक मांगों के 23 और 24 नंबर के पत्रों पर कुल मिलाकर सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले 16 कारखाने ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। इनमें एंड्रीयू यूल, एच.एम.टी., इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट्स कंपनी, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन। अब इसमें अलफाबेटीकल लिस्ट तो नहीं दी गई है, ''ए'' और ''बी'' और फिर ''बी'' के बाद ''एच'' आ गया है। हिन्दुस्तान फ़ोटो फिल्म्स, आगे जाकर स्कूटर्स इंडिया, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया और इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 कारखाने जो मिनिस्ट्री आफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर चलने वाले हैं, उनके लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि 182 करोड़ 18 लाख रुपए इसके लिए रखे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इनकी जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं, यह उनका परिणाम है। ये दिखाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, नवरत्नों की बात कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना चाहें, कह सकते हैं, लेकिन विकास कहां कैसे चल रहा है, इसको बताएं। हकीकत में इस देश में बेरोजगारी को इनकी नीतियां बढ़ावा दे रही हैं। जहां नए रोजगार पैदा होने चाहिए, वे भी नहीं हो पा रहे हैं और जो रोजगार हैं, उनसे लोग हट रहे हैं। इसलिए हम इनकी नीतियों का संपूर्ण विरोध करते हैं और इन ग्रांटों को भी हम देने के पक्ष में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात, इनकी नीति के तहत विदेशी पूंजी को हिन्दुस्तान में लाने के साथ-साथ पूंजी से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियों को हिन्दुस्तान में लाने का सिलसिला शुरू हुआ। यानी दुनिया की बड़ी-बड़ी फायनेंस कंपनियां या फायनेंश्यल कंपनियां हिन्दुस्तान में आकर हमारे देश के उद्योगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये कंपनियां खिलवाड़ कैसे कर रही हैं, इस बारे में पिछले 15 दिनों से रोजाना अखबारों में विशेष रूप से जो एक कंपनी का खेल चल रहा है, उसकी ओर मैं मंत्री महोदय और सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एशियन पेंट्स ने इस देश में काफी नाम कमाया है और वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भी निर्यात करता है और विदेशी मुद्रा कमाता है। अब जो हमारी विदेशी मुद्रा कमाने वाली कंपनी है इसके एक भागीदारी ने अपने आठ प्रतिशत शेयर बेचने का तय किया। ऐसा निश्चय उन्होंने क्यों किया, यह उनका अपना निर्णय था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। आजकल अखबारों में उसके बारे में अनेक किस्म के किस्से आते रहते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब आठ प्रतिशत शेयर बेचना उन्होंने तय किया, तो विश्व की बहुत बड़ी, बहुत नामी फायनेंस कंपनी, जिसने हिन्दुस्तान में अपना खाता खोला है और यहां यह अपना धंधा कर रही है, ''मैरिल लिंच'' उस कंपनी ने इन शेयरों का सौदा कर लिया। सौदा हो गया। अब जो बात हम समझ पाए हैं वह यह है कि अपने किए सौदे पर विदेशी कंपनियां पैसे का सौदा करके जैसे सौदे पर पैसे कमाती रहती हैं उसी प्रकार इन्होंने भी किया और उन्होंने अपने किए हुए सौदे को एक दूसरी विदेशी कंपनी मार्गेन स्टेनली को बेचने का तय किया। अब कौन शेयर बेचने वाला है, यह बात सार्वजनिक हो गई। तो एक कम्पनी ने कहा कि अगर यह व्यक्ति इस कम्पनी के अध्यक्ष स्थान से हटना चाहते हैं तो फिर हमने शेयर का जो सौदा किया था, उसको अब नहीं मानेंगे। नतीजा यह हुआ कि इस कम्पनी के शेयर बाजार में दाम गिर गये और जहां लगभग 137 करोड़ रुपये का सौदा था, पिछले 8-10 दिनों में शेयर बाजार में मेरे ख्याल से 20 प्रतिशत गिरावट के चलते आज 20-25 करोड़ रुपये का हिन्दुस्तान में उद्यम का निर्माण किया हुआ व्यक्ति घाटे में गया। ऐसी दो कम्पनियों के चलते जिनको आपकी नई आर्थिक नीतियों के कारण देश में लाकर उनके हाथों में देश की अर्थ-व्यवस्था को सौंपने का काम किया। यह बात मैं नहीं छेड़ता क्योंकि कोई एक कम्पनी कहां-कहां फंसी, क्या उसकी समस्याएं हैं, उसको इस सदन में छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम इसलिए इसको छेड़ रहे हैं क्योंकि यही ऐसी कम्पनियां हैं जिनके हाथों में आपका जो डिसइन्वेंस्टमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, उनको सौंपने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गेल का डिसइन्वेस्टमैंट होना है। कुछ और उद्योगों का डिसइन्वेस्टमैंट होना है और ऐसे लोगों के हाथ में जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी देते हैं तो जो अपने वचन को पूरा करने वाली कम्पनियां हैं, और मुझे याद है कि कैसे एक विदेश संचार निगम का मामला आया था और किस तरह से उस वक्त भी हम विश्व बाजार में फंसे थे। हमें वह याद है इसलिए हमारी आज यह मांग है कि जो विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान में केवल पैसे के खेल पर, पैसे बनाने के लिए आती हैं, पूंजी लगाने के लिए नहीं, इस देश का किसी किस्म का विकास करने के लिए नहीं, जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, उस

इन्फ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने वाली नहीं, लेकिन आज विश्व में पैसे का जो बाजार है जहां सट्टा चलता है, तो उसी के अंदर शेयर बाजार का जो सट्टा है, इस सट्टे में पैसा बनाने के लिए जो कम्पनियां आती हैं, ऐसे लोगों के हाथों में इस देश की पूंजी का व्यवहार देना बंद होना चाहिए। यह मेरा मंत्री जी से बहुत बड़ा आग्रह है और अगर इसको करने का यहां पर कोई वचन नहीं देते हैं तो इन मांगों के लिए हमारा समर्थन नहीं हो सकता है।

आखिर में मैं तीसरी बात और कहना चाहता हूं। आपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जरिये 40 करोड़ रुपया भूटान में एक ताला हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रौजेक्ट के लिए देने का इसमें ऐलान किया है और आपने कहा है कि यह तो नेट कैश आउट गो। यानी उधार के तौर पर नहीं बल्कि ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं। 40 करोड़ रुपया ले लो और आप आकर अपनी चीज को बना लो। मुझे इस बारे में बड़ी आपत्ति है। मेरी आपत्ति इस बारे में है कि भूटान हमारा पड़ौसी जरूर है। हमारा मित्र कहकर, हम उसको मानते हैं लेकिन कुछ ऐसी घटनायें पिछले कुछ दिनों में हमारी राजधानी में घटी हैं कि उनको आंखों के सामने रखते हुए इस देश को हमारा 40 करोड़ रुपया देना मुझे मंजूर नहीं है। घटना क्या है? भूटान में राजाशाही है और उस राजाशाही से वहां की जनता लड़ रही है जैसे हमारे देश में अंग्रेजशाही थी। उसके खिलाफ इस देश की जनता लड़ी। वहां जनता इसलिए लड़ रही है कि हमें प्रजातांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। प्रजातांत्रिक अधिकार के लिए लड़ने का विरोध भारत सरकार तो कर नहीं सकती है, हम यह मानकर चलते हैं कि विश्व में जहां-जहां तानाशाही हो, जहां-जहां इस प्रकार की आटोक्रेसी हो, ऐसी जगहों पर भारत वहां पर प्रजातंत्र को कायम करने के लिए लड़ेगा क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं।

अभी हमारे लोक सभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि इंग्लैंड के स्पीकर साहब यहां पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं। इंग्लैंड से हम लोग लड़े। अंग्रेजों से हम लोगों की लड़ाई हो गयी लेकिन लंदन में बैठकर हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने अभियान चलाया। अंग्रेजों के घर पर जाकर उनके साम्राज्य की राजधानी में जाकर उस साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें वहां जेल में नहीं रखा गया। लेकिन हमारा पड़ौसी देश, छोटा देश, वह प्रजातंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रजातंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोई कह सकता है कि उनका घरेलू मामला है। लेकिन प्रजातंत्र के लिए वहां पर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से कुछ लोग जब हटा दिए जाते हैं, जिनमें से वहां सारे राजनैतिक दलों ने एक होकर प्रजातांत्रिक मोर्चा बना दिया। उस प्रजातांत्रिक मोर्चे के अध्यक्ष का नाम रांग थांग दोर्जी है। 1991 में उनको गिरफ्तार किया, जेल में रखा, टौर्चर किया और अंत में इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह देश छोड़े। अनेक लोग उस समय निकल आए। 50 हजार लोग हमारे सिलिगुड़ी में, बंगाल के एक जिले में 50 हजार लोग कुछ समय के लिए आकर बसे। बाद में हमारी सरकार ने उनको कहा कि आपको यहां से जाना चाहिए। वे नेपाल चले गए। आज नेपाल में लगभग डेढ़ लाख आश्रय पाकर रहे हुए लोग हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ आर्थिक मदद देकर जिन्दा रखा है। कुछ अभी भी हिन्दुस्तान में हैं, सिलिगुड़ी में हैं, अन्य इलाकों में हैं। उनका जो नेता नेपाल में रहता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिफ्यूजी का दर्जा दिया है, वह अक्सर हिन्दुस्तान आता रहा, हम जैसे लोगों से मिलता रहा। इस सदन के कई सदस्यों के घरों में जाकर उनसे कहता रहा कि हमारे देश में प्रजातंत्र को लौटाने के लिए हमारी मदद कीजिए। हमारे राजा से बात करिए। हम राजा को नहीं हटाना चाहते हैं, हम उसे पदच्युत नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह डैमोक्रैटिक रूलर के तौर पर बना रहे। लेकिन हमें भी हमारे देश का राज-काज करने का मौका मिले। क्या हुआ? वह व्यक्ति हिन्दुस्तान में जैसे हर 2-3 महीनों में नेपाल से आता रहा और वापिस अपने साथियों के साथ जाता रहा। लेकिन पिछले अप्रैल महीने में जब वह हिन्दुस्तान आया तो 18 अप्रैल को हमारी पुलिस राजधानी दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी करती है। 18 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी करके कहां रखा जाता है। रांग थांग दोर्जी, यू.एन. कमीश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स ने आश्रय जिसको दिया, वह व्यक्ति आज के दिन उस देश का सबसे बड़ा जन नेता, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर बैगर्स होम में रखा जाता है। हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। किस चीज की? पंडित नेहरू के भाषण की तो रोज रिहर्सल चल रही है- "ट्रिस्ट विद डैस्टिनी"। क्या था ट्रिस्ट विद डैस्टिनी? पंडित नेहरू के उस भाषण में जब सारी दुनिया सो गई है तो हिन्दुस्तान जाग रहा है। कहां, किस चीज के लिए? उन्होंने कहा आजादी के लिए। जब लोग प्रजातंत्र के लिए लड़े रहे हैं तो प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाला एक नेता जब एक अरसे से हमारे देश में आता रहा है, आप उसकी गिरफ्तारी करते हैं और उसे बैगर्स होम में भेजते हैं। उसके मित्र व अन्य लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट उनको जेल में लाने का आदेश देता है। तब से लेकर आज तक वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीच में क्या हुआ। बीच में उसको एक्सट्रिहाइट करने के लिए, यहां से भूटान भेजने के लिए आज हमारी सरकार ने मुकदमा दायर किया है। उनको उनके देश में वापिस भेजने का मतलब उनको फांसी पर लटकाने के लिए या जेल के भीतर या बाहर जान से मारने के लिए भेजने की बात होगी। हमने इस महीने की एक तारीख को, सारी परिस्थिति को मद्देनजर रखकर,

[श्री जार्ज फर्नाण्डीज]

देश के प्रधानमंत्री को लिखा, उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को विशेष तौर पर लिखा और कहा कि यह इस देश के मान का सवाल है। यह देश प्रजातंत्र के लिए दुनियाभर के लोगों का समर्थन करने वाला देश रहा है। दक्षिण अफ्रीका में हमने साथ दिया था। उधर पैलेस्टिनियन लिबरेशन ओर्गनाईजेशन का हमने साथ दिया था। नेपाल के राणाओं के खिलाफ इस देश के समाजवादी आंदोलन के लोग और अन्य लोग वहां जाकर हाथ में बंदूक लेकर लड़े हैं। इस देश ने सुकार्नो, मोहम्मद हट्टा, सुलान झारियार, इन सब लोगों को इंडोनेशिया में वहां की सरकार, मतलब वहां जो उस समय वसाहतवाद चल रहा था, हालैंड की सरकार राज कर रही थी, उनसे बचाकर हिन्दुस्तान में लाने के लिए पंडित नेहरू ने बीजू पटनायक को उनका निजी जहाज लेकर भेजा था। वह जाकर अपनी जान को खतरे में डालकर हिंदुस्तान में लाए। हमने एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस राजधानी में की थी। महात्मा गांधी ने उसे सम्बोधित किया था। पंडित नेहरू ने उसको बुलाया था। यह सारा क्यों हुआ। हमारा देश पड़ोस के एक देश के नागरिक को, जो वहां प्रजातंत्र को लौटाने के लिए, महात्मा गांधी के ही रास्ते पर संघर्ष चला रहा है, उसे आज राजशाही, तानाशाही के हवाले करने के लिए जाएगा। हम बहुत दुखी मन से और बहुत गुस्से से इस बात को यहां छेड़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि 40 करोड़ रुपये जो रखे हैं, यह न दिए जाएं। मुझे सरकार की ओर से बताया कि बहुत गम्भीर मामला है। क्या गम्भीर मामला है, तो कहा गया कि चीन कहता है वहां के राजा को कि तुम सीमा चाहो, तय करो, हम उस पर मोहर लगाएंगे। भूटान की सीमा राजा तय करेगा, हम मोहर लगाएंगे और बदले में थिम्पू में राजदूतावास खोलने के लिए मौका दे दो। क्या यह देश अपनी विदेश नीति, मानवीय अधिकारों के बारे में अपनी नीति, व्यक्ति की आजादी के बारे में अपनी नीति, विश्व में एक नया समाज निर्माण करने की अपनी नीति, इस प्रकार के ब्लैकमेल पर चलाएगा? इसमें नई बात नहीं है। मैं पिछले 30 साल से यह वाक्य सुन रहा हूं कि पता नहीं राजा क्या कहेगा। यदि चीन भूटान पर हमला करना चाहे तो क्या हिंदुस्तान चीन से लड़ने जाएगा? कल भूटान तय करे कि हम अपना रिश्ता चीन से जोड़ेंगे तो क्या हम भूटान में सेना भेजेंगे? मैं इसलिए कटु और सत्य बातें छेड़ रहा हूं, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता।

हम इस देश के निवासी हैं। यह हमारा देश है। इस देश के लिए जीना और मरना हमारा संकल्प होना चाहिए। इस देश के लिए जीना और मरना संकल्प हो तो कौन चीन हमें धमकाता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कौन भूटान का राजा हमको बतलाता है, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने देश और उसके जो मूल्य हैं जिनके लिए यह देश बना, जिन मूल्यों के लिए यह देश आजादी के लिए लड़ा, तब से लेकर आज तक हममें भले ही गिरावट आई हो, लेकिन वे मूल्य अपनी जगह पर हैं। उनको हमने नहीं छोड़ा है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार भूटान की सरकार से बात करे और कहे कि इस व्यक्ति को देने का सवाल नहीं उठता। उनकी आजादी बनाए रखे। वे नेपाल में जाएं, जब हिंदुस्तान आना है तो आएं, जहां जाना चाहें, उनको आजादी है। अगर यह बात नहीं हो सकती तो यह 40 करोड़ रुपया भूटान को नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा अपमान देश का नहीं हो सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने तीन मोटी बातें रखी हैं, इन मांगों का विरोध करता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अनुदानों की पूरक मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय फर्नांडीज साहब के शब्दों में शब्द मिलाकर मैं भी यह बात कहना चाहता था कि यह जो चालीस करोड़ रुपया है, अगर यह राष्ट्रहित में नहीं है तो यह खर्च न किया जाए। मैंने भी इन मांगों का थोड़ा सा अध्ययन किया है। नौ मांगें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए दी गई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राष्ट्र के कर्णधार, हमारे नीति-निर्माता और जिस नीति को उदारीकरण कहते हैं और मेरे जैसे लोग जिसे उधारीकरण कहते हैं, ये नीति-निर्माता इस देश को कहां ले जाएंगे? यह समझ में नहीं आता। एक भी तो मांग ऐसी नहीं है जो इस राष्ट्र के अंदर रोजगार बढ़ाने के लिए हो। जो इसकी श्रम-शक्ति, इसको बल प्रदान करने के लिए हो। जो इसको आत्म-निर्भरता प्रदान करने के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हो। समझ में नहीं आता कि किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? मेरे मित्रों ने अभी कहा था कि जब पूर्व प्रधान मंत्री जी ने 2500 करोड़ रुपए का जम्मू-कश्मीर के लिए पैकेज दिया था, मैं नहीं समझा कि यह किसलिए दिया जा रहा है? बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया था लेकिन मेरी जैसी छोटी बुद्धि में यह आया कि अगर हमारे ही अपने प्रदेश में देशद्रोह हो, हम भी आतंकवाद फैलाएं, हत्याएं करवाएं तो शायद हमको भी पैकेज मिल सकता है। लेकिन जो लोग देशभक्ति की बात करें, देश के सम्मान की बात करें, स्वदेशी की बात करें, पैकेज की बात तो छोड़ दीजिए, राष्ट्र चिंतन की बात करें तो भी हमें सहायता नहीं मिलेगी। अभी मेरे मित्रों ने जैसे कहा तो मुझे चार पंक्तियां याद आ गई हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कश्मीर के लिए है। ऐसी कोई बुरी बात नहीं है।

कश्मीर को जब तक हम अभिन्न अग मानते हैं। मैं जब तक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग तो उस पर बात करना भी नहीं चाहते हैं। उसको लावारिस छोड़ देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं।

पहले तुम्हें दाल में काला खलता था यार,

यहां नीति का प्रश्न है और बजट पर लागू होगा, इसलिए पढ़ रहा हूं।

पहले तुम्हें दाल में काला खलता था यार,
अब क्यों है पूरी काली दाल यार बोलिए,
झेलम चिनार रावी हो रही है ज़ार-ज़ार,
हल क्यों हुआ नहीं सवाल आप बोलिए,
पांच लाख लोग हुए अत्याचार के शिकार,
उनका सुधारा हाल क्यों न आप बोलिए,
मंदिर भी तोड़े गए, किए गए बलात्कार,
फिर भी हुआ नहीं मलाल आप बोलिए।

एक-एक बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश में तस्करी की इतनी अफीम आती हो और जहां बार-बार कीर्तिमान स्थापित किए जाते हों ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा का क्या हुआ? सूची के अनुसार 6 बजे चर्चा होनी है। अब तो छह बज गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। प्रो. ओम पाल सिंह आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, चर्चा होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं ताकि हम सभी संतुष्ट हो जायें। क्या यह पीठासीन अधिकारी का निर्णय है कि माननीय सदस्य कल अपनी चर्चा जारी रखेंगे और मैं कल उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है "अगली बार"।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, महोदय क्योंकि इसे राज्य सभा में भी जाना है। अतः इसे कल पारित करना होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कल चर्चा होगी और आप कल इसका उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : कल माननीय सदस्य द्वारा भाषण जारी रखा जायेगा। मेरे विचार से और भी वक्ता हैं ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं। यहां कुछ और वक्ता भी हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सात बजे के बाद बैठना चाहें तो रास्ता हो सकता है।

[अनुवाद]

ठीक है। इस पर कल चर्चा होगी। अब बात समाप्त।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरा केवल यह अनुरोध है कि अभी आठ या नौ और वक्ता हैं, हमें इनके पश्चात् किसी और को बोलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। हम उन आठ या नौ वक्ताओं की बात सुन लें और मैं इनका उत्तर कल दे सकता हूं और कल शाम को हम इसे राज्य सभा में भेज सकते हैं और राज्य सभा गुरुवार को इस पर अपनी चर्चा कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : वीमेंस बिल के बारे में क्या हुआ?

सभापति महोदय : प्रोपर टाइम पर आ जाएगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में – *जारी*

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : मुझे मालूम नहीं था कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी है।

[श्री पी.सी. चाक्को]

महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आपने इस नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में प्रश्न के आधार पर चर्चा करने की अनुमति दी है। अब पूरे देश में इस बदलाव से लोग बहुत चिंतित और उद्वेलित हैं क्योंकि यह उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

महोदय, यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी गुणों से भरपूर होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं।

मैं ऐसे राज्य से हूं जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। मैं अपने राज्य केरल की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इस नयी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पृष्ठभूमि को उदाहरणस्वरूप उद्धृत कर रहा हूं। नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग के अनुसार राज्य में चावल और गेहूं वितरण के लिए हैं और ऐसा केन्द्र सरकार का वायदा भी था। जब नयी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होती है तो नये मानदण्ड तैयार किये जाते हैं और नये मानदण्डों के अनुसार सरकार प्रत्येक राज्य के लिए कोटा निर्धारित करती है। लेकिन हमारे राज्य में गेहूं या चावल नहीं पैदा होता है। मूल रूप से हम एक ऐसे राज्य से हैं जो सम्पूर्ण देश के लिए हजारों करोड़ रुपये की नकदी फसलें उगाता है। ...*(व्यवधान)* जब राज्य में इन नकदी फसलों की कटाई की जाती है और जब हम इलायची, कालीमिर्च, अदरक आदि का निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह खेती करने का स्तर है जो केरल राज्य के लिए अधिक मितव्ययितापूर्ण है। इसलिए हमें इसे जारी रखने को कहा गया है। हम इन नकदी फसलों की खेती करने के लिए उत्साहित हैं और तत्समय हमसे कहा गया कि सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। केन्द्र सरकार ने यह अपना उत्तरदायित्व समझा है कि केरल जैसे राज्यों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाये जहां इनकी कमी है।

आज, केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक महीने 1,75,000 टन चावल की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जब नयी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू होती है तो केरल का कोटा कम हो जाता है।

माननीय मंत्री जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि कुछ लोगों को इस श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं क्योंकि जो लोग एक निश्चित स्तर से ऊपर हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जहां चावल और गेहूं नहीं पैदा होता है और जहां राज्य की अर्थ-व्यवस्था नकदी फसलों और निर्यात योग्य वस्तुओं पर मुख्य रूप से निर्भर है? हमें ऐसा करने को कहा गया है। इसलिए इस संबंध में कुछ करार कुछ पृष्ठभूमि है। इसलिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन तथ्यों की अनदेखी न की जाये।

यदि आप सम्पूर्ण रूप से इसकी समीक्षा करें तो पायेंगे कि मुम्बई में और अन्य प्रमुख राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है लेकिन सम्पूर्ण केरल में राशन की दुकानें एक नेटवर्क के अन्तर्गत कार्य करती हैं यह एक ऐसी प्रणाली है जो वर्षों से सुचारू रूप से चल रही है। क्या हम इसे नष्ट कर सकते हैं? केरल राज्य में प्रत्येक दो पंचायत वार्डों में एक राशन की दुकान है, तेरह हजार पंचायत वार्डों में 6,500 राशन की दुकानें हैं। ...*(व्यवधान)* इसका अर्थ है कि प्रत्येक दो पंचायतों में एक राशन की दुकान है। इसलिए यह आदर्श स्वरूप है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप एक बार हमारे राज्य का भ्रमण करें और देखें कि वहां यह प्रणाली कैसी चल रही है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कार्य कर रही है और सारे राज्य की जनता को चीनी, मिट्टी का तेल और जो कुछ भी अन्य वस्तुयें हैं, का वितरण किया जा रहा है। हमारे यहां बहुत अच्छी प्रणाली है और यदि वह अपनी नयी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए इस प्रणाली को समाप्त करते हैं तो यह पूरे राज्य के लिए दुखदायी होगा।

माननीय मंत्री जी के पीछे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं और उन्हें इसकी जानकारी है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष अनुरोध है। हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनको इस प्रणाली से अलग कर दें। लेकिन जो राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर पूर्णरूपेण निर्भर हैं वहां नियमानुसार राशनिंग व्यवस्था उपलब्ध हो।

जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय राज्य सरकार से वायदा किया गया था, कि सम्पूर्ण केरल राज्य में प्रारम्भ की गई राशन व्यवस्था के अंतर्गत नियमानुसार सभी को राशन उपलब्ध कराया जायेगा।

अब केरल में उत्सव का माहौल है।

त्योहारों का मौसम आ रहा है। ओणम नजदीक है। उत्सव के दौरान सरकार हमें राशन की अतिरिक्त मात्रा देती है। यह हमारा साधिकार दावा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सभी अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे प्रिय मित्र प्रभारी मंत्री जी इसकी अनदेखी कैसे

कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वह विद्यमान प्रणाली की पृष्ठभूमि देखे ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : चाक्को जी, एक क्षण। आप जिन बातों की ओर संकेत कर रहे हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे क्योंकि वह बहुत जागरूक हैं।

***श्री पी.सी. चाक्को** : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय मैं और केरल वासी आपके कृतज्ञ रहेंगे।

जब हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो मेरे ध्यान में कुछ बातें आ रही हैं ये हैं—खरीद, उत्पादन और वितरण। इन बातों पर नये सिरे से विचार करना होगा। मेरे विचार से हम उन्हें वैज्ञानिक आधार पर नहीं कर रहे हैं।

हम अपने उन कृषि वैज्ञानिकों के आभारी हैं जिन्होंने देश को खाद्यान्नों में पूर्णत: आत्म-निर्भर बनाया है। परन्तु क्या हम इसकी पूरी खरीद या वसूली कर सकने की स्थिति में हैं? जब खरीद का मौसम आता है, तो सरकार खरीद मूल्य निर्धारित करने में आना-कानी करने लगती है। बेशक, आप खाद्यान्नों का आयात भी कर सकते हैं। आज सुबह प्रश्न काल के दौरान हम यह विचार कर रहे थे कि हम 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करके 500 मिलियन टन दालों का आयात कर रहे थे। फिर भी, हम किसानों को कोई प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं हैं। यदि बहुत बार-बार मना कर हम कोई प्रोत्साहन देते हैं या इस बारे में देर से निर्णय लेते हैं तो फिर वह सार्थक नहीं रह जाता है। मंत्री को काफी पहले खरीद मूल्य की घोषणा कर देनी चाहिए और काफी स्टाक जमा कर लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने गेहूं का आयात करने का निर्णय बहुत डर-डर कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका आयात भी हुआ और निर्यात भी। खाद्यान्नों का निर्यात करने का आधार क्या था? यह गलत गणना पर आधारित था। फसल के बारे में हमारा आकलन गलत था। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? मैं किसी विशिष्ट सरकार या मंत्री को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। जब भारत ने गेहूं का निर्यात करने का फैसला किया तो उस निर्णय का आधार क्या था? उस साल की फसल के बारे में गलत आकलन की वजह से हुआ। अन्तत: हमने कुछ मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया। जब हमारे भण्डार कुछ कम हो गए, जब वे पर्याप्त सीमा तक इकट्ठे नहीं हुए, तो हम आतंकित हो गए। आयात और निर्यात में क्या नुकसान हुआ। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण इस गरीब देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। यह केवल गेहूं के मामले में नहीं हुआ, अपितु चीनी के बारे में भी हुआ है।

महोदय, मंत्री जी को अच्छी तरह इस बात का पता है कि मिलों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों गन्ना उत्पादक किसानों को कितनी राशि का भुगतान करना है। सरपोतदार जी को पता है कि मिलों ने हजारों करोड़ों रुपये किसानों को देने हैं और वे अदा नहीं किए जा रहे है। अब वे अपनी फसलों की बुआई में बदलाव ला रहे हैं क्योंकि अब वह अर्थ-क्षम नहीं रहा। यदि समय पर पैसे की अदायगी नहीं की जाती, यदि किसानों का खरीद मूल्य ठीक समय पर नहीं निर्धारित किया जाता, यदि किसान दुष्प्रभावित होते हैं, तो बड़ी विपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमें फिर चीनी का आयात करने को मजबूत होना पड़ेगा। हम जानते हैं कि डेढ़ वर्ष पूर्व जब चीनी का आयात करना पड़ा था, तो कितनी खराब और दुखद स्थिति पैदा हो गई थी। जब देश में चीनी का आयात हुआ हम सब को इस बात का पता है। इस तरह की स्थिति से पता चलता है कि खाद्यान्नों अथवा चीनी की खरीद के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक रवैया नहीं है और हम किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान नहीं करते। यह एक समस्या है।

भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागार हमेशा भरे रहते हैं। हम यही कह रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है। परन्तु हमारे गोदामों में कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों को व्यर्थ गंवा दिया जाता है? मुझे पता है कि इस बारे में प्रभारी मंत्री जी सब कुछ जानते हैं कि इन खाद्यान्नों को गोदामों में भरने की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण हजारों करोड़ों मूल्य के खाद्यान्न व्यर्थ चले जाते हैं। उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है क्योंकि वह गीला हो जाता है अथवा क्योंकि इन खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं होते। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास वस्तुओं के भण्डारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अत:, आज भी हम खाद्यान्नों को वैज्ञानिक आधार पर भण्डारण और खरीद के क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकी विकास को नहीं अपना पा रहे हैं।

यह बहुत ही अस्त-व्यस्त तरीके से किया जाता है और हम स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पचास वर्षों के बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया है, हमारी बहुत सी उपलब्धियां हैं। हम खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन कर रहे हैं परन्तु हम अपने किसानों को उनका उचित हिस्सा नहीं दे पा रहे। साथ ही उसका वितरण भी एक समस्या है।

अब एक नयी बात हो रही है। इस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श होना चाहिए। क्योंकि अन्य वस्तुएं भी राशन की दुकानों के द्वारा वितरित की जाती हैं। मिट्टी का तेल भी राशन

[श्री पी.सी. चाक्को]

दुकानों द्वारा बांटा जाता है। परन्तु क्या हो रहा है? राशन प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली या उसमें भ्रष्टाचार यह सब क्या है? क्या कोई इसमें होने वाले भ्रष्टाचार से इन्कार कर सकता है? ज्यादातर मिट्टी का तेल जो राशन की दुकानों के द्वारा वितरित होता है कालाबाजारियों के हाथ में पहुंच जाता है। निगरानी की क्या व्यवस्था है? इस पर नियंत्रण रखने की प्रणाली क्या है? इस सम्बन्ध में निगरानी व्यवस्था क्या है?

मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसी प्रभावकारी प्रणाली है। शायद मिट्टी के तेल को पेट्रोल या डीजल में मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हो रहा है। अतः प्रणाली खराब हो रही है और प्रणाली बिल्कुल सही नहीं है और यह वांछनीय परिणाम नहीं दे रही है। जब मंत्री जी योजनाओं के बारे में घोषणाएं करते हैं, तो उन्हें इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

अब लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। पहले यह प्रणाली भिन्न थी। घोषणा करने के लिए तो सभी नई योजनाएं अच्छी होती हैं। परन्तु इस बात का विश्लेषण कौन कर रहा है कि राशन की दुकानों पर लाइनें कितनी लम्बी होती चली जा रही है या आम आदमी की जिन्दगी इससे कितनी प्रभावित होती है। प्रणाली में यह कुछ कमियां हैं। मैं प्रणाली का विरोध नहीं कर रहा हूं। परन्तु साथ-साथ मैं यह कहता हूं कि शहरों कुछ अन्य राज्यों जैसे केरल आदि में जहां सांविधिक राशन प्रणाली पूरी तरह विद्यमान है वहां लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक प्रणाली को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। खाद्यान्नों की खरीद प्रणाली और इनके वितरण में जो कमियां बची है उन्हें हटाने में हमें समर्थ होना चाहिए। हमें इस प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार से बचने और इसे यथासंभव दोषरहित बनाने में समर्थ होना होगा।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं। मैं श्री चाक्को द्वारा दिए गए वक्तव्य में बस कुछ जोड़ना चाहता हूं। उड़ीसा में एफ.सी.आई. चावल 8.72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है जबकि बाहर यह 7 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध है।

श्री सिबैस्टिअन पाल (ऐरनाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सदन में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे विशेषकर इसलिए भी खुशी है कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, जिससे देश के गरीब लोगों का सम्बन्ध है।

विगत कई दिनों के दौरान, मैं कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं जिससे यह बात सामने लाई गई है कि 1 जून को बहुत धूमधाम से लक्ष्योन्मुख सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम शुरू की गई, वह आलोचना का केन्द्र बन गई है क्योंकि इसका लक्ष्य तेंतीस बिलियन लोगों को नियंत्रित मूल्य पर या कम दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की यह एक उल्लेखनीय बात है। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया है कि इस स्कीम में बहुत सी खामियां और त्रुटियां रह गई हैं। अब जब कि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दे दिया है कि इस स्कीम के दोषों को दूर करके इस कार्यक्रम को पुनर्विनियोजित किया जाएगा, अत: मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

चाहे सदन में पहले कही गई बातों को मैं दोहरा ही रहा हूं परन्तु फिर भी मैं इस सम्माननीय सदन में अपने राज्य केरल में विद्यमान स्थिति के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। सुचारू और नियोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए केरल एक माडल राज्य है, मेरे मित्र श्री चाक्को ने भी अभी-अभी इस ओर संकेत किया है। सांविधिक राशन पद्धति, इस नई स्कीम के शुरू होने से अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

इस प्रणाली के आरम्भ होने के कारण केरल के आबंटन का अधिकृत वितरण 24 लाख टन से कम होकर 17.76 लाख टन हो जाएगा। इस गणना से केरल के साथ बहुत अन्याय हो गया है जिसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल 24 लाख टन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे पिछले कुछ वर्षों में औसतन 17.76 लाख टन का ही उपयोग हुआ जिसके अनेक कारण थे केरल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 24 लाख टन का पात्र है और राज्य को यह आश्वासन दिया भी गया था जब विगत जुलाई या अगस्त में खाद्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी।

उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और आबंटन की मात्रा निश्चित करते समय उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश उस वायदे को पूरा नहीं किया गया और केरल को अब कम मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है।

जैसाकि सभी जानते हैं केरल में खाद्यान्नों की कमी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि केरल के लोग कोई कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं परन्तु ऐसा इसलिए है क्योंकि केरलवासी विभिन्न कारणों और बाधाओं के कारण नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे न केवल केरलवासियों को फायदा हो रहा है अपितु पूरे देश को फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे कृषक नकदी फसलों का उत्पादन कर देश के लिए आवश्यक और अपेक्षित विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। केरल में स्थानीय उत्पादन द्वारा खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मात्र 32 किलोग्राम है जबकि यह पंजाब में 976 किलोग्राम है। केरल में इसकी कुल आवश्यकता 40 लाख टन है। हम इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आबंटन के इस अव्यावहारिक तरीके को बदल नहीं दिया जाता और राज्य को पूरी मात्रा में आवश्यक आबंटन नहीं दिया जाता।

दूसरी बात जो मैं इस सभा के समक्ष उठाना चाहता हूं वह यह है कि सुसंगठित और सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पूरे देश के लिए मानदंड के रूप में लिया जा सकता है, को पिछले दस वर्षों के औसत के आधार पर आबंटन करने के अव्यवहारिक तरीके द्वारा अव्यवस्थित नहीं होने देना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि पहले जितना ही 24 लाख टन का आबंटन किया जाना चाहिए अथवा पिछले वर्ष प्राप्त की गई 20.75 लाख टन की मात्रा को राज्य को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर आबंटित किया जाना चाहिए। इसकी तत्काल आवश्यकता है क्योंकि अगले माह हमारा वार्षिक त्यौहार ओणम आने वाला है।

मैं आशा करता हूं कि सभा और माननीय मंत्री इस बात को समझेंगे कि इस समय आबंटित 17.76 लाख टन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः अपर्याप्त है क्योंकि यह राज्य खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहा है। केरल में व्याप्त विशेष परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय पहले दिए जा रहे आबंटन को पुनः बहाल करेंगे और मुख्यमंत्रियों के पिछले सम्मेलन राज्य से किए गए वायदे को पूरा किया जाए।

इस सभा में लगभग अन्य सभी मुद्दों पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए जा चुके हैं। इसलिए, मैं उन सभी बातों को नहीं दोहरा रहा हूं। माननीय मंत्री से इस अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिन के इन अन्तिम घंटों में मुझे भाषण देने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कई नाम हैं। इस पर ऑनरेबल मिनिस्टर को भी जवाब देना है। मैं ऑनरेबल मैम्बर्स से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात खत्म करें ताकि डिबेट कनक्लूड हो जाए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.25 बजे

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1997

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रमाकान्त खलप राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और अधिक संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकान्त डी. खलप : श्रीमान्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 6.27 बजे

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : महोदय, मैं राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[श्री रमाकान्त डी. खलप]

महोदय, मूलरूप से, जो राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय अधिनियम, 1952, अधिनियमित हैं उसमें किसी प्रतिभूति जमा राशि का प्रावधान नहीं था। फिर भी प्रत्याशी के नामांकन पत्र में प्रत्याशी द्वारा यह लिखा जाना अपेक्षित था कि वह नामांकन के लिए सहमत है तथा दो मतदाता प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए थे।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए उन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाने को हतोत्साहित करने के लिए जो गंभीर नहीं हैं इस अधिनियम में 1974 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति निर्वाचन में नामांकन पत्र में प्रत्याशी द्वारा यह लिखा जाना अपेक्षित है कि वह नामांकन के लिए सहमत है और कम से कम दस मतदाताओं को प्रस्तावकों और दस को समर्थकों के रूप में यह लिखना होगा। उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, यह अपेक्षित था कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र पर यह लिखित रूप से देना होगा कि वह नामांकन के लिए सहमत है और कम से कम पांच मतदाताओं को प्रस्तावकों और पांच को समर्थकों के रूप में भी यह लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। इस संशोधन में यह भी उपबंध था कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रत्याशियों को 2,500 रुपये जमा कराने होंगे।

उपरोक्त संशोधन प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं सिद्ध हुए हैं जो गंभीर नहीं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी, 1997 में यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों के लिए जमानत की राशि को बढ़ाया जाए।

सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया और जमानत की राशि को पंद्रह हजार रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की न्यूनतम संख्या को पचास और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीस तक बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपतीय चुनाव के लिए अधिसूचना 9 जून, 1997 को जारी की जानी थी, इसलिए उपरोक्त संशोधन को राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 की संख्या 3) के प्रख्यापन के द्वारा प्रभावी बनाया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में इस बिल को लाया गया था और वहां गिर गया है, क्या नये सिरे से पेश किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, नये सिरे से पेश किया जा रहा है।

अपराह्न 6.28 बजे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा शुरू रखेंगे, प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नियम 193 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप और प्रभावी बनाये रखने के संबंध में हो रही चर्चा के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस प्रणाली को प्रभावी बनाये रखने के लिये केन्द्र और राज्य स्तर पर अपने-अपने मंत्रालय में मानिटरिंग सिस्टम अत्यंत आवश्यक है। और समय-समय पर महीने में एक दो बार मंत्री महोदय की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक करके उसकी मानिटरिंग कर ली जाये कि कौन से राज्य की कितनी आवश्यकता है, किस राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर दी गई है या नहीं, किस राज्य को कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध हुई या नहीं और किस राज्य को मिट्टी का तेल या शक्कर समय पर उपलब्ध हुई या नहीं या वहां के खाद्य गोदाम में इतनी मात्रा है या नहीं या जिस राज्य में जितनी मात्रा में सामग्री जानी चाहिये थी, वह गई या नहीं? जिस राज्य में त्यौहार आता है, तब रूटीन वे में भेजेंगे तो बहुत बड़ी समस्यां का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव के किसान का लड़का हूं और ग्रामीण परिवेश जानता हूं। जब गांव में राशन दुकान खुलने का समय होता है तो 2-3 किलोमीटर चलकर वह गांव पंचायत या मुख्यालय पहुंचता है जहां पर राशन दुकान निर्धारित की हुई है तो कहा जाता है कि शक्कर और गेहूं नहीं आया। इस तरह महीने में 3-4 चक्कर लगाता है और अन्ततोगत्वा वह निराश हो जाता है और फिर एक दिन जब जाता है तो बताया जाता है कि शक्कर आई थी, खत्म हो गई है। परिणामस्वरूप उसे काले बाजार से शक्कर और मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है। उसे अपने घर में चिमनी जलाने से वंचित होना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति से बचने के लिये समान वितरण प्रणाली इस देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन के लिये आवश्यक है जो सुबह से शाम तक मजदूरी

करके आते हैं और फिर जिनको अपना पेट भरना पड़ता है। यदि उसे खुले बाजार के भाव के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाये तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से प्रभावी मानिटरिंग व्यवस्था चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राजस्थान में एक संकट आ गया। हमारे खाद्य मंत्री यहां केन्द्र के खाद्य मंत्री से मिले ...*(व्यवधान)* ...माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे पाणिग्रही जी के साथ विचार-विमर्श में मशगूल हैं, मेरे राज्य की बात सहानुभूतिपूर्वक सुनने का कष्ट करें। हमारे राजस्थान के खाद्य मंत्री यहां आये, यहां के खाद्य सचिव के अलावा राज्यों के खाद्य मंत्रियों से मिले और कहा कि आपने एक नई प्रणाली टी.पी.डी.एस. निकाली है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को आधे दामों पर गेहूं या वितरण की जाने वाली सामग्री दी जायेगी और हरेक को पांच किलो दिया जायेगा। मान्यवर, एक राशन कार्ड पर चाहे उसमें पांच, छः या दस लोग हैं और बाद में लोग चिल्लाने लगे और जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा और फिर खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हमने तो दस किलो वाली बात कही है कि एक कार्ड पर दस किलो मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस परिवार के अंदर 10-10, 15-15 लोग हों, जिनमें बूढ़ी अम्मा, माता, बच्चे, बेटे, बहू, बेटी आदि को मिलाकर इतना बड़ा परिवार हो और एक महीने में केवल दस किलो अनाज मिलता हो। 1977 के बाद जब से जनता राज आया गांव में जब से गेहूं खाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। नहीं तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हमें मक्का, ज्वार, बाजरा खाने को मिलती थी और त्यौहारों के ऊपर गेहूं की रोटी खाने को मिलती थीं। यह मेरे बचपन की बात मुझे याद है। लेकिन 1977 में जनता राज आया, उन्होंने टेस्ट बदला और परिणामस्वरूप मोटे अनाज के साथ-साथ गेहूं भी घरों में खाया जाने लगा। इसलिए अब जब गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया और उसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी आप गेहूं की आपूर्ति करना चाहते हैं तो केवल दस किलो आधी कीमत के नाम पर दे रहे हैं और बाकी के लिए उसको फिर से बाजार में जाना पड़ेगा और बाजार के अंदर जो भाव हैं, वे अभी तो थोड़े बराबर हैं या उनमें मामूली अंतर है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब बाजार के भाव बढ़ जायेंगे तो फिर उसका गुजारा करना मुश्किल हो जायेगा। आधा तीतर, आधा बटेर यह वाली स्थिति सहन नहीं की जायेगी। आपने वाहवाही लूटने के लिए इसे एकदम से लागू कर दिया। इस संयुक्त मोर्चा की सरकार में कुछ भी संयुक्त नहीं है। जिसमें कि उस समय के प्रधान मंत्री जी भी गये और जो खाद्य मंत्री थे जो यह नीति लाये थे, वह भी चले गये। अब उनके स्थान पर नये खाद्य मंत्री जी आये हैं। हम आशा करते हैं कि उनको स्वतंत्र प्रभार मिला है और वे इसके बारे में स्वयं जानकारी अपने स्तर पर भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में राशन की दुकानों पर आधी कीमत वाला गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है और शक्कर वगैरह की तो भारी समस्या पैदा हो गई है। अभी सावन का महीना है जिसमें तीज का त्यौहार, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, घेवर खाने का त्यौहार हों और ऐसे अवसर पर शक्कर इस महीने के बाद मिलेगी और वह भी उपखंड अधिकारी के यहां से घोषणा होगी कि इस माह की शक्कर आ गई है और उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे फलां तारीख तक वे प्राप्त कर लें। अब किसी के पास में पैसे हैं या नहीं, त्यौहार चले गये, मरीज मरने के बाद डाक्टर आया तो क्या फायदा, दवाई मिली तो क्या फायदा। इसलिए इस बारे में विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है, मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। समय पर आपूर्ति की आवश्यकता है। इसमें चौथी चीज कमीशन की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा खाद्य गोदामों में अनाज होता हैं लेकिन टी.पी.डी.एस. वाले दुकानदार नहीं उठाते हैं। कहते हैं कि उनको कमीशन कम मिलता है, हमें बारदाना में इतना घाटा होता है, हमें वहां गेहूं ठीक नहीं मिल रहा है, बरसात में गेहूं भीग गया है या उसे दीमक, चूहे वगैरह खा गये उसमें कोई बीमारी लग गई। इसलिए जिन खाद्य गोदामों में ऐसा खराब गेहूं हो, उसे पहले ही चैक करा लें। खाने के लायक सस्ते अनाज का कम से कम जिन दुकानों से वितरण किया जा रहा है, वहां पर भेजें।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में भी एक स्कीम मिड डे मील की लागू की है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील तो तैयार होता नहीं है। लेकिन उसके स्थान पर प्राइमरी स्कूल में एक माह में जिसकी 80 प्रतिशत हाजिरी हो, उन बच्चों को प्रति माह तीन किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। वह गेहूं भी चार-चार, पांच-पांच महीने तक नहीं उठाते हैं। बाद में वह दुकानों पर भी नहीं मिलता है। चूंकि वह भी इसी वितरण प्रणाली से संबंधित है, वह राशन की दुकानों से ही लाते हैं। राशन की दुकान वाले कहते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक नहीं आया है। मेरे पास पहले जितने यूनिट्स हैं, उनका आया है, तुम्हारे स्कूल का नहीं आया है। तो खाद्य गोदामों से मिड डे मील के बारे में एक समस्या यह आ रही है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाये रखने के लिए कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात कहकर अपने कथन को विराम दूंगा। आस्ट्रेलिया के गेहूं के बारे में मुझे अफसोस है। एक तरफ तो हमारे किसानों ने हरित क्रांति करके देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। एक तरफ जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वाभिमान का परिचय देते हुए जय जवान, जय किसान का नारा लगाया, सोमवार के विजय व्रत का आह्वान किया। पी.एल. 480 अमरीका ने रोकना चाहा, हमको दबाना चाहा, लेकिन देश के किसान ने शास्त्री जी के आह्वान को स्वीकार किया और इस देश की धरती और अन्नदाता किसान ने इतना पैदा किया कि हमारे यहां का किसान आत्मनिर्भर हो गया और अब यहां के किसान को, वह जितना गेहूं पैदा करता है, जितनी मेहनत करता है, उसका उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है, उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती है और विदेशों से महंगे पैसे पर आज गेहूं का निर्यात करके हिंदुस्तान में मंगाया जा रहा है कि हम भावों को ठीक रखना चाहते हैं। हम उसकी आपूर्ति करना चाहते हैं लेकिन आस्ट्रेलियाई गेहूं के बारे में कहा जाता है कि उसमें कुछ ऐसे बीज और खरपतवार मिले हुए हैं, जिससे पता नहीं कौन-सी नई पौध यहां पैदा हो जाएगी और हमारी धरती की उत्पादक-शक्ति का उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें कि विदेशों से आने वाला गेहूं क्या भारतीय जनता के खाने लायक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें लाल गेहूं या कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जिससे हमारी जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता हो, हमारी धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त होती हो। ऐसा गंदा गेहूं या बीज हमारे देश में कदापि नहीं आना चाहिए। इन शब्दों के साथ समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश के लगभग 40 टका लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी गुजर-बसर करते हैं। कौन व्यक्ति गरीब है, इसे साबित करने के लिए, राशन कार्ड बनवाने में, गरीब को गरीब साबित करने में भी यहां भ्रष्टाचार होता है। अभी आपने 26 जनवरी, 1997 को घोषणा की थी कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से आधी कीमत पर 10 किलो, अनाज दिया जाएगा लेकिन 10 किलो, में क्या एक परिवार का पोषण हो सकता है - कदापि नहीं। उसे अपनी जरूरत के लिए कम-से-कम 30 किलो बाजार से अनाज खरीदना पड़ेगा। आप 10 किलो अनाज देकर जितनी राहत उसे देते हैं, उससे ज्यादा पैसा उसे 30 किलो, अनाज खरीदने के लिए देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस नीति पर आप फिर से विचार कीजिए। यदि वास्तव में आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, इस बारे में गम्भीर हैं तो सार्वजनिक वितरण की वर्तमान मशीनरी को बदलना पड़ेगा।

अभी हमारे साथी चाको जी स्टोरेज के बारे में बता रहे थे कि उसमें कैसे भ्रष्टाचार होता है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में सभी बोलते हैं और कहते हैं कि पी.डी.एस. में सभी जगह सड़ा हुआ अनाज गरीबों को मिलता है। स्टोरेज में आपका लाखों करोड़ों रुपए का माल खराब हो जाता है। आप देख लीजिए, आपके पास फीगर्स हैं कि स्टोरेज की वजह से कितना माल खराब होता है। जितना माल खराब हुआ बताया जाता है, उतना खराब नहीं होता लेकिन खराब हुआ दिखा दिया जाता है। इस पर कौन निगरानी करेगा, जांच करेगा? यदि आपकी मशीनरी अच्छी होगी तो सारी व्यवस्था ठीक चल सकती है।

मैं सोचता हूं कि टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज की मात्रा प्रत्येक परिवार के स्थान पर उस परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय की जाए क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति भी हो सकता है और 6-7 व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसके अलावा राशन की दुकानों में भी भ्रष्टाचार है। दुकानदार कम सामान तोलकर देता है क्योंकि उसे कमीशन कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार सुनिश्चित करें कि राशन की दुकानों पर मिलने वाले अनाज की क्वालिटी अच्छी हो। मैं पिछले 3-4 दिनों से यहां होने वाली चर्चा सुन रहा हूं और सभी वक्ताओं ने इस बारे में बोला है कि पी.डी.एस. की दुकानों से मिलने वाला अनाज जानवरों के खाने योग्य भी नहीं होता। मैं चाहूंगा कि राशन की दुकानों पर मिलने वाले अनाज को यहां लाकर आप सैन्ट्रल हॉल में रखिए ताकि सभी को पता चल सके कि गरीब लोगों को आप किस तरह का अनाज देते हैं, कैसा अनाज गरीब लोग खा रहे हैं।

अब मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में राशन की दुकानों से जो कोटा वितरित किया जाता है, राज्य सरकारें वही अनाज वितरित करती हैं, जितना कोटा उन्हें केन्द्र सरकार से मिलता है। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यों को आबंटित कोटा भी पूरा नहीं मिलता। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जब महानगर पालिकाओं के इलैक्शन हुए, उस वक्त जान-बूझकर हमें कैरोसिन ऑयल का कोटा नहीं दिया गया। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। वे इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, राज्य सरकार को पकड़ते हैं, गाली देते हैं कि उसने अनाज या कैरोसिन का कोटा वितरित नहीं किया। मैं आपके

माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप इस स्थिति पर ध्यान दें। बेचारा गरीब कहां जाए? उपाध्यक्ष महोदय, गरीब क्या करेगा, जब केरोसीन नहीं मिलेगा, तो लकड़ी का प्रयोग करेगा, जब लकड़ी भी नहीं मिलेगी, तो वह कैसे काम चलाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि आपको केरोसीन का कोटा बढ़ाना चाहिए और मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं कह रहा हूं बल्कि सारे राज्यों के लिए कह रहा हूं कि सभी राज्यों का केरोसीन तेल का कोटा बढ़ाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1990-91 की जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा निश्चित किया है और अब हम 60 साल की उम्र तक जी रहे हैं। आप ही सोचिए कि एक महीने में एक आदमी 425 ग्राम चीनी से कैसे गुजारा कर सकता है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने इस बात को माना है कि किसी परिवार का केवल 10 किलो अनाज में पेट नहीं भर सकता है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी चिन्ता जताई है और कहा है कि यह अनाज बहुत कम है और उन्होंने स्वयं कहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाएंगे। यदि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना है, तो जल्दी बुलाइए और जल्दी कोई निर्णय लीजिए। इसमें देर क्यों हो रही है। गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजना है। इसके लिए जल्दी से जल्दी कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 10 किलो अनाज की बजाय कम से कम 30 से 40 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति मास आधी कीमत पर दिया जाना चाहिए। राज्यों के कोटे में हुई कमी को पूरा किया जाए। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जो आप सड़ा हुआ अनाज देते हैं वह न दें। भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें कड़ा दंड दिया जाए। चीनी के कोटे में वृद्धि की जाए। राशन की दुकानों को चलाने वालों का कमीशन बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें अपना गुजारा करने के लिए अन्न को ब्लैक में न बेचना पड़े। यहां पर अभी एक-दो दिन पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने जवाब देते हुए अपना अनुभव बताया था कि उनकी गाड़ी में मिलावटी डीजल और पैट्रोल डाला जाता था। उन्होंने पैट्रोल पंप पर तेल भरने वाले को चांटा मारा। आज हालत यह है कि मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। सब जगह ब्लैक मार्केट में जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि कितने गरीबों को आप अनाज देते हैं, क्या आपने इसके बारे में कोई सर्वे किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7.8 प्रतिशत, बिहार में 7.2 प्रतिशत, उड़ीसा में 7.8 प्रतिशत और राजस्थान में 8.2 प्रतिशत गरीबों को आप सस्ता अनाज पहुंचा पाते हैं। मेरे पास सिर्फ इन्हीं राज्यों के आकड़े हैं बाकी राज्यों की फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि गरीब लोगों को लाभ मिले और सड़ा गेहूं व चावल लोगों को न मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में कोई नया सिस्टम नहीं है। यह पहले से ही चल रहा था मगर जब देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने 1.6.1997 से यह नया सिस्टम स्टार्ट किया। यह सिस्टम पूरा डिफेक्टिव है। उस समय गेहूं 3 रुपए 77 पैसे किलो मिलता था, तो इन्होंने उसका भाव बढ़ाकर 5 रुपए 20 पैसे कर दिया और अब कहते हैं कि हम गरीबों को 3 रुपए 20 पैसे किलो के हिसाब से एक परिवार को एक महीने में 10 किलो अनाज देंगे। क्या आप इस तरह से हिन्दुस्तान की जनता को धोखा दे रहे हैं? पहले आपने 3.77 से 5.20 रुपए कर दिया और अब कहते हैं कि 3.20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनको सस्ता अनाज देंगे। इसी प्रकार से चावल के दाम पहले बढ़ा दिए फिर कह दिया कि हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को आधी कीमत पर चावल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत-बहुत बड़े परिवार हैं। आप कहते हैं कि हम एक परिवार को एक महीने में सिर्फ 10 किलो अनाज देंगे, तो क्या वे इस 10 किलो अनाज से प्रसाद बांटेंगे? वह क्या करेंगे? यह जो स्कीम है, मंत्री जी पता नहीं क्यों आपको श्री देवेगौड़ा जी यह स्कीम पकड़ा कर चले गये? इस स्कीम से इतने राशन कार्ड बन जायेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 30 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत हो जायेंगे। यह रेखा नीचे घटने वाली नहीं है। जिस वास्तविक गरीब को लाभ मिलना चाहिए, जो गांव में रहता है, जो मजदूरी करता है, जो खेत में रहता है, उसको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। जो होशियार आदमी है, जो इस बात को

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

जानता है, वह आदमी उसका लाभ उठा लेगा। इस योजना को आप बंद कर दीजिए। पहले वाली जो स्कीम थी जिसके तहत आप ट्राइबल एरिया के 1700 ब्लाकों में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसको चालू करायें। वे सारे एस.सी. के ब्लाक थे। गरीब आदमी के लिए जो सबसे कमजोर आदमी हैं, उसको हम कैसे लाभ पहुंचायें। चाहे गेहूं हो, चावल हो, घासलेट हो या शक्कर हो। इन चीजों के ऊपर तब स्कीम नहीं थी। इस स्कीम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। वे और गरीब होते जायेंगे। वे सारी चीजें ब्लैक में चली जायेंगी जैसा कि अभी हमारे महाराष्ट्र के एक साथी रिश्वत की बात कह रहे थे। इस स्कीम के प्रति लोगों में बहुत असंतोष हैं। वह इस दस किलो गेंहू का क्या करेंगे? अगर वह उस समय ओपन मार्केट में जाता तो उसे कम से कम 20 किलो गेहूं 75 रुपये में मिल जाता था लेकिन आज अगर वह ओपन मार्केट में जाये तो वह केवल उससे प्रसाद बांट सकता है। ओपन मार्केट में कुछ नहीं रखा है। ओपन मार्केट में सात रुपये, आठ रुपये, दस रुपये किलो गेहूं मिल रहा है। गरीब बेचारे कहां से अपना पेट भरेंगे? मैं पाणिग्रही जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इस स्कीम को लाये हैं। यह स्कीम बहुत डिफेक्टिव है। इस स्कीम के प्रति लोगों में बहुत असंतोष है चाहे डीलर बेचता हो या सोसायटी का मैनेजर बेचता हो, उसको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला है। दिलीप सिंह भूरिया का कार्ड है या मंत्री का कार्ड है, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। न कलैक्टर के पास हिसाब है और न तहसीलदार के पास हिसाब है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पहले वाली स्कीम थी, उसको आप पुनः चालू करें। इस स्कीम के लिए आप एक कमेट बैठाइये चाहे वह पार्लियामैंट की कमेटी हो। आपके किसी अफसर ने इसको पूरा करके दे दिया है। यह मैथेमेटिक्स का खेल है। इधर भाव बढ़ा दिये और उधर किसानों को कह दिया कि हम तुमको आधा किलो देंगे। वे इतने भोले होते हैं कि न तो उनको आधा किलो मिलता है और न ही किलो मिलता है। वह ब्लैक में चला जाता है। आज गोदामों में माल नहीं है। बरसात होने के कारण गोदामों में माल नहीं है। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में ऐसे कोई इलाके नहीं हैं जहां तीन-तीन महीने तक पानी नहीं निकल रहा है। वह गांव में नहीं आ सकते हैं। उनको 50 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। जब तक वह आते हैं तब तक वह माल ब्लैक कर दिया जाता है।

इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम बहुत डिफेक्टिव है। इस स्कीम से लोगों में बहुत असंतोष है। इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए और पहले जो स्कीम चालू थी, उसी को रिव्यू करें। इस स्कीम के लिए एक कमेटी बैठाकर फिर इसको शुरू करें ताकि देश में जो गरीब आदमी है, उसको इसका लाभ मिल सके। मैंने पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दी है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पांच घंटे की डिबेट का जवाब आप दस मिनट में देने की कोशिश करें।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मुख्य बातें रखी हैं, वह सब तो उसमें आ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम बढ़ाना होगा तो सात बजे के बाद बढ़ायेंगे।

श्री शिवराज सिंह : ठीक है, आप बढ़ा दीजिए।

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : मैं आपका आभार मानता हूं क्योंकि जनोपयोगी और गरीबी के खिलाफ जो संघर्ष है और इससे संबंधित जो योजना है, उस पर आपने स्वीकृति दी। तीन दिनों तक करीब पांच घंटे तक बहस चली और उसमें करीब 24 माननीय सदस्यों ने बड़े ही बहुमूल्य सुझाव दिये जिससे इस सरकार को रोशनी मिली है। इस योजना को और सुदृढ़ करने, इसको और जनोपयोगी व गरीबोपयोगी बनाने में सब लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये और रुचि ली और अभी उस बहस की समाप्ति होने जा रही है।

मैं सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा कही गई पंक्ति से शुरू करना चाहता हूं। "जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो और जिसको अपना पेट भरने के अलावा और कोई इच्छा नहीं हो, उसका पेट ही उसका भगवान है। जो उसे रोटी दे दे, वही उसका स्वामी है, उसी में वह ईश्वर के भी दर्शन कर सकता है।" गरीब और भोजन के संबंध में, भोजन जिंदगी की प्रारंभिक आवश्यकता है और जितने भी महान लोग हुए हैं, सभी ने इस तरफ चेष्टा की है कि हमारे देश में गरीबी सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी बीमारी है और इससे मुकाबले के लिए तमाम महान् लोगों ने उपदेश दिए हैं।

मुझे कविवर गोपाल सिंह नेपाली की कविता याद आती है-

दिन गए बरस गए
यातना गई नहीं
रोटियां गरीब की
प्रार्थना बनी रहीं
श्याम की बंसी बजी
राम का धनुष चढ़ा
बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा
निर्धनता गई नहीं।

मतलब इस देश की गरीबी के संबंध में हिन्दुस्तान के कलाकारों का भी ध्यान गया है। गरीबों की आह और भूख से वे भी संवेदित हुए हैं और उनकी भी चिन्ता है। लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान का जो नक्शा है, सन् 1995 ईस्वी में 95 करोड़ की आबादी में लाकड़वाला कमेटी के हिसाब से करीब 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वैसे तो और हिसाब लगाया गया है। डी.आर.डी.ए. की तरफ से भी एक सूची बनी है। एक और नैशनल सैम्पल सर्वे हुआ है। उस सबमें, लाकड़वाला कमेटी ने जो कहा है, उससे कम ही लोगों के बारे में कहा गया है। इसलिए भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन ने माना है, लाकड़वाला कमेटी के विशेषज्ञ दल की जो रिपोर्ट है, हिन्दुस्तान में करीब 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं। कुल 16 लाख परिवार हैं। गरीबी की रेखा से नीचे 32 करोड़ की आबादी और करीब 6 करोड़ परिवारों की संख्या आंकी गई है।

जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो लोगों को चिन्ता हुई कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से है। कुछ राज्यों में बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। लेकिन कुछ राज्यों में गरीब व्यक्ति को कम कीमत पर अनाज नहीं मिलता जिससे गरीबी बढ़ रही है। कभी-कभी गरीब लोगों को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए सरकार का संकल्प था कि इस देश में कोई भी गरीब भूखा न रहे, उन्हें अनाज मिले। उस तरफ सोच हुई और जुलाई 1996 में देशभर के तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें यह पाया गया कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को कम से कम अनाज सस्ते मूल्य पर प्रदान किया जाए। उस समय प्रारंभ में लोगों ने हिसाब लगाया कि करीब 20 किलो अनाज उन्हें प्रति माह कम दाम पर मिले। लेकिन बाद में उसी बैठक में सभी लोग सहमत नहीं हुए क्योंकि इस समय यह सोच थी कि केवल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही अनाज दिया जाए, बाकी लोगों को बाजार या अपने उत्पादन के आधार पर निर्भर रहने दिया जाए। लेकिन कुछ लोग उससे असहमत थे। उनका कहना था कि जिन राज्यों में गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को, जैसे शहरी क्षेत्र, हिली एरिया था जहां आर.पी.डी.एस. लागू था, भी अनाज देते हैं तो उनको पहले से जो सुविधा मिल रही है, उससे उन्हें वंचित न किया जाए। इसलिए उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि 10 किलो अनाज, चावल अथवा गेहूं, प्रति परिवार, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं, को सैंट्रल ईशू प्राइस की आधी कीमत पर देने की व्यवस्था की जाए। उसके हिसाब से छ: करोड़ परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, दस किलो अनाज के हिसाब से करीब 70 लाख टन प्रतिवर्ष अनाज लगने का अनुमान हुआ। यह देने से दस किलो प्रति परिवार छ: करोड़ परिवारों को अनाज आधी कीमत पर मिल सकता था। उसमें यह भी फैसला हुआ कि केवल 70 लाख टन नहीं, 175 लाख टन अनाज इस मद में आबंटित हो। जिसमें 105 लाख टन ए.पी.एल. के लिए जो सेंटर इश्यू प्राइस था, उसमें मिले। जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं, अथवा राज्य के लोग चाहें तो उस 105 लाख टन में उनका हिस्सा मिलेगा, अगर वे चाहें तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ज्यादा दे सकते हैं। इसलिए 175 लाख टन नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लागू हुआ। 1 जून से आज तक 72 दिन हुए हैं यानि दो महीने 12 दिन बीत चुके हैं। इसलिए योजना की शुरूआत में कह देना कि योजना विफल हो गई, योजना लाभदाई नहीं है, योजना सफल नहीं हुई, गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, सही नहीं है। किसी भी योजना के शुरूआत में प्रारम्भिक कठिनाइयां होती हैं। उसमें जहां मरम्मत की गुंजाइश है, संशोधन करने की गुंजाइश है, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, इससे सरकार को रोशनी मिली है। इसी कारण हमारे प्रधान मंत्री जी का लगभग पांच-छ: बार विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा और माननीय फूड मिनिस्टर्स के द्वारा उनके राज्यों में कठिनाइयों के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया। यह बैठक लगातार पांच-छ: दिन तक चली। इसलिए यह कह देना कि यह योजना सहन करने लायक नहीं है, लोग पहले से गरीब हो गए, उनको इसका लाभ नहीं मिला, पहली वाली ही योजना सही थी, उचित नहीं है।

कुल 9 हजार 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देश की इस पर जाएगी। इसलिए जो सब्सिडाइज अनाज होगा, उस पर यह खर्च होगा। यह निश्चित ही गरीबों के हक में है और गरीबों को इससे लाभ होगा। यह सही है कि जितना अनाज वह खाते, उतनी व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन यह शुरूआत है कि जो लक्षित गरीब हैं, उन तक यह योजना पहुंचे। जो रिवेम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें गरीब एरिया के, गरीब ब्लाक के, जो अनुसूचित

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

जाति और जनजाति बहुल एरिया हैं अथवा हिली ब्लाक हैं, उन सभी 1700 ब्लाक्स में देने का लक्ष्य है।

प्रो. रासा सिंह रावत : बिना तैयारी के पहले से आदेश दे दिया कि राशन कार्ड बदले जाएंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : रिवेम्प्ड पी.डी.एस. में सभी क्षेत्रों के गरीबों को कम से कम यह जरूर मिले, यह इसमें लक्षित है। जो अंतिम आदमी समाज में बैठा हुआ है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसे भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिसकी देह पर पहनने लायक कपड़ा नहीं है, जिसे रहने के लायक मकान नहीं है, जिसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो दवा का प्रबंध नहीं है, वह गरीबी रेखा से नीचे का आदमी कहा जाता है। इसलिए यह तय हुआ कि निश्चित रूप से देश के कोने-कोने में सभी क्षेत्रों के सभी गरीबों को जरूर यह अनाज पहुंचे। उसके लिए 70 लाख टन दस किलो के हिसाब से और 105 लाख टन अनाज और देने का प्रावधान किया है। रिवेम्प्ड पी.डी.एस. में यह उस हिसाब से लागू हुआ। प्रो. रासा सिंह रावत जी का कहना है कि कार्ड के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान गया है। हर राज्य से सम्पर्क किया गया। हर राज्य में मार्च-अप्रैल 1996 से सेंटर का एक-एक पदाधिकारी गया कि गरीब लोगों के लिए अलग से कार्ड बनाए जाएं। तुरंत नहीं बन सकते इसलिए पुराने कार्ड पर ही मोहर लगा दी जाए। लेकिन राज्य सरकारों ने बड़ा सहयोग किया।

अपराह्न 7.00 बजे

किन्हीं राज्यों ने लाल कार्ड, किसी ने ब्लू कार्ड, किसी ने हरा कार्ड बनाकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुछ राज्यों ने तो कार्ड बनाकर पूरे कर लिए हैं लेकिन कुछ राज्यों में काम पीछे चल रहा है। चार राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस अगर एग्री करें तो पन्द्रह मिनट समय बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : बढ़ा दिया जाए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभी राज्यों की सरकार ने इसमें पूरा सहयोग दिया है और चार राज्य दिल्ली, पंजाब, गोआ और लक्षद्वीप इन चारों राज्यों में अभी तक इस योजना को राज्य सरकारों ने लागू नहीं किया है लेकिन वचन दिया है कि दो-तीन महीने में इसे लागू करेंगे। बाकी सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने की शुरूआत हो गई है और जो अनाज बंटा है, वह भी उठाने का काम किया है। हरेक राज्य में हर स्तर पर निगरानी समिति बनाने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकारों ने भी कहा है कि निगरानी समिति गठित है या गठन करने का काम कर रहे हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, मैं उनके सुझावों को स्वीकार करता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि इसमें निचले स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें जरूर गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए माननीय सदस्यों को या उनके प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र की निगरानी समिति में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा जिससे उनको वस्तुस्थिति की जानकारी होती रहे।

अनाज आबंटन के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में फैसला हुआ था कि हर राज्य को कितना-कितना हिस्सा मिला। पिछले वर्ष में हरेक राज्य को मांग के हिसाब से आबंटन मिलता था। कुछ उठाते थे और कुछ नहीं उठाते थे। उसमें यह फैसला हुआ कि दस वर्षों का जो उठान हो, वह एवरेज हर राज्य का हिस्सा हुआ और हर राज्य उठाएगा। पिछले वर्ष जो कुछ राज्यों ने अनाज का ऑफ-टेक किया था, उससे उनका हिस्सा कम पड़ गया। वे सभी राज्य इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। जो भी सिस्टम लागू था और उसमें जो पिछले वर्ष अनाज की खपत हुई, इसमें कुछ बढ़ना चाहिए न कि घटना चाहिए। अत: उनकी शिकायत करना जायज है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले वर्ष जितना अनाज मिला, उससे कम क्यों मिला? यह उनकी शिकायत है। प्रधान मंत्री जी तक जब यह शिकायत पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके सदन को जानकारी दी कि इसमें संशोधन करके राज्य सरकारों की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा ताकि गरीबों के यहां ज्यादा अनाज पहुंच सके। राज्यों की कठिनाइयों से अब हम अवगत हो गए हैं।

मैं माननीय पाणिग्रही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया और इस महत्वपूर्ण काम को करने का काम किया। बड़े तार्किक ढंग से और ओजस्वी ढंग से उन्होंने उड़ीसा का सवाल उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रिप्लाई भी तो बहुत ओजस्वी है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उड़ीसा का सवाल उन्होंने उठाया, जैसे केरल के माननीय सदस्यों ने केरल का सवाल उठाया। उड़ीसा राज्य का पिछले साल 10 लाख टन ऑफ-टेक था, लेकिन दस वर्षों का एवरेज 4 लाख 23 हजार टन है, फार्मूले के हिसाब से। उनको 3 लाख 81 लाख टन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज चाहिए था, इसलिए 44 हजार टन और

जोड़कर ए.पी.एल. के लिए उनको 4 लाख 23 हजार टन आबंटन हुआ। वहां कठिनाई हुई और उसकी जानकारी हमें मिली तथा राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि हमें और चावल दिया जाए। हमने कहा कितना चावल चाहिए? उन्होंने कहा एक लाख टन चावल चाहिए। फिर एडिशनल कोटा पांच महीने में 20 हजार टन करके चावल देने के लिए स्वीकार किया। फिर यह बात हुई कि चावल नहीं, गेहूं दिया जाए। अभी हाल में फिर हमने गेहूं सात-आठ दिन पहले, देने का फैसला किया और निदेश दिया कि 20 हजार टन अतिरिक्त गेहूं उनको दिया जाए। हालांकि उड़ीसा सरप्लस स्टेट है और वहां पर कैपिटा के हिसाब से जितनी लागत होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक उत्पादन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अकाल तो वहां का मशहूर है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : कुछ जिलों में सूखा हुआ है, उसके आधार पर उन्होंने चावल की मांग की थी। इसलिए उनको एक लाख टन अतिरिक्त चावल दिया गया। फिर 60 हजार टन अतिरिक्त गेहूं 20 हजार टन प्रतिमाह के हिसाब से दिया गया। लेकिन वल्लभ पाणिग्रही जी कहते हैं कि ए.पी.एल. के रेट पर हुआ था, बी.पी.एल. के रेट पर हुआ था, लेकिन कैबिनेट का फैसला इकोनोमिक रेट पर था। सब जगहों पर हिस्सा फार्मूले के हिसाब से मिला है। उसके अतिरिक्त आवंटन इकोनोमिक रेट पर ही होगा। इकोनोमिक रेट पर अनाज मांगा है, वह हमने दे दिया, लेकिन ए.पी.एल., बी.पी.एल. का सवाल उठाया जा रहा है। उड़ीसा में हमने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए 35 हजार टन दिया है, लेकिन इसमें उठा है 30 हजार टन। 35 हजार टन गेहूं दिया है और इसमें उठा है 20 हजार टन। इस तरह से ए.पी.एल. और बी.पी.एल. में ऑफटेक नहीं हो पाया। देश में हमने करीब 14 लाख टन प्रति माह एलाटमेंट किया है, नई स्कीम के तहत, लेकिन 11 लाख टन ही उठा हुआ है, तीन लाख टन नहीं उठा हुआ है। जुलाई का हिसाब हमारे पास नहीं आया है। कुछ राज्यों का आया है, सभी राज्यों का नहीं आया है। बी.पी.एल. और ए.पी.एल. रेट पर हमने 14 लाख टन आबंटन किया है, लेकिन उठा है 11 लाख टन। लेकिन माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं हमें ज्यादा अनाज मिले और ए.पी.एल. और बी.पी.एल. रेट पर मिले। लेकिन उनको यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों को जो अनाज जाता है, वह शतप्रतिशत उठाया जाए, तभी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक गांवों में अनाज पहुंच सकता है। इसमें रावत जी कह रहे थे कि अनाज नहीं पहुंचता है या कम मात्रा में पहुंचता है। इस पर भी कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। इसलिए जहां दाम में ज्यादा फर्क होगा, वहां पर गड़बड़ी होने की संभावना है। इसीलिए उस पर उतनी ही निगरानी, चौकसी तथा चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिससे गरीब तक अनाज पहुंच सके।

उड़ीसा के संबंध में या किसी भी राज्य के संबंध में...

श्री के.सी. कोण्डया (बेल्लारी) : कर्नाटक? ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उड़ीसा के बारे में मैंने बताया। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जितना आबंटन हुआ, उससे तीन गुना ज्यादा आबंटन हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को बोलने की गुंजाइश नहीं है। अगर हमें समय मिले तो सब का जवाब हमारे पास है, हम सब का जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप कुछ जवाब लिख कर दे दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : केरल का उठाव पिछले साल 21 लाख टन था, उनको हिस्सा 17 लाख टन मिला तो चार लाख टन घट गया। मुझे खुशी है और मैं वहां राज्य सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उनका पहले से बढ़िया ढंग से पीडीएस सिस्टम है, इसलिए हम उस सिस्टम को खराब नहीं करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार मुस्तैद है कि पहले से जो सिस्टम है उससे बेहतर हो, ज्यादा गरीबोन्मुखी हो और ज्यादा ग्रामोन्मुखी हो तथा जहां जरूरत है वहां पहुंचे। इसलिए उनको जो कमी हुई है उस अनाज का भी हमने आबंटन कर दिया है, जो 17 लाख टन हुआ था वह अब करीब 21 लाख टन पर पहुंच गया है, दस हजार कम होगा। लेकिन जो राज्य सरकार मांग करेगी हम उतना अनाज उनको देंगे और उनको हम घटने नहीं देंगे, इतना हमने प्रबंध किया है।

महोदय, जिन-जिन राज्य सरकारों की ओर से मांग हुई है हमने उससे अतिरिक्त आबंटन किया है। केरल को 30 हजार टन प्रतिमाह, कर्नाटक को 30 हजार टन प्रतिमाह, उड़ीसा को 40 हजार टन प्रतिमाह, राजस्थान को 41 हजार टन प्रतिमाह, जम्मू-कश्मीर को 30 हजार टन प्रतिमाह, हिमाचल प्रदेश को 9500 टन प्रतिमाह आबंटन किया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ कर्नाटक वालों ने पूछा है, बाकी तो पूछ नहीं रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बाकी भी पूछेंगे। नार्थ-ईस्ट के जो सात राज्य हैं उनमें 26,500 टन प्रतिमाह, दिल्ली में दस हजार टन प्रतिमाह, हरियाणा में पांच हजार टन प्रतिमाह, सिक्किम में चार हजार टन प्रतिमाह, गुजरात में दस हजार टन

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

प्रतिमाह और मध्य प्रदेश, जबलपुर में भूकम्प आया था इसलिए उन्होंने पांच हजार टन प्रतिमाह मांग की थी, वह मंजूर की।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपका टाइम खत्म होने जा रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मुझे मालूम है। वहां 20 हजार टन का आबंटन किया। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर को कठिन स्थानों में अग्रिम भंडारण हेतु भी आबंटन दिया। इस हिसाब से जो राज्य सरकारों की कठिनाइयां हैं, वहां से जो उनके मुख्य मंत्री का पत्र आता है अथवा वह स्वयं आते हैं, उनका जो खाद्य मंत्री है वह आता है या उनका पत्र आता है अथवा राज्य सरकारों के सचिवों की ओर से पत्र आता है तो उस पर मैं उसी दिन निपटास करता हूं। चूंकि केन्द्र की जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार का यह घोषणा है कि देश के किसी कोने में, किसी हिस्से में गरीब भूख से न मर सके। उनको भोजन की गारंटी की सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए वहां अनाज देने का काम करना है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : महोदय, गुजरात में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां जो मिलता है वह बिल्कुल कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ऑफटेक के हिसाब से कम जरूर है, लेकिन गरीब के यहां अनाज पहुंचाने के लिए कमी नहीं है। हमारे पास उतना अनाज है, उन्हें अनाज मुहैया किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* गरीब तक ठीक से अनाज पहुंचता है या नहीं, और गरीब तक अनाज पहुंचे इस पर निगरानी और चौकसी पर आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : आप महाराष्ट्र के बारे में भी बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। श्री मोहन रावले कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महाराष्ट्र का जो हिस्सा है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के लिए सभी अनाज मिला है। उन्हें केवल 7 लाख 25 हजार टन चाहिए लेकिन उन्हें 14 लाख टन 89 टन मिला है, मतलब 7 लाख 63 हजार टन गरीबी रेखा से ऊपर के लिए भी मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले अब संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : तमिलनाडु को दस लाख दस हजार टन दिया लेकिन उन्हें गरीबी रेखा के नीचे के लिए 5 लाख 49 हजार टन चाहिए। इसलिए उन्हें 4 लाख 61 हजार टन गरीबी रेखा से ऊपर के लिए भी दिया गया है और उसके बाद भी 80 हजार टन उनको प्रतिमाह फाजिल में दिया है। उनसे सस्ता अनाज वे आंध्रा से खरीद रहे हैं। इससे भी हमें बचत हुई है। इसलिए हम अब अनाज को अन्य राज्यों में भेज रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि यह पैम्फलेट सारे एम.पीज. को सर्कूलेट करवा दें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मिट्टी के तेल और चीनी के बारे में भी बता दें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से कुछ असुविधाजनक क्षेत्र छोड़ दिये हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जो फैमिलीज हैं, जिन्हें बी.पी.एल. फैमिलीज कहते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप दुबारा भाषण न करें।

[अनुवाद]

अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए। सभा को स्थगित करना है। वाद-विवाद को समाप्त करना है। कृपया मंत्री उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा में 43 लाख बी.पी.एल. फैमिलीज हैं लेकिन इन्होंने 32 लाख दिखाया है, 11 लाख को छोड़ दिया है। इसलिए सारा गणित गलत हो गया है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : लकड़वाला कमेटी ने जो कहा है वह हमने माना है। अगर इस फिगर में कुछ कमी लगती है तो आप इसका आधार बनाकर प्लॉनिंग कमीशन में दें। वे संशोधित करके हमें बता दें। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उन्हें तय करना है। हम तो संशोधित दर पर भी देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) **:** क्या आप हमें आश्वासन दे सकते हैं कि पिछले वर्ष के आंकड़े दिए जाएंगे? इस प्रकार के आंकड़ों से हम संतुष्ट नहीं होंगे। पिछले वर्ष के आंकड़े क्या थे? क्या आप इस सम्बन्ध में हमें आश्वासन दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने हमें सूत्र प्रदान किया है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : लास्ट ईअर का जो ऑफटेक है, वह तो हम कुछ राज्यों में पहुंचे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ज्यादा हो गया है। राज्यों की मांग के हिसाब से हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम यह वचन देते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा कितने बजे तक बैठना चाहती है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताएं कि सभा कितनी देर तक बैठना चाहती है।

एक माननीय सदस्य : पन्द्रह मिनट तक।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, पांच मिनट। मंत्री महोदय पांच मिनट के भीतर अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : राज्य सरकारों की कठिनाई को देखते हुए हमने कुछ कोशिशें की हैं। जब हम दुबारा तय करेंगे, तो उसमें पाणिग्रही जी की जो आशंका है उसको भी हम दूर कर पाएंगे, क्योंकि हम दृढ़-संकल्प हैं कि चाहे कुछ ही हो, गरीबों का हक उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें खाने के लिए अनाज मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मिट्टी के तेल और चीनी के बारे में बता दीजिए। हाउस का टाइम बार-बार नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब हमें समाप्त करना चाहिए। मिनिस्टर जब रिप्लाई दे, उस समय घंटी बजाना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

परन्तु कितने बजे तक सभा के समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो अनाज का उत्पादन है और जितना लोगों को खाने के लिए चाहिए, वह स्वास्थ्य विज्ञान के हिसाब से 2200 से 2400 केलोरीज अनाज चाहिए। हम चार सौ पच्चीस ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति दिन देते हैं। उसके हिसाब से 18 करोड़ टन अनाज चाहिए। पिछले साल 18 करोड़ 40 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ और इस साल 19 करोड़ 80 लाख टन अनाज का उत्पादन होगा। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि गरीबों के लिए कहीं अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारी जो गरीबोन्मुखी नीति है, उसको और सफल और दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यह बात तो अनाज के सम्बन्ध में हुई। चीनी के बारे में सभी को चिन्ता है। चीनी नीति के हिसाब से अभी तक 425 ग्राम प्रति व्यक्ति हरेक राज्य सरकार का हिस्सा है। हमने वह समय पर देने का उपबंध किया है। पी.डी.एस. के थ्रू करीब 3 लाख टन 70 हजार टन और फ्री मार्किट में 60 लाख और कुछ हजार टन यानी कुल मिला कर 64 लाख टन चीनी की खपत हिन्दुस्तान में है। हमारे पास इतनी चीनी है। इसलिए सन् 1999 के जनवरी महीने तक चीनी की हमारे पास कमी नहीं है। इसमें जो कालाबाजारी होती है, गड़बड़ी होती है और कार्ड बनाने में जहां गड़बड़ी होती है, उन सब की निगरानी की जाती है। इसकी जितनी जरूरत है, उसको पूरा किया जाता है। खास तौर से जो दबे हुए लोग हैं, उनको ये सामान पहुंचाने की जरूरत है।

अब मैं मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखिए। आप इंटरप्ट मत करिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : राज्यों में मिट्टी का तेल पिछली मांग के हिसाब से कहीं कम से कम सात लीटर पर-कैपिटा प्रति

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 12 लीटर प्रति व्यक्ति साल में आवंटित होता है ...*(व्यवधान)* उसमें जो मिलावट और गड़बड़ी होती है, उसके लिए कानून बना हुआ है। असैंशल कमोडिटिज एक्ट के द्वारा गड़बड़ी करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता है और उन्हें कहीं बख्शा नहीं जाता है। गरीबों को उचित हक दिया जाता है।

हिन्दुस्तान की जन वितरण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली है। यहां चार लाख दुकानें हैं। ये गांव-गांव में फैली हुई हैं। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से अनाज मिले, दुकानें हर जगह हों, उनकी निगरानी हो और वह दुरुस्त हो, कोई गरीब इससे न छूटे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : समय हो गया है। अब कृपया कनक्लूड करिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहते हैं। गरीबी हटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, भोजन की समस्या के समाधान के लिए और जिन्दगी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए, यदि सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो यह योजना सफल होगी। 84 करोड़ लोगों को जितना भोजन मिलना चाहिए, उतना वह मिल नहीं रहा है। हमें इसकी चिन्ता है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि इस चिन्ता से हिन्दुस्तान मुक्त हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 13 अगस्त, 1997/ 22 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।